राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] नवम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का इकतीसवां दिवस [संख्या 19

बुधवार,

25 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री ईश्वर लाल सैनी।

आवासन मण्डल की किश्त पर ब्याज/ पेनल्टी से राहत

553 श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल के निर्देशानुसार अगर आवंटी किसी कारण समय पर किश्त जमा नहीं करा पाये तो ऐसे आवंटी से मण्डल किश्त के साथ पेनल्टी के अलावा ब्याज भी वसूल करता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बहुत से आवंटी पेनल्टी एवं ब्याज के भार को सहन नहीं कर पाने से किश्तों को देने में असमर्थ हो जाने से आवंटी एवं मण्डल दोनों को ही हानि होती है ?

(3) क्या राज्य सरकार ऐसी स्थिति में आवंटियों से पेनल्टी अथवा ब्याज दोनों में से एक ही लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) राजस्थान आवासन मण्डल आवंटी द्वारा समय पर मासिक किश्त जमा नहीं कराने पर बकाया किश्तों पर केवल ब्याज वसूल करता है। पेनल्टी वसूल नहीं करता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब आया है, मंत्री जी ने पढ़कर सुना दिया, यह मण्डल का जवाब है। मेरा निवेदन है आपसे कि मूलधन की जो किश्त समय पर जमा नहीं कराई जाती है उस मूलधन पर ब्याज लगा देते हैं। ब्याज और मूलधन के बाद यह पेनल्टी वसूल करते हैं

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

ऐसी एप्लीकेशन्स आपके पास भी आई होंगी, मेरे पास भी आई हैं और इनके पास भी गई हैं कि कहीं भी राजस्थान में जो कार्मशियल डिपार्टमेंट है....

अध्यक्ष : नहीं, कहीं आप उस ब्याज के ब्याज को तो पेनल्टी नहीं समझ रहे हैं ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : नहीं सर।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि जैसे मूलधन चार सौ रुपया था आपने तीन साल तक जमा नहीं करवाया उसका ब्याज हुआ फिर उस पर ब्याज पर ब्याज लगाते हैं, ऐसा है क्या ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : नहीं सर, ब्याज पर ब्याज नहीं। जो किश्त जमा नहीं कराई हैं....

श्री अध्यक्ष : आप पहले यह पूछ लीजिए, बेहतर यह रहेगा। इसमें मेरा सजेशन है कि पहले यह पूछ लीजिए कि क्या वह ब्याज पर ब्याज लेते हैं ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : फिर दूसरा दुबारा पूछ लें। मैं कह रहा हूं कि पेनल्टी का आ जावेगा वह तो इन्होंने मना कर दिया। आप यह पूछिये कि ब्याज पर ब्याज लेते हैं क्या ? देखिए अभी पोजिशन क्लियर हो जाती है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप यही बता दीजिए कि क्या ब्याज पर ब्याज लेते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, असल बात यह है कि जब आवंटी पैसा जमा नहीं करवाते तो महीने में 10 प्रतिशत तो जमा करवाते हैं किश्त का और 10 प्रतिशत लेते हैं सीड मनी। उसको लगातार किश्त देनी पड़ती है। अगर वह किश्त नहीं देता है तो हमको वह काम पूरा करने के लिये कुछ संस्थाओं से उधार लेना पड़ता है और वह जो उधार लेना पड़ता है उस पर ब्याज देना पड़ता है। फिर यह जो डिफाल्टर हैं इनके कारण से पैसों की कमी पड़ती है वह हमको विभिन्न संस्थाओं से ब्याज पर लेना पड़ता है उस पर हमको ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। वह जो ब्याज देना पड़ता है वही हम वसूल करते हैं बाकी ना तो हम पेनल्टी वसूल करते हैं ना अधिक वसूल करते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह पूछ रहे हैं कि एक साल रुपया जमा नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर उसका ब्याज हो गया, फिर थर्ड ईयर उसे जमा नहीं करवाया तो जो ब्याज हुआ है उस पर भी ब्याज लगाते हैं क्या ? यह है पूछने का सवाल।

श्री भंवरलाल शर्मा : ब्याज तो लगाते हैं, पेनल्टी नहीं लगाते हैं।

श्री अध्यक्ष : यानि ब्याज का ब्याज भी लगाते हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : चक्रवर्ती ब्याज। कार्मशियल डिपार्टमेंट तो आर. एस. ई. बी. भी है, कार्मशियल डिपार्टमेंट पी. एच. ई. डी. भी है उनकी अगर कोई किश्त हो जाती है लेकिन केवल पेनल्टी वसूल करते हैं ब्याज पर ब्याज नहीं वसूल करते।

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

ब्याज पर ब्याज करते हैं तो वही पेनल्टी बोलते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आपका कहीं कन्फ्यूजन है अगर फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं पेनल्टी वसूल की गई हो तो आप मुझे बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : यह कन्फ्यूजन इनका नहीं है। कन्फ्यूजन आपके विभाग ने पैदा कर रखा है। इसलिए जरूरी है कि आप जांच करवायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं खुद ही निवेदन कर रहा हूं, इसको क्लियर कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैं यही कह रहा हूं कि इसमें कन्फ्यूजन विभाग की वजह से क्रियेट हो रहा है It should be cleared कि आप केवल ब्याज ले रहे हैं, उस पर ब्याज पर ब्याज ले रहे हैं उसके लिए आपने जो रीजन बताए हैं कि आपके बैंक जितना ब्याज आपसे लेते हैं उतना आप वसूल करते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : I will let you know.

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अगर आपकी इजाजत हो अध्यक्ष महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल, हाऊसिंग बोर्ड के एकाउण्ट्स की हालत बहुत खराब है। मैं समझता हूं सदन के अधिकांश सदस्य इस बात से सहमत हैं कि आपके यहां पर एकाउण्ट्स तैयार नहीं है। हम लोगों ने चिट्ठियां लिखी कि हमको हमारा हिसाब बता दीजिए क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आपके आवंटियों के एकाउण्ट्स तैयार हैं, नम्बर एक। और खास तौर से जिन लोगों ने हिसाब मांगे हैं आप उनको कितने दिन में हिसाब भिजवा देंगे जिससे लोग पैसा जमा करवायें। उनकी स्थिति तो साफ हो। स्थिति ही साफ नहीं है आज एकाउण्ट्स की, बरसों हो गये अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी। आप क्या पूछ रही हैं?

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आवासन मण्डल ब्याज पर ब्याज ले रहा है। दूसरी तरफ हमारे सिरोही में 1980 और 1981 में आवासन मण्डल ने फार्म भरवाये थे और अब तक आवेदकों को मकान उपलब्ध नहीं करवाये। कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। क्या आवेदकों को कीमतों में राहत देने का आवासन मण्डल विचार करेगा?

श्री ईश्वर लाल सैनी : आवासन मण्डल में जो एकाउण्ट्स के कुछ अधिकारी हैं वह तो आवासन मण्डल से है, कुछ वहां डेपुटेशन पर हैं। जैसे चीफ एकाउण्ट्स आफिसर है वह डेपुटेशन पर है और सीनियर एकाउण्टेन्ट है वह भी डेपुटेशन पर है उनमें बिल्कुल तालमेल नहीं है। मैं उनसे जाकर खुद बात करके आया हूं। उन्होंने कहा कि आप हमको नियम में एप्लीकेशन दे देंगे, फाइल भी दे देंगे तो जो वहां का एकाउण्ट्स सैक्शन है वह हमको पांच-पांच, दस-दस, दो-दो महीने तक फाइल नहीं देता है। ऐसे हमारे सैकड़ों केस हैं

(श्री ईश्वर लाल सैनी)

जिनका हम निपटारा करने में असमर्थ हैं। मेरा मंत्री महोदय आपसे यह निवेदन है कि ऐसे कितने आवंटी हैं जिनको समय पर उनकी किश्तों का नोटिस जाता है वह नहीं मिलता है। नोटिस चले भी जाते हैं तो तीन-तीन, चार-चार महीने लगातार चक्कर खाने के बाद भी उनका एकाउण्ट्स सैक्शन से निपटारा नहीं होता है और यही कारण है कि पेनल्टी पर पेनल्टी, चक्रवर्ती ब्याज लेते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रद्युम्नसिंहजी ने जो प्रश्न किया वह इससे सम्बधिन्त नहीं है। लेकिन मैं इसकी जानकारी देना चाहूंगा। यह बात सही है कि पिछले कई वर्षों से एकाउण्ट्स ठीक से मेन्टेन नहीं होते थे लेकिन पिछले दो साल से तो यह शिकायत नहीं है। अगर इन दो सालों का कोई हिसाब पूछना चाहेंगे तो तुरन्त आपको मिल जायेगा लेकिन पिछला जो एकाउण्ट्स नहीं मिले उसके कारण हमने कुछ लोगों को काम में लगाया है और इस काम को ठेके पर भी दिया है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह काम बहुत ठीक हो गया और कुछ समय का बचा है इसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करायेंगे और इस स्थिति में ला देंगे कि कोई आवंटी यह पूछेगा कि उसका कितना हिसाब बाकी है, वह मिल जायेगा।

जहां तक आपने प्रश्न किया पेनल्टी का, विभाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम पेनल्टी वसूल नहीं करते, ब्याज जरूर वसूल करते हैं उसमें भी विलम्ब होता है तो, क्योंकि वह हमको भी देना पड़ता है तो वह हम वसूल करते हैं फिर भी यदि ऐसी कोई बात हो, पेनल्टी वसूल की गई हो, ऐसा एक भी उदाहरण आप मुझे बता दें, हम उसको रेक्टीफाई कर देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सबकी समस्या थी सभी इससे पीड़ित हैं। जनता भी पीड़ित है, आम आदमी भी हम सब पीड़ित हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं खुद पीड़ित हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बड़ी सफाई से इस बात को कह गये, आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं राजनैतिक दृष्टि से सवाल नहीं पूछ रहा था आपने कह दिया कि दो साल से जब से यह राज्य आया है, आप मंत्री बने हैं तब से तो हालत बहुत अच्छी हो गई। आपने सत्ता हमसे सम्भाली है। क्या यह आपका दायित्व नहीं है मंत्री महोदय कि पुराना जो हिसाब पड़ा हुआ है उसको भी आप ठीक करवायें, सवाल यह है। अध्यक्ष महोदय, यह कह कर बरी नहीं हो सकते।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं बरी बिल्कुल नहीं हो रहा हूं। मैंने तो खुद निवेदन किया है कि हिसाब तैयार नहीं है and we are improving it.

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप कब तक तैयार करवा देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसको हम शीघ्र तैयार करवा देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज चार महीने हो गये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं पूरा कर रहा हूं। मैंने कोई राजनीति नहीं लगाई है, मैंने केवल जानकारी दी है आपको।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट चाहूंगी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है....

श्री अध्यक्ष : जितना लम्बा चलाऊंगा उतने ही लोग पूछेंगे। आप बैठिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि हम दूसरी संस्थाओं से ब्याज पर रकम लेते हैं यह बात सही है लेकिन यह बात भी सही है कि जिन संस्थाओं से ब्याज पर रकम लेते हैं उनको ब्याज पर ब्याज अदा नहीं करना पड़ता।

श्री अध्यक्ष : बैंक लेता है ब्याज। सब बैंक लेते हैं ब्याज टू ब्याज।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : दूसरा यह है कि आपने कहा कि हम पेनल्टी नहीं लेते हैं। यह बात कहकर आपने इस बात को बाइ पास किया है। आप यह स्पष्ट करें कि ब्याज तो लेते हैं, पेनल्टी नहीं लेते हैं लेकिन पेनल इंट्रेस्ट भी लेते हैं क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात क्लियर कीजिये।

श्री अध्यक्ष : वे लेते हैं, यह तो कह दिया ना इन्होंने।

श्री भंवरलाल शर्मा : I have answered it.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मेरा एक जवाब नहीं आया है। मैंने इनसे यह निवेदन किया था कि मण्डल के एकाउन्ट्स अधिकारी अलग है, डेपुटेशन पर आ गये, उनका सामंजस्य आपने कर दिया, उसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ी हो रही है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, सही बात है कि हाउसिंग बोर्ड का....(व्यवधान) विराजिये आप। एक मिनट।

श्री ईश्वरलाल सैनी : और चक्रवर्ती ब्याज में आपने अभी आश्वस्त किया, कम से कम आप बता दीजिये कि आप अपनी तरफ से उत्तर में क्या टिप्पणी भेजेंगे मण्डल को?

श्री अध्यक्ष : बैठिये। ऐसा है, हाउसिंग बोर्ड का मामला बहुत बिगड़ा हुआ है। मंत्री जी उसको सुधारने में लगे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोगों ने और ध्यान आकर्षित कर दिया है, जल्दी से जल्दी हर आवंटी को अपना हिसाब मिलता रहे। They are trying for it.

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे तो पूछने दो।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

नेक्स्ट। श्री लक्ष्मीनारायण दवे। (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या 554 (कृपया आगे देखें)

श्री हेतराम बेनीवाल : नेक्स्ट।

दवाइयों की खरीद व वितरण व्यवस्था

555. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद विभाग में राजस्थान के औषधालयों में औषध वितरण हेतु वर्ष में दवाइयों की खरीद कब की जाती है? वर्ष 1990 व 1991 में कितने रुपये की दवाइयां खरीदी गई? क्या इनकी विश्वसनीयता की जांच की गई? इनकी खरीद हेतु वर्ष के किस माह में टेण्डर जारी हुए?

(2) क्या वर्ष 1991 में खरीदी गई दवाइयों का वितरण राज्य के प्रत्येक जिले में कर दिया गया? यदि हां, तो गंगानगर जिले में कुल कितनी औषधि दी गई और क्या प्रत्येक औषधालय में उसका वितरण कर दिया गया? संगरिया विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक औषधालय में कितनी-कितनी औषधियां वितरित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) :

(1) आयुर्वेद विभाग में विभागीय औषधालयों के लिए निर्मित औषधालयों की खरीद नहीं की जाकर कच्ची औषधियों व घटक द्रव्यों का क्रय कर विभागीय रसायन शालाओं में आयुर्वेद व यूनानी औषधियों का निर्माण किया जाता है। केवल होम्योपैथिक औषधियां टेण्डर प्रणाली से औषध निर्माताओं से क्रय की जाती हैं।

यह खरीद माह अक्टूबर से मार्च के बीच की जाती है।

वित्तीय वर्ष 1990–91 में 56 69 लाख रुपये की तथा 1991–92 में 15 मार्च, 1992 तक 52.85 लाख रुपये मूल्य की कच्ची व निर्मित औषधियां तथा घटक द्रव्य क्रय किये गये हैं।

जी हां। तकनीकी समिति/राजकीय विश्लेषक द्वारा विश्वसनीयता की जांच की गई।

घटक द्रव्य व औषधियों के क्रय हेतु वर्ष 1990–91 व 1991–92 में निम्न प्रकार निविदाएं प्रसारित की गई :–

	1990–91	1991–92
सामान्य निविदाएं	16.07 90	02.07.91
अल्पकालीन निविदाएं	16.02.91	19.12.91

(2) जी हां। उपलब्ध औषधियों का वितरण राज्य के प्रत्येक जिले में कर दिया गया है। गंगानगर जिले में अब तक औषध वितरण रुपये 1 लाख 89 हजार 908 रुपये 71 पैसे का किया गया है और प्रत्येक औषधालय में उसका वितरण कर दिया गया है। संगरिया विधान सभा क्षेत्र के औषधालयों को वितरित की गई औषधियों की राशि का विवरण (परिशिष्ट–1) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तरह की दवाइयां खरीदी गई हैं। एक तो आयुर्वेदिक औषधि कच्ची और एक यूनानी। यूनानी के बारे में टेण्डर लिये गये हैं। जो कच्ची औषधियां

(श्री हेतराम बेनीवाल)

खरीदी गई हैं, उनको किस तरह से खरीदा गया और किस तरह से कमेटी बनाई या सीधे ही गये दुकान पर और किसी अधिकारी को कह दिया, वह दुकान पर गया, बाजार से ले आए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये खरीद कहां से की गई, किस जगह से की गई और किस तारीख को की गई और किस अधिकारी ने की। एक तो मेरा यह सवाल है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, किस तारीख को की, वह तो मैंने निविदाओं के बारे में बता दिया।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं नहीं, मैं कच्ची औषधि के बारे में पूछ रहा हूं। आप कहते हैं कि कच्ची औषधि तो निविदा से होती नहीं। वह तो वैसे ही खरीदते हैं। किस तारीख को खरीदी गई।

श्रीमती विद्या पाठक : कच्ची औषधियां निविदाओं से खरीदी जाती हैं, आपने कहां पढ़ लिया कि निविदा नहीं चाही जाती।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं यह लिखा है। आपने जवाब दिया है कि औषधियों की खरीद नहीं की जाकर.... होम्योपैथिक औषधि टेण्डर प्रणाली से ली जाती है। टेण्डर प्रणाली से ली गई। वह जो कच्ची औषधियां आयुर्वेद की ली गई, वह आपने किस तारीख को खरीदी और किस तरह खरीदी गई, कौन गया, कहां से खरीद कर लाये, कहां मिल गई ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि कच्ची औषधि हेतु सामान्य निविदा प्रणाली से उसके घटक खरीदे जाते हैं, उसके कम्पोनेंट्स खरीदते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : कहां से खरीदे हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूं। वे कहीं जंगल से उखाड़कर लाये, आप वनों में गये, हिमालय में गये या दिल्ली से लाये या जयपुर से लाये, यही पूछ रहा हूं मैं और किस तारीख को ले आए ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय उसके अलग-अलग कम्पोनेंट्स के लिए टेण्डर्स इन्वाइट किये जाते हैं, टेण्डर्स इन्वाइट....

श्री हेतराम बेनीवाल : टेण्डर के बारे में तो आपने जवाब दे दिया कि नहीं किये जाते हैं। आपने जवाब दे दिया कि टेण्डर प्रणाली सिर्फ होम्योपैथिक प्रणाली की होती है तथा टेण्डर प्रणाली से तो सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयां खरीदते हैं, बाकी नहीं खरीदते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया कि सामान्य निविदाएं 1991-92 और 1990-91 को, मैंने डेट्स दी है, अल्पकालीन और सामान्य निविदाएं दी हैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, लेकिन इसमें आपने कोन्ट्राडिक्शन पैदा कर दिया है ना। आपने कहा है कि कच्ची औषधियों का मतलब है वनस्पति या और चीजें जो आयुर्वेद में मिलती हैं, उन चीजों के बारे में आपने कहा कि टेण्डर नहीं होते हैं। यह तो विभाग के स्तर पर आपकी

(श्री अध्यक्ष)

रसायनशाला के जो लोग हैं, वे खरीदते हैं और यूनानी औषधियों के आप टेण्डर्स काल करते हैं, यही तो। इनका पूछना यह है कि जो कच्ची औषधियां आपके विभाग के लोग खरीदते हैं, उनको कब खरीदा गया है उसकी तारीख है क्या आपके पास ?

श्री हेतराम बेनीवाल : वह तारीख बता दें कि कब खरीदी, किसने खरीदी, कहाँ से खरीदी ?

श्री अध्यक्ष : मतलब इसकी कोई कमेटी बनी हुई है क्या ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, कमेटी बनी हुई है। मैंने अभी निवेदन किया है कि तकनीकी समिति बनी है, क्रय समिति बनी है।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय हेतराम जी, आप बैठिये। मैं क्लियर ही कर रहा हूं। तकनीकी समिति तो यह देखती है कि यदि उन्होंने कोई अमुक जड़ी खरीदी, वह जड़ी वो है या नहीं, कहीं जड़ी की जगह, जड़ी के नाम पर कहीं घास तो नहीं दे दी गई, यह देखती है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्रय समिति बनी हुई है। 4 रसायनशालाएं हैं। उन चार रसायनशालाओं के लिए एक कमेटी बनी हुई है क्रय समिति, और तकनीकी समिति होम्योपैथिक दवाइयों के लिए भी। राजस्थानी क्रय समिति, अजमेर रसायन शाला आयुर्वेद और यूनानी औषधियों के लिए बनी हुई है।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप ने मेरी दोनों चीजें नहीं मिलाई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, निविदा कर दी, ठीक बात है। आपने जो कच्ची औषधि खरीदी, वह किन-अधिकारियों ने, कौन-कौन थे उसमें और कब खरीदने गये और कहां से खरीदकर लाए। मेरा सवाल है यह। किस जगह से खरीद लाए।

श्री अध्यक्ष : ये कमेटी के बारे में कह रहे हैं। आपके पास कमेटी के नाम हैं। वे नाम बताइये। अलग-अलग रसायनशालाओं में जो है, उनके नाम बता दीजिये।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, क्रय समिति रसायनशाला अजमेर के व्यवस्थापक, जिला आयुर्वेद रसायनशाला अजमेर, आयुर्वेद जिला अधिकारी अजमेर, सहायक निदेशक (यूनानी) अजमेर, केवल यूनानी औषधियों के लिए, लेखाधिकारी आयुर्वेद विभाग अजमेर और प्रभारी राजकीय आयुर्वेद रसायनशाला अजमेर।

श्री हेतराम बेनीवाल : अजमेर वाले कहां से लाते हैं सारे राजस्थान के लिए ?

श्रीमती विद्या पाठक : कोई जरूरी नहीं कि यहीं से ले। कई बार नहीं भी लेते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, नहीं मैं यही तो पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि ये दवाइयां किस तारीख को आपने खरीदी, कौन खरीदने गया। सवाल यह है अध्यक्ष महोदय, दवाइयां खरीदने के लिए एक आदमी दिल्ली जाता है और दिल्ली से खरीदकर ले आता है ? यह स्पष्ट बता दें।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, एक दिन में सारी दवाइयां खरीदते नहीं और एक बार में खरीदते नहीं, और अभी मैंने जैसा निवेदन किया कि माह अक्टूबर से मार्च तक दवाइयां खरीदी गई है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का यह काम थोड़े ही है जब मर्जी आये तब खरीदकर ले आए। कोई तारीख तो बताइये !

श्री अध्यक्ष : प्लीज। आप भी इसमें कन्फ्यूज कर रहे हैं। ये औषधियां एक जगह नहीं मिलती है इसलिए जहां अवेलेबल होती है वहीं से ख़रीदते हैं लेकिन जनरली दिल्ली में जब अवेलेबल हो जाती है तो दिल्ली से ही खरीदते हैं। आप जो कह रहे हैं बार-बार....आपका कहना है कि एक आदमी....

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरा कहना है कि पिछले साल लास्ट दिनों में आखिरी तारीख में भी यानी 22-23 मार्च के आस-पास सारी दवाइयां खरीद ली।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल ठीक है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यही मैं इनसे पूछ रहा हूं कि इस बार उन्होंने कौनसी तारीख को खरीद ली सारी दवाइयां या अलग-अलग तारीखों में खरीदी, वह बात है।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, निविदाओं में दो बार दिया हुआ है कि 1990–91 में 16.07.90 को....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह तो निविदा का सवाल नहीं है। निविदा तो आपने और चीजों के लिए दी है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, इसमें इन्होंने टाइम दिया है। वित्तीय वर्ष 1990–91 में 56.69 लाख रुपये की तथा 1991-92 में 15 मार्च, 1992 तक 52.85 लाख रुपये मूल्य की कच्ची व निर्मित औषधियां तथा घटक द्रव्य क्रय किये गये हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : तो घटक द्रव्य तो खरीद लिये टेण्डर से, कच्ची दवाइयां इन्होंने खरीदी है, वह बिना टेण्डर से ली है। इसमें लिखा है बिना टेण्डर के खरीदते हैं। तो वह किस तारीख को खरीदी, वह पूछ रहा हूं। असली तो मुख्य तौर पर वे ही आयुर्वेद की दवाइयां खरीदते हैं क्यों कि हमारे यहां जो औषधियां इस्तेमाल होती है यूनानी औषधियां तो हमारे यहां 4–5 हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। देखिये, बात यह है कि जो आपकी साल भर की जितनी हैं, वह बता दी। अब आप यह पूछ रहे हैं कि किस तारीख को कितनी दवाइयां खरीदी, आप यही तो पूछना चाहते हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : यही तो मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नही, आपका इसमें सवाल नहीं है। यह तो आपका सप्लीमेन्ट्री है।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं नहीं, इसमें सवाल मेरा यह था कि इन दवाइयों की कब खरीद की गई, यह मेरा सवाल है। मुख्य सवाल है, इसकी खरीद वर्ष के किस माह में की गई ?

श्री अध्यक्ष : आपके सवाल में आपने वर्ष दिया है कि 90–91 में कितनी खरीदी।

श्री हेतराम बेनीवाल : किस दिन खरीदी गई, किस माह में खरीदी गई, मुझे महीना बता दें। किस तारीख को खरीदी गई।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि अक्टूबर से मार्च के बीच में खरीदी गई।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं नहीं आप पर्टिकुलर महीना बता दें। मैंने पूछा है कि अगर विभाग ने खरीदी हैं तो जरूर ही पता होगा कि किस महीने में खरीदी है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या पूछ रहे हैं ? पहले इनको तो सन्तुष्ट हो जाने दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : मैं पूछ रहा हूं कि....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल है क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं सवाल तो उनका है सवाल तो सदन की सम्पत्ति है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : फिर उनको सन्तुष्ट होने दीजिए। मैं आपको सन्तुष्ट करने के लिए नहीं बैठा हूं। माननीय सदस्य, मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप यह समझते हैं कि कोई प्रश्न आ गया तो सदन की प्रोपर्टी हो गया, आपका राइट हो गया You have got no right. राइट है उस प्रश्न पूछने वाले का। He should be satisfied first. आपको मैं अलाउ करूं, उतना ही आपका राइट है, बाकी कोई राइट नहीं है। सदन की सम्पत्ति है इसलिए सब खड़े होंगे, यह नहीं है। इसलिए इस मोशन को भुला दीजिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे तो एतराज नहीं है। ताली बजाओगे तो सवाल नहीं पूछ सकोगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। मैं समझ गया आपकी बात। मैं समझ गया आपका सवाल। आपने जो मेन सवाल किया है उसमें तो आपने वर्ष दे दिया....

श्री हेतराम बेनीवाल : महीना लिखा है किस महीने की किस तारीख में खरीदा है।

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लीजिए। आपने पहले सवाल में लिखा है वर्ष 1990-

(श्री अध्यक्ष)

91 में कितने रुपए की दवाइयां खरीदी गई। क्या इनकी विश्वसनीयता की जांच की गई ? इनकी खरीद हेतु वर्ष के किस माह में टेण्डर जारी हुए ? यह पूछ रहे हैं। अब इन्होंने इसका जवाब यह दिया है कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक खरीदी गई हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : यानी सारे महीनों में।

श्री अध्यक्ष : हां सारे महीनों में। अब यह चाहते हैं कि एक-एक के टेण्डर....

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, 1–2 टेण्डर से खरीदी गई वो तो ठीक है लेकिन जो बिना टेण्डर से खरीदी गई, इनका यह कहना है कि सारे महीनों में खरीदते रहे।

श्री अध्यक्ष : हां बिलकुल ठीक है।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, अगर यह जवाब सही है तो इनसे दुबारा कहलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। मैं कह रहा हूं मंत्रीजी आप तो यह बता दीजिए कि आपकी इन कच्ची औषधियों को खरीदने की जो समिति है इन्होंने अक्टूबर से मार्च तक कब-कब खरीदी हैं ? ये डेट्स आपके पास हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हैं 16.7.90, 16.12.91, 2.7.91 व 19.12.91 को।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह तो टेण्डर की है। यह आपने जो टेण्डर दिए हैं उसकी है। आपने जो कच्ची औषधियां खरीदी हैं वो बता दीजिए कि वे कब-कब खरीदी ?

श्री अध्यक्ष : आप इनको तो बोलने दीजिए। यह टेण्डर की हैं या कच्ची औषधियों की हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : टेण्डर का लिखा है।

श्रीमती विद्या पाठक : कच्ची औषधियां विभिन्न भागों से खरीदी जाती हैं। जिसका लोएस्ट टेण्डर होता है उससे ली जाती हैं। बिना टेण्डर के कोई दवाई नहीं खरीदी गई।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह तो चीज ही दूसरी है अध्यक्ष महोदय। इन्होंने जवाब दिया है कि होम्योपैथिक की दवाई टेण्डर प्रणाली से खरीदी जाती है बाकी सारी दवाइयां विभाग द्वारा खरीदी जाती हैं। इसका मतलब मुख्य रूप से जो आयुर्वेदिक विभाग की दवाइयां हैं....

श्रीमती विद्या पाठक : विभाग ही खरीदता है परन्तु लोएस्ट टेण्डर पर खरीदते हैं। मान लीजिए, एक चीज खरीदनी है....

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने टेण्डर दिया है क्या, बताइये ?

श्रीमती विद्या पाठक : बताया न आपको इन्वाइट किया है।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने जवाब दिया है कि इस विभाग द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयां तो खरीदी जाती हैं वैसे, और टेण्डर प्रणाली से सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयां खरीदी जाती हैं। आपने यह जवाब कैसे दिया ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस जवाब को फिर रिपीट करना चाहती हूं।

श्री हीरालाल इंदौरा (केसरीसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप सेटिसफाइड नहीं हैं तो स्थगित करा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। नेक्स्ट लेऊं ?

श्री हीरालाल इंदौरा : इसे स्थगित करा दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको एक मिनट में एक्स्प्लेन कर देती हूं। मैंने यह कहा कि आयुर्वेद विभाग में विभागीय औषधियों के लिए निर्मित दवाइयां नहीं खरीदी जाती है, उसके कम्पोनेंट्स और घटक खरीदे जाते हैं जो लोएस्ट टेण्डर प्रणाली के अनुरूप खरीदे जाते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह नहीं लिखा।

श्रीमती विद्या पाठक : और क्रय समितियां खरीदती है।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने यह लिखा है कि कच्ची औषधियां, द्रव्य। घटकों....

श्री अध्यक्ष : यह छोड़िये। आप जो कह रहे हैं वह मानिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यही है तो मेरा जवाब दे दें कि किस महीने में खरीदी ?

श्री अध्यक्ष : बता रहे हैं ना, आपको महीना बता दिया।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह जो बताया है यह टेण्डर का है।

श्री अध्यक्ष : फिर वो ही टेण्डर की बात कर रहे हैं। छोड़िये आप। You leave the tender. टेण्डर की आप नहीं पूछ रहे हैं, क्रय की हैं वो पूछ रहे हैं। इन्होंने बता दिया कि वो खरीदी हैं, डेट्स बता दी।

श्री हेतराम बेनीवाल : टेन्डर की।

श्री अध्यक्ष : जहां से खरीदी जाती हैं....

श्रीमती विद्या पाठक : टेन्डर के बाद क्रय समिति लोएस्ट टेण्डर वाले से खरीदती है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह किस-किस तारीख में....

श्रीमती विद्या पाठक : मार्च से अक्टूबर तक....

श्री अध्यक्ष : वो तारीख फिर से बता दीजिए, एक बार।

श्रीमती विद्या पाठक : अक्टूबर से मार्च के बीच में।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह तारीख उनकी है। स्पेशियली लिखा हुआ है कि होम्योपैथिक दवाइयों की तारीख है।

श्रीमती विद्या पाठक : यह नहीं लिखा हुआ है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह लिखा है कि होम्योपैथिक ओषधियां टेण्डर प्रणाली द्वारा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो मंत्री जी कह रही हैं उसे सुन लीजिए कि क्या लिखा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्री जी कह रहे हैं तो तारीख बता दीजिए फिर।

श्री अध्यक्ष : इसमें कुछ नहीं लिखा है। आप जो स्पष्ट कर रहे हैं वह सुनिए आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : अगर मेरा यह जवाब मंत्रीजी दे रहे हैं तो उस तारीख को जितने टेण्डर जारी किए, किस अखबार में निकले, वे कहीं तो निकले होंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : वो ही तो बता रही हूं।

श्री अध्यक्ष : एक बात तो पूरी हो जाने दीजिए, अब अखबार आ गया।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा 1990–91 में 16.10.90 और अल्पकालीन 16.12.91 को और फिर 2.7.91 व 19.12.91 को। मेरे ख्याल से आपकी आपत्ति इस पर है कि इस वर्ष 16.2.90 को टेण्डर्स लिए गए, निविदाएं इनवाइट की गई।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं कह रहा हूं कि कच्ची औषधियों की निविदायें आपने ली ही नहीं।

श्रीमती विद्या पाठक : कच्ची की निविदायें ली गई।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं ली गई, यही तो मैं कह रहा हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं कह रही हूं ली गई हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं ली गई हैं।

श्री अध्यक्ष : हो गया। नेक्स्ट श्री बिरधाराम चौधरी।

श्री बिरधाराम चौधरी : प्रश्न संख्या 556.

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है (व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि निविदायें नहीं ली गई हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : ली गई हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय हेतराम जी, केवल आपका ही सवाल नहीं है, 10 सवाल और पूछने हैं। बहुत से प्रश्न हैं उनका उत्तर नहीं मिलेगा। अब आप कह रहे हैं नहीं ली गई और वे कह रही हैं हां। अब मंत्री जी कह रही हैं वह तो

(श्री अध्यक्ष)

मान नहीं रहे हो अपनी ही कह रहे हो । नेक्स्ट श्री बिरधाराम चौधरी ।

मकराना के विभिन्न मार्गों पर निजी बस सेवा

556. **श्री बिरधाराम चौधरी** (मकराना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि मकराना से परबतसर वाया बिदियाद, किणसरिया परबतसर से हरसोर वाया बागोर, भकरी सड़क राष्ट्रीयकृत नहीं होने से इस रूट पर निजी बसें चलती हैं ? यदि हां, तो रोजाना परबतसर मकराना वाया बिदियाद कितनी बसें जाती हैं एवं कितनी आती हैं ? समय, बस नम्बर, मालिक नाम विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) परबतसर हरसोर रोजाना कितनी बसों का आवागमन है ? समय बस नम्बर व मालिक नाम विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या उक्त दोनों मार्गों को राष्ट्रीकृत कर इस पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलाने का सरकार विचार रखती है ?

यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(4) क्या मकराना से नागौर वाया खाटू मार्ग को राष्ट्रीयकृत करने की कार्यवाही की जा रही है ? नहीं तो, क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (1) जी हां । मकराना से परबतसर वाया बिदियाद किणसरिया व परबतसर से हरसोर वाया भकरी निजी बसें चलती हैं । मकराना से परबतसर वाया बिदियाद किणसरियां, बोरावड़–अजमेर मार्ग का भाग है, जिस पर संचालित बसों व समय सारणी का ब्यौरा निम्नानुसार है—

क्र. सं.	मार्ग का नाम	बस नम्बर	मालिक का नाम
1.	बोरावड़–अजमेर वाया बिदियाद किणसरिया	आर.जे.एस 1448	नेशनल मोटर्स किशनगढ़ (अजमेर)
2.	,, ,,	आर.जे.जेड. 511	मदनलाल पुत्र श्री मुरलीधर कुचामन
3.	,, ,,	आर.जे.जेड. 9035	श्री गुलाबचन्द पुत्र श्री केसरीमल, तिलोरा ।
4.	,, ,,	आर.एस.ई.–4728	श्री भंवरलाल पुत्र श्री पुसालाल तिलोरा ।

(श्री दिग्विजय सिंह)

समय–सारिणी

अप सर्विस		डाउन सर्विस	
अजमेर	बोरावड़	बोरावड़	अजमेर
6.00 ए.एम.	11.00 एम.एम.	6.00 ए.एम.	11.00 ए.एम.
2.30 पी.एम.	7.30. पी.एम.	6.30 ए.एम.	11.00 ए.एम.
3.30 पी.एम.	8.30 पी.एम.	1.30 पी.एम.	6.30 पी.एम.
5.00 पी.एम.	10.00 पी.एम.	4.30 पी.एम.	9.30 पी.एम.

(2) परबतसर से हरसोर वाया बागोद भकरी परबतसर भैरूंदा मार्ग का भाग है, जिस पर संचालित बसों व उनके समय का विवरण निम्न प्रकार है—

श्री अध्यक्ष : यह बहुत लम्बा-चौड़ा है। मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा ही है, अभी पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आखिर का पढ़ दीजिए।

क्र. सं.	मार्ग का नाम	वाहन सं	अनुज्ञापत्रधारी का नाम
1.	परबतसर से भैरूंदा	आरजेई–9018	श्री वही अहमद, परबतसर
2.	,, ,,	आरजेएस-2100	श्री गणपत सिंह पुत्र जसवंत सिंह, डेगाना
3.	,, ,,	आरजेएस-4641	श्री मदनलाल गौड़ पुत्र श्री भंवरलाल परबतसर
4.	,, ,,	आरजेएस-2051	श्री बाबूलाल गौड़, परबतसर
5.	,, ,,	आरजे-21/1075	श्री किशोरसिंह पुत्र श्री छीतरसिंह हरसोर
6.	,, ,,	आरजेवी-6890	श्री प्रभाकर ओझा पुत्र श्री किशनगोपाल परबतसर
7.	,, ,,	आरएसक्यू-4811	श्री मूलचन्द पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, किशनगढ़

(श्री दिग्विजय सिंह)

समय सारिणी

अप सर्विस	डाउन सर्विस		
परबतसर	भैरूंदा	भैरूंदा	परबतसर
6.00 ए.एम.	8.30 ए.एम	8.00 ए.एम.	10.30 ए.एम
9.30 ए.एम.	12.00 दोपहर	11.00 ए.एम.	1.30 पी.एम.
11.00 ए.एम.	1.30 पी.एम.	1.00 पी.एम.	3.30 पी.एम.
2.30 पी.एम.	5.00 पी.एम.	2.00 पी.एम.	4.30 पी.एम.
5.00 पी.एम.	7.30 पी.एम.	4.30 पी.एम.	7.00 पी.एम.

(3) व (4) जी नहीं। वर्तमान में निगम विद्यमान राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु प्रयत्नशील है। अतः निकट भविष्य में इन मार्गों को राष्ट्रीयकृत कराने का कोई विचार नहीं है।

श्री बिरधाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो मेरा प्रश्न पूछने का आशय था उसके अनुसार कोई जवाब नहीं और जो जवाब दिया है विभाग ने, वह बिल्कुल गलत जवाब दिया है। जो मेरा खण्ड एक पूछने का आशय था, इसमें स्पष्ट है कि मकराना से परबतसर वाया बिदियाद, मतलब परपबतसर से मकराना सिर्फ और परबतसर से हरसौर तक की मैंने पूछी है कि कितनी बसें आती हैं और कितनी जाती हैं। इन्होंने इसको तो गौण कर दिया और दूसरा बोरावड़ से अजमेर का बता दिया जबकि परबतसर से बसें खाटू भी जाती हैं वाया मकराना, बेसरोली भी जाती हैं और हर आधा घण्टे बाद में बसें चलती हैं। मेरे पूछने का मतलब यह था कि जो परबतसर से मकराना है, बिदियाद होते हुए, उस पर कितनी बसें आती हैं और कितनी जाती हैं और आधा-आधा घण्टे बाद में मेरे ख्याल से पचास बसें आती हैं, पचास बसें जाती हैं। जबकि आपने यह बताया पांच बसों का, आपने सिर्फ अजमेर से बोरावड़ की बसों का बताया जबकि यह नहीं पूछा। और दूसरी बात, अब यह सवाल करना चाहूंगा कि विभिन्न मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने के राजस्थान राज्य परिवहन निगम के क्या मापदण्ड हैं और क्या परबतसर से हरसौर, परबतसर से मकराना उन मापदण्डों में आता है या नहीं आता है ?

श्री अध्यक्ष : आप मुझे एक बात बताइये, बोरावड़ से जो गाड़ी अजमेर जाती है उसमें परबतसर आता है या नहीं ?

श्री बिरधाराम चौधरी : आता है।

श्री अध्यक्ष : फिर ?

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, वह तो आ गई श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : बस, देखिये सवाल यह है कि आप जब बोलते हैं तो मिसगाइड तो मत करिये। आपने परबतसर से बिदियाद पूछा है....

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, मैंने यह नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिए पहले आप, अब इन्होंने बोरावड़ से बताया है, इसका मतलब परबतसर आयेगा।

श्री बिरधाराम चौधरी : आयेगा।

श्री अध्यक्ष : परबतसर से बिदियाद आवेगा, फिर आपने पूछा, है बिदियाद से किशनसरिया, किशनसरिया का इन्होंने अलग से बता दिया।

श्री बिरधाराम चौधरी : हां।

श्री अध्यक्ष : तो जो आपने पूछा है वह है।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, वह तो थोड़ा है, मतलब वह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा है जो है लेकिन है वही। उससे भिन्न नहीं है, डाइवर्शन नहीं है, It is no diversion. जो आपने एक्जेक्टली पूछा है उसमें कम हो सकता है, जितना आप चाहते हैं, पूरा नहीं होगा।

श्री बिरधाराम चौधरी : हां, यह सही है।

श्री अध्यक्ष : यह हो सकता है लेकिन है वही कि जो आपने पूछा है। There is no diversion.

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, वह है। लेकिन मैंने स्पेसिफिक पूछा है कि परबतसर से मकराना के बीच में कितनी बसें आती हैं और कितनी जाती हैं। जबकि परबतसर से मकराना के लिए बेसरोली भी जाती है, खाटू भी जाती है मतलब इन्होंने सिर्फ जो बोरावड़ से अजमेर जाने वाली का ही हवाला दिया है। मैं पूछना चाहूंगा कि परबतसर से मकराना डेली कितनी अप-डाउन सर्विस है चाहे आगे मतलब खाटू जाओ, चाहे बेसरोली जाओ, मेरे पूछने का आशय है।

श्री अध्यक्ष : बस, बैठिये आप।

श्री बिरधाराम चौधरी : और इसी प्रकार से यह है। और मैंने एक यह मार्गों को राष्ट्रीयकरण करने के लिए....

श्री अध्यक्ष : अब यह दूसरा दुबारा पूछ लेना।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, एक उसी में शामिल है।

श्री अध्यक्ष : सैकण्ड सवाल नहीं पूछोगे फिर, सैकण्ड सप्लीमेंट्री।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में पहले स्पष्ट किया है कि मकराना से परबतसर यह रूट इसमें आता है और वाया बिदियाद, किशनसरिया और

(श्री दिग्विजयसिंह)

परबतसर से हरसौर वाया भकरी निजी बसें चलती हैं। तो यह तो स्पष्ट है, इसमें कहा है मैंने। अब दूसरा प्रश्न आप राष्ट्रीयकृत करने की बात कर रहे हैं, उस सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि इस समय सरकार का कोई विचार नहीं है, यह मैं आपको कह चुका हूं और हमारे पास इस वक्त जो मौजूदा बसें हैं उनकी संख्या को देखते हुए इस वक्त सम्भव नहीं है कि वहां पर निगम की बसें हम चला सकें।

श्री बिरधाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब कहां आया।

श्री अध्यक्ष : आप पूछो न दूसरा, वह तो आ गया।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, कहां आया।

श्री अध्यक्ष : पहले इनका जवाब सुनिये। इसमें जवाब में लिखा है कि मकराना से परबतसर वाया बिदियाद, किणसरिया, बोरावड़-अजमेर मार्ग का भाग है। आपने जो पूछा है वह बोरावड़-अजमेर मार्ग का एक हिस्सा है जिसमें मकराना से परबतसर आता है। यह उन्होंने जवाब दिया है।

श्री बिरधाराम चौधरी : हां, आता है श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : आता है, बस यही तो यह कह रहे हैं।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, इसके अलावा मकराना —

श्री अध्यक्ष : अब इसके अलावा क्या है, आपने मकराना से परबतसर....

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, परबतसर से मकराना बसें चलती हैं सिर्फ।

श्री अध्यक्ष : आप फिर यह पूछते कि केवल जो मकराना से चलकर परबतसर टर्मिनेट हो जाय, यह पूछते। आपका मतलब तो, यही है ना आशय कि जो मकराना से केवल परबतसर टर्मिनेट हो गई, फिर वही परबतसर से मकराना गई, यही मतलब है ना आपका तो।

श्री बिरधाराम चौधरी : हां।

श्री अध्यक्ष : यही पूछ रहे हैं आप ?

श्री बिरधाराम चौधरी : यही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इसका बता दीजिए। केवल यह मकराना और परबतसर की कितनी चल रही हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आप पूछ रहे हैं कि मकराना से परबतसर वाया बिदियाद, किणसरिया बोरावड़-अजमेर वाया बिदियाद, किणसरिया मार्ग का भाग है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह नहीं....

श्री दिग्विजय सिंह : इसी प्रकार परबतसर से हरसौर और वाया बागोर,

(श्री दिग्विजय सिंह)

भकरी परबतसर भैरूंदा मार्ग का भाग, वह भी उसका भाग है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह केवल यह पूछ रहे हैं, वह बसें कि जो केवल, मकराना परबतसर के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है, मकराना से परबतसर, फिर वहीं परबतसर, आगे नहीं, मकराना से आगे जाती है न परबतसर से आगे जाती है। यह कितनी बसें हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बसें जो चल रही हैं, यह आगे तक भी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह नहीं पूछ रहे हैं। यह तो केवल वहां टर्मिनेट जो हो जाती है उनको पूछ रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मकराना से परबतसर का ही।

श्री अध्यक्ष : हां, बस यही पूछ रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूछ लूं।

श्री दिग्विजय सिंह : जहां तक अध्यक्ष महोदय, मकराना से नागौर, मेरे पास जो सूचना है उसके हिसाब से अर्ज कर दूं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, उसका है क्या आपके पास ?

श्री दिग्विजय सिंह : परबतसर वाला ?

श्री अध्यक्ष : केवल मकराना परबतसर।

श्री दिग्विजय सिंह : उसकी अलग से मेरे पास नहीं सूची, अलग से पूछ लेना।

श्री अध्यक्ष : नहीं है, चलिये, नहीं है। अब दूसरा सवाल पूछिये आप।

श्री बिरधाराम चौधरी : इसका तो जवाब ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप फिर दूसरा पूछ लेना।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, मेरा दूसरा यह श्रीमन्, इन्होंने जो उत्तर दिया है, खण्ड एक का तो इनके पास जवाब नहीं है तो उस....

श्री अध्यक्ष : वह तो हो गया, अब आप दूसरा सवाल पूछिये।

श्री बिरधाराम चौधरी : मेरे पूछने का आशय यह था....

श्री अध्यक्ष : मकराना से परबतसर कितनी बसें चलती हैं, यह जवाब इनके पास नहीं है।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं है। तो फिर दूसरा पूछ लीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि वह जवाब....

श्री बिरधाराम चौधरी : मेरे पूछने का आशय यही है, उद्देश्य यही है अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं है आपका।

श्री बिरधाराम चौधरी : यह नहीं श्रीमन्....

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आप अगर....

श्री बिरधाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप पढ़िये।

श्री अध्यक्ष : मैं पढ़ चुका हूं। आपने पूछा है कि क्या यह सही है कि मकराना से परबतसर वाया बिदियाद, किशनसरिया, परबतसर से हरसौर वाया बागोर, भकरी सड़क राष्ट्रीयकृत नहीं होने से इस रूट पर निजी बसें चलती हैं ? आपने यह बिल्कुल नहीं पूछा है कि केवल मकराना से परबतसर कितनी बसें चलती हैं।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, यदि हां तो....

श्री अध्यक्ष : आपने वाया-वाया लिखा है सबमें। वाया का जवाब भी दिया है उन्होंने।

श्री बिरधाराम चौधरी : लिखा है, यदि हां तो रोजाना परबतसर-मकराना वाया बिदियाद कितनी बसें चलती है ?

श्री अध्यक्ष : फिर वही वाया, वाया तो दे रहे हैं।

श्री बिरधाराम चौधरी : तो वाया तो बिदियाद जायेगी ही, दो तरह से बसें चलती हैं। मतलब मकराना से परबतसर वाया मंगलान भी चलती है और वाया बिदियाद भी चलती है। दो तरह से चलती है श्रीमन्। मेरे पूछने का आशय यह था....

श्री हीरालाल इन्दौरा : इन्होंने कहा है कि, बस पूछ रहे हैं कि कितनी बसें चलती हैं।

श्री अध्यक्ष : आप नागौर के बारे में मेरे से ज्यादा तो नहीं जानते....

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, आप ज्यादा जानते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपका भी इन्टरेस्ट है इसमें....

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे कह रहा हूं, आप और हम तो जानते ही हैं।

श्री बिरधाराम चौधरी : इसीलिए तो पूछ रहा हूं कि दोनों तरह से बसें चलती हैं।

श्री अध्यक्ष : हां।

श्री बिरधाराम चौधरी : मतलब अध्यक्ष महोदय, यही तो मैं कह रहा हूं कि यदि हां, तो रोजाना....

श्री अध्यक्ष : अलग चलती है कि नहीं ? आप बैठिये।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बता रहे हैं, इसके आगे आप फिर पढ़ें कि यदि हां तो रोजाना परबतसर-मकराना वाया बिदियाद कितनी

(श्री दिग्विजय सिंह)

बसें जाती हैं, यह फिर उन्होंने विदियाद ही पूछा आगे....

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसा है....

श्री दिग्विजय सिंह : स्पेसिफिक उन्होंने मकराना से परवतसर की कोई बात पूछी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, इसमें क्या है कि मकराना और परबतसर के बीच में बिदियाद पड़ता ही है।

श्री बिरधाराम चौधरी : पड़ता ही है।

श्री अध्यक्ष : वह तो पड़ता ही है।

श्री दिग्विजय सिंह : तो यह बसें चल रही हैं, मैंने बता दिया है। यही बसें चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह उसी के लिए पूछ रहे हैं। और नहीं है स्पेसिफिक जवाब ?

श्री दिग्विजय सिंह : हां, इसके अलावा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तो नहीं चलती है।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, कैसे नहीं चलती है श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि और हैं ही नहीं बसें, जो चलती हैं।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, यह तो अजमेर का बताया है। मतलब परबत-सर से मकराना कितनी चलती हैं।

श्री अध्यक्ष : वह आप आइंदा तय करिये। नहीं, अब दूसरा सवाल पूछिये कोई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, मैं उन्हें संतुष्ट करूंगा। आप दूसरा सवाल पूछिये।

श्री बिरधाराम चौधरी : मेरे यह था कि जो मकराना से नागौर मार्ग है उस पर पहले राजस्थान राज्य परिवहन निगम की एक बस जयपुर से नागौर वाया मक-राना चलती थी और वह बंद कर दी। मैंने पिछली बार यह प्रश्न किया था कि क्या....

श्री अध्यक्ष : अब क्या कर रहे हैं वह बताओ, क्या कर रहे हैं प्रश्न ?

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, यही तो, रोडवेज की बसें, मैंने कहा कि....

श्री अध्यक्ष : वह जो बंद हो गई, वह तो बंद हो गई। उसको चालू करने की पूछ रहे हैं ...

श्री बिरधाराम चौधरी : बंद हो गई है तो उसको चालू करने वाली बात क्या आपके विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है।

श्री बिरधाराम चौधरी : दूसरी बात यह मेरी थी कि जो राष्ट्रीयकृत मार्ग है

(श्री बिरधाराम चौधरी)

और उस पर भी प्राइवेट बसें चलती हैं और जैसे

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है, ठीक है। जैसे छोड़िये, आ गया सवाल ।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, मैंने यह क्वश्चन पूछा था....

श्री अध्यक्ष : हो गई न, राष्ट्रीयकृत मार्ग पर प्राइवेट बसें चलती हैं, आ गया ।

श्री बिरधाराम चौधरी : आपने यह जवाब दिया है, बिल्कुल स्पष्ट, यह लास्ट में दिया है। मैंने यह पूछा था कि क्या राष्ट्रीयकरण मार्गों का करने का विचार है क्या । जी नहीं, वर्तमान में निगम विद्यमान राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु प्रयत्नशील है। अत: निकट भविष्य में इस मार्ग को राष्ट्रीयकृत करने का कोई विचार नहीं है। निकट भविष्य में कोई विचार नहीं है तो पहले वाले जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उनको इन्होंने कहा कि सुदृढ़ीकरण, तो कैसे सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए ।

श्री बिरधाराम चौधरी : और....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, और नहीं, सवाल एक ही तो पूछना है, तीन पूछ लिये आपने ।

श्री बिरधाराम चौधरी : और निकट भविष्य में नहीं तो क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने क्यों नहीं का तो बता दिया, वह सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं इसलिए नहीं है ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने स्पष्ट कहा है कि भविष्य में इन राष्ट्रीयकृत मार्गों के ऊपर बसें चलाने के सम्बन्ध में अभी हमारे पास कोई इस तरह का विचार नहीं है। हम सिर्फ अभी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील हैं और जो राष्ट्रीयकृत मार्गों पर पूर्व में बसें चलती थी....

श्री अध्यक्ष : नहीं, एक बस का पूछ रहे हैं। एक बस जो चलती थी, उसका पूछ रहे हैं ।

श्री दिग्विजय सिंह : एक बस जो अनार्थिक पाई गई थी इसलिए बंद कर दी। अब दुबारा से बात कहते हैं तो मैं उस पर विचार कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है ।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न, आधा मिनट ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री शिवकिशोर सनाढ्य (अनुपस्थित)

(प्रश्न संख्या 557, कृपया आगे देखें ।)

माननीय श्री शिवजीराम ।

खादी ग्रामोद्योग मण्डल में प्रतिनियुक्ति के पद

558 श्री शिवजीराम (जहाजपुर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शिवजीराम)

(1) बोर्ड एक्ट के अनुसार राजस्थान एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में कौन कौन से पद प्रतिनियुक्ति के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधि अधिकारी एवं उपनिदेशक (मोने.) का पद एक्ट के अनुसार प्रतिनियुक्ति का नहीं है ? यदि हां, तो एक्ट के विपरीत यह दोनों पद प्रतिनियुक्ति से क्यों भरे गये हैं ? क्या सरकार इन्हें बोर्ड सेवा के अधिकारियों से भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बिना प्रतिनियुक्ति के पदों पर बोर्ड अधिकारी पदोन्नति देने में सक्षम नहीं है, यदि है, तो इनके द्वारा इन पदों को पदोन्नति द्वारा क्यों नहीं भरा जाता है ?

राज्य मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग, (श्री मोहन मेघवाल) : (1) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 में किसी भी पद पर प्रतिनियुक्ति पर लेने या लेने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1955 से विधि अधिकारी एवं उपनिदेशक (मोने) के पदों की प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाने या नहीं जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है । विधि अधिकारी का पद विधि सहायक से पदोन्नत किए जाने का प्रावधान है परन्तु विधि सहायक वर्तमान में कोई नहीं है। अतः पदोन्नति से भरने का प्रश्न नहीं है । बोर्ड के अन्य अधिकारियों से विधि अधिकारी का पद भरे जाने का प्रावधान नहीं है । अतः विधि अधिकारी का पद प्रतिनियुक्ति से भरा गया है। उपनिदेशक (मोने) का पद बोर्ड सेवा अधिनियमों में शामिल नहीं है। अतः प्रारम्भ से ही इस पद को प्रतिनियुति के द्वारा पदस्थापन किया जाता रहा है। अतः नियम विपरीत प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है।

(3) बोर्ड सेवा अधिनियमों में विधि अधिकारी का पद विधि सहायक से पदोन्नति कर भरे जाने का प्रावधान है परन्तु वर्तमान में कोई विधि सहायक बोर्ड में नहीं है। अतः पदोन्नति दिया जाना सम्भव नहीं है। उप निदेशक (मोने) का पद बोर्ड सेवा नियमों में शामिल नहीं है और न ही पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। यह पद सृजन के समय से ही प्रतिनियुक्ति से भरा जाता आ रहा है।

श्री शिवजीराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि विधि सहायक का पद कब सृजित हुआ और यह कब से रिक्त चला आ रहा है एवं उप निदेशक (मोने) का पद कौन से विभाग से डेपुटेशन पर लिये जाने का प्रावधान है एवं क्या इसमें अभी कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बोर्ड के 20-8-88 से अधिकारी परिषद और कर्मचारी संघ पदाधिकारियों द्वारा सेवा नियमों में पदोन्नति के अवसर पर बोर्ड के अधिकारियों को दिये जाने के

(श्री मोहन मेघवाल)

आग्रह पर विस्तृत चर्चा की गयी और विचार के उपरान्त....

श्री अध्यक्ष : आप यह क्या पढ़ रहे हैं ? इन्होंने यह पूछा है कि विधि सहायक अधिकारी का पद कब सृजित हुआ और कब भरा गया ?

श्री मोहन मेघवाल : हां तो विधि अधिकारी के पद के लिए ही था। बोर्ड के नियमों के अनुसार उन्होंने ही निर्णय लेकर लिया है।

श्री अध्यक्ष : कब लिया ? यह पूछ रहे हैं। यह पद सृजित कब हुआ यह पूछ रहे हैं ?

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह 27 जनवरी, 1992 से श्री टेकचन्दजी विधि अधिकारी हैं। यह सहायक विधि अधिकारी थे और इनको विधि अधिकारी के क्रमोन्नत पद पर लगाया गया। अब हमारे पास सहायक विधि अधिकारी का कोई पद खाली नहीं है। क्योंकि वह क्रमोन्नत ले चुका है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पद कब सृजित हुआ ?

श्री अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए ना। शायद वह भी नहीं समझे। आप जबरदस्ती क्यों बोलें।

श्री शिवजीराम : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह प्रश्न किया है कि विधि सहायक का पद खादी बोर्ड में कब सृजित हुआ ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने यह कहा है और अभी जो डेट बताई–जो विधि सहायक थे उनको क्रमोन्नत कर दिया इसलिए वह खाली जगह पड़ी है तब से।

श्री शिवजीराम : माननीय मंत्रीजी सदन को गलत सूचना दे रहे हैं। विधि अधिकारी सन् 1982 से कल्याण सहाय जी लगे हुए थे और उनको 1982 में प्रमोट किया तब से पद रिक्त चला आ रहा है और आप बता रहे हैं 1992 में। तो यह गलत सूचना सदन को दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी।

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह 15-9-82 के द्वारा इस पद को विधि अधिकारी के पद से क्रमोन्नत किया गया। यह पहले पद था लेकिन उसके बाद में वापिस जब यह रिटायर हो गए तो उसके बाद में हमारे बार-बार लिखने के बाद विधि सहायक को वापिस क्रमोन्नत करवाकर इसी पद को जो टेकचन्द जी थे वह एल ए. की जगह एल. ओ. का पद भरकर वही रख दिये गये और अभी हमारे पास एल.ए. की पोस्ट कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्ट, श्री अर्जुनदास मदान।

श्री शिवजीराम : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जवाब नहीं आया। आपके कहने का मतलब है कि एल.एल. की पोस्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि 1982 में जो थे उसी पद को कन्वर्ट करके विधि सहायक की जगह विधि अधिकारी कर दिया और उसके बाद में पद है ही नहीं। यह कह रहे हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : प्रश्न संख्या 559.

श्री शिवजीराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक क्वेश्चन और है। मेरे सप्लीमेंट्री प्रश्न का जवाब ही नहीं आया है। मैंने यह निवेदन किया है कि आपने डिप्टी डाइरेक्टर (मोने) का पद डेपुटेशन का माना है, यह जानना चाहता हूं कि यह पद कौन से विभाग से लिया जाता रहा है और क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहन मेघवाल : मोनेटरिंग का तो प्लानिंग विभाग से इनको लिया जाता है और यह हर विभाग में लिया जाता है।

श्री शिवजीराम : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि मामला पब्लिक का नहीं है इसलिए हम कोई नहीं समझे। इसलिए आपका और इनका है बैठकर कर लेना। नेक्स्ट, श्री अर्जुनदास मदान।

राज्य के रासायनिक उद्योग

559. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में ऐसे कितने रसायनिक उद्योग हैं जिनकी उत्पादन प्रक्रिया वहां पर कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ? ऐसे उद्योगों में कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं ?

(2) क्या ऐसे सभी उद्योगों का कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण हुआ है ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने उद्योग हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ और क्यों ?

(3) क्या सरकार ऐसे उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सकार के पास ऐसे श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए कोई विशेष परीक्षण एवं इलाज की योजना है ? यदि हां, तो क्या है और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, श्रम (श्री बाबूलाल खाण्डा) : (1) राज्य में 94 रासायनिक उद्योग ऐसे हैं जिनकी उत्पादन प्रक्रिया वहां पर कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन उद्योगों में लगभग 21704 श्रमिक कार्य करते हैं। इनमें से 3555 श्रमिकों पर उत्पादन प्रक्रिया के कारण स्वास्थ्य पर सीधे प्रभाव पड़ने की सम्भावना रहती है।

(2) कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 71 रासायनिक उद्योग पंजीकृत हैं, शेष 23 कारखानों का पंजीकरण प्रबन्धकों के द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं करने के कारण लम्बित है।

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

(3) रासायनिक उद्योगों से प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों का 'सर्टीफाइंग सर्जन' से नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना आवश्यक है । राज्य सरकार ने सभी जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अधीक्षक सवाई मानसिंह अस्पताल व निरीक्षक, कारखाना (मेडिकल) को सर्टीफाइंग सर्जन अधिघोषित किया हुआ है ।

(4) जी नहीं, क्योंकि वर्तमान नियमों में स्वास्थ्य परीक्षण के जो प्रावधान हैं उनमें परिवर्तन का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है ।

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय मंत्री महोदय, मैं ऐसा महसूस करता हूं और मेरी भावना है कि....

श्री अध्यक्ष : आप मुझे ऐड्रेस कीजिए ।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि है, अशुद्धि है और ऐसा लगता है कि जवाब देने से पहले....

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है ?

श्री अर्जुनदास मदान : मेरा सवाल यह है कि ऐसे कितने रासायनिक उद्योग हैं और उनमें कितने कर्मचारी काम करते हैं क्योंकि एपेरेन्टली आप देख लीजिए यह बता रहे हैं कि 21704 हैं और केवलमात्र 3555 लोगों को रासायनिक उद्योगों का प्रभाव पड़ता है तो क्या यह मैं मान लूं कि 7 मजदूरों में से केवल एक ही मजदूर प्रभावित होता है । ऐसे रासायनिक उद्योगों में जिनमें 100 मजदूर लगे हों उसमें 14 मजदूर ही प्रभावित हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप का सवाल समझ गया । आप विराजिये । यह बताइये मंत्री जी कि आपने टोटल 21704 का लिखा है तो केवल 3555 पर ही क्यों असर पड़ता है बाकी पर क्यों नहीं ?

श्री बाबूलाल खाण्डा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और भी है कि अगर इसकी सत्यता का आप प्रतिपादित करना चाहते हैं तो आप कृपया इसको देखिये कि हर जगह स्टेन्सिल को काट-काट करके दुबारा लिखा गया है मानो बनाने वाले श्योर ही नहीं थे कि मैं क्या लिख रहा हूं और मुझे क्या भरना है....

श्री अध्यक्ष : अब आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं कमेन्ट कर रहे हैं ।

श्री बाबूलाल खाण्डा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस जो होता है निर्माण प्रक्रिया, उसको ध्यान में रखकर मजदूरों को छांटा जाता है । जो शिड्यूल बनी हुई है उसमें 8 पाइन्ट्स हैं और जो मेनुफेक्चरिंग प्रोसेस है निर्माण प्रक्रिया, कारखाना अधिनियम के तहत, उसको मैं पढ़ कर सुना सकता हूं, उसी वजह से यह छटनी की जाती है और कोटा में कुल 6 रासायनिक उद्योग हैं उनमें जैसे श्रीराम

(श्री बाबूलाल खाण्डा)

फर्टीलाइजर्स है उसमें 2000 मजदूर हैं जिनको मैनेजमेंट का 100 का मेडिकल सर्टीफिकेट लेना जरूरी है। उसमें से 100 में से 100 का कराया हुआ है। तो यह जो कमी बता रहे हैं यह प्रोसेस की वजह से ही है चाहें तो मैं पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : उनका जवाब तो दे दिया ना कि वे 3555 श्रमिक ही हैं।

श्री बाबूलाल खाण्डा : जी हां।

श्री अर्जुनदास मदान : आपसे मैं एक निवेदन करता हूं कि आप फाउण्ड्री को किसमें मान्ते हैं जिसमें लोहा गलता हैं और ढलता है आप उसको किसमें लेते हैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप यह तो समझ गये न यह 3555 वह मजदूर हैं जो उत्पादक की क्रिया में सीधे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जो इसमें इन्वाल्वड हैं बाकी के मजदूर इन्वाल्वड नहीं हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रासायनिक उद्योगों का पंजीकरण अब तक रसायन में कोई उद्योगपति करवाता ही नहीं है जिसमें कि मैजोरिटी मजदूर रासायनिक में प्रभावित होने वाले नहीं होते। आप एकतरफ तो यह कहते हैं कि क्या मिलता है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप सवाल पूछिये दूसरा।

श्री अर्जुनदास मदान : मैं सवाल ही तो पूछ रहा हूं साहब। मैं यही तो निवेदन कर रहा हूं। दूसरी तरफ आप दूसरा सवाल देखिये कि 71 रासायनिक उद्योग पंजीकृत हैं और 23 अभी तक नहीं हैं जबकि उत्पादन की प्रक्रिया 94 की 94 में ही चालू हो गयी। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि 23 ऐसे जिनका पंजीकरण नहीं हुआ वे उत्पादन में कैसे आ गये पंजीकरण से पूर्व ?

श्री अध्यक्ष : जवाब दीजिए।

श्री बाबूलाल खाण्डा : अध्यक्ष महोदय, जो अनरजिस्टर्ड है उन पर भी नियमों के तहत कार्यवाही होती है। उनका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ ? उसका कारण यह रहा कि उन्होंने कई फॉर्मलिटीज नहीं करवायी, नक्शे पास नहीं करवाये लेकिन जिस दिन से फैक्ट्री चालू होती है कारखाना अधिनियम तो उसी दिन से लागू हो जाता है ....(व्यवधान)....

श्री अर्जुनदास मदान : मान्यवर, मैं यही तो पूछता हूं कि जब राजस्थान अधिनियम 1948 के अन्तर्गत उन उद्योगों का पंजीकरण नहीं हुआ था तो वे उत्पादन में कैसे आये, और वो भी रासायनिक उद्योग ? जिसका हर मजदूर पर उसका पड़ता है। फिर तीसरे सवाल में आप यह जवाब दे रहे हैं माननीय मंत्री महोदय, कि उनका सर्टिफाइड सर्जन कौन होता है। कोई भी डॉक्टर चला जाय और मैं 10 रुपए दूं और हो जाए। मजदूर के ऊपर जो....

श्री अध्यक्ष : अच्छा, मंत्रीजी, आप माननीय सदस्य के साथ सदन के बाहर बैठकर के पूरा डिस्कशन कर के फिर मुझे बता देना कि उनको संतुष्ट कर दिया गया....(व्यवधान)....

नेक्स्ट। श्री हेमराज।

श्री हेमराज (किशनगंज) : प्रश्न संख्या 560।

किशनगंज व शाहबाद के आदिवासियों के छोटे मुकदमे

560. श्री हेमराज (किशनगंज) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र के आदिवासियों के छोटे मुकदमें वापिस लेने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो कितने मुकदमें वापिस लिये गये. ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि शाहबाद उप-खण्ड मे नोटेरी पब्लिक की नियुक्ति नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उप–खण्ड मुख्यालय में नोटरी पब्लिक नियुक्त करने की क्या योजना है ?

राज्य मंत्री, विधि (श्री शांतिलाल चपलोत) : (1) जी हां, 120 छोटे मुकदमें वापिस लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी है। इनमें से अभी तक 76 मुकदमें वापस लिये जा चुके हैं शेष मुकदमें वापस लिये जाने की कार्यवाही जारी है।

(2) जी हां, क्यों कि शाहबाद में नोटरी पब्लिक का कोई पद अभी स्वीकृत नहीं है।

(3) भारत सरकार को पद सृजन हेतु लिखा हुआ है। पद का सृजन होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से एक छोटा–सा सवाल पूछना चाहूंगा। किशनगंज शहरिया क्षेत्र में कौन-कौन से एक्ट के मुकदमें और किस किस्म के मुकदमें वापस लिये गये हैं और शेष मुकदमों को कब तक वापस लिया जायेगा ? दूसरा सवाल है नोटेरी पब्लिक नियुक्त करने के लिए....

श्री अध्यक्ष : वह लिस्ट देखी या नहीं आपने जो इन्होंने लिस्ट दी है, मुकदमें वापस लेने की कार्यवाही की और जितने हो गये, वह देख ली कि नहीं ?

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक्ट वाइज नहीं दिया हुआ है। इसमें यह पता नहीं लगा कि किस किस्म के मुकदमें वापस लिये गये हैं और कौन-से एक्ट के लिये गये हैं ? इससे जो मुकदमें के बचे हुए हैं उनको वापस लिवाने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आई. पी. सी. के मुकदमे, वन विभाग के मुकदमें और आर्म्स एक्ट के तहत जो मुकदमें थे, छोटे मुकदमें, वही विथड्रा किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : दूसरा सवाल पूछिये।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, नोटेरी पब्लिक नियुक्त करने के लिए भारत सरकार को लिखा गया है तो राज्य में ऐसे कितने पद सृजित करने के लिए लिखा गया है ? दूसरा शाहबाद का नम्बर इसमें आता है या नहीं आता है ? और राज्य सरकार ने नोटेरी पब्लिक को नियुक्त करने के लिए कोई नीति बना रखी है क्या ? बताइये।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, नोटेरी पब्लिक के लिए भारत सरकार ही सक्षम है और उसी को लिखना पड़ता है और 176 नये पदों के सृजन के लिए हमने लिखा है।

श्री अध्यक्ष : शाहबाद शामिल है उनमें ?

श्री शांतिलाल चपलोत : शाहबाद अभी नयी ऐसी कोर्ट खुली है अध्यक्ष महोदय। इस पर भी विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री प्रभुलाल।

प्रश्न संख्या 561

भेड़ बकरियों की जन्मदर में वृद्धि

561. श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा), एवम् **श्री रार्मासह विश्नोई** (लूणी) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में भेड़ व बकरियों की कुल कितनी संख्या है व भेड़-बकरियों की जन्म दर में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि भेड व बकरी इस प्रदेश की शुष्क जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए काफी लाभदायक है ? यदि हां, तो सरकार इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्या योजना बना रही है ?

(3) क्या यह सही है कि भेड़-बकरियों की भारी संख्या के कारण राज्य में वनों व सड़कों के किनारे नये लगने वाले वृक्षों व ग्रामीण क्षेत्रों में चरागाह पेड़-पौधों को भारी हानि पहुंच रही है ? यदि हां, तो भेड़-बकरियों की संख्या को सीमित करने के लिए क्या उपाय विचाराधीन हैं ?

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री देवीसिंह भाटी) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से

(1) पशु गणना 1988 के अनुसार भेड़ों की संख्या 99.13 लाख एवं बकरियों की 125.93 लाख है। जन्म दर के बारे में प्रतिवर्ष कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किये जाते।

(2) जी हां, भेड़ व बकरी इस प्रदेश की शुष्क जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए काफी महत्वपूर्ण हैं। इसे और अधिक उपयोगी बनाने हेतु विभाग द्वारा निम्न

(श्री देवीसिंह भाटी)

योजनाएं चलाई जा रही हैं :–
भेड़ों हेतु :–

1. भेड़ों की स्वास्थ्य रखा
2. भेड़ पालकों का प्रशिक्षण
3. भेड़ नस्ल सुधार हेतु संकर प्रजनन कार्यक्रम
4. चयनित प्रजनन कार्यक्रम
5. भेड़ों का ऊन विश्लेषण

6. विशिष्ठ योजनाओं के अन्तर्गत सघन जल ग्रहण परियोजना इन्दिरा विकास नहर परियोजना में भेड़ व ऊन विकास कार्यक्रम तथा मरु विकास वं सूखा सम्भावित क्षेत्र में चारागाह विकास के कार्यक्रम भी चलाये जा रहे हैं।

बकरियों हेतु :–

पशुपालन विभाग द्वारा बकरी पालन को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए तथा राज्य में बकरियों की दुग्ध उत्पादन मांस उत्पादन में वृद्धि के मुख्य प्रयोजन से स्वीट्जरलैण्ड सरकार के सहयोग से रामसर (अजमेर) में एक बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना वर्ष 1981 से चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत सिरोही नस्ल की बकरियों की स्वीस ब्रीड "टोंगनवर्ग" आदि से क्रमोन्नत किया जा रहा है। वर्तमान में इस परियोजना के क्षेत्र में राज्य के 8 जिलों क्रमश: अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़-गढ़, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नागौर एवं उदयपुर को लिया गया है।

(3) जी नहीं, विभाग की सूचना अनुसार भेड़-बकरियों की भारी संख्या के कारण राज्य के वनों व सड़कों के किनारे नये लगने वाले वृक्षों व ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह को कुछ हानि पहुंचती है। वन विभाग इन पौधों के चारों ओर तारबन्दी कर बचाने का हर सम्भव प्रयास करता है। भेड़ व बकरियों की संख्या को सीमित करने के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि पशुपालक उन्नत नस्ल के कम जानवर पालकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। इससे उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

श्री प्रभुलाल पटेल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सन् 1988 की गणना के हिसाब से बताया है। इससे पहले गणना कब हुई थी और उस समय कितनी संख्या थी ? दूसरा मेरा....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। दूसरा बाद में पूछना। पहले कितनी थी, यह पूछ रहे हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह हर 4 वर्ष से पशु गणना की जाती है और उसी के अनुसार हमने प्रतिशत बताया है।

श्री अध्यक्ष : पिछले आंकड़े पूछ रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : पिछले आंकड़े मेरे पास नहीं हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं है, चलिये दूसरा सवाल पूछिये।

श्री प्रभुलाल पटेल : उसकी संख्या।

श्री अध्यक्ष : उनके पास नहीं है आंकड़े। दूसरा पूछिये।

श्री प्रभुलाल पटेल : दूसरा मेरा क्वेश्चन है साहब, कि बढ़ी हुई संख्या में जो वन साफ हो गये उसके लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : यह बताया न संकर प्रजनन की योजना चला रहे हैं।

श्री प्रभुलाल पटेल : संकर प्रजनन क्या है साहब ?

श्री अध्यक्ष : यह पूछ रहे हैं कि संकर प्रजनन क्या है मंत्री महोदय ? वे बता रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नस्ल के साथ जो उन्नत नस्ल की बकरियां और भेड़ें होती हैं उनका क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, संकर प्रजनन उसी को कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह है। नेक्स्ट। श्री भंवरलाल मेघवाल। आखरी प्रश्न है यह। वह हो गया। 10 का कोटा पूरा हो जाने दीजिए।

श्री भंवरलाल मेघवाल।

श्री भंवरलाल मेघवाल : प्रश्न संख्या 562।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का मकसद तो पूरा हुआ ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब उनका तो हो गया।

श्रीमती मदन कौर : एक प्रश्न आप मुझे पूछने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्य संतुष्ट हैं इसलिए आप काहे का....

श्रीमती मदन कौर : वे संतुष्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : वे हो गये संतुष्ट। मेरे कहने से संतुष्ट हो गये।

लाडनूं के नलकूपों हेतु विद्युत कनेक्शन

562. **श्री भंवरलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जलदाय विभाग, सुजानगढ़ के मुख्य स्रोत लाडनूं में कितने नलकूप हैं तथा कितने चालू हालत में हैं ?

(2) मुख्य स्रोत के इन सभी नलकूपों को कहां-कहां से बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है ?

(3) क्या इन सभी नलकूपों के लिए अलग से फीडर है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इन नलकूपों के विद्युत कनेक्शन लेने से पूर्व में जलदाय विभाग द्वारा बिजली विभाग को अलग फीडर एवं लाइन खिचवाने हेतु धनराशि जमा करवाकर कनेक्शन लिए थे ?

(5) क्या यह सही है कि बिजली विभाग द्वारा इन नलकूपों के अलावा

(श्री भंवरलाल मेघवाल)

लाडनूं शहर की बस्तियों एवं कृषि कुओं को जलदाय विभाग को लाइन व फीडर से कनेक्शन दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ? इन कनेक्शनों को कटवाने के लिए जलदाय विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(6) क्या विभाग पीने के पानी के इन नलकूपों के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) स्रोत स्थान लाडनूं पर सुजानगढ़ तहसील की योजनाओं हेतु 22 नलकूप स्थापित हैं जिनमें से वर्तमान में 18 कार्यरत हैं।

(2) इन नलकूपों को लाडनूं स्थित 33 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति हो रही है।

(3) जी नहीं। नलकूप विभिन्न योजनाओं हेतु समय-समय पर बनाये जाकर विद्युत कनेक्शन समय-समय पर प्राप्त किये गये हैं।

(4) जी नहीं। सुजानगढ़ तहसील की योजनाओं हेतु अलग से फीडर हेतु राशि जमा नहीं करवाई गई है।

(5) जलदाय विभाग एवं अन्य उपभोक्ताओं हेतु फीडर अलग नहीं है। अन्य विद्युत सम्बन्धों को कटवाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(6) जी हां। कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, सुजानगढ़ और उसके आस-पास के 31 गांवों का जल स्रोत लाडनूं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि लाडनूं में 8 घण्टे ही बिजली मिलती है और सुजानगढ़ और लाडनूं की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। क्या सुजानगढ़ के G.S.S से इन ट्यूबवैल को सीधा फीडर देने की आपकी योजना है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछली बार जब आपके साथ बैठकर चर्चा हुई थी तब यह प्रश्न सामने आया था। इसके सम्बन्ध में लाडनूं से 8 किलोमीटर पहले एक बिजली का ग्रिड सब स्टेशन है वहां से यह नजदीक आ सकती है और जल्दी मिल सकती है। इस सम्बन्ध में, आपकी जानकारी में भी है कि इसमें योजना बना ली है, सर्वे कर लिया है और वहां से, जहां आज ग्रिड स्टेशन है वहां से लिया जाय तो ठीक रहेगा या यह लाडनूं के पास वाले से लिया जाय, यह ठीक रहेगा, इस पर विचार चल रहा है और शीघ्र ही इसमें कोई न कोई निर्णय कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपरिषदों व नगरपालिकाओं को सड़क निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि

554. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

(1) वर्ष 1991 में राज्य की किन-किन नगरपरिषद्, नगरपालिकाओं में सड़कों के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपरिषदों एवं नगरपालिकाओं की स्वीकृत की गई राशि में असमानता के क्या कारण हैं ?

(3) सड़कों की स्वीकृतियों हेतु विभाग ने क्या मानदण्ड तय किये ? क्या उक्त सड़कों को स्वीकृतियां मानदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? मानदंण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नगर परिषदों/नगरपालिकाओं में सड़कों के विकास/मरम्मत कार्यों के लिए राज्य योजनान्तर्गत शहरी सड़कों के मद में 304 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 29.-.91 को जारी की गई है। सूची परिशिष्ट (अ)

(2) नगर परिषदों/नगरपालिकाओं की सड़क सम्बन्धी स्थिति, सड़कों की लम्बाई, यातायात का घनत्व, स्थान विशेष की जनसंख्या सड़कों का प्रकार व महत्व आदि को ध्यान में रखते हुए राशि स्वीकृत की जाती है, जिससे असमानता होना स्वाभाविक है।

(3) उपरोक्तानुसार

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में सह-कुलपति का पद

557. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के सह-कुलपति (प्रो–वाईस चांसलर) की नियुक्ति का प्रावधान विश्वविद्यालय एक्ट में है ? यदि हां, तो इसी प्रकार प्रो–वाईस चांसलर कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर में नियुक्त करने की सरकार व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उदयपुर में दक्षिणी परिसर स्थापित करने के आदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये ? यदि हाँ, तो उन आदेशों की पालना कृषि विश्वविद्यालय के किस स्तर पर नहीं हो रही है ? क्या सरकार अपने आदेशों की पालना कराने की मंशा रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के उदयपुर स्थित कार्यालयों में से कुछ कार्यालय स्थानान्तरित किये गये ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? क्या इन कार्यालयों को उदयपुर से बीकानेर स्थानान्तरण करने हेतु सरकार से सहमति प्राप्त की गई ? यदि नहीं, तो इस हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रावधान के होते हुए भी इस समय राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रो. वाईस चांसलर नहीं लगे हुए हैं और सरकार का प्रो. वाईस चांसलर लगाने का विचार भी नहीं है।

(2) बजट भाषण 1987–88 में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि राज. कृषि विश्वविद्यालय का उदयपुर केम्पस दक्षिण परिसर के नाम से जाना जायेगा। इसके अनुसरण में दिनांक 30.3.91 को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया। चूंकि इस विश्वविद्यालय के कई परिसर हैं। अतः कृषि विश्वविद्यालय ने इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां बताई हैं। इस कारण इसकी अनुपालना नहीं की गई है।

(3) विश्वविद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए केवल पी. जी. डीन व भू-सम्पत्ति अधिकारी का कार्यालय, उदयपुर से बीकानेर स्थानान्तरित किया गया। उक्त कार्यालय स्थानान्तरण पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं थी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

महात्मा गांधी नगर, जयपुर में पेयजल आपूर्ति

852. श्री रखबचन्द मीणा (प्रतापगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने अजमेर रोड़ जयपुर स्थित महात्मा गांधी नगर (आवासीय कॉलोनी) में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या उक्त नगर में कोई पाइप लाइन बिछा कर पेयजल उपलब्ध कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नगर के पास बसे विद्युत् नगर (आवासीय कॉलोनी) में पाइप लाइन बिछा कर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हां, तो महात्मा गांधी नगर (आवासीय-कॉलोनी) में उक्त सुविधा का लाभ किस मानदण्ड के तहत नहीं दिया जा रहा है?

(4) क्या सरकार महात्मा गांधी नगर (आवासीय कॉलोनी) में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। अधिकृत गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा धनराशि विभाग को जमा कराने के पश्चात् पेयजल योजना क्रियान्वित की जाती है।

(3) सिद्धान्ततः गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा विकसित कॉलोनियों में विभाग द्वारा पेयजल योजनाएं क्रियान्वित

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

नहीं की जाती हैं। विद्युत नगर में स्थित विभागीय जल स्रोतों को संजय नगर कच्ची बस्ती एवं श्यामनगर वितरण प्रणाली से जोड़ने वाली पाइप लाइन से ही इस कॉलोनी के कुछ भाग को आंशिक सुविधा प्राप्त है।

(4) अधिकृत गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवश्यक धनराशि विभाग को जमा कराने के पश्चात् पेयजल योजना क्रियान्वित की जा सकेगी।

अधीक्षण अभियन्ता, बीकानेर वृत कार्यालय में रिक्त पद

853 श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अधीक्षण अभियन्ता, बीकानेर वृत्त, बीकानेर में मीटर रीडर व उसके ऊपर के यथा मीटर निरीक्षक आदि के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त में से जो निम्न पद से पदोन्नति द्वारा भरने हैं उसके लिए क्या प्रक्रिया विभाग ने तय कर रखी है ? संबंधित नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि मीटर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु कई पद पिछले कई माह से रिक्त पड़े हैं और उन पर पदोन्नति डी. पी. सी. की बैठक नहीं होने से नहीं हो रही है ? यदि हां, तो अब कब तक विभागीय चयन समिति (डी. पी. सी.) की बैठक कराकर इन पर पदोन्नति कर दी जावेगी ?

(4) क्या सरकार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न होने की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति से पुष्टि होने की प्रत्याशा में अर्जेन्ट टेम्प्रेरी बेसिस पर पदोन्नति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) संदर्भित वृत के अधीन राजस्व निरीक्षक के दो तथा मीटर पाठक का एक पद वर्तमान में रिक्त है।

(2) सामान्यतः, पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपर्युक्त कर्मचारियों का चयन कर भरे जाते हैं। राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु तदर्थ पदोन्नति भी किए जाने की व्यवस्था है। वांछित नियमों की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) संदर्भित पदों को तदर्थ पदोन्नति द्वारा भरा जा चुका है।

(4) मीटर निरीक्षकों के रिक्त पदों पर तदर्थ पदोन्नति की जा चुकी है। अन्य तीन पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर के दैनिक वेतन भोगी मीटर रीडर्स

854. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहर में कितने सहायक (मीटर रीडर) दैनिक वेतन पर चल रहे हैं ?

(2) वृत्तानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों (सहायकों) को वर्कचार्ज में नियमित करने का आदेश मुख्य अभियन्ता ने दिया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) इन्हें नियमित नहीं करने के लिए कौन उत्तरदायी है ? अब इन्हें सरकार कब तक नियमित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में कुल छः दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मीटर पठन का कार्य कर रहे हैं।

(2) नगर वृत जयपुर के अधीन, उपरोक्त कर्मचारियों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. श्री कृष्ण कुमार, पुत्र श्री राधेश्याम
2. श्री विजय कुमार पुत्र श्री कन्हैया लाल
3. श्री देवीचरण पुत्र श्री होडलसिंह
4. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री मूलचन्द
5. श्री रघुराज सिंह पुत्र श्री जगन्नाथ सिंह
6. श्री सतीश चन्द पुत्र श्री मालीराम

(3) जी नहीं। उपरोक्त कर्मचारी 31.3.90 को दो वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण न कर पाने के कारण कार्य प्रभारी स्तर पर अर्द्धस्थायी घोषित होने की पात्रता नहीं रखते हैं।

(4) नियमान्तर्गत पात्रता होने के पश्चात् तथा राज्य सरकार द्वारा दो वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को अर्द्धस्थाई घोषित किये जाने संबंधी आदेश प्रसारित किए जाने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

अतारांकित प्रश्न सं. 855
(स्थगित)

बांसवाड़ा के गांवों के लिए स्वीकृत पेयजल योजनाएं

856. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बांसवाड़ा जिले में वित्त वर्ष 1991–92 में किन-किन गांवों में नई पेयजल योजना लागू की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(-) बांसवाड़ा जिले में इस योजनाओं के लिए कुल कितने पाइप किस-किस साइज के वित्त वर्ष 1991–92 में किस

(श्री बहादुर सिंह)

कम्पनी (एजेन्सी) से खरीदे गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पाइप्स को कहां-कहां लगाया गया ? विवरण क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1991-92 में नवसृजित राजस्व ग्राम हरिपुरा में नई हैण्ड पम्प पेयजल योजना क्रियान्वित की गई है।

(2) जिले में संदर्भित वर्ष में 80 मिलिमीटर व्यास के 400 मीटर पाइप क्रय किए गये।

(3) उपरोक्त पाइपों को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बांसला-बालावाड़ा-कातरिया पर उपयोग में लिया गया।

जैतपुर (लूणकरणसर) में पेयजल व्यवस्था

857. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर तहसील बीकानेर जिले का ग्राम जैतपुर एक बड़ा कस्बा है और पेयजल स्रोत मात्र अर्जुनसर से पी. एच. ई. डी. द्वारा सप्लाई होता है ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि पिछले दो वर्षों से जैतपुर ग्रामवासी पीने का पानी नहीं पहुंचने बाबत लगातार शिकायत करते आ रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जैतपुर ग्राम के कुओं का पानी खारा है, जो पीने के काम में नहीं आता ?

(4) क्या यह भी सही है कि जैतपुर से नहर के पानी का स्टॉक 21 कि. मी. दूर है जिसे ऊंट गाड़ी एवं ट्रैक्टर ट्रॉली से लाने पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है ?

(5) क्या यह सही नहीं है कि पानी न पहुंचने का मूल कारण महाजन क्षेत्र का कनिष्ठ अभियन्ता, अर्जुनसर का पंप ड्राइवर तथा जैतपुर लाइन के लाइन मैन हैं, जो कभी भी अपनी नियमित ड्यूटी नहीं देते ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम में 4 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की योजना ही संधारण में होने के कारण पेयजल आपूर्ति अपर्याप्त है।

(3) जी हां।

(4) ग्राम की योजना हेतु अर्जुनसर में प्रस्तावित स्रोत लगभग 21 किलोमीटर दूर है।

(5) स्टाफ के द्वारा ड्यूटी नहीं देने के कारण संदर्भित गांव में पानी की कमी होना नहीं है बल्कि योजना में वितरित पेयजल की मात्रा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अपर्याप्त है।

ग्राम नांगल बैरसी (दौसा) की पेयजल आपूर्ति में गतिरोध

858. **श्री प्रभूलाल** (सपोटरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले की ग्राम पंचायत नांगल बैरसी को ग्राम मालपुरा से पानी की पाइप लाइन डाल दी गई है जिसे ग्राम मालपुरा के निवासी आये दिन लाइन को तोड़ते हैं जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने उक्त विभाग को लिखित में की है ? सरकार ने उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कब तथा क्या, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत नांगल बैरसी में निर्मित जलदाय विभाग द्वारा पानी की टंकी पर छः नल लगा रखे हैं ? क्या ये नल गांव की जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त हैं ? क्या सरकार और टूटियां जनहित को ध्यान में रखते हुए लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी संख्या में कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त पचायत को मुख्य लाइन से घरों को कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लाइन को बार-बार तोड़ने की शिकायत है। इसे दिनांक 25-10-91 को तोड़ दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 26-10-91 को पुलिस थाना सैंथल में की गई एवं 27-10-91 को लाइन की मरम्मत कर पेयजल व्यवस्था पुनः प्रारम्भ कर दी गई।

(2) जी हां। मापदण्डों के अनुसार टूटियों की संख्या पर्याप्त है और टूटियां लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

(3) जी नहीं। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार क्षेत्रीय योजना से लाभान्वित इस ग्राम में घरेलू जल सम्बन्ध दिए जाने का प्रावधान नहीं है।

नगर परिषदों में आयुक्त के पदों पर पदस्थापन

859 **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान की कई नगर परिषदों में आयुक्त पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पदस्थापित किया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में यह स्वीकार किया है कि नगर पालिका सेवा के आयुक्त उपलब्ध होने पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को हटा दिया जायेगा ? यदि हां, तो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को आयुक्त के पद से अब तक क्यों नहीं हटाया गया ?

(3) क्या सरकार की राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नगरपरिषदों में आयुक्त के पद से हटाने तथा नगरपालिका

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

सेवा के अधिकारियों को लगाने की मंशा है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सर्वेक्षण से ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 860
(स्थगित)

जोधपुर नगर परिषद् के स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध जांच

861. श्री हजारीलाल (खेतड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर नगर परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी श्री चिमन सिंह के विरुद्ध क्या कोई जांच विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह जांच कब से चल रही है व कब तक पूरी होने की संभावना है ? यदि जांच रुकी हुई है तो किन कारणों से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 10 अप्रेल, 1990 को चार वाहन क्षतिग्रस्त करने से सम्बन्धित कोई जांच रिपोर्ट नगर परिषद् आयुक्त के निदेशालय को भेजी है ? यदि हां तो इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। प्रश्न एक के उत्तर में इसका भी उत्तर सम्मिलित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

जोधपुर में आदर्श बस्तियों का चयन

862. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों की बस्तियों में से नगर सुधार न्यास जोधपुर ने कुछ बस्तियों का आदर्श बस्तियों में चयन किया था ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में शहर की किस 2 बस्ती का चयन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चयनित बस्तियों में विकास की योजनाएं बताई गई थीं ? यदि हां तो किस 2 बस्ती के लिए क्या 2 योजनाएं बनाई गई तथा किस-2 वर्ष में, किस-2 बस्ती में, क्या-2 कार्य कितनी-2 लागत के हुए ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि चयनित बस्तियों के अन्दर विकास कार्य नहीं होने

(श्री रामसिंह विश्नोई)

के कारण उनकी हालत ही दयनीय है? यदि हां, तो क्या नगर सुधार न्यास जोधपुर, अब इन चयनित बस्तियों में विकास कार्य करने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है।

(3) यह सही नहीं है कि चयनित बस्तियों के अन्दर विकास कार्य नहीं होने के कारण हालत बहुत ही दयनीय है। वस्तुस्थिति यह है कि न्यास द्वारा चिन्हित बस्तियों के अन्दर प्रत्येक वर्ष विकास कार्य किये जा रहे हैं।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अधिकार क्षेत्र में भूखण्ड पर अतिक्रमण

863. **श्री केदार नाथ शर्मा (श्रीगंगानगर)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के भवन के उत्तर फाटक के बिल्कुल सम्मुख 1,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल का व्यवसायिक भूखण्ड जिस का अनुमानित बाजार मूल्य रुपये बीस लाख होता है, पर रामदयाल नामक व्यक्ति द्वारा अवैधानिक कब्जा कर मोटर मरम्मत का कारखाना चला रखा है?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त भूखण्ड जोधपुर नगर के परकोटे के बाहर स्थित होने के फलस्वरूप नगर सुधार न्यास जोधपुर के अधिकार क्षेत्र में आता है? यदि हां, तो उपरोक्त अवैधानिक कब्जा कब तक हटा दिया जायेगा एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक दण्ड की कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

इस भूमि का क्षेत्रफल 711 52 वर्ग मीटर है तथा यह सही है कि वह व्यक्ति इस भूमि पर मोटर मरम्मत का कारखाना चला रहा है। उसके कथनानुसार उसे उक्त भूमि नगर परिषद जोधपुर द्वारा दिनांक 1–8–64 से 70/– रुपये प्रतिमाह किराये पर दी गई थी। नगर सुधार न्यास जोधपुर द्वारा उक्त व्यक्ति को बेदखल किये जाने की कार्यवाही शुरु की गई थी किन्तु मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण बेदखली की कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकी। इस भूमि बाबत बद्री नारायण बनाम नगर परिषद जोधपुर, नगर सुधार न्यास जोधपुर व रामदयाल मिस्त्री का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा का दिनांक 14–12–84 से अतिरिक्त मुन्सिफ नं. 1 जोधपुर के न्यायालय में चल रहा है इस वाद में रामदयाल द्वारा प्रस्तुत जवाब में नगर परिषद द्वारा

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

रामदयाल को इस भूमि का लाईसेंस दिया जा चुका है।

(2) जी, हां।

चूंकि उक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है अतः निर्णय होने पर ही उसका कब्जा हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। क्योंकि यह लाईसेंस नगर परिषद द्वारा दिया गया है। न्यास अधिकारियों द्वारा इस प्रकरण में कोई अनियमितता अथवा त्रुटि नहीं की गई है। अतः उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

जोधपुर नगर परिषद एवं नगर विकास न्यास का क्षेत्राधिकार

864. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर नगर विकास न्यास व जोधपुर नगर परिषद का नक्शा स्वीकृत करने व भूमि स्वामित्व बाबत उक्त दोनों का क्या क्षेत्राधिकार है? गजट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्षेत्राधिकार को लेकर कितने मामले न्यायालय में गये और कितनों पर निर्णय हुआ तथा कितने विचाराधीन हैं?

(3) माहिया चौराहा, नागौरी गेट, अल्ला बक्श की भूमि सरदार पुरा में भेराराम को नगर परिषद द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास का बनता है अथवा नगर परिषद् का? यदि उक्त भूमि जो चौपासनी रोड पर नसरानी सिनेमा हॉल के सामने है व परिषद् की नहीं है तो परिषद ने वह भूमि भेराराम को लीज पर क्यों दी? तत्पश्चात् उसे नक्शे की स्वीकृति क्यों प्रदान की व किस नक्शे की स्वीकृति किस आधार पर दी? यदि न्यास की भूमि है तो तीन वर्ष तक न्यास ने क्या किया?

(4) अब जब उस पर भवन निर्माण हो गया है तो उसे गिराने की कार्यवाही क्यों की जा रही है? उसे नियमित कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 72 व 73 के अनुसार सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान करने का क्षेत्राधिकार न्यास का है।

(2) निर्माण स्वीकृति के अधिकार क्षेत्र में निम्न मामले वर्ष 1990 में न्यायालय में प्रस्तुत हुये।

1. दीवानी विविध वाद संख्या:

236/90 श्री महेन्द्र कुमार कानूनगो बनाम नगर सुधार न्यास, जोधपुर।

2. सं. 232/90 श्री राजेन्द्र कुमार बनाम नगर सुधार न्यास, जोधपुर।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

3. सं. 233/90 श्री भंवर लाल डागा बनाम नगर सुधार न्यास, जोधपुर।

4. सं. 235/90 श्रीमती सुशीला देवी बनाम नगर सुधार न्यास, जोधपुर।

5. सं. 237/90 श्रीमती मूल कंवर बनाम नगर सुधार न्यास, जोधपुर।

6. सं. 238/90 श्री कमल राज बनाम नगर सुधार न्यास, जोधपुर।

7. सं. 239/90 श्रीमती मूनूला बनाम नगर सुधार न्यास, जोधपुर।

उपरोक्त वादों में न्यायालय अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजि. सं. 1 जोधपुर द्वारा दिनांक 1.9.90 को पारित निर्णय में न्यास के नगरीय क्षेत्र में निर्माण स्वीकृति हेतु न्यास के नगरीय क्षेत्राधिकार को स्वीकार किया है।

वर्ष 1992 में एक वाद श्री पोकरराम भाटी बनाम नगर सुधार न्यास, जोधपुर पेश हुआ है जो शहर मुंसिफ सं. 1 के न्यायालय में लम्बित है। इस वाद में दि. 9.3.92 को जवाब पेश किया जा चुका है।

जी हां, भाटिया चौराया, नागौरी गेट, सरदारपुरा शहर परकोटे के बाहर स्थित होने से न्यास के नगरीय क्षेत्र में होने के कारण इन क्षेत्रों में स्थित समस्त नजल भूमियां न्यास के क्षेत्राधिकार में हैं इसी कारण अल्ला 'बक्श को नागौरी गेट के बाहर न्यास द्वारा भूमि विक्रय की गई व तामीर स्वीकृति भी प्रदान की गई।

(3) नसरानी सिनेमा चौपासनी रोड़ के सामने स्थित श्री भेराराम के कब्जे की ख नं. 492 की भूमि न्यास के नगरीय क्षेत्र में स्थिति होने से नगर परिषद द्वारा 311.11 वर्ग गज भूमि का जारी पट्टा दि. 4-2-86 अवैध है। नगर परिषद द्वारा जारी लीज डीड प्रभाव शून्य होने से श्री भेराराम द्वारा उक्त भूमि का दि. 30.6.89 को मै. भैरू कन्सट्रक्शन लि. कं- को किया गया बेचान भी स्वतः ही प्रभाव शून्य व अवैध है। निदेशक स्थानीय निकाय विभाग द्वारा क्र.एफ. 16 (82) डी. एल. बी./91/ दि. 23.12.91 को प्रेषित पत्र में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि नगर परिषद द्वारा जारी लीज डीड व निर्माण स्वीकृति नियमों के विरुद्ध जारी हुई है। निर्माण अवैध एवं बिना सक्षम अधिकारी से प्राप्त भूमि पर है। निदेशक स्थानीय निकाय के पत्र दिनांक 23.2.91 प्राप्त होने पर धारा 92/ए के अन्तर्गत प्रकरण एफ.3/ 92/39 दर्ज किया गया नोटिस दिनांक 14/1/92 को जारी किया गया। उक्त नोटिस के विरुद्ध श्री देवीचन्द बाफना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 586/92 प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त रिट याचिका संख्या 115/

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

92 पेश कर कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु स्थगन प्राप्त कर लिया गया है। इस प्रकार न्यास आगे कार्यवाही करने में असमर्थ है।

(4) श्री भेरांराम के पक्ष में जारी लीज डीड अवैध है। व भवन निर्माण स्वीकृति भी अवैध है। इस कारण मै. भैरू कन्सट्रक्सन का निर्माण गिराने व कब्जा खाली करवाने की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अत: न्यास इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहा है। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन है इस कारण कार्यवाही लम्बित है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही आगे की कार्यवाही पर विचार किया जा सकेगा।

जिलाधीश, जोधपुर द्वारा न्यास की बैठक के प्रस्ताव पारण पर आपत्ति

865. **श्री लक्ष्मीचन्द मेहता** (सांचौर), **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश, जोधपुर ने अपने पत्र संख्या 1354 ए दिनांक 19-6-1982 द्वारा अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, जोधपुर से इस आशय की आपत्ति की कि न्यास की मीटिंग दिनांक 28-4-1982 के कार्यवाही विवरण के पृष्ठ संख्या 6 के प्रस्ताव संख्या 12 को पारित किया जाना अंकित नहीं किया जाय ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश जोधपुर ने उपरोक्त पत्र की प्रति शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को भी उसी दिन प्रेषित की ? यदि हां, तो क्या कारण है कि उपरोक्त अवैधानिक प्रस्ताव के अन्तर्गत किये गये राजीनामे को आज तक राज्य सरकार ने अवैध घोषित क्यों नहीं किया ?

(3) उपरोक्त अवैधानिक राजीनामे को राज्य सरकार कब तक निरस्त घोषित करेगी एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक दण्ड की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। संबंधित पत्र की प्रति परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राजीनामे को निरस्त न करने हेतु न्यास जोधपुर को निर्देश दिये जाने बावत एक व्यक्ति श्री कैलाश राज द्वारा वाद दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया था। यह स्थगन आदेश दिनांक 19.3.91 को न्यायालय अतिरिक्त मुन्सिफ एवं न्यायिक दण्डनायक द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ श्री कैलाश राज द्वारा अपील दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। अत: न्यायालय के स्थगन आदेश की वजह से कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।

(3) न्यायालय के निर्णय के बाद ही कोई कार्यवाही करना संभव हो सकेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

मानजी का हत्था, जोधपुर में सिनेमा हाल

866. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर के मानजी के हत्थे में नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा एक सिनेमा हाल बनाने हेतु नीलाम किये गये भूखण्ड पर दो सिनेमा हाल व 72 दुकानें बनाने की स्वीकृति देने से न्यास को रुपये 1,30,57-894/86 की हानि हुई जिसकी आपत्ति लोकल फण्ड ऑडिट विभाग द्वारा न्यास के 1984-85 की ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेप संख्या (5) में व्यक्त की गई थी ? यदि हां, तो उक्त आडिट आक्षेप की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस आक्षेप के अनुसार हानि पहुंचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कब तक, क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, ऑडिट आक्षेप की प्रति परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) श्री देवीलाल भाकर तत्कालीन अधि. अभियन्ता नगर विकास न्यास जोधपुर को इस सम्बन्ध में 1987 में आरोप पत्र दिये गये तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य के पांच नगरों की कनवर्सन योग्य भूमि

867. श्री अब्दुल हादी (चौहटन) एवं **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान के पांच नगर अजमेर, बीकानेर, जोधपुर एवं कोटा में अब तक राज्यादेश संख्या एफ. 9 (105) यू. डी. एच./82 दिनांक 19-10-1982 व संख्या एफ. 9 (105) यू डी. एच./82 दिनांक 22-7-1985 के अन्तर्गत जितनी भूमि की छूट दी गई उनके सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं अलग-अलग कालम्स में विभाजित कर सदन की मेज पर रखें :–

(क) छूट के आदेश का क्रमांक व दिनांक ।

(ख) छूट प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम व पता ।

(ग) छूट दी गई भूमि का गांव व खसरा नम्बर ।

(घ) छूट दी गई भूमि का क्षेत्रफल ।

उपरोक्त दोनों राज्यादेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों आदेश मात्र रेग्युलराइजेशन योग्य भूमि पर ही लागू होते हैं परन्तु कनवर्शन योग्य भूमि को भी छूट प्रदान कर दी गई जिसके फलस्वरूप लाखों वर्ग मीटर रिक्त

(नगरीय विकास मंत्री आवासन मंत्री)

भूमि अवैधानिक तौर पर ट्रांसफर कर दी गई ?

(3) यदि हां, तो उपरोक्त अवैधानिक कनवर्शन योग्य भूमि के ट्रांसफर को कब तक नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं) विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत नल एण्ड वोइड माना जायेगा एवं संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक दण्ड की कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) राज्यादेश सं. एफ 9 (105) यू. डी. एच./82 दिनांक 19-10-82 एवं एफ 9 (105) यू. डी. एच./82 दिनांक 22-7-85 के अन्तर्गत पांच नगर सकुलन में 149 प्रकरणों में 2 47.4 बीघा भूमि को छूट दी गई है। सूची परिशिष्ट (क) सदन की मेज पर रख दी गई है। परिशिष्ट "क" सूची के क्रम सं. 136 से 145 के प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा छूट राज्य सरकार द्वारा छूट आदेश वापिस लेने के पश्चात दी गई है।

दोनों राज्यादेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है परिशिष्ट "ख" व "ग"

(2) उपरोक्त दोनों आदेश रूपान्तरण एवं नियमितिकरण योग्य भूमि पर लागू होते हैं।

(3) 139 प्रकरणों में से जिन मामलों में सक्षम अधिकारी ने राज्य सरकार के आदेशों को सही रूप से लागू नहीं कर छूट दी है उनका परीक्षण कर पुनरावलोकन की कार्यवाही की जा रही है तथा प्रश्न के भाग संख्या 1 के उत्तर के साथ की सूची के क्रमांक सं. 136 से 145 वाले प्रकरणों पर धारा 34 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम आभानेरी में सड़क निर्माण कार्य

868. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नौखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या दौसा जिले की बांदीकुई पंचायत समिति के ग्राम आभानेरी पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो कार्य कब पूर्ण हुआ ?

(2) उक्त सड़क निर्माण हेतु निविदाएं कब आमंत्रित की गई तथा किस-किस ठेकेदार ने निविदा भेजी ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़क कार्य कब पूर्ण किया जाना था ? क्या उक्त कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो ठेकेदार के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या उक्त सड़क कार्य निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पूरा हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त सड़क कार्य में हुई अनियमितता की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम आभानेरी पंचायत मुख्यालय को दिनांक 30-9-91 को सड़क से जोड़ दिया गया है।

(2) उक्त सड़क निर्माण कार्य की निविदाएं 6.12.89 को आमन्त्रित की गई कुल 13 निविदायें प्राप्त हुई। ठेकेदारों के नाम निम्न प्रकार हैं :–

1. मै. कृष्ण कन्सट्रक्शन कम्पनी, जयपुर।
2. मै. राहुल कन्सट्रक्शन कम्पनी, जयपुर।
3. मै. चौधरी ब्रादर्स फागी रेनवाल।
4. मै. तिवाड़ी कन्सट्रक्शन कम्पनी, जयपुर।
5. श्री अब्दुल रजाक दौसा।
6. श्री रामचरण शर्मा, दौसा।
7. मै. आर. आर. कन्सट्रक्शन कम्पनी, जयपुर।
8. मै. लुहाडिया कन्सट्रक्शन कम्पनी, जयपुर।
9. मै. अजय कन्सट्रक्शन कम्पनी, जयपुर।
10. मै. राजेश कन्सट्रक्शन कम्पनी, जयपुर।
11. मै. कसाना कन्सट्रक्शन कम्पनी, जयपुर।
12. मै. राजू कन्सट्रक्शन कम्पनी, जयपुर।
13. छोटूराम सैनी दौसा।

(3) सड़क निर्माण कार्य दिनांक 14.10 90 तक पूर्ण किया जाना था जो निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किया गया है। विभाग द्वारा संविदा की शर्तों के अनुसार संवेदक के विरुद्ध एक प्रतिशत कम्पन्सेशन लगा दिया गया तथा कार्य समाप्त होने पर कार्य में हुई देरी के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां, उक्त सड़क का कार्य निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है केवल एक किलोमीटर क्षेत्र में सड़क वर्षा का पानी बाजू में इकट्ठा होने से कहीं-कहीं बैठ गई है। पानी की निकासी की योजना बनवाई जा रही है ताकि सड़क की बार-बार क्षति न हो। निर्माण कार्य में अनियमितता नहीं पाई गई।

फलासिया (उदयपुर) में सड़क निर्माण कार्य

869. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में वर्ष 1989–90, 1990–91 एवं 1991–92 में विभाग द्वारा किस-किस स्थान से किस स्थान तक सड़क निर्माण हेतु कब-कब कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति जारी की गई ? आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से कौन-कौनसी सड़कें कब-कब पूर्ण की गई तथा प्रत्येक पर कितना-कितना व्यय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कुबेर सिंह)

(3) उक्त स्वीकृत सड़कों में से कौन कौनसी सड़क अधूरी हैं तथा उन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या वर्ष 1992-93 में उक्त निर्वाचन क्षेत्र में कोई सड़क बनाये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी एवं कितनी-कितनी राशि की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया (जिला उदयपुर) में वर्ष 1989-90, 1990-91 एवं वर्ष 1991-92 में स्वीकृत की गई सड़कों की सूची "अ" मय स्वीकृत राशि के संलग्न है। स्वीकृति के आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं।

क्र. सं.	मद	प्रशा. स्वी. (लाखों में)	स्वीकृत लम्बाई कि. मी.	वर्षवार व्यय			
				89-90	90-91	91-92	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	5054 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (जन-जाति)	62.25	41.50	11.52	23.39	12.14	47.03

(2) संलग्न सूची "अ" में विवरण दिया गया है।

(3) स्वीकृत सड़कों में अपूर्ण सड़कों को पूर्ण करने की तिथि संलग्न सूची "अ" में विशेष विवरण कालम में दर्शाया गया है।

(4) वर्ष 1992-93 में उक्त निर्वाचन क्षेत्र में कार्यों का बनवाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(सूची एवं प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर व किशनगढ़ के समीप राष्ट्रीय राज मार्गों में लगे होर्डिंग्स

870. श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय राज मार्ग व राज्य राज मार्ग की कुल सीमा क्या है तथा क्या उस सीमा पर स्वामित्व राज्य सरकार का है ?

(2) क्या यह सही है कि अजमेर व किशनगढ़ के आस पास के राष्ट्रीय राज मार्ग व राज्य राज मार्ग पर राज मार्ग की

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

सीमा के भीतर सैंकड़ों "आर. के. मार्बल" के नाम से विशालकाय होर्डिंग्स लगे हुए हैं ? यह सभी होर्डिंग्स कब लगाये गये तथा होर्डिंग्स किस अधिकारी की स्वीकृति से लगाये गये ?

(3) क्या सरकार को इन होर्डिंग्स का प्रतिवर्ष किराया मिल रहा है ? यदि हां, तो ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो हानि के लिए कौन अधिकारी दोषी है ? राज्य सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं राज्य उच्च मार्ग को समतल क्षेत्र में कुल भूमि सीमा पर 30 से 60 मीटर का मापदण्ड है। यह भूमि सीमा अवाप्त भूमि के आधार पर कम या अधिक भी हो सकती है, जिसका स्वामित्व राज्य सरकार का है।

(2) जी नहीं। अजमेर व किशनगढ़ के आस पास के राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं राज्य उच्च मार्ग पर "आर. के. मार्बल" नाम के विशालकाय होर्डिंग्स सड़क सीमा के अन्दर नहीं अपितु बाहर दो वर्ष पूर्व लगाये गये हैं, जिसके लिये इस विभाग की पूर्व स्वीकृति वांछित नहीं थी।

(3) विशालकाय होर्डिंग्स सड़क भूमि सीमा के बाहर है अतः किराये अथवा हानि का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः कोई भी अधिकारी हानि के लिये दोषी नहीं है।

सागवाड़ा क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण

871. **श्रीमती कमला भील** (सागवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सागवाड़ा क्षेत्र में माही पुल से बूचिया वड़ा पंचायत तथा चाडौली से भैसरा वड़ा पंचायत वाली सड़क पर डामर करने की स्वीकृति कब हुई ? अब तक इन सड़कों का कार्य प्रारम्भ नहीं होने के क्या कारण रहे ?

(2) क्या सरकार अब उक्त सड़कों के डामरीकरण का कार्य पूर्ण करने का विचार रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार अारा पंचायत से सागवाड़ा रोड़ पर डामरीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सागवाड़ा क्षेत्र में वर्णित सड़कों के निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार से दी गई थी :—

सड़क का नाम	स्वीकृति का दिनांक	राशि लाखों में	कार्य प्रारम्भ करने का दिनांक
1. माही से बूचियावाड़ा	29.11.89	5.00	1990 मार्च,

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

2. भैसरा 14.8.89 4 00 जनवरी, 90 से चाडौली

उपरोक्त दोनों सड़कों का निर्माण कार्य पूर्व में ही प्रारम्भ हो चुका है।

(2) उपरोक्त स्वीकृतियों के अन्तर्गत माही पुल से बूचिया वड़ा सड़क पर केवल 5 कि. मी. डामर सड़क तथा भैसरा से चाडौली सड़क पर केवल 3 कि. मी. का ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य ही संभव हो सकेगा।

शेष बची हुई लम्बाई को डामर सड़क बनाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय ससाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए संभव नहीं हो सकेगा।

(3) जी हां। ग्रारा पंचायत मुख्यालय से सागवाड़ा सड़क का डामरीकरण करना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

ब्यावर में मेवाड़ी गेट से ब्रह्मानन्द मार्ग का पुनर्निर्माण

872. **श्री चम्पालाल जैन** (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर में मेवाड़ी गेट से ब्रह्मानन्द मार्ग वाया विनोद नगर पर यातायात अधिक है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग को कब तक ठीक करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यातायात सामान्य है।

(2) मार्ग में टूट-फूट हो रही है। परिषद की वित्तीय स्थिति के अनुसार वर्ष 92-93 में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

टोडाभीम में नादोती से सलावदके मध्य सड़क निर्माण

873 **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादोती से सलावद के मध्य करीब एक कि. मी. सड़क निर्माण कार्य कितने समय से अधूरा पड़ा है ? सरकार ने इस सड़क के निर्माण कार्य को क्यों बन्द कर दिया था ?

(2) सरकार इस कार्य को कब तक पूरा करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सड़क ग्राम गढ़मोरा तक स्वीकृत है ?

(4) यदि सरकार सड़क निर्माण में किसी काश्तकार की भूमि का प्रयोग करती है तो उसे उचित मुआवजा देकर भूमि को अवाप्त कर सकती है क्या ?

उत्तर

(1) नादोती से सलावद के मध्य लगभग 730 मीटर लम्बाई में सड़क निर्माण कार्य सन् 1985 से भूमि विवाद के कारण अधूरा पड़ा है।

(2) भूमि विवाद का निपटारा होने पर इस कार्य को पूर्ण करने पर विचार किया जायेगा।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

सिरोही के पंचायत मुख्यालयों में सड़क निर्माण

874. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिरोही जिले में ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय हैं जिनकी आबादी 1971 में 1500 थी, परन्तु सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं ?

(2) इन्हें कब तक सड़क से जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में 61 पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं, जिनकी आबादी 1971 में 1500 से ज्यादा थी, इनमें 59 डामर से, एक मेटल से, एक ग्रेवल से जुड़ा है। इस प्रकार सभी पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हैं।

(2) सभी पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हुए हैं।

करवर से गुरजनिया सड़क निर्माण कार्य

875. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) करवर से गुरजनियां वाया कलमिया, जरखोदा, रेठोडा, कोलाहेड़ा, गुढ़ादेवजी सड़क पर किस वर्ष में कितना तथा कितनी राशि का एवं किस विभाग की ओर से किस-किस योजना के तहत कार्य हुआ है ? वर्षवार तथा योजना वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़क को राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) करवर से गुरजनिया वाया कलमिया, जरखोदा, रेठोड़ा, कोलाहेड़ा, गुढ़ादेवजी सड़क पर विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में विभिन्न वर्षों में व्यय राशि एवं भौतिक प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

(2) उक्त सड़क को पूर्ण करने के लिए रुपये 66 लाख की आवश्यकता होगी

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जो कि योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए वर्तमान में बनाना संभव नहीं होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

सागवाड़ा में निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य

876. **श्रीमती कमला भील** (सागवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सागवाड़ा में निरीक्षण भवन कब बनाया गया ?

(2) बनने के बाद से आज तक उसमें क्या कोई विस्तार कराया गया ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सागवाड़ा में डाक बंगला स्वीकृत होने पर भी डाक बंगला नहीं बन रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सही है कि सभी बड़े-बड़े कस्बों में डाक बंगले बन चुके हैं ? क्या सरकार सागवाड़ा के निरीक्षण भवन का विस्तार करने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सागवाड़ा में निरीक्षण गृह सन् 1962 में निर्मित किया गया था।

(2) निरीक्षण गृह बनने के बाद इसमें कोई विस्तार कार्य नहीं किया गया है।

(3) सागवाड़ा उपखण्ड मुख्यालय होने के कारण इस निरीक्षण गृह को ही बंगले का दर्जा दिया गया है। अलग से डाक बंगले के निर्माण हेतु कोई स्वीकृति नहीं दी गई।

(4) वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

ग्राम मोजपुर (अलवर) में अतिक्रमण व वृक्ष कटाई के प्रकरण

877 **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मोजपुर, (अलवर) में श्री सम्पतराम सैनी एवं अन्य के विरुद्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने एवं हरे वृक्षों को काटकर ले जाने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ?

(2) यदि हां, तो क्या शिकायत के आधार पर विभाग द्वारा जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जांच में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध

(श्री जीतमल जैन)

कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं भूमि से अतिक्रमण अभी भी नहीं हटाया गया है ?

(4) क्या उक्त प्रकरण में सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम मजोपुर (अलवर) में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर श्री गोविन्द सहाय सैनी द्वारा दीवार बनाकर अतिक्रमण करने एवं चार पेड़ दीवार के अन्दर कर लेने के संबंध में कनिष्ठ अभियन्ता मालाखेड़ा के द्वारा रिपोर्ट दिनांक 23.3.91 को सहायक अभियन्ता कार्यालय राजगढ़ में प्राप्त हुई।

उपरोक्त सूचना के पश्चात् उक्त अतिक्रमण के संबंध में एक अन्य शिकायत श्री सुभाषचन्द शर्मा व गुलाबचन्द से भी दिनांक 11.4.91 को खण्डीय कार्यालय अलवर में प्राप्त हुई।

(2) जी हां। अतिक्रमण की प्रथम रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सहायक अभियन्ता द्वारा मौके का निरीक्षण कर नियमानुसार भू–राजस्व अधिनियम की धारा–91 के तहत् संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई।

(3) जी नहीं। तथाकथित अतिक्रमण कर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। अतिक्रमी के प्रलेखों का परीक्षण करके जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी।

(4) उपरोक्तानुसार।

पाटोदी से गिड़ा तक सड़क मरम्मत कार्य

878. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे :–

क्या यह सही है कि पाटोदी से गिड़ा तक का सड़क मार्ग खराब है एवं इस मार्ग पर अनेक पंचायत मुख्यालय एवं पुलिस थाना भी है ? यदि हां, तो सरकार इस सड़क मार्ग की कब तक मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। इस मार्ग पर गिड़ा, परेऊ, कुम्पालिया व पाटोदी पंचायत मुख्यालय पड़ते हैं तथा गिड़ा गाव में पुलिस थाना भी है। इस सड़क मार्ग की आवश्यकता अनुसार मरम्मत कराई जाती रही है।

चिकित्सा विभाग की स्थानान्तरण नीति

879. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या चिकित्सा विभाग में कार्यरत प्रसाविका, ए.एन.एम. के अन्तर जिला

(श्री गोपीराम जाट)

स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सरकार की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत पति-पत्नी को एक स्थान या जिले में रखने की नीति है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रतिबन्ध पर इसका विरोधाभास नहीं है ?

(3) क्या सरकार राज्य कर्मियों की स्थानान्तरण नीति के अनुरूप ए.एन.एम. के स्थानान्तरण में भी उक्त छूट देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि पिछड़े क्षेत्रों में पद रिक्त न रहें। सुविधापूर्ण स्थानों पर स्थानान्तरण हेतु निरन्तर प्रयास के फलस्वरूप सेवाओं में उत्पन्न होने वाले व्यवधान को रोकने के लिये अन्तर्जिला स्थानांतरण पर प्रतिबन्ध एक अपेक्षित व्यवस्था है।

निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के शोषण को रोकने के लिये भी अन्तर्जिला स्थानान्तरण एक अपेक्षित व्यवस्था है।

इन सब बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अन्तर्जिला स्थानान्तरण पर आदेश दिनांक 18-5-90 द्वारा रोक लगाई गई है।

(2) पति पत्नी को एक ही स्थान पर यथा संभव रखे जाने का प्रावधान है। उक्त प्रतिबन्ध के कारण स्थानान्तरण नीति से इसका कोई विरोधाभास नहीं है।

(3) जी नहीं।

सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु एलोपैथिक दवाइयों की वितरण व्यवस्था

880. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना नकद भुगतान किए एलोपैथिक दवाइयां प्राप्त करने की सुविधा मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, जयपुर स्थित राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की दुकान पर उपलब्ध है ?

(2) क्या राज्य सरकार यह सुविधा जयपुर महिला होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. मालवीय नगर, जयपुर पर भी दिलाए जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं,

सेवा निवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना भुगतान किए ऐलोपैथिक दवाइयां देने के लिए उपभोक्ता भंडार की

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

दुकानों को अधिकृत करने के लिए पंजीयक सहकारी विभाग/जिला कलक्टर सक्षम है।

जोधपुर के महात्मा गांधी/उम्मेद चिकित्सालय की कोबाल्ट थैरेपी मशीन

881. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के महात्मा गांधी अस्पताल/उम्मेद अस्पताल में कोबाल्ट थैरेपी की मशीन कई माह से बंद पड़ी है ?

(2) यदि हां, तो इस मशीन को दुरुस्त करने हेतु कब-कब कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ?

(3) क्या कोबाल्ट थैरेपी की मशीन को समय पर ठीक नहीं कराने से जनता को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है, यह मशीन न तो महात्मा गांधी अस्पताल में न उम्मेद अस्पताल में है। यह मशीन सिर्फ नव-अध्ययन चिकित्सालय में लगी हुई है व चालू हालत में है।

(2) 2-1-91 से यह मशीन चालू हालत में है। दिनांक 23-12-91 को शार्ट सर्किट के कारण बंद रही तथा दिनांक 25-12-91 को ठीक कर दी गई, उसके बाद दिनांक 10-3-92 को सिर्फ एक दिन के लिये कम्प्रेशन की पूली के टूटने से उसी दिन उसे ठीक करके चालू कर दी गई।

(3) कोबाल्ट मशीन समय पर ठीक हुई है, जनता को केवल तीन दिन की ही असुविधा रही।

जिला नागौर के चिकित्सा उपकेन्द्रों में कर्मचारियों के रिक्त पद

882. श्री मोहन लाल (परबतसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा की करेंगे :–

(1) जिला नागौर में कुल कितने सब-सैन्टर (उप केन्द्र) में कब से कर्मचारियों के पद रिक्त चले आ रहे हैं ? सूची उप केन्द्र के नाम व कर्मचारियों की संख्या सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें रिक्त पदों की पूर्ति क्यों नहीं की जा रही है ? अब कब तक पूर्ति कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में 195 उप केन्द्रों पर प्रसाविकाओं (ए. एन. एम) के पद रिक्त हैं।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रशिक्षित अभ्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्तियां रही।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

मेडिकल कालेज, अजमेर का खेल मैदान

883. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या मेडिकल कालेज/अजमेर के छात्रों के लिए खेल का मैदान है ? यदि हां, तो क्या वह खेलने के लिए उपयुक्त है ?

(2) क्या यह सही है कि खेल के मैदान में काफी जंगली पेड़-पौधे उग रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे ठीक कराकर छात्रों के खेलने के लिये उपयुक्त बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अजमेर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में छात्रों के लिए खेलने के मैदान हैं–

1. बास्केटबाल मैदान—1
2. बालीबाल मैदान—2

उपरोक्त अंकित मैदान खेलने के लिए उपयुक्त हैं।

(2) आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के छात्रावास के समीप ही एक मैदान है इस मैदान में जंगली पेड़ पौधों को कटवाकर साफ करवा दिया गया है। इस वर्ष इसी मैदान पर एक स्पोर्टस काम्पलैक्स बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है। जिसके इन्टरिम राशि रुपये 48,550/– सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर में जमा कराने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

जिला मुख्यालय राजसमंद पर जिला चिकित्सालय की स्थापना

884. श्री शांतिलाल (राजसमंद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार राजसमंद जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जिला राजसमन्द में वित्तीय वर्ष 1992-93 में 50 रोगी शैय्याओं का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में मेडिकल कालेजेज को योजना/गैर योजना मदों में आवन्टित राशि

885. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों को योजना मद एवं गैर योजना मद में कितनी कितनी राशि आवंटित की जावेगी ? गत

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

दो वर्षों में वर्षवार मेडिकल कालेज वार कितनी-कितनी राशि उक्त मदों में दी जानी प्रस्तावित थी तथा वास्तव में कितनी-कितनी राशि दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को प्रस्तावित योजना मद की राशि में से लगभग 23 लाख रुपये की कटौती की गई ? यदि हां, तो इसके क्या आधार रहे ? अन्य मेडिकल कालेजों की वार्षिक योजना में से कितनी-कितनी राशि की कटौती की गई ? महाविद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना में योजना मद एवं गैर योजना मद में कालेज-वार आवंटित राशि की सूचना निम्न प्रकार से है :–

कालेज	आयोजना मद	गैर आयोजना मद
अजमेर	900.00	वर्षवार राशि आवंटित की जाती है।
जयपुर	1455 00	"
बीकानेर	800 00	"
जोधपुर	1300·00	"
उदयपुर	900·00	"

गत दो वर्षों में उक्त मदों में आवंटित राशि की सूचना कालेजवार निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	कालेज	आयोजना मद		गैर आयोजना मद	
		प्रस्ता. राशि	दी गई राशि	प्रस्ता. राशि	दी गई राशि
1989–90	अजमेर	141 00	141·00	297 45	297·45
	जयपुर	221·02	275 00	459 98	488·49
	बीकानेर	—	40 00	—	240 89
	जोधपुर	300 00	269·20	699·50	699 50
	उदयपुर	70·00	66·47	555·00	804·95
1990–91	अजमेर	139·00	139·00	298·92	298·92
	जयपुर	228·00	358·00	629·16	650 46
	बीकानेर	—	81·00	—	304·17
	जोधपुर	229 00	229·00	871·46	871·46
	उदयपुर	207·00	202·61	677·65	673·20

(2) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के विद्युतीकृत ग्राम

886. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बामनवास विधान सभा क्षेत्र में कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम पंचायत सांचोली, तहसील बामनवास के अन्तर्गत ग्राम माधोपुरया को विद्युतीकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि डिमाण्ड राशि जमा कराये छः माह से भी अधिक समय हो चुका है ? किन्तु विद्युत् कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि ग्रामवासियों के द्वारा खम्भे लगाये जाने के बावजूद भी अधिकारी एवं सहायक अभियन्ता कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक उक्त ग्राम को विद्युतीकृत कर दिया जावेगा ?

(5) जिन लोगों द्वारा डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा कराई गई है ? उनकी नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बामनवास विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 240 ग्रामों में से पंचायत समिति बामनवास के 145 ग्राम तथा पंचायत समिति बोंली के 95 ग्राम सम्मिलित हैं, उनमें से क्रमशः 140 एवं 92 ग्राम फरवरी, 1992 तक विद्युतिकृत किये जा चुके हैं। सूची "अ" संलग्न है।

(2) जी हां, ग्राम पंचायत सांचोली तहसील बामनवास के ग्राम माधोपुरया को दिनांक 31·1·1990 को विद्युतिकृत किया जा चुका है।

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत सांचोली तहसील बामनवास के ग्राम माधोपुरिया में घरेलू कनेक्शन चाहने हेतु दिनांक 16·3·1991 को 28 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे जिनके मांग पत्र 30·11·1991 को जारी कर दिये गये थे। आवेदकों ने 20·12·1991 को मांग पत्र की राशि जमा कराई तथा दिनांक 14·2·1992 को जाब आर्डर जारी कर दिये गये हैं।

(4) जी नहीं। उक्त ग्राम दिनांक 31-1-1990 को विद्युतिकृत कर दिया गया है तथा बिन्दु 3 में दर्शायेनुसार विद्युत कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है।

(5) जिन आवेदकों ने मांग पत्र की राशि जमा करादी है उनका विवरण प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम मातासुख (नागौर) में विद्युत वितरण

887. **श्री मोहनलाल** (जायल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मातासुख, तहसील जायल, जिला नागौर में गत

(श्री मोहनलाल)

10 वर्षों से विद्युत लाइन आई हुई है ? क्या यह भी सही है कि गांव में दो-तिहाई घरों में विद्युत सप्लाई ठीक नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में कार्यरत लाइन मैन काफी अर्से से वहां पर कार्यरत है और मनमर्जी से फेस चेंज कर बिजली देता रहता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि गांव के सभी घरों के मीटर चैक नहीं किये जाते हैं ? और बिना विद्युत आपूर्ति के ही अन्दाज से बिल देकर लोगों से राशि वसूली की जाती है ?

(4) क्या सरकार उक्त लाइन मैन को हटाकर मातासुख में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त ग्रामों का किसी उप विद्युत अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कब-कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) ग्राम मातासुख माह फरवरी, 1971 में विद्युतिकृत किया गया था। इस ग्राम में घरेलू विद्युत संबंध दिये गये हैं उनको विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से उपलब्धि के अनुरूप अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की भांति ही की जा रही है।

(2) ग्राम मातासुख में श्री जयराम उपभोक्ता शिकायत निवारण पद पर पिछले लगभग एक वर्ष से कार्यरत हैं। फेस परिवर्तन तकनीकी दृष्टि से आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता है, मनमर्जी से यह कार्य नहीं किया जाता है।

(3) नियमों के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं के परिसर में लगे हुये मीटरों का पठन हर दो माह में करना प्रस्तावित है इसके अनुसार ही बिल तैयार कर उपभोक्ताओं को दिये जाते हैं तथा राशि भी उसी अनुसार ही प्राप्त की जाती है । जब कभी मीटर से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनका भी समय पर निवारण नियमों के अन्तर्गत किया जाता है।

(4) मातासुख ग्राम की विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। प्रशासनिक कारण से श्री जयराम को मातासुख ग्राम से स्थानान्तरित किया जा चुका है।

(5) वर्ष 1991–92 में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा माह अक्टूबर व दिसम्बर, 1991 में उक्त ग्राम का निरीक्षण किया गया है।

प्रतापगढ़-अरनोद (चित्तौड़गढ़) के ग्रामों का विद्युतीकरण

888. **श्री रखब चन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ अरनोद तहसीलों में वर्ष 1989 से जनवरी 1992 तक कितने गांव विद्युतिकृत किये गये हैं एवं उनमें से कितने आदिवासी गांवों

(श्री रखब चन्द मीणा)

को विद्युतिकृत किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रतापगढ़ और अरनोद तहसील में कुओं के विद्युत कनेक्शन के लिए कितने कितने आवेदन पत्र जमा हुए हैं ?

(3) क्या प्रतापगढ़ तहसील में विद्युत् विभाग में कुएं के कनेक्शन के लिए प्रति आवेदन पत्र 2000 रु से 2500 तक रिश्वत ली जा रही है ? क्या उक्त अभियन्ताओं के खिलाफ सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) वर्ष 1989 से जनवरी 1992 तक कितने कुओं को विद्युतिकृत किया गया है ? पंचायतवार काश्तकारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ एवं अरनोद तहसीलों में वर्ष 1989 से माह जनवरी, 1992 तक कुल 27 ग्राम विद्युतिकृत घोषित किये गये हैं। आदिवासी नाम से कोई ग्राम विद्युतिकृत नहीं किया जाता है और ना ही ऐसी कोई सूचना विभाग के पास उपलब्ध है। विद्युतिकृत किये गये ग्रामों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) प्रतापगढ़ और अरनोद तहसीलों में कृषि हेतु माह जनवरी, 1992 तक क्रमश: 2214 व 949 आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं।

(3) जी नहीं। प्रतापगढ़ व अरनोद तहसीलों से सम्बन्धित उपखण्ड द्वारा कृषि कनेक्शन जारी हेतु रिश्वत आदि की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी अगर कोई शिकायत विभाग के प्रकाश में आयेगी तो नियमानुसार कार्यवाही कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(4) पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद वर्ष 1989 से जनवरी, 1992 तक क्रमश: 476 व 163 कुओं को ऊर्जीकृत किया गया है। सूची प्रपत्र "ब" व "स" संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विद्युत सब-स्टेशन भवानी मण्डी (झालावाड़) का ट्रक

889 **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भवानी मण्डी, जिला झालावाड़ स्थित सब स्टेशन का ट्रक विभाग में कब जमा हो चुका है तथा सब स्टेशन पर ट्रक नहीं होने के कारण विकास कार्यों में बाधा हो रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बार-बार बोर्ड चेयरमेन के यहीं मांग करने के बाद भी भवानी मण्डी की उपेक्षा की गई ? क्या अन्य सब स्टेशनों को जनवरी माह 1992 में ट्रक दे दिये गये हैं लेकिन भवानी मण्डी सब स्टेशन को नहीं दिया गया ? अब कब तक ट्रक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले का भवानी मण्डी स्थित सहायक अभियन्ता कार्यालय का एक ट्रक जो काफी पुराना था कार्य हेतु उपयुक्त नहीं होने के कारण दिनांक 3-10-1989 को भण्डार वृत में जमा करवा दिया गया था। खण्ड स्तर से ट्रक एवं अन्य वाहन की वैकल्पिक उपलब्धि इस उपखण्ड को आवश्यकतानुसार विकास कार्यों हेतु समय-समय पर की जाती रही है ताकि विकास कार्य सुचारू रूप से हो सके।

(2) जी नहीं। सहायक अभियन्ता (प. एवं स.) भवानी मण्डी को एक ट्रक उपलब्ध करा दिया गया है।

मण्डल सेवा में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति

890. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल में मृत कर्मचारी के परिवारजन को राहत देने के लिए उसके आश्रितों को मंडल में नौकरी दी जाती है ? यदि हां, तो किस अधिनियम के तहत ?

(2) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता कार्यालय, लालसोट में कार्यरत चौकीदार मूलसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह का देहान्त 9 मार्च 1967 को होने के उपरान्त भी उसके आश्रितों में से एक को भी विद्युत् मण्डल की नौकरी नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मृत कर्मचारी के पुत्र हनुमानसिंह ने राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल में नियमानुसार आवेदन करने के बाद भी नौकरी नहीं दी ? यदि हां, तो नौकरी का आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुआ ?

(4) क्या सरकार उक्त आवेदक को शीघ्र नौकरी दिलाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, विद्युत मण्डल के आदेश क्रमांक रा. रा. वि. मं/अनु–3/एफ 3 (4.19) प्रें. 235 दिनांक 22/24.1.1975 के तहत।

(2) जी हां। मृतक कर्मचारी श्री मूलसिंह पुत्र स्व. प्रतापसिंह के आश्रितों में से किसी को भी नियुक्ति नहीं दी गई थी, क्योंकि उस समय मण्डल में अधिमानता के आधार पर नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं था।

(3) मृत कर्मचारी के पुत्र श्री हनुमान सिंह ने राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में नियमानुसार आवेदन प्रपत्र न भरकर केवल मात्र एक साधारण प्रार्थना पत्र नियुक्ति हेतु भेजा था। यह प्रार्थना पत्र मई, 1990 में मण्डल के मुख्यालय में प्राप्त हुआ था।

(4) जी हां। पिछले वर्ष मण्डल ने अपनी 405 वीं बैठक जो दिनांक

(ऊर्जा मंत्री)

26.4.1991 को सम्पन्न हुई थी, उसमें यह निर्णय लेकर आदेश संख्या रा. रा. वि. मं/भर्ती/एफ-6 (11) 91/प्रं 1973 दिनांक 3.6.91 जारी किये कि वर्ष 1975 से पूर्व भी जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई हो उन्हें भी अधिमानता के आधार पर नियुक्ति दी जावे। अतः उक्त आदेश के तहत ही आवेदक श्री हनुमानसिंह पुत्र स्व. मूलसिंह को मण्डल मुख्यालय के पत्र संख्या 168 दिनांक 13.3.1992 के द्वारा अधिमानता के आधार पर नियुक्ति संबंधी निर्धारित प्रपत्र/अन्य प्रपत्र भर कर भेजे जाने हेतु लिखा गया है। जैसे ही आवेदक से आवश्यक फार्म पूर्ण रूप से भरे हुये प्राप्त हो जायेंगे, इनकी नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जावेगी।

सहायक अभियन्ता कार्यालय लालसोट का ट्रक

891. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता कार्यालय, लालसोट के अधीन ट्रक नहीं होने के कारण समय पर जयपुर से सामान नहीं जाने के कारण पंचायत समिति लालसोट में कृषि कनेक्शन के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होती है ?

(2) क्या सहायक अभियन्ता कार्यालय, लालसोट का ट्रक काफी समय से खराब है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) ट्रक को ठीक कराने में कुल कितनी लागत आने की संभावना है ?

(4) क्या इसी ट्रक को ठीक करवाया जायेगा अथवा नया ट्रक दिया जायेगा ?

(5) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने वर्ष 1991–92 में कुल कितने ट्रक वाहन खरीदे हैं ?

(6) विद्युत मण्डल द्वारा वर्ष 1991–92 में किस-किस सहायक अभियन्ता को नया ट्रक दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(7) सहायक अभियन्ता, लालसोट को नया ट्रक क्यों नहीं दिया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सहायक अभियन्ता लालसोट के अधीन वर्तमान में ट्रक उपलब्ध नहीं है लेकिन लाइन आदि का सामान दूसरे उपखण्डों के ट्रक या अन्य वाहन उपलब्ध करवा कर ढुलाई इत्यादि की जाती है, जिससे वांच्छित सामान के लिये कृषि कनेक्शन के लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यवधान न हो।

(2) जी हां, माह नवम्बर, 1991 से इस कार्यालय का एक ट्रक खराब है।

(3) खराब ट्रक वर्ष 1971 का मॉडल है जो काफी पुराना हो चुका है और इसके कार्य करने की क्षमता लगभग पूर्ण हो चुकी है इसलिये ईसका तकमीना नहीं बनवाया गया है। अतः लागत बताना संभव नहीं है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) इस ट्रक को ठीक नहीं करवाने की स्थिति में नया ट्रक उपलब्धि अनुसार आवंटित किये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(5) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने वर्ष 1991–92 में 34 हल्के वाणिज्यिक वाहन (एल. सी. वी.) एवं 16 ट्रक खरीदे हैं।

(6) आवंटित वाहनों की सूची "स" संलग्न है।

(7) सीमित बजट एवं वाहन उपलब्ध न होने के कारण इस उपखण्ड को अभी तक ट्रक दिया जाना संभव नहीं हो पाया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

ग्राम पंचायत हंस महल (जयपुर) के ग्राम दयालपुरा का विद्युतीकरण

892. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील बस्सी, जिला जयपुर की ग्राम पंचायत हंसमहल के ग्राम दयालपुरा में अनुसूचित जाति की बस्ती में रोड़ लाइट लगवाने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गयी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम के अनुसूचित जाति की बस्ती में गत वर्ष पोल लगाकर लाइन भी खींच दी गयी है ? यदि हां, तो अब तक रोड़ लाइट चालू क्यों नहीं की गयी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बस्ती के निवासियों ने आवासीय कनेक्शन हेतु एस्टीमेट की राशि भी जमा करवा दी है ? यदि हां, तो कनेक्शन क्यों नहीं दिये गये ?

उत्तर

(1) तहसील बस्सी, जिला जयपुर की ग्राम पंचायत हंसमहल के ग्राम दयालपुरा में अनुसूचित जाति की बस्ती में रोड़ लाइट लगाने की स्वीकृति नहीं दी गई है। परन्तु आर. ई. सी. स्कीम के तहत ग्राम दयालपुरा पंचायत हंसमहल की हरिजन बस्ती विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत है।

(2) जी हां, यह सही है कि उक्त ग्राम में गत वर्ष पोल लगाकर लाइन खींच दी गई थी व दयालपुरा हरिजन बस्ती का विद्युतिकरण भी कर दिया गया था। उक्त ग्राम में रोड़ लाइट हेतु सम्बन्धित सरपंच द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है जिसके कारण रोड़ लाइट लगाना संभव नहीं है। संबंधित सरपंच द्वारा आवेदन करने के पश्चात् ही रोड़ लाइट लगाने की कार्यवाही करना संभव है।

(3) जी हां। कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है।

जिला दौसा में विद्युत चोरी के प्रकरण

893. **श्री जियालाल बंशीवाल** (दौसा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री जियालाल बंशीवाल)

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल की ऐसी नीति है कि जिन गांवों में होकर विद्युत् लाइन जा रही है उनके आसपास के गांवों का विद्युतीकरण किया जाये ?

(2) पंचायत समिति दौसा में ऐसे कितने गांव हैं जो विद्युतीकरण से नहीं जुड़े हैं ? गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) दौसा जिले में वर्ष 1990-91-92 तक कितने लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा गया है तथा उनसे कितने रुपये की आय प्राप्त हुई ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के स्वीकृत होने पर उपलब्ध वित्तीय साधनों तथा वार्षिक लक्ष्यानुसार स्वीकृत ग्रामों के विद्युतिकरण का कार्य किया जाता है।

(2) पंचायत समिति दौसा में माह फरवरी, 92 तक कुल 51 ग्राम अविद्युतिकृत हैं। ग्रामों की सूची "अ" संलग्न है।

(3) विद्युतिकृत ग्रामों में दौसा जिले में वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में कुल 126 मामले चोरी के पकड़े गये हैं तथा उनसे कुल 3,69,705.98 रुपये की राशि वसूल की गई है। तहसील/वर्षवार चोरी के पकड़े गये मामलों का विवरण निम्न प्रकार है—

	वर्ष 1990-91		वर्ष 1991-92	
तहसील	संख्या	राशि	संख्या	राशि
दौसा	—	—	10	14750.00
	15	26000.00	40	165368.40
बसवा	24	45881.18	16	41863.40
लालसोट	12	56780.00	9	19063.00
योग	51	128661.18	75	241044.80

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

कुचामन सिटी के ग्रामों को विद्युत् सप्लाई

894. श्री हरिश चन्द्र (नावां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कुचामन सिटी व उसके आसपास के गांवों जैसे-खारिया, हिरानी की विद्युत आपूर्ति रात कों दस बजे करीब आधे घण्टे के लिये निममित रूप से बंद की जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बन्द होने से ग्राम जनता को होने वाली परेशानियों जैसे चोरी डकैती व अन्य अप्रिय घटनायें होने की कई नागरिकों द्वारा शिकायत सरकार एवं मण्डल के स्थानीय कार्यालयों को की गई किन्तु सरकार द्वारा अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ?

(3) क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । कुचामन सिटी के आसापास के ग्राम जैसे खारिया हिरानी की विद्युत आपूर्ति अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की भांति ही रात्रि दस बजे सिंगल फेस लोड को थ्री फेस में परिवर्तन करने के कारण लगभग 2 से 5 मिनट की अवधि के लिये तकनीकी कारणों से बन्द की जाती है ।

(2) विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से बन्द होने के कारण किसी अप्रिय घटना होने की जानकारी मण्डल के स्थानीय कार्यालय को नागरिकों द्वारा नहीं दी गई है । नियमित समय विद्युत आपूर्ति बन्द होने के कारण नागरिकों को स्वयं भी स्वत: ही जागरूक हो जाना चाहिये ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके ।

(3) वर्तमान तकनीक में बिना कुछ मिन्टों के लिये विद्युत आपूर्ति बन्द किये थ्री फेस से सिंगल फेस या सिंगल फेस से थ्रीफेस में लोड बदलना संभव नहीं है ।

सीमावर्ती ग्रामों का विद्युतीकरण

895. श्री अमीन खां (शिव) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत बाड़मेर पंचायत समिति के समस्त ग्राम स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो बाड़मेर पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब स्वीकृत हुई ? समस्त ग्रामों को कब तक विद्युतिकृत करने का लक्ष्य था और उसमें आज तक कितने ग्राम विद्युतीकृत किये गए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर पंचायत समिति के सीमावर्ती ग्रामों को आज तक नजर अन्दाज किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सीमावर्ती क्षेत्र को प्राथमिकता देना चाहती है ?

(3) क्या पंचायत समिति बाड़मेर के ग्राम बुटिया चाडवा-पीरेकापार- चांदी का पारतालाव का पार (लकड़ीमाली), लघे का पार, सजन का पार, वीन्डाका पार, बुकड़-विरध का पार, गंगानियों का पार, अभेका पार, उबरेका पार, सूराली गरडीआ सैलाउ हिन्डोआ पोधी का पार, उबे का

(श्री अमीन खां)

पार और कन्टलिया का पार का विद्युतीकरण प्राथमिकता पर करना चाहते हैं ? यदि हां, तो इनमें से चालू वर्ष में कितने गांव और अगले वर्ष में कितने गांव लिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बाड़मेर पंचायत समिति के समस्त ग्राम ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हैं। पंचायत समिति बाड़मेर क्षेत्र में ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु प्रथम ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना वर्ष 1984-85 में ग्रामीण विद्युतिकरण निगम से स्वीकृत करवाई गई थी जिसमें बाड़मेर पंचायत समिति के 39 ग्रामों का विद्युतिकरण करना प्रस्तावित था। इनमें से 38 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। शेष एक ग्राम कानोड़ा भी वर्ष 1991-92 में प्रस्तावित है।

द्वितीय ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना वर्ष 1986-87 में 11 ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत कराई गई। इन सभी 11 ग्रामों का भी विद्युतिकरण किया जा चुका है।

पंचायत समिति बाड़मेर क्षेत्र के ही 40 ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु वर्ष 1990-91 में एक ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना एस.यू.डी. श्रेणी में स्वीकृत करवाई गई। मार्च, 1991-92 के अन्त में पंचायत समिति बाड़मेर क्षेत्र की वर्ष 1984-85 में स्वीकृत योजना का शेष 1 ग्राम एवं 1990-91 में स्वीकृत योजना के 40 ग्राम विद्युतिकरण हेतु शेष रहे थे। अर्थात कुल 41 ग्राम विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत शेष है इनमें से 7 ग्रामों का विद्युतिकरण वर्ष 1991-92 के वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में प्रस्तावित किया गया है। पंचायत समिति बाड़मेर के कुल 145 ग्रामों में से 65 ग्रामों का विद्युतिकरण मार्च, 1991 तक किया जा चुका है। शेष 80 ग्रामों में से 41 ग्राम वर्तमान में ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना में स्वीकृत हैं तथा 39 ग्रामों के विद्युतिकरण की कोई योजना स्वीकृत नहीं है। बाड़मेर पंचायत समिति के शेष (स्वीकृत) ग्रामों का विद्युतिकरण योजना मद में आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति बाड़मेर की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजना एस.यू.डी.-1990-91 में सीमावर्ती ग्राम जैसे साजन का पार, तालाब का पार, चन्दानिया का पार, बिरदका पार, चाड़वा तख्ताबाद एवं बुडिया भी विद्युतिकरण हेतु सम्मिलित हैं। सीमावर्ती ग्रामों के विद्युतिकरण की पृथक से कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(3) ग्राम बुठिया, पीरो का पार, तालाब का पार, साजन का पार, गंगानिया का पार, अभे का पार, अभेर का पार, सुराली, गरडिया, सेलाऊ, बुकड, पांधी का पार एवं कटालिया का पार विद्युतिकरण हेतु क्षेत्र की चल रही ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना में स्वीकृत है। ग्राम चाड़वा-भाड़वा, नये का पार, भिण्डे का

(ऊर्जा मंत्री)

पार, बिरद का पार, हिण्डया के विद्युतिकरण की वर्तमान में कोई ग्रामीण विद्युतिकरण निगम योजना स्वीकृत नहीं है। ग्राम उबे का पार एवं चांदी का पार जन गणना पुस्तिका में अंकित नहीं हैं। उक्त ग्रामों में से कोई भी ग्राम इस वर्ष 1991–92 के वार्षिक ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम में विद्युतिकरण हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त ग्रामों का विद्युतिकरण योजना मद में ग्रामीण विद्युतिकरण हेतु आवंटित धन राशि एवं वार्षिक लक्ष्यानुसार आगामी वर्षों में किया जा सकेगा। अगले वर्ष 1992–93 के लिये ग्रामों के विद्युतिकरण के जिलेवार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना है। उक्त ग्रामों में से कौन-कौन से ग्राम अगले वर्ष के कार्यक्रम में प्रस्तावित किये जायेंगे। यह बता पाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

विद्युत मण्डल में वाहन चालक के पद पर पदोन्नति

896. **श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में नियमित वाहन चालकों की कमी होने के कारण कुछ लाइसेंसधारी सहायकों से वाहन चलाने का कार्य लिया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे लाइसेंसधारी सहायक जो कि वर्षों से वाहन चलाते आ रहे हैं, का चयन समिति द्वारा करीब दो वर्ष पूर्व नियमित वाहन चालक के पद पर पदोन्नत करने हेतु साक्षात्कार किया गया था ? यदि हां, तो नियमित वाहन चालक के पद पर पदोन्नत करने हेतु क्या मानदण्ड रखे गये थे ?

(3) क्या उक्त साक्षात्कार किये हुए सहायकों को वाहन चालक के पद पर पदोन्नति देने का मण्डल का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, यह सही है कि हैल्परों को नियमित वाहन चालक के पद पर नियमित करने हेतु एक चयन समिति का गठन किया गया था। कमेटी द्वारा वाहन चालकों के साक्षात्कार की प्रक्रिया चालू है। चयन कमेटी द्वारा अपनाये गये मापदण्ड में अन्य के अतिरिक्त मुख्य मापदण्ड वरिष्ठता क्रम व कम से कम एक वर्ष में 240 दिन वाहन चलाने के कार्य का अनुभव है।

(3) जी हां, वाहन चालकों के रिक्त पदों पर ही वाहन चालक का कार्य कर रहे श्रमिकों को वाहनचालक के रूप में चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त किया जावेगा, तथा जल्दी ही इस कार्य को सम्पन्न किया जा रहा है।

तहसील नोखा (बीकानेर) के कृषकों को कृषि कनेक्शन्स

897. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नोखा तहसील में (बीकानेर) काश्तकारों द्वारा कृषि कनेक्शन मांगे गए हैं ? यदि हां, तो उनमें से कितने काश्तकारों को कनेक्शन दे दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने नोखा तहसील के हरिजनों को स्वीकृत कृषि कनेक्शन दे दिए गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष सभी कृषि कुओं को कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, नोखा तहसील की कृषि हेतु प्राप्त आवेदन पत्रावलियों में से वर्ष 1991–92 में माह फरवरी, 1992 तक कुल 41 आवेदकों को विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। सूची "अ" संलग्न है।

(2) नोखा तहसील में हरिजनों के 12 कृषि विद्युत सम्बन्ध तकनीकी दृष्टि से साध्य थे, स्वीकृत किये गये हैं। उसमें से 8 आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा कराई थी। उसमें से 7 आवेदकों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं। सूची "ब" संलग्न है।

(3) विचाराधीन कृषि आवेदनों को उपलब्ध संसाधनों एवं ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत वर्षवार प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुसार कनेक्शन सुलभ करना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

सब-डिवीजन सांगोद में विद्युत कनेक्शन

898. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सांगोद सब-डिवीजन को इस वर्ष कितने विद्युत कनेक्शन जारी हुये थे ? कितने कनेक्शन हेतु कब-कब डिमान्ड नोट किस-किस को जारी किये गये ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने लोगों ने किस-किस तिथि को डिमान्ड राशि जमा करवा दी ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इनमें से कितनों को कनेक्शन दे दिए गये ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सांगोद तहसील में कोटड़ा लिफ्ट सिचाई स्कीम का डी. आर. डी. ए. कोटा ने भी डिमान्ड नोट राशि जमा करा दी है ? यदि हां, तो कब ? अभी तक कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया तथा अब कब तक कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सांगोद सब-डिविजन को वर्ष 1991–92 हेतु 128 कृषि कनेक्शनों का लक्ष्य निर्धारित था । कृषि कनेक्शनों के जारी किये डिमाण्डनोट का विवरण सूची "अ" में संलग्न है ।

(2) 111 आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा कराई गई, जिसका विवरण संलग्न सूची "ब" में दर्शाया गया है ।

(3) 80 आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किये गये जिसका विवरण नाम सहित संलग्न सूची "स" में दर्शाया गया है ।

(4) जी हां, कोटडा लिफ्ट सिंचाई योजना डी. आर. डी. ए., कोटा द्वारा 26·12·1991 को मांग पत्र की राशि जमा करायी गई । मांग पत्र की राशि चैक द्वारा दी गई थी लेकिन चैक डिस-ओनर होने के कारण पुन: 7·1·1992 को जमा होने के पश्चात् 10·1·1992 को लाइन का कार्य प्रारम्भ करने के आदेश प्रसारित किये गये । कार्य प्रगति पर है । चालू माह के अन्त तक कनेक्शन दिये जाने की संभावना है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बांसवाड़ा के ग्रामों का विद्युतीकरण

899. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा के कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है एवं कितने गांव बकाया हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार बकाया रहे गांवों का विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जिला बांसवाड़ा में कनेक्शन हेतु कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ? पंचायत समिति, विषय एवं वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जनगणना पुस्तिका 1981 के अनुसार जिला बांसवाड़ा में 1463 ग्राम हैं, जिनमें से मार्च, 1991 तक 946 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका था, जिनकी सूची "अ" संलग्न है । शेष 517 ग्राम अविद्युतिकृत थे, जिनकी सूची "ब" संलग्न है । वर्ष 1991–92 में माह फरवरी, 92 तक 22 और ग्रामों का विद्युतिकरण किया गया है जिन्हें सूची "ब" में विद्युतिकृत अंकित कर दिया गया है । इस प्रकार फरवरी, 1992 तक इस जिले के 968 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है ।

(2) जी हां । योजना मद में आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार आगामी वर्षों में विद्युतिकरण किया जाना संभव हो सकेगा । अत: निश्चित समयावधि बता पाना अभी संभव नहीं है ।

(3) जिला बांसवाड़ा में कृषि कनेक्शन हेतु 687 आवेदन पत्र लम्बित हैं । पंचायत

(ऊर्जा मंत्री)

समितिवार एवं वर्षवार संख्या सूची "स" संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम बावड़ी (टोडारायसिंह) में विद्युत सब स्टेशन की स्थापना

900. श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील टोडारायसिंह के ग्राम बावड़ी को मालपुरा 132 के. वी. से जोड़कर सब स्टेशन बनाना 1989-90 में स्वीकृत हो चुका था ?

(2) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में बावड़ी ग्राम में 33 के वी. का सब स्टेशन बनाने व 33 के. वी. को मालपुरा से बावड़ी तक लाइन खेंचने का कार्य अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग ठेकेदारों को ठेका दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल के अधिकारियों की लापरवाही के कारण उक्त कार्य नहीं हो सका ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार उक्त ग्राम बावड़ी में 33 के. वी. का सब स्टेशन बनाकर के. वी की लाइन से जोड़ना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां

(2) विगत दो वर्षों में बावड़ी ग्राम के 33 के. वी. सब स्टेशन बनाने का कोई ठेका नहीं दिया गया किन्तु 33 के. वी. मालपुरा से बावड़ी लाइन खींचने का कार्य वर्ष 1989-90 में दो ठेकेदारों में आवंटित किया गया था।

(3) मालपुरा से बावड़ी 33 के. वी. लाइन के निर्माण हेतु ठेकेदारों को कुछ सामान देकर कार्य प्रारम्भ करने हेतु आदेश दिया गया किन्तु उन्होंने कार्य प्रारम्भ नहीं किया। अतः कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है।

(4) जी हां। इस कार्य को आगामी वर्षों में वार्षिक लक्ष्य व वित्तीय उपलब्धि के आधार पर ही पूरा किये जाने के प्रयास किये जावेंगे।

विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में स्वीकृत ग्रिड स्टेशन का निर्माण

901. श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में भीनमाल से मोदरा एवं भीनमाल से तिलोडा ग्राम तक दो 33 के. वी. लाइन के दो ग्रिड स्टेशन स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या उपरोक्त दोनों ग्रिड स्टेशनों के निर्माण हेतु विभाग द्वारा राशि आवंटित की गई ? यदि हां, तो कब-कब और कितनी-कितनी ?

(3) क्या यह सही है कि विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा आवंटित राशि का

(70)

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

उपयोग न करने से राशि लेप्स हो गई है ? यदि हां, तो उसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थी ? किस कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की गई ? शेष कार्य के लिए कब तक निविदाएं आमंत्रित कर उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी ?

(5) क्या यह सही है कि दोनों प्रस्तावित 33 के. वी. ए. के ग्रिड स्टेशनों की सामग्री के स्थल पर व डिविजनल स्टोर में प्राप्ति कर ली गई है ? यदि हां, तो कितनी सामग्री की व्यवस्था करना शेष है ? उक्त दोनों ग्रिड स्टेशन कब तक निर्मित करा दिये जावेंगे ? पृथक्-पृथक् कार्य की समय सीमा क्या सुनिश्चित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में भीनमाल से मोदरा 33 के. वी. लाइन एवं 33/11 के. वी. सब स्टेशन मोदरा तथा भीनमाल-तिलोडा 33 के. वी. लाइन एवं सम्बन्धित 33/11 के. वी. सब-स्टेशन तिलोडा वर्ष 1990–91 में प्रस्तावित 33 के. वी. के वार्षिक कार्यक्रम में कार्य हेतु सम्मिलित किया गया था।

(2) पृथक-पृथक 33 के. वी. लाइनों के नाम से बजट में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। सभी 33 के. वी. लाइनों की एक मुश्त राशि बजट में ली जाती है। अत: अलग से कोई राशि लाइन विशेष के नाम से आवंटित नहीं की गई है।

(3) उक्त 33 के. वी लाइनों एवं सब स्टेशनों हेतु कोई राशि जिला प्रशासन द्वारा आवंटित नहीं की गई। विभाग द्वारा सम्बन्धित वृत्त के सभी 33 के. वी. लाइनों के कार्य हेतु एक मुश्त राशि आवंटित की जाती है। बजट राशि अनुरूप ही कार्य किया जाता है जिससे बजट लेप्स नहीं हो पाता है। इसमें कोई भी दोषी नहीं है।

(4) भीनमाल-मोदरा 33 के. वी. लाइन एवं मोदरा 33 के. वी. सब स्टेशन का कार्य वर्ष 1991-92 के वार्षिक 33 के. वी. कार्यक्रम के कार्य हेतु सम्मिलित किया गया जिसकी कार्यवाही हेतु सम्बन्धित वृत द्वारा निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा कार्य अनुबन्ध पर देने की कार्यवाही प्रगति पर है। भीनमाल–तिलोडा 33 के. वी. लाइन व सम्बन्धित सब स्टेशन तिलोडा वर्ष 1991–92 के कार्यक्रम में कार्य हेतु सम्मिलित नहीं है। अत: इसकी कोई निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई हैं।

(5) जी नहीं, उक्त दोनों 33 के. वी. सब-स्टेशन के निर्माण हेतु कोई सामग्री स्टोर से प्राप्त नहीं की गई है। भीनमाल-मोदरा लाइन के कार्य हेतु लाइन के पोल व क्रास आर्म उपलब्ध हैं। शेष वांच्छित सामान की सूची संलग्न है। वर्ष 1992-93 में इस लाइन का कार्य उपलब्ध सामग्री के अनुसार आरम्भ किया जा सकेगा। भीनमाल–तिलोडा लाइन के सामान की

(ऊर्जा मंत्री)

व्यवस्था 33 के वी. कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने के पश्चात् ही की जा सकेंगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

ग्राम सेवा सहकारी समिति झाडला (जयपुर) का आटा चक्की कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रकरण

902 **श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा** (फागी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की झाड़ला ग्राम सेवा सहकारी समिति ने आटे की चक्की लगाने हेतु सहायक अभियन्ता, विद्युत फागी को एस. आई. पी. कनेक्शन देने हेतु आवेदन दिया था ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सहकारी संस्थान ने एल फार्म जमा करा दिया ? यदि हां, तो इस संस्थान को अब तक विद्युत कनेक्शन जारी क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या उक्त कार्य को जानबूझ कर अधिशासी अभियन्ता जिला खण्ड द्वितीय विद्युत द्वारा रोक रखा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो विलम्ब के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सहायक अभियन्ता विद्युत फागी में कितने आवेदन विद्युत कनेक्शन लेने हेतु विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर जिले की झाड़ला ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा 7.5 हार्स पावर आटा की चक्की हेतु एस. आई. पी. श्रेणी के अन्तर्गत दिनांक 13-6-1988 को एक आवेदन पत्र सहायक अभियन्ता (ग्राविनि) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, फागी के कार्यालय में जमा करवाया था।

(2) उक्त सहकारी संस्था द्वारा दिनांक 18.1.1990 को सहायक अभियन्ता फागी कार्यालय में एक "एल" फार्म जमा करवाया था जिसको विद्युत संबंध दिया जा चुका है।

(3) जी नहीं। विद्युत संबंध जारी करने में कुछ विलम्ब हुआ है, क्योंकि उक्त आवेदक वरियता में दूसरे स्थान पर था तथा प्रथम वरियता वाले आवेदक द्वारा औपचारिकताऐं समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण यह विलम्ब हुआ। अब उक्त आवेदक को कनेक्शन दिया जा चुका है। विलम्ब के लिये कोई दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, फागी कार्यालय के अन्तर्गत निम्न श्रेणियों में विद्युत कनेक्शन हेतु पत्रावलियां विचाराधीन हैं-

1.	घरेलू	932
2.	व्यवसायिक	26
3.	औद्योगिक (एसआईपी)	11

(विद्युत मंत्री)

4. मध्यम श्रेणी (एमआईपी)	2
5. कृषि	1209
6. रोड लाइट	7
7. पी.एच.ई.डी.	1
कुल	2188

टोंक में फल-सब्जी मंडी यार्ड

903. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि टोंक में राज्य के अन्य शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले फल और सब्जियां बड़ी मात्रा में पैदा की जाती हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इनके वितरण के लिये फल मंडी की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही है ?

(2) फल-सब्जी मण्डी यार्ड निर्माण के लिए सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है तथा कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान है ? इसकी स्वीकृति कब जारी हुई और यह कार्य कब से प्रारम्भ करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) टोंक में फल-सब्जियों हेतु मण्डी यार्ड स्वीकृत करने का प्रकरण मण्डी स्तर पर विचाराधीन है।

(2) जी, नहीं।

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर की सम्पर्क सड़कें

904 **श्री नत्थी सिंह** (कुम्हेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, भरतपुर द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 24 (90-91) दिनांक 26-2-91 से कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के लिए 26 सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति चाही थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त में से केवल सात सड़कों के निर्माण की स्वीकृति 20-1-92 को सरकार द्वारा दी गई ? यदि हां, तो क्या शेष के निर्माण की स्वीकृति अगले वित्तीय वर्ष में दिये जाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। शेष सड़कों के लिए मण्डी समिति का प्रस्ताव अगले वर्ष पुनः प्राप्त होने पर धन उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की सम्पर्क सड़कें

905. **श्री शम्भूदयाल बड़गुजर** (केकड़ी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री शम्भूदयाल बड़गुजर)

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में गत दो वर्षों में मण्डी समिति के माध्यम से कुल कितनी सम्पर्क सड़कों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई ? कृपया स्वीकृत सड़कों की कि मी. व राशि का सम्पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत सड़कों में से कुल कितनी सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है और वर्तमान में किस स्तर पर चल रहा है ? इनका कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

(3) कुल कितनी स्वीकृत सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है और क्यों ?

(4) क्या केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में अब और सम्पर्क सड़कें स्वीकृत करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में गत दो वर्षों में मण्डी समिति के माध्यम से 7 सम्पर्क सड़कों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई जिनका ब्यौरा परिशिष्ट "क" पर है।

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से 5 सड़कों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। भौतिक प्रगति का विवरण परिशिष्ट "क" पर अंकित है। इस सड़कों का निर्माण कार्य वर्ष 1992-93 में पूर्ण होने की संभावना है।

(3) दो सम्पर्क सड़कों का निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है :–

क्रमांक:	सड़क का नाम	कार्य प्रारम्भ न होने का कारण
1.	मण्डा से केकड़ी	ठेकेदारों द्वारा निविदा प्रति क्रय न करने के कारण बार-बार तिथियां बढ़ाई जाना तथा मण्डा ग्रामवासियों की मांग के अनुसार सड़क मण्डा गांव की ओर से बनवाने में मण्डी समिति द्वारा लिये गये निर्णय में समय लगने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। अब कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाया जा रहा है।
2.	भीमड़ा-वास से प्रोन्हेड़ा	निविदा का प्रचलित दर से अधिक होना।

(4) धनाभाव के कारण फिलहाल नई सम्पर्क सड़कों को स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

सीकर मुख्य मंडी प्रांगण में दुकानें/कैन्टीन

906. श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में कृषि जिन्सों पर मण्डी टैक्स कई बार बढ़ाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार समय को देखते हुए कमीशन भी दो प्रतिशत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार सीकर मुख्य मण्डी प्रांगण में मुख्य सड़क पर खुलती हुई 10 फीट चौड़ी एवं 15 फीट लम्बी सौ दुकानें बनाकर कृषि, बीज, खाद, कृषि उपकरण, कपड़ा और ट्रैक्टर पार्ट्स का धन्धा चालू करवाकर किसानों को एक ही स्थान पर जरूरत वाली वस्तुयें उपलब्ध करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि मुख्य मण्डी प्रांगण सीकर में स्थाई कैन्टीन को आफिस में बदल दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्यालय के लिए अलग से भवन बनाकर कैन्टीन को इसी स्थान पर वापिस चालू करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 3.9.87 को कमीशन की दर 1.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.75% की जा चुकी है। क्योंकि कमीशन की दर मूल्य के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित है, अतः कृषि उपजों की आवक एवं मूल्यों में वृद्धि के कारण आढ़तियों की आय में वृद्धि होना स्वाभाविक है। अतः कमीशन की दर 2.00 प्रतिशत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(2) जी, नहीं। वरिष्ठ नगर नियोजक, कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा तैयार किये गये मण्डी परियोजना के प्लान के अनुसार मुख्य सड़क पर खुलती हुई 10 फुट चौड़ी व 15 फुट लम्बी दुकानें बनाने की कोई योजना नहीं है।

(3) जी, हां। मंडी प्रांगण में तीन क्योत मण्डी समिति द्वारा ठेके पर चलाई जा रही है जो कि जलपान व्यवस्था हेतु पर्याप्त है। अतः कैन्टीन भवन का उपयोग कार्यालय के रूप में किया जा रहा है। कार्यालय के लिए अलग से भवन बनाकर कैन्टीन को वापिस चालू करने की कोई योजना वर्तमान में नहीं है। यह कार्यवाही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 10 (10) ग्रुप–2/बी/85, दिनांक 10.9.91 के द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर की गयी है।

सुजानगढ़ (चूरू) में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण

907. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील सुजानगढ़, जिला–चूरू में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण करवाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन सड़कों की मरम्मत का कार्य भी करवाया गया है ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कौन-कौन सी सड़कों का ?

(3) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़क रेल्वे

(श्री भंवरलाल)

स्टेशन ताल छापर से रतनगढ़ बाइपास सड़क पर रेत के टीले बने हैं ? यदि हां, तो इनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है ? तथा अब कब तक हटा दिये जावेंगे ?

(4) कृषि उपज मण्डी समिति सुजानगढ़ द्वारा निर्मित बाकी सड़कों की मरम्मत कब तक करवादी जावेगी ?

उत्तर

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 11 सं. सड़कों का निर्माण करवाया गया है। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। वर्ष 1989–90 में मरम्मत हेतु प्रावधान नहीं होने के कारण मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया है। गत वर्ष 1990–91 में दो सं. सड़कों सोभासर से बागसूरा व भींवसर से सालासर सड़क पर सामान्य मरम्मत कार्य करवाया गया है।

(3) जी, हां। उक्त सड़क पर टीले हटाने का कार्य प्रगति पर है।

(4) कृषि उपज मंडी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होते ही शेष सड़कों की मरम्मत कराई जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जिला भीलवाड़ा में भू-संरक्षण विभाग द्वारा मेड़बन्दी व अन्य निर्माण कार्य

908. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

भीलवाड़ा जिले में भू-संरक्षण विभाग द्वारा मेड़बन्दी व अन्य निर्माण कार्य पिछले 3 वर्षों में किस-किस गांव में कौन-कौन से किस-किस लागत के कराये गये ? क्या ये कार्य मौके पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भीलवाड़ा जिले में जलग्रहण क्षेत्र विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा पिछले 3 वर्ष में कराये गये निर्माण कार्यों की ग्रामवार, लागत वार एवं मौके पर उपलब्धता की सूचना परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृषि उपज मंडी, कुचामन द्वारा प्रस्तावित विकास कार्य

909. श्री बिरदाराम चौधरी (मकराना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कुचामन कृषि उपज मंडी अपने कार्य क्षेत्र में कोई सड़क निर्मित करवाने की मंशा रखती है ? क्या मीठड़ी में लीचाना वाया डठणा सड़क बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

(2) क्या कृषि उपज मंडी मकराना से जाखली गेहड़ा कलां से बेसरोली मनाना से धानणवा बिरियादे से किण-सरिया गेहड़ाकलां से रामनिया कोई सड़क बनाने

(श्री बिरदाराम चौधरी)

का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(3) कृषि उपज मण्डी कुचामन के प्रस्तावित विकास कार्य क्या-क्या हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) धनाभाव के कारण कृषि उपज मण्डी कुचामन मीठड़ी लीचाना व अन्य नई सड़कों के निर्माण के कार्य हाथ में लेने में असमर्थ है।

(2) धनाभाव के कारण उक्त नवीन सम्पर्क सड़कों का निर्माण करवाया जाना संभव नहीं है।

(3) धनाभाव के कारण कृषि उपज मण्डी समिति कुचामन द्वारा राज्य सरकार को नये विकास कार्यों के प्रस्ताव नहीं भेजे गये हैं। यदि प्रस्ताव प्राप्त हो भी जायें तो धनाभाव के कारण उनको स्वीकृत करना संभव नहीं है।

जिला झुंझुनू में अनुदानित खाद, बीज आदि का वितरण

910. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या किसानों को अनुदानित खाद, बीज व कीटनाशक दवा दी जाती है ? झुंझुनू जिले में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में कितनी-कितनी अनुदानित खाद व बीज किस-किस को दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खाद व बीज वितरण के साथ कीटनाशक दवा नहीं दी जाती है जिससे किसानों की फसल नष्ट होने का खतरा रहता है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त कीटनाशक दवाई इतने विलम्ब से बांटी जाती है कि उसकी मियाद ही खत्म हो जाती है और वे किसी काम की नहीं रहती हैं ? यदि हां, तो इसमें सुधार किया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) खाद : सामान्यत: किसानों को अनुदानित खाद नहीं दिया जाता है। लेकिन खाद के मूल्यों में वृद्धि होने पर भारत सरकार को योजनानुसार वर्ष 1991-92 में लघु एवं सीमान्त कृषकों को यूरिया खाद पर सहकारी समितियों के माध्यम से अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

बीज : राज्य सरकार द्वारा बीज अनुदानित दर पर राजस्थान राज्य बीज निगम के मध्यम ने कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

कीटनाशक : विभिन्न योजना के अन्तर्गत कृषकों को पौध संरक्षण उपचार कराने हेतु कीटनाशक रसायनों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

झुंझुनू जिले में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में अनुदानित खाद, बीज व

(कृषि मंत्री)

पौध संरक्षण रसायन हेतु निम्न मात्रा/राशि का आवंटन प्रस्तुत है :

जिन्स	1990-91	1991-92
खाद	कोई योजना नहीं थी	रु 8,95,653/-का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से प्रथम किस्त रुपये 2,20,-000/-दे दी गयी है।

बीज वितरण :

बाजरा	128 क्विं.	230 क्विं.
गेहूं	892 क्विं.	1037 क्विं.
सरसों	180 क्विं.	151 क्विं.
चना	470 क्विं.	254 क्विं.

कीटनाशक दवा :		आवंटन	खर्च	आवंटन	खर्च
एन.पी.डी.पी.	मूंग	7500	697	40000	–
	मोठ	75000	–	7500	–
	चना	7:000	54768	45000	4101
चूहा नियन्त्रण		2000	2000	3000	1500
एस.एफ.पी.जी.	बाजरा	246000	13285	19509	19509
ओ पी.पी.	सरसों	120000	73700	50000	50000

(किस-किस काश्तकार को कितना कितना खाद, बीज व पौध संरक्षण रसायन दिया गया, के सूचना अल्प समय में एकत्रित करना तथा सदन की मेज पर रखना संभव नहीं है। किसी गांव या समिति विशेष की सूचना यदि माननीय सदस्य चाहें तो वह उन्हें उपलब्ध करादी जायेगी)

(2) जी, हां। खाद बीज पर अनुदान प्राप्त करने वाला कृषक पौध संरक्षण योजना के अन्तर्गत कीटनाशक रसायनों पर अनुदान अलग से प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त जिले में कीटनाशक औषधियां 55 बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध रहती है। इसलिए फसल नष्ट होने के खतरे का प्रश्न ही नहीं रहता।

(3) जी नहीं।

मशीन प्रचालक एवं मशीनमेन के पद की योग्यता एवं वेतनमान

911. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(1) कृषि सेवा के अन्तर्गत पदनाम "मशीन प्रचालक" (डुप्लीकेटिंग) एवं नवीन वेतनमान के खण्ड "ग" के अन्तर्गत सामान्य पद के अन्तर्गत पदनाम 'मशीन-मेन'' के पद की योग्यता वेतनमान एवं कार्य क्या हैं ?

(2) क्या यह सही है कि दोनों पदों के कर्मचारियों का कार्य डुप्लीकेटिंग मशीन को आपरेट करना है ? यदि हां, तो इनके वेतनमान में भिन्नता क्यों है ? क्या यह समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रावधान के विरुद्ध नहीं है ? क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने का विचार रखती है ?

(3) क्या डुप्लीकेटिंग मशीनमेन को चयनित वेतनमान देय है ? यदि हां, तो किस वेतन श्रृंखला में तथा कितने कर्मचारियों को यह लाभ अभी तक नहीं दिए गए हैं और क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान कृषि अधिनस्थ सेवा नियम में मशीन प्रचालक (डुप्लीकेटिंग) का पद परिशिष्टों में सम्मिलित नहीं है व नवीन वेतनमान में कृषि विभाग की अनुसूची में मशीनमेन का पद सम्मिलित नहीं है।

(2) कृषि विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(3) कृषि विभाग से संबंधित नहीं है

कृषि उपज मंडी समिति, छबड़ा आय-व्यय

912 **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा कृषि उपज मण्डी को उसके से गठन अब तक कितनी आय हुई और उसका कितना उपयोग किस-किस मद पर किया गया ?

(2) क्या कृषि उपज मण्डी ने अब तक कोई सड़क स्वीकृत की है ? यदि हां, तो कब और कितनी सड़कें बनेंगी ?

(3) क्या सरकार मण्डी की आय एवं किसानों की सुविधा के लिए ग्रामीण सडकें बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मण्डी समिति छबड़ा के गठन से जनवरी, 92 तक कुल रु. 1,66,69,333 = 50 पैसे की आय हुई एवं निम्न मदों पर व्यय किया गया :—

1–संस्थापन व्यय रु. 27,27,909=49पै.
2–कार्यालय आवर्तक व्यय रु. 30,99,269=84 ,,
3–कार्यालय अनावर्तक व्यय रु. 60 049=42 ,,
4–विपणन बोर्ड अंशदान रु. 11,30,226=45 ,,
5–मण्डी सुविधा व्यय रु. 13,20,709=07 ,,

(कृषि मंत्री)

6–निर्माण कार्यों रु. 62,36,312=41 ,,
पर व्यय
(मंडी प्रांगण में)

कुल रुपये : 1,46,74,476=68 पै.

(2) मण्डी समिति छबड़ा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा निम्न सड़कें सितम्बर, 91 तक स्वीकृत की गई हैं :–

(1) सं. सड़क चाचोड़ा
(2) सं. सड़क छीपा बड़ोद से बालापुरा
(3) सं. सड़क भूलोन स्टेशन से जेपला
(4) सं. सड़क बमोरी घाटा से उदयपुरिया
(5) सं. सड़क छबड़ा से बड़ोदिया

(3) भाग-2 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

कृषि उपज मंडी समिति के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधायें

913. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार कृषि उपज मण्डी-समिति के कर्मचारियों को किस सेवा के कर्मचारी मानती है ? यदि राजकीय कर्मचारी मानती है तो मण्डी कर्मचारियों को पेंशन सुविधा आज तक क्यों नहीं प्रदान की गयी ?

(2) यदि अर्द्ध सरकारी संस्था कर्मचारी मानती है तो उन्हें विभिन्न बोर्ड/निगमों की भांति अन्य सुविधायें क्यों नहीं प्रदान की गई है ?

उत्तर

(1) मण्डी समितियों के कर्मचारी स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी हैं। ये राज्य कर्मचारी नहीं हैं।

(2) मंडी कर्मचारी सेवा नियम 1975 के अन्तर्गत जिन सुविधाओं का प्रावधान है वे ही मंडी समिति के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

मंगलवाड़ (चित्तौड़गढ़) में पुलिस थाना

914. **श्री छगन लाल** (बड़ी सादड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जिला चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ में नये पुलिस थाने की स्थापना का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) मंगलवाड़ पुलिस चौकी पर कांस्टेबलों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार कांस्टेबलों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवाड़ में स्थित पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत किये जाने का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(2) मंगलवाड़ पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव इस समय

(गृह मंत्री)

विचाराधीन नहीं है। पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

एन. के. पब्लिक स्कूल, मुरलीपुरा मैटाडोर दुर्घटना प्रकरण

915. **श्री राजपालसिंह शेखावत** (बनीपार्क), एवं **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या गृह मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 7 अगस्त, 1990 को एन. के. पब्लिक स्कूल मुरलीपुरा, जयपुर की मेटाडोर का दादजी के फाटक पर रेल से दुर्घटना हुई थी और इसमें 10 स्कूली बच्चे मारे गये थे ?

(2) इसकी जांच किसके द्वारा कराई गई और जांच में किसकी लापरवाही और गलती पाई गई ? जांच रिपोर्ट और जांच के दौरान लिये गये बयानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बच्चों के अभिभावकों ने उनके बयान लेकर जांच करने के लिए ज्ञापन दिया और श्री सिंघल को इसकी जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ?

(4) यदि हां, तो श्री सिंघल ने किस-किस अभिभावक के बयान लिये ? बयानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या श्री सिंघल ने अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो किसे दोषी माना गया ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या दुर्घटना के समय मैटाडोर का बीमा किया हुआ था ? यदि नहीं, तो मैटाडोर के मालिक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत चालान क्यों नहीं किया गया ?

(7) क्या सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत मैटाडोर मालिक के खिलाफ अब चालान प्रस्तुत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि दिनांक 7.8.90 को एन. के. पब्लिक स्कूल मुरलीपुरा की मेटाडोर दादजी की फाटक पर रेल से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी।

इस दुर्घटना में 9 छात्र-छात्राओं की मृत्यु हुई है।

(2) दुर्घटना की जांच अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) जयपुर से करवाई गई जांच से उक्त दुर्घटना मेटाडोर के चालक हेमराज के द्वारा वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाये जाने के कारण घटित होना पाया गया है। जांच प्रतिवेदन एवं जांच के दौरान कलम बद्ध किये गये गवाहान के बयानों की प्रतियां संलग्न हैं।

(3) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं. 36/5/90 दिनांक 7.8.90 के द्वारा श्री के. के. सिंघल अति. जिला दण्डनायक

(गृह मंत्री)

जयपुर नगर को उक्त दुर्घटना की जांच करने के सम्बन्ध में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। नियुक्ति आदेश के साथ बच्चों के अभिभावकों का कोई ज्ञापन संलग्न नहीं किया गया। दिनांक 13.8.90 को प्रधान पंचायत समिति झोटवाड़ा व सरपंच व कुछ नागरिकों द्वारा ज्ञापन अवश्य प्रस्तुत किया गया था।

(4) उक्त दुर्घटना की जांच के दौरान दिनांक 8.8.90 एवं 21.8.90 को सर्व साधारण को सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी कि जो भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में कोई बयान शपथ दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहे वे निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत कर देवें। जांच के दौरान मृतक/घायल विद्यार्थियों के निम्न अभिभावकों के बयान लिये गये हैं जिनकी प्रतियां संलग्न हैं :–

1. श्री सेवकराम वरंदानी पुत्र श्री खेमचन्द।
2. श्री छोटूराम पुत्र श्री चुन्नाराम।
3. श्री गोपालसिंह पुत्र श्री मांगीलाल।
4. श्री रामवतार पुत्र रामेश्वर लाल।
5. श्री हरिनारायण पुत्र रामेश्वर लाल।
6. श्री श्रवणकुमार पुत्र पांचूराम।

(5) उक्त जांच के दौरान श्री के. के. सिंघल का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण श्री सिंघल के स्थान पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं. 36 (5) गृह-5/90 दिनांक 5.10.90 द्वारा श्री एम. एम. जोशी, अति. जिला दण्डनायक, जयपुर नगर को उक्त जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जिन्होंने दिनांक 26.12.90 को जांच पूर्ण कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित कर दी। जांच अधिकारी ने उक्त दुर्घटना में मेटाडोर चालक स्व. श्री हेमराज को वाहन तेजी व लापरवाही से चलाने हेतु दोषी माना है।

(6) दुर्घटना के समय मेटाडोर का बीमा किया हुआ नहीं था अतः मेटाडोर के मालिक श्री रामकरण चौधरी पुत्र श्री दुलाराम चौधरी आर्यनगर मुरलीपुरा के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 के अन्तर्गत इस्तगासा जे. एम. नं. 10 में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 21.3.91 को श्री रामकरण चौधरी पर 80 रुपये का जुर्माना किया गया है।

(7) मेटाडोर मालिक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत इस्तगासा पेश किया जा चुका है जो दिनांक 21.3.91 को निर्णीत हो चुका है। एवं मालिक पर जुर्माना भी हो चुका है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुलिस थाना सोजत (पाली) में दर्ज प्रकरण

916. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले के सोजत पुलिस थाने में माह अप्रेल, 1991 में पुलिस अधीक्षक, पाली के आदेशानुसार कौन-कौन से

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

मुकदमे किस-किस धारा के तहत दर्ज किये गये ?

(2) प्रश्न के भाग (1) में बताये गये मुकदमों की तफतीश किस-किस ने की व उनमें से किस-किस मुकदमे में थाना अधिकारी ने एफ. आर. दी ?

(3) प्रश्न के भाग (2) में बताये मुकदमों में किन-किन मामलों में दस्तावेजी सबूत के बावजूद थाना अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के आदेश को नहीं मानते हुए मुकदमे को दीवानी मानकर एफ. आर. दी ? तफतीश से उक्त एफ. आर. किस हद तक उचित है ?

(4) प्रश्न के भाग (3) में बताये मामलों की एफ. आर. की सूचना मुस्तगीस को कब दी व अदालत में कब भेजी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) प्रश्न के भाग (3) में बताये मुकदमों की तफतीश पुनः खोलकर धारा 173 (8) के तहत मामला साबित होने पर क्या चालान पेश करवाये जावेंगे व थाना अधिकारी को पुलिस अधीक्षक के आदेश की अवहेलना कर गलत तरीके से मुलजिमानों को बचाने हेतु दण्डित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जिला पुलिस अधीक्षक, पाली के आदेश से माह अप्रेल, 1991 में अ. सं. 68/91 धारा 467, 468, 420 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत पुलिस थाना सोजत पर श्री दुर्गाराम पुत्र भोमाराम सिरवी निवासी बोयल की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था।

(2) अभियोग सं. 68/91 की तफतीश ए. एस. आई. सर्व श्री कर्णसिंह, भवानीसिंह तथा भंवरसिंह थानाधिकारी सोजत द्वारा की गई थी। थानाधिकारी ने बाद तफतीश तथ्यों के आधार पर एफ. आर. अदम वकू (सिविल नेचर) दि. 10.7.91 को दी थी।

(3) अभियोग सं. 68/91 में परिवादी पक्ष द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये वे सभी रिकार्ड पर लिये गये थे अभियोग में मुख्य मुद्दा यह था कि फकरूद्दीन और अब्दुल गनी ने स्वयं के पिता कुतुबुद्दीन के स्थान पर स्वयं के दादा मेहता बक्ष का नाम दस्तावेजों पर दर्ज करवाया था। इसमें कोई बदयान्ती न मानते हुए थानाधिकारी, सोजत ने एफ आर. अदम वकू (सिविल नेचर) में दे दी थी। इसमें पुलिस अधीक्षक, पाली के किसी आदेश की अवेहलना नहीं हुई थी क्योंकि पुलिस अधीक्षक, ने केवल अभियोग दर्ज कर अनुसंधान करने के ही आदेश दिये थे। अभियोग में पुनः अनुसंधान करने के आदेश पुलिस अधीक्षक पाली द्वारा वृताधिकारी, सोजत को दिये गये हैं।

(4) थानाधिकारी द्वारा मुस्तगीस को एफ आर. की सूचना देने का कोई अभिलेख नहीं मिला। एफ. आर. की पत्रावली स्वीकृति हेतु न्यायालय में दि. 10.7.91 को भेज दी थी। न्यायालय पत्रांक 1579 दि. 17.8.91 से फरियादी को सूचना देने

(गृह मंत्री)

का नोटिस भेजा था, जिसकी पालना में कानि. को 6.9.91 को मामूर किया था किन्तु मुस्तगीस ने नोटिस लेने से इन्कार कर दिया।

(5) अभियोग सं. 68/91 में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पुनः तफतीश करने के आदेश वृताधिकारी, सोजत को दिये गये हैं। यदि मामला प्रमाणित पाया जावेगा तो वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। पुलिस अधीक्षक, पाली के आदेश की अवेहलना का कोई आरोप प्रमाणित नहीं है। अभियोग में यदि गलत तथ्यों पर एफ. आर. देना साबित पाया गया तो थानाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र गंगरार के थानों में दर्ज प्रकरण

917. **श्री मांगीलाल** (गंगरार) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गंगरार राश्मी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 91, 1991–92 में हत्या, डकैती, चोरी, मारपीट के कितने-कितने मुकदमे दर्ज हुये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दर्ज मुकदमों में से कितने मुकदमों में एफ आर. दी गई, कितने मुकदमों में कोर्ट में चालान दिये गये, कितने मामले विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विचाराधीन मुकदमों पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) गंगरार राश्मी विधान सभा क्षेत्र के थाना गंगरार राश्मी चित्तौड़गढ़ चन्देरिया, विजयपुर थानों पर दर्ज हत्या, डकैती, चोरी, मारपीट अपराधों की वर्ष 1990–91 व 1991-92 की सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(2) सूचना परिशिष्ट "अ" में अंकित है जो संलग्न कर दी गई है।

(3) जी हां, केवल 1992 के दर्ज अभियोग अन्वेषणाधीन हैं जिनका निस्तारण किया जा रहा है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें)

राज्य में नये पुलिस थानों की स्थापना

918. **श्री देवेन्द्र सिंह** (बनेड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार का राज्य में नये पुलिस स्टेशन खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कितने कब व कहां-कहां ?

(2) क्या भीलवाड़ा जिले में भी नये थाने खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां-कहां के प्रस्ताव हैं और उनमें से कितने थाने खोले जायेंगे ?

(3) क्या सरकार रायला व बडलियान गांवों में भी थाने खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में वित्तीय वर्ष 1992-93 में 33 नये पुलिस थाने खोलने का प्रस्ताव है। स्थानों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) भीलवाड़ा के सुभाषनगर में वित्तीय वर्ष 1992-93 में नया पुलिस थाना खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(3) रायला एवं बडलियान में पुलिस थाना खोलने का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

महानिरीक्षक, पुलिस, जयपुर द्वारा अपेक्षित कार्यवाही

919. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप-13) विभाग के सहायक शासन सचिव के पत्र क्रमांक-1 (107) गृह–13/90 जयपुर, दिनांक 6-9-1990 द्वारा महानिरीक्षक पुलिस (पुनर्गठन हरिजन प्रकोष्ठ) राजस्थान, जयपुर को पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–13) विभाग के सहायक शासन सचिव का पत्र क्रमांक: 1 (107) गृह–13/90 दिनांक 6.9.90 महानिरीक्षक पुलिस (पुनर्गठन) हरिजन प्रकोष्ठ राज. जयपुर के नाम से लिखा भेजा गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक, जयपुर (शहर) से जांच करवाई गई तो परिवाद निराधार एवं तथ्यहीन पाया गया, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जयपुर (शहर) एवं पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. (सतर्कता) की रिपोर्ट से होती है।

(2) इस सम्बन्ध में जांच की जा चुकी है, परिवादी श्री मुकेश कुमार का परिवाद निराधार एवं सारहीन पाया गया है।

अतारांकित प्रश्न सं. 920

(स्थगित)

श्रीगंगानगर में महिला अत्याचार के मामले

921. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीगंगानगर जिले में महिला अत्याचार के वर्ष 1990–91 में कुल कितने मामले दर्ज हुये ? महिलाओं के दहेज हत्या, बलात्कार, पति द्वारा मारपीट व जायदाद छीनने के कुल कितने मुकदमें थानों में दर्ज हुये इनमें से कितनों में मुल्जिम गिरफ्तार हुए और चालान किया गया और कितने मुकदमों में अभी तक सजा हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में सन् 1987 में महिला अत्याचार के कितने मुकदमे थे, उन मुकदमों की क्या परिणति हुई व कितने

(श्री हेतराम बेनीवाल)

मुकदमों में मुल्जिम को गिरफ्तार कर सजा दी गई ? कितने प्रकरण अभी तक विचाराधीन हैं ?

(3) उक्त जिले में महिलाओं को भगाये जाने के वर्ष 1990–91 में कितने मुकदमें दर्ज हुये और उनमें से कितनी महिलायें पुन: घर लौटाई गई और कितने मुल्जिमों को सजा हुई ? महिलाओं के अपहरण के जो मुकदमें दर्ज हुये उनमें से अनुसूचित जाति के कितने मुकदमें थे ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में महिला अत्याचार के वर्ष 1990–91 में कुल 1133 अभियोग दर्ज हुये। इनमें महिलाओं के दहेज हत्या के 58, बलात्कार के 135, पति द्वारा मारपीट के 223 व महिलाओं की जायदाद छीनने के 717 अभियोग थानों में दर्ज हुये। जिनमें से 621 अभियोगों में 1145 अपराधियों को गिरफ्तार कर चालान संबंधित न्यायालयों में पेश किये इनमें 3 अभियोगों में अपराधियों को न्यायालय से सजा हुई। सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त जिले में सन् 1987 में महिला अत्याचार के 420 अभियोग दर्ज हुये जिनमें से 174 मुकदमों में चालान, 246 मुकदमों में एफ. आर. दी गई। चालान किये मुकदमों में 174 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जिन चालानों में 32 में सजा, 68 में बरी, 52 राजीनामा एवं 22 चालान जैर तजबीज न्यायालय है।

(3) उक्त जिले में महिलाओं को भगाये जाने के वर्ष 1990–91 में 157 अभियोग दर्ज हुये थे और 48 औरतें वापिस घर लौटाई थी। 7 मुलजिमों को सजा हुई। इन दर्ज अभियोगों में 17 अभियोग अनुसूचित जाति के थे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक के मैनेजर के विरुद्ध दर्ज एफ. आई. आर.

922. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री छोटीलाल यादव मैनेजर, जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक के विरुद्ध थाना बगरु में मुकदमें दर्ज हुये हैं ? यदि हां, तो अब तक कितने मुकदमें दर्ज हुये हैं ?

(2) अब तक कितने मुकदमों की तफतीश की जा चुकी है और कितनों की विचाराधीन है ?

(3) अब तक कितने मुकदमों के चालान न्यायालय में पेश किये जा चुके हैं ?

(4) कितने चालान विचाराधीन हैं ? इन पर अब कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है। इनके विरुद्ध अब तक 6 अपराध पुलिस थाना, बगरु पर पंजीबद्ध हुए हैं।

(2) समस्त अभियोगों में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है।

(गृह मंत्री)

(3) अब तक 3 अपराधों में चालान किया जा चुका है व 3 अपराधों मे एफ. आर अदम व वकुआ में दी जा चुकी है।

(3) इनके विरुद्ध 3 चालान अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस में कोई अभियोग विचाराधीन नहीं हैं।

सिवाना तथा समदड़ी (बाड़मेर) के थानों में दर्ज मुकदमें

923. **श्री हुक्मा राम** (सिवाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पुलिस थाना सिवाना, समदड़ी, जिला बाड़मेर में वर्ष 1989 से 92 तक कितने मुकदमें दर्ज हुये ? इनमें कितने चोरी एवं लड़ाई इत्यादि के थे ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। इनमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों के कितने मुकदमें दर्ज हुये ? व्यक्ति वार एवं ग्राम वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पुलिस थाना सिबाना एवं समदड़ी द्वारा किन-किन व्यक्तियों से कितना-कितना माल पकड़ा गया ? व्यक्ति नाम वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) थाना सिवाना पर वर्ष 1989 से 1992 (1.1.89 से 29.2.92) तक 425 अपराध दर्ज हुए हैं। इनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 41 अपराध दर्ज हुए हैं। इसी तरह थाना समदड़ी में 289 अपराध दर्ज हुए हैं जिनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 21 अपराध दर्ज हुए हैं इसमें थाना सिवाना में चोरी के 77 अपराध दर्ज हुए हैं व लड़ाई आदि के 248 अपराध दर्ज हुए हैं। थाना समदड़ी में चोरी के 61 अपराध एवं लड़ाई झगड़े के 228 अपराध दर्ज हुए हैं। सूची सदन की मेज पर वर्ष वार, व्यक्तिवार, गांववार रख दी गई है जो परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(2) पुलिस थाना सिवाना एवं समदड़ी में जिन व्यक्तियों से माल बरामद किया गया है, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर व्यक्तिवार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बारह बोर की बन्दूकों के लाइसेंस

924 **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के किन-किन जिलों में किन-किन व्यक्तियों को 12 बोर की बन्दूकों के लाइसेन्स पिछले दो वर्षों में दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या लाइसेन्स धारियों के नाम पूर्व में किसी हथियार का लाइसेन्स था ? यदि हां, तो इन्हें और लाइसेन्स क्यों दिये गये ?

उत्तर

(1) विगत दो वर्षों में राज्य के जिन-जिन व्यक्तियों को 12 बोर बन्दूक के लाइसेंस दिये गये हैं, उनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जिन लाइसेंसधारियों के पास पूर्व में किसी अन्य शस्त्र का लाइसेंस था, उन्हें केवल मृतक के मामले में, नेशनल राइफल एसोसियेशन आॅफ इण्डिया का आजीवन सदस्य होने, तथा बैंक सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुये 12 बोर बन्दूदक के लाइसेंस और दिये गये हैं। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 (2) में तीन शस्त्र तक रखने का प्रावधान है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था

925. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए कोई नवीन योजना सरकार के विचाराधीन है ? जयपुर शहर में मिनी बस, तीन पहिया वाहन, टेम्पो व मानव चालित रिक्शे प्रत्येक कितने-कितने हैं ? जिन परिस्थितियों में सवारियों को लाया ले जाया जाता है उससे क्या सरकार संतुष्ट है ? यदि नहीं तो इसको ठीक करने के लिए 1990-91 के कुल-विभिन्न वाहनों के कितने चालान हुए, कितना जुर्माना किया गया व कितने लाइसेंस रद्द किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर में तीन पहिया वाहनों में मीटर लगे होने पर भी किराया मनमर्जी का चार्ज करने पर विभाग ने क्या व्यवस्था की है ? बिना मीटर चलाने पर कुल कितने चालान वर्ष 1990-91 में किए गए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर शहर में मिनी बसों के बिना रूट के चलने एवं मनमाना किराया वसूल करने पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? मिनी बसों के मालिकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शहर की बढ़ती हुई आबादी व यातायात समस्या के सुधार हेतु अध्ययन कर एल.आर.टी. सिस्टम (लाइट रेल ट्रांसपोर्ट) को आर.आई.टी.ई.एस. (भारत सरकार का एक उपक्रम) द्वारा प्रस्तावित किये गये प्रस्तावों का विश्लेषण किया जा रहा है।

वर्तमान में जयपुर में 326 मिनी बसें 32000 आटोरिक्शा, 889 टेम्पो तथा 7045 मानव चलित रिक्शा हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान इन वाहनों के बनाये गये चालानों का ब्यौरा निम्न प्रकार है–

(यातायात मंत्री)

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	चालानों की संख्या	प्राप्त जुर्माना राशि (रु. में)
1	आटोरिक्शा	4140	201509
2	मिनी बस	4181	461038
3	टैम्पो	4890	368024
4	मानव चलित रिक्शा	79	45

उक्त अवधि में कोई लाइसेन्स रद्द नहीं किये गये हैं।

(2) इस सम्बन्ध में समय समय पर आटो रिक्शाके चालान बनाये जाते हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान 600 चालान बनाये गये हैं।

(3) बिना रूट व मनमाना किराया वसूल करने के सम्बन्ध में वाहनों की चैकिंग की व्यवस्था की हुई है। समय समय पर ऐसे वाहनों के चालान बनाये जाते हैं। मिनी बस मालिकों की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कुन्दला पंचायत केन्द्र (झालावाड़) में यातायात व्यवस्था

926. श्री बाल चन्द आर्यवीर (डग) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व में कुन्दला पंचायत केन्द्र, जिला झालावाड़ तक बस संचालित थी, जो वर्तमान में बन्द है? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(2) ग्रामीण जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वहां कब तक बस संचालित हो जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जन सुविधार्थ एक बस सेवा माह फरवरी, 92 से संचालित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 927

(स्थगित)

नगर (भरतपुर) में आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाखानों का सृजन

928. श्री सम्पत सिंह (नगर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सम्पतसिंह) :

(1) क्या यह सही है कि नगर (भरतपुर) में आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाखाने अभी तक नहीं खोले गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) सरकार नगर (भरतपुर) में कब तक उक्त दवा खाने खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।
वित्तीय संसाधन की कमी के कारण।

(2) बजट के सीमित संसाधन के संदर्भ में आगामी वर्ष में खोला जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

रायसिंह नगर के ग्रामों के औषधालय

929. **श्री रामस्वरूप मेघवाल** (रायसिंह नगर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर में कुल कितने व किन-किन ग्रामों में औषधालय हैं ? कौन-कौन से पंचायत मुख्यालयों पर औषधालय हैं तथा किन-किन पर नहीं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कार्यरत औषधालयों में कितना-कितना स्टाफ है ? नाम व पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1990–91 एवं सन् 1991–92 में कितने औषधालय स्वीकृत किये गये ?

(4) वर्तमान औषधालयों में कितनी-कितनी राशि की औषधियां दी गई हैं ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) कोई नहीं।

(4) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–17 देखें)

टोडारायसिंह व देवली (टोंक) के आयुर्वेदिक औषधालय

930. **श्री घासीलाल चोपड़ा** (टोडारायसिंह) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील टोडारायसिंह व देवली जिला टोंक में कितने राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आबादी व ग्रामों के हिसाब से दोनों तहसीलों में आयुर्वेदिक औषधालय पर्याप्त नहीं हैं ?

(श्री घासी लाल चोपड़ा)

(3) क्या सरकार उक्त तहसीलों में नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आयुर्वेदिक औषधालयों में दी जा रही दवाइयां एवं पट्टियां पर्याप्त नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्रों में औषधालय होना जरूरी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार और अधिक राशि खर्च करने का विचार रखती है ? क्या सरकार औषधालय में दवाइयों आदि के लिये बजट प्रावधान बढ़ाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक व कितना ?

(6) क्या सरकार नगर पालिका टोडारायसिंह में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) टौंक जिले की देवली तहसील में 18 एवं टोडारायसिंह तहसील में 10 आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं।

(2) जी नहीं। राज्य में आबादी व ग्रामों के औसत हिसाब से औषधालय दोनों तहसीलों में औषधालयों की संख्या उसके अनुरूप है।

(3) जी नहीं। आर्थिक संकोच के कारण सम्भव नहीं हो पायेगा।

(4) जी हां। आर्थिक संकोच के कारण इनकी आपूर्ति सीमित रह जाती है।

(5) जी हां। नगर पालिका क्षेत्रों में भी औषधालय स्वीकृत किये जाते हैं परन्तु यह वित्तीय संसाधन पर निर्भर करता है।

(6) वित्तीय संसाधन पर निर्भर करेगा।

राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन लि., जयपुर

931. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई): क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन लि., जयपुर कब से कार्यरत है ?

(2) फैडरेशन ने पिछले कितने वर्षों से किन कारणों से ऊन व मेढ़े (रेम) क्रय नहीं किये हैं ?

(3) क्या उक्त फैडरेशन ने वर्ष 1984-85 में आर्मी (सेना) देहली, हिसार अम्बाला और गंगानगर आदि को मीट सप्लाई किया था ? यदि हां, तो किस निर्णय व आदेशों के तहत ? आदेश व निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या फैडरेशन को उक्त मीट सप्लाई में वर्ष 1984-85 में हानि हुई

(श्री रामकिशोर सैनी)

थी ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन, लिमिटेड जयपुर में वर्ष 1977 से कार्यरत है।

(2) फैडरेशन ने वित्तीय वर्ष 1987-88 से ऊन क्रय नहीं किया है। चूंकि इससे पूर्व के वर्ष 1986-87 में जो ऊन क्रय की गई थी उसके विक्रय करने में फैडरेशन को कुछ कठिनाई हुई थी और उसके विक्रय में विलम्ब होने से एवं वित्तीय साधनों का अभाव होने से आगे ऊन क्रय करने में कठिनाई हुई। इसके अतिरिक्त बाद के वर्षों में सस्ती आयातित ऊन की उपलब्धता के कारण स्थानीय ऊन की दरों में काफी उतार-चढ़ाव रहा। इस कारण भी ऊन विपणन का कार्य फैडरेशन द्वारा नहीं किया गया।

वित्तीय वर्ष 987-88 के बाद में मेंढ़े क्रय नहीं किये गये चूंकि इनके निर्यात के लिये आयातकर्ता उपलब्ध नहीं हो पाये तथा खाड़ी के देशों में अन्य देशों में सस्ती दरों पर मेंढ़े निर्यात किये। इस कारण भारत में जिन्दा मेंढ़ों का निर्यात प्रभावित हुआ।

(3) वर्ष 1984-85 में केवल जोधपुर स्थित सेना को ताजा मांस सप्लाई किया गया था। उसमें फैडरेशन को सकल लाभ रहा। आदेश एवं निर्णय तत्कालीन प्रबन्ध संचालक द्वारा किया गया था। प्रति परिशिष्ट 'अ' एवं परिशिष्ट 'ब' सदन की पटल पर रख दी गई है।

(4) वर्ष 1984-85 में उक्त मीट सप्लाई में फैडरेशन को कोई हानि नहीं हुई बल्कि सकल लाभ रहा है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का मामला विचाराधीन नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–18 देखें)

भेड़ व ऊन फैडरेशन द्वारा मेंढ़ों व ऊन की खरीद

932. **श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)** :– क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

भेड़ व ऊन फैडरेशन द्वारा वर्ष 1985 से अब तक कितने मेढ़े एवं कितनी मात्रा में ऊन खरीदी गई ? वर्ष वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

भेड़ व ऊन फैडरेशन द्वारा वर्ष 1985 से अब तक निम्न विवरणानुसार मेंढ़े व ऊन क्रय की गई :–

मेंढ़े क्रय वर्ष	मेंढ़ों की क्रय संख्या
1985-86	2376
1986-87	11638
1987-89	–
1989-90	–
1990-91	–
1991-92	–

(भेड़ व ऊन राज्य मंत्री)

ऊन क्रय वर्ष	ऊन क्रय मात्रा (क्वि.)
1985–86	1555·42
1986–87	1294-55
1987–89	115·90
1989–90	–
1990–91	–
1991–92	–

बांसवाड़ा में कब्रिस्तान की भूमि पर सरकारी कार्यालयों का निर्माण

933. **श्री सोमा** (बागीडोरा) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बांसवाड़ा में मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान (डायलाब) के पास वाली भूमि कुल कितने बीघा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बांसवाड़ा मुस्लिम कब्रिस्तान (डायलाब) की भूमि पर विगत वर्षों पूर्व कुछ सरकारी कार्यालयों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से विभाग हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बांसवाड़ा मुस्लिम कब्रिस्तान (डायलाब) की भूमि पर यदि सरकारी कार्यालय बने हैं, तो क्यों ? क्या उनका मुआवजा मुस्लिम समाज को दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा में डायलाब के पास वाली कब्रिस्तान भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार आ. नं. 595 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नं. 597 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नं. 599 रकबा 33 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नं 602 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा एवं आराजी सर्वे नं. 675 रकबा 14 बिस्वा कुल आराजी न. 5 रकबा 55 बीघा 15 बिस्वा श्री सरकार कब्रिस्तान दर्ज की है।

(2) बांसवाडा में डायलाब के पास वाली कब्रिस्तान में भूमि के आराजी नं. 602 में शहर कोतवाली, बांसवाड़ा (सहकारी) एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति, बांसवाडा (अर्द्ध सरकारी) के भवन बने हुये हैं।

(3) मुआवजा राशि नियमानुसार मुस्लिम समाज को देय नहीं है। वक्फ बोर्ड के मुआवजा राशि चाहे जाने पर वक्फ अधिनियम 1954 के प्रावधानों के अन्तर्गत वक्फ बोर्ड को मुआवजा देने में राज्य सरकार को कोई आपत्ति भी नहीं है।

द्वितीय ग्रेड अध्यापक पद हेतु पूर्व सैनिकों से प्राप्त आवेदन पत्र प्रकरण

934. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझनू)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) एवं

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : क्या सैनिक कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जून, 1990 में द्वितीय ग्रेड अध्यापकों के पदों हेतु पूर्व सैनिकों से

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

आवेदन लिये गये थे? यदि हां, तो आवेदकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आवेदकों के साक्षात्कार 1991 में कई बार रखे गये और फिर स्थगित कर दिये गये? यदि हां, तो स्थगित किये जाने के क्या कारण थे?

(3) अब उक्त आवेदकों के साक्षात्कार कर कब तक चयन कर लिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) साक्षात्कार पूर्व में दिनांक 5 व 6 अगस्त 1991 नियत किया गया था जो निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के निवेदन पर स्थगित किया गया। तत्पश्चात यह साक्षात्कार दिनांक 6.9.91 को नियत किया गया, परन्तु दिनांक 6.9.91 को सचिव, जिला सैनिक बोर्ड के पदों का साक्षात्कार नियत हो जाने से इस साक्षात्कार को स्थगित किया गया। बारम्बार निवेदन करने के उपरान्त निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्रशासनिक कारणों से साक्षात्कार हेतु पहले की तारीख नहीं दे सके।

(3) साक्षात्कार अब दिनांक 13.4.92 को नियत किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें)

जिला मुख्यालय राजसमन्द पर नियोजन कार्यालय

935. श्री शान्ति लाल (राजसमंद): क्या नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार नवसृजित जिला मुख्यालय, राजसमंद पर नियोजन कार्यालय खोलने की आवश्यकता महसूस करती है?

(2) यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विभागीय योजना 1992–93 में प्रस्ताव विचाराधीन है। वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होते ही नवसृजित जिला मुख्यालय पर नियोजन कार्यालय की स्थापना कर दी जावेगी।

निगम/बोर्डों की श्रमिक यूनियन

936. श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सरकार के निगमों व बोर्डों में कहां-कहां यूनियन की मान्यता का चयन किया हुआ है? चुनाव होने के बाद यह मान्यता कितने-कितने वर्षों तक मान्य रही है तथा मान्यता समाप्त होने पर भी निगमों/बोर्डों के परिसर में कार्यालय आवंटन की सुविधा किन कारणों से दी हुई है?

(श्री मदनलाल सैनी)

(2) क्या निगमों/बोर्डों में सभी यूनियनों को कार्यालय आवण्टित किया हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी यूनियनों को कार्यालय आवंटन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के निगमों, बोर्डों की यूनियन को मान्यता दिये जाने संबंधी चयन की सूचना विभाग में संकलित नहीं की जाती है। वर्तमान में श्रम संघों को मान्यता दिये जाने के बाबत कोई वैधानिक नियम नहीं है।

मान्यता देना, मान्यता का समय निर्धारण करना व यूनियन को कार्यालय आवंटन परिसर में करना, प्रबन्धकों व श्रम संघों के आपसी समझौतों से होता है।

(2) विभाग द्वारा ऐसी कोई सूचना संकलित नहीं की जाती है। राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विभाग में राजपत्रित अधिकारियों के रिक्त पद

937. **श्री दयाराम परमार** (खेरवाड़ा) : क्या नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) रोजगार विभाग में राजपत्रित अधिकारियों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजपत्रित अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रत्येक वर्ष डी. पी. सी. कराई जाती रही है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण रहे हैं ? अन्तिम डी. पी. सी. कब कराई गई थी ?

(3) रोजगार विभाग में वर्तमान में जिला रोजगार अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं और कब से ? इन रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रोजगार विभाग में राजपत्रित अधिकारियों के वर्तमान में 18 पद रिक्त हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राजपत्रित अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु नियमानुसार समय-समय पर डी. पी. सी. कराई जाती रही है। अन्तिम डी. पी. सी. दिनांक 16-3-91 को कराई गई थी।

(3) रोजगार विभाग में वर्तमान में 11 जिला रोजगार अधिकारियों के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम व विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देखें)

वर्ष 1991-92 में अतिरिक्त व्यक्तियों हेतु रोजगार के लक्ष्य

938. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1991-92 में साढ़े तीन लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार दिलवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो पूर्व में दिया गया रोजगार एवं अतिरिक्त व्यक्तियों को मिले रोजगार की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 में साढ़े तीन लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार दिलवाने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 में 349·23 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य था जिसमें से जनवरी, 92 तक 274 32 लाख मानव दिवस सृजित किये जा चुके थे।

पंचायत समिति अराई की महिला बाल कल्याण योजना

939. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या महिला बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति अराई में महिला बाल कल्याण योजना लागू है ?

(2) यदि हां, तो कब से ? योजनान्तर्गत लाभान्वितों की ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें। इस योजना के तहत क्या-क्या एवं कितनी-कितनी सामग्री अब तक उपलब्ध करवाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बाल विकास परियोजना दिनांक 11-1-91 से प्रारम्भ की गई। लाभान्वितों की ग्रामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इस योजना के तहत जो सामग्री उपलब्ध कराई गई उसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

दिनांक	मुरमुरे	पंजीरी
5-4-91 से 6-3-92 तक	655 क्वि.	185 क्वि.

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–21 देखें)

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 9 मार्च, 1992)

राष्ट्रीयकृत मार्ग संख्या 8 पर स्थापित विज्ञापन बोर्ड

325. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नेशनल हाइवे नं 8 पर विज्ञापन के बोर्ड बनाकर लगाये गये हैं ? यदि हां, तो कितने बोर्ड लगाये गये ?

(2) इन बोर्डों का निर्माण किस फर्म से करवाया गया एवं इनकी दर क्या थी ?

96

(श्री गोपीराम जाट)

(3) क्या यह भी सही है कि निर्माण हेतु विभाग द्वारा निविदाएं मांगी गई थी ? यदि हां, तो किन-किन फर्मों ने निविदाएं दी एवं उनकी दर क्या थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि न्यूनतम दर की फर्म को निर्माण के आदेश नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस विभाग द्वारा कोई भी विज्ञापन बोर्ड बनवा कर रा.रा. मार्ग 8 पर नहीं लगाये गये। केवल डिस्टेन्स इनफोरमेटरी साईन बोर्ड लगाये गये हैं। एन.एच. 8 पर ऐसे 14 साइन बोर्ड लगाये गये हैं।

(2) इन बोर्डों की खरीद मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कॉरपोरेशन मेरठ से की गई है। इसकी दर 13,999 प्रति नग है।

(3) जी हां निम्नलिखित 6 फर्मों ने निविदाएं दी थी।

1. मैसर्स एम.बी. इन्जिनियरिंग कार्पोरेशन, जयपुर
2. मैसर्स बंसल ट्रेडिंग कार्पोरेशन, इन्दोर
3. मैसर्स प्रकाश ट्रेडिंग कार्पोरेशन, मेरठ
4. मैसर्स अंगिरया उद्योग, जयपुर।
5. मैसर्स राजस्थान इंजन एण्ड पम्प इण्डस्ट्रिज, भरतपुर।
6. मैसर्स एग्रो फार्म आइरन इण्डस्ट्रिज बाडी, धोलपुर

क्र. सं. 4,5,6, पर अंकित तीन फर्मों ने निविदा शर्तों के अनुसार चाही गई वारन्टी नहीं दी। अतः इनकी निविदाएं नहीं खोली गई। शेष तीन फर्मों के द्वारा दी गई दरें निम्न प्रकार से हैं।

1. मैसर्स एम. बी. इन्जिनियरिंग कार्पोरेशन, जयपुर।	10,791.00
2. मैसर्स बंसल ट्रेनिंग कार्पोरेशन, इन्दोर	13,100.00
3. मैसर्स प्रकाश ट्रेनिंग कार्पोरेशन, मेरठ (उत्तरप्रदेश)	13,999.00

(4) जी हां। क्योंकि बाकी फर्मों के बोर्ड के नमूने परिवहन मंत्रालय के उच्च अधिकारी द्वारा सही नहीं पाये गये।

(दिनांक 10 मार्च, 1992)

नगरीय विकास विभाग की अधिसूचनाओं के प्रकाशन में विलम्ब

381. श्री अब्दुल हादी (चौहटन) एवं

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) :–क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री मदनलाल सैनी)

(1) क्या यह सही है कि नगरीय विकास विभाग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 18-9-1989 दिनांक 16-9-1989 एवं दिनांक 1-3-1990 अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु निवेदन किया जो नियमानुसार अधिसूचना के प्राप्त होने के 48 घण्टों के भीतर प्रकाशित होनी चाहिये थी ?

(2) क्या उपरोक्त अधिसूचनायें उनके दिनांक के 157 दिन, 124 दिन व 49 दिन पश्चात् क्रमशः प्रकाशित की गई ? राजस्थान राज-पत्र के असाधारण अंक की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त अधिसूचनाओं के नियम के विपरीत, लम्बे विलम्ब से प्रकाशित होने के फलस्वरूप विलम्ब काल में उक्त योजनाओं की लाखों वर्ग मीटर कृषि भूमि आबादी में रूपान्तरित हो गई जिसके फलस्वरूप नगर सुधार न्यास, जोधपुर को करोड़ों रुपये की अवैधानिक अतिरिक्त मुआवजे की हानि हुई ? राज्य सरकार सम्बन्धित दोषी अधिकारियों को कब तक क्या दण्ड देने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अधिसूचनाओं के राजस्थान राज-पत्र में विलम्ब से प्रकाशन के कारण भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध है ? यदि हां, तो अपराधियों को कब तक दंड दिलाने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि वर्णित अधिसूचनाएँ दर्शाई तिथियों को मुद्रणालय में भेजी गई थी परन्तु यह सही नहीं है कि संबंधित विभाग द्वारा चाहे अनुसार अधिसूचनाओं का प्रकाशन राजपत्र के असाधरण अंक में किया जावे । क्योंकि असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचनाओं का मापदण्ड राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित है । राज्य की राजस्व, सेवा सम्बन्धी एवं अन्य नीति सम्बन्धी अधिसूचनाओं के अतिरिक्त समस्त अधिसूचनाओं का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाता है। कार्य की अधिकता के कारण 48 घण्टों में अधिसूचनाओं का राजपत्र में प्रकाशन किये जाने का भी कोई मापदण्ड आंका नहीं जा सकता ।

(2) वर्णित अधिसूचनाएँ राजस्थान राजपत्र के साधारण अंक में क्रमशः 18.1.90, 22.2.90 एवं 19.4.90 को प्रकाशित हुई है । क्योंकि इस प्रकार की भूमि अवाप्ति सम्बन्धी समस्त अधिसूचनाएँ राजपत्र के साधारण अंक में ही प्रकाशित होती हैं । जिस समय वह अधिसूचनाएँ प्राप्त हुई उस समय लोक सभा के निर्वाचन सम्बन्धी समस्त प्रकार की सामग्री एवं मतपत्रों के मुद्रण कार्य में राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय अति व्यस्त रहा । चुनाव कार्य को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान किया जाना आवश्यक होता है और इसके साथ ही चुनाव विभाग द्वारा मुद्रणालय को चुनाव कार्य हेतु मुद्रणालय को आरक्षित रखने के निर्देश भिजवा दिये जाते हैं । चुनाव

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सम्पन्न होते ही जयपुर में साम्प्रदायिक दंगे भड़कने से जन-जीवन अस्त–व्यस्त हो गया और अधिकांश कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो पाये। उसके पश्चात् माह अक्टूबर, 89 में दीपावली एवं अन्य अवकाश होने के कारण मुद्रणालय 15 दिवस लगभग बन्द रहा। वर्णित परि-स्थितियों के कारण अधिसूचनाओं के प्रकाशन में विलम्ब हुआ। प्रकाशित राज पत्र की एक-एक प्रति प्रस्तुत है। राजस्थान राजपत्र की प्रति परिशिष्ट "क" "ख" एवं "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। इन अधिसूचनाओं को राजपत्र में विलम्ब से प्रकाशन के फलस्वरूप विलम्ब काल में कुछ भूमि पर निर्माण हो गये हैं जिससे न्यास को भूमि प्राप्त नहीं हो सकेगी। बिन्दु संख्या दो में वर्णित परिस्थितियों को मध्येनजर रखते हुए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी नहीं। अधिसूचनाओं के प्रकाशन में यदि स्वेच्छा से विलम्ब किया जाकर राज्य सरकार को हानि कारित की जावे तो यह कृत्य दण्डनीय होगा।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(दिनांक 11 मार्च, 1992)

राज्य की सड़कों के निर्माण व मरम्मत पर हुआ व्यय

435. श्री अमीन खां (शिव): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजस्थान में विगत दो वर्षों में सड़कों की मरम्मत पर तथा नई सड़कों पर कितना धन खर्च किया गया है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान में दो वर्षों 1989–90 तथा 1990–91 में सड़कों की मरम्मत तथा नई सड़कों पर किए गए व्यय की जिलेवार सूची "क" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–22 देखें)

अजमेर की लिंक रोड का पुनर्निर्माण

440. श्री मोहन लाल (परबतसर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर रोड जयपुर से एक लिंक रोड निर्माण नगर से होती हुई मानसरोवर तक जाती है? यदि हां, तो इसका निर्माण कब हुआ एवं इसके रख-रखाव का जिम्मा किसका है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस रोड पर इतने गड्ढे हैं कि आम व्यक्ति को

(श्री मोहन लाल)

आवागमन में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(3) क्या सरकार इस रोड़ को दुरुस्त कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इसका निर्माण वर्ष 1983–84 में हुआ इसके रख रखाव का जिम्मा जयपुर विकास प्राधिकरण का है।

(2) चूंकि निर्माण 1984 में किया गया था। अतः टूट–फूट होना स्वाभाविक है।

(3) जी हां, इस रोड़ को दुरुस्त करने के लिये टेण्डर प्रस्तुत किये जा चुके हैं शीघ्र ही कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है–

(1) श्री रामनारायण वर्मा और श्री अमीन खां सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद् द्वारा दिये जा रहे धरने तथा उनके द्वारा बोर्ड की परीक्षाओं का बहिष्कार करने की कथित घोषणा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले के कतिपय गांवों में भारतीय सेना द्वारा तोपाभ्यास व अन्य अभ्यास करने से ग्रामवासियों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(3) श्री रामप्रसाद सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की वैर तहसील में सीता बांध तथा नहरों का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा पूर्ण नहीं करने से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(4) श्री हीरालाल इन्दोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पटवार प्रशिक्षण विद्यालय, गंगानगर को चुनावढ़ से गजसिंहपुर में स्थानान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री अमीन खां और श्री रामस्वरूप (47), सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बाड़मेर के ट्रेजरी आफिसर द्वारा गत तीन वर्षों से कथित सरकारी धन का दुरुपयोग करने के संबंध में।

(6) श्री बुलाकीदास कल्ला और श्री इन्द्रसिंह पूनिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुरुष/महिला जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र के समय पर प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह में साम्प्रदायिक झगड़े के पश्चात् आगजनी, लूटपाट से व्याप्त तनाव और प्रदेश में बिगड़ रहे साम्प्रदायिक सद्भाव के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कस्बे नापासर में कल्याणसर के कुएं से उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल के संबंध में राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के नापासर कस्बे के निकट ग्राम कल्याणसर की आबादी कम होने के कारण एवं ग्राम की पेयजल मांग अन्य बोरिंगयुक्त कुएं से पूरी होने के कारण पशु पेयजल योजना के अन्तर्गत 1989–90 में निर्मित उपयोग में नहीं आ रहे नलकूप को, पाइप लाइन द्वारा, नापासर स्वच्छ जलाशय से जोड़ने की योजना के अन्तर्गत 5 किलोमीटर 100 मिलीमीटर व्यास की पाइप लाइन स्वीकृत की जाकर डाल दी गई है एवं शेष पाइप लाइन डाले जाने की कार्यवाही की जा रही है। कल्याणसर से बूस्टिंग द्वारा नापासर कस्बे में टंकी से दूर अंतिम छोर पर स्थित वितरण व्यवस्था को इस नलकूप से जोड़ा जाकर पेयजल आपूर्ति में सुधार किया गया है जिससे ऊंचाई पर स्थित कुछ स्थानों पर पेयजल आपूर्ति संभव हो सकी है। कल्याणसर नलकूप का पेयजल नापासर स्वच्छ जलाशय में एकत्र किया जाकर उच्च जलाशय से वितरण व्यवस्था के द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु शेष दो किलोमीटर पाइप लाइन की स्वीकृति ली जाकर जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(2) श्री रामसिंह विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले के लूणी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि जोधपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र लूणी के अन्तर्गत 1981 की जनगणना के अनुसार, लूणी तहसील के 105 एवं बिलाड़ा तहसील के 20 ग्राम आबाद हैं। इनके अतिरिक्त 1981 के पश्चात् 26 नये राजस्व ग्राम भी सृजित किये गये हैं। उपरोक्त कुल 151 ग्रामों में वर्तमान में पेयजल की स्थिति निम्नानुसार है :–

1.	क्षेत्रीय योजनाओं से लाभांवित ग्रामों की संख्या	118
2.	पनघट योजनाओं से लाभांवित ग्रामों की संख्या	4
3.	हैण्डपम्प योजनाओं से लाभांवित ग्रामों की संख्या	3
4.	क्षेत्रीय योजनाओं से लाभांवित नवसृजित राजस्व ग्राम	2
5.	पेयजल से लाभांवित होने वाले शेष नवसृजित राजस्व ग्राम	24

डौली में निर्मित कुल 22 नलकूपों में से 16 नलकूप सूख जाने/असफल हो जाने के कारण बंद हैं। इन ग्रामों की पेयजल समस्या के निदान हेतु जवाई नहर को

(श्री अध्यक्ष)

स्रोत लिया जाकर योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कुंडी होज से डोली तक स्वीकृत योजना को तकनीकी स्वीकृति दिये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। कुंडी हौज व खेजडली पर वांछित क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाये जाने हेतु विद्युत मंडल से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(3) श्री भंवरलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर तहसील नावां के ग्राम जाब्दी नगर के पूर्व खसरा नम्बर 1, 3, 4, 6 व 37 पर खातेदारी पाबन्दी को नहीं हटाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि ग्राम जाब्दी नगर तहसील नावां के खसरा नम्बर 3 की भूमि में से 1500 बीघा अधिसूचित भूमि निकाल लेने के बाद शेष भूमि एवं खसरा नम्बर 1, 4, 6 व 37 पर राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा लगाई गई रोक को औपचारिक रूप से हटाने के संबंध में राजकीय उपक्रम विभाग को निर्देश दे दिये गये हैं। वास्तव में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग) नियम, 1961 के अन्तर्गत खातेदार द्वारा भूमि संपरिवर्तन के प्रकरणों में अब एक बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार अधिसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में कोई रोक नहीं है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(1) श्री मोतीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर शहर तथा बजरिया में पीलिया रोग फैलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में प्राप्त स्थगन प्रस्ताव का राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को आज चिकित्सा विभाग की मांग पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्यों को अग्रेतर यह भी सूचित करना है कि प्रक्रिया नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विचाराधीन हैं :–

1. श्री हेतराम बेनीवाल
2. श्री हेमराज मीणा
3. श्री मदन दिलावर
4. श्री फूलचन्द मीणा
5. श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित
6. श्री श्रीकिशन सोनगरा (आयुर्वेद विभाग)
7. श्री बंशीलाल पटवा (आयुर्वेद विभाग)

उपरोक्त प्रस्ताव चिकित्सा एवं आयुर्वेद विभाग से संबंधित हैं। इन पर प्रस्तावक माननीय सदस्यों को आज मांग पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री रिछपालसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अनेक ग्राम एवं ढाणियों में विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

(2) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी के स्थापना दिवस के स्वर्ण अवसर पर तथा सर्वांगीण विकास के लिए विशेष आर्थिक प्रावधान करने के संबंध में।

(3) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर निवासी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सैन की दिनांक 9.10.91 को की गई हत्या के हत्यारों को तुरन्त पकड़ने के संबंध में।

(4) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित मोपाल सागर शुगर मिल द्वारा काश्तकारों के कथित शोषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान, विशेषकर झालावाड़ जिले में वर्षों से गोचारागाह की हजारों बीघा भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमका थाना और कोटपूतली क्षेत्रों की कई खानों में हो रही अनियमितताओं के संबंध में।

(7) श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में पेयजल की समुचित व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

(8) श्री मनीराम सियाग, सदस्य विधान सभा की ओर से लूणकरणसर तहसील में विद्युत विभाग द्वारा बिजली खर्चा वसूल करने तथा बिलों का भुगतान जमा कराने में दूरदराज के ग्रामीण उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी के संबंध में।

(9) श्री मदन दिलावर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कटावर तहसील अटरू के पास ट्रेक्टर ट्राली के दुर्घटनाग्रस्त होने से दो व्यक्तियों की मृत्यु होने तथा मृतकों की जेब में से 40,000 रुपये निकालने वालों को गिरफ्तार करने के संबंध में।

(10) श्री हरीश झामनानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से दी गंगानगर शुगर मिल की रामगंज, अजमेर स्थित शराब की डिस्टिलरी द्वारा शराब व गंदे पानी के निकास से वहां की जनता को हो रही परेशानी के संबंध में।

(11) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के शेष रहे 74 गांवों को विद्युतीकृत करने के संबंध में।

(12) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील बोंली के ग्रामों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने से वहां प्रत्येक वर्ष अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(13) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रान्त में कथित माफिया गिरोह के अवैध वीडियो वाहनों के संचालन से राज्य पथ परिवहन निगम को हो रही आर्थिक हानि के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

मुझे तीन नोटिस मिले हैं। मैं माननीय सदस्यों को एक निवेदन करना चाहता हूं, श्री महावीर प्रसाद जैन ने नोटिस दिया है, टोडारायसिंह के बारे में बोलने के लिए, मेरा निवेदन है कि अभी हमारे प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के बारे में मैंने जो जानकारी प्राप्त की है उससे मुझे लगता है कि सरकार वहां पर इन घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह से लगी हुई है और वहां की स्थिति अभी ऐसी है कि यदि हम कुछ भी यहां पर बोलें तो घटना में कोई भी मोड़ आ सकता है इसलिए इस पर हम अभी चर्चा न करें। क्योंकि कई एप्रीहैंशन्स हैं, उन एप्रीहैंशन्स में सरकार पूरी तरह से सजग है और हर तरह से तैयारी कर रखी है। हमारे यहां बोलने से जो एण्टी सोशियल एलीमेंट्स हैं उनको एनकरेजमेंट मिल सकता है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस संबंध में अभी आप 2-3 दिन न बोलें तो अच्छा रहेगा। इसलिए महावीर प्रसाद जी को भी मेरा निवेदन है कि वह इस संबंध में अभी कोई चर्चा नहीं करें। एक श्री रामकरणसिंह जी का मेरे पास पत्र आया है कि मैंने उनको कहा है कि आप निर्दलीय हैं, इसलिए मैं आपके साथ निर्दलियों जैसा व्यवहार करूंगा, तो यह मेरे से पूछना चाहते हैं कि उसके लिए हम अनुसरण करना चाहते हैं। वह क्या अनुसरण करना चाहते हैं, मुझे पता नहीं है। वह निर्दलीय हैं और उनको रोज बोलने का मौका दिया गया है। जरूरी नहीं है, आज यदि चम्पालाल जी जैन निर्दलीय हैं, वह बोलना चाहते हैं, तो कभी कोई बोलना चाहते हैं, कभी कोई निर्दलीय बोलेगा, इसलिए सभी निर्दलियों को मुझे समय देना पड़ेगा। दूसरी बात एक और है कि मैं निर्दलीय को किसी भी पार्टी से ऊपर तो नहीं मान सकता, जो पार्टी की स्ट्रेन्थ है, मुझे उनको तवज्जोह देनी पड़ेगी। अब उनका नम्बर लास्ट में आता है और वह उठ कर चले जायें और कहें कि मैं तो नहीं बोलता क्योंकि मेरा नम्बर लास्ट में है। यह मेरी मजबूरी है। जिनको बोलना है उनको उसी क्रम में बोलना पड़ेगा। निर्दलियों को नम्बर मैं पहले दे नहीं सकता क्योंकि, पार्टियों के लिये आपके यहां नियम बना हुआ है उसको मैं तोड़ नहीं सकता। इसलिये मेरा उनसे निवेदन है कि, वह, स्थिति समझें। हां, आप कुछ पूछना चाहते थे। बोलिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): माननीय अध्यक्षजी, मेरा एक निवेदन है, सदन में आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने इस सदन को, आश्वासन दिया था जिस दिन हम धरने पर बैठे थे कि जहां 75 पर्सेण्ट खराबा होगा वहां के लोगों को रोजगार के लिये रोजगार के साधन मुहैया कराये जायेंगे। मेरे इलाके

(श्री रामनारायण वर्मा)

में 100 गांव ऐसे हैं जहां 75 पर्सेण्ट से ज्यादा खराबा है। माननीय अध्यक्षजी, रामगढ़ गांव है जहां 100 प्रतिशत खराबा है। पावटा छावनी हो, अजन्ता हो, बागीडोरा हो, नाथणी हो या नाथणा हो या जेठाणा हो। जब 100 पर्सेण्ट से ज्यादा खराबा है और मैंने लिख कर माननीय मंत्रीजी को भी दे दिया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी दे दिया है, अकाल राहत मंत्रीजी को भी दे दिया है और जिला कलेक्टर, ए. डी. एम. वगैरह इन सब को दे दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर सदन में दिये गये आश्वासन की पूर्ति नहीं हो। मैंने इनको चार गांव बताये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा गांव की बात नहीं करता। दस हजार आदमी आज की तारीख में मेरे यहां से पलायन कर गये। मैंने जावला बांध के लिये कहा, मैंने सूर्या एनीकट के लिये कहा, इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट है हिण्डोली में दे दीजिये, वहां पर भी खराबा है। एक विकदरी बांध अधूरा पड़ा है, आप कुछ 50–50 मजदूर दे दीजिये, लोगों को रिलीफ मिले, मैं ज्यादा की बात नहीं करता आपसे। जावला बांध है 100 मजदूर दे दीजिये, सूर्या एनीकट अधूरा पड़ा है, 100 मजदूर दे दीजिये, 500 दे दीजिये। आप आज की तारीख में कर दीजिये। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मंत्रीजी आश्वस्त करें, आज ही काम चालू हो।

श्री कैलाश मेघवाल (अकाल राहत मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विधायकों से भी चर्चा की है और माननीय विधायकों द्वारा सुझाये गये जो अकाल राहत कार्य और क्षेत्र हैं उनका मैं परीक्षण भी कर रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यथोचित कार्यवाही एक अप्रैल तक कर दी जायेगी। यह प्रस्ताव मेरे विचाराधीन है।

श्री रामनारायण वर्मा : तुरन्त ही करवा दो।

श्री अध्यक्ष : एक अप्रैल में अब कितने दिन रह गये हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष : पहले वह बोल रहे हैं, बीच में नहीं।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय गृह मंत्री माननीय चौहान साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार को अनुच्छेद 356 की धमकी देकर बर्खास्त करने की धमकी दी है....(व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : इस पर बहस होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। प्लीज।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निन्दा प्रस्ताव....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : प्लीज।...(व्यवधान).... आप बैठिये प्लीज।....(व्यवधान).... मैं उनको बोलने ही नहीं दे रहा हूं, आप क्यों

(श्री अध्यक्ष)

खड़े हो रहे हैं। I am not allowing him. आप काहे को बोल रहे हैं। अनवान्टेड रिप्लाई दे रहे हैं, reply is not wanted. मैं इनको बोलने ही नहीं दे रहा हूं। हां, महावीरजी आप क्या कह रहे थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। इस संवेदनशील और नाजुक विषय पर गृह मंत्रीजी वहां जाकर आये हैं। प्रशासनिक लेप्स उसमें है। 21 तारीख को राधेश्याम की हत्या की....

श्री अध्यक्ष : यह आप बीच में क्यों बोल रहे हो....

श्री महावीर प्रसाद जैन : हत्या कर दी।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मैं अलाउ नहीं करूंगा। I don't want to introduce it.

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह चाहता हूं कि आप वक्तव्य....

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य नहीं, बैठिये आप। प्लीज बैठिये। श्री रिछपाल सिंह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वहां ऐसी स्थिति कर....

श्री अध्यक्ष : रिछपालजी की बात अंकित हो। मत सुनिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रिछपालजी की बात अंकित करिये, और किसी का मत करिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : आन ए पाइंट आफ आर्डर, अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष : पांइट आफ आर्डर तो कुछ होता नहीं।

डा. हरिसिंह : देखिये, आपने मेरे को अनुमति दे दी बोलने की फिर यह बीच में महावीरजी खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष : वह बोल रहे हैं उसके बीच में आप बोलेंगे, let him complete.

डा. हरिसिंह : उसके बाद में।

श्री अध्यक्ष : Let it be completed. जब उन्होंने शुरू कर दिया।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) की विद्युत आपूर्ति के संबंध में।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रिछपाल सिंह)

डेगाना (नागौर) की विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्या का नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करते हुए निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अनेक ग्राम एवं ढाणियां अभी तक विद्युत आपूर्ति की सुविधा से वंचित हैं। कई ग्राम एवं ढाणियां विद्युतीकृत होते हुये भी वहां पर विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है। क्षेत्र के अनेक ग्रामों में विद्युत आपूर्ति कर्मचारियों की लापरवाही से गड़बड़ा जाती है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद व्यवस्था में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। अनेक ग्राम एवं ढाणियां अभी तक विद्युतीकृत नहीं की जा सकी हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपस में बात नहीं करें। कृपया सुनिये।

श्री रिछपाल सिंह : इनमें भूकरां की ढाणी, कीला, मुण्डेलपुरा, शेखावता की ढाणी, भियासर, सियागा की ढाणी, मांधा की ढाणी, सामरियों की ढाणी, खातोलाई, चिंकनाल, जालसू स्टेशन आदि प्रमुख हैं।

क्षेत्र के कई ग्रामों में लाइन हरसौर से आती है तथा लाइन की लम्बाई अधिक होने की वजह से वोल्टेज की समस्या बनी रहती है। कई विद्युतीकृत ग्रामों में खम्भे खड़े किये जा चुके हैं तथा लाइनें भी खींच दी गयी हैं परन्तु ट्रान्सफार्मर की कमी से अभी तक वहां पर कनेक्शन नहीं किया जा सका है। अनेक स्थानों पर खम्भे डाले जा चुके हैं परन्तु उनको खड़ा नहीं किया गया है। इनमें हिम्मतनगर की ढाणी, नीम्बड़ी, चांदावतां, जैतपुरा, खुड़ी खुर्द, रेवत डूंगरावास, राणास, राजोद, गुन्दीसर, मौडरिया, बामणा दोगडी आदि प्रमुख है। कई ग्रामों में अनुसूचित जाति के मौहल्लों में, विद्युतीकृत होने के बावजूद बिजली नहीं पहुंची है। कई ग्रामों में विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी गयी है परन्तु घरेलू कनेक्शन अभी तक नहीं किये गये हैं जिससे ग्रामीण इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सके हैं। घरेलू कनेक्शन की फाइलें पर्याप्त मात्रा में भरी जा चुकी हैं परन्तु विभाग द्वारा अभी तक एस्टीमेट नहीं बनाया गया है तथा डिमाण्ड नोटिस नहीं जारी किये जाने से घरेलू कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं।

अतः आपके माध्यम से मैं माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु नीम्बड़ी कलां तथा बैरवा में 33 के. वी. के दो जी. एस. एस. बनवाने की स्वीकृति प्रदान करावें। छोटे ट्रांसफार्मरों की कमी है अतः छोटे ट्रांसफार्मर उपलब्ध करावें ताकि जहां पर लाइनें खिंच चुकी हैं वहां विद्युत आपूर्ति शुरू की जा सके एवं ग्रामीण जनता को इस बुनियादी सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : एक बार यह बिजनेस पूरा हो जाने दीजिये। एक बिजनेस जो

(श्री अध्यक्ष)

हाथ में लिया है Let it be completed. इसके बीच में गेप पड़ेगा। यह जो ले लिया है इसको पूरा हो जाने दीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसके बाद दो मिनट में हमारी बात....

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट नहीं, दस मिनट बोल लेना। पहले यह नियम 295 का बिजनेस कम्प्लीट हो जाय, फिर मैं सुन लूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, फिर इम्पोटेन्स खत्म हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : आपको सुन लूंगा। यह बिजनेस कम्पलीट हो जाय। यह हाथ में लिया है इसको कम्प्लीट हो जाने दीजिये।

बूंदी के स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष आर्थिक प्रावधान

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाड़ौती की जननी, वीर-वीरांगनाओं के शौर्य, त्याग एवं बलिदान तथा उत्सर्ग के लिये प्रसिद्ध तथा ज्ञान-विज्ञान में छोटी काशी के नाम से विख्यात बूंदी अगले जून-माह में अपना स्थापना दिवस बड़े शान-शौकत तथा विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमों के साथ व्यापक स्तर पर बड़े धूम-धाम से मना रहा है। बूंदी का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण, वैभवशाली आन-बान-शान वाला तथा शालीनतापूर्ण रहा है। बून्दी के इतिहास में कुम्भा, हाड़ीरानी, कवि सूर्यमल आदि का विशिष्ट स्थान है।

यहां का ज्ञान एवं विज्ञान, सभ्यता एवं संस्कृति, कला एवं साहित्य तथा यहां के लोगों की वैशिष्ट्यपूर्ण जीवन शैली, बन्धुभाव एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सौहार्द्र का अनुकरणीय वातावरण प्रस्तुत करते हैं।

यहां के भू-भाग का बड़ा हिस्सा पथरीला है जिसमें फर्शी एवं लाइम स्टोन का व्यापक खनिज भंडार है। साथ ही जो कुछ कृषि क्षेत्र उपलब्ध है उसके उत्पादन गन्ना तथा चावल ने उद्योगों तथा व्यापार को आमंत्रित कर देश में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। ए. सी. सी. सीमेण्ट फैण्टरी लाखेरी तथा केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल तथा कई अन्य शुगर मिल इसके उदाहरण हैं। इस जिले में उपलब्ध फर्शी, लाइम स्टोन तथा चावल एवं गन्ना कृषि उत्पादन यहां के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अरावली पर्वत श्रेणियों से अच्छादित होने के कारण यहां की प्राकृतिक छठा मनमोहक है जिसकी गोद में कई प्राकृतिक एवं रमणिक स्थान समाये हैं जो बराबर देशी एवं विदेशी पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। इनमें रामेश्वरम्, भीमलत, शीकार, बुर्ज, मीराजी की डूंगरी, ललवास दुगारी, आतरेदा, राजगढ़ सेन्चुरी, फूल सागर, इन्द्रगढ़ आदि प्रसिद्ध हैं। यहां के वैभवशाली विशाल किले एवं गढ़ स्थापत्य एवं भवन निर्माण तथा चित्रकला के अनूठे उदाहरण हैं। यहां पर प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ-स्थल इन्द्रगढ़ माताजी, कमलेश्वर महादेव, माला देवीगुफा, केशवराय पाटन मंदिर आदि स्थित है। इस प्रकार यहां पर

(श्री हीरालाल आर्य)

पर्यटन की दृष्टि से व्यापक सम्भावनाएं व्याप्त है।

लेकिन विडम्बना ही है कि व्यापक एवं विपुल सम्भावनाओं के बावजूद शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, विद्युत, सिंचाई, सड़कें, उद्योग आदि के क्षेत्र में बून्दी सभी तरह से एक पिछड़ा जिला है।

अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उद्योग, कृषि, व्यापार, पर्यटन, वन, खनिज तथा पशुपालन के क्षेत्र में विपुल सम्भावनाओं वाले बून्दी जिले के सर्वांगीण विकास के लिए बून्दी के स्थापना दिवस के स्वर्ण अवसर पर कीर्तिमान उपलब्धियां अर्जित करने हेतु विशेष आर्थिक प्रावधान उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम नाई।

श्री दिनेशकुमार की हत्या के अपराधियों को न पकड़ना

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्रस्ताव पेश कर निवेदन है कि सवाई माधोपुर निवासी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सेन की किन्हीं शरारती तत्वों ने दिनांक 9.10.91 को हत्या कर दी जिसे पांच माह बीत चुके हैं। इस सम्बन्ध में एफ. आई. आर. संख्या 267/91 थाना मान टाऊन, सवाई माधोपुर में दर्ज करवायी गयी। हत्यारा आज तक कानून की पकड़ में नहीं आ रहा है और पुलिस मौन धारण किये हुये है। इस हत्याकाण्ड से संबंधित मामले में श्री सुरेश तेली, सवाईमाधोपुर ने अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी जिला एवं सेशन न्यायालय, सवाईमाधोपुर में भी लगायी किन्तु खारिज कर दी गयी है।

अतः मेरे इस लोक महत्व के प्रस्ताव के जरिये मांग है कि उक्त जघन्य हत्या में लिप्त व्यक्तियों को पकड़ा जाकर कड़ी-से-कड़ी सजा दिलवायें ताकि भविष्य में ऐसा शर्मनाक एवं जघन्य अपराध नहीं घट सके एवं जनता में अमन चैन हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीचन्द्र कृपलानी.... (अनुपस्थित)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर।

गोचर भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान तथा झालावाड़ जिले में कई वर्षों से गोचरगाह की हजारों बीघा भूमि पर प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जे कर रखें हैं इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इसमें पटवारी, तहसीलदार व अन्य उच्च अधिकारियों की मिलीभगत रही है जिससे उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती है और न कब्जे हटाये जाते हैं। जब भी कोई मामला उठाते हैं तो केवल औपचारिकता निभाई जाती है। अभी तक कब्जे हटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी और पशुओं को खड़े होने के लिए एक इंच भूमि भी नहीं बची है। यही हालत सारे राजस्थान के जिलों में है। गरीब किसान, पशुपालक बहुत परेशान हैं। पशुओं को

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

चराने हेतु कोई जमीन नहीं है। इस पर गम्भीरता से विचार कर कड़ी कार्यवाही की जाय। मैं राजस्व मंत्रीजी और राज्य सरकार से मांग करता हूं कि गोचर भूमि से प्रभावशाली लोगों को बेदखल किया जाये ताकि गरीब किसानों को राहत मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, इस तहसील में चारागाह भूमि बेच भी दी गयी है। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कड़ी कार्यवाही करे और प्रभावशाली लोगों को बेदखल किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द गुर्जर.... (अनुपस्थित)

श्री नन्दकिशोर।

छबड़ा क्षेत्र में पेयजल समस्या

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : प्रक्रिया के नियम 295 के तहत छबड़ा क्षेत्र की पेयजल समस्या बावत निवेदन है कि छबड़ा क्षेत्र में छबड़ा व छीपाबड़ोद दो पंचायत समितियां हैं तथा 362 ग्राम हैं। अधिक आबादी गरीब आदिवासी, मीणा, लोधा, धानका, भील बन्जारों की है। कई पचायतें पहाड़ी क्षेत्र में हैं। पीने के पानी की कमी है। अभी भी कई ग्राम पीने के पानी से वंचित हैं, कई ग्रामों में हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। जहां हैण्ड पम्प नहीं हैं वहां हैण्ड पम्प लगाये जावें और पहाड़ी क्षेत्र में नदी-नलकूपों से पानी पहुंचाया जावे। गत वर्ष दो नल स्कीम निपानिया व बड़ावदा ऊंचा स्वीकृति हुई है पर अभी केवल एक ही शुरू हुई है, चौकी बढ़ावदा पार की स्कीम अभी शुरू नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि गर्मी का मौसम आ रहा है, जनता पानी से त्रस्त होगी, जब स्वीकृत हुए एक साल हो गया है तो फिर शीघ्र शुरू करावें। अतः चौकी बढावदा पार व निपानिया बढावदा ऊंचा की स्कीम को शीघ्र ही पूरा करने की कार्यवाही की जावे। चौकी में हैण्ड पम्प सफल ही नहीं होते हैं, जनता पानी के लिए बहुत परेशान होती है। मोखमपुरा, गोरधनपुरा तथा कोटड़ी जो वहां के बहुत बड़े ग्राम हैं, जलदाय योजना स्वीकृत की जावे तथा पहाड़ी क्षेत्र में जहां नदियां पास हैं वहां पानी मोटर से दिया जा सकता है। हैण्ड पम्प जो खराब हैं उन्हें ठीक कराया जावे। साल में दो बार सरकार हैण्ड पम्प ठीक कराती है पर ठीक नहीं रह पाते। पंचायत समिति को जो मिस्त्री सुधारने के लिए दिये गये हैं वह केवल बैठे रहते हैं, मेरा सुझाव है कि उन्हें विभाग को ही दे दिया जावे ताकि बारह मासियों से हैण्ड पम्प ठीक करा सकें। मेरा निवेदन है कि छबड़ा जो पिछड़ा क्षेत्र है, वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था शीघ्र कराया जाना सरकार का कर्तव्य है। छबड़ा नगर में भी एक और टंकी बनायी जावे क्योंकि आबादी अब 20 हजार के आस पास है। छीपाबड़ोद नगर में एक और ट्यूब वैल की आवश्यकता है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे यहां छबड़ा में गत छह माह से सहायक अभियन्ता और कनिष्ठ अभियन्ता की जगह खाली पड़ी है उसकी वजह से शहर में दो-तीन बार पानी की व्यवस्था बिगड़ चुकी है और झगड़े हो गये तथा हैण्ड पम्प सुधारने का काम भी अधूरा

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

पड़ा है, नये हैण्ड पम्प लगाने का काम अभी प्रारम्भ ही नहीं हुआ है। अतः निवेदन है कि सहायक अभियन्ता और कनिष्ठ अभियन्ता के पद शीघ्र भरें।

श्री अध्यक्ष : श्री मनीराम सियाग।

लूणकरणसर तहसील में बिजली के बिल जमा कराने की सही व्यवस्था न होना

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत लूणकरणसर तहसील में विद्युत विभाग द्वारा बिजली खर्चा वसूल करने तथा बिल जमा कराने में दूर-दराज के ग्रामीण उपभोक्ताओं को होने वाली भारी परेशानी के संबंध में मेरा यह प्रस्ताव है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर तहसील के क्षेत्र में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड उपखण्ड में विद्युत कर्मचारियों की कमी तथा उदासीनता के कारण दूर-दराज के ग्रामीणों को अपने विद्युत खर्चे के बिलों को जमा कराने में भारी दिक्कत आती है। कुछ गांवों में मीटर रीडर जाते ही नहीं, हैड क्वार्टर पर बैठे-बैठे ही बिल बनाकर किसी अनजाने व्यक्ति के साथ भेज देते हैं और वह बिल असली उपभोक्ता के पास पहुंच ही नहीं पाता जिससे काफी व्यक्तियों को रि-कनेक्शन के लिए नाहक परेशानी का सामना करन पड़ता है।

दूसरा, बिल की राशि से अधिक ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं को बस का किराया-भाड़ा भरना पड़ता है तथा अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ-तख्तपुरा, खारवारा, कृष्णानगर, रामनगर इत्यादि गांव लूणकरणसर से 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तक पड़ते हैं और बीच में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का एरिया पड़ता है। अतः उपरोक्त ग्रामों के ग्रामीणों को आने-जाने में दो दिन लग जाते हैं तथा इतने अधिक संख्या के बिलों की राशि भी एक दिन में जमा नहीं हो पाती। अगर ग्रुपों में भी गांव के आदमी बिल जमा कराने जावें तो उनको परेशान किया जाता है।

ग्राम शेरपुरा, रामबाग, जेतपुरा, सुई, दुलचासर, बखूसर, सेखसर, करनीसर, अमरापुरा, मनाफरसर इत्यादि गांव भी लूणकरणसर से 30 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यहां भी कच्चे रूट की बसों में आना पड़ता है, किराया-भाड़ा भी अधिक लगता है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के हैडक्वार्टर लूणकरणसर के अलावा कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहां बिल की राशि जमा करायी जा सके और 1979 से आज तक विद्युत विभाग ने किसी प्रकार के कर्मचारी, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के, नये नियुक्त नहीं किये हैं जिससे मेंटीनेन्स तथा वसूली के कार्य हेतु गांववार व्यक्ति उपलब्ध कराया जा सके।

उपरोक्त समस्त प्रकरण की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से प्रस्ताव करता हूं कि लूणकरणसर के बड़े-बड़े गांवों में एस. बी. बी. जे., एस. बी. आई. तथा अन्य ग्रामीण बैंकों की शाखाएं खुली हुई हैं, विद्युत

(श्री मनीराम सियाग)

विभाग की सिर्फ ग्रामीण बैंकों में अपने खाते खोलने हैं ताकि संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ता अपने बिलों की राशि नियत अवधि में जमा करा दें। इससे काफी राहत महसूस होगी तथा ग्रामीणों में नियत दिनों में राशि जमा कराने की आदत भी बनेगी और बिल जमा कराने में होने वाली फिजूल खर्च बचेगा तथा समय का सदुपयोग हो सकेगा। धन्यवाद।

कटावर तहसील अटरू के पास ट्रेक्टर ट्रोली उलट जाने पर दो व्यक्तियों की मृत्यु के बारे में

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, कटावर तहसील अटरू के पास ट्रेक्टर ट्राली उलट जाने पर दो व्यक्तियों की मृत्यु के बाद उनकी जेबों से 40,000) रुपये ट्रेक्टर ड्राईवर व उसके साथी द्वारा निकालने के संबंध में निवेदन है कि ग्राम रिछदा तहसील अटरू के श्री हरलाल व श्री रामलाल मीणा दोनों छीतर लाल पुत्र श्री उदा मीणा का ट्रेक्टर किराये पर लेकर सरसों बेचने गये थे। दिनांक 20-2-92 को जब सरसों बेचकर लौट रहे थे तो कटावर के पास योजनानुसार ट्रेक्टर ट्राली उलट जाने से हरलाल व रामलाल की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा उसमें गिरिराज नाम का व्यक्ति घायल अवस्था में जीवित निकाल लिया गया। उसको गांव के आस-पास के लोगों द्वारा खानपुर अस्पताल में पहुंचाया गया। ड्राईवर धनश्याम पुत्र श्री छीतर लाल व धनश्याम पुत्र श्री तुलसीराम दोनों मृतकों के पास ही रह गये। बाद में सरसों बेचने से प्राप्त 40,000) रुपये की राशि उपरोक्त दोनों घनश्याम, हरलाल व राम लाल की जेबों से निकाल कर फरार हो गये परन्तु पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। गांव की पंचायत में जबकि घनश्याम की मां व परिवारजनों ने इस बात को स्वीकार किया था कि हम राशि लौटा देंगे परन्तु राशि नहीं लौटाई और पुलिस भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। हरलाल व रामलाल के छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनके सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 40,000/- रुपये छीनने के लिए ट्रेक्टर को दुर्घटनाग्रस्त करवाया गया। इससे जानबूझ कर हत्या करने का सन्देह होता है। अतः इस हत्या की निष्पक्ष जांच की जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश आमनानी (अनुपस्थित)

श्री दयाराम परमार।

खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में 74 गांवों का विद्युतीकरण करने के संबंध में

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में कुल 234 राजस्व गांव हैं। उनमें से प्रथम चरण में 70 गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए एक स्कीम बनाई गई थी और उसमें से 60 गांवों का 1972 में विद्युतीकरण कर दिया गया और शेष 10 गांवो सोमकागदर परियोजना की डूब में आ गये। इसके बाद दूसरे चरण की स्कीम 1982 में बनाई गई उसमें

112

(श्री दयाराम परमार)

1000 गांवों को 5 वर्षों में विद्युतिकृत किया जाना था किन्तु आज तक 10 वर्षों का समय गुजर जाने के उपरान्त भी केवल 70 गांवों का विद्युतीकरण हो पाया है और शेष 30 गांव अभी तक अविद्युतीकृत हैं। लेकिन यह शेष रहे 30 गांव जनसंख्या की दृष्टि से छोटे-छोटे गांव हैं और इनकी आबादी भी बिखरी हुई है। इसलिए यह गांव नान पोटेन्शियल श्रेणी में आते हैं। जबकि 74 गांव जो स्कीम में नहीं हैं वह जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़े-बड़े गांव हैं, उनमें से 7 गांव पंचायत मुख्यालय के भी हैं और सभी सामूहिक बस्ती के गांव हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के शेष 74 गांवों का विद्युतीकृत करने के लिए एक नई स्कीम बनाई जाए ताकि निकट भविष्य में वहां रहने वाले लोगों को बिजली मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल मीणा।

श्री हीरालाल इन्दोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल मीणा है। आपका तो आज था ही नहीं। आपका स्थगन प्रस्तावों में बोला था, यह नियम 295 का है।

बोंली तहसील के ग्रामों में सिंचाई के साधन नहीं होने के संबंध में

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए निवेदन है कि तहसील बोंली के ग्रामों में सिंचाई के साधन नहीं होने से आये साल अकाल का सामना करना पड़ता है क्योंकि ज्यादा भूमि बारानी है। लगातार अकाल पड़ने से ज्यादातर परिवारों को रोजी-रोटी के लिए बाहर पलायन करना पड़ रहा है। आजादी के 45 वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार व जनता के चुने जाने वाले जन प्रतिनिधियों ने आज तक इस मर्म को नहीं समझा है। अब मजबूरन ग्राम कोडयाई, बोंली, भामडोली, पूनेता, गावैंदकला, सुन्दरपुर, हरसोता, हरसोती, गालखुर्द, थड़ी, खिरखड़ी, मेडोली, हनुथा, गालिया, पीपलवा, पुरागलाबसिंह, झुनन्‌, गूगडोद, लाखनपुरा, घाटा, नैनघाड़ी, मिस्किनपुरा, मित्रपुरा, मोरण, बोरखेड़ा, कुआगांव, कुशलपुरा, मुकुन्दपुरा, अलूदा, गादोता, देवता, खिरनी, बड़ा गांव सरवर, मेडोली, चेनपुरा वगैरह में सिंचाई की सुविधा नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तहसील बोंली के ग्रामों का मानचित्र दो नदियों के बीच है। उत्तर को मोरेल नदी व दक्षिण को बनास नदी है। परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि दो नदियों के बीच में रहते हुए भी हम प्यासे हैं और दोनों नदियों से तहसील की सीमा निश्चित है। वर्तमान में राज्य सरकार प्यासी जमीन व प्यासे को पानी पिलाने के लिए दो परियोजनाओं को मूर्त रूप दे रही है जिसमें सबसे बड़ी परियोजना बनास नदी पर बीसलपुर बांध का निर्माण व दूसरी परियोजना ईसरदा बांध का निर्माण है। दोनों बांधों से तहसील सवाई

(श्री हीरालाल मीणा)

माधोपुर, उनियारा, टौंक, निवाई के गांवों में सिंचाई के पानी उपलब्ध कराया जाएगा परन्तु हमारी बौंली तहसील का नाम नहीं है जो हर किसान के साथ धोखा है। हर किसान की परेशानी है कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी व हर वर्ष पड़ने वाले अकाल से किस प्रकार सामना करें।

अतः हम हमारी खुशहाली के लिए आपसे आशा करते हैं कि बीसलपुर या ईसरदा बांध, किसी से भी हमें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराये जाने की कृपा करें जिससे यहां के किसानों का पलायन रुक सके, साथ ही गरीबी से निजात पा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

अवैध वीडियो वाहनों का संचालन

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य का यातायात विभाग पिछले दो वर्षों से जिस तरह से पंगु है और राजनैतिक संरक्षण में माफिया गिरोह अवैध वीडियो वाहन का संचालन करते हैं, राज्य सरकार ने कान्ट्रेक्ट के आधार पर वाहनों का चलन जो अपने बजट में तय किया था, राज्य से बाहर दर्शनीय स्थानों को टूर प्रोग्राम बनाकर व अन्य प्रकार से एक ही काम के लिए ग्रुप में किसी व्यक्ति को जाने की यात्रा करने की छूट दी थी उसका टैक्स भी लगभग 300 रुपये प्रति कोच था या दस हजार रुपया महीना परन्तु बस संचालन में यदि यह बसें रूट परमिट की तरह चलती हो तो उनको 1100 रुपये रोजाना देना पड़ेगा। इस प्रकार इन रूटों पर अवैध वाहन वीडियो कोच के रूप में चल रहे हैं उनसे राज्य सरकार को प्रति रोज एक कोच के पीछे 800 रुपये का नुकसान केवल रोड टैक्स के रूप में होता है। राजस्थान की इस गुलाबी नगरी से अकेले इस शहर से 100 से ऊपर बसें अवैध वीडियो वाहन के रूप में रोजाना कन्ट्रेक्ट केरियर के रूप में रेगुलर सर्विस की तरह सवारियां ढोती हैं।

चन्द्रा ट्रेवल, सुनील ट्रेवल, जमींदार ट्रेवल, श्रीनाथ ट्रेवल, सेठी यात्रा कम्पनी इत्यादि पचासों कम्पनियों के कार्यालय स्टेशन रोड पर सिंधी केम्प बस अड्डे के पास स्थापित है। बसें भी यहीं खड़ी होती हैं। यात्रियों को सब के सामने अलग-अलग स्थानों के लिए जयपुर से ही बैठाती है। उदयपुर, बीकानेर, कोटा, गंगानगर हर जगह के लिए बसें चलती हैं। उन शहरों से भी दूसरे शहरों के लिए बसें आपस में चलती हैं। इस तरह राजस्थान के इन शहरों से यात्रियों को इधर से उधर ले जाती हैं। इन बसों की संख्या 500-600 से ऊपर है। पूरे राजस्थान में राज्य सरकार के पास चाहे कम रजिस्टर्ड हों, वास्तव में राजस्थान की सड़कों पर रात-दिन ये सवारी ढोती हैं। इन बसों की जगह राजस्थान रोडवेज की बसें चलाएं तो राज्य सरकार को रोजाना लाखों रुपयों का लाभ होगा, पर ऐसा इस सरकार के लिए सम्भव नहीं। सत्ताधारी लोग माफिया गिरोह के संचालकों के संरक्षक हैं। यदि इन काण्ट्रेक्ट बसों को परमिट देकर चलाया जाय तो भी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

राज्य सरकार को प्रति दिन रोड़ टैक्स के रूप में 5.50 लाख रुपये का फायदा होगा । राज्य सरकार को प्रति माह 1 करोड़ 65 लाख और प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये का केवल रोड़ टैक्स के रूप में लाभ होगा । राज्य सरकार को इस तरह बस चलाने वाले माफिया गिरोह के लोग एक बस का टैक्स देकर एक के बदले 2-5 बसें चलाते हैं और उसकी वसूली भी आधी ही हो पाती है । इन अवैध वाहनों की संख्या इतनी तादाद में बढ़ी है कि आज सैकड़ों की तादाद में हैं । बड़े-बड़े उच्चाधिकारी और राजनेता इसके संचालन में आ गये हैं । नौकर-चाकर उनके वाहनों को चलाते हैं, इसीलिए ये सरेआम चलती हैं । राज्य सरकार को चिन्ता हो तो ये फौरन बन्द हो सकती हैं । चुनावों में बड़ी रकम देने वाले ये अवैध वाहनों के मालिक सत्ताधारी लोगों तक पूरी पहुंच रखते हैं । यातायात विभाग के अधिकारी तो केवल खानापूर्ति करते हैं । कुछ दिन पहले तो चैकिंग का ड्रामा किया जाता था, अब वह भी बन्द हो गया है । राज्य सरकार के इस बहुत बड़े आर्थिक स्रोत को मिलकर लूटा जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी ।

चित्तौड़गढ़ स्थित भोपाल सागर शुगर मिल द्वारा किसानों का शोषण

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित भोपाल सागर शुगर मिल द्वारा किसानों का शोषण किये जाने की ओर दिलाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले में भोपालसागर मिल जो पिछले कई वर्षों से बन्द थी पिछले वर्ष प्रारम्भ होने से काश्तकारों को काफी सन्तोष हुआ । किन्तु भोपालसागर मिल के प्रारम्भ होने के बाद जो काश्तकारों को सुविधा मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पायी तथा किसानों को तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।

भोपालसागर मिल में किसानों के पिछले वर्षों से लाखों रुपये बाकी हैं, अब तक बकाया चल रहे हैं । उन्हें बैंक ब्याज सहित दिलाया जाय तथा भविष्य में किसी प्रकार की बाकी न रहे, इस बात की गारण्टी सरकार को देनी चाहिए । गत वर्ष जो भाव गन्ने का दिया जा रहा था वही इस वर्ष भी दिया जा रहा है जो किसानों के साथ अन्याय है, जबकि खाद में 30 प्रतिशत, डीजल में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसी तरह बिजली, दवाई, मजदूर सभी को मिलाकर औसत खर्च 30 प्रतिशत तक बढ़ गया है । गन्ने का भाव भी इसी अनुपात में बढ़ना चाहिए । शक्कर नकद में बिकती है इसलिए गन्ने का भुगतान भी प्रति सप्ताह हर हालत में होना चाहिए ।

मान्यवर, किसानों को अपना हक पाने का अधिकार है । किसानों का शोषण इस देश का शोषण है । इस कर्तव्य को समय रहते पहचानना जरूरी है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें ताकि चित्तौड़गढ़ जिले के किसानों को राहत मिल सके।

श्री कृष्णकुमार गोयल (उद्योग मंत्री): नियम 295 में जो ध्यान आकर्षित किया है माननीय सदस्य ने, उसका उत्तर दे दूं अगर आपकी अनुमति हो ?

श्री अध्यक्ष : कहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस शुगर मिल के सम्बन्ध में गन्ने के मूल्य न चुकाने के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उसकी वस्तुस्थिति यह है कि यह एक सिक मिल थी। बी. आई. एफ. आर. में जाने के बाद इसको रीहैबिलिटेट किया गया है। लेकिन उसके बाद भी निश्चित रूप से जो शुगरकेन कण्ट्रोल आर्डर है उसकी पालना उसको करना परम आवश्यक है। उसके अनुसार किसानों को गन्ने का मूल्य 15 दिन के अन्दर देना चाहिए। अगर नहीं देता है तो उसका ब्याज देना आवश्यक है। यह तो ठीक नहीं है कि गत वर्ष का गन्ने का पैसा बाकी है। वह चुकारा हो गया है। लेकिन इस वक्त का....

श्री श्रीचन्द कृपलानी : काफ़ी लोगों का बाकी है। मैंने खुद कलक्टर को लिखकर भेजा है अभी चार रोज पहले।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लेकिन इस बार के लिए कलक्टर, चित्तौड़ को टेलीग्राफिकली और लैटर द्वारा कह दिया गया है कि असेंशल कामोडिटी एक्ट के तहत यह शुगर कण्ट्रोल आर्डर बना है, उसके तहत वे आवश्यक कार्यवाही करें, अगर वह गन्ने का पेमेण्ट नहीं दे तो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आपने तो कह दिया और मैंने भी लिखकर कलक्टर को दिया, लेकिन....

श्री अध्यक्ष : अब बाद में कर लेना यह बात आप। श्री फूलचन्द गुर्जर।

नीम का थाना व कोटपूतली क्षेत्र की खानों के आवंटन व उसके बाद हुई अनियमिततायें

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान नीम का थाना व कोटपूतली की कई खानों के आवंटन व उसके बाद हुई अनियमितताओं की ओर नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये आकर्षित करना चाहता हूं।

नीम का थाना में रामपुरा बेगा की नांगल गांव के निकट लाइम स्टोन की दस वर्ग किलोमीटर की लीज मैसर्स लकी मिनिमेट को अप्रधान खनिज रियासत नियमावली के अन्तर्गत गजट में प्रकाशित किये जाने जैसी अहम् शर्त में शिथिलता बरतते हुए आवंटित की गयी। राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर किसी भी नियम में शिथिलता बरत सकती है, किन्तु यह अधिकार विशेष परिस्थितियों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। चूंकि इस क्षेत्र को आवंटित किये जाते वक्त ऐसी कोई

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

विशेष परिस्थिति नहीं थी कि राज्य सरकार को नियमों में शिथिलता देने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह तो मात्र रिश्वत के लेनदेन व कुछ दीगर व्यक्तियों को राजनीतिक लाभ देने की नीयत से किया गया।

इस लीज को स्वीकृत किये जाते वक्त सरकार ने यह शर्त लगायी थी कि इस क्षेत्र से खनन किया गया समस्त माल मैसर्स केशोराम सीमेण्ट को विक्रय किया जाएगा। चूंकि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से केशोराम सीमेण्ट चल नहीं पायी अत: इस लीज की स्थिति स्वमेव शून्य हो गयी। किन्तु पार्टी ने क्षेत्र में खनन किया माल अन्य लोगों को बेचना शुरू कर दिया जिसका कि अधिकार उसको नहीं था।

तत्पश्चात् राज्य सरकार ने अपने आदेश 21/82/527 दिनांक 25.5 1985 के द्वारा इसी क्षेत्र की प्रधान खनिज नियमावली के अन्तर्गत भी लीज स्वीकृत कर दी। अर्थात् एक ही क्षेत्र के दो-दो पट्टे स्वीकृत कर दिये गये। चूंकि उक्त क्षेत्र पूर्व में प्रधान खनिज नियमों के अन्तर्गत धारित हो चुका था, अत: पुन: आवंटन से पूर्व गजट में अधिसूचित किया जाना आवश्यक था। किन्तु इस तथ्य को जानबूझकर अनदेखा किया गया। प्रधान खनिज नियमों व अप्रधान खनिज नियमों में लाइम स्टोन की दरों में भारी अन्तर है। पार्टी इस क्षेत्र में अप्रधान खनिज नियमों के अन्तर्गत बेचे जा रहे माल की भी प्रधान खनिज नियमों में रायल्टी चुका कर सरकार को चूना लगा रही है। वस्तुतः अप्रधान खनिज नियमों में स्वीकृत लीज केशोराम सीमेण्ट के प्रभावी न होने की वजह से स्वमेव शून्य हो चुकी है तथा प्रधान खनिज नियमों में स्वीकृत लीज गजट में अधिसूचित न किये जाने की वजह से अवैध है। इसलिए इस क्षेत्र से पार्टी द्वारा खोद कर ले जाया गया व खोदा जा रहा माल अवैध खनन की श्रेणी में आ जाता है तथा विभागीय नियमों के अनुसार विभाग मूल्य का 25 गुना कीमत प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। पार्टी ने पिछले 15 वर्षों में क्षेत्र से प्रति वर्ष लगभग तीन करोड़ रुपये मूल्य का माल बेचा है। अत: पार्टी से उक्त मूल रकम मय ब्याज व पैनल्टी के वसूल किये जाने योग्य है।

इसी के नजदीक एक अन्य क्षेत्र जो पूर्व में मैसर्स केशोराम सीमेण्ट को आवंटित किया गया था, पुन: आवंटन के लिए पिछले 15 वर्षों से गजट में अधिसूचित होने के लिए निदेशक कार्यालय द्वारा रोक कर रखा गया है। चूंकि इस क्षेत्र को पुन: आवंटित किये जाने पर मैसर्स लकी मिनिमेट की क्षेत्र में मोनोपोली टूट जाती है, अत: इसकी फाइल को निदेशक महोदय द्वारा जानबूझकर अनावश्यक कारणों से इधर से उधर ठण्डे बस्ते में हस्तान्तरित किया जा रहा है। यदि इस क्षेत्र को 1976 में ही 300 × 300 मीटर के क्षेत्रों में विभक्त कर पुन: आवंटित कर दिया जाता तो सरकार को प्रति वर्ष कम से कम दो करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होती, जिससे सरकार को वंचित रहना पड़ रहा है।

नीम का थाना के ही खोखरा गांव के निकट एक लाइम स्टोन का खनन पट्टा

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

हाइड्रेटेड लाइम का प्लाण्ट लगाने हेतु मैसर्स बैस्ट लाइम एण्ड केमिकल वर्क्स को आवंटित किया गया । चूंकि पार्टी का हाइड्रेटेड लाइम का प्लाण्ट फेल हो गया, इसलिए इस क्षेत्र की स्थिति भी स्वमेव शून्य हो चुकी है। किन्तु राज्य सरकार इसको निरस्त करने पर कोई ध्यान नहीं दे रही है बैस्ट लाइम द्वारा अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर आस पास के क्षेत्रों के नीचे के कर्मचारियों से मिलीभगत कर अवैध खनन किया जा रहा है। कई अधिकारी भी इस तथ्य को जानते हैं किन्तु वे जानबूझकर मौन हैं क्योंकि यह पार्टी राजनैतिक व आर्थिक रूप से सशक्त है।

ग्राम करजो तहसील नीम का थाना के निकट एक मार्बल प्लाण्ट के लिए आवेदन किया गया : उक्त आवेदन स्वीकृत हो उससे पहले ही क्षेत्र से अवैध खनन आरम्भ कर दिया गया। उक्त आवेदन के अस्वीकृत किये जाने व उस पर किये डिवीजन को स्वीकृत किये जाने तक पार्टी लाखों रुपये का माल बिना रायल्टी ले जा चुकी है। आज भी यहां खान चलाये जाने के प्रमाण मौजूद हैं, किन्तु खनिज विभाग के रिकार्ड के अनुसार इस क्षेत्र का पट्टा कभी स्वीकृत ही नहीं किया गया। अत: उक्त मामलों की शीघ्र जांच करवाया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार की कई अन्य और अनियमितताएं है जिनके कारण उस भाग में बड़ा नुकसान हो रहा है। अत: मैं मांग करता हू कि नियम 295 के तहत पूरे प्रकरण की जांच करवा कर आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : डा. हरिसिंह। पहले ही बहुत लम्बा पढ़ा है। डा. हरिसिंह, आप क्या कह रहे थे।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने तथा मेरे कुछ साथियों ने नियम 119 का सब्स्टेंटिव मोशन दे रखा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको काफी समय हो गया है। बड़ा महत्वपूर्ण मोशन है। उस पर आप व्यवस्था दें और उसको आप लगायें। दूसरा हमने एक विशेषाधिकार का भी दे रखा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में नियम 127 के तहत आपने कह दिया था कि यह लग जायेगा। तो वे तीनों अगर आप लगा दें, अध्यक्ष महोदय, तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : विराजें। कल्ला साहब, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय एक तो मुझे यह कहना था, इनके साथ मैंने नियम 127 के तहत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय पर चर्चा का जो नोटिस दिया है, उसके बारे में आप समय उपलब्ध कराने की कृपा करें। दूसरा, माननीय मंत्री श्री रमजान खां से सम्बन्धित नियम 119 का जो प्रस्ताव है, उसके बारे में। इसके अलावा, एक मेरा काल-अटेंशन मोशन दिया हुआ है सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इसको तुरन्त लगवायें।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें, इन्दोरा जी।

श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

50 के अन्तर्गत पटवार ट्रेनिंग स्कूल के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : इसका फैसला पहले हो जाय। मिक्स मत करिये। अध्यक्ष महोदय, नियम 127 व 119 तथा प्रिविलेज मोशन के बारे में हमारा धैर्य जरा विचलित हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा सा धैर्य और रख लो। हां, आप बोलिये, इन्दौरा जी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपने उसको जानकारी के लिये भेजा है। जानकारी सारी मेरे पास है विभाग की जब-जब भी विभाग से इस सम्बन्ध में सर्कुलर निकले। आप चाहें तो मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसा है कि आप 24 घण्टे का टाइम दे दीजिये। 24 घण्टे में जवाब बराबर आने लगा है। नहीं आयेगा तो मैं बुला लूंगा आपको।

आपने जो अभी उठाया है, मैं इन तीनों को ही एग्जामिन कर रहा हूं और बहुत जल्दी इसकी व्यवस्था दे दूंगा। 127 के बारे में भी और 119 के बारे में भी।

आप क्या कह रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : मेरा नियम 131 में वाटिका से ढाबीच रोड़ का मामला है।

श्री अध्यक्ष : वह आप मुझ से मिल लेना। आप बात कर लेना।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर डिबेट हुई है शायद यहां पर। ऐसा नहीं है कि कभी डिबेट नहीं हुई है। "71 दिसम्बर में ...

श्री अध्यक्ष : उसको एग्जामिन कर रहा हूं। मुझे यह भी पता है कि पहले आप जब सदस्य थे तो आपने दो यूनिवर्सिटियों के खिलाफ मामले उठाये थे और डिस्कशन हुआ है। I have gone through that. आपके नाम से ही है और मैंने देखे हैं। इसलिए मैं एग्जामिन कर रहा हूं। एग्जामिन करके उस पर निर्णय कर दूंगा।

समिति का प्रतिवेदन

नियम उप समिति

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री हीरालाल आर्य, संयोजक, नियम उपसमिति।

श्री हीरालाल आर्य (संयोजक, नियम उपसमिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं संयोजक, नियम समिति 1991–92 की उप समिति, नियम समिति द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

याचिका समिति

श्री कालीचरण सराफ (सभापति, याचिका समिति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, याचिका समिति 1991-92, समिति का छठां, सातवां व आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश गुप्ता ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना अन्तर्गत नियम 158 राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत की गई थी सदन की जानकारी के लिए। वह छोटा सा है। मैंने तथा अन्य 10 माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव किया था ...

श्री अध्यक्ष : आप तो उस प्रस्ताव को उपस्थापित कर दीजिये । बाकी उनको आगे देख लेंगे ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : "उसमें विधान सभा अध्यक्ष दस्तावेजों की हेराफेरी व जालसाजी के प्रकरण में खुद लिप्त हैं और इस रूप में दिग्विजयसिंह ग्रुप की मुलजिमों की पार्टी के साथ वे भी मुलजिम हैं", "अध्यक्ष तो खुद फोरजरी,जालसाजी में शामिल हैं, वह फैसला करेगा ही नहीं", ऐसा आरोप माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास ने अध्यक्ष महोदय, दिग्विजय सिंह ग्रुप और उनके माध्यम से सदन पर लगाया था। इस विशेषाधिकार के उल्लंघन के प्रस्ताव को माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा विशेषाधिकार समिति के समक्ष भेज दिया गया था । विशेषाधिकार समिति ने अपना प्रतिवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपके द्वारा वह सदन की टेबल पर रखा गया और दो दिन पूर्व मेरे प्रस्ताव पर आज यह विचारार्थ रखा गया है।

श्री अध्यक्ष : आज उपस्थापित करिये आप ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : इस बारे में डिटेल में नहीं जाकर समिति का निष्कर्ष मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप केवल प्रस्ताव उपस्थापित करिये । जब विचार होगा तब आपको बोलने का मौका दूंगा, और अन्य माननीय सदस्यों को भी दूंगा । I will hear it. फिर हाउस का सैंस होगा । इसलिए आप केवल प्रस्ताव....। बिजनेस लिस्ट में आज ही आया है । पहले बिजनेस लिस्ट में नहीं था, आपने सूचना मात्र दी थी । अब आप बिजनेस लिस्ट में आने के बाद उपस्थापित करिये । अपना प्रस्ताव बोल दीजिये ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, क्या विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन पहले भी सदन में डिस्कस किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : वह तो विचार होगा ना । आप प्रस्ताव को उपस्थापन कर दीजिये ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आधे घण्टे की आपने चर्चा रखी है ।

श्री अध्यक्ष : आप पहले प्रस्ताव को उपस्थापित कर दीजिये ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रेस कांफ्रेंस में दिये गये साक्षात्कार के समाचार जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार हनन के प्रश्न से सम्बन्धित समिति का तृतीय प्रतिवेदन, जो दिनांक 16 मार्च, 1992 को सदन में उपस्थापित किया गया था, पर विचार किया जावे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अब इस पर चर्चा करने के लिये मैं डेट तय कर दूंगा। उस वक्त आप अपने विचार इस पर (व्यवधान) अब मैं जो कह रहा हू, वह मानेंगे कि नहीं ?

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के सर्वेधारियों को भूखण्ड आवंटित करने एवं उक्त बस्तियों में रह रहे लोगों को जन-सुविधा उपलब्ध कराना

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री राजपाल सिंह शेखावत नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के लोगों द्वारा नारकीय जीवन व्यतीत करने के बावजूद सरकार द्वारा न तो आवंटन की कार्यवाही करने, न सरकार द्वारा उनको मौलिक....

श्री अध्यक्ष : पहले आप ध्यान आकर्षित कर दीजिये। उनका वक्तव्य आने के बाद आप सवाल करियेगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : इस बारे में मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई जन-सुविधाएं एवं भूखण्ड आवंटन, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्माण कार्य कराये गये। इसकी स्थिति निम्न प्रकार है :–

(12.59 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राज्य सरकार के निर्देशानुसार कच्ची बस्तियों के निवासियों को स्थाई रूप से बसाये जाने के सम्बन्ध में सर्वप्रथम इनका सर्वेक्षण जिलाधीश, जयपुर द्वारा वर्ष 1971 में करवाया गया था। उक्त सर्वेक्षण के फलस्वरूप 73 कच्ची बस्तियां सर्वेक्षित हुई जिनमें 15,163 परिवार निवास करते थे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिलाधीश, जयपुर द्वारा पुनः अक्टूबर, 1981 में कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण करवाया गया था। इस सर्वेक्षण में पूर्व की सर्वेक्षित एवं नवीन सर्वेक्षित बस्तियों में 27,653 परिवार अंकित हुए। इस प्रकार 142 कच्ची बस्तियों में 1971 व 1981 में सर्वेक्षण में 43,816 परिवार अंकित हुए।

(श्री भंवर लाल शर्मा)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मेरा जो लिखित वक्तव्य है वह कई बिन्दुओं पर प्रकाश डालता है। उसको पूरा पढ़कर मैं सदन का समय न लेकर कुछ मुख्य बिन्दुओं पर अपनी बात कहना चाहता हूं। यह कच्ची बस्तियों की समस्या केवल जयपुर में ही नहीं है....

श्री कालीचरण सराफ : आपके वक्तव्य की एक कापी हमें दे दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, वह मैं भिजवा दूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जयपुर तक सीमित है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप चाहेंगे तो कापी दे दूंगा। मैं आपको इसकी प्रति भेज दूंगा। लेकिन जो मुख्य समस्या है जैसा मैंने निवेदन किया कि यह केवल जयपुर शहर की ही नहीं है राजस्थान के बड़े हिस्से में यह समस्या है। क्योंकि आपका प्रश्न केवल जयपुर के लिए है इसलिए मैं जो अपना कथन है वह यहीं तक सीमित रखूंगा और कुछ बातें ऐसी हैं जो नीतिगत हैं वह भी रखूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है, उसके साथ-साथ जयपुर शहर के आस-पास में रहने वाले लोग धीरे-धीरे जयपुर में व्यवसाय करने जब आते थे, वापस जाना उनके लिए कठिन था। उन्होंने 1971 से पहले ही जहां उनको जगह मिली वहां उन्होंने अपना स्थान बना लिया। एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि न तो उनको हटाया जा सकता था न उनको उस तरह से बसाया जा सकता था। इसलिए 1971 में सरकार ने निर्णय लिया कि इस समय तक जिन लोगों ने भू-खण्डों पर कब्जा कर लिया है उनकी गणना की जाय और उनको नियमित रूप से बसाने के लिए योजना बनाई जाय और इसी के परिणामस्वरूप 1971 में यह सारे अंकित किए गए। उसके बाद भी यह प्रक्रिया चलती रही। 1971 के बाद सर्वेक्षित नहीं बसे, उनको ठीक से नहीं बसाया जा सका, समस्या का समाधान पूरा नहीं हो पाया और वह समस्या बनी रही। लेकिन पहले जो प्रवेश था, एनक्रोचमेंट किया हुआ वह होता रहा और फिर समस्या सरकार के सामने खड़ी हो गई। फिर दुबारा 1981 में सर्वे करवाया गया और सर्वे के आधार पर वहां उन लोगों को बसाने के लिए योजना बनाई।

उसके बाद, यह आप सब माननीय सदस्य जानते हैं कि जो लोग आकर बस गए वह किसी योजना से नहीं बसे, न तो कोई प्लानिंग थी कि सड़क कहां रहेगी, सामान्य सुविधाएं कहां रहेंगी इनकी चिन्ता किए बिना जिनको जहां जगह मिल गई, उन्होंने वहां अपना स्थान बना लिया और रहने लग गए। आज स्थिति यह है कि 1981 के बाद भी यह काम रुका नहीं और धीरे-धीरे ऐसी स्थितियां बढ़ते-बढ़ते ऐसी बढ़ गई कि जहां 1981 के बाद भी लोग आज बैठे हुए हैं। अब इसमें सरकार ने प्रयत्न किया वह यह किया कि 1971 और 1981 के जो सर्वेधारी थे उनको बसाया जाय। कई स्थानों पर तो जो लोग रहने वाले थे

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उनके पास जमीन कम है। वहां पर तो यह तय किया गया कि उनको अगर बसाना ही है तो उनको उन स्थानों को छोड़कर जहां भी अन्य स्थानों पर उनको बसाया जा सकता है बसाया जाय। इस पर भी कुछ लोग राजी हुए, कुछ राजी नहीं हुए और उनका आग्रह यह रहा कि जहां हम आज बसे हुए हैं हमको वहीं रखा जाय। स्थान कम और संख्या ज्यादा यह प्राब्लम बनी रही। एक बार तो यह भी हुआ जब पट्टे काट कर इनको अलाटमेंट किया गया तो उस अलाटमेंट में यह समस्या बनी रह गई कि 'ए' स्थान पर यदि 'ए' रह रहा है और उसकी जमीन थोड़ी ज्यादा है, जो सर्वेधारी है, उसको मिलनी चाहिए उससे अधिक भू-खण्ड उसके पास है तो फिर 'बी' को भी अलाट कर दिया गया और परिणाम यह हुआ कि कब्जा तो 'ए' का और अलाटमेंट 'बी' को भी हो गया तो 'ए' भी नहीं हटा और क्योंकि 'बी' को वहां अलाट हो गया, अलाट होने के बाद वह भी नहीं हटा, उसने भी अपना स्थान नहीं छोड़ा और जब दबाब आया और यह प्रक्रिया अपनाई गई तो कुछ लोग न्यायालय में चले गए और न्यायालय में जाकर स्टे मिल गया और यह आग्रह किया हम जहां हैं हमको वहीं बसाया जाना चाहिए और जितनी जमीन है वह हमको दे दी जाय। इस कारण से भी इस समस्या ने एक बहुत बड़ा रूप धारण किया हुआ है। इसके कारण से न वहां सड़क बन सकती है, क्योंकि सड़क पर मकान बने हुए हैं, न और कोई योजना बन सकती है। यह समस्या मैं यह मानता हूं कि आज भी हमारे सामने मुंह बाये खड़ी है। लेकिन अब जिस प्रकार का वातावरण बना है, मैं जयपुर शहर के बारे में विशेष कर कहना चाहता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं और जिनकी जानकारी में भी है कि अगर इन लोगों को यह विश्वास हो जाय यदि हमको यहां से हटाकर दूसरी जगह बसा दिया जायगा तो उनके अनुकूल होगा तो उन स्थानों से भी हम इनको हटाने के लिए तैयार कर सकते हैं।

ऐसी जयपुर शहर में एक कालोनी है व्यास कालोनी। उस व्यास कालोनी की स्थिति यह थी, जैसा मैंने वर्णन किया वहां पर नागरिकों से मैंने अपील की, उनके साथ बैठकर विचार किया और उनको यह कहा कि यदि इस सड़क पर आपके मकान हैं इस पर यदि इनको नहीं हटाया गया तो आप क्या आपकी आगे आने वाली पीढ़ी इस संकट से त्रस्त रहेगी और वहां आगे विकास नहीं होगा। मैं वहां के नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने मकान तोड़े और मकान तोड़कर सड़क के लिए जगह दी। आज वहां काफी प्रगति पर है, बस्ती प्रगति पर है। जैसा मैंने पिछले दिनों सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि समस्या को आगे आने वाले एक वर्ष में कच्ची बस्तियों की जो समस्या है सरकार इस पर एक पूरे वर्ष भर इन कच्ची बस्तियों के काया-कल्प का ही कार्यक्रम लेकर चलेगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे जो माननीय विधायक हैं, जन-प्रतिनिधि हैं और जो लोग हैं वह यदि नागरिकों को समझाने में सरकार को

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सहयोग करेंगे तो मेरा विश्वास है.... (व्यवधान)....

श्री हीरालाल इन्दौरा : किनको समझाने में ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जिन नागरिकों ने कब्जा कर रखा है, जो वहां बसे हुए हैं उन लोगों को व्यवस्थित रूप से बसाने के लिए कुछ अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा अगर वह सहयोग हो, मुझे लगता है कि जिस प्रकार का आज वातावरण है उसमें यह सम्भव हो सकेगा। मैं इस समय इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या के समाधान के लिए यह पूरा वर्ष हम लगायेंगे और उन व्यक्तियों का हक है, यह भी मेरी जानकारी में लाया गया है कि 1971 में जो व्यक्ति वहां रह रहे थे और किसी कारण से उनका नाम सर्वे में नहीं आया, 1981 में भी जो रह रहे थे उनका भी नाम किसी वजह से रह गया। तो सरकार यह कोशिश भी करेगी कि 1971 के वहां के निवासी हैं और जिन लोगों का सर्वे में नाम नहीं आया और इस प्रकार के अधिकारी हैं और न 1981 के सर्वे के आधार पर वह किसी भी प्रकार से अधिकृत हैं उनका किसी वजह से हक खत्म हो गया, नाम नहीं आ पाया है उनकी भी जांच करवा कर, यदि वह उसके हकदार हैं और उनको भी जैसे 1971 के पहले के लोगों और 1981 के पहले के लोगों को जिस तरह से सुविधाएं दी हैं, जो अधिकार दिए हैं वह अधिकार भी उनको देंगे।

इसी तरह से जो सामान्य सुविधाएं हैं कितना पैसा इस एक वर्ष में हम दे पायेंगे वह तो कहना कठिन है लेकिन सामान्य सुविधाओं के लिए सरकार प्रयत्न करेगी और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के इस पुनीत अभियान में, जहां गरीब पता नहीं किस तरह से ऐसे दूषित वातावरण में रह रहे हैं, न कोई वहां बैठने की जगह है, न कोई खेलने की जगह है, न वहां नाली हैं, न सड़कें हैं, ऐसी स्थिति में बस गए हैं उनमें यह अगले आने वाले एक वर्ष में हम सब लोग मिल कर तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, मेरा तो भरोसा है कि इस एक साल के कार्यकाल में....

श्री सम्पतसिंह (नगर) : श्री कालीचरणजी सराफ मंत्री बनेंगे तब समस्या खतम होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक साल के कार्यकाल में सर्वधारी....(व्यवधान)....

श्री हीरालाल इन्दौरा : कहां-कहां समस्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातें कह रहे हैं ना।

श्री कालीचरण सराफ : हमें पूछ लेंगे यह सब। सक्षम हैं हम।

श्री भंवरलाल शर्मा : कह रहा हूं, आप जो फरमा रहे हैं उन समस्याओं से मैं परिचित हूं। अभियान चलायेंगे और समस्या और भी खड़ी हो सकती है पर प्रश्न यह है कि इन समस्याओं का समाधान करके लोगों को

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ठीक तरह से बताया जा सके और जिनका हक है उनको हक मिल जाय और वह अच्छे नागरिक की तरह जीवन व्यतीत कर सकें इस दिशा में सरकार अगले वर्ष को इन कच्ची बस्तियों के काया-कल्प के रूप में बनाने जा रही है।

मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप भी इसमें जुड़ें और बिलकुल प्लान्ड वे में सारी सुविधा युक्त बस्तियां बसाये जाने में सहयोग करें तो एक बड़ा अच्छा काम होगा।

मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूं। हमने जो विकास के काम किये हैं पुस्तक में भी जो हमने विवरण दिया है वह लिखा हुआ है उसको बताना केवल दोहराना ही होगा जो काम किये हैं आपको मालूम है। बहुत काम पुराने बाकी है अगर उन तमाम कार्यों में जब तक जन सहयोग नहीं होगा, हम सड़क बनाना चाहते हैं, सड़क पर मकान आ गया किसी का उसको तो निवेदन ही करना होगा और उसको किसी दूसरी जगह जाना ही जाना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि अगर सरकार का यह प्रयत्न रहेगा तो हम लोगों को इस बात के लिये सहमत करा लेंगे इन समस्याओं का समाधान हम कर लेंगे। मैं इस समय इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजपालसिंह शेखावत।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनी-पार्क) : उपाध्यक्ष महोदय, "मेरे महबूब ने वायदा किया पांचवें दिन का किसी से सुन लिया होगा कि आज आखरी दिन है" कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में बात होती है, गरीबों की रहनुमाई के बारे में बात होती है। गरीबों के लिए कांग्रेस वोट लेती है, वोट लेने की कोशिश में कभी पीछे नहीं रहती।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कांग्रेस ने जितने काम किये हैं, किसी ने किये नहीं।

श्री हीरालाल इन्दोरा : कांग्रेस ने आपको जिता....(व्यवधान)

श्री राजपालसिंह शेखावत : कल्लाजी सुन लीजिए। मैं आपका....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सलटा जाते तो आज हम काहें को कहते। आपने कुछ किया ही नहीं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उजलाजी आप बोलेंगे नहीं क्या बाद में ?

श्री राजपालसिंह शेखावत : 1971 में सर्वे करवाया कांग्रेस की सरकार ने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 1981 में सर्वे करवाया कांग्रेस की सरकार ने मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मंत्रीजी ने बताया कि 1971 और 1981 के बाद में 142 कालोनियों के अन्दर, 142 बस्तियों के अन्दर 42816 परिवार सर्वेधारी माने

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

गये । 42 हजार परिवारों में से आपने अभी 50 प्रतिशत लोगों को कब्जे दिये हैं, 20 साल के दरमियान आपने ऐसा किया है । इसके बारे में माननीय कल्लाजी क्या कहना चाहेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, हमने पट्टे दिये है । इन्होंने एक भी पट्टा नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन को इंगित करिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन्होंने गरीबों को बेघरबार कर दिया । एक पट्टा नहीं दिया बी जे पी की सरकार ने गरीबों को बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेट ग्रान्ट एक्ट में...

श्री राजपालसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के राज्य के दिये गये पट्टे यह रहे कब्जा भगवान जाने कहां है । कब्जा आपके पास रख लिया होता तो ज्यादा ठीक होता । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस तरह बहस में नहीं पड़ना चाहता कि गरीबों के नाम पर किसने कितनी रोटी कमाई और किसने कितनी रोटी खाई । मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि गरीबों के नाम पर कांग्रेस ने जो किया वह कांग्रेस ने भुगत लिया गरीबों के लिये सचमुच संवेदनशील.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : अब आप भुगतेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : जो कह रहे हैं सुनिये ।

श्री राजपालसिंह शेखावत : हम नहीं करेंगे तो हम नहीं भुगतेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने भुगते जाने की चिन्ता पर इतने परेशान है लोग । मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहूंगा । मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं दो साल से हमारी सरकार आई । दो साल के अन्दर अलाटमेंट की प्रक्रिया और धीमी हो गई । कांग्रेस ने कुकर्म किया खुद स्वीकार कर रहे हैं, अपने कुकर्म के भुगतने की बात भी कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि आवंटन की रफ्तार जो पहले हुई । 42 हजार सर्वे-धारी लोग, जिसे सरकार ने खुद ने स्वीकार किया उसमें से 23 हजार लोगों को हम कब्जा दिला पाये 1971 का सर्वे, 1981 का सर्वेधारियों में 50 प्रति-शत लोगों को कब्जा दिला दिया तो स्थिति बहुत ज्यादा खुशगवार नहीं है और इस नाखुशगवार स्थिति के अन्दर भी हम लोग दो साल के अन्दर आवंटन की स्थिति को देखें तो वह आवंटन किये दो साल के अन्दर 1990–91 में 23 आवंटन हुये हैं परिवारों को और 1991–92 में 65 आवंटन हुये हैं... (व्यवधान) मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि कच्ची बस्ती की समस्या पैदा कैसे हुई, क्यों हुई ? क्या जरूरत थी 1971 का सर्वे करवाने की, क्या जरूरत थी 1981 का सर्वे करवाने की, क्या जरूरत थी उनका रेगुलराइजेशन करवाने की ? सरकार सोचे ऐसी स्थिति आवे जयपुर के अन्दर या प्रदेश के तमाम शहरों के अन्दर, ग्रामीण लोग रोजगार

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

की तलाश में आते हैं। वह गरीब तबका जब शहर के अन्दर आता है तो अपने आवास की समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है और उस परिस्थिति के अन्दर कच्ची बस्तियां बस जाया करती हैं। 1971 में सरकार ने इस बात को माना, 1981 में सरकार ने इस बात को माना। सरकार ने काम करने की कोशिश भी की। उपाध्यक्ष महोदय, 1981 के बाद में क्या गांवों से शहरों की तरफ पलायन रुक गया? क्या 1981 के बाद में लोग रोजगार की तलाश में शहर में आना रुक गये? 1991 के अन्दर सर्वे करने की बात सरकार नहीं कर रही है। क्या सरकार यह कहना चाहती है कि समस्या 1991 तक रही समस्या 1981 तक रही? समस्या 10 साल के अन्दर पैदा नहीं हुई इस समस्या में जो गरीब तबका 1971 से लेकर 1981 तक राजस्थान के अन्दर बसा है, उस गरीब तबके के लिये, गरीबों के नाम लेने के बाद में उस गरीब तबके के लिये क्या हम सोच रहे हैं? हम सर्वे कराना क्यों नहीं चाहते हैं? प्रश्न आता है माफिया का। यह सही बात है कच्ची बस्ती में कुछ माफिए हैं जिनका काम है कच्ची बस्ती में कब्जा करना. कब्जा करने के बाद अलाटमेंट लेना अलाटमेंट लेने के बाद में बेचना और दूसरी कच्ची बस्ती में चले जाना। इन माफियों के डर से आप सर्वे नहीं करवाना चाहें तो सोचता हूं एक संवेदनशील सरकार ऐसा नहीं सोच सकती है। यह सरकार गरीबों के लिये सचमुच काम करना चाहती है तो 1990 की वोटर लिस्ट क्यों नही मान लिया जाता। 1991 की सर्वे की घोषणा की जाती तो कल रातों रात कच्ची बस्तियां बस जायेंगी, रातों रात कब्जे हो जायेंगे मैं मानता हूं। 1990 की वोटर लिस्ट को क्यों नहीं मान लिया जाता 1990 की वोटर लिस्ट इस बात का प्रमाण नहीं है कि लोग वहां रहते हैं? सवाल इस बात है कि गरीबों की बात हम सब करते हैं। सदन में हम सब आते हैं पार्टी का मुखौटा किसी का कुछ होता है किसी का कोई और होता है। गरीबों के लिये सही हमदर्दी के साथ में काम करने की सोच और उस सोच के साथ में प्रशासन की नाक में नकेल डाल कर उस काम को करवाने की ताकत, इस ताकत को लाने की जरूरत पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कि आपके मंत्री बनने के बाद में कच्ची बस्तियों के अन्दर झोंपड़ी झोंपड़ी जगमगा उठी है। हर झोंपड़ी के अन्दर बिजली दी गई है। जो सरकार बिजली दे सकती है तो सरकार पानी के कनेक्शन क्यों नहीं मुहैया करवा सकती? सरकार पानी के कनेक्शन मुहैया करवाने की बात पर इनप्रिन्सिपल तो एग्री करती है लेकिन निर्णय क्यों नहीं लेती? कच्ची बस्ती के हर एक लोगों को सब्सिडाइज रेट के अन्दर कनेक्शन दिये जायेंगे। दो साल के अन्दर सिर्फ पानी का जो जे.डी.ए. जमा करवाती है कच्ची बस्ती को पानी देने के लिये उस पैसे के अन्दर कमी आई है। वह कमी क्यों आई है? क्या कच्ची बस्तियों में पानी मिल गया है, क्या कच्ची बस्तियों की झोंपड़ियों में पानी पहुंच गया है? उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

कहना चाहूंगा कि जो कच्ची बस्तियां हैं उनमें पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए। जिस तरह से बिजली की समस्या का समाधान किया गया उस तरह से पानी की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। बात यह है कि कच्ची बस्तियों के अन्दर स्कलटन हाउसेज बनाये गये, रेगुलराइज की गई, पट्टे दिये गये, मुरलीपुरा में योजना बनाई गई, पुनर्वास विभाग द्वारा मुरलीपुरा में मकान बनाये गये। आपने कच्ची बस्तियों को मकान में डाला। आपने ऐसे मकान बनाये ऊपर से हाईटेन्शन वायर जाती है। बरसात के दिन आते हैं, बरसात के दिनों में माइश्चर आते हैं और हाई टेन्शन वायर से जो कंडक्टिव इंजेक्शन एरिया बनता है जो जोन बनता है उससे मकानों के अन्दर करन्ट आने लग जाता है। कच्ची बस्ती में रहने वाले आदमी को पक्के मकान में डाला और पक्के मकान में रह कर बरसात के दिनों में उस आदमी को बाहर सड़क के ऊपर अपनी रात गुजारनी पड़ती है। इस तरह कच्ची बस्ती का समाधान करना चाहते हैं यह बात ठीक नहीं है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि कच्ची बस्ती के सर्वेक्षण की बात करें। आपने कहा कि कायाकल्प किया जायेगा। यह वर्ष कायाकल्प के रूप में मनाया जायेगा। कायाकल्प क्या वहां पर जन सहयोग की बात भी की है। मैं कहता हूं कच्ची बस्ती के लोगों को यहां के जन प्रतिनिधियों को...

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा नहीं है इसमें थोड़ा कम कीजिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि 1989 तक जो व्यक्ति जहां रहता था उसको नियमित करने के बारे में क्या जारी हो चुके हैं, मंत्रीजी बतायें और माननीय सदस्य को बतायें कि उन्होंने आदेश किये या नहीं किये... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : आप लोगों ने आदेश जारी किये चुनाव को ध्यान में रखते हुये...

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : आप बोलते हैं यह कौनसे नियम के तहत बोलते हैं। दूसरों को तो नियम बताते रहते हैं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : सदन में जीत कर आये उस नियम के अन्तर्गत बोलते हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : बिना अध्यक्ष से पूछे, बिना आसन की आज्ञा लिये। ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज यादव साहब।

श्री राजपालसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहला सवाल तो यह करना चाहता हूं कि सरकार किन कारणों से 1991 में सर्वे नहीं करवाने का विचार रखती है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बोलने दिया

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

जाये बीच-बीच में इन्ट्रप्ट कर रहे यह अच्छी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग करें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि मंत्री जी ने यह वर्ष कच्ची बस्तियों का काया कल्प का वर्ष कहने की बात की है और यह बात भी की है कि जन सहयोग से समस्या का समाधान होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कच्ची बस्तियों के अन्दर कमेटियां बनी हुई हैं। कच्ची बस्तियों के लोगों की अपनी संस्थाएं हैं, जयपुर के जन प्रतिनिधि हैं। उन जन प्रतिनिधियों को और उन कच्ची बस्ती की सोसाइटीज को कान्फीडेंस में लेने के बाद में कच्ची बस्तियों में सड़क की बात, एनक्रोचमेंट अगर रास्ते में आता है तो एनक्रोचमेंट हटाने की बात। कच्ची बस्ती के लोग मेरे पास लगातार आ रहे हैं, कच्ची के लोग रोज सुबह आते हैं वह कहते हैं कि कोई भी एनक्रोचमेंट कच्ची बस्ती में है तो वह सड़क बनाने से रोकता है तो उस एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए तैयार हैं। सवाल इस बात का है कि सरकार इस बात को तय करे कि जयपुर शहर में और प्रदेश में जितनी कच्ची बस्तियां हैं उन कच्ची बस्तियों के अन्दर इस साल के अन्दर सड़क दे दी जायेगी, रोड़ लाइट दे दी जाएगी। उनको पानी दे दिया जायेगा। जब तक यह काया कल्प के अन्दर स्पेसिफाइड काम करने की बात सरकार नहीं करती तब तक काया कल्प नाम देने से काम नहीं चलेगा। सरकार को बताना चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि वह काया कल्प प्रोग्राम या काया कल्प करने वाले साल के अन्दर क्या समस्त कच्ची बस्तियों के अन्दर जयपुर के अन्दर सड़कें मुहैया करवा देंगे? क्या वह हर झोंपड़ी के अन्दर पानी मुहैया करवा देंगे, क्या वह नाली मुहैया करवा देंगे? क्या वह सफाई की व्यवस्था करवा देंगे और क्या उन लोगों को जिनका उस जमीन पर हक बनता है उन सभी लोगों को रेगुलराइज कर देंगे? उनको आवंटित कर देंगे, उनको आवंटन दे देंगे और न केवल आवंटन दे देंगे उनको भौतिक कब्जा भी दे देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, जब तक यह इन्ग्रेडियेंट पूरे नहीं होते तो काया कल्प शब्द इस्तेमाल कर लेने से या कल्पतरू नाम इस्तेमाल कर लेने से कच्ची बस्तियों का विकास हो पाएगा ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार को कान्क्रीट प्रपोजल्स देने चाहिए और कान्क्रीट प्रपोजल्स के द्वारा कच्ची बस्तियों का काया कल्प करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कालीचरण जी सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि मंत्री जी ने यहां यह घोषणा की कि कच्ची बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनको व्यवस्थित रूप से बसाया जाएगा, नियमित किया जाएगा, सड़कें बनाई जायेंगी, नालियां बनाई जायेंगी, पानी की व्यवस्था की जायेगी। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, इनके जवाब से

(श्री कालीचरण सराफ)

ऐसा लगा कि यह जितनी व्यवस्था करना चाहते हैं। यह 1981 तक के सर्वेधारी तक के लिए करना चाहते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि 1981 तक 42, 816 सर्वेधारी परिवार थे। जिसमें से कांग्रेस शासन के दौरान बीस साल में केवल 23,983 आवंटियों को भूखण्ड आवंटित किए गए और माननीय मंत्री जी के जवाब से यह आभास नहीं होता है कि 1981 के बाद जो लोग आकर के कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं उनके बारे में सरकार क्या सोचती है। क्या उनका सर्वे नहीं करवाया जाएगा, क्या बिना सर्वे के ही उनको अलाटमेंट कर दिया जायेगा। अलाटमेंट करेंगे तो कौनसी एजेन्सी अलाटमेंट करेगी। क्या जे डी. ए ही उसका सर्वे करके उसका अलाटमेंट कर देगी ?

उपाध्यक्ष महोदय, आज तक यह व्यवस्था रही है कि जयपुर के जिलाधीश सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद उस सूची को वह जे डी. ए. के अन्दर भेजते हैं और जे. डी. ए. फिर उनको व्यवस्थित रूप से बसाने का काम करती है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि हम यह कर देंगे, काया कल्प कर देंगे, बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा विचार है, करना चाहिए। परन्तु मैं स्पेसिफिक यह पूछना चाहूंगा कि 1981 के बाद जो लोग आकर के बच्ची बस्तियों में बसे हैं क्या उनको भी व्यवस्थित बसाने का विचार राज्य सरकार का है ?

1981 में सर्वे हुआ, 42,816 परिवारों का उसमें से जब मौके पर अधिकारी लोग गए, दावे स्वीकृत और अस्वीकृत करने की बात आई तो कई लोग मजदूरी पर चले गये थे, कई लोग बाहर गए हुए थे। इनमें 7937 सर्वे धारी जिनका सर्वे हो गया था 1981 में उनके दावे अस्वीकृत कर दिए गए। तो मैं पूछना चाहूंगा कि इन 7937 लोगों के बारे में राज्य सरकार का क्या विचार है ? क्या राज्य सरकार इस प्रकार के जो लोग हैं, जिनका 1981 में सर्वे तो हो गया परन्तु जिनके दावे स्वीकृत हो गए और संख्या 7937 है तो इनके बारे में क्या पुनः कैम्प लगाकर, पुनर्विचार करके जो वास्तव में वहां रहते हैं और किसी कारण से उस समय वह वहां नहीं थे जब अधिकारी गए तो उनके बारे में राज्य सरकार क्या सोचती है यह भी बताने की मंत्री जी कृपा करें।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने चुनावों के समय यह घोषणा की थी 1989 की वोटर लिस्ट के आधार पर जो व्यक्ति कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उनका हम सर्वे कर देंगे। चुनावी घोषणा थी, घोषणा हो गई उसके बाद उस आदेश का क्या हुआ ? क्या कोई आदेश निकला कि नहीं निकला ? चुनावी घोषणा थी इसके बारे में मंत्री जी स्पष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जयपुर शहर में अनएप्रुव्ड कच्ची बस्तियां 100 के लगभग हैं जिनका सर्वे नहीं हुआ उनमें लगभग दो लाख लोग निवास करते हैं। राजस्थान की राजधानी में वह निवास

(श्री कालीचरण सराफ)

करते हैं। उनको जब पी. एन भण्डारी आर. एस. ई बी. के चेयरमैन थे मैं इस बात के लिए तो बधाई देना चाहता हूं मंत्री जी को कि उन सबको घरेलू विद्युत कनेक्शन दे दिए। कैम्प लगाए 225 रुपये जमा कराओ और कनेक्शन लेओ। लाइट के कनेक्शन तो दे दिए परन्तु आज किसी भी अनएप्रुव्ड कच्ची बस्ती में वाटर वर्क्स के घरेलू पानी का कनेक्शन नहीं मिला, तो पानी कनेक्शन देने में क्या दिक्कत है? जिस प्रकार अण्डरटेकिंग लेकर के उनको विद्युत के कनेक्शन दिए गए जिससे विद्युत की चोरी बंद हुई। इसी प्रकार पानी के कनेक्शन उन को क्यों नहीं दिए जा रहे। इसके बारे में मंत्री जी स्पष्ट करें। आज ऐसी कोई कच्ची बस्ती तो है नहीं जहां लोग पानी नहीं पीते, आपने ठीक है पानी नहीं दे रखा, लोगों ने पाइप लाइनें तोड़ करके कनेक्शन ले रखे हैं। पानी सब पीते हैं, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है सरकार को। पानी के कनेक्शन आपने दे नहीं रखे फिर भी वह पानी लेते हैं। अब आपने क्योंकि कनेक्शन नहीं दे रखे पैसे उनके लगते नहीं, सार्वजनिक नल लगा रखे हैं, पाइप लाइनें तोड़कर लगा रखे हैं, पानी भरा उसके बाद उसमें टूंटी भी नहीं, पानी बहता रहता है। एक तरफ हम पानी बचाने की बात करते हैं और एक तरफ पानी की चोरी हो रही है। तो क्या राज्य सरकार यह सोचती है कि जो अनएप्रुव्ड कच्ची बस्तियां हैं उनमें घरेलू पानी के कनेक्शन अण्डरटेकिंग लेकर बिजली के जिस प्रकार कनेक्शन दिए गए हैं उसी प्रकार से पानी के कनेक्शन भी सरकार देगी?

उपाध्यक्ष महोदय, कई कच्ची बस्तियां ऐसी हैं जो अभी राशनकार्ड बने नए तो उनके राशनकार्ड नहीं बनाये गये। पूरी की पूरी कच्ची बस्तियां छूट गई। तो क्या राज्य सरकार इस प्रकार के लोग जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं उनके राशनकार्ड बनाने पर भी विचार रखती है? उपाध्यक्ष महोदय, जवाहर नगर कच्ची बस्ती जयपुर की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है। दिल्ली बाई पास रोड़ पर टीलों पर बसी हुई बस्ती है और लगभग बीस हजार लोग उस कच्ची बस्ती में रहते हैं। तो जवाहर नगर कच्ची बस्ती के बारे में स्पेसिफिक मैं पूछ रहा हूं क्योंकि मेरी कान्सटीट्यूएन्सी में है। इस कच्ची बस्ती के बारे में सरकार क्या सोचती है और इसका विकास कार्य किस प्रकार से करेगी इस बारे में भी मंत्री महोदय बताएं। अब बाई पास पर कच्ची बस्ती है। पिछली सरकार ने कई बार इस बस्ती को हटाने की कोशिश की परन्तु कामयाब नहीं हुई। आये दिन वहां दुर्घटनाएं होती हैं तो क्या मानवीय आधार पर यह सरकार उस बाई पास को वहां से स्थानान्तरित करने का विचार रखती है कि नहीं रखती इस बारे में भी बताएं।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में कई इस प्रकार की कच्ची बस्तियां हैं जो जहां बसी हुई हैं उस लैण्ड के बारे में आज डिस्प्यूट है। कोई व्यक्ति कहता है यह मेरी निजी जमीन है, सरकार कहती है कि यह सरकारी जमीन है। कठपुतली नगर कच्ची बस्ती है, ओ. टी. एस. कच्ची बस्ती है यह इस प्रकार की जमीनें हैं जो सरकार की नहीं हैं। जो निजी भूमि पर बसी हुई है पर सर्वे हो गया अब राजस्थान विश्व-

(श्री कालीचरण सराफ)

विद्यालय में कच्ची बस्ती सुखाड़िया कच्ची बस्ती बसी हुई है तो इनके बारे में सरकार क्या सोचती है ? इन लोगों को व्यवस्थित बसाने के बारे में क्योंकि गरीबी तो वहां भी है वह भी है वह भी झोंपड़ी बनाकर रहते हैं और कई सालों से रहते हैं उनके बारे में सरकार क्या सोचती है ? यह भी कृपया बताने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : शार्ट में कहें।

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर का जिस तरीके से विकास हुआ जिस प्रकार से जयपुर शहर का क्षेत्रफल बढ़ा कई इस प्रकार के गांव जो पहले तो गांव थे वह आज शहर की सीमा के अन्दर आ गए, सरकार- जे. डी. ए. उनको कच्ची बस्ती ट्रीट करती है। जैसे झालाना गांव है, रामजीपुरा गांव है, चैनपुरा गांव है। जो तीन-तीन सौ, चार चार सौ सालों से बसे हुए गांव हैं उनके बारे में जे. डी. ए. के अधिकारियों से बात होती है तो वह कहते हैं कि हम तो इसको कच्ची बस्ती मानते हैं और जो पचास गज का जो हमारा मापदण्ड है 1981 के व्यक्ति को पचास गज और 1971 के व्यक्ति को 110 गज इस प्रकार से हम भूखण्ड आवंटित करेंगे। जो यह इस प्रकार के गांव हैं या चार चार सौ, पांच पांच सौ सालों से बसे हुए हैं उनके बारे में सरकार क्या सोचती है, क्या नीति है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मेरी मांग है कि इस प्रकार के जो गांव बसे हुए हैं उनको वास्तविकता के आधार पर जितनी जमीन पर उनका कब्जा है उनको सरकार को रेगुलराइज करना चाहिये और उनको पट्टे आवंटित करने चाहिये और मैंने यह स्पेसिफिक पांच छः प्रश्न पूछे हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इन बातों का उत्तर दें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं दो चार बातें कहना चाहती हूं उनको प्रश्न के बजाए ऐसे ही कह लेती हूं।

मान्यवर, यह तीन रुपये गज जमीन कच्ची बस्ती को देनी चाहिए थी बजाय इसकी देरी के कारण से कांग्रेस सरकार ने उनकी आर्थिक आधार पर 5 रुपये गज, 44 रुपये गज, 150 रुपये गज और उससे अधिक, यह सीमा निर्धारित कर दी। मैं कहना चाहूंगी कि कच्ची बस्ती के लोग गरीब हैं उनको आप लोग अपने फैसले के अनुसार 3 रुपये गज जमीन दें, विवाद में नहीं पड़ें। आपने हम लोगों से यह कहा है कि हम लोग सहयोग करें, निश्चित रूप से हम आपको सहयोग करेंगे। आप बैठेंगे, विचार करेंगे, निश्चित रूप से हम सहयोग करेंगे। हम लोग तैयार हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जब से जयपुर बसा है, मंडी खटीकान तब की बस्ती है, गूजर घाटी तब की बस्ती है, मंडी डाकोतान तब की बस्ती है लेकिन देरी के कारण इसमें सड़कें छोटी होती चली गई। अब इसमें दोषी कौन है ? अगर हम निर्णय नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से हम ही दोषी हैं। मेरा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

निवेदन यह है कि जितने आपके पास सर्वेधारी हैं, उतने ही करीब बिना सर्वेधारी लोग यहां पर बसे हुए हैं, जो आपकी सर्वे सूची में नहीं आते हैं। मंडी खटीकान, गूजर घाटी, रामपुरी, श्यामपुरी, कंवर नगर, नाहरगढ़, मोहन नगर, हसनपुरा ये सब हरिजन बस्ती हैं। इन सबको बसाने का कार्य भी कौन करेगा ? आप इनको क्राउन लैण्ड एक्ट से तहत पट्टा दीजिये और मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप यह निश्चय कीजिये कि जो आदमी संकल्प करता है, वह कार्य पूरा कर लेता है। आपने संकल्प किया है इस वर्ष में, निश्चित रूप से आप काम भी पूरा कर लेंगे। मुझे पूरी आशा है लेकिन जब तक आप बस्ती वाइज शिविर नहीं लगायेंगे, मैं फिर कहना चाहूंगी कि बस्ती में कितने सर्वेधारी, कितने बिना सर्वेधारी और कितने अन्य लोग हैं, कौनसे 71 के हैं, कौनसे 78 के हैं, कौनसे 81 के हैं। आप ध्यान दीजिये। पूर्व में जब अपनी सरकार थी, तब भी हमने एक बार सर्वे कराया था तो मैं कहना चाहूंगी उन सबको आप कम्पाइल करके, उन सब की सूची बना करके, शिविर लगा करके बस्ती वाइज, अगर आपने कैम्प लगाया तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी अन्यथा और लोग इसमें कब्जा करने की कोशिश करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पैसों की आपके पास कमी नहीं है। ये कुछ बस्ती नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर है कुछ जे. डी. ए. के क्षेत्र के अन्दर हैं तो इन दोनों के....कुछ रेवेन्यु विलेजेज हैं और कुछ ऊंची जमीन पर बसे हुए हैं तो इन विभिन्न प्रकारों में, इन कब्जों में जो सर्वेधारी हैं और जो वहां निवास करते हैं, जब तक आप एक मुश्त वहां पर शिविर नहीं लगायेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप प्रायोरिटी के बतौर हरिजन बस्ती, फिर अन्य बस्ती में कुछ पट्टे दे दिये गये। उन बस्तियों को लेकर के आप उनका विकास करें, उसमें पानी, बिजली, सड़कें, नाली ये सब चीजें उपलब्ध करायें। मैने यहां अनेकों बस्तियों में देखा है कि पार्क है। उन पार्कों का विकास जे. डी. ए. के माध्यम से करायें या कैसे करायें, यह आप देख लीजिये। यहां पर लोग निवास करते हैं। ये निश्चित रूप से जयपुर के नागरिक हैं और जब ये 71 से रह रहे हैं तो आप समझ लीजिये कि 21 साल हो गये, अगर अभी भी इनमें देरी की तो और भी इनमें कब्जेधारी पैदा हो सकते हैं। आप इसमें दुबारा नम्बरिंग कराइये। जैसे कि पहले माननीय बरकतुल्ला खां साहब से कहकर हमने आन्दोलन किया था। 21 8.71 को दो दिन में पूरे शहर की कच्ची बस्तियों में नम्बरिंग हुई थी। तब इसमें अन्य लोगों का दखल नहीं होगा। खैर, मैं कहना चाहूंगी कि मामले को उलझायें नहीं, सुलझाएं और जल्दी से जल्दी इन सब बस्तियों के विकास करने का संकल्प आप लीजिये। रामपुरी हरिजन बस्ती की मैंने यहां चर्चा की तो जे. डी. ए. वालों ने कहा, हमारे क्षेत्र में नहीं है। मैंने फिर प्रश्न रखा, नगरपरिषद बोले हमारे क्षेत्र में नहीं है तो यह तरीके थोड़े से गलत हैं। इन हरिजन बस्तियों का भी उद्धार होना चाहिये। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तो पिछड़े लोगों को आप आगे लायेंगे, निश्चित रूप से आपसे भला होगा। मैं यही कुछ सुझाव देती हुई धन्यवाद देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। श्री रामेश्वर भारद्वाज।....(व्यवधान) नहीं, उनका है। आपको भी बुला लूंगा। जिसका मोशन है वही बोलेगा। उनका राइट है। उनका काल अटेन्शन मोशन में नाम है।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्तियों के समस्याओं के निराकरण के लिए जो माननीय मंत्री महोदय ने मानस बनाया है, इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं परन्तु मेरे कुछ कच्ची बस्तियों के सम्बन्ध में 3–4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक तो कच्ची बस्ती के निवासियों का सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया है। पिछले अनेक वर्षों से उनको ठगा है। कोई भी सरकारी अधिकारी जाकर यदि उनको कुछ कहता है तो कोई वात विश्वास के रूप में वे मान लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं माननीय मंत्री जी को उनकी भावनाओं से अवगत कराना चाहता हूं कि जब तक आप जे डी. ए. से उस बस्ती का पूरा प्लान नहीं बनवा लें, जब तक यह मानस नहीं बना लें कि उनको यहीं बसाना है और उनको पट्टे साथ-साथ वितरित नहीं करेंगे, उनको भौतिक कब्जा नहीं देंगे तब तक हमारे विकास की बात सोचना केवल मात्र कल्पना होगी। केवल एक बार बस्ती वाइज इसका पूरा सर्वे करें और कितने भूखण्डधारी उसमें बैठ सकते हैं, यह पूरी एक बार प्लानिंग करके फिर करें। प्लानिंग करने में भी बहुत बड़ा दोष है जिसकी चर्चा आवश्यक है। यह भी मेरा एक प्रश्न है। कोई भी अधिकारी जो टाउन प्लानिंग करता है, टेबल पर बैठकर बनाता है। कच्ची बस्तियों में जाकर उसका ठीक से आकलन करें, कहां से रास्ता निकल सकता है, कहां से नहीं निकल सकता है। मैं उदाहरण के लिए माननीय मंत्री जी का ध्यान व्यास कालोनी की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका अभी विकास हो रहा है। उसकी सड़कों का जो मेप बनाकर मुझे दिया गया है, मैं समझता हूं जैसे कई बार जो अखबारों में पहेलियां छपती हैं, खोजने वाली जैसी, इस तरह का बना दिया है। यानि जयपुर शहर की सुन्दरता, बनावट और उसका जो मेप है, मेरे ख्याल से उसके विपरीत जयपुर के नाम पर धब्बा होगा। इस तरह की प्लानिंग नहीं करें, टेबिल पर बैठकर करने का कोई अर्थ नहीं है। बस्ती में जाकर बैठकर एक बार मार्किंग करें तो ज्यादा अच्छी प्लानिंग हो सकती है। कुछ कच्ची बस्तियां ऐसी हैं इसमें भूखण्डधारी ज्यादा हैं, भूखण्ड कम है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि जन सहयोग के माध्यम से यह कह सकते हैं। मेरा एक सुझाव है या मेरा एक प्रश्न है कि ऐसी बस्तियों को क्या जे डी. ए. कोई इस प्रकार का नक्शा बनाकर बस्ती को दे सकेगा जिससे कि बस्ती के लोग उस पर विश्वास कर सकें। पानी के सम्बन्ध में जैसा बताया कि अनाविकृत रूप से पानी व्यर्थ जाता है और इस भावना में हम पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो यह बरबादी बराबर होती रहेगी। सरकार का पैसा भी जाएगा और उनको हम पानी देना चाहते हैं, वह भी कुछ नहीं कर सकेंगे। जिन व्यक्तियों का सर्वे नहीं हुआ है, उन सर्वेधारियों का तत्काल सर्वे हो। मैंने पूर्व में भी यह बात कही थी कि एक बार यदि व्यापक रूप से सर्वे होता है तो आगे के लिए समस्या से निजात हम पा सकते हैं अन्यथा व्यक्तियों

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

को यहां से वहां उठा देना और वहां से यहां उठा देना, इससे हमारी समस्या हल नहीं होगी। मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने भी विस्तार से आंकड़ों के आधार पर इन बातों को रखा है तो जिन बस्तियों का विकास करने जा रहे हैं, उनकी प्लानिंग बस्ती में जाकर हो और बस्ती निवासियों की सलाह से हो। अभी मैंने देखा कि कई बस्तियों में सरकारी अधिकारी जाते हैं परन्तु बस्ती के एक भी व्यक्ति को साथ नहीं रखते हैं और अपनी मरजी से प्लानिंग कर लाते हैं। मैं चाहूंगा कि बस्ती के प्रतिनिधियों को जब तक नहीं बैठायेंगे, तब तक हमारी उस योजना का कोई सार नहीं रहेगा। इसलिए मैं हरिजन बस्तियों के बारे में जो जयपुर शहर में हैं, विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि ऐसी सब हरिजन बस्ती को एक बार सुन्दर हल निकालें एवं बस्ती को कोई अच्छा स्वरूप हम दे सकें। एक आदर्श रूप में एक हरिजन बस्ती को चुनें और हरिजनों को भी व्यवस्थित हम बसा सकें। एक बस्ती को आदर्श बस्ती बनायेंगे तो निश्चित रूप से सारे शहर में अनुसरण करेंगे। जैसे कि केवल हम भाषणों में कहते रहते हैं, कि हम ऐसा करेंगे, लोगों को उठायेंगे तो मैं समझता हूं कि जब तक हम उनका कोई चित्र तैयार नहीं करेंगे, मन में यह भाव नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि यह सम्भव है। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इन बस्तियों का भी एक बार निराकरण करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। आप जयपुर के बारे में बोलेंगे ? नहीं खाली जयपुर। कहना चाह रहे हैं, कहिये जयपुर के बारे में। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज जो लोग जितने दो साल में पीड़ित हैं, उतने 20 साल में पीड़ित नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लीजिये। सवाल पूछ लीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्तियों के बारे में राज्यसरकार को अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिये क्योंकि पिछले गत सत्र में राज्य सरकार यू.आई.टी. एक्ट में नगरपालिका से सम्बन्धित विधेयक में और जे.डी.ए. में कुछ परिवर्तन लेकर आई है। उस परिवर्तन के अनुसार जो कोई व्यक्ति सरकार की भूमि पर बैठा हुआ है उसको 6–6 महीने तक और 2–2 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसी स्थिति में कच्ची बस्ती में रहने वाला, चाहे वह जयपुर का रहने वाला हो, चाहे राजस्थान के किसी क्षेत्र में रहने वाला हो और जो 50 साल से रह रहे हैं उस पर तलवार लटक रही है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को चाहिए कि वह कच्ची बस्तियों के बारे में नीति निर्धारित करे जैसा कांग्रेस शासन के वक्त में यह तय किया गया था कि जुलाई, 1989 तक जो व्यक्ति जहां रह रहे हैं उनको हम नियमित कर देंगे। उसके लिए सीमा निर्धारित की थी कि इतनी गज से ज्यादा जमीन निर्धारित नहीं होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कितने गज ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : 150 गज से ज्यादा जमीन नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सराफ साहब, इसका उत्तर माननीय मंत्रीजी दे देंगे। आप सहयोग कीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आपने उस आदेश के सम्बन्ध में कोई काम नहीं किया। अभी-अभी माननीय सदस्य ने बताया कि 23 पट्टे इन्होंने जारी किए हैं। ऐसी स्थिति नौ दिन चले अढ़ाई कोस वाली स्थिति के रहते हुए कैसे गरीब लोगों का भला होगा ? मुझे तो कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। आप स्वयं क्रियेट हो रहे हैं, मास्टर प्लान की जमीनों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए जरूरी है कि जो पुराने काबिज हैं, कानून की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि पजेशन इन नाइन बाइ टेन, राइट आफ पजेशन। तो ऐसी स्थिति में जो लोग 50-60 सालों से 4–4 पीढ़ियों से रह रहे हैं उनको टाउन एक्ट, स्टेट ग्रान्ट एक्ट और कच्ची बस्तियों के नियमन के सम्बन्ध में जो-जो सर्वे हुए हैं उसके आधार पर उनका नियम करना चाहिए। आइन्दा कोई कब्जे नहीं हो इसकी भी कोई पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, नियम क्यों क्रियेट होते हैं। जे.डी.ए., नगर-पालिकायें व नगर विकास न्यास समय-समय पर भूमिहीन लोगों....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रो. केदार जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लिया आपने। मैंने आपको भाषण देने के लिए अलाऊ नहीं किया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्तियां इसलिए क्रियेट होती हैं क्योंकि ये लोग भूमिहीन लोगों को जमीनें आवंटित नहीं करते। इसलिए आपको प्रोग्राम्स बनाने चाहिए कि एक साल में हम 50 हजार लोगों को जो भूमिहीन हैं, जमीन के पट्टे देंगे ताकि आइन्दा कोई कच्ची बस्ती क्रिएट न हों और जो कच्ची बस्तियां बन गई हैं उसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर उनके लिए पीने के पानी का प्रबन्ध, सड़कों का प्रबन्ध, प्रकाश व्यवस्था का प्रबन्ध, सीवरेज लाइन का प्रबन्ध आपको करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रो. केदार जी।

श्री केदारनाथ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पूछना है। अगर आप जयपुर में इसका एलान करते हैं तो सारे राजस्थान में इसका असर पड़ेगा। आपके पास तो 45 हजार परिवार हैं लेकिन सारे राजस्थान में कम से कम 1 लाख ऐसे परिवार हैं और 1991 की सेंसस का आप क्या करेंगे ? यह तो 81 तक की है। 1981 और 1991 के बीच में कितने और डवलपमेंट हुए, कितने लोग आकर बसे हैं, कितनी आबादी बढ़ी है,

श्री केदारनाथ शर्मा)

इनको आप कवर नहीं कर रहे हैं और फिर सेन्टर पैसा देता है एनवायरमेंट इम्प्रूवमेंट के नाम से, सड़कों के लिए, नाली के लिये, वाटर सप्लाई आदि-आदि के लिए। पैसा बाहर से आता है। आप तो इस्तेमाल तब करेंगे जब 1991 की सेंसस के हिसाब से सर्वे करेंगे। जितने भी परिवार रिकवर करो और पैसा सेन्टर से मांगो और यह तय कर दीजिए कि 1991 के जितने भी एनक्रोचमेंट हुए हैं उनको फिलहाल छोड़ दीजिए लेकिन 1991 तक तो कवर कीजिए, यह मेरा निवेदन है। आपने जयपुर की बात की लेकिन राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। माननीय सदस्य जब आप बोल रहे थे तो आपकी प्रोग्रेस बहुत कम हुई। यह ठीक है आपका दृष्टिकोण बिलकुल साफ है। जो लोग बसे हुए हैं उनको हम रेगुलराइज करेंगे अगर उनके पास जमीन हो और बाकी जिनके पास जमीन नहीं है वहां पर उन्हें बसाया जायेगा। दूसरी जगह ऐसी जगह नहीं है। आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। आइन्दा के लिए आपने स्टेप्स उठाये वो भी ठीक हैं। एनक्रोचमेंट के नियम बना दिये, सारे पावर दे दिए, एक्ट हमसे पास करा लिया, वो सब टीक है। मगर दिल्ली से जो पैसा आपको मिलने वाला है वह 1991 की सेंसस के हिसाब से सर्वे करके नई बस्तियां जोड़ी जांय, सारा टोटल पैसा लें और सबको रेगुलराइज करें, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, नगरीय विकास मंत्री।

श्री भंवर लाल शर्मा (नगरीय विकास मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने प्रश्न किए और सुझाव भी दिए। जो सुझाव दिए, उनका मैं स्वागत करता हूं और जिन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है वास्तव में वे समस्यायें सरकार के सामने हैं। ये आज से नहीं हैं बल्कि वर्षों से हैं। लेकिन इन समस्याओं का समाधान ही तो करना ही होगा। बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मुरली-पुरा में जो मकान बन गए हैं वे ऐसे बनाए हैं कि वहां बिजली छूती है। अब ये मकान तो बने थे वर्षों पहले। अब उसका क्या हल हो सकता है उस पर विचार किया जायेगा और माननीय सदस्यों ने एक-एक बस्ती के बारे में सवाल खड़े किए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक-एकबस्ती का सवाल नहीं है, एक-एक व्यक्ति का सवाल है। समूचे राजस्थान में विशेष करके जयपुर का सवाल है इसलिए जयपुर में जो भी बस्तियां हैं और वहां लोगों को जो सुविधाएं दी जा सकती हैं कानून के अंतर्गत, कहीं कानून को शिथिल करना पड़े तो वह भी हम करेंगे। यह सब करने के बाद ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया और हम कुछ कर रहे हैं न तो इसका कुछ अर्थ है और न इससे समस्या का समाधान होगा। समस्या का समाधान तब ही होगा जब आप और हम मिलकर प्रयास करेंगे। और जो कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग हैं वे एकमत थे कि इन समस्याओं के समाधान में जुटें और इसीलिए मैंने निवेदन

(श्री भंवरलाल शर्मा)

किया था, इसीलिए आपका सहयोग चाहिए।

जवाहर नगर कच्ची बस्ती के बारे पूछा। वहां पर लोग ज्यादा हैं और जगह कम है। जब स्थान कम होता है तो एक तरीका होता है कि हम जो मकान बनायें वे मल्टी स्टोरीज़ बनायें और मल्टी स्टोरीज फ्लेट्स में लोग रहें। इस बात की सहमति जब तक नहीं होगी, उतनी बड़ी जमीन अगर नहीं मिलती है तो समस्या ऐसी ही रहेगी।

श्री कालीचरण सराफ : हम कुछ नहीं चाहते हैं। वहां आप सड़क बना दीजिए, नालियां बना दीजिए, पानी के कनेक्शन दे दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहते हम। बाकी सब विकास हो जायेगा, सब वहां बस जायेंगे। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के लिए कोई तैयार नहीं है और न होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सुनिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर मल्टी स्टोरीज के लिए आप तैयार नहीं होंगे और सरकार के पास जमीन नहीं होगी तो आज की इस मीटिंग के बाद मैं आपसे बैठकर समझ लूंगा कि जमीन कम है, लोग ज्यादा हैं और मल्टी स्टोरीज आप चाहते नहीं हैं।

श्री कालीचरण सराफ : ऐसी स्थिति नहीं है वहां।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सराफ साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं एक स्थान की बात नहीं कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वे एक व्यक्ति के लिए नहीं पूरे जयपुर के लिए कह रहे हैं। आप किसी एक बस्ती के लिए नहीं कह रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार न बनायें लेकिन सरकार के पास जमीन की कमी नहीं है। हम बैठें तब होगा न। आप बैठने का कोई दिन तय कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप मना कर रहे हैं क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो खुद ही इन्वाइट कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको इन्वाइट कर रहे हैं, समस्या का समाधान करना चाहते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मना भी नहीं कर रहे हैं और दो साल से बैठ भी नहीं रहे हैं। करें कैसे बैठें तो काम चले। बता दें कौनसा दिन तय करते हो।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। आपको बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको अधिक चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता हूं। यह वास्तव में एक मानवीय समस्या है और इसके समाधान के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका सहयोग रहे तो साल

(श्री भंवरलाल शर्मा)

भर में जितना हो सकेगा इसका समाधान करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ : आप किस विषय में सहयोग चाहते हैं वह बता दीजिए। आप रात के 12 बजे बुलायेंगे तो हम आ जायेंगे। कोई सहयोग का तरीका बताओ, क्या सहयोग चाहते हैं आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपसे यह सहयोग चाहता हूं कि....

श्री कालीचरण सराफ : बैण्ड बाजे लगाकर स्वागत करा दें, कैसा सहयोग चाहते हैं ? (व्यवधान) अखबार में दे दें कुछ करें तो।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप माननीय सदस्य, इसको इतना लाइटली मत लीजिए। मुझे स्वागत की भूख नहीं है। मुझे समस्या का समाधान हो इसकी भूख जरूर है। स्वागत बहुत हो गया मेरा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जन प्रतिनिधियों को हिसाब दीजिए कामों का। आप तो हमें बाइ-पास करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते हैं तो ये बोलना बंद कर देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप इनको बाइ-पास न करें, इतनी सी बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं किसी को बाई-पास नहीं करूंगा, न बाई-पास कर रहा हूं, सरपास कर रहा हूं। (व्यवधान) तो मेरा निवेदन है (व्यवधान) बोलने नहीं देंगी क्या आप ? या तो मैं बात को बन्द कर दूं। इस समस्या का समाधान तभी होगा जब आज की कार्यवाही के बाद या विधान सभा के सेशन के बाद हम लोग बैठेंगे, आप भी अपने-अपने क्षेत्र के लोगों को बुला लीजिए, मैं भी आपके साथ बैठूंगा और अधिकारी बैठेंगे और समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है उस पर विचार करके आप कोई सलाह देंगे और जो कुछ व्यावहारिक हो सकता है उसको करने के बाद ही समाधान हो पायेगा। यदि फिर कोई बचेगी तो फिर विचार कर लेंगे कि इतना समाधान हो गया बाकी का समाधान अब करेंगे। कौनसी ऐसी दिक्कत आ रही है ? यह कोई चर्चा का विषय नही है, न कोई राजनीतिक प्रश्न है। समस्या के समाधान का सरकार का जो निश्चय है उसको आप समझिए। नीयत समझिए कि सरकार क्या करना चाहती है। आपका ध्यानाकर्षण तो आज आया है, मैंने चार दिन पहले यह निवेदन किया है हम अगले वर्ष में इसके समाधान के लिए लगेंगे। आपका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से समाधान होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री कालीचरण सराफ : सर्वे के लिए कुछ नहीं कहा । सभी माननीय सदस्यों ने यह कहा कि 1981 के बाद जो सर्वे नहीं हुए हैं उसके बारे में क्या करेंगे ? उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं । (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह विषय सरकार के विचाराधीन है । जो भी आपके साथ बैठकर निर्णय होगा वह कर देंगे । (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सैकण्ड में कुछ कहना चाहूंगी । आपने कच्ची बस्ती की सुविधाओं की बात तो कही है । एक सुविधा आप, जो कच्ची बस्ती में नहीं रहते, उनकी भी कर दें । मच्छरों का प्रकोप बड़ा जबरदस्त है और माननीय मंत्रीजी, उसका भी आप कुछ हल निकालें, समाधान करें, मैं चाहूंगी । बोल दें आप भी खड़े होकर, कुछ तो बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष : स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहेंगे मच्छरों का इलाज करने के लिए ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : जयपुर में बहुत मच्छर हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह मच्छर दो प्रकार के हैं । एक मच्छर तो वह हैं जो सीजन से पैदा होते हैं....

श्रीमती सुमित्रासिंह : कौन से ?

श्री उपाध्यक्ष : सीजन में पैदा होता है एक ।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो वह तो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : श्रीमान्, महिलाओं का तो ध्यान रखो आप ।

श्री भंवरलाल शर्मा : बाकी के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं और फिलट वगैरह का इन्तजाम करके करा देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अलाटमेंट वाली, बात आपने की कि अलाटमेंट कैंसल किया, सवाल है अलाटमेंट इज नथिंग । अलाटमेंट बेकार है जब तक आप कब्जा नहीं दो । यह अलाटमेंट बहुतों के पास है, लिये घूम रहे हैं । अभी एक पट्टा दिया रहे थे । तो अलाटमेंट का करना क्या है जब तक कि कब्जा नहीं दें आप मुख्य तो उसको कब्जा देकर बसाने वाली बात है, उसमें सरकार लग रही है ।

खराब बीज व नकली कीटनाशक दवाओं से फसल को क्षति

श्री उपाध्यक्ष : नियम 131 के अन्तर्गत श्री सम्पतसिंह, श्री जगमाल सिंह यादव, श्री यदुनाथसिंह, श्री रामप्रसाद सदस्य, विधान सभा प्रदेश में खराब बीज व नकली कीटनाशक दवाओं से फसल को हो रही क्षति एवं फसल बीमा राशि नहीं दिये जाने से व्याप्त असंतोष की ओर कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे । माननीय सम्पतसिंह जी ।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : मैं माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्रीजी ।

श्री रामनारायण विश्नोई (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री सम्पत सिंहजी एवं अन्य विधायकों ने कीटनाशक दवाओं से होने, वर्षा व उसके कारण नुकसान होने नुकसानके सम्बन्ध में दिया है।

इस वर्ष राज्य में सरसों की फसल की बुवाई निर्धारित लक्ष्य 18 50 लाख हैक्टेयर के विपरीत 20·65 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में की गई है। विभाग द्वारा फसल स्थिति का आकलन कर इसकी उपज का करीब 22·60 लाख टन अनुमान लगाया गया है जो पिछले वर्ष के उत्पादन 16·69 लाख टन के मुकाबले करीब 6 लाख टन अधिक है। इस प्रकार औसत पैदावार 1094 किलो पर हैक्टेयर अनुमानित है जो पिछले वर्ष की औसत पैदावार 870 किलो पर हैक्टेयर के मुकाबले करीब 26 प्रतिशत अधिक है। जिलेवार क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकड़े संलग्न कर दिये गये हैं।

प्रांत में राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा 12374 क्विंटल सरसों का प्रमाणित बीज वितरित किया गया है जिसकी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है परन्तु भरतपुर जिले के डीग उपखण्ड के कुछ ग्रामों में नेशनल डेयरी डवलपमेंट कार्पोरेशन के द्वारा वितरित बीज में फलियां बनने के उपरांत फसल सूखने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसके लिए दुर्गापुरा स्थित पौध व्याधिविज्ञ द्वारा फसल सूखने का मुख्य कारण जड़-गलन तथा तना-गलन एवं आल्टर्न एरिया ब्लाइड का प्रकोप बताया गया है। रोली एवं चेपा के सम्भावित नुकसान से रोकथाम के लिए विभाग द्वारा समस्त जिलों में दो लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लिए 106·65 लाख रुपये की राशि का अनुदान उपलब्ध करवाया गया तथा पौध संरक्षण रसायनों की व्यवस्था की गई एवं 190754 हैक्टेयर में उपचार करवाया गया। इस वर्ष माह दिसम्बर में शरदकालीन वर्षा राज्य के समस्त जिलों में हुई जिसके फलस्वरूप फसल की स्थिति में सुधार हुआ एवं बारानी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा। वर्षा से चेपाएफिड के नियंत्रण में आशातीत लाभ हुआ जो उत्पादन वृद्धि में सहायक रहा। चैंपा का राज्य में प्रकोप फसल की आर्थिक उत्पादन क्षमता को कम प्रभावित करने वाला था इसलिए आर्थिक दृष्टि से सरसों की फसल को नुकसान होना नहीं पाया गया है। अजमेर, जयपुर, दौसा, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर एवं कोटा क्षेत्र में फसल की स्थिति सामान्य है, केवल जोधपुर एवं अलवर क्षेत्र में प्रथम चरण में बोई गई फसल में गिरावट आई है जिसका मुख्य कारण भूलसा रोग एव सफेद रोली का प्रकोप रहा है जिसका उपचार कर दिया गया है। अतः यह कथन सही प्रतीत नहीं होता है कि सरसों में 40 से 50 फीसदी नुकसान हुआ है। प्रांत सरसों के क्षेत्र में एवं उत्पादन में गत वर्ष भी अग्रणी था और इस वर्ष भी अग्रणी ही रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पतसिंह जी।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उसमें स्वयं

(श्री सम्पत सिंह)

में ही काफी विरोधाभास है। एक तरफ वह कहते हैं कि भरतपुर जिले में और भरतपुर जिले के भी डीग उपखण्ड में सरसों की फसल का खराबा हुआ, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सरसों की बीजाई पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा हुई और जो पहले बारिश हुई उसके चलते जो फसल में नुकसान हुआ उसका तखमीना यह गोल-गोल तो शब्दों में मानते हैं लेकिन साफ तौर पर इस बात को नहीं मानते कि कितना प्रतिशत हमारी सरसों की फसल में नुकसान हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की पीड़ा है कि कृषि मंत्रीजी ने अपनी तरफ से उसमें तमाम जानकारी हासिल करने की कोशिश करी लेकिन मंत्री महोदय यह देखेंगे, वह तो इस मामले में चिन्तित हैं लेकिन आज कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी उच्चाधिकारी सदन में उनको दूसरी जानकारी देने के लिए उपस्थित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जहां एक तरफ हम दम भरते हैं कि राजस्थान हिन्दुस्तान भर में सरसों की उपज में नम्बर एक है और जो आज हमारी कैश क्रोप है उसके रख-रखाव के लिए, उसके बचाव के लिए अगर यही हमारी मनःस्थिति रही, यही हमारा संकल्प रहा तो जो ज्वार-बाजरे की आज हालत हमारे प्रांत में हो गई है वह ही इस कैश क्रोप की, इस सरसों की महती फसल की हो जायेगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो आई. एम. एफ. ने कह दिया....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अध्यक्ष को सम्बोधित करके कहिये।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब सरसों में बीमारी शुरू हुई, जो बीमारी इन्होंने एक-दो गिनाई हैं अपने विशेषज्ञों की राय से, यह ऐसी बात नहीं है कि पहली बार लगी है लेकिन अब की बार जो फसल खराब होनी शुरू हुई, खास तौर से भरतपुर जिले में, अव्वल तो जब पांच प्रतिशत फसल का नुकसान हो तो ही उस जिले को, उस विशेष क्षेत्र को एक तरीके से एकेडेमिक क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया जाता है। मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब इतनी महती फसलें, एक तरफ तो जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं और इसीलिए एक तरह से सरसों की बीजाई ज्यादा हुई है राजस्थान प्रांत में कि यहां पानी की कमी है। जहां-जहां पानी की कमी है, वहां-वहां सरसों की बीजाई हुई। और तो और, बूंदी और कोटा में, जहां चावल की फसलें होती थी, बूंदी-कोटा जिले में जहां 66 हजार हैक्टेयर सरसों की बीजाई हुई थी पिछले साल, अब के साल सवा लाख हैक्टेयर में सरसों की बीजाई हुई, जहां वाटर लॉगिंग होता है। तो एक तो किसान का इस तरीके से मन होने लगा कि हम इस कैश क्रोप को करें। छोटा किसान, मध्यम किसान, सीमांत किसान और बड़ा किसान, सब का मन होने लगा कि हम इस कैश क्रोप को करें और उसमें सरकार की तरफ से अगर यह कोताही होती है, इस बाइलोजिकल प्रोड्यूस में यह कोताही होती है तो यह उपाध्यक्ष महोदय, काबिले बर्दाश्त नहीं है। मैं यही मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, क्यों तो आपने इसको एकेडेमिक डिक्लेयर नहीं किया? जहां पांच-पांच हजार कार्यकर्ता

(श्री सम्पत सिंह)

आपके खेत पर लगे हुए हैं, विभाग की तरफ से कृषि कार्यकर्ता लगा हुआ है, उसकी तरफ से क्या रिपोर्ट्स आपने ली और क्या उनकी सेवाएं आपने ली ? उपाध्यक्ष महोदय, आप पौध संरक्षण की बात कहते हैं, मैं जानना चाहूंगा मंत्रीजी से, पौध संरक्षण के बारे में आपने कार्यवाही की ? आपने जो दवाईयां भेजी, अव्वल तो किन एजेन्सियों के माध्यम से आप उन दवाओं को भेजते हैं ? जब इतना बड़ा लवाजमा है, इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर जब स्वयं विभाग का मौजूद है, क्यों नहीं आप उनके जरिये से चलाते हैं ? एक आम किसान तो जानता ही नहीं, बगैर पढ़ा-लिखा किसान तो जानता ही नहीं। विभाग के लोग भी निचले स्तर पर यह नहीं जानते कि किस दवा को कितनी मात्रा में, कितने प्रतिशत में उपयोग में लेना चाहिए। एक बाल्टी को वह एक हैक्टेयर में भी लगा सकते हैं पानी में घोल मिला कर और एक बाल्टी को वह दस हैक्टेयर में भी लगा सकते हैं पानी में घोल मिला कर। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से इस फसल के साथ खिलवाड़ हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि जिनके पास सरसों के अलावा और कोई दूसरी फसल जिन्होंने नहीं बोई थी, जिनके पास कोई सिंचित क्षेत्र नहीं था, वह सिर्फ सरसों के ऊपर अपने सारे इन्तजाम रख रखे थे उनकी फसल हुई चौपट। आप कहते हैं कि कोई फसल खराब नहीं हुई, वहां पचास फीसदी से ज्यादा फसल खराब हुई है....

श्री अरुण सिंह : 75 प्रतिशत से ज्यादा।

(2.00 म. प.)

श्री सम्पत सिंह : और बाजे-बाजे सब डिवीजन में तो 75 प्रतिशत, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह हकीकत है उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम काहे को एक्जोरेट करें। आप अब जाकर कोई सदन के माननीय सदस्यों की, विशेषज्ञों की एक समिति बना दीजिए एक तरफ विभाग के विशेषज्ञ हैं और एक तरफ कृषि कार्य को जानने वाले 3 माननीय सदस्यों की समिति बना दीजिए। इन्होंने जो खराबा अंकित किया है अपने जवाब में वह सही है या हम जो निवेदन कर रहे हैं वह बात सही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बार-बार विभाग में भी चर्चा की और सदन में भी चर्चा की, और जब गांव देहात में बैठे होते हैं वहां तो आम किसान की पीड़ा ही यही होती है, कि कैसे फसल को बचाया जाये। आप अचम्भा करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, एक यहां दवाई चलती है, यह एल्ड्रीन है, इसमें बैच नम्बर है, डेट आफ मैन्यूफैक्चरिंग है, आई. एस. आई. मार्का है, तमाम जो शर्तें हैं वह इसमें पूरी हैं। और इसी कम्पनी के लेबल का दूसरा डिब्बा है यह जयपुर में सारे दुकानदार बेचते हैं उनके यहां की खरीद है। इसमें न तो बेच नम्बर है, न इस पर कोई डेट आफ मेन्यूफैक्चरिंग है, न इसके ऊपर कीमत है, न एक्सपायरी डेट है। कोई इस पर चीज अंकित नहीं है और यह धड़ल्ले से दवाइयां बिक रही हैं। आई. एस. आई. मार्का है उसके लिये तमाम वह सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। इन्सपेक्टर आई. एस. आई. मार्का तब लगाता है, जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं, जब वह तमाम शर्तें पूरी करे। इससे

(श्री सम्पत सिंह)

ज्यादा फरेब और क्या हो सकता है कि यह सारे राजस्थान में दवाई बिक रही है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फरेबकर्त्ता का नाम तो बताया ही नहीं।

श्री सम्पत सिंह : यह बता रहा हूं ना। यह टेबल पर ले करने के लिए लाया हूं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप जहां से खरीदकर लाये हैं वह नाम भी तो बताइये? वह कहां खोजते फिरेंगे? कहां खोजेंगे? क्या पता आप दिल्ली से खरीदकर लाये हों, क्या पता हरियाणा से खरीदकर लाये हों, क्या पता पंजाब से लाये हों। आप नाम बताइये।

श्री सम्पत सिंह : यह कम्पनी है। यह सील्ड डिब्बा है। मेन्यूफैक्चरार की जिम्मेदारी है कई बार उनके जैसे 1 लाख सेम्पल बताये, एक लाख की उनकी क्वान्टिटी निर्धारित की गयी और उन्होंने बना लिये हैं 10 लाख। 1 लाख स्टैन्डर्ड बनायेंगे और बाकी का वह बनायेंगे फर्जी, सब-स्टैन्डर्ड बनायेंगे और उसका धड़ल्ले से बेचान हो रहा है। न जिला स्तर पर इसकी कोई रोक है, न प्रान्तीय स्तर पर इसकी कोई रोक है और न थोक के व्यापारी के यहां कोई रोक है और न खुदरा के व्यापारी के यहां कोई रोक है। उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब हमने इस विभाग में सेम्पलिंग कराया, तब तब नतीजे आते की तो यहां कोई मियाद ही नहीं है। और आप अभी बाजार से मंगायें यह चीजें, दोनों उपलब्ध हो जायेंगी। इसके बावजूद इस पर कार्यवाही नहीं होती।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके बोलने के बाद तो यह बाजार में उपलब्ध नहीं होंगी। आप बताइये कहां से लाये हैं?....(व्यवधान)....

श्री सम्पत सिंह : मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं। मैं पहली बार इस समस्या पर अपनी बात निवेदन नहीं कर रहा हूं। मैंने 1985 से लेकर, उपाध्यक्ष महोदय, न मालूम कितनी बार इस विषय पर अपनी बात निवेदन की है और आप कह रहे हैं कि वह डर जायेंगे आपके बोलने के बाद, यह बात नहीं है....

श्री परसादीलाल मीणा : आप कृषि मंत्री रहे थे तब आपने कोई कार्यवाही की क्या?

श्री उपाध्यक्ष : वहीं बता रहा हूं, आप थोड़ा धैर्य तो रखिये।

श्री सम्पत सिंह....मैं यही निवेदन कर रहा था। मेरे एक मित्र आये जब मैं मंत्री था, और जानना ही चाहते हैं आप यहां के हालात, तो उन्होंने कहा कि अमुक-अमुक कम्पनी है उनके माल पर यहां पाबन्दी लगा दीजिए राजस्थान प्रान्त में, आपके आने वाले चुनाव का खर्चा हमारे जिम्मे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने आदेश के मार्फत सेम्पल करवाये....

श्री हेतराम बेनीवाल : नये मंत्री जी को बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बोलने दीजिए। वह अपनी बात को अपने ढग से रख रहे हैं।

श्री सम्पतसिंह : आप इसको गम्भीरता से लें। मैं अनगिनत बार निवेदन कर चुका हूं कि अगर यही सिस्टम प्रिवेल कर गया तो हम इरेलेवेन्ट हो जायेंगे, यह सदन इरेलेवेन्ट हो जायेगा और हर मसले पर जो माफिया अपना काम चला रहा है वह अपने आप में एक सुप्रिम पावर हो जायेगा। जिसको हम डी फेक्टो पावर कहते हैं। जब सारी ताकतें उसके पांव के नीचे होंगी तो हमारे रहने का कोई मकसद नहीं रहेगा। मुझे मालूम है आप किसान की तकलीफ के लिए मुझ से बेहतर यहां बातें कहते हैं। तो जब मैं इस विषय पर कह रहा हूं, आप उसको मेहरबानी करके गम्भीरता से लें। इस पर राजस्थान में व्यवस्था होनी चाहिए, अन्तिम रूप से व्यवस्था होनी चाहिए कि आखिर इन दवाइयों के मालिक कौन हैं। इन दवाइयों के बनाने वाले कौन मेनुफैक्चरर्स है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, उपाध्यक्ष महोदय, कि ऐसे ऐसे फरेब होते हैं, फैक्ट्री है मध्यप्रदेश में और यहां दवाइयां बिक रही हैं। यहां से लाइसेन्स है और फैक्टरी है फरीदाबाद में। नोसिल उस कम्पनी का काम है और दूसरी जो दवाइयां बेच रहे हैं वह कह रहे हैं कि 'मैड फोर नोसिल', मैड बाई नोसिल'। इस तरीके से फरेब के साथ कोई चीज चल रही है। हमारा एक से एक बेहतर अधिकारी यहां बैठा हुआ है, कोई आई. ए. एस. है, कोई आई. ए. एस. सुपर स्केल में है, कोई कृषि विभाग के विशेषज्ञ हैं। जब इस फसल के मामले में दवाई के चलन की बात आती है तो अव्वल तो हमारा किसान नहीं समझता नयी-नयी तकनीक के बारे में और फिर हमारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नहीं समझते और उसके बाद भी अगर सरकार इस मामले को गम्भीरता से नहीं लेती है तो कहां तो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन रह जायेगा और कहां कैशक्रोप का जो हमारा दम भरना है वह रह जायेगा। राजस्थान की सरकार की प्रान्त की इकानामी की बात ही छोड़िये लेकिन एक साधारण किसान के लिए क्या कहियेगा जब उसकी लिविलीहुड ही वह खेती है 4 बीघा, 6 बीघा और 10 बीघा और वह भी पूरी चौपट हो गयी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि पहले तो बारिश नहीं हुई, एन्श्योर्ड वाटर की कोई बात नहीं, तो गेहूं नहीं किया, जो नहीं किया और एन वक्त पर जब सरसों की फसल पकने को आई तो तीन चार रोज लगातार बारिश हुई और उस बारिश से पेड़ पर, फसल पर, दाने पर पानी आया और पानी से भाप बनकर तेल की मात्रा उड़ी और फिर ओस लगातार पड़ी। इसके अलावा सफेद रोली, जो देशी जुबान में कह देते हैं, वह बीमारी लगी। उसके लिए आपने कोई प्रिकाशन्स नहीं लिये, कोई छिड़काव नहीं किया, कोई अपनी तरफ से एक भी काम ऐसा नहीं किया जो कि एक जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए। इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी फसल के बारे में जो राजस्थान के प्रत्येक जिले में प्रत्येक उपखण्ड में आज होने लगी है उसको इस तरीके से हल्के तरीके से दरगुजर कर देना, फसल चौपट

(श्री सम्पत सिंह)

हो गयी, उपाध्यक्ष महोदय । और तो और, adding insult to injury, मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में तो ऐसा वाक्या हुआ कि आपके स्वय के रोंगटे खड़े होंगे और माननीय सदस्यों को भी अचरज होगा, कि कलक्टर बैठा हुआ है भरतपुर में, वहां 15–20 रोज के लिए तहसीलदार नगर को जबरदस्ती छुट्टी जाने के आदेश दे दिये और एक प्रोबेशनरी आफिसर को आई. ए. एस. को वहां नगर में डेप्यूट किया और सरसों की फसल खड़ी हुई थी—चार छः गांवों की जानकारी मुझे प्रेक्टीकल है और मैं होकर आया हूं 27 जनवरी को। कम से कम 1400 बीघा जमीन पर लहलहाती फसल सरसों की खड़ी हुई थी उसे अतिक्रमण के नाम पर, जैसे भरतपुर जिले में और राजस्थान में और कहीं कोई अतिक्रमण ही नहीं है, 4 गांवों में एक जाति विशेष की फसल को रोंद दिया गया, बर्बाद कर दिया गया जब कि कोई नियम ऐसा नहीं है। अगर आप अतिक्रमण मानते हैं तो उस पर जुर्माना कीजिए, उस फसल को कुर्क कीजिए, उसको कब्जे में लीजिए लेकिन आपको इस फसल को नष्ट करने का, खुर्दबुर्द करने का, बरबाद करने का अधिकार किस ने दिया ? इतने बड़े अधिकारी और राष्ट्र के विरोध में ऐसा काम करें। मैंने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा। आज मैं वह चिट्ठी लाया हूं लेकिन दुर्भाग्य से माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन में बिराजे हुए नहीं हैं। अब आप बताइये, उपाध्यक्ष महोदय, फसल प्राकृतिक प्रकोप से बरबाद हो रही है, फसल अनाड़ी और रंजिश रखने वाले अफसरों की करतूतों से बरबाद हो रही है और हमारी सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। आप यह जो दवाइयां बिकवाते हैं इनको बंद करिये तमाम प्राइवेट दुकानदारों के यहां से और जो हमारा कर्मचारी है, बहुत लम्बी तादाद में कर्मचारी है, दूसरी कल्चर वे मिट्टी लाते हैं और उसको बेचते हैं। जो बच जाती है उसको जमा कराते हैं। तमाम कायदे-कानून विभाग में बने हुए हैं। उस तरीके से इस पेस्टिसाइज के लिये भी कानून बनना चाहिए। उसको हमारा कर्मचारी, विभाग का कर्मचारी जाकर के किसानों को दे, उसको कैसे उपयोग किया जाय, वह विधि बताये, डिमोंस्ट्रेट करे और तब जाकर के फसल बचेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने वह पेशकश की है, पूरे सदन ने अपना संकल्प कर, सब की राय से कि फसल का बीमा होना चाहिए। कल कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, इसको उद्योग घोषित करिये आप। कोई अनोखी कम्पनी के नाम से, गारमेण्ट कम्पनी के नाम से कोई सलवार बना रहे हैं, फ्राक बना रहा रहा है, दुपट्टा, चुनरी बना रहा है उनके लिए एक्सपोर्ट के आपने लाइसेंस दिये हुए हैं लेकिन एक तरफ हम महंगा गेहूं अमेरिका से मंगवाते हैं और हमारी अपनी फसल हमारी नासमझी की वजह से बरबाद होती है। यह व्यवस्था हो कि हम अपनी फसल को एक्सपोर्ट कर सकें। गेहूं का करें, जिस भी जिस का हो करें। लेकिन जिसको राजस्थान ने, जैसे मोर को मान लिया राष्ट्रीय पक्षी, तो राजस्थान ने मस्टर्ड को मान लिया अपनी स्वयं की कैश

(श्री सम्पत सिंह)

क्रोप, गुजरात ने, महाराष्ट्र ने मूंगफली की माना। वे वहां फसल का बीमा दे रहे हैं। पंजाब ने कपास को माना, वे वहां कपास पर बीमा दे रहे हैं और आज उनकी इकोनामी अपने आप दिन व दिन बढ़ रही है और हम एक तरफ तो अकाल में मरते हैं और दूसरी तरफ अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। तो हम को अव्वल तो फसल का तुरन्त बीमा करना चाहिए और फसल को भी उस फसल का जो केश क्रोप हो उसके लिए आदेश करने चाहिए। हमने अपना हिस्सा रुपया जमा करा दिया, एल. आई. सी. ने अपना रुपया जमा करा दिया। अब मेरी समझ में नहीं आता कौन-सी ऐसी अड़चन है जो फसल बीमा की स्कीम लागू नहीं हो सकी। कुआ टूट जाता है, किसान अगर मर जाता है खेती का काम करते हुए तो उसको कम्पेनसेट करते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं। अगर हमारी कैश क्रोप बरबाद होती है तो कम से कम जब तक बीमे की कार्यवाही हो तब तक उसको हमें क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। मंत्रीजी से मैं निवेदन करता हूं कि आज जो उन्होंने यह एक फ्लेट-सा जबाव दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे आंख मूंद के कोई कह देना, एक साधारण आदमी बता दे आज राजस्थान में सरसों का कितना नुकसान हुआ है। आप इतने विशेषज्ञ होकर के, कृषि मंत्री होकर पूरी सरकार की ज़िम्मेदारी लेते हुए आप उस हकीकत से, उस यथार्थ से नकार रहे हैं। आपको खुले में कहना चाहिए, अगर आप नहीं कहेंगे तो साधारण आदमी दूसरे तरीके इज़ाद करेगा और वह तब आपको सदन के सामने बतायेंगे कि हमारा इतना नुकसान हुआ है। कम से कम मंत्रीजी अब आज इतना जरूर आश्वासन दें सदन में

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि आप इस क्षतिपूर्ति के लिए, जैसे ही आप क्राप कटिंग के लिए मेजरमेण्ट करते हैं उस वक्त आप अन्दाज कर लें कितना-कितना नुकसान हुआ है और क्षतिपूर्ति के लिए निश्चित रूप से व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यदुनाथ सिंहजी।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और है क्या एक बात, हां कह दीजिए।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कीमतें वगैरह तय होती है पेस्टिसाइज की उसमें कम से कम 5 साल के लिए एक दाम निश्चित होने चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर पुरजोर शब्दों में निवेदन कहता हूं सदन में माननीय सदस्यों से सब से विनती करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी अच्छी तरह से सहयोग चाहता हूं और सरकार से यह निवेदन करता हूं कि इस मामले में संवेदनशील बनें और सरसों की फसल में जितना खराबा हुआ है चाहे भरतपुर में, चाहे डीग में, चाहे नगर में हुआ है, चाहे राजस्थान में किसी भी कोने में हुआ है आज जिस किसान की फसल चौपट हो गयी, कल जिस दिन हमारा गरीब किसान

(श्री सम्पत सिंह)

बेटी की शादी करता है, उसके पास चार आने नहीं, अब उन चीजों के लिए जिस तरह से आप व्यवस्था करते हैं, क्षति की, बीमा की, इसके लिए भी व्यवस्था करिये। आज अवश्य इस सदन में आप यह संकल्प दोहरायें और अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यदुनाथ सिंहजी।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, असल बात यह है कि मंत्रीजी के पास कोई जवाब ही नहीं है। मैं आपकी, सदन की, सूचना के लिए बता दूं कि मंत्री जी सुबह से ढूंढ रहे हैं, न तो डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर इनकी पकड़ में आ रहे हैं और न कोई दूसरे अधिकारी इनकी पकड़ में आ रहे हैं और जो जवाब विधान सभा में 15 दिन पहले आ गया, वह भी अधूरा है, अस्पष्ट है और तथ्यों से बिल्कुल परे है इसके अलावा इनको किसी एक पत्रावली के दर्शन ही नहीं हुए हैं। कुछ बात कहने की स्थिति में मंत्री जी नहीं हैं। क्योंकि यह समस्या है अब इसका जवाब तो देने में मंत्री जी सक्षम नहीं होंगे, फिर भी, मुझे मालूम है कि उनसे किसी का सम्पर्क ही नहीं हुआ है। वह फाइल नहीं देखी, पत्रावली नहीं देखी और, उपाध्यक्ष महोदय, असलियत यह है कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में अन्त में कहा है कि कोई खराबा नहीं हुआ है। मंत्री जी, मैं स्वयं किसान हूं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वे खुद भी हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : वे खुद भी हैं तो इनको मालूम होना चाहिए कि जो सरसों की फसल, मैं खास तौर से अपने जिले की कहना चाहता हूं कि 60 से 70 प्रतिशत का खराबा हुआ है और यह खराबा ऐसी बात नहीं है कि एकदम फसल कटवाते ही पता लगा हो। जब पेड़-पौधे बड़े होने लगे तब उसमें जड़ गलन की बीमारी चालू हुई, तना गलन की बीमारी चालू हुई और फिर पेट फूल कर आने से पहले ही उसमें व्हाइट रस्ट की भयंकर बीमारी पूरे जिले में लग गयी। अब वहां न तो कोई बीज वितरण की व्यवस्था अच्छी है, न कोई किसान को जानकारी देने वाले वहां हैं। एडीशनल डाइरेक्टर तक की पोस्ट के अधिकारी, बड़े-बड़े बैठे हुए हैं, वहां लवजिमा लगा रहा है। बीसियों गाड़ियां इनकी लगी हुई हैं पर एक आदमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट का गांव में नहीं जाता है। किसानों को कुछ नहीं बताते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान पर दोहरी मार हो रही है। 20-25 प्रतिशत उसको फसल मिली, भारत सरकार की नीतियों के चलते भाव एकदम नीचे गये। किसान तबाह हो रहा है और, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भय यह लग रहा है। इसके लिए सरकार को अभी से तैयारी करनी चाहिए और अब भी करनी चाहिए थी। जो रस्ट की बीमारी लगती है, एक किसान अपने खेत में उसका इलाज कर ले उससे रस्ट की बीमारी पर कण्ट्रोल नहीं होता है। जब तक पूरे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वह बीमारी है उस क्षेत्र में आप सामूहिक तौर से दवाई नहीं करेंगे, ट्रीटमेण्ट नहीं करेंगे तब तक उसका इलाज सम्भव नहीं है। सरकार की ओर से कोई प्रयास किसी प्रकार के नहीं किये गये हैं। अब यह जो रस्ट की बीमारी

(श्री यदुनाथ सिंह)

खेतों में पड़ी हुई हैं और आने वाले फसल के लिए हमें भय है कि यह बीमारी बोने के समय से शुरू हो जायेगी तो मैं चाहूंगा मंत्री जी अपने उत्तर में बतायें कि इसका कोई एरियल सर्वे, दो–तीन बार एरियल स्प्रे करवाने की व्यवस्था करेंगे वरना पूरे जिले में अगली साल सरसों की फसल होगी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले की स्थिति यह बनी है पानी है नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है, खेत के लिए तो पानी की बात छोड़िये। वहां कोई दूसरी फसल उगाने का किसान के पास जरिया ही नहीं है। ड्राई फारमिंग में वहां सिर्फ सरसों, जो केश क्रोप की है, सरसों के अलावा भरतपुर में दूसरी फसलों का कोई स्कोप नहीं है इसलिए अगले वर्ष सरसों की फसल को नुकसान नहीं हो, इस बीमारी का उपचार हो, अभी से सरकार एरियल स्प्रे कराने की व्यवस्था करे क्योंकि एक किसान के दवाई डालने से, खेत में ट्रीटमेण्ट करने से बीमारी खतम नहीं होगी। दूसरी जगह उड़ जायेगी। यह छूत की बीमारी है और यह तेजी से, बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए अगले साल के लिए आप क्या व्यवस्था करने वाले हैं और जो मैंने कहा था कि मंत्री जी को इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है आप उसको जरा पढ़िये, इसमें है, खराब बीज, नकली कीटनाशक दवाओं से फसल को हो रही क्षति, किसानों को फसल बीमा राशि नहीं दी जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक शब्द नहीं बोले हैं। हमारे काल अटेन्शन रखने का इस प्रकार से कोई मायने नहीं हैं। इसका पूरा उत्तर आना चाहिए, पूरी जानकारी इनके पास होनी चाहिए। वह जानकारी नहीं है। बहुत-से क्षेत्रों में तो फसल उगी ही नहीं है। ऐसा बीज बांटा है अभी फसल बिल्कुल उगी ही नहीं। इसलिए आप व्यवस्था देते समय इसकी व्यवस्था करें। जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन किसानों को, और राज्यों में जिस तरह से मुआवजा मिलता है, मुआवजा मिले, बीमे की रकम मिले और आने वाले सीजन में इस पर रोकथाम की जा सके इसके लिए व्यवस्था करने की कोई घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद जी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे भरतपुर के दो माननीय सदस्यों ने सारी बातें बतायी, पर मैं तो साधारण बात बताऊंगा कि हमारे राजस्थान के लोग किसानों के ऊपर निर्भर हैं। किसान खेत में काम करता है और फसल पैदा करता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भरतपुर जिले के बयाना सब डिवीजन में न तो कोई नहर है और न कोई पानी का साधन है। हमारी चार तहसील बयाना, वैर, रूपवास और नदबई ऐसी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा खारा पानी है। किसानों की जो फसल है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लड्ढा साहब, टापिक पर बोलिये आप।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां, उसी पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, दूसरी बातों पर मत जाइये आप।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहीं आ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, उसी मुद्दे पर आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वहां आ जाइये जल्दी आ जाइये आप। कृपया शांति बनाये रखें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसानों को जो दवाई मिलती है, आपके एग्रीकल्चर विभाग में जो अधिकारी लोग हैं, वह नहीं जानते कि कौनसी दवाई किस समय पर किसानों को उपलब्ध करायी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, जो आपके सुपरवाइजर होते हैं, वह कभी गांवों में नहीं जाते, कभी खेतों को नहीं देखते। पूर्व कृषि मंत्री सम्पत सिंह जी ने हमारे बयाना सब डिवीजन की बात तो नहीं बतायी। बयाना सब डिवीजन में 75 फीसदी नुकसान हुआ है। हमारे बगल का पड़ौसी नदबई क्षेत्र है, हमारे बयाना की कुल 10 पंचायतें ऐसी हैं, उसमें सारे क्षेत्र में खारा पानी है। मैं सीधी-सीधी बात कह रहा हूं चेपा से नुकसान हुआ है, यह एक कीड़ा होता है, उसे हमारे जिले में चेपा कहते हैं, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हमारे क्षेत्र में हुआ है। किसानों की फसल में 75 फीसदी जो नुकसान हुआ है, उसके मुआवजे की मैं मांग करता हूं। तीसरी बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, अब के जो सर्दी पड़ी है, सर्दी के दबाव से और चेपा लगने से किसानों को सरसों की फसल में तो नुकसान हुआ ही है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सर्दी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मंत्री जी ने भरतपुर जिले की बयाना सब डिवीजन के लिए एक भी बात नहीं कही है। मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो खाद, बीज, दवाई नकली चल रही हैं, उन पर रोक लगाई जाये जिससे कि हमारे किसानों को लाभ हो सके। इसके साथ ही एक निवेदन और करूंगा कि जो सुपरवाइजर हैं, जो ग्राम सेवक हैं, एग्रीकल्चर के, उनको गांवों में भेजा जाये। बाजरे की फसल जब पैदा करते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : हेतराम जी बेनीवाल।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक सैकिण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह चुके हैं। ग्राम सेवकों की बात नहीं करेंगे आप। कीटनाशक दवाइयां और बीमे की बात पर बोलो। ग्राम सेवक कतई नहीं बोलना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बाजरे को नहीं समझते ऐसे अधिकारी लगा रखे हैं आपने। उपाध्यक्ष महोदय, जो बाजरे का पेड़ होता है....

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही भाषण वाली बात आ गई। बिराजिये अब आप।

अरूण सिंह जी बैठिये, बुला दूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी ही बात कहते हुए समाप्त कर रहा हूं। आप थोड़ा मंत्री महोदय को कहें कि फसलों में हमारे किसानों को जो नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा मिलना

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए। जो नकली दवाईयां, खाद, बीज मिलते हैं, उसके लिए मैं निवेनन कर रहा हूं कि हमारे भरतपुर जिले के सभी किसानों को सही दवाइयां उपलब्ध करायी जायें।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

श्री हेतराम जी। थोड़ा आप संवाल कर लीजिए। शार्ट कीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, उसका जवाब तो नहीं आया। उसमें भी कुछ मुद्दे उठाये गये थे, वह इसी सिलसिले में थे। मैं माननीय मंत्री जी का भी वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि गंगानगर जिले में सरसों में कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे बडा आश्चर्य हुआ। कोई राहत न मिले, राजस्थान की आर्थिक स्थिति ऐसी हो, जा सकें नहीं वहां पर, यह सूचना नहीं पहुंचा सकें, दवाइयां नहीं दे सकें, बेईमानी नहीं रोक सकें, यह सब तो ठीक है। परन्तु हमारा जो नुकसान हुआ है, जिसको राज्य सरकार के अधिकारियों ने वहां जाकर देखा ही नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : हेतराम जी, प्लीज आप कीटनाशक दवाइयां और बीमे वाली बात करें, आप कहां जा रहे हो गंगानगर में ? इसमें गंगानगर नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं यह बता रहा हूं आपको। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है गंगानगर में सरसों का नुकसान नहीं हुआ और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर में 50 प्रतिशत फसलों का नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा तो वाइट रस्ट गंगानगर जिले की पूरी फसल को चौपट कर गई है। वाइट रस्ट के बारे में वहां के डिपार्टमेंण्ट ने जो वहां के जोइण्ट डायरेक्टर हैं, वहां अखबारों में इश्तहार निकाला। यहां जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट है, मंत्री जी मेरी समझ में या तो रिकोगनाइज नहीं करते और या वह खुद तवज्जोह नहीं दे रहे हैं। यहां उन्होंने यह नहीं बताया कि किस जिले में उन्होंने इश्तहार निकाला है कि वाटर रस्ट अटैक करती है सारी फसलों पर। जिस फसल में वाइट रस्ट का अटैक हो जाये, वह रेगुलर रहता है। अगर उसका ट्रीटमेण्ट नहीं हुआ तो आगे की जो भी फसलें, हैं उनमें वाइट रस्ट का अटैक होगा। इसका इंतजाम नहीं किया गया, इसके लिए राज्य सरकार ने अपनी तरफ से दवाई भी वितरित नहीं की और न कोई इस तरह का अनुदान दिया। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि वहां पर इस तरह का चेपा रोग हुआ, जिसका कोई इलाज नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, वहां के किसानों ने अपनी फसल लाकर डिपार्टमेण्ट के अन्दर दिखाई। वहां उन्होंने 4–4, 5–5 स्प्रे की, गंगानगर जिले में। यहां एक माननीय सदस्य शिकायत कर रहे हैं उस क्षेत्र की जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, मैं उस इलाके की शिकायत कर रहा हूं जहां पानी की पूरी व्यवस्था है। हमने फसल को 3–3 पानी दिया है, उसके बावजूद भी 40 प्रतिशत फसल नहीं हुई। इसका मतलब कृषि विभाग, सांईटिस्ट,

(श्री हेतराम बेनीवाल)

ज्वॉइण्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर, यह सारी फौज क्या करती है। चाहिए यह कि जब भी किसी इलाके में इस तरह से फसल बरबाद हो, तब आप पहुंचें, सर्वे करें और अगर इनसे कुछ नहीं होता, तो देश के अन्दर बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका सहयोग लें। पर इन्होंने अपनी तरफ से यह किया कि एक दफा ऐलान कर दिया। ऐलान करने का मतलब यह था कि जो नकली दवाइयां हैं, जो माननीय सम्पतसिंह जी ने पेश की हैं, वे न लें। मेरा गंगानगर जिला पंजाब से लगता है। मैन्यूफैक्चर फर्जी कम्पनियां पंजाब में हैं, और सरेआम बाजार में इस तरह की दवाई बिकती हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी शिकायत की है। आखिर पेस्टीसाइड्स बेचने का लाइसेंस किस आधार पर दिया जाता है। जो पनवाड़ी की दुकान करता है, जो अनाज, खाद्य चीजें बेचता है, उन व्यापारियों को भी पेस्टीसाइड्स की एजेन्सी दी जाती है। साथ में बिनोले की दुकान है, साथ में नमक और गुड़ वहां रखा हुआ है और साथ में उसी जगह उन्होंने पेस्टीसाइड्स रखी हैं। ऐसे पेस्टीसाइड बेचने वाले, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, सिर्फ इनके पास पैसा है और चूंकि पेस्टीसाइड में बहुत ज्यादा मुनाफा है इसलिए वह पेस्टीसाइड की दुकान खोल लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पेस्टीसाइड के बारे में राजस्थान की सरकार अपनी नीति तय करे कि वह पेस्टीसाइड का लाइसेंस किसको देंगे, किस तरह के लोगों को देंगे, क्या उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, यहां तो क्वालिफिकेशन एक है कि जो उनको राजी कर लेगा डिप्टी डायरेक्टर को। जिस बात से भी राजी कर ले, लाइसेंस मिल जायेगा। चाहे जिस तरह का अधिकारी हो। इस मामले में कन्ट्रोल होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अरुणसिंह जी। केवल सवाल पूछ लीजिये।

श्री अरुणसिंह (डीग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डीग क्षेत्र में जनूथर में एक हजार बीघा, पासता और कोण्डेर में तिलम संघ और नेशनल डेयरी फैडरेशन के बीज से कम से कम 70 परिवारों के पेट पर लात पड़ी है क्योंकि वहां बीज उगा ही नहीं। तो मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि तिलम संघ बहुत बड़ा प्रोफिटियर बना हुआ है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन पीड़ित परिवारों को और किसानों को मुआवजा मिलना चाहिये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है और सदन में इस पर कई बार पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है किन्तु आश्चर्य यह है कि विभाग के अधिकारियों पर कोई उत्तरदायित्व डाला नहीं जाता। हर डिवीजनल प्लेस पर, कई जगह डिस्ट्रिक्ट प्लेसेज पर असिस्टेंट डाइरेक्टर क्वालिटी कन्ट्रोल होता है। क्या

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

उसको इस बात के लिए लाइबल नहीं ठहराया जा सकता कि बाजार में खराब दवाइयां कैसे बिक रही हैं, खराब फर्टीलाइजर, अमानक दवा, अमानक फर्टीलाइजर कैसे बिक रहे हैं। यह उनकी मिलीभगत के कारण सारी नकली दवाइयां बिक रही हैं जिसमें टू हण्ड्रेड परसेंट प्रोफिट लिया जाता है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, इनके वार्षिक प्रतिवेदन में यह नहीं दर्शाया गया कि व्याधिनाशक, कीटनाशक औषधियां या बीज के कितने सेम्पल लिये जिसमें कितने अमानक सिद्ध हुये और कितने अमानक के चालान आज दिन तक हुये हैं, किस दुकानदार को सजा हुयी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय के बहुत पीछे पड़ा रहा हूं। कई साल तक मैंने प्रश्न किये और जितने सेम्पल लिये, एक बार ज्वार के 80 सेम्पल लिये थे और 80 में से 80 अमानक थे, 80 में से 80 फैल थे। ज्वार का बीज उगा नहीं, नुकसान हो रहा है। सीड के लिये आज दिन तक कोई एक्ट नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं, जैसा माननीय अरुणसिंह जी ने भी कहा, कि बीज उगता ही नहीं है। बीज बेचने वालों का आप चालान नहीं कर सकते। क्यों नहीं आप एक्ट बनाते असिस्टेण्ट डाइरेक्टर क्वालिटी कन्ट्रोल पर इस बात की क्यों नहीं लाइबिलिटी डालते कि नकली दवाइयां यदि बिकेंगी he will be liable. नकली दवाइयां उनकी मिलीभगत के बिना बिकती ही नहीं हैं और यही कारण है कि यह दवाइयां प्रभावहीन हो गयी हैं। दवाइयां छिड़कते हैं, चाहे व्हाइट रस्ट हो, चेपा हो, फसल को यह नुकसान करती जा रही है और विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उपेक्षा कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज नियम 131 पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। माननीय मंत्री जी परेशान हैं कुछ पूछना चाहें तो, पर विभाग का एक भी अधिकारी यहां नहीं है। विधान सभा को कितनी गम्भीरता से लेते हैं, यह इसका प्रमाण है। तो फिर खेतों पर क्या होगा? किसान क्या जानता है? कौनसी दवा छिड़की जायेगी यह बताने वाला नहीं है और किसान पैसा कहीं से उधार लेकर दवाइयां लेता है तो दवाइयां कैसी मिलेंगी इसका उसको कोई पता नहीं। कितनी बार हम गये कपास पर दवाई छिड़कने पर फसल का नुकसान हो गया। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि, मंत्री जी, आप इस विषय में सख्त कदम उठायें। यदि नकली दवाइयां बिक रही हैं तो उस एरिया के असिस्टेण्ट डाइरेक्टर क्यालिटी कन्ट्रोल को लाइबल ठहरायें। He will be liable. वरना यह नकली दवाइयों के पीछे एक बड़ा भारी माफिया गिरोह है। मैंने बताया कि 250–300 गुणा प्रोफिट होता है। इसमें केवल एक कड़वी दवा थोड़ी सी मिला देते हैं चाहे उसका असर हो या नहीं। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी इस विषय में थोड़ी सख्ती बरतें और आज आप तीन दिन में सेम्पल तो मंगा लीजिये, आपके पास इतनी बड़ी फौज है। आप चाहें तो पूरे राजस्थान में तीन दिन में एक हजार सेम्पल मंगवा लीजिये और

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक हजार में से 900 फैल होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर सांवरलाल जी ।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का जो विषय है, बड़ा गम्भीर है । केवल सरसों से संबंधित है पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहें जीरा हो या सरसों हो और कोई भी फसल हो, हमारा विभाग पूर्णतया गैर जिम्मेदारी से कार्य कर रहा है । किसी भी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने में नाकामयाब रहा है । 1960 में सीड एक्ट बना था, प्रमाणित स्तर का बीज किसानों को मिले, पर वह सीड एक्ट आज दिन तक विभाग ने लागू नहीं किया, जिससे यह विभाग घटिया स्तर के बीज बेचने वालों की अधिकारी स्तर पर मिलीभक्त से प्रोटेक्ट करते हैं ।

इसी विषय में कई माननीय सदस्यों ने कहा था कि तिलम संघ का बीज हो या डेयरी फैडरेशन का बीज हो, जिसको जहां पर डाला जाता है वह उगता ही नहीं है । दो-दो, तीन-तीन बार किसानों को हर्जाना भुगतना पड़ा और उसका परिणाम यह है कि आज किसानों की 60-70 पर्सेण्ट फसल चौपट हो चुकी है । वह चाहे भरतपुर का हो चाहे अलवर का हो। हमारी इस सरकार की मंशा थी कि हम रेकार्ड तिलहन पैदा करें परन्तु हमारा विभाग बिल्कुल गैर जिम्मेदार तरीके से कार्य करता है । चाहे अजमेर में सरसों देख लीजिये, भीलवाड़ा में देख लीजिये । चूंकि केश क्रोप होने की तरफ आकर्षित होने लगा किसान, तो विभाग ने उस की तरफ ध्यान देना बन्द कर दिया । यही हालत जीरा की है, हमारे अजमेर जिले में यही हाल है । 70 पर्सेण्ट फसल चौपट हो गयी है । आउट डेटेड दवाइयां बाज़ार में बिक रही हैं, कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है । अगर छोटे स्तर के कर्मचारी ने कई जगह ऐसे मामले पकड़े भी हैं तो उन छोटे कर्मचारी को, अधिकारी को, जगह-जगह स्थानान्तरित करके प्रताड़ित किया गया है । इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि फसल की क्षतिपूर्ति करनी चाहिये । आज हमारा जो कृषि विभाग बना हुआ है वह फाइव स्टार होटल से कम नहीं है. आम काश्तकार जूते पहिन कर चले तो फिसल कर गिर जायेगा । लिब्र्टी और बाटा शूज वाले ही उसमें एन्टरी कर सकते हैं। हमारे किसानों की 70 पर्सेण्ट फसल का नुकसान हो गया और आगे पता नहीं क्या स्थिति होगी । जहां पर 60-70 पर्सेण्ट फसल खराब हो गयी है और विभाग यह कह रहा है कि फसल खराब नहीं है तो कम से कम आप अपने स्तर पर जांच करवाइये । आप यहां से विधायकों की एक समिति भेजिये कि वास्तव में जो यहां पर बातें की जा रही हैं वह सही हैं या नहीं । अगर किसानों के साथ ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से क्षतिपूर्ति के रूप में उनको कुछ न कुछ भुगतान करना चाहिये । और मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की

(श्री सांवरलाल)

लम्बे समय से चली आ रही मांग, फसल बीमा योजना, को लागू करें, जिससे निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। इन अधिकारियों का काम है कि गांवों के किसानों के खेतों में जावें, उनकी फसल की देखभाल करके समय-समय पर राय दें कि कौन सी दवा कब डालनी है, कौन सा खाद और बीज डालना है। परन्तु उसके बजाय यहां पर दफ्तरों में चक्कर लगाते हैं या व्यापारियों से अपना कमीशन वसूल करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी एक नीति बनायें, सीड फर्टीलाइजर एक्ट बनायें, पेस्टीसाइड्स का एक्ट बनायें। जो लाइसेंस दिये जाते हैं उन पर आप इस तरह की व्यवस्था कीजिये, गलत लोगों को लाइसेंस नहीं दें जो केवल अपना पैसा समझे और किसानों के प्रति किसी प्रकार की जिम्मेदारी को नहीं समझे, साल भर पहले की दवाइयां बाजार में बिकती हैं और कोई पकड़ने वाला नहीं है। अगर पकड़ भी लेते हैं तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, अगर विभाग पकड़ भी ले तो इनके पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत यह विभाग अपने स्तर पर कार्यवाही कर सके। इसलिये व्यापक रूप से आप इस संबंध में कानून बनायें अगर वास्तव में इस विभाग की मंशा किसानों को पोटेक्शन देने की है तो निश्चित रूप से हम इस दिशा में गम्भीर कदम उठायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय केदारजी।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : उपाध्यक्षजी, दो सोइंग होती हैं। एक तो अर्ली सोइंग और दूसरी लेट सोइंग। अरली सोइंग के बारे में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही, उनकी बात ठीक है, काफी बड़ा नुकसान हो गया। अब सब्सटेंस क्या है, दवाइयों से हुआ या बीज से हुआ उनकी बात बिल्कुल ठीक है। मगर यह लोग स्पेट आफ क्लाउड जो रहा आपके पता नहीं हमारे इलाके में कम से कम 15 दिन तक बादल रहे उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और दूसरा अब जो लेट सोइंग है उसको तो आप बचा लो, उसका व्हीट पर असर पड़ रहा है। इसलिये माननीय मंत्रीजी, ठीक बात है, इस ध्यानाकर्षण का जवाब तो आप पढ़ गये, पर जो क्वेश्चन रेज हुये उसका आप रिप्लाई नहीं दे पायेंगे। जो इसके साथ जुड़े हुये क्वेश्चन हैं, माननीय सदस्यों ने जो ध्यानाकर्षण के जवाब के बाद क्वेश्चन रेज किये हैं उसका जवाब आप दे नही पायेंगे। माफिया गेंग, मुआवजे के रूल्स, पेस्टीसाइड्स हैं, इनका बन्दोबस्त, आयन्दा ऐसा नहीं हो, जो क्लाउड्स के कारण से नुकसान हुआ है, इसका आप क्या करने जा रहे हैं और व्हीट को आप कैसे बचा पायेंगे। अब मुख्य मंत्रीजी आ गये हैं। मेरा ख्याल है कि यह बहुत इम्पोर्टेन्ट सवाल है जो पूर्व कृषि मंत्रीजी ने बड़े अच्छे ढंग से पेश किया है। इन सारी बातों का, जो इस इश्यू के साथ जुड़े हुये क्वेश्चन हैं, उनका आप जवाब दें।

श्री रामकिशन : एक मिनिट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह कहना है, सरसों की पैदावार के लिए राजस्थान

(श्री रामकिशन)

गौरव कर रहा है। पिछली बार और इस बार भी रिकार्ड उत्पादन होने की सम्भावना थी। लेकिन जिस कारणों से नुकसान हुआ, एक तो है प्राकृतिक कारण और दूसरा है प्राइवेट एजेंसी के द्वारा निर्मित कारण। सरकार क्या कदम उठायेगी इसकी जानकारी तो माननीय मंत्री महोदय देंगे लेकिन निश्चित तौर पर भरतपुर की हालत बहुत खराब हो गयी है। हम सब लोगों के घरों में खेती है। कहीं-कहीं तो सरसों का उत्पादन एक बीघा में डेढ़ मन भी नहीं हुआ। अब इतनी खराब हालत में सरकार क्या कर सकती है। क्या करना चाहिए वह तो अलग बात है लेकिन राज्य सरकार क्या कुछ कर सकती है और अगर करे तो मैं समझता हूं कि इसमें आगे सालों में सरसों के लिए लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं रहा पैदावार का। जैसा माननीय यदुनाथसिंह जी ने बताया, वहां गेहूं नहीं हो सकता, चना नहीं हो सकता, पानी नहीं है, केवल सरसों हो रही है। सरसों में भी यह रोग लगता है तो किसान निरुत्साहित हो जायेगा और इससे आइन्दा साल में पैदावार पर भी असर पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में कुछ ठोस बात कहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं जाहिर की हैं, वास्तव में विषय बहुत गम्भीर है और काश्तकार वर्ग के जितने भी विधायक हैं वह पिछले कई सालों से इस बात को उठाते आ रहे हैं कि प्रदेश के अन्दर खाद और बीज और कीटनाशक दवाइयों का वितरण ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। और काफी संख्या के अन्दर कर्मचारी होते हुए भी किसान वर्ग को पूरी जानकारी राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की जा रही है उन का पूरा प्रचार नहीं किया जा रहा है। विशेष तौर पर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में मुद्दे उठाये गये हैं वह इस साल की फसल नष्ट होने के हैं। इस बारे में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करूंगा कि भरतपुर क्षेत्र के कुछ गांवों में सरसों की फसल के रोग की स्वीकृति प्राप्त हुई थी उस पर संयुक्त निदेशक (रोग व्याधि) एवं अन्य क्षेत्रीय अधिकारियों का एक निरीक्षण दल नियुक्त किया....

श्री नत्थीसिंह : कितने कुछ गांव। पूरा जिला प्रभावित है।

श्री यदुनाथ सिंह : किस गांव में गये थे एग्रीकल्चर के आफिसर। गांव का एक का भी नाम बता दें। उससे प्रमाणित हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : गांव का नाम जानते नहीं। फसल को जानते नहीं और आप कहते हैं कि कुछ गांवों में....

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए आप। आप सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : शिकायत प्राप्त होने पर संयुक्त निदेशक (रोग

(श्री रामनारायण विश्नोई)

व्याधि) व क्षेत्रीय अधिकारियों का एक निरीक्षण दल भेजा गया जो मौके पर जाकर के क्षेत्रीय किसानों से....

श्री यदुनाथ सिंह : किस मौके पर, कोई गया नहीं। एक गांव में कोई नहीं गया। एक भी आदमी नहीं गया। यह बात नहीं चलेगी। लोग बरबाद हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यदुनाथसिंह जी, जैसी जानकारी है, अपनी बात को तो कहेंगे। कृपया बिराजें (व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, कोई अधिकारी गया नहीं, और गलत रिपोर्ट दी है, तो ऐसी रिपोर्ट देने वाले के खिलाफ आज ही कार्यवाही कर देऊंगा।

श्री रामनारायण विश्नोई : क्षेत्रीय किसानों से बातचीत करने पर यह व्यू आया है कि यह समस्या किसानों के स्वयं के बीज....(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : बातचीत नहीं हुई। कौन अधिकारी गया? किस-किस से पूछा?

श्री हेमराज मीणा : गलत रिपोर्ट देते हैं। किसानों तक किसी को पहुंचने नहीं देते हैं (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलत रिपोर्ट दी है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा।

श्री उपाध्यक्ष : उनके खिलाफ एक्शन लेने वाली बात कही है।

श्री नत्थीसिंह : माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं जो उनके पास आया वही कह रहे हैं। परन्तु असल बात यह है कि जो विगत दिनों अतिवर्षा हुई इससे ज्यादा खराबा हुआ। उससे रोग लगा। तीसरी बार बारिश हुई उससे सबसे ज्यादा खराबा हुआ। स्वयं का बीज लगाया वह भी। 10 बीघा सरसों होती लेकिन बारिश के कारण दो मन बीघा हो रही है। बारिश हो गयी इसलिए यह खराबा हो गया। आप बीज की बात कर रहे हैं। बीज का तो कुछ भी नहीं हुआ। एक दाना नहीं हुआ। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि आप अधिकारियों पर डिपेण्ड मत करिये। जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं जांच कराइये। हम लोगों को इन्वाल्व करिये जन प्रतिनिधियों को, और उनके सामने जांच कराइये। हम बतायेंगे किस तरह यह हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निश्चिन्त रहिए कि अधिकारी गये नहीं, लोगों से सम्पर्क नहीं किया और इस तरह की रिपोर्ट दे दी तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी और सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह एतराज उठाया था कि बीज अच्छी क्वालिटी के वितरित नहीं किये जा रहे हैं। अभी कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा यह बीज का प्रश्न नहीं है, यह ज्यादा वर्षा होने से पूरा नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनें।

श्री सम्पतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वर्षा से नुकसान हुआ। दोनों ही बात हैं। राजफेड और तिलम संघ का जो बीज टेस्टीफाइड नहीं था एक तो उससे खराब हो गया, फिर फसल जो पकने जा रही थी उस पर बारिश हुई लगातार, जैसा पहले निवेदन किया, ऐसी स्थिति में उत्पादकता में कमी आयी और आयल उड़ गया। किसी विशेषज्ञ की राय आये वह अलग है लेकिन किसान का मत यह है। उससे प्राकृतिक खराबा हुआ और हमारी कमियों की वजह से खराबी हुई है कि हम अच्छे बीज और अच्छी कीटनाशक दवाइयां समय पर उपलब्ध नहीं करा पाये और न एपीडेमिक डिक्लियर किया जिससे किसान पहले प्रिकाशन लेता। अकेले बारिश से नुकसान नहीं हुआ। मंत्रीजी, दोनों को मिलाकर देखिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि क्षेत्रीय किसानों से बातचीत करने पर यह पाया गया कि यह समस्या चाहे किसानों ने स्वयं का बीज बोया हो, अन्य सभी स्रोतों से प्राप्त बीज बोया गया उनमें सब में समान रूप से यह कमी व्याप्त थी, अतः किसी भी प्रकार से इसमें बीज की गुणवत्ता को दोषी नहीं माना जा सकता है।

श्री नत्थीसिंह : एन. डी. डी. बी. का बीज दिया है, यह आपने दिया है। तिलम सहकारी समितियों का बीज है जिसमें हमारे कृषि आयुक्त कहते हैं तिलम संघ ने नहीं दिया। एन. डी. डी. बी. ने दिया है। कोई ने दिया हो, दूसरी सहकारी संस्थाओं ने दिया है, पर उससे पूरी फसल नष्ट हो गयी। 13 तिलम सहकारी समितियां हैं। एक भी सदस्य के यहां नहीं उगा। सरसों का पेड़ खड़ा रह गया। उसके लिए कुछ करिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे और सदस्य की बात में कोई फर्क नहीं है। मैं कहने जा रहा था कि बीज की वजह से नुकसान नहीं हुआ। बीज दूसरी जगह से....

श्री नत्थीसिंह : बीज की वजह से हुआ है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह ऑफिसरों ने दे दिया वह जवाब है। उनको पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनें तो। अब यही रहा तो आगे का प्रश्न लेता हूं। बोलने दीजिए। सारी बात स्वीकार कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उल्टी बात कह रहे हैं। वह कह रहे हैं बीज खराब था, यह कह रहे है नहीं था।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कहें कि मेरे पास ऐसी ही रिपोर्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : जैसी रिपोर्ट है (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई : प्रायवेट जगह से खरीदे और प्रमाणित बीज खरीदे

(श्री रामनारायण विश्नोई)

थे या काश्तकार ने दूसरी जगह से खरीदे थे सब बीजों में एक प्रकार का नुकसान हुआ था। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि बीज की गुणवत्ता की वजह से नुकसान हुआ। यह मेरा कहने का मतलब है। (व्यवधान) अगर यह बात होती कि दूसरी जगह फसल अच्छी होती (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जांच के आदेश दे दिये। सारी बातों की जांच होगी। It includes every thing. फिर इसके बाद क्या रह जाता है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तो यह आदेश दिया है कि जिन अधिकारियों ने बिना गये रिपोर्ट दे दी उनके खिलाफ इस बात की जांच करा लेंगे। बाकी मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि एन. डी. डी. बी. का बीज है वह जर्मिनेशन नहीं हुआ और दूसरी जगह का बीज था वह जर्मीनेशन तो हुआ पर उसके बाद उसमें बीमारी लग गयी। दोनों बातों में बहुत अन्तर है। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि दोनों एक बात है। एक जर्मिनेट ही नहीं हुआ और दूसरा उगने के बाद बीमारी लगी। दो अलग-अलग बात हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करने जा रहा था कि ऐसी कोई शिकायत प्रमाणित बीज के बारे में नहीं प्राप्त हुई कि प्रमाणित बीज तो जर्मिनेट नहीं हुआ और प्रायवेट बीज ने जर्मिनेट होकर अच्छी फसल दी। जिस प्रकार की फसल थी वह दोनों बीजों में एक जैसी थी....(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : गलत है। अखबारों में निकला है।

श्री यदुनाथ सिंह : सहकारी समितियों ने जो बीज दिया....(व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : 13 सोसायटीज ने बीज दिये हैं।

श्री सम्पत सिंह : आप हाउस की कमेटी बनायें।

श्री यदुनाथ सिंह : एक गांव में भी बीज नहीं उगा। यह अनर्गल बात कह रहे हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न विवादास्पद हो गये हैं और जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसकी जांच करवा ली जायेगी....

श्री नत्थीसिंह : बिल्कुल विवादास्पद नहीं है....

श्री रामनारायण विश्नोई : और भरतपुर जिले के माननीय सदस्य उस दल के अन्दर शामिल रहेंगे और जो जांच रिपोर्ट आयेगी उसके मुताबिक कार्यवाही की जायेगी....(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : इसकी भी जांच की जाये कि तिलहन सहकारी समितियों को बीज किस ने दिया और कितना नुकसान हुआ, यह भी होना चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन....

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह स्पष्ट कहा था कि अब तक जो हुआ सो हुआ लेकिन वाइट रस्ट की जो बीमारी है बहुत भयंकर रूप से लगी थी और यह बीमारी जमीन में फैल गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि वाइट रस्ट की बीमारी छूत की बीमारी है और यह बीमारी जमीन में मौजूद हो गई है। अगले साल फसल उगेगी ही नहीं और उगेगी तो उसमें रस्ट की बीमारी लगेगी। इसलिए आप अभी से कृषि विभाग से कोई एरियल सर्वे का या अभियान चलाकर कोई ट्रीटमेंट नहीं करायेंगे तो पूरे जिले में और जहां-जहां भी दूसरे जिलों में वाइट रस्ट की बीमारी है, आपकी इस रिपोर्ट में आया है, वहां पर आप अभी से ट्रीटमेंट नहीं करायेंगे तो अगले साल सरसों की फसल होगी ही नहीं। उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। हमने ध्यान आकर्षण में फसल बीमा की बात की, उसका कोई जवाब नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पतसिंह जी, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री सम्पतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी बिराजे हुए हैं। दूसरे प्रान्तों में जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है वहां की कैश क्राप मूंगफली है, वह तो बीमा कर रहे हैं। हम क्षतिपूर्ति के लिए मांग कर रहे हैं उसमें आप असेसमेंट करायें। पंजाब कपास के लिए दे रहा है, राजस्थान में हम पिछले एक दो वर्षों से बड़े फखर से कहने लगे हैं कि हम तिलहन में न. 1 हो रहे हैं। आज जिस अरमान के साथ किसान ने अपना जरजेवर लगाकर सरसों की फसल बोई थी, नुकसान हुआ है, उसका आप जायजा करवा लीजिये, उसकी क्षति पूर्ति के लिए व्यवस्था करिये....

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। आप बोल चुके हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह दवाइयां सब सटैन्डर्ड बिकती हैं....

श्री यदुनाथसिंह : अगले साल कुछ (व्यवधान) पैदा ही नहीं होगा....

श्री उपाध्यक्ष : आप को सम्मिलित करते हुए सारी बातों की जांच करने के लिए आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दे दिया है....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह जांच का विषय ही नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातों की जांच का आश्वासन दे दिया है, इसके बाद क्या रह जाता है ?

श्री हेतराम बेनीवाल : यह आर्थिक नीति का प्रश्न है, यह जांच का विषय नहीं है। क्या सरकार सोचती है कि सब स्टैन्डर्ड दवाइयां नहीं बिकें ? लाईसेन्स किस तरह से दिये जायें उसमें क्या किया जाये....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं सुन पाया हूं चार प्रकार के यहां पर प्रश्न उठाये गये है। एक प्रश्न है बीज का, दूसरा प्रश्न है दवाइयों का, तीसरा प्रश्न नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है कि जमीन खराब हो गई और उसका ट्रीटमेंट आवश्यक है और चौथा प्रश्न क्षतिपूर्ति का उठाया है । सारी चर्चा में मैं अभी तक चार बातें सुन पाया हूं।

जहां तक ट्रीटमेंट का प्रश्न है, मैं समझता हूं टैक्नीकल एक्सपर्ट्स को भेजकर हम इस बात की जांच करायेंगे कि जमीन में कितनी खराबी हो गई और उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट हो सकता है। मैं आपको विश्वास दे सकता हूं कि ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता टैक्नीकल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यदि मानी गई तो आपसे भी सलाह कर लेंगे और उसका ट्रीटमेंट हम करायेंगे ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार की पैदावार में कोई कमी न आ सके। जहां तक आपने बीज के लिए कहा कि बीज सही प्रकार का नहीं दिया गया, बीज सरकारी स्तर पर भी बांटा गया है, को-आपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू और अन्य संस्थाओं के थ्रू बीज बांटा गया है प्राईवेट एजेन्सीज ने भी बीज बांटा है। उस बीज का भी देख लेंगे कि सरकारी स्तर पर या संस्थाओं के स्तर पर जिनका संबंध सरकार से है यदि उस प्रकार के बीज से जर्मीनेशन नहीं हुआ, और जर्मीनेशन होने के बाद वह फसल नष्ट हो गई, वह दोनों आसपेक्ट्स को दिखा लेंगे। जहां कमी रही है या बीज के वितरण में किसी प्रकार का गुणात्मक दृष्टि से निम्न स्तर का बीज बांटा गया है, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी उसकी भी मैं जांच करवा लूंगा। तीसरा क्षतिपूर्ति का प्रश्न है कि इसकी क्षतिपूर्ति होगी या नहीं होगी। आज तक तो राजस्थान में इस प्रकार की क्षतिपूर्ति हुई नहीं है लेकिन अधिक नुकसान हुआ है और लोगों के सामने इस प्रकार का कोई संकट आ गया है तो नेच्युरल क्लेमिटी फण्ड से उसमें से कितनी राहत दी जा सकती है उस पर हम विचार करेंगे....

श्री नत्थीसिंह: वह तो बहुत मीगर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मीगर हैं, आज तक तो किसी ने दी नहीं है। आज ही कोई फसल नष्ट हुई हो ऐसी बात नहीं है....

श्री सम्पतसिंह: नेता महोदय, प्रेजेन्ट गवर्नमेंट ने बीमा के लिए पेशकश की हुई है तो उस परिप्रेक्ष्य में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं आपको बता दूं। आज ही कोई फसल नष्ट हुई हो ऐसी बात नहीं है। नत्थीसिंह जी, आपने भी देखा है मैंने भी देखा है, इस सदन में कई बार चर्चा हुई है। पूरे जिले के जिले बीज के कारण से बरबाद हो गये या अन्य कारणों से बरबाद हो गये। ऐसी स्थिति में कोई यह समझे सब की क्षतिपूर्ति कर दी गई हो, मैं इसके बारे में आज के दिन नहीं कह सकता। लेकिन इतना कह सकता हूं कि इस कारण से किसी के सामने रोटी-रोजी की समस्या पैदा हुई है उसका समाधान किस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से किया जा सकता है-सरकार इस पर निश्चित रूप से बात करेगी। बीज निगम के बीज की कोई शिकायत आई है, अभी तक तो सरकार के पास नहीं है, पहली बार यहां पर इस प्रकार की चर्चा हो रही है कि इस प्रकार की कोई शिकायत आई है। आज के पहले इस बात की शिकायत नहीं आई है। मैं ऐसा समझता हूं। फसल बोये तीन महीने हो गये तीन महीने में अगर जर्मीनेशन नहीं होता या बीज के कारण से फसल अच्छी तैयार नहीं हो रही है तो काश्तकार किसी न किसी स्तर पर इस बात की....

श्री यदुनाथसिंह : आपके जवाब में आ गया कि शिकायत आ गई....

श्री नत्थीसिंह : बीज निगम की नहीं आई, सबकी मिलाकर कहा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बीज निगम की बात कह रहा हूं। बीज निगम के लिए इन्होंने भी नहीं कहा। लेकिन बीज चाहे किसी प्रकार का हो निगम ने दिया हो, चाहे प्राइवेट संस्था ने दिया हो। यहां पर रघुवीरसिंह जी कौशल ने शायद यह कहा कि बीज खराब दे दिया जाये, दवाइयां खराब दे दी जायें, इस संबंध में कोई कानून बना हुआ नहीं है। मुझे बीज संबंधी कोई जानकारी नहीं है लेकिन कानून से अगर यह चीजें रुक सकती हों तो सरकार कानून बनाने के मामले में कोई संकोच नहीं करेगी। मैं समझता हूं जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि आफिसर ने रिपोर्ट दी है अफसर गये नहीं, यह सब मैं पहले ही कह चुका हूं, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं, इतना पर्याप्त होगा....

श्री यदुनाथसिंह : दवाइयों के बारे में....

श्रीमती सुमित्रासिंह : नकली दवाइयां, इन्होंने यहां पर सेम्पल प्रोड्यूस किया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि नकली दवाइयों के संबंध में आपने जानकारी हाउस में दी होगी इसके अलावा भी यदि कोई जानकारी है आप मंत्री जी को दे दें, मुझे दे दें मैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी जितनी सख्त कार्यवाही करा सकता हूं कराऊंगा, कानून के अन्तर्गत कार्यवाही होगी।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय की चर्चा समाप्त हुई।

याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री मांगीलाल मेघवाल।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अमीन खां।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अमीन खां (शिव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला बाड़मेर की पंचायत समिति बायतू के पंचायत मुख्यावास कसुम्बला भाटीयन गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने बाबत पांच

(श्री अमीन खां)

व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायण वर्मा। (अनुपस्थित)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री शांतिलाल चपलोत (राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव हूं कि राजस्थान कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीया श्रीमती उजला अरोड़ा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री कालीचरण सराफ। (अनुपस्थित)

माननीय श्री बुलाकीदास कल्ला।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

(3.00 म प.)

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1992 के संबंध में राज्य सरकार ने कतिपय संशोधन कर इस बिल में धारा 3 का संशोधन प्रस्तावित किया है। उसमें व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक भूमि में एक बारीय कर लगाने का प्रावधान पहले नहीं था लेकिन अब वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक भूमि पर एक बारीय कर लगाने के बारे में प्रावधान करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ धारा 16 और धारा 18 में जो अपील का अधिकार था वह पहले 30 दिन का था अब 60 दिन करने की व्यवस्था इसमें की है। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि भूमि एवं भवन कर के फैसले एक-एक महीने तक पहुंचते नहीं हैं। पहले तीस दिन की व्यवस्था थी और अब जब 60 दिन की व्यवस्था की है, फिर एक महीना ही रह जायेगा। इस लिए अपील के लिए 60 दिन की बजाय 90 दिन का अधिकार दिया जाना चाहिये ताकि जब तक उसके पास फैसला पहुंचे, वह अपने वकीलों की सलाह कर उसके बारे में अपील कर सके। जहां तक भूमि एवं भवन कर का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, एक जैसी चीज के राजस्थान में कई प्रकार के कर लग रहे है। यू.आई.टी. लीज लेती है, नगरपालिका हाउस टैक्स लेती है, फिर यह भूमि एवं भवन कर, और 1974 का एक एक्ट और आया हुआ है उसके अन्दर नगरीय कर और लगता है। एक चीज के चार-चार प्रकार के कर लग रहे हैं। इस सम्बन्ध में इस विधान सभा में भी चर्चा हुई है कि भवन कर, हाउस टैक्स, लीज मनी और नगरीय कर, सब को एकजायी कर के रूप में राज्य सरकार को लगाना चाहिए। चार स्थानों पर एक व्यक्ति को अलग-अलग प्रकार के कर देने पड़ते हैं और

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

करदाता को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के अन्तर्गत एक लाख से कम के मकानों को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता। एक वक्त था जब एक लाख की रकम को बहुत बड़ा माना जाता था। आज सरकारी कर्मचारी और मध्यम वर्ग के लोग सरकार से ऋण लेकर मकान बनवाते हैं। डेढ़-दो लाख का ऋण लेते हैं और कुछ जमीन की कास्ट होती है। इसलिए इस दर को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये तक के मकानों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगना चाहिए।

इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस भूमि एवं भवन कर से राज्य सरकार को कितनी आमदनी हो रही है और इसको वसूल करने में कितना व्यय हो रहा है? भूमि एवं भवन कर का कितना बकाया है? इन सब चीजों के बारे में मन्त्रीजी को अपने प्रत्युत्तर में बताना चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक लाख से कम जिनकी आबादी है उन शहरों में किसी भी प्रकार का भूमि एवं भवन कर नहीं लगता। अब इसको भी बढ़ाकर कम से कम 4–5 लाख तक के जो शहर है उनको इससे माफी देनी चाहिए।

इसके साथ ही असैसमैण्ट की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत घपला होता है। कोई मकान 50 हजार का होता है उसको पांच लाख का बता दिया जाता है और जो 10 लाख का मकान होता है उसको एक लाख का बता दिया जाता है। असैसमैण्ट की प्रक्रिया को एक फुलप्रूफ-सिस्टम बनाकर किसी सक्षम अधिकारी के माध्यम से उसका असैसमैन्ट कराया जाना चाहिए। नहीं तो भूमि एवं भवन कर विभाग के जो इन्सपैक्टर हैं वे निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार करते हैं। यह मैं सब लोगों के लिए नहीं मानता, लेकिन अधिकांश जगहों पर ऐसा होता है कि असैसमैण्ट में भारी गड़बड़ होती है। वे जो असैसमैण्ट कर देते हैं वह निश्चित रूप से मान लिया जाता है। इन सब मुद्दों के बारे में मैं समझता हूं, माननीय मन्त्रीजी विधेयक में कुछ अमैण्डमैण्ड करने जा रहे हैं। एक तो अपील का अधिकार 90 दिन का होना चाहिए और जो सुझाव हम लोगों ने दिये है उनके बारे में कुछ उपयुक्त उपबन्ध करने चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूं कि भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरालाल जी आर्य। (अनुपस्थित)।

माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आने वाले माननीय विधायक ने धारा 3 में संशोधन के बारे में कहा। धारा 3 में, जो रिहायशी मकान हैं उनका पहले यह तय किया गया था कि एक बारीय टैक्स लिया जाय। आठ साल का एक साथ टैक्स जमा कराने

(श्री शांतिलाल चपलोत)

पर उसके असैसमैण्ट को बन्द कर दिया जाय, या फिर जब स्लेब खुले तब किया जाय। इसलिए एक बारीय टैक्स को किया गया। उसके पश्चात्, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र और होटल्स को इसमें लिया गया अभी-अभी और उसमें एक बारीय टैक्स का प्रावधान किया गया कि एक साल का जो टैक्स बनता है वह 10 साल का यदि इकट्ठा टैक्स दे दिया जाता है तो बार-बार उसकी जांच नहीं हो। इसी तरीके की मांग सब तरफ से आयी, जो व्यावसायिक स्थान, दुकानें और दूसरी जगह हैं उन सबको भी इसमें शामिल करने के लिए मांग आयी कि 10 साल का टैक्स यदि एक साथ लिया जाता है तो सरकार को भी इसकी आय होती है और बार-बार जो प्रशासनिक व्यय करना पड़ता है उससे भी हम छूट जाते हैं।

एक दूसरी मांग विधायक महोदय ने हमारे सामने रखी कि 60 साल की मियाद अपील के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : 60 दिन।

श्री शांतिलाल चपलोत : सॉरी, 60 दिन की मियाद अपील के लिए एक पैनल्टी में है धारा 16 में और एक जो असैसमैण्ट होता है उसकी अपील के लिए 60 दिन की मियाद है। पहले 30 दिन की मियाद थी उसको हम 60 दिन की कर रहे हैं। और आपने 90 दिन का कहा। यह जो मियाद काउण्ट होती है असैसमैण्ट में, जिस दिन जजमैण्ट हो जाता है, जिस दिन उसको डिलीवर किया जाता है उस दिन से हम मियाद काउण्ट करते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि इसकी कोई बहुत ज्यादा उपादेयता रहेगी। पहले ही बहुत ज्यादा समय बढ़ाया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने पूछा कि कितना प्रतिशत इस दर पर खर्च किया जाता है। मैं सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि 1988 में 1045 लाख अर्थात् 10 करोड़ 45 लाख रुपये आये थे और उस पर खर्च 56 लाख 75 हजार रुपये आया था। जितना अर्न कर रहा है डिपार्टमैण्ट उसका 5.23 प्रतिशत उस पर व्यय आया। इसी तरीके से वर्ष 1990–91 में 870 लाख रुपये आया और उस पर 74 लाख रुपये खर्चा आया, जो 8 6 प्रतिशत के आस-पास बैठता है। 1991–92 में अभी बाकी है आना। काफी पैसा आ गया है। पूरा तो इस मार्च का एण्ड होने के पश्चात् ही पता चल पाएगा। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिए एक निवेदन करना चाहता हूं कि आमद से खर्चा हमारा ज्यादा नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी रखा कि एक लाख की आबादी में यह टैक्स नहीं लगता है, 4–5 लाख की आबादी को छूट दी जाए। अभी मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इस प्रकार की गुंजाइश आ गयी है छूट देने की। एक्सलरेट करने के लिए और सरकार की आमद बढ़ाने के लिए इस प्रकार किया जाना अभी सम्भव नहीं है।

इसके साथ इंस्पैक्टर्स का आपने कहा कि भ्रष्टाचार वगैरह होता है। माननीय

(श्री शांतिलाल चपलोत)

उपाध्यक्ष महोदय, एक्स–3 विभाग का, पी. डब्ल्यू. डी. का एक शिड्यूल बना हुआ है। उसके हिसाब से 1973 के बेसिस पर असैसमेण्ट किया जाता है। 1973 में एक्स–3 के हिसाब से माना जाता था कि 270 रुपये प्रति वर्ग मीटर कंस्ट्रक्शन कास्ट आंकी जानी चाहिए। मनमाने तरीके से या आर्बीट्रेरिली इस प्रकार कोई नहीं किया जा सकता। जयपुर प्रांपर के लिए तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह तय किया गया है कि वह वैल्यूएशन मानी जाएगी जो रजिस्ट्री कराते समय जो स्टाम्प दिया गया है उस स्टाम्प में जितनी वैल्यू बतायी गयी है। वह वैल्यूएशन भूमि की मानी जाएगी और उसके ऊपर क्या भवन बना हुआ है उसकी मानी जाएगी। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा अमेण्डमेंट हो। इससे सरकार को 10 करोड़ रुपये के आस-पास आमद पड़ती है। आर. एस. ई. बी वगैरह में अभी कुछ टैक्स बाकी है वह नहीं आने की वजह से थोड़ी कमी हुई है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कर कितने बकाया हैं?

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुल टैक्स अभी तक सारे ही सालों का जो शुरू से बकाया हैं वह 1221 लाख यानी 12 करोड़ रुपये हैं। उसका कारण है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। कुछ तो हाई कोर्ट से स्टे है और कुछ दूसरी जगह से स्टे है। 950 लाख अर्थात् 9.5 करोड़ रुपये पर स्टे लगा हुआ है और तीन-साढ़े तीन करोड़ बाकी है। उस हिसाब से मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी राशि है। इतने वर्षों से यह लागू किया हुआ है। इसलिए मै निवेदन करूंगा कि इसको विचारार्थ और पारित करने के लिए लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का मन्तव्य शायद यह है कि

श्रीमती उजला अरोड़ा)

भूमि खाली नहीं रहे। मेरे ख्याल से यह लक्ष्य होता तो ज्यादा अच्छा रहता। आपने 15 से 20 साल की अवधि बढ़ाई, आप समय सीमा में बांध रहे हैं 73 से 93 और अपने उद्देश्य में लिख रहे हैं "आगामी आने वाले 5 वर्षों तक भी यह कार्य किया जा सकेगा"। आप पढ़िये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इसको समय सीमा में नहीं बांधें। जब आप 73 से असैसमैण्ट की बात कहते हैं और 93 तक असैसमैण्ट की बात कहेंगे तो असैसमैण्ट आज की डेट से करेंगे। तो आप यह देखिये कि इसका क्या होगा।

दूसरी बात मैं और कहना चाहती हूं। अगर स्वामित्व परिवर्तन हुआ तो उस स्थिति में आप क्या करने जायेंगे ! यह जरूरी नहीं है कि होटल एक ही मालिक का रहे, दूसरे को नहीं बिके। आज यह भी नहीं होगा कि वाणिज्यिक स्थान एक का ही रहे, दूसरे को नहीं जाय। आप एक बार यह करके ला रहे हैं, यह तो अच्छी बात है लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आप इस सारे परिप्रेक्ष्य में सोचें कि अगर स्वामित्व परिवर्तन हुआ तो आप क्या करेंगे। मेरा आपको सुझाव है कि 60 दिन की जो सीमा की है, यह कम है। अपील की स्थिति में और अधिक टाइम इसमें मिलना चाहिये।

इन तीनों बातों का उत्तर आप दें। क्या आप इसको मानने के लिये तैयार हैं ? व्यावहारिक तो यही रहेगा। आप सोचिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकिशन जी।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो इस सम्बन्ध में इतनी सी बात कहनी है कि माननीय मंत्री जी ने कुछ संशोधन किये हैं और अपील समय भी बढ़ाया है लेकिन शायद यह उनके ख्याल में नहीं आया कि जो डायरेक्टर होता है, वह ही अपीलेट अथोरिटी भी है। अब यह सामान्य न्याय के बिल्कुल खिलाफ है कि जो फैसला करेगा उसके ही पास अपील हो। मंत्री जी मैं आपसे चाहूंगा कि बजट भाषण में इसको उछाला था इसलिये संशोधन आप ले आये लेकिन जब संशोधन ही लाना था तो इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये। डायरेक्टर के पास अपील होती है, डायरेक्टर इसका असैसमैण्ट करता है। इसलिये यह सामान्य न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ भी है। मेरा इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन है, मैं यह नहीं कहता कि स्टाफ बढ़ाओ। आज इकोनोमी कट के समय में ऐसा भी सुझाव नहीं दूंगा लेकिन सैल्स टैक्स में जो हायर अथोरिटी हैं, जहां अपील हो सकती है, उनसे अगर इस अपील का प्रावधान जोड़ दिया जाय तो ऐसा लगेगा कि लोगों के साथ न्याय हो रहा है।

इसी प्रकार से अलग-अलग डिविजन पर अलग-अलग निर्णय दिये गये हैं और निर्णय में एकरूपता नहीं होने की वजह से जो आपने कहा कि हाइकोर्ट में लोग इसलिये गये हैं कि निर्णय बिल्कुल अलग-अलग ढंग के होते हैं। अगर इसमें एकरूपता लाने की कोई व्यवस्था की जा सकती हो तो

(श्री रामकिशन)

इतनी बड़ी रकम नहीं अटकेगी। आपके हिसाब से 12 करोड़ की रकम कम हो सकती है लेकिन राजस्थान को आज के हिसाब से एक एक पैसे की जरूरत है। इस तरह के अगर कोई कानूनी प्रावधान या कानूनी विरोधाभास की वजह से कहीं ऐसा हो रहा है तो इस पर आपको जरूर विचार करना चाहिये।

तीसरा, माननीय कल्ला साहब ने एक बात कही कि जहां एक लाख से कम की आबादी है, वहां तो यह टैक्स लगता ही नहीं है बल्कि इसे और बढ़ा दिया जाना चाहिये। मेरा इस सम्बन्ध में उनसे विपरीत यह कहना है कि आजकल जमीन और भवन की कीमत बहुत बढ़ रही है और यह एक ऐसी सम्पत्ति है जिसके बिना लागत के लोगों की एक एक दिन में जो 10 साल पहले 10 लाख के मालिक नहीं थे, वे आज 10 करोड़ के मालिक हो गये। इसलिये इसमें कौनसे क्षेत्र कहा हैं, इसको दुबारा से देखना चाहिये। कई शहर ऐसे हैं जहां एक लाख से कम आबादी हैं लेकिन जमीनों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर मानो कोई औद्योगिक बस्ती बन गई हों जैसे अलवर में भिवाड़ी है या भरतपुर में कोई औद्योगिक बस्ती बन जाती है, छोटे कस्बों में भी तो जमीन और मकान की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिये खाली एक मापदण्ड नहीं बल्कि सरकार को यह तलाश करते रहना चाहिये कि सरकार को पैसा कहां से मिले और जैसा मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय कह रहे थे कि टैक्स लगाने की हमारी कोई मंशा नहीं है, आपकी मंशा टैक्स लगाने की न सही लेकिन टैक्स पर लीकेज कहां है, फिजूलखर्ची तो नहीं हो रही है, इस पर तो आप लोगों की नजर जानी चाहिये।

मैं समझता हूं कि इसमें दो प्रावधान करने की बहुत जरूरत है। अपीलेट अथोरिटी का प्रावधान आप नहीं करते तो ऐसा लगता है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, विभाग जो चाहे फैसला कर ले। यह सामान्य न्याय के खिलाफ भी है। मैं चाहता हूं मंत्री जी जवाब देते समय इस बात के संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त राज्य मंत्री जी ने जो अपना प्रत्युत्तर दिया, उसमें कुछ मुद्दों के बारे में उत्तर नहीं दिया। जैसे मैंने बताया था कि मकान एक ही व्यक्ति का है, उसके ऊपर नगर पालिका हाउस टैक्स लगाती है, यू. आई. टी. लीज लेती है, नगरीय कर अलग लगता है और भूमि एवं भवन कर, एक व्यक्ति पर एक मकान के लिये चार जगह अलग अलग टैक्स। इसके बारे में राज्य सरकार का क्या विचार है। एक वस्तु पर चार प्रकार के कर राज्य सरकार द्वारा एवं आटोनोमस बोडिज के द्वारा लगाये जा रहे हैं। इससे मकानों के जो मालिक हैं, वे बड़े परेशान हैं। खास तौर से जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वे बहुत परेशान हैं। जिन मकानों की कीमत 25 हजार या 50 हजार भी नहीं है, उसका असेसमैण्ट एक

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

लाख से ऊपर कर देते हैं। इसके सम्बन्ध में आप कहीं न कहीं फूलप्रूफ सिस्टम बनाकर चैक लगाइये।

जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह बात सही है कि जो व्यक्ति न्याय करता है, वह अपील सुनने का अधिकारी है तो यह नेचुरल जस्टिस के बिल्कुल खिलाफ बात है। स्वयं आपने अभी अपने प्रत्युत्तर में यह बताया कि साढ़े आठ करोड़ रुपये आप वसूल कर रहे हैं और साढ़े 12 करोड़ रुपये आपका बकाया है। साढ़े 9 करोड़ रुपये के मामलों पर हाई-कोर्ट ने स्टे कर रखा है। ऐसे मामलों में आपकी बकाया रही है। तो कहीं न कहीं आपके इस भूमि एवं भवन कर में त्रुटि है। निश्चित रूप से सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि आपने पहले कुल 30 दिन का अपील का अधिकार दिया था, उसको आप कम से कम 3 महीने का कीजिये। लिमिटेशन एक्स में भी प्राय: 3 महीने का प्रावधान है। इसको आप 90 दिन का करिये। दो महीने तक डाक लोगों को नहीं मिलती है, तारीख पुरानी लग जाती है। इसको 90 दिन करने में कोई प्रेस्टिज इश्यू नहीं बनाना चाहिये।

इसके साथ साथ जो अपीलेट अथोरिटी है, वह नैक्स्ट हायर अफसर होना चाहिये या फैसला करने का अधिकार नीचे के अधिकारी को दीजिये, फिर उसके बाद अपील सुनने का अधिकार उससे नैक्स्ट हायर अफसर को दीजिये तब जाकर यह व्यवस्था ठीक होगी और एक वस्तु पर अलग-अलग विभाग, जो अलग-अलग स्वायत्त-शासी संस्थाएं टैक्स ले रही हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह आ गया है, कल्ला साहब। माननीय प्रभारी मंत्री जी। कह दिया, सारा रिपीटिशन हो रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा अधिकार है। इसमें समय सीमा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बात वह ही आ रही है। आप दुबारा कहना पसन्द करेंगे क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, दुबारा नहीं कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो सुझाव हैं, उनके सम्बन्ध में हो सकता है कि आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आप दूसरा बिल ले लें। जब तक मुख्य मंत्री जी से निर्णय करके जो मुद्दे हम लोगों ने उठाये हैं, उन मुद्दों के बारे में आप सोचकर निर्णय कर दें। कम से कम जो व्यक्ति ऋण लेकर मकान बनाता है, उम्र भर कर्ज चुकाता है, सारी उम्र घाणी के बैल की तरह कर्ज चुकाने में बीत जाती है। एक से ज्यादा मकान किसी के पास हो तो आप कर लगायें लेकिन जिस व्यक्ति ने पैसा उधार लेकर मकान बनाया है और उसके ऊपर चार-चार प्रकार के कर लगाओ, यह उचित नहीं है। इसलिए इसके ऊपर पुनर्विचार कर निर्णय दें। आप इसको विधान सभा की एक कमेटी बनाकर इसके ऊपर विचार कर दुबारा से लायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने....(व्यवधान) कोई खास मेटेरियल बात नहीं कही।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा का सदस्य केवल सदस्य होता है। इसमें "सदस्या"....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात का भी उत्तर देंगे। दोनों के नाम एक साथ नहीं ले सकते। आप थोड़ा धैर्य रखें। (व्यवधान) आपका नाम ले रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आगे के लिये सुधार करवा दीजिये।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया कि जो असिसटेंट कमिश्नर होता है, वह असिसटेंट कमिश्नर उप निदेशक की रैंक के व्यक्ति हैं, वे इसका असैसमैण्ट करते हैं। इसकी अपील कमिश्नर साहब के यहां होती है। वे हैड आफ द डिपार्टमैण्ट है। उसके पश्चात् पहले रेवेन्यू बोर्ड में जाती थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो-तीन साल से इसको बदलकर जितने डिविजनल कमिश्नर हैं, उनको उसके अधिकार दिये गये हैं। इसलिये मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता हो सकती है। सारी की सारी बात डिविजनल कमिश्नर लेवल पर देखी जा सकती है।

इसके साथ ही माननीय कल्ला साहब ने यह फरमाया कि क्यों नहीं एक ही प्रकार का टैक्स कर दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर एक लाख की आबादी है, वहां तो यह लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स लगता है, यह टैक्स राजस्थान में कई म्युनिसिपैलिटी लगा रही हैं जो एक लाख से कम की आबादी की हैं, उसके बावजूद भी अलग टैक्स लग रहा है उसको कैसे क्लब किया जा सकता है -यह तय किया जाना सम्भव नहीं है। इसके साथ-साथ ऐसा किस प्रकार से किया जा सकता है उसके लिए हम ला कमीशन को फोर्म कर रहे हैं, उसमें सब बातें रखी जायेंगी, सारे के सारे एक्ट्स रखे जायेंगे कि किस तरह से सरलीकरण किया जा सकता है, जनता को किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है। यह हमारा मोटो है। सोशल वेलफेयर स्टेट का यही मोटो होना चाहिये। उसी के नाते हम कम कर रहे हैं। उसको उस समय भी देखा जा सकता है।

इसके साथ ही आपने फरमाया कि साढ़े नौ करोड़ रुपये बाकी है। स्टे के मामले में क्या किया जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्टे तो स्टे ही है। स्टे वेकेट कराने के लिए अदालत में पैरवी तो की जा सकती है कि भाई उसको आप वेकेट करवाने के लिए कोशिश करें। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में एम्बिग्युटि नहीं है और न इनफरमिटी है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसे पारित करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि एवं भवन (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया गया।

राजस्थान भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1992-प्रभारी मंत्रीजी विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री शान्तिलाल चपलोत (वित्त राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बुलाकीदासजी कल्ला।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस एक्ट में कोई विशेष बात नहीं है। यह अधिनियम, 1985 में बना और अभी इसमें धारा 2 का संशोधन सुप्रीम कोर्ट के अरावली मिनरल्स एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य इसकी अर्जी संख्या 112 के फैसले के कारण आया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा कहना था कि राज्य सरकार ने बहुत जल्दी में यह संशोधन किया है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की कमेटी बनाई जाकर सम्बन्धित जितने भी प्रावधान हैं, नहीं तो क्या होगा कि जैसा अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, फिर कोई हाई कोर्ट फैसला देगी और फैसला देने के बाद जैसे-जैसे डाइरेक्टिव्ज कोर्ट से आयेंगे उनके आधार पर अमैन्डमैन्ट किए जायेंगे। उससे अच्छा यह है कि राज्य सरकार कोई भी इस पर विधान बनाये उससे पहले सदस्यों के सामने अपनी बात रखे। अभी हमारी प्रक्रिया, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी है कि विधेयक या तो आर्डिनेंस के रूप में आते हैं या विधेयक विधान सभा के समय में आते हैं। मेरा निवेदन है कि हमारी जो कमेटियां बनी हुई हैं उनको इफेक्टिव बनाकर उनमें पहले थ्रेड बियर डिस्कसन होना चाहिए और माननीय सदस्यों के सुझाव लेकर उस एक्ट के बारे में जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करते हुए हम अच्छा विधेयक बना सकें, इसके बारे में प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो क्या हो रहा है कि राज्य में जितने भी विधेयक हैं उनके सम्बन्ध में समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले होते हैं और उनके आधार पर संशोधन लाये जाते हैं।

ठीक इसी तरह से इन्होंने धारा (2) खण्ड (क) उप खण्ड 1 के स्थान पर कुछ नई चीजें जोड़ी हैं। इसमें (व्यवधान) धारा 5 में अलग प्रावधान है। धारा (5) में वार्षिक मूल्य 50 प्रतिशत से अनधिक के बीच में प्रयुक्त अभिव्यक्ति '50 प्रतिशत' हटाई जायेगी। यह जो सारा का सारा

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

प्रावधान है, इसको करने के उपरान्त इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त राज्य मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में यह वार्षिक मूल्य परिवर्तन हो सकता है और समय-समय पर लीज में परिवर्तन हो रहे हैं इनके बारे में आपका किस तरीके से सिस्टम रहेगा, नोटिफिकेशन के आधार क्या रहेंगे। इन बातों का यदि आप स्पष्टीकरण कर दें तो निश्चित रूप से सदन को भी इसके बारे में गवर्नमेण्ट की पालिसी का अन्दाजा लगेगा। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा कि विधायी कार्य और विधेयक लाने से पूर्व सदन को विश्वास में लेकर उसके बारे में पूरा डिस्कसन करना चाहिए और जब तक यह परम्परा आप शुरु करें, इस विधेयक को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरालाल जी इन्दौरा। (अनुपस्थित)। माननीय श्री प्रेमसिंह दहिया। (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्रीजी क्या उत्तर देंगे आप ? (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा नाम नहीं है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है मैटेरियल बात ऐसी नहीं है।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होल्डिंग्स पर पहले टैक्स पर टैक्स लगता था, अर्थात् खनिज पर लगता था उसको हटा कर रायल्टी और डेड रेण्ट उस पर लगता था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसा बताया है कि इस तरीके से टैक्स पर टैक्स हो जायेगा। उस बात को हटा कर हमने तय किया है कि उसकी जो लैंड है कि उसमें प्रति हैक्टेयर तक 25 हजार तक का अधिकतम टैक्स इम्पोज करें, यह इसलिए ऐसा किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको लाने का बहुत बड़ा उद्देश्य वैलफेयर स्टेट और सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी अपना एक मुद्दा है। इसलिए इसको रखा गया है। पहले क्या होता था कि लोग बड़ी-बड़ी माइन्स का एरिया ले लेते थे 15-15-25-30

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त राज्य मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि सोशल वेलफेयर स्टेट है या सोशल....(व्यवधान)

श्री शान्तिलाल चपलोत : दोनों ही हैं माननीय सदस्य। (व्यवधान) We are running on the pattern of socialistic society.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी-बड़ी लीज लेकर लोग करते नहीं थे और हर साल डेड रेंट 7–8–10 हजार रुपये चुका दिए उसके पश्चात् उसके ऊपर माइनिंग नहीं करना, उसको लेकर पड़े रखना, 5-5, 10-10 साल तक उसको रखे रखना और पैसे देते जाना जिससे बाद में

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

कभी भी बेचा जा सके और अच्छा पैसा आ जाय। इस बात को कवर करने के लिए और छोटी से छोटी लीज के टुकड़े देकर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ अधिक से अधिक मिनरल्स को एक्सप्लायट कर सकें, निकाल सकें, इसके लिए यह लाया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पहले जो धारा 50 में 50 प्रतिशत रायल्टी या डड रेंट जो यह था उसका 50 प्रतिशत था अब हमने उसको बढ़ा कर 4 गुना कर दिया और उसके हिसाब से जो भी....(व्यवधान)... प्रति हेक्टेयर पर 25 हजार रुपये से 6–7 हजार रुपये बीघा के पड़ते हैं....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्रजी व्यास।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्य अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : विधायी कार्य के समय पढ़ सकते हैं, मोशन बनाने के लिए पढ़ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यास जी। कल्ला साहब सदन की परम्पराएं हैं उनको ध्यान में रखे। सदन के नियम बने हुए हैं उनसे चलना चाहिए अपन को। प्लीज।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में जो विचार रखें हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस अधिनियम से....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर। सदन की परम्पराएं यह हैं कि अखबार देखकर नहीं पढ़ा जाय। जो कुछ पढ़ा जाय वह नीचे रख कर पढ़ा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह दिखा कर पढ़ रहे हैं, लोगों को नजर आ गया और वह ऐतराज कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह हंसने की बात नहीं है। आप हंस रहे हैं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : यह तो निकाल कर पढ़ रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि मंत्रीजी किसी को नाम से नहीं पुकारें। नाम से पुकारने का केवल अधिकार आपको है और वह भी नाराजगी में। राजी वे में नहीं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुस्करा कर।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

श्री शान्तिलाल चपलोत : मैं सभी माननीय सदस्यों की कान्स्टीट्यूएंसीज के नाम नहीं जानता हूं। इसलिए नाम ले लिया। वरना कोई अपमान करने का मेरा मन्तव्य नहीं है।

डा. चन्द्रभान : बीकानेर को भी नहीं जानते हैं आप ?

श्री उपाध्यक्ष : जानते हैं। बीकानेर शहर एक ही है। बीकानेर शहर और ग्रामीण एक ही है।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो रेवेन्यू सरकार को मिलेगी वह 10 से 12 करोड़ रुपये की मिलेगी और यदि वह 6 महीने और उसको रुक जाती है तो 6–7 करोड़ रुपये का नुकसान हो जायेगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप सब सदस्य साहिबान से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इसे विचारार्थ लिया जाय और पारित भी फरमाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि कर (सशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मन्त्रीजी प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शान्तिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(ध्वनिमत के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ना पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : अगेन पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(ध्वनिमत के पश्चात)

हां पक्ष जीता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ना पक्ष जीता। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आपका राइट है। मैं एक बार और पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान भूमि कर संशोधन विधेयक, 1992 को पारित किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह तो आप कर देंगे पर मन्त्री महोदय, कोर्ट से चेलेन्ज होकर आते हैं, आगे ऐसा नहीं हो इसका तो आपको ध्यान रखना चाहिए। आप

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

यहां संशोधन करवा लेते हैं, बाद में कोर्ट में चेलेन्ज होने पर हार जाते हो। इस व्यवस्था को आप सुधारो और ऐसी कोई व्यवस्था करो ताकि आपको वहां हार का मुंह नहीं देखना पड़े।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की प्रस्तुति

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 02,98,16,41,000/– (दो अरब, अठ्यान्मे करोड़, सोलह लाख, इक्तालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 26 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 26 मुख्य शीर्षक चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :–

श्री अचलाराम (देसूरी)

1. राजकीय चिकित्सालय देसूरी (पाली) को सामुदायिक चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने तथा राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय सादड़ी (पाली) में 30 बेड के स्थान पर 50 बेड की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

2. बाड़मेर व जैसलमेर जिला मुख्यालय के अस्पताल में व्याप्त भयंकर गंदगी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

3. बाड़मेर जिले के तालियार ग्राम में सब सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गांव जैसिन्धर स्टेशन में पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. बाड़मेर जिले की तहसील शिव के ग्राम हरसानी में पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

6. सीमावर्ती जिला बाड़मेर, जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों की सब सेन्टर डिस्पेन्सरी में रिक्त पद भेदभाव की वजह से न भरे जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)

7. राजस्थान में अस्पतालों की खराब हालत दवाई एवं साधनों की अनुपलब्धता की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

8. सिरोही मुख्यालय के अस्पताल में चिकित्सा एवं सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

9. सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर को राजधानी का उत्कृष्ट चिकित्सालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

10. सिरोही तहसील के बराड़ा गांव तथा शिवगंज तहसील के पालड़ी गांव में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलकर महिला चिकित्सक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

11. शिवगंज तहसील के ग्राम जोगापुरा, बोयला, आल्पा, मोचाल, बाड़का, गोला, बुडेरी, रोवाड़ा, बखगावास आदि गांवों के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करोली)

12. सवाई माधोपुर जिले के चिकित्सालयों में विभाग द्वारा सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

13. सवाई माधोपुर जिले में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचोर)

14. विशेषज्ञ डाक्टरों को पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्टों में नियुक्त करने से सरकारी अस्पतालों में योग्य डाक्टरों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्दनमल बैद (तारा नगर)

15. राज्य में ग्रामीण जनता को अधिक चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)

16. अस्पतालों में सफाई व्यवस्था के प्रति विभागीय उपेक्षावृति पर चर्चा के लिये ।

17. आबादी के अनुपात में दवाइयां व अस्पताल में बेड की आवश्यकता को पूर्ण कर ग्राम जनता को राहत पहुंचाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

18- कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में डाक्टर कम्पाउन्डर व स्टाफ की पूर्ति कर ग्राम जनता को राहत पहुंचाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची)

19. विधान सभा क्षेत्र खारची के उप स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

20. तहसील क्षेत्र खैरवाड़ा के विभिन्न उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. रेफरल अस्पताल ऋषभदेव में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. कनबई में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. खैरवाड़ा तहसील मुख्यालय पर रेफरल अस्पताल खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

24. सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर के वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 के बजट में अन्य मेडिकल कालेजों की तुलना में पूर्व प्रस्तावित एवं स्वीकृत बजटों में कटौती करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. प्रदेशो के विभिन्न अस्पतालों में लंबे समय से खराब पड़ी मशीनों, उपकरणों, ग्लूकोज संयंत्रों, एक्सरे मशीनों के खराब रहने के कारण जन स्वास्थ्य में होने वाली हानि के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल (राजसमंद)

26. जिला मुख्यालय राजसमंद में जिला चिकित्सालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (नोखा)

27. अनुसूचित जाति/जन जाति के नेत्र सहायकों का आरक्षण कोटा (बैकलाग) पूरा करने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

28. लूणी विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सकों के जोधपुर शहर में आ जाने से ग्रामीण चिकित्सालयों में नहीं रहने, समय पर अपनी ड्यूटी पर नहीं जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सक को आकर्षित करने के लिये पदोन्नति में 10 वर्ष का ग्रामीण क्षेत्र का अनुभव अनिवार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित डिसपेन्सरियों तथा औषधालयों में दवाइयां उपलब्ध नहीं होने एवं गांवों में दवाइयों की दुकानों के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह)

31. प्रदेश के ग्रामीण आंचलों में चिकित्सा सुविधा में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह के चिकित्सालयों में डाक्टरों व नर्सिंग स्टाफ का अभाव व अन्य सामग्री दवाइयों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा)

33. चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्रकुमार (आसपुर)

34. डूंगरपुर जिले में चिकित्सा सुविधा का अभाव एवं डाक्टरों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

35. डूंगरपुर जिले में सब सेन्टर, डिस्पेंसरी एवं पी.एच.सी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्भयलाल (रूपवास)

36. रूपवास क्षेत्र में जनसंख्या के अनुरूप चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रमाकान्त (थानागाजी)

37. थानागाजी क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (अटरू)

38 कवाई, कुन्जेड, बनावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन बनाने में विभागीय प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

39. पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के जोराबरपुरा, केशोपुरा, असवानी, नवलपुरा दौलतपुरा, किशनपुरा, भटवाड़ा, जलोदा, तेजाजी, हिंगोनिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. पीपल्दा क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों, एडपोस्ट तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. पीपल्दा क्षेत्र के बिनायका, तलाब, लुहावद में डाक्टर डिस्पेंसरी तथा रामपुरा धाबाई, चारणदा खुर्द, जलोदा तेजाजी, बलवन, बावई बमोरी माल, भटवाड़ा, दुर्जनपुरा आदि में एडपोस्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. सामुदायिक चिकित्सालय इटावा (कोटा) में मातृ एवं शिशु कल्याण

(श्री हीरालाल आर्य)

केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. सामुदायिक चिकित्सालय इटावा (कोटा) में पलंग एवं बिस्तर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर)

44. प्रदेश के अस्पतालों में लाखों रुपये के उपकरण सालों से खराब पड़े होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. प्रदेश के अस्पतालों में लाखों रुपये की अवधिपार दवाइयां एवं एक्स-रे मशीन की प्लेटों के जमा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. प्रदेश के अस्पतालों में आपरेशन थियेटर में संपूर्ण औजार एवं सुविधायें न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खां (रामगढ़)

47. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में समुचित चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

48. प्रदेश के अस्पतालों में दवाइयों एवं अन्य सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. राजकीय झुंझुनू बी.डी.के. अस्पताल तथा चिड़ावा राजकीय अस्पताल में दुर्व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. झुंझुनू जिले के ग्राम पीपली, किढ़वाना, काकोड़ा, काजड़ा अरडावता अस्पतालों में पदस्थापित चिकित्सकों के मुख्यालय पर नहीं रहने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली)

51. बून्दी जिले के अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सा स्टाफ उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपालसिंह (आहौर)

52 ग्रामीण क्षेत्र के औषधालयों की दुर्दशा को ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. पश्चिमी राजस्थान में विटामिन की कमी व उससे होने वाली बीमारियों को रोकने के लिये अनुसंधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़)

54. राजकीय रेफरल अस्पताल सांडवा (चूरू) से दो डाक्टर के हटाने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

55. तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के सब सेन्टर व एडपोस्ट तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरियों में

(श्री भंवरलाल)

दवाइयां नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

56. राजकीय बगड़िया चिकित्सालय सुजानगढ़ जिला चूरू में एक्स-रे मशीन खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के ग्रामीण क्षेत्रों में सब सेन्टर व एड-पोस्ट पर पड़े रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र सालासर (चूरू) में महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मेघवाल (रायसिंह नगर)

59. चूरू पंचायत समिति के स्वास्थ्य उप केन्द्र पीथीसर, खीवासर, लालसर, टिंविया, कड़वासर, महारावणसर, नाकरासर पोती में स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. चूरू के मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में स्टाफ लम्बे समय से पदस्थापित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. चूरू पंचायत समिति क्षेत्र में एक भी रेफरल अस्पताल नहीं होने से ग्राम सिरसला में रेफरल अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. चूरू के ग्राम बीनासर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के भवन का निर्माण किये जाने में विभागीय प्रयत्नों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

63. भीलवाड़ा तहसील के ग्राम आटूरी, बरडोद, आरजिया, दोथर्ले, कोदा, पीपली में एडपोस्ट खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64 भीलवाड़ा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में बढ़ते रोगियों की संख्या को देखते हुये सर्जिकल, मेडिकल, ई.एन.टी व मेटेरनिटी विभाग में एक-एक जूनियर स्पेशलिस्ट का नया पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. भीलवाड़ा मुख्यालय के एम.जी. हास्पिटल में आई बैंक, बर्न यूनिट तथा टी.बी. आउट डोर स्थापित करने तथा सफाई की समुचित व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. बड़ा महुआ में मिनि पी.एच.सी. खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में अधिक आबादी के गांवों में सब सेन्टर

(180)

(श्री बंशीलाल पटवा)

खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

68. डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले के दूर दराज ग्रामों में पी.एच सी में डाक्टरों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

69. बांसवाड़ा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, रेफरल अस्पतालों व बांसवाड़ा महात्मा गांधी अस्पताल में रिक्त पड़े पदों पर चिकित्सकों का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. जिला बांसवाड़ा के पंचायत समिति पिपलखूंट के गांव नादीया ग्राम पंचायत फेसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोलने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

71. जिला बांसवाड़ा के आदिवासी दूर दराज के गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोलने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

72. जिला बांसवाड़ा के गांव आबापुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

73. जिला बांसवाड़ा के गांव खेड़ा, पडलिपाड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी लाल (आसीन्द) :

74. ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों का विस्तार तथा डाक्टरों को गांवों में पदस्थापन की अवधि निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. प्रदेश के चिकित्सालयों की समुचित व्यवस्था तथा रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में जन साधारण का सहयोग लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

77. अजमेर जिले के लिये 1991-92 में स्वीकृत 30 स्वास्थ्य उप केन्द्र भवन के निर्माण के लिए बजट का उपयोग कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

78. किराप (अजमेर) राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा विभाग से बिना अनुमति के राजस्थान प्रशासनिक सेवा व भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा देने के लिए जाने से उत्पन्न जन कठिनाई पर चर्चा के लिये।

79. जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में खराब पड़ी दो लिफट से रोगियो को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

80. राजकीय चिकित्सालय विजय नगर में वर्षाकाल में पानी भर जाने से उत्पन्न कठिनाई को दूर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. मसूदा (अजमेर) सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह)

82. तहसील देवली में आबादी के अनुसार कस्बे नाभीदा व राजमहल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. टोडारायसिंह व देवली तहसीलों में जहां चिकित्सा व्यवस्था हेतु कोई साधन नहीं हैं वहां पर ऐडपोस्ट या उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह के ग्राम पालिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्भय लाल (रूपवास)

85. विधान सभा क्षेत्र रूपवास में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर)

86. भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में जालमपुरा, बांकरा, बोराणी आदि गांवों में सब सेन्टर शीघ्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी तहसील में दांतड़ा में सब सेन्टर एवं कापरेल में चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. भीलवाड़ा जिले के उच्चीकृत चिकित्सालय को शीघ्र क्रमोन्नत करने एवं उसकी शैय्या बढ़ाकर 100 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील के ग्राम उल्लेख सरसिया तथा मायला में चिकित्सालय शीघ्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में टीढोड़ी टिठोड़ा, गाडोली घोड़ में एडपोस्ट शीघ्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. सवाई माधोपुर जनरल अस्पताल में लम्बे समय से पदस्थापित डाक्टरों द्वारा अपने पुत्रों के नाम दवाईयों की दुकान खोलकर मरीजों को लूटने से बचाने हेतु डाक्टर का पदस्थापन अन्यत्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. सवाई माधोपुर जनरल अस्पताल में एक्स-रे के नाम पर मनचाहे ढंग से फीस लिए जाने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

93. सवाई माधोपुर जनरल अस्पताल को रेफरल अस्पताल में परिवर्तित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर)

94. सवाई माधोपुर सामान्य चिकित्सालय के डाक्टरों द्वारा मात्र दो घण्टे ड्यूटी देकर शेष अवधि में घर पर मरीजों को देखकर फीस वसूल करने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलारना डूंगर, खिरनी, मानटाउन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों को ड्यूटी के निर्धारित अवधि में से कुछ ही समय देखने से जनता में आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी)

96. चूरू तहसील में ग्राम सिरसला, धांधू, सातड़ा, झारीया में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत)

97. राजकीय चिकित्सालयों में आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. सोजत विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रूपावास, गुड़ा कला, रेपड़ावास माण्डा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. सोजत विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सालय, स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में पड़े रिक्त पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी में एक्सरे मशीन को ठीक कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. राजकीय चिकित्सालय सोजत सिटी में रोगी वाहन एवं ई. सी. जी. मशीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

102. प्रदेश के अस्पतालों में दवाईयों का समान रूप से वितरण नहीं होने तथा अवधि पार दवाईयों के वितरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांति लाल (राजसमंद)

103. दरीबा (मेन्दुरिया) में हाल में खुले चिकित्सालय के भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

104. कोटपूतली विधान सभा के गांव कल्याणपुरा कलां के चिकित्सालय में पदस्थापित वर्तमान अयोग्य स्टाफ को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. कोटपूतली में पुराने अस्पताल को चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामकरण सिंह)

106. प्रागपुरा (कोटपूतली) में जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

107. कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के गांव भूरीमडान और कल्याणपुरा खुर्द में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामप्रसाद (वैर)

108. तहसील वैर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वैर, भुसावर एवं निढ़ार हलैना, पथैना में डाक्टर एवं आवश्यक स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

109. तहसील वैर के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयां उपलब्ध नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

110. जनरल अस्पताल में डाक्टर द्वारा कुत्ते के काटने पर मरीज के गलत इन्जेक्शन लगने से मृत्यु हो जाने पर भी उक्त डाक्टर के खिलाफ कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

111. जनरल अस्पताल, भरतपुर में अधिक दवाई भिजवाने एवं डाक्टरों द्वारा मरीज़ों से किये जाने वाले व्यवहार में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)

112. बेगूं तहसील के ग्राम जयनगर पंचायत मुख्यालय पर दायी सेन्टर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

113. बेगूं तहसील के जावदा (नीमड़ी) एवं खातीखेड़ा (कुंडाल) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

114. रेफरल अस्पताल बेंगू में शैय्याएं बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अमृतलाल परमार (बाली)

115. डाक्टरों द्वारा घर पर मरीज़ों को देखकर उनसे मनमानी फीस वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

116. केशवरायपाटन क्षेत्र के चितावा, सारसला, बलकासा, हिंगोनिया, रेबारपुरा एवं आजन्दा पंचायत मुख्यालयों पर कोई भी चिकित्सा सुविधा नहीं होने से जनता को हो रही भारी परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

117. केशवरायपाटन ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत ए. एन. एमस. के मुख्यालयों पर नहीं रहने से जनता को हो रही भारी परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

118. केशवरायपाटन निवासियों को परिवार नियोजन आपरेशन से हुई क्षति का कोई मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

119. केशवराय पाटन कापरेन एवं लाखेरी अस्पतालों में दवाइयां, रोगी वाहन, महिला डाक्टर एवं अन्य रिक्त पद स्थानों की पूर्ति कर जनता को राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. केशवराय पाटन क्षेत्र के मायजा एवं झालीजी का बराना ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जनसंख्या को मध्य नजर रखते हुये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाकर जनता को राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

121. सवाई मानसिंह अस्पताल को राजधानी के योग्य आधुनिक चिकित्सा सेवाओं तथा विशिष्ठ सेवाओं से परिपूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम)

122. अजमेर शहर में जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में रोगियों को लाने वाले रोगी वाहनों के खराब रहने से जनता को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा पर के लिये।

123. अजमेर जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में काफी वर्षों से बन्द पड़ी लिफ्ट के चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. राज्य में छोटी-छोटी डिस्पेन्सरियों में गरीब मरीजों को चोट लगने या फोड़े फुन्सी होने पर पट्टियां बाजार से मंगवाकर बांधने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

125. जवाहर लाल नेहरू अस्पताल अजमेर के डाक्टरों द्वारा मरीजों से एक्सरे, खून व अन्य जांचों को अस्पताल से बाहर निजी दुकानों पर कराने हेतु बाध्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

126. जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में फैलने वाली गन्दगी के कारण मरीजों एवं उनके साथ आने वालों को होने वाली असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

127. बालोतरा स्थित राजकीय नाहटा चिकित्सालय में 300 एम. एम. की एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. शहर की बजाय डाक्टर-नर्सेज एवं अन्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवकों को ग्रामीण भत्ता एवं अन्य सुविधाएं बढ़ाकर ग्रामीण चिकित्सा को प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. बालोतरा में सिटी डिस्पेंसरी प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. प्राय: राजकीय अस्पतालों में एक्सरे की मशीनें खराब रहने एवं सम्बन्धित

(श्री चम्पालाल बांठिया)

कम्पनियों के एकाधिकार के दुष्परिणामस्वरूप अनावश्यक व्यय एवं देरी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विशाल रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में नसबंदी शिविर दूर दराज के गांवों में लगाने से व्यय अधिक ऑपरेशन कम एवं अस्पतालों में डाक्टरों की कमी होने से शिविर कस्बों एवं शहरों में ही अधिक आवागमन एवं अन्य सुविधाएं देकर नसबंदी शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

132. जयपुर नगर के जनाना, सवाई मानसिंह अस्पताल की लिफ्ट बराबर नहीं चलने से बीमारों व रोगियों के सहयोगियों को हो रही कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

133. जयपुर के चिकित्सालयों में शौचालयों की सफाई व्यवस्था हेतु और अधिक सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में महिला चिकित्सकों की और अधिक नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सवाई मानसिंह अस्पताल में रोगियों के लिये कम से कम चालू वर्ष में 35 कोटेज वार्ड बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. ग्रामीण क्षेत्रों के उपकेन्द्रों में व अस्पतालों में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित नर्स व दाइयों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

137. कोटा, झालावाड़ जिले में ग्रामीण अंचलों में स्थित उच्चीकृत केन्द्र पर द्वितीय श्रेणी मेल नर्स के बजाय प्रथम श्रेणी कम्पाउन्डर लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद)

138. कोटा जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगोद के नव निर्माण के लिये धन राशि उपलब्ध करवाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

139. कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर में लाख सनीजा एवं सांगोद के धूलेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. कोटा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीमल्या एवं चार-चीमा में अस्पताल भवन का निर्माण कराने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. दीगोद विधान सभा क्षेत्र के पंचायत समिति सांगोद के ग्राम देवली मांजी

(श्री बृजराज मीणा)

मारूकलां, मामोर तथा पंचायत समिति सुल्तानपुर में सारोला, पोलाई कलां बूढादीत, खैसला में उच्चीकृत चिकित्सा केन्द्र सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

142. रेफरल अस्पताल सागवाड़ा में अव्यवस्था तथा डाक्टरों की धांधली से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

143. दुर्गम स्थानों में तथा जन जातीय क्षेत्रों में पी. एच. सी. में डाक्टरों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

144. विभिन्न अस्पतालों में लोक स्वास्थ्य और सफाई की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क)

145. कर्मचारियों, श्रमिकों व ग्राम जनता के हित में राज्य के चिकित्सालयों व डिस्पेन्सरीज के खुलने का रविवार को पूरा समय रखकर उसके स्थान पर किसी अन्य वार को कुछ समय का रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. डाक्टरों का मध्यम व गरीब वर्ग के मरीजों को सस्ती व पेटेन्ट दवाओं का प्रेस्क्रियशन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. एस. एम. एस. अस्पताल जयपुर में अत्याधुनिक उपकरणों व मशीन आदि शीघ्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा)

148. रायथल जिला बूंदी में चिकित्सालय खोलने में बरती जा रही भेदभाव पूर्ण नीति से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना)

149. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्रामों गुड़ा जोधा, गोल धाटा, रेवत, जातगू खुर्द, खियास आदि में सब सेंटर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. डेगाना के अस्पताल को रेफरल अस्पताल नहीं किये जाने से हजारों ग्रामीणों को हो रही भारी असुविधा एवं जनता में भारी आक्रोश की स्थिति पर चर्चा के लिये।

151. कुचेरा (नागौर) में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र हेतु करीब 3 लाख की लागत से निर्मित भवन के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अधिगृहित नहीं किये जाने से हजारों ग्रामीणों को हो रही असुविधा की चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अनेक अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में ए. एन. एम. के पद रिक्त होने से हो रही असुविधा से ग्रामीणों में भारी रोष पर चर्चा के लिए।

श्री प्रभुराम गरासिया (पिंडवाड़ा)

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर)

153. चिकित्साधिकारी तख्तगढ़ का स्थानान्तरण गत वर्ष 2.8.91 को अन्यत्र हो जाने पर भी कार्य मुक्त नहीं होने से व्याप्त जन आक्रोश की स्थिति पर चर्चा के लिये।

154. डा. उमा उज्जवल एवं रूप सिंह नरण चारण सुमेरपुर के चिकित्सकों का तबादला अगस्त 1991 के प्रथम सप्ताह में हो जाने पर बीमारी का बहाना बनाकर पिछले सात माह से सरकारी आवास में ही निजी प्रेक्टिस करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

155 सुमेरपुर में अस्पताल के विस्तार हेतु भवन बनाने की दानदाताओं को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर)

156. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए. एन. एम. के रिक्त पदों को तुरन्त भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. ग्राम जाणा, पादरला, गोदावास, नवाखेड़ा, राजपुरा, गोगरा, बमाणीया, माताजी का बाड़ा, वेनपुरा, साली, गुडा प्रतापसिंह, मादड़ी, हाथलाई, तोगावास, मोरड़ू, बलुपुरा, बिठिया, फतापुरा, धनापुरा में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. तखतगढ़ चिकित्सालय में कार्यरत कम्पाउडर पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय से इसी जगह रहने से मरीजों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर उन्हें परेशान करने के फलस्वरूप ग्रामीणों में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

159. ग्राम गुन्दोज, साण्डेराव, कोसेलाव, सुमेरपुर, बीरामी, माताजी का बाड़ा के विभिन्न चिकित्सालयों सब सेन्टर्स में रिक्त पड़े चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों एवं नर्सों के पदों को अविलम्ब भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

160. ग्राम गुन्दोज में कार्यरत चिकित्सक द्वारा अपने कर्तव्य पालन में निरन्तर की जाने वाली अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जियालाल बंशीवाल (दौसा)

161. दौसा जिले के राजकीय चिकित्सालय में ई. सी. जी. तथा सोनोग्राफी मशीनें तथा अन्य उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. दौसा में जिला आयुर्वेद अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(188)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

163. अस्पतालों में सफाई की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

164. चिकित्सकों द्वारा अपने पदस्थापित स्थानों पर न रहकर "अप एण्ड डाऊन" करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

165. अलवर के जनरल अस्पताल में पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

166. आवंटित बजट के अनुपात में औषधियां उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)

167. चिकित्सकों द्वारा गांवों के चिकित्सालयों में न जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

168. चिकित्सालयों में दवाइयां एवं अन्य सामान्य पट्टी आदि की कमी के कारण ग्रामीण जनता को होने वाली कठिनाइयों के संबंध में चर्चा के लिये।

169. उदयपुर वाटी तहसील तथा गुढ़ा विधान सभा क्षेत्र में कनिष्ठ विशेषज्ञों के लम्बे समय से रिक्त पड़े पदों तथा चिकित्सालयों में डाक्टरों द्वारा ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहने से जनता को होने वाली कठिनाइयों के संबंध में चर्चा के लिये।

170. उदयपुर वाटी के रेफरल अस्पताल के नगर से दूरी के कारण उदयपुर वाटी नगर में तात्कालिक उपचार हेतु चिकित्सक की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. नवलडी ग्राम में मृतक श्री नानगराम सैनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नवलगढ़ के सम्बधित डाक्टर द्वारा दी गई गलत पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा (फागी)

172 फागी विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा सब सेन्टरों में आवश्यक स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. चाकसू रेफरल अस्पताल में स्टाफ की कमी से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

174. फागी रेफरल अस्पताल में स्टाफ की कमी को पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. रेफरल अस्पतालों में दवाइयां सामान, एक्सरे आदि की कमी की पूर्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई)

176. ग्राम पंचायत गुढ़लिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बसवा में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामकिशोर सैनी)

178. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई में दस लाख रुपये की लागत से बन रहे भवन को चिकित्सा सेवाओं के उपयुक्त न बनाने पर जनता में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

179. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई पर एम्बुलेंस के न होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

180. एडपोस्ट व सब सेन्टर में कर्मचारियों की नियुक्ति न किये जाने से जनता को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

181. जीवन के लिए अति आवश्यक दवाएँ ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

182. गणेशगढ़ प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर पिछले 5 माह से कोई चिकित्सा अधिकारी व दूसरे स्टाफ के न रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

183. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों के रोज अप-डाउन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के गांवों मनीवाली व नंगराना में प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. गंगानगर के राजकीय अस्पताल की बिल्डिंग के निर्माण में विभाग द्वारा बरती जा रही शिथिलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (वैर)

186. भरतपुर जिले की तहसील वैर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वैर, मुसावर एवं निठार में डाक्टरों एवं आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं होने के कारण उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर)

187. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ईन्टाली खेड़ा बस्ती में स्वास्थ्य भवन बनाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सलूम्बर के उच्चकृत चिकित्सालय का कैडर जन-संख्या के अनुकूल नहीं बढ़ाने जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

189. उच्चकृत चिकित्सालय कुरावड़ में डाक्टरों की कमी एवं एक्सरे मशीन नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

190. सलूम्बर विधान सभा के ओडकाडिया और खरका में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सृजित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर)

191. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में डी. डी. टी. छिड़काव न होने तथा मलेरिया निरीक्षकों द्वारा अपने

(श्री मनीराम सियाग)

कर्त्तव्यों का पालन न करने से ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में मलेरिया तथा अन्य बीमारियों के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

192. बीकानेर क्षेत्र में सरकारी डाक्टरों द्वारा मरीजों से मनमानी फीस वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

193. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा दो बच्चों के बाद नसबन्दी कराने वालों को ग्रीन कार्ड देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. बीकानेर जिले के कस्बा जैतपुर में चिकित्सालय स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों के पदों पर पदोन्नति प्रकरण लम्बे अर्से से लम्बित होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

196. आनन्दपुर कालू कस्बे में मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र लाम्बीया (जैतारण) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

197. राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटवान (पाली) में पर्याप्त स्टाफ एवं चिकित्सा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

198. राजकीय रेफरल चिकित्सालय जैतारण (पाली) में एम्बुलैंस की पिछले छः माह से मरम्मत नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

199. जैतारण विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों उच्चकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पद को नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

200. रेफरल अस्पताल कोटड़ा में एक्सरे मशीन व वाहन नहीं होने से गरीब आदिवासी बीमारों को हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र फलासिया में रेफरल अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ की कमी से बीमारों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

202. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये कम बजट के आवंटन से बीमारों को दवाइयां नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

203. ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप केन्द्रों के लिए भवनों की कमी से स्टाफ व मरीजों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मणगढ़)

204. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा केन्द्रों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं दवाइयों की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

205. जनरल अस्पताल अलवर को ए ग्रेड में क्रमोन्नत करने पर भी उसके अनुरूप स्टाफ तथा उपकरण आदि की व्यवस्था न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

206. मिनी स्वास्थ्य केन्द्र ठूंठोली जिला अलवर में 3 वर्ष पश्चात् भी चिकित्सक का पदस्थापन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

207. रेफरल अस्पताल मालाखेड़ा अलवर में कनिष्ठ विशेषज्ञ व अन्य चिकित्सक तथा पूरा स्टाफ नहीं होने से मालाखेड़ा व उसके आस-पास के ग्रामों के निवासियों को उचित चिकित्सा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा)

208. सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर को पी. जी. आई. का दर्जा देने व एस. एम. एस. अस्पताल जयपुर में सुपर स्पेशलाइजेशन इलाज शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

209. राज्य के अस्पतालों में सफाई व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

210. प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में डाक्टरों व अन्य चिकित्सा कर्मियों के उपस्थित नहीं रहने से स्वास्थ्य सेवाओं की खराब हालत को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

211 मण्डावा के रेफरल अस्पताल हेतु राजकीय भवन की व्यवस्था करने तथा झुंझुनू के जिला अस्पताल को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

212. गवर्नमेन्ट डिस्पेन्सरियों, अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में साधारण बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयों एवं बेन्डेज के लिए अधिक धनराशि का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर)

213. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के ग्राम थेडी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

214. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के ग्राम बीबीपुरबड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

215. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के ग्राम बीरानिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

216. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणगढ़ को

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

रेफरल अस्पताल में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिश चन्द्र (नावां)

218. ग्राम चावडिया व ग्राम मुआणा पंचायत हैड क्वार्टर पर एडपोस्ट खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. ग्राम मारोठ में की गई घोषणा के अनुसार प्रसूति गृह एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

220. नावां तहसील हैड क्वार्टर पर रेफरल खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. कुमाचन सिटी राजकीय सेठ राधा कृष्णा शारदा अस्पताल में कनिष्ठ विशेषज्ञ, सर्जरी एवं कनिष्ठ विशेषज्ञ, स्त्री रोग लगाने तथा ग्राम पाँचवा में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. ग्राम लूणवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व)

223. जे. एल. एन. चिकित्सालय अजमेर में बढ़ते नये विभागों के अनुसार नर्सिंग स्टाफ व सफाई कर्मचारियों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

224. जे. एल. एन. चिकित्सालय अजमेर में आवश्यक उपकरणों के खराब पड़े होने के कारण जनता की बढ़ रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री बिरधा राम चौधरी (मकराना)

225. मकराना पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बूडसू में राजकीय चिकित्सालय खोलने व उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. मकराना स्थित राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों, नर्सों की शिकायतें होने पर भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

227. मकराना राजकीय उच्चकृत चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

228. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतारण में रेडियो ग्राफर का पद स्वीकृत नहीं किये जाने से मरीजों को होने वाली परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(193)

श्री मोहन लाल (परबतसर)

229. जिला नागौर में आयुर्वेद विभाग में वैद्यों व उपवैद्यों के रिक्त पदों की पूर्ति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा लिये।

230. जिला नागौर के सब सेन्टरों पर ए. एन एम. के रिक्त पड़े पदों पर पदस्थापन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)

231. उदयपुर के जनरल अस्पताल में पैरा मेडीकल स्टाफ की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

232. उदयपुर जनरल अस्पताल सी एम. एण्ड एच. ओ. उदयपुर मलेरिया डिपार्टमेन्ट की तरह अन्य स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी कार्यालयों में पिछले 15-15 साल से कार्यरत स्टोर कीपर, यू. डी. सी तथा एल. डी. सी. के स्थानान्तरण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

233. उदयपुर में सिटी स्केन मशीन के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

234. उदयपुर मलेरिया विभाग में गलत ढंग से यात्रा भत्ता उठाने वाले निलम्बित कर्मचारी को चार्ज शीट न देकर पुनः बहाल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

235. उदयपुर जनरल अस्पताल के इमरजेन्सी विभाग में डाक्टरों द्वारा लापरवाही बरते जाने पर चर्चा के के लिये।

श्री फूलचन्द गूर्जर (नीमकाथाना)

236. राजकीय रेफरल चिकित्सालय पाटन में जूनियर स्पेसलिस्ट डाक्टर न होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

237. राजकीय कपिल चिकित्सालय को पचास बैड का अस्पताल न बनाने से मरीजों को हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

238. नीमकाथाना उपखण्ड क्षेत्र की सभी ए. एन. एम. सब सेन्टरों में ए. एन. एम की (दाइयां) नियुक्ति न होने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

239. राजकीय कपिल चिकित्सालय नीमकाथाना परिसर में अवैध स्वीकृत स्टाल को दूर न हटाने से हो रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

240. नीमका थाना क्षेत्र के सबसे बड़े गांव मौठूका व रायपुर जागीर में मिनी पी. एस. सी. न खोलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवदान सिंह (नाथद्वारा)

241. चूरू के ग्राम बीनासर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का भवन, स्वास्थ्य उपकरण, फर्नीचर व दवाईयों की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये।

(श्री शिवदान सिंह)

242. चूरू पंचायत समिति क्षेत्र के 18 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में स्टाफ नहीं होने से उपकेन्द्र लम्बे समय से बंद पड़े रहने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेडा)

243. चूरू जिला मुख्यालय में बच्छावत चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नेत्र चिकित्सालय स्थापित करने की विभाग द्वारा अनुमति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244. चूरू स्थित डेडराज भारतीय अस्पताल में सफाई कर्मचारी व मेल नर्स ग्रेड प्रथम ए. एन. एम. के पद बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)

245. मिलावटियों एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से खाद्य पदार्थों में बढ़ रही जीवननाशक मिलावट पर चर्चा के लिये।

246. बून्दी शहर में मच्छरों की बहुतायत से फैल रही बीमारियों के उचित इलाज तथा मच्छर नाशक दवाइयों के छिड़काव को प्राथमिकता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

247. राजकीय चिकित्सालय नैनवां में शिशुरोग विशेषज्ञ के पद पर नियुक्ति नहीं होने से नवजात शिशुओं की चिकित्सा में आई कठिनाइयों के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. नैनवां कस्बे के एक मात्र चिकित्सालय में स्त्री रोग के कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनूं)

249. झुंझुनूं के भगवानदास खेतान अस्पताल की दिन प्रतिदिन बिगड़ती चिकित्सा व्यवस्था से शहर व जिले की आम जनता को हो रही असुविधा तथा अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर लोगों को राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. झुंझुनूं में महिला चिकित्सालय में आधुनिक उपकरणों व आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की कमी से हो रही जन असुविधा पर चर्चा के लिये।

251. राज्य में रिक्त पड़े आयुर्वेद चिकित्सकों, उपवैद्यों तथा यूनानी हकीम व उप हकीमों के पदों के कारण लोगों को हो रही भारी परेशानी व रोष पर चर्चा के लिये।

252. झुंझुनूं जिले सहित राज्य के अन्य जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त चिकित्सकों के नियमित रूप से नहीं जाने व फर्जी हाजरी कर देने से ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सेवा व उपचार उपलब्ध नहीं हो पाने से होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

253. चिकित्सा विभाग के एड्यूकेशन इन्फोरमेशन ब्यूरो द्वारा कुराने हकीम

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

और इन्सानी जिन्दगी नामक पुस्तक के अकारण प्रकाशन व गलत तर्जुमा (अनुवाद) करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व)

254. अजमेर में केन्सर उपचार हेतु कोबाल्ट प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. अजमेर जे एल. एन. चिकित्सालय में ट्रोमा वार्ड व बर्न वार्ड न होने से हो रही असुविधा से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या–26 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पत सिंह जी। दूसरा नाम रमा पायलट का है।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्रीजी ने अभी जो सदन में स्वास्थ्य विभाग, सफाई और परिवार कल्याण के लिए जो मांग प्रस्तुत की है मैं इसके सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में यद्यपि अस्पतालों की हालत हमारे डाक्टर विशेषज्ञों की राय में अन्य प्रान्तों की तुलना में सन्तोषजनक हैं। ज्यादातर अस्पतालों में खास तौर से जो बोर्डर टाउन्स में हमारे अस्पताल हैं वहां अन्य प्रांतों से मरीजों की भर्ती इस बात का खुला संकेत है कि हमारे विशेषज्ञ डाक्टर

(3.35 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

और इस सेवा से जुड़े हुए तमाम कर्मचारी यद्यपि सन्तोषजनक और कहीं कहीं तो बहुत नायाब सेवाएं देते हैं लेकिन और कुछ भी इसके सुधार के लिए काम करना आवश्यक है। उसके लिए हम कृत संकल्प हों, सरकार हो और सदन के माध्यम से पूरे राजस्थान प्रान्त में यह वातावरण बने कि पाश्चात्य मुल्कों के मुकाबले पर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अगर ना आ सकें तो उनके बहुत कुछ पीछे भी न रहें।

इस सन्दर्भ में सभापति महोदय, मैं खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा, छोटे अस्पतालों के बाबत जो तहसील हैड क्वार्टर पर होते हैं, सब डिवीजनल हैड क्वार्टर पर होते हैं और यहां तक जिला मुख्यालय पर होते हैं। आज हाइजनिक पाइंट आफ व्यू जिसे कहते हैं उसकी अगर अस्पताल में ही हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो जन साधारण से कभी यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि हम स्वास्थ्य नियमों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। इस विषय में पहले भी इस सदन में चर्चा हुई है, बाहर भी चर्चाएं होती हैं। मैं सिर्फ भरतपुर का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां अस्पताल में एक बच्चे को, जैसे नवजात शिशु को टेबल पर रखा गया, जब तक मां और उसकी अटेन्डेंट पलट कर देखें उस बच्चे को पड़ौस में नाली में डालकर सूअर खा रहा है। आज यद्यपि उस पुरानी इमारत से अस्पताल को हटाकर नई इमारत में तब्दील किया है लेकिन फिर भी आज कोई न कोई वजह है कि हमारे अस्पतालों में वह वांछित सफाई नहीं रहती जिसके लिए हमें उम्मीद

(श्री सम्पत सिंह)

करनी चाहिए और जिसके लिए हमको कृत संकल्प होना चाहिए।

सभापति जी, मैं एक सुझाव आपके माध्यम से देना चाहता हूं कि जो हमारा सफाई कर्मचारी है। कई बार परमानेंट होने के बाद उसको मैं तो उसका अपना इनफिरियरिटी काम्प्लेक्स ही कहता हूं वह नौकरी में लगने के बाद सफाई जैसे काम से मुंह मोड़ने लगता है, उसको बुरा लगता है कि मैं छोटा आदमी हूं, छोटा कर्मचारी हूं। अगर मन्त्रीजी, सरकार यह व्यवस्था करे कि उसका उपयोग किसी दूसरे काम में लिया जाए जैसे पट्टी बांधने में, कोई और काम में उनको ट्रेंड किया जा सकता है और सफाई के लिए अलग से आप उसका ठेका दें और जिससे ठेकेदार की यह जिम्मेदारी हो, उसका रुपया लगेगा उस पर पैनल्टी होगी, उसका नुकसान होगा तब जाकर, कृषि विभाग का, कृषि भवन का उदाहरण हमारे पास हैं और दूससे भवनों का उदाहरण हमारे सामने है, तब तक सफाई नहीं होगी। आज हम सवाई मानसिंह अस्पताल में, मैं तो राजधानी के अस्पताल की बात करता हूं वहां भी उतनी सफाई नहीं और कहना चाहिए नाम मात्र को भी कहीं सफाई नहीं। एक-दो वार्डों को छोड़कर उसके लिए हमको निश्चित रूप से कोई न कोई एक नया इजाद करना पड़ेगा वरना जो हरिजन कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। कहीं यूनियन के नाम पर, कहीं कमजोर वर्ग के नाम पर, कहीं छोटी नौकरी के नाम पर वह अपने आपको उस काम से महरूम करता रहता है। जिसका खामियाजा तमाम लोगों को, तमाम नागरिकों को उठाना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं स्वयं जब-जब अस्पतालों में जाता हूं जो उप खण्ड स्तर के जो अस्पताल हैं, रेफरल हास्पिटल्स हैं वहां पर गद्दों पर चादर होने का तो कभी सवाल ही नहीं होता। सरकारी दवाइयां होती हैं जो छोटे कस्बों में कुछ बड़े लोग कहलाते हैं, कई वकील होते हैं, कोई डाक्टर, इन्जीनियर होते हैं, कोई पत्रकार होते हैं, कोई आढ़तिये होते हैं ऐसे लोगों को कहते हैं कि "मुंह देखे टीका", डाक्टर के बगल में जाकर बैठ गये, जिनको मुफ्त की दवाई की जरूरत नहीं है वह फीजिशियन सैम्पल और सरकारी दवाई तो डाक्टर उनको दे देते हैं और जो वाकई नीडी हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं अपने लिए दवाई नहीं खरीद सकते वह उस दवाई से महरूम रह जाते हैं। जो सरकार की असली मंशा है, उस बात से उसमें नुकसान होता है।

सभापति महोदय, कल मन्त्रीजी ने हमारे खण्ड के विधायकों की मीटिंग ली थी, आप भी बिराजे थे उसमें चर्चा हुई थी। आज सदन में हम सदन का वक्त लेते हैं इसी बात के लिए यह कोई बहुत विशेषज्ञ राय नहीं है। एक साधारण आदमी की जानकारी है, जिज्ञासा है उस पर निश्चित रूप से हमको सोचना पड़ेगा नये तरीके से। आज महिला डाक्टर नहीं आती, पिछली बार हम सदन में कह रहे थे मुख्य मन्त्रीजी ने हमसे चुटकी ली कि महिला डाक्टर से क्या फायदा हो जाता,

(श्री सम्पतसिंह)

अब दिल के मरीजों के वह स्वयं सरदार हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि महिला डाक्टर से क्या फायदा है। कहीं लकड़ी है, बहू है, माताएं हैं, बहनें हैं, बेटी है इनकी गांव देहात में क्या कोई जिन्दगी नहीं होती लेकिन गांव देहात में एक आदमी के लिए इस बात की परवाह नहीं होती कि आखिर महिला डाक्टर की गैर हाजिरी में वह किससे अपना इलाज करायें। मैं पिछले पांच छः साल से इस पवित्र सदन में निवेदन कर रहा हूं लेकिन मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालय की ही कहता हूं एक दो महीने की नहीं कहता पूरे 6 बरस में, कभी वहां महिला डाक्टर तैनात नहीं हुई। डाक्टर छोटे गांवों में जायें भी क्यों. उनकी परेशानी भी हम समझते हैं बड़े-बड़े मेट्रोपोलिटन सिटीज में रह कर, पढ़ाई पढ़ कर दूर देहात में जाकर-अगर उसकी नौकरी लगा दें तो यह भी एक तरफ से उसके साथ ज्यादती है। क्योंकि वह शहर का बाशिन्दा होता है। पोस्टें खाली पड़ी हैं उसके लिए सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। एक जो बहुत पढ़े लिखे वैल क्वालिफाइड इन्सान हैं हमारे प्रान्त के उसका पूरा-पूरा भरपूर उपयोग हमें लेना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में इतना निवेदन करना चाहता हूं जो नये-नये डाक्टर्स हैं उनके लिये जो छोटी छोटी डिस्पेन्सरीज जो गांवों में बना रखी हैं पी.एच.सी. उनको कहिये कि आप एक घण्टे इस डिस्पेसरी में रहें, एक घंटे उस में रहे और उसके लिए अगर कोई व्हीकल के लिए, मोटर साइकिल के लिये उनको कर्जा दिया जा सकता हो तो देने की व्यवस्था की जाय। वह डाक्टर्स वहां जायं और परिवार कल्याण के बारे में भी अपना सहयोग करें। आम जनता की दुख दर्द की तकलीफों के बारे में क्लिनिक के हिसाब से उसको चलायें तो डाक्टर्स के लिये भी फायदा है। उसके लिये कोई इजाद, हजार, दो हजार रुपये उन्हें मिलें और तहसील हैड क्वार्टर पर वह रह सकें। देहात में घूम कर आ जाय, ना तो डिस्पेन्सरी सूनी पड़ी होंगी। वहां लगे हुये कम्पाउण्डर्स हैं उनकी एक पेशकश होती है अक्सर कि नया डाक्टर गांव की डिस्पेन्सरी में नहीं रूके, क्योंकि उनका जो जुगाड़ बैठा हुआ होता है खाली डिस्टिल वाटर क्वेक्स के साथ मिला कर इन्जेक्शन लगाने का जो वहन करते रहते हैं उनकी उस खराब प्रैक्टिस पर असर पड़ता है अगर वैल क्वालिफाइड डाक्टर्स वहां रहेंगे तो लेकिन हमारी तो पेशकश होनी चाहिए कि जब हमने करोड़ों रुपये इमारतों पर, दूसरे साधनों पर लगा रखे हैं और वह सूनी पड़ी रहें। सरकारी डाक्टर्स के अलावा जो एम.बी.बी.एस., एम.एस. एम डी डाक्टर्स इस तरह के हैं, कहीं कहीं जो गांव देहात में तहसील मुख्यालय पर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, सरकारी नौकरी में नहीं जाते उनको। आप इन्सेन्टिव दीजिए और उनको भी वही सुविधाएँ दीजिए तो वह उनके परिवार कल्याण कार्य में भी सहायता करेंगे, आम देहाती के स्वास्थ्य की भी परवाह करेंगे और हमारे पास रोज-रोज कहने की शिकायत भी नहीं रहेगी। तमाम माननीय सदस्य कहते हैं, आम नागरिक कहते हैं कि साहब

(श्री सम्पतसिंह)

हमारे यहां डिस्पेन्सरी तो बन गई लेकिन डाक्टर, नर्स, कम्पाउण्डर के बीस बरस से दर्शन नहीं हुये तो मैं समझता हूं एक कलम से इस व्यवस्था को किया जा सकता है और जो प्राइवेट प्रेक्टिशनर हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी नहीं की है उन युवक युवतियों ने ऐसे वैल क्वालिफाइड डाक्टर्स के लिए हम अपनी तरफ से एक इनाम जैसा देंगे, उनके ज्ञान का सम्मान जैसा कर रहे होंगे और बदले में आम नागरिक को, गरीब को निश्चित रूप से बहुत अच्छी सेवाएं मिलेंगी । सभापति महोदय, मैं तो उसे कोड की व्यवस्था समझता हूं । राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल जयपुर का, जहां इण्डिया टूडे जैसे सम्मानजनक पत्रिका में खबर निकली आज से चार पांच वर्ष पहले कि "यहां खून दिया जाता है, ब्लड बैंक है, तपेदिक के क्रोनिक पेशेन्ट्स का खून वहां लिया जाता है, दमा के क्रोनिक पेशेन्ट्स का खून वहां लिया जाता है ...(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं ।

श्री सम्पतसिंह : अगर यह गलत है तो मैं सदन से स्तीफा दे दूंगा । (व्यवधान).... मैं इण्डिया टूडे की बात कह रहा हूं । मैं आपको सिर्फ बानगी के लिये, चाहे तो आज भी उन मरीजों से बात करवा दूंगा । ठीक है, वैल फेयर स्टेट हमारा है सारी व्यवस्थाएं हम आनन-फानन में नहीं कर सकते....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं असत्य बात नहीं बोलती ।

श्री सम्पतसिंह : मैंने तो असत्य के अलावा कभी सत्य बोलते देखा नहीं आपको ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको मानसिक चिकित्सालय में भर्ती होना चाहिए ।

श्री सम्पत सिंह : मेरा तो दिमाग इसलिए खराब हो गया कि कुछ दिनों से आपके साथ बैठना हो रहा है । आप मुझे मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करवा दो मैं अपने घर से तो अच्छा ही रहूंगा । वहां भी इनसे ही कुछ कम उम्र की होगी वह हमारे प्राण खाती हैं । मैं कह रहा था, सभापति महोदय, जो लेप्रोसी के पेशेन्ट्स हैं उनको मजबूरी में, कोई खून अपना नहीं देता लेकिन रोज खाने को उनको चाहिए इस तरह के पेशेन्ट्स अगर खून देंगे तो हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था का क्या हाल होगा । भगवान ही मालिक है उसका । कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती है । इसके अलावा अगर आप देखें । कल भी निवेदन मैं कर रहा था । मैं कहता हूं कि जिस बात को आप बन्द कमरे में कह सकते हो लाख आदमी के सामने कहना चाहिए और यह सदन तो सर्वोपरि है प्रान्त में, यहां भी समस्याओं का निवारण नहीं हुआ तो फिर भगवान का ही दरवाजा रह जाता है । मैं उसी सम्मान के साथ फिर निवेदन करता हूं, सभापति महोदय, आज व्यवस्था बदलती है तो लोगों को राहत

(श्री सम्पतसिंह)

मिलती है, सरकार बदलती है तो लोगों का रियेक्शन आता है। कोई सरकार कैसी है कोई सरकार कैसी है उनकी आपस में तुलना की जाती है। अब तक हम रोना रोते आये थे कि कांग्रेस पार्टी ने तमाम इन्स्टीट्यूशन्स का बेड़ा गर्क कर दिया। चाहे न्यायपालिका हों, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे अस्पताल जैसी सेवाएँ हो। अब तो हमारा राज है। आज भी अगर मैडिकल ज्यूरिस्ट पोस्ट मार्टम के लिए रिश्वत लेंगे, ऐसा नहीं है कि यह बात मैं हवा में कह रहा हूं। सबको अपनी अपनी जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी है, पर कोई कह देता है, कोई कहता नहीं आज डाक्टर्स, एम.एल. सीज. हैं अगर यह व्यवस्थाएं नहीं हों तो हमारा क्वालिफाइड डाक्टर एक हवलदार, थानेदार के सामने गिड़गिड़ता नहीं देखा जा सकता है। डाक्टर की., तो बहुत बड़ी हैसियत है। भगवान के बाद डाक्टर को माना जाता है, जो किसी को जिन्दगी और मौत के बीच में से निकाल कर लाते हैं। मौत के मुंह में से निकाल कर लाते हैं। उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन यह नहीं है कि जनरली हमारा सारा वातावरण ऐसा है लेकिन एक, दो, चार, छः मछलियां ऐसी हैं जो पूरे तालाब को गन्दा करती हैं। आप इसमें संकल्प लीजिए, बीड़ा चबाइये और पिछले साल की तुलना में फिर कोई नई व्यवस्था ऐसी देने की कोशिश करिये जिससे साधारण आदमी को यह अहसास हो कि भाई राज्य में कोई तब्दीली आई है, कोई परिवर्तन आया तो उसका सीधा-सीधा विकास का नक्शा यह हम देख रहे हैं। अगर यही ढर्रे पर बात चलती रही तो डाक्टर का वही हाल हो, चुंगी नाकेदार का वही हाल हो, थानेदार का वही हाल हो तो फिर सरकार की अदला बदली का क्या मतलब रहा। मैं इसलिए बार बार इस पीड़ा को निवेदन करता हूं

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, अगर हमने सही बात, ला को विथ लेटर और स्पिरिट इम्पलीमैंट नहीं किया तो यह सदन इरिलेवैन्ट हो जायेंगे और जब पुरानी व्यवस्थाएँ ही नहीं रही तो यह व्यवस्था भी नहीं रहेगी। इस व्यवस्था से अगर हमने हाथ धोया तो हम अन्धकार में होंगे, घटाटोप अन्धेरे में होंगे वह भारतवर्ष का, राजस्थान प्रान्त का सबसे मनहूस दिन होगा। सबसे बेहतरीन प्रणाली को अगर हम यूं ही जाने देंगे, अभी नदबई से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि शान्ति कुटीर भरतपुर में, घना बर्ड सैंक्चुरी में कुछ सीनियर आई.ए.एस. अधिकारी उस वक्त के थे, उनकी पार्टी हो रही थी और चुहलबाजी कर रहे थे कि हमारे मंत्री ऐसे डिजायर भेज देते हैं जैसे उनके बाप का राज हो।

श्री यदुनाथसिंह : ऐसे नहीं, ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे वाले कार्टून का क्या हाल है। मंत्रियों को ऐसे बोलते हैं।

श्री सम्पतसिंह : मंत्रीजी यह ऐसा नहीं है कि इस सरकार के मंत्रियों को ही ऐसा कहते हों।

श्री हेतराम बेनीवाल : हाउस में उनका नाम भी आ जाये जिनके लिए कहते हैं।

श्री सम्पतसिंह : वह तो सबको ही कहते हैं। पिछली सरकारों के मंत्रियों के बारे में भी अखबारों में इस तरह की प्रतिक्रिया, कार्टून देखने को मिलते और रोजमर्रा उदाहरण के रूप में सामने बातें आती। इस पर हमको गम्भीरता से सोचना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आप राजस्थान प्रान्त को बानगी दे सकते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ना भी कहते हों तो दुनिया को बता दो कि हमें यह कहते हैं।

श्री सम्पत सिंह : मैं अन्तिम बात कह रहा हूं।

सभापति महोदय, स्वास्थ्य मंत्रीजी अपने विभाग के माध्यम से, मैं कोई उनको आदेश नहीं दे रहा हूं। इस सदन के साधारण सदस्य के नाते अपनी बात निवेदन कर रहा हूं। ऐसे सपने संजो रहे हैं कि अगर वह चीज इम्पलीमैंट हो, स्वास्थ्य विभाग में, सार्वजनिक निर्माण विभाग में, उनके पास राजस्थान प्रांत की जनता के सामने अपना उदाहरण पेश करने का बेहतरीन मौका है। लोगों को बोलने का भी मौका नहीं रहे कि एक दिन ललित किशोर चतुर्वेदी भैरोंसिंह शेखावत की सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे, उन्होंने राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के बारे में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। तब तो इस 3 अरब रुपये को खुशी-खुशी देने का हमारा मन होता है और 3 अरब का 6 अरब करिये।

सभापति महोदय, आज बर्न केस का क्या हाल है। शुरू-शुरू में मैंने निवेदन किया, उसके बाद तो मैं चुप रहा शर्म की वजह से। रूस में बर्न केस को अधर रखते हैं, दूसरे मुल्कों में बर्न केस को अधर रखते हैं। यहां 30 प्रतिशत अगर बर्न केस होगा, अस्पताल में जाकर और वहां मोटे-मोटे रगड़दार गद्दी पर, क्योंकि चादर तो होती नहीं, उन पर अलट-पलट कर, रगड़-रगड़ कर उसको 60 प्रतिशत हो जाना होता है, खुद मरीज को। इन बातों पर महत्वपूर्ण फैसले लीजिये और आमूलचूल परिवर्तन करिये। आपकी मांग पारित हो, इस बात के लिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती रमा पायलट।

श्रीमती रमा पायलट (डिण्डोली) : सभापति महोदय, आज स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य मानव की जिन्दगी में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो करना चाहिये। अपने को स्वस्थ रखने के लिए सारे कार्यों को छोड़कर सबसे महत्वपूर्ण कार्य हर इंसान करता है, क्योंकि वह स्वस्थ होगा तो कुछ कार्य करने की क्षमता रखेगा, सोचने की क्षमता रखेगा, कुछ सार्वजनिक कार्य करने की और अपने खुद के जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करने की क्षमता रखेगा। स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार ने अस्पतालों की सुविधाएं रखी हैं और अस्पतालों के माध्यम से नियंत्रण जैसा

(श्रीमती रमा पायलट)

अस्पताल मानव को स्वस्थ रखने के लिए रखा गया है, किसी व्यक्ति के किसी भी अंग में यदि विकार उत्पन्न होता है तो वह अस्पताल में जाकर अपने उस विकार से मुक्ति पा सकता है। वहां शिक्षित और अनुभवी डाक्टर्स रहते हैं जो आम जनता की बीमारियों को आम जनता के शारीरिक अंग-प्रत्यंगों की देखभाल करते हैं और उनका उपचार करते हैं लेकिन राज्य सरकार ने, आज जितनी हमारे प्रदेश की जनसंख्या है, उसके हिसाब से यदि हम देखें तो मैं समझती हूं अस्पतालों की संख्या बहुत कम है। जैसा राज्य सरकार द्वारा 5,000 की आबादी पर एक ए.एन.एम. का प्रावधान किया गया है। जैसा आज का वातावरण है, पर्यावरण की वजह से दूषित वातावरण, मानसिक तनाव के कारण तनावी वातावरण, मैं समझती हूं, ऐसे में 5,000 व्यक्तियों में से कम से कम 3,000 व्यक्ति एट ए टाइम बीमार होते हैं। उनकी बीमारी चाहे सिर दर्द की हो, किसी अंग के कट जाने की हो या कोई दिमागी परेशानी की हो या अन्य किसी भी प्रकार की हो, राज्य सरकार एक ए.एन.एम. 5,000 व्यक्तियों की देखभाल करती है। मेरा मानना है कि 3,000 व्यक्ति का एट ए टाइम बीमार होने का है, चाहे किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त होने का है। क्या एक ए.एन.एम. 3,000 लोगों के लिए बहुत है जिनकी वह देखभाल कर पाये और अगर बहुत नहीं है तो हमारी राज्य सरकार ने आने वाले साल में जो नये प्रावधान रखे हैं, ज्यादा सुविधाएं बढ़ाने की कोई किरण नजर नहीं आती कि कहीं पर तो उनके आगे बढ़ाने की बात रखी हो। इसमें एक बात जरूर रखी है कि 3,000 की जनसंख्या पर जहां अनुसूचित जन जाति के लोग रहते हैं, उनके ऊपर एक ए.एन.एम. की व्यवस्था रखी है। जहां तक दूसरी सुविधाओं को देने की बात है, वह तो बात समझ में आती है कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा सुविधाएं मुहैया करवायें। अनुसूचित जाति को जहां तक शारीरिक दृष्टि से देखा जाय तो मैं समझती हूं कि सवर्ण जनजाति के बराबर ही है। जो ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको बीमारी भी कम होती है। इसलिए 5,000 की जनसंख्या पर एक ए.एन.एम. और 3,000 की जनसंख्या पर एक ए.एन.एम. जो एस.सी.एस.टी. के लोग हैं, उनके लिए रखी गई है। क्या उनके शरीर में ऐसा कुछ है, ऐसा भी कुछ हमारे संविधान में प्रावधान है या कोई ईश्वर की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जनजाति के परिवारों में जो पैदा होंगे, उनके बीमारी ज्यादा होंगी और इसलिए उन कम लोगों के लिए एक ए.एन.एम. का प्रावधान रखा गया है। अगर उनको आगे बढ़ाने की बात है तो बात समझ में आती है कि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं इसलिए हम उनके लिए ज्यादा प्रावधान रखें लेकिन जहां तक शारीरिक बनावट, जन्म लेने की जो विधि है, वह वो ही है, जो सवर्ण जाति के साथ है, वही दूसरी जाति के साथ है. इसलिए जहां तक....

श्री हेमराज मीणा : देखिये, कुपोषण की वजह से ज्यादा बीमारियां होती हैं।

श्रीमती रमा पायलट : देखिये, जो माननीय सदस्य इस बात से एतराज करते हैं, मैं उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो लोग जंगलों में रहते हैं, उनको खुली हवा मिलती है, उनको खुला वातावरण मिलता है और उनसे बीमारी कोसों दूर रहती है इसलिए मैं इस बात को मानने में असमर्थ हूं कि आप कम जनसंख्या के लिए उनको ज्यादा प्रावधान रखें या ज्यादा सुविधाएं दें। हर तरह की सुविधाएं उनको ज्यादा दी जायें, हर क्षेत्र में उनको ज्यादा सुविधाएं दी जायें लेकिन जहां तक शारीरिक क्षमता को सही रखने का सवाल है, वहां पर मैं समझती हूं, दूसरे लोगों को उसी प्रकार से सुविधाएं दी जायें तो इसमें आप अनियमितता नहीं बरतें। स्वास्थ्य का ख्याल आपने रखा लेकिन उनके लिए जो सुविधाएं जुटाई, वह नगण्य हैं। अस्पताल जो खोले, वह बहुत कम हैं लेकिन जो खोले हैं उनमें भी सफाई का जो माहौल है, पिछली बार भी मैंने सदन में यह बात कही थी कि मेरी खुद की आंखों देखी हुई अस्पताल की बात है। जहां पर आप खड़े नहीं हो सकते अगर आप स्वस्थ हैं और आप ठीक हैं लेकिन माननीय मंत्रीजी या कोई वी.आई.पी. जब कभी किसी अस्पताल के दौरे पर जाते हैं तो उसकी सूचना पहले वहां दे दी जाती है और सूचना करने पर वहां के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी और दूसरे प्रशासनिक कार्य को देखने वाले डाक्टर्स या अन्य अधिकारी वहां रहते हैं वे उस विभाग को या जिस रास्ते से वी. आई. पी या मंत्रीजी निकलते हैं, उसको इतना साफ-सुथरा करके रखते हैं कि बिल्कुल पांच सितारा होटल की तरह से वह दिखता है और फिर उनके साथ बैठकर अच्छे से कप में चाय पिलाते हैं, उनसे बात करते हैं। मंत्रीजी, वी. आई. पी. आदि प्रभावित हो जाते हैं कि हमारे इस तरह से आने से अस्पताल का कितना रूप बदल गया और अस्पताल एक तरह से फाइव स्टार होटल सा लगने लगा लेकिन अगर कोई बिना बताये, बिना सूचना दिये वी. आई. पी. या अन्य कोई भी मंत्री, विभागीय हों या अन्य दूसरे मंत्री हों, वे अगर अस्पतालों में जायें और जाकर उसकी हालत देखें तो वे दांतों तले अंगुली दबाकर वापस आने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। माननीय मंत्रीजी, जिस क्षेत्र से आते हैं, कोटा के अस्पताल के बारे में एक बात आपको कहती हूं कि मैंने उस अस्पताल का पिछले दो सालों में करीब 7-8 बार दौरा किया है लेकिन जब जब वहां सूचना पहले हो गई, दो बार ऐसा हुआ वाकई में उस अस्पताल में ऐसा लगा जैसे कोई विदेशी अस्पताल के दौरे पर हों, विदेशी अस्पताल को देख रहे हों। वहां सब तरह की फैसेलिटी, सब तरह की सुविधाएं, सफाई और फर्श भी चमकने लगा, डिटोल की खुशबू भी आ रही थी लेकिन जब कभी बिना बताये किसी मरीज को देखने के लिए मैं वहां गई, वहां पर उस मरीज के पास जिसको देखने के लिए गई, उससे बात करने के लिए मुझे अपनी सांस को रोकना पड़ा और बात की।

(4.00 म. प.)

(श्रीमती रमा पायलट)

पिछले कुछ महीनों की बात है, मेरे क्षेत्र में एक लड़का एक स्कूल में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहा था। इसमें अध्यापक महोदय की लापरवाही भी थी कि बच्चे को हनुमान का रोल दिया और उसके सारे शरीर पर गोंद लगाकर रूई चिपका दी और जब लंका दहन की बात आई तो उसके पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगाने से, वह चूंकि गोंद और रूई लगी हुई थी, वह बच्चा आग से बुरी तरह झुलस गया, 90 प्रतिशत बच्चा जल गया। उसे जैसे ही आग लगी, अध्यापक साहब तो वहां से घबरा कर स्कूल से चंपत हो गये और आज तक उस जगह पर पधारे भी नहीं हैं, पता नहीं उनका कि कहां गये, कहां नहीं गये। उस बच्चे को फौरन हमारे बी डी ओ साहब ने और 4–6 अन्य लोगों ने वहां से लाए और सीधे कोटा अस्पताल में उसको लेकर गये। मैं उस बच्चे को देखने के लिए वहां गई। ड्यूटी पर जो डॉक्टर थे उनका कमरा खाली था, दो फोर्थ क्लास कर्मचारी वहां पर बैठे थे। वे आलथी-पालथी मार-कर टांग पर टांग रखकर बैठे हुए थे और बीड़ी पी रहे थे। मेरे साथ मेरे क्षेत्र के कुछ अधिकारी थे, कुछ कार्यकर्ता थे और बी. डी. ओ. साहब थे। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब कहां हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आपको क्या करना है, अच्छे-भले दिख रहे हो, आपको तो कोई बीमारी नहीं है। मैंने कार्यकर्ता से कहा कि इनसे पूछो कि डाक्टर कहां है। पता चला कि डाक्टर कहीं गये हुए हैं। फिर कोई भागकर गया और बुलाकर लाया। मैंने डाक्टर से कहा, आप कहां बैठते हैं? और यह जो जगह बना रखी है यह क्या फोर्थ क्लास के लिए बनी हुई है? या आपके पास जो पेशेंट या या पेशेंट के पैरेन्ट्स आयें उनके लिए जगह बनी हुई है? कहते हैं, आप तो जानते ही हैं क्या हाल है। इनको अगर हम कुछ कहेंगे तो कल यूनियन बनाकर चिल्लायेंगे, नारेबाजी करेंगे और हमें लोगों की नौकरी को भी खतरे में डालेंगे। उस डॉक्टर पर मुझे बड़ा तरस आया कि केवल डाक्टर के हाथ में कुछ बात नहीं थी कि वह कुछ कर पाये। मैंने उनसे आग्रह किया कि मुझे एक मरीज को देखना है। मैं उस मरीज को देखने के लिए गई तो वार्ड के बाहर बरामदा है जहां मरीजों की लाइन लगी हुई थी। उस बरामदे में बड़ी मुश्किल से एक पलंग आ पा रहा था। इतनी-सी जगह थी। बाकी जगह में कुछ उनकी ट्रालियां खड़ी हुई थीं और कहीं पर सामान रखा हुआ था। अगर उस लड़के की हालत आपमें से कोई भी देखता, कितना ही गरीब होता वह यह चाहता कि जितना पैसा उसकी जेब में है उसको दे दे। उस बच्चे के मां-बाप वहीं थे और उस लड़के के ऊपर चद्दर डाल रखी थी। मुझे दिखाने लगे तो मेरा दिल भी घबराया कि इसको उठाओ मत क्योंकि चद्दर तो चिपकेगी। जब पूरे शरीर में जख्म है और सारा शरीर जला हुआ है तो वह चिपकेगी। चद्दर चिपकी हुई थी, वे उठाने लगे तो मैंने कहा कि इसको उठाइये मत। मैंने बच्चे से बात की, उसको वहां अस्पताल में 20 दिन हो चुके थे। हालत यह थी वहां पर कि जब मैंने उस बच्चे के मां-बाप से पूछा कि दवाइयों वगैरह का इंतजाम ठीक हो रहा है तो मेरे क्षेत्र के बी. डी. ओ.

(श्रीमती रमा पायलट)

डा. मोही जो मेरे साथ थे उन्होंने मुझे बताया कि यहां से कोई व्यवस्था नहीं की है। मैंने कलेक्शन करके सात हजार रुपए पहले दिए थे, उसके बाद तीन हजार रुपए फिर कलेक्शन करके मैं देकर आया हूं। उसके बावजूद भी मैंने पूछा कि दवाइयों के लिए पैसा है, तो उन्होंने कहा कि पैसा है। बाद में मैंने मोही साहब से कहा कि आपको और पैसे की जरूरत हो तो कृपया मुझे बतायें, मैं आपकी मदद करूंगी। उस लड़के की यह हालत थी और उसके मां-बाप ने बताया कि एक डिस्प्रिन की गोली जिसकी कीमत, मैं नहीं समझती कि अस्पताल वाले या राज्य सरकार वहन नहीं कर पाये, वह भी वहां से नहीं दी गई। क्या राज्य सरकार ने ऐसा प्रावधान रखा हुआ है कि कोई बीमार और वह भी इतना सीरियस बीमार अगर अस्पताल में आ जाय तो उसे एक पैसे की दवाई नहीं देंगे? एक डिस्प्रिन की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने बताया कि जो यूरिन पास करने की नली थी वह भी उसके पेरेंट्स बाजार से खरीदकर लाये हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि जब डिस्प्रिन की गोली ही नहीं है तो बड़ी-बड़ी दवाइयों

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

का क्या होगा? खाने में वह बच्चा असमर्थ था, उन्होंने ही यह सब वहन किया। वे इतने गरीब पेरेंट्स कि केवल 2 बीघा जमीन के मालिक हैं, उनके पास और कुछ नहीं था।

मैं सफाई की बात भी करना चाहती हूं। वहां पर 2-3 चूहे आये और आकर ऊपर-नीचे कूदने लगे। मैंने देखा तो मैंने पैर छटपटाया कि पता नहीं क्या है। लेकिन वे चूहे थे। जिले के इतने बड़े अस्पताल में चूहों का होना और बच्चे की हालत पर इस तरह से निर्दयता से डॉक्टरों का व्यवहार खेदजनक है। मुझे पता नहीं कि प्रशासन ने क्या व्यवस्था कर रखी है। उनको मना किया हुआ है या प्रशासन उनको दवाइयां नहीं देता है या प्रशासन ने उनको यह कह रखा है कि फलां-फलां तरीके के बीमारों को आप कोई दवाई यहां से नहीं देंगे।

दूसरी बात, आपने भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाइयां खोली हुई हैं। मैं समझती हूं वे सिर्फ कागजों में ही खोली हुई हैं। किसी गांव में कोई भ्रमण करने के लिए नहीं जाता। डॉक्टर की बात छोड़ दीजिए, ए. एन. एम. व अन्य जिनको थोड़ी-बहुत नॉलेज है वे भी नहीं जाते। ए. एन. एम. की हालत यह है कि यदि किसी गांव में रहने की अच्छी सुविधा है, अच्छी उसको खाने-पीने की सुविधा है तो वह ए. एन. एम. वहां रहेगी, नहीं तो वह वहां से नदारद मिलेगी। दूसरी बात यह है कि वह सिर्फ परिवार नियोजन का कार्य देखती है। 5 हजार के ऊपर एक ए. एन. एम है और वह केवल परिवार नियोजन की बातें ही बतायेगी। हालांकि बताती कुछ नहीं है। आपने तो बहुत कुछ प्रावधान कर रखे हैं, जैसा कि कागजों में लिखा है और आपने रिकार्ड में चढ़ाया हुआ है कि वे फिल्म शो भी करते हैं, पिक्चर भी

(श्रीमती रमा पायलट)

दिखाते हैं। आप फिल्म की बात करते हैं, पिक्चर की बात करते हैं, मैं कहती हूं उनके ही दर्शन नहीं होते हैं जो आपने वहां पर लगा रखे हैं। फिर आपने कहा कि हैल्थ गाइड का सरकार की तरफ से प्रावधान रखा है, वे वहां जायेंगे। हैल्थ गाइड तो तब दिखेंगे जब उनके लगाये हुए प्रोजेक्टर में कुछ दिखे। कोई गांव तक पहुंचता ही नहीं है। किसी गांव के आदमी से आप पूछ लें कि हैल्थ गाइड क्या होती है, तो आप जो मुझे सजा दें वह लेने को तैयार हूं। हैल्थ गाइड और बहुत सी छोटी-छोटी स्कीम्स आपने कागजों पर बना रखी हैं। उनको पढ़कर लगता है कि कुछ बोलने को ही नहीं है, आपको कुछ शिकायत करने को ही नहीं। लेकिन जब गांवों में जाते हैं, वहां की हालत देखते हैं तो लगता है कि सारा कुछ उल्टा है। और जब सारा कुछ उल्टा है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि जो कुछ हो रहा है उसमें परिवर्तन लाइये और अपने प्रशासन को चुस्त बनाइये, दुरुस्त करिए। हम लोगों के साथ भी विचार-विमर्श करें ताकि सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखें। उसके हिसाब में आप इस तरह से निवारण करें कि उसमें कुछ तेजी लाई जाय और उसमें वाकई कुछ काम हो, पेपर में काम नहीं हो। यह एक ऐसा कार्य है जिसकी आपके मंत्रालय में ही वाहवाही नहीं होगी बल्कि लोगों के मन से भी दुआयें निकलेंगी। मैं ऐसा समझती हूं कि माननीय मंत्रीजी काफी चतुर और होशियार हैं। अगर वे करना चाहते हैं, अगर वे सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं तो स्वास्थ्य व चिकित्सा की जो हालत अब तक है उसमें अवश्य ही सुधार होगा।

बड़े दुःख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैंने अपने क्षेत्र में रैफरल अस्पताल की बात पिछली बार उठाई थी और मंत्रीजी ने, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो, कहा था कि आप तो एलान कर दीजिए मेरी तरफ से, इस साल आपके यहां रैफरल अस्पताल हो जायेगा। मुझे खुदा ने थोड़ी अक्ल दी और मैंने इस बात का वहां कोई एलान नहीं किया कि मुझे मंत्रीजी ने कहा कि अगले साल आपके यहां अस्पताल हो जायेगा। नहीं तो अब तक मेरे ये कपड़े फटे हुए होते। मुझे आने ही नहीं देते कि आपने कहा था पिछले साल कि हम यहां पर खोल देंगे। लेकिन वह जो रैफरल अस्पताल की बात आप कर रहे हैं यह ऐसी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। यह तो प्रावधान रखा हुआ है कि हर तहसील के ऊपर एक रैफरल अस्पताल होगा। जहां एक-सवा लाख की आबादी होती है वहां पर रैफरल अस्पताल यदि माननीय मंत्रीजी नहीं कर पाते हैं तो आप बताइये कि ये उपमायें लगा-लगाकर जो बातें बताई हैं....

श्री सम्पत सिंह : आप तो विपक्ष के हैं लेकिन मेरे यहां ही नहीं खोल रहे हैं।

श्रीमती रमा पायलट : आपका तो अन्दरूनी मामला है मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन जहां तक अस्पतालों की हालत मुझे पता है मैंने आपके सामने रखी है। गांवों की बात आप सुनेंगे तो, माननीय मंत्रीजी, आप महसूस करेंगे कि वहां की

(श्रीमती रमा पायलट)

स्थिति कितनी खराब है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप जल्दी से जल्दी पंचायतों का दौरा रखिए। मेरे क्षेत्र में भी एक दौरा रखिए तो आपको वहां की असलियत पता चलेगी कि लोग किस तरह से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। आप दवाइयों की बात करते हैं, आपको केन्द्र सरकार से इतनी सहायता मिलती है, बहुत-सी स्कीम्स के लिए आप केन्द्र सरकार से पैसा उठाते हैं। वह आप उठाना चाहें तो मिल सकता है।

परिवार नियोजन की बात रखी। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि जब वे अपना उत्तर दें तब पिछले दो साल के परिवार नियोजन के आंकड़ों को भी कृपया रखें ताकि हम लोगों को यह पता चले कि पिछले दो साल में परिवार नियोजन में, जहां इन्होंने एक ए. एन. एम. को सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है पांच हजार की आबादी पर, क्या-क्या हुआ, कितने परिवार नियोजन के क्या-क्या आंकड़े किस-किस साल में दो साल में रहे। मैं उनसे यह भी आग्रह करना चाहती हूं। दूसरी बात, आपका एक मिनट और लूंगी। महिलाओं के लिए आपने जो पूरे राज्य में प्रावधान किया है और 117 प्रसूति गृह खोले हैं, मैं समझती हूं कि महिलाओं और परिवारों की संख्या को देखते हुए न के बराबर है। अपने राज्य को दूसरे राज्य की तुलना में और अपने आप में एक उदाहरण कायम करने की हम सब की नीयत होनी चाहिए। यदि ऐसी नीयत आप रखते हैं तो आप इन प्रसूति गृहों की संख्या को और बढ़ायें। क्योंकि इसमें एक के साथ दो पाप हो जाते हैं, एक साथ दो मृत्यु हो जाती हैं। कई माएं ऐसी हैं जो बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसूति गृह तक जाते-जाते रास्ते में दम तोड़ देती हैं। इसलिए इन पर खास तौर से ख्याल रखें, यह मेरा सरकार से आग्रह है।

जो भ्रष्टाचार वाला मामला है, मैं नहीं चाहती कि किसी का मैं नाम लूं लेकिन बहुत विनम्र, विनम्र भी, सादे और बहुत ही, मुझे थोड़ी झिझक हो रही है, सोच रही हूं कि क्या शब्द यूज करूं....

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : अच्छा ही यूज करना।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बोलने में ही झिझक रही हैं।

श्रीमती रमा पायलट : बोलने में तो नहीं झिझक रही हूं लेकिन मैं आदर करती हूं माननीय मंत्री जी का, इसलिए झिझक रही हूं। आप ऐसे भाव ही रखें अपने दिल में कि हम लोग अगली बार जब बोलें तो इससे कुछ अच्छी बात आपके लिए बोलें। विभाग में जो त्रुटियां बताई हैं, उनसे कुछ कम त्रुटियां हम आपको बता पायें। यही आपसे कहना चाहूंगी और उम्मीद भी रखती हूं कि आप इन बातों पर गौर करेंगे।

एक मैं आपसे और आग्रह करना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए जहां ग्रामीण चिकित्सालय आपने खोले हैं पेपर पर, यदि आप उनको थोड़ा-सा साक्षात कर दें तो मैं आपकी बहुत ही आभारी रहूंगी और राज्य की महिलाएं भी आभारी रहेंगी।

(श्रीमती रमा पायलट)

इससे स्वस्थ जनसंख्या जन्म लेगी । वे बच्चे बड़े होंगे तो स्वस्थ वातावरण में बड़े होंगे और उनके कार्य करने की जो शैली होगी वह भी स्वस्थ होगी । अंत में एक बात यह कहना चाहूंगी, माननीय मंत्री जी, कि कोई ऐसी मीटिंग आप लें जिसमें हमारे उच्च मेडिकल अधिकारी और विभागीय अधिकारी हों । मीटिंग करके कोई इस बात का निर्णय लें कि वे कोई ऐसी रिसर्च करें जिससे ऐसी दवाई विकसित हो जो कि हर इन्सान को दी जा सके आपके विभाग के द्वारा । उनके दिमाग में भी थोड़ा-सा परिवर्तन हो और उनमें नैतिकता की भावना ज्यादा बढ़े । नैतिकता की भावना बढ़ने से ही भ्रष्टाचार कम होगा । आप नैतिकता की भावना बढ़ाने वाली किसी दवाई की भी खोज करवाइये ताकि हम सब लोग सब जगह स्वस्थ रहें, स्वस्थ सोचें और हम उन्नति की तरफ बढ़ें । यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं । धन्यवाद ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : राम बाण औषधि है वह ।

श्री सभापति : श्री किशन गोपाल कोगटा ।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 26 पर सदन में बहस हो रही है, उस पर मैं भी मेरे विचार सम्मिलित करते हुए कुछ कहूंगा । सबसे पहले तो मेरे से पूर्व माननीय विधायिका ने जो पूर्व की स्थिति का विश्लेषण किया है वास्तव में यह उन्हीं की सरकार की देन है । इनके पास न कोई केन्द्र-स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सालय, खोलने के नार्म्स थे न कोई ट्रांसफर नीति थी और न कोई अग्रेंस्ट पोस्ट नियुक्ति या डेपुटेशन के लिए नियम बने हुए थे । मैं आपको उदाहरण दूं अजमेर जिले के मसूदा विधान सभा क्षेत्र का पिछली सरकार का, कि पंचायत समिति मसूदा में तीन हैल्थ सेंटर खोले गये जबकि वहां तीस पंचायतें हैं और जवाजा पंचायत समिति में बीस पंचायतें हैं वहां दस हैल्थ सेंटर खोले इससे पूर्व सरकार की कार्य करने की शैली का पता लगता है । बहुत से सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र ऐसी जगह खोले जहां से गांव तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर दूर है । छाली बड़ी, गंगानगर जिले में एक जगह हमने देखा कि वहां अस्पताल के ताला लगा हुआ है । खुलवाया तो लाइट नहीं है । फिर सुबह देखा तो एक्स-रे मशीन तैयार, सारा सामान तैयार, व्यवस्थाएं तैयार लेकिन मरीज नहीं है । यह पूर्व सरकार की कार्य शैली, कार्य व्यवस्था को उजागर करता है । इसी प्रकार ट्रांसफर्स के लिए भी कोई नीति नहीं थी । कहीं भी किसी भी टाइम किसी भी डाक्टर का ट्रांसफर कर दिया जाता था । डाक्टर सुरक्षित नहीं थे । डाक्टर ही नहीं, अन्य व्यवस्थाएं भी ऐसी ही थीं । गांव की अधिकांश ए. एन एम. डेपुटेशन कराकर शहर में बैठ जाती थीं । ऐसी सड़ी गली व्यवस्था प्रशासन की और चिकित्सा की थी । फिर भारतीय जनता पार्टी का राज आया और माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी को यह विभाग दिया गया । इनकी कार्य-कुशलता, व्यवस्था से पिछले दो साल में इस विभाग में जो कुछ सुधार हुआ, व्यवस्थाएं ठीक हुई, पक्ष और विपक्ष दोनों

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

उनके कार्य को सराहते हैं। इन्होंने आते ही सबसे पहले तो डी. पी. सी. बैठा कर विशेषज्ञ डाक्टरों की जो जगह खाली थीं, उन पर प्रमोशन करके भर्ती की। जे. एस. और एस. एस. की जो जगह खाली थीं, प्रमोशन देकर उनकी पूर्ति की गई। इसके साथ-साथ लगभग दो हजार डाक्टर सी. ए. एस. एडहॉक बेसिस पर लगाये गये, जो एक रिकार्ड है। पिछले चालीस साल में सरकार ने जो काम नहीं किया, आपने दो साल में किया। विशेषज्ञों के नये पद सृजित किये। जहां-जहां पर आवश्यकता थी, डाक्टर लगाये। लगभग 900 ए. एन. एम. अर्गेंस्ट पोस्ट लगी हुई थीं, गांवों से जिनकी तनख्वाह उठ रही थी और शहरों में थीं। आपने आते ही स्ट्रिक्ट नियम बनाया कि कोई भी ए. एन. एम. अपने स्थान पर रहेगी और डेपुटेशन कैंसिल किये जायेंगे। इससे गांवों में अब सुविधाए मिलने लगीं। वर्ना दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल तक तनख्वाह गांव के नाम पर उठाई जा रही थी और शहर में काम कर रही थीं। अलबत्ता इसमें आपको परेशानी हुई, सिफारिशें भी बहुत आयी लेकिन अन्त में आपकी जीत हुई और गांव में ये सुविधाएं उपलब्ध हुई। इसके साथ इस बजट में 40 नये स्वास्थ्य केन्द्र 15 सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र और 5 शहरी औषधालय खोलने की घोषणा की गई। साथ ही जोधपुर में केट-स्केन मशीन के लिए एक करोड़ रुपये की जो स्वीकृति हुई, वह भी एक स्वागत योग्य बात है। इसके साथ-साथ ही अन्य कई चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। जनसंख्या बढ़ने के बाद खाटों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। खाटों का विस्तार किया गया। परिवार कल्याण के लिए परिवार कल्याण बॉण्ड की नई स्कीम निकाली जिससे परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देने की प्रथा चलेगी। आपने इस विभाग से प्रतिनियुक्ति रद्द की। वास्तव में होता यह था कि ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग तो हो जाती थी, डाक्टर भी लगे हुए थे लेकिन वे अपने इम्प्रेशन से या राजनीतिक आधार पर डेपुटेशन शहर में करा लेते थे और वर्षों तक शहर में बैठे रहते थे। गांव के नाम पर बजट, गांव से तनख्वाह उठायें लेकिन सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र को नहीं मिलतीं। आपने इस पर विशेष ध्यान दिया और जितने भी डेपुटेशन थे, जो शहर में लगे हुए थे उनको रद्द किया और गांव में रहने के लिए आदेश दिये। इतना ही नहीं, आपने अप-एण्ड-डाउन बंद किये। अगर डाक्टर की गाव में पोस्टिंग है तो उसको वहीं रहना पड़ेगा और वहां जनता की सेवा करनी पड़ेगी। इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। गांवों में यह अहसास होने लगा कि सरकार हमारे लिए भी कुछ कर रही है।

मैं अब कुछ सुझाव दूंगा। सबसे पहले तो सफाई के लिए कहूंगा। राजस्थान में हरेक चिकित्सालय में सफाई की समस्या है। गन्दगी रहती है। मरीज को एक इम्प्रेशन पड़ता है मनोवैज्ञानिक कि सफाई अगर रहती है तो निश्चित रूप से वह जल्दी ठीक होगा। लेकिन देखा गया है कि करीब-करीब सभी जगह सफाई की अव्यवस्था है। बहुत-सी जगह तो लैट्रिन इतनी गन्दी रहती है कि मरीज को बड़ी परेशानी होती है, जंगल में जाना पड़ता

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

है । मेरा ऐसा सुझाव है कि राजस्थान में ठेका प्रणाली शुरू की जाय । चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था को ठेके पर दिया जाय जिससे सफाई भी बढ़िया रहे और जिम्मेदारी भी उनकी रहे । जैसा आपने प्रयोग के रूप में बीकानेर में किया, इस प्रकार इसको सारे राजस्थान में करें, यह मेरा सुझाव है । मेरा यह भी सुझाव है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए पूरे राजस्थान में एक मास्टर प्लान बने, फिर जिलेवार मास्टर प्लान बने और पांच वर्ष की योजना बनाकर उसको व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाय । यह नहीं कि पूर्व की सरकार का जैसा मैंने उदाहरण दिया, एक पंचायत में तो तीन हैल्थ सेंटर और एक पंचायत में दस सेंटर । एक जगह दो पंचायतों में एक हैल्थ सेंटर और दूसरी जगह दस पंचायतों में भी एक हैल्थ सेंटर नहीं । एक योजनाबद्ध तरीके से सारा अगर विकास हो तो पांच साल में, राज्य सरकार की जो नीयत है कि चिकित्सा सुविधाएं गरीब को, आम नागरिक को, सब को पहुंचें वह निश्चित रूप से पूरी होगी ।

इसी प्रकार यह देखा गया है कि एक्सरे मशीनें अधिकांशत: खराब पड़ी रहती हैं और जांच कराने के लिए डाक्टर लोग बाहर जाने की सिफारिश करते हैं । एक्सरे कराने के लिए भी अधिकांशत: बाहर ही जाना पड़ता है जब कि सरकार की तरफ से एक्सरे मशीनें भी हैं और लेबोरेटरीज भी हैं । गरीबों के लिए तो बहुत दिक्कत रहती है । मेरा इसमें सुझाव है कि नो प्रोफिट नो लॉस पर ये सुविधाएं राजस्थान में शुरू करें तो गरीब रोगियों को अधिक ठगाना नहीं पड़ेगा और अस्पतालों में ही सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी । होता क्या है कि जो बजट अलाट होता है वह बहुत पुरानी योजना के अनुसार होता है और अब पापुलेशन भी बढ़ गयी है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं और मरीज भी बढ़ रहे हैं । तो पहले दो-तीन या चार महीनों में ही एक्सरे की प्लेट्स खतम हो जाती हैं और बाकी के मरीज साल भर तक प्राइवेट जांच करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं । मैं चाहता हूं कि पूरे साल भर यह सुविधा मिले । इसके लिए नो प्रोफिट नो लॉस पर योजना शुरू करनी चाहिए ।

इसी प्रकार दवाइयों के लिए है । दवाइयों के लिए मरीजों को बड़ी दिक्कत पड़ती है और बजट भी कम रहता है । आज भी 1976 की व्यवस्था है पापुलेशन के हिसाब से, रोगियों के हिसाब से कि इनडोर के लिए 1200 रुपये प्रति शैय्या प्रति वर्ष और आउटडोर के लिए डेढ़ रुपया प्रति मरीज । यह आज के टाइम में बहुत कम है । डेढ़ रुपये में क्या तो दवाई आये और क्या व्यवस्था हो । तो मेरा यह कहना है कि इसके लिए बजट बढ़ाया जाये । जो दवाइयां आप उपलब्ध करायें उसकी सूची हास्पिटल में बोर्ड पर लगी रहे जिस से मरीजों को यह पता लगे कि यह दवाई यहां अवेलेबल है या नहीं है । कुछ मिनिमम दवाइयां, जैसे पट्टी और मरहम तो कम से कम हर डिस्पेन्सरी, सब-सेन्टर या हेल्थ सेन्टर में होनी ही चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक है । ग्रामीण क्षेत्र में पट्टी लेने कहां जायेगा मरीज ? तो यह चीज तो कम से कम वहां मिलनी ही चाहिए ।

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

माननीय सभापति महोदय, बिस्तर और चद्दरों की भी यही समस्या है। 1976 में जो नार्म्स बने वही अभी तक चले आ रहे हैं। उसमें 190 रुपये प्रति शैय्या प्रति वर्ष पुरानी जो चद्दरें और बिस्तर हैं उनकी धुलाई, सफाई और व्यवस्था के लिए और 300 रुपये नये बिस्तरों के लिए रखे गये हैं। इसके हिसाब से 50 पैसे भी धुलाई के नहीं होते हैं। आज चद्दर 2 रुपये में धुलती है। चार-चार और पांच-पांच मरीज पलट जाते हैं तब तक भी एक चद्दर नहीं पलटती है, उसकी सफाई नहीं होती है। मैं यह चाहता हूं कि नो प्रोफिट नो लॉस पर अगर स्टोर से कोई मरीज लेना चाहे तो धुली हुई चद्दर ले सके और वापस जमा करा सके। ऐसी व्यवस्था होने पर निश्चित रूप से इसका साइकोलोजिकल प्रभाव पड़ेगा और मरीजों को भी सफाई और सुविधा की उपलब्धि होगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि प्रयोगशाला जो राजस्थान में है वह पर्याप्त काम नहीं कर रही है। उसमें पूरा बजट नहीं है और स्टाफ भी नहीं है। ड्रग इन्सपेक्टर जितने सेम्पल लेते हैं उनको या तो गाजियाबाद भेजना पड़ता है या फिर कलकत्ता भेजना पड़ता है। इसके लिए सरकार को जितना पैसा खर्च करना होता है उससे चार गुना पैसा खर्च होता है और रिजल्ट भी दो-दो साल में आता है। मेरा तो यह मानना है कि क्यों नहीं यहां राजस्थान की अपनी जो विश्लेषण की प्रयोगशाला है उसको सुदृढ़ किया जाये। उसमें जो भी इन्स्ट्रूमेन्ट्स या व्यवस्था की कमी है उसको पूरा किया जाये और स्टाफ लगाया जाये। दो-दो साल में जब रिपोर्ट आती है तब तक या तो वह आइटम बिक जाता है या वह बन्द करके चला जाता है। अगर तुरन्त यहीं राजस्थान की राजधानी में यह कार्य हो तो निश्चित रूप से उसके रिजल्ट्स महीने-दो महीने में आ जायेंगे और उन पर एक्शन लिया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, रोगी वाहनों के लिए कुछ कहना चाहता हूं। अधिकांश रेफरल हास्पिटल और बड़े सिटीज में इन रोगी वाहनों की उपलब्धि तो हो गयी लेकिन होता क्या है कि एक ड्राइवर रहता है जो 8 घण्टे की अपनी ड्यूटी करके घर चला जाता है। लेकिन मरीज तो चौबीसों घण्टे आते रहते हैं और पेशेन्ट्स को लाने-ले जाने का काम भी चौबीसों घण्टे होता है। तो लोगों को प्राइवेट पैसा देकर लाना पड़ता है। मेरा इसमें यह सुझाव है कि काल ऑन ड्यूटी ड्राइवर को रखा जाये ताकि जब भी मरीज को वाहन की आवश्यकता हो उसको वह तुरन्त बुला सके और वह अवेलेबल हो सके। मेरा यह सुझाव है, इस पर भी आप विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में आपने चिकित्सा केन्द्र भी खोले हैं और डाक्टर भी लगाये हैं लेकिन अब समस्या और भी भयंकर यह हो गयी है कि डाक्टर लोग छुट्टी पर चले जाते हैं। कोई एम डी. करने चले जाते हैं, कोई आई. ए. एस. या आर. ए. एस. की परीक्षा देने चले जाते हैं। हालांकि रिकार्ड में तो ड्यूटी पर हैं। इससे वास्तव में ग्रामीण

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

जनता बड़ी परेशान होती है। तो मेरा यह सुझाव है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सी. एम एच. ओ. ऑफिस में एक डाक्टर लीव रिजर्व के लिए नियुक्त करना चाहिए जिससे जहां कहीं भी अव्यवस्था हो वहां उसको तुरन्त भेज सकें। यह इसलिए आवश्यक है कि आपने जितनी गुडविल डाक्टर्स के लगाने में कमाई है, डॉक्टर गांव-गांव में पहुंचाये हैं उतना ही यह बुरा हो रहा है। जनता तो यह समझती है कि हमारे यहां डाक्टर आ गया, लेकिन डाक्टर आने के बाद छुट्टी चले जाते हैं। कोई महीने भर के लिए चला जाता है तो कोई 15 दिन के लिए चला जाता है, जबकि आप यह कहते हैं कि कहीं भी दिक्कत हो तो 15 पैसे का पोस्टकार्ड डालिये। एक्चुअली में आप कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते इसकी मजबूरी यह है कि पोस्ट भरी हुई है लेकिन डाक्टर छुट्टी पर है। तो मैं यह चाहूंगा कि लीव रिलीवर डाक्टर होने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत भयंकर समस्या प्र इवेट प्रेक्टिस की ऐसी चली है कि उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस के लिए कुछ फीस तय की गयी थी कि यह फीस लगेगी, जैसे सी. ए. एस. 15 रुपये दिन के और 20 रुपये रात के; जे. एस. 30 रुपये दिन के और 40 रुपये रात के। ऐसे ही ए.एन.एम. के लिए, फर्स्ट ग्रेड और सैकिण्ड ग्रेड नर्स के लिए और मेल नर्स के लिए आपने कुछ तय किया है 1987 में, लेकिन वास्तव में आम नागरिकों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो इसमें चीटिंग होती है कोई सौ ले रहा है, कोई दो सौ ले रहा है, मर्जी आये जैसे कर रहा है। मेरा इसमें यह सुझाव है कि डाक्टर की नेम प्लेट होनी चाहिए घर के बाहर और उस पर उसकी फीस क्या है वह लिखी होनी चाहिए जिससे मरीज को आते ही पता लगे कि मुझे कितना पैसा फीस के लिए देना चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि इस पर आप ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। मैं अब राजधानी में जो एस एम एस हास्पिटल है उसके बारे में आपको थोड़ी-सी जानकारी दूंगा। मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सुधार हो। एस. एम. एस. 1300 बैड का अस्पताल है और करीब 600 एक्स्ट्रा बैड्स लगाये जा रहे हैं। कुल 1900 में से, सर्वे करने पर पता लगा कि साल भर में 1400 मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और यहां भर्ती होते हैं। अधिकांश रैफर होकर आते हैं कि उनको एस. एम. एस. में जाकर यह जांच करानी है या इलाज कराना है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों से रैफर होकर जो मरीज आते हैं उनकी यहां क्या दुर्दशा होती है। सबसे पहले तो डाक्टर के घर जाना पड़ता है क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि किस डाक्टर का कहां आउटडोर का नम्बर है। 200 रुपये फीस दे तब जाकर तो वह डाक्टर देखता है। फिर एडमीशन करने की फीस लेते हैं और उसके बाद

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

भी उनकी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा इसमें यह सुझाव है कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र से जो रेफर होकर आये उसको यहां सब सुविधायें मिलें, उसको डाक्टर देखे। उसके बाद काटेज वार्ड आपके पास 100 हैं तो जब 1900 में से कम से कम 1400 मरीज ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, रैफर होकर आते हैं उनको निश्चित रूप से काटेज वार्ड मिलना चाहिए। वे आखिर जायें कहां? रैफर होकर यहां जयपुर तो आ गये लेकिन जयपुर आने के बाद वे भटकते रहते हैं इधर-उधर। उसके साथ ही साथ एक और व्यवस्था करनी चाहिए कि उनके लिए 50 पर्सन्ट रिजर्वेशन हों। एक वेटिंग लिस्ट, जैसे रेलवे की वेटिंग लिस्ट रोज टंगती हैं वह टंगनी चाहिए जिससे उसको यह पता लगे कि मुझे कल मिलेगा या परसों मिलेगा या परले रोज मिलेगा। नहीं तो उनकी ब्लेकमेलिंग होती है, उनको पैसा देना पड़ता है तब मिलता है काटेज वार्ड या सिफारिश करानी पड़ती है तब मिलता है। वह कहीं प्राइवेट में रहता है तो उसको बहुत असुविधा होती है। इसके साथ ही साथ मेरा यह भी कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस रफ्तार से शहरों में आ रहे हैं तो बजट जो दवाइयों का है उसका भी 50 पर्सेन्ट उन पर खर्च होना चाहिए। वर्ना देखा गया है कि जो वी. आई. पी. हैं उनके ऊपर सारा बजट खर्च होता है इसका उदाहरण यह है कि एस. एम. एस. की 80 पर्सेन्ट परचेजेज शाट टर्म परचेजिंग होती है। वी. आई. पी. आते हैं उनके हिसाब से वह परचेजेज होती हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय सभापति महोदय, दो मिनट लूंगा।

इसी प्रकार एस. एम. एस. के लिए मेरा एक सुझाव और है। पहले दो आऊटडोर हुआ करते थे तो मरीज 3 दिन के बाद में वापस दिखा सकता था, लेकिन आज 6 यूनिट हैं और हर विशेषज्ञ का नम्बर 7 दिन के बाद आता है। जो आउटडोर पर दिखाकर आता है पेशेण्ट, उसका नम्बर वापस दिखाने के लिए 7 दिन में आता है या फिर घर जाकर फीस देकर दिखाकर आवे। मेरा इसमें यह सुझाव है कि अगर आउटडोर में देख ले पेशेण्ट को और उसके बाद उसको कोई कन्सल्टिंग करनी पड़े, कोई राय लेनी पड़े तो उसको इण्डोर के दिन अन्दर भी देखने की सुविधा होनी चाहिए और उसको डॉक्टर फ्री देखे। वर्ना होता क्या है कि 7 दिन तक इन्तजार करो वर्ना फीस दो। अब गरीब आदमी कहां से फीस दे?

सभापति महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र की दो एक बातें कहूंगा। मैंने कटमोशन में भी कहा था कि हमारे विजय नगर में बारिश के दिनों में हास्पिटल में पानी भर जाता है। माननीय सभापति महोदय, पानी इस ढंग से भरता है कि उसकी कुर्सी तो है डेढ़ फिट की और बारिश का पानी दो फिट भर जाता है। मैं चाहूंगा कि इसको विभाग सीरियसली ले ताकि पेशेण्ट को सुविधायें मिलें। इसके साथ-साथ मेरा यह कहना है कि विजय नगर, अजमेर और भीलवाड़ा के

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

बीच में है। वहां से 65 किलोमीटर अजमेर है और 65 किलोमीटर भीलवाड़ा है। बीच में होने की वजह से, नेशनल हाई-वे होने की वजह से वहां एक्सीडेण्ट आदि बहुत होते हैं। बहुत-सी बार तो बड़ी दिक्कत आती है इसलिए मैं चाहूंगा कि विजय नगर को एक केन्द्र बनाते हुए उसमें सब सुविधायें इमर्जेन्सी की उपलब्ध कराई जाएं जिससे आये दिन जो एक्सीडेण्ट होते हैं उनको सुविधा मिलें। न अजमेर आना पड़े न भीलवाड़ा जाना पड़े

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अन्त में आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मांग का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 12वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है :–

कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 25 मार्च को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने अपने 11वें प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन कर के दिनांक 31 मार्च से 8 अप्रेल, 1992 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार-विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :–

मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 1992	राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992 एवं नाथद्वारा मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण
बुधवार, दिनांक 1 अप्रेल, 1992	राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) विधेयक, 1992 एवं राजस्थान वीडियो फिल्म (प्रदर्शन का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण
गुरुवार, दिनांक 2 अप्रेल, 1992	राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार
शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रेल, 1992	गैर सरकारी कार्य दिवस

शनिवार और रविवार को बैठक नहीं होगी।

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

सोमवार, दिनांक 6 अप्रेल, 1992	राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं बिगड़ते हुए पर्यावरण की स्थिति पर विचार
मंगलवार, दिनांक 7 अप्रेल, 1992	राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण एवं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक अनुमान), 1991–92 पर विचार।
बुधवार, दिनांक 8 अप्रेल, 1992	राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1992, राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1992 एवं अजमेर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 12वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति व्यक्त करता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सदन कारण" तो जानना चाहता है कि क्यों परिवर्तन किया।

श्री परसादीलाल मीणा : परिवर्तन क्यों किया, कारण तो बताइये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, यह प्रतिवेदन है जिसमें (व्यवधान)....सभी पार्टियों के माननीय नेता बैठे हैं और उन्होंने सर्वसम्मति से जो भी

श्री परसादी लाल मीणा : आपकी भी राय थी।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैं भी उसमें बैठता हूं। उसमें जो सर्वसम्मति से निर्धारण किया जाए उसी के आधार पर यह प्रतिवेदन बनाया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर कोई विचार नहीं होना चाहिए और यह परम्परा भी नहीं है (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 12वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के नियत समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान की मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर विचार एवं पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

डाक्टर चन्द्रभान।

मांग संख्या 26–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर विचार

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई की मांग पर विचार चल रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मानव सेवा के वे क्षेत्र हैं जिन पर आजादी के बाद में, चाहे वह सरकार केन्द्र की रही हो, चाहे वह सरकार राजस्थान की हो, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना किसी भी सरकार की ओर से नहीं दिया गया। इसमें हमारे संविधान की जो भावना थी उसका भी सम्मान नहीं किया गया। अब यह टार्गेट रखा गया है कि सन् 2000 तक, यानि कि 21वीं सदी में पहुंचने तक सब लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्था की जायेगी। संविधान में ही यह व्यवस्था थी कि अंतिम व्यक्ति तक मुफ्त चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की जायेगी लेकिन आजादी के इतने लम्बे समय के बाद भी मुफ्त चिकित्सा सेवा की व्यवस्था की बात तो छोड़िये, सस्ती सेवा और सब को सुलभ कराने का आपका जो लक्ष्य था उसको भी आप हासिल नहीं कर पाये हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, आप गतिशील मंत्री हैं। पी. डब्ल्यू. डी. या लोक निर्माण विभाग में तो आपने गतिशीलता हासिल की लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आप भी हिला नहीं पाये।

श्री नत्थी सिंह : हिलाया तो बहुत है।

डा. चन्द्रभान : आप व्यवस्था में कोई आमूलचूल सुधार या परिवर्तन नहीं ला पाये, मेरा इशारा उसकी ओर है। आपने सन् 1992–93 में कहा है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जायेगा और उन्हें सुदृढ़ किया जायेगा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जो व्यय 1989–90 में 64 करोड़ 214 लाख 26 हजार रुपए था वह 1990–91 में 250 करोड़ 66 लाख 70 हजार का हो गया, 1991–92 में 283 करोड़ एक लाख 18 हजार और 1992–93 में 307 करोड़ 93 लाख 28 हजार हो गया। यदि इन आंकड़ों की तरफ जाया जाए तो बजट 1990, 1991 और 1992 में वार्षिक 36 और 33 करोड़ रुपए बढ़ाया गया और अब की बार 25 करोड़ मान लीजिए। फिर रुपए का भी

(डा. चन्द्रभान)

अवमूल्यन इतना ज्यादा हो गया। आप जो यह व्यय करेंगे इसके बारे में इतना कहना चाहूंगा कि इसका एक बहुत-बड़ा हिस्सा तो डॉक्टरों के और आपके स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर ही खर्च हो जायेगा, रख-रखाव पर ही हो जायेगा। आपने पिछले वर्ष कहा कि 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 15 सामुदायिक विकास केन्द्र खोलेंगे, और स्वीकृति भी आपने दी। आपने उद्घाटन भी ज्यादा किये हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके लिए बजट का क्या प्रावधान किया ? 1991-92 में आपने एक नया मेडिकल कॉलेज कोटा में खोला, उसके लिए आपने क्या प्रावधान किया बजट का ? 5 मेडिकल कॉलेजों का जो बजट था उसका एक हिस्सा वहां पर पहुंचा दिया। अब की बार तो आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केवल 40 रखे हैं-50 के बजाय 40, और 15 सामुदायिक विकास केन्द्र रखे हैं। 5 गवर्नमेण्ट डिस्पेंसरियां, वे भी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं शहरी क्षेत्र में। जो शैयाएं हैं उनको बढ़ाने की कोई बात इसमें नहीं कही गयी है। मैं चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जो विस्तार हुआ है वह शहरों और कस्बों तक सीमित है और इसमें राज्य सरकार का कोई विशेष योगदान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को राज्य सरकार की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ न पहले मिला न अब मिल रहा है और न आगे कोई संभावनायें रह गयी हैं।

आपकी जो व्यवस्था है उसमें बड़े शहरों में मेडिकल कोलेजेज के अस्पताल हैं, जिला स्तरीय अस्पताल हैं, संकाययुक्त अस्पताल हैं, मानसिक चिकित्सालय भी हैं, जनाना अस्पताल भी हैं, टी. बी. सेनेटोरियम भी हैं, और दूसरे आपके सरकारी अस्पताल भी हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं, या कहीं पर कोई डिसपेंसरीज हैं। तो ये जो शहरों के लोग हैं, मैं यह कहूं कि यह एक प्रिविलेज्ड क्लास है। इसके अलावा मंत्री जी बात कहेंगे और सरकार ने भी कहा है कि निजी क्षेत्र के लोग, उद्यमी या डाक्टर यदि अपने प्राइवेट नर्सिंग होम, अस्पताल, रिसर्च सेण्टर या क्लनिक खोलेंगे, तो उसमें सरकार सहयोग करेगी। उसमें आपने पहले क्या सहयोग किया है और आगे आप क्या सहयोग करेंगे ? आप कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल एरिया में जो जमीन है वह उनको रियायती दरों पर दे सकते हैं। इसके अलावा तो वे लोग खुद खोलते हैं। सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, सरकारी शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर से देश और प्रदेश की जनता का विश्वास उठ गया है। इसलिए यह कहा जाए कि प्राइवेट अस्पतालों में भीड़ की लाइन लगी रहती है, ये प्राइवेट अस्पताल बहुत पापुलर हो रहे हैं, यह सही नहीं है। ये प्रदेश की गरीब जनता के शोषण के सेण्टर बनते जा रहे हैं। मजबूरी है प्रदेश की जनता की। चूंकि सरकारी अस्पतालों में इलाज सही तरह से होता नहीं है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है इसलिए वे मजबूरी में वहां

(डा. चन्द्रभान)

पर जाते हैं। मैं जयपुर और दूसरे बड़े शहरों और कस्बों के बारे में कहना चाहूंगा और मेरे डाक्टर साथियों के बारे में कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय, प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में आपने भी जरूर विचार किया होगा। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी विचार किया लेकिन कोई व्यवहारिक फार्मूला सरकार को नहीं मिला। मैं जानना चाहूंगा कि प्राइवेट प्रेक्टिस के लिए कोई निर्धारित मापदण्ड होंगे। चाहे वह सी. ए. एस हो चाहे सीनियर मेडिकल आफिसर हो चाहे जूनियर स्पेशलिस्ट हो चाहे व्याख्याता हो चाहे रीडर हो या प्रोफेसर हो, वह फीस ले, इलाज करे पर उसका कोई अमाउण्ट तो फिक्स होना चाहिए। कोई डाक्टर जो चाहे सो अमाउण्ट ले ले? आपरेशन के लिए अलग से रेट बंधी हुई है। जिनका नाम चल गया या चूंकि वे यूनिट के हैड हो जाते हैं इसलिए उनकी सब तरह की सुविधाएं होती हैं। जिले के अस्पताल में, मेडिकल कालेज में अफसर, चीफ मेडिकल आफिसर, या प्रिंसिपल मेडिकल आफिसर होते हैं, उनके हाथ में पूरे अस्पताल की ताकत होती है इसलिए उनकी प्रेक्टिस चलती है और वे जो चाहें सो फीस लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इस प्रकार के डाक्टरों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही की है तो इसकी जानकारी आपको अपने रिप्लाई में जरूर देनी चाहिए। आपको इस बारे में कोई फैसला करना चाहिए कि आप प्राइवेट प्रेक्टिस रखें या न रखें।

एक बात मैं मेडिकल कालेज के संदर्भ में विशेष रूप से कहना चाहूंगा। ये जो मेडिकल कोलेज से संबंधित अस्पताल हैं, राजस्थान में चिकित्सा के यही तो असली सेण्टर हैं। व्यक्ति कहीं जाता है और इलाज नहीं मिलता है तो वह यहीं थोड़ी बहुत हिम्मत रखता है। इलाज होना चाहिए. लेकिन मेडिकल कालेज में जो डाक्टर्स हैं उनकी तीन जिम्मेदारियां हैं। पहला उनका काम शिक्षण-प्रशिक्षण, टीचिंग का होना चाहिए। दूसरा उनका काम रिसर्च का है और तीसरा उनका काम इलाज करना है। अब यहां पर केवल इलाज वाला काम बाकी बचा है। टीचिंग के क्षेत्र में जिस तरह से मेडिकल कालेज में छात्रों की टीचिंग होनी चाहिए वह नहीं हो रही है और शैक्षणिक स्तर गिर रहा है। रिसर्च का काम एकदम बंद हो गया है। केवल इलाज का काम है और वह इलाज का काम भी बड़े-बड़े डाक्टरों के घरों पर हो रहा है। अस्पताल में तो वहां से चिट आ जाती है और ये लोग भर्ती करने का काम करते हैं। सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जो जूनियर डाक्टर्स हैं, चाहे फर्स्ट ईयर पी जी हो, सैकण्ड ईयर पी. जी., या रजिस्ट्रार वे 12–12, 14–14 और 16–16 घंटे काम करते हैं और प्रोफेसर जो यूनिट हैड है वह एक और दो घंटे का समय देता है। मैं कुछ डाक्टरों को अपवाद मानता हूं जो इस पेशे के प्रति समर्पित हैं। लेकिन अमूमन सब कोलेजेज में ऐसा हो रहा है, इस ओर भी, मंत्री जी, आपको ध्यान देना चाहिए। जयपुर का मेडिकल कालेज केवल हिन्दुस्तान ही नहीं विश्व का माना हुआ मेडिकल कालेज है, उसके शैक्षणिक स्तर में भी गिरावट आयी है। इसमें

(डा. चन्द्रभान)

आपको सुधार की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। एक निजी मेडिकल कालेज आपने कोटा में खोला है और एक नया मेडिकल कालेज खोलने का आपने प्रस्ताव किया है और सिद्धान्ततः सरकार उससे सहमत भी है। हालांकि मैं निजी मेडिकल कालेजेज के खिलाफ हूं, पर निजी आप क्लीनिक खोलने दीजिए डाक्टर खोले, या जो भी कोई खोले और सरकार की ओर से उसको सुविधा दीजिए। अस्पताल की सुविधा दीजिए, रियासत दीजिए, नर्सिंग होम के लिए सुविधा दीजिए। लेकिन शिक्षण के क्षेत्र में निजी मेडिकल कालेजेज का जैसा वातावरण साउथ में है कृपया राजस्थान में इस छूत की बीमारी को नहीं आने दीजिए। यदि निजी मेडिकल कालेज खोलना है, कोटा में मेडिकल कालेज खोलना है तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जयपुर के इस प्रेस्टीजियस मेडिकल कालेज को पी. जी. आई. में परिवर्तित करने के लिए आज घोषणा करें, यह मांग लम्बे समय से चली आ रही है। दो साल से आप भी प्रयास कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं लेकिन जयपुर के एस. एम. एस. अस्पताल में सुपर स्पेशलाइजेशन का काम आप शुरू नहीं करा पाये हैं। कई व्यावहारिक दिक्कतें हैं उनको आप दूर कर सकते हैं।

सभापति महोदय, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मलेरिया, टी. बी. अंधापन, वेक्सीनेशन प्रोग्राम, स्कूल हैल्थ प्रोग्राम उनके आपने आंकड़े बहुत अच्छे दर्शाये हैं, लेकिन इसमें वास्तविकता क्या ? मैं मलेरिया के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, आप हमारी कमेटी के चेयरमैन हैं। आप झुंझुनूं गये थे, आपने क्या देखा ? अस्पतालों की सफाई और दूसरी बातों पर मैं अभी थोड़ी देर बाद मेरे विचार रखना चाहूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम हैं इनकी ओर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। गांवों में पानी की व्यवस्था में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। गांव-गांव में खड्डे हैं उनमें पानी भर जाता है। मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं। डी. डी. टी. तो आप छिड़कते ही नहीं हो। पहले कहोगे कि प्लेट आना चाहिए ब्लड का और वह भी पॉजिटिव आयेगा तब देखेंगे। एक कांस्टीट्युएंसी के दो गांवों में भी डी. डी. टी. छिड़की नहीं जाती, जुलाई से अक्टूबर का महीना आपने निश्चित कर रखा है। फिर डी. डी टी. के रेसिस्टेंट हो गये, मच्छर तो उनसे मरते नहीं हैं। मच्छर नहीं मरेंगे तो मलेरिया जरूर फैलेगा। इसके अलावा स्कूल हैल्थ प्रोग्राम के आपने यहां आंकड़े दे दिये कि 4 लाख कितने बच्चे हैं उनका एग्जामिनेशन किया गया और इतने बच्चे बीमार पाये गये। आप और हम, सब क्षेत्रों में जाते हैं, कहां यह व्यवहार में हो रहा है ? हमें तो दिखाई नहीं दिया, आपको कोई दिखाई देता है तो अलग बात है। सभापति महोदय, ये वे प्रोग्राम हैं जिनमें केन्द्र सरकार की ओर से भी आपको मदद मिलती है और आप लोग भी राज्य सरकार की ओर से धन खर्च करते हैं। हैल्थ एजुकेशन सेमिनार के माध्यम से, टी. वी. के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से

(डा. चन्द्रभान)

लोगों को एजुकेट करने का सवाल है, ये भी केवल आंकड़े हैं। जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से जिलों में काम नहीं हो रहा है। एक बात के लिए मैं आपको थोड़ी बधाई जरूर देना चाहूंगा कि आपने डाक्टर्स की नियुक्तियां कीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र क उन नियुक्तियों का जिस तरह से लाभ मिलना चाहिए था वह लाभ नहीं मिला। इसके लिए या तो आप सेवा शर्तों में परिवर्तन कीजिए या फिर गांवों का शहरों की तरह से विकास कीजिए और या फिर आप मेडिकल शिक्षा की प्रणाली में परिवर्तन कीजिए। यह व्यावहारिक कठिनाई से बहुत पुराने समय से है और इस कठिनाई को आपको दूर करना चाहिए। मैं तो पुराने जनता राज की बेयर फुट डाक्टर्स प्रणाली का भी समर्थन करता हूं। यदि एम. बी. बी. एस. और एम. डी. डाक्टर्स गांवों में नहीं जाना चाहते हैं तो आप एक नया कोर्स भी शुरू कर सकते हैं, जो एक या दो साल का कोर्स हो और उन लोगों को गांवों में भेजने का आप काम करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो डाक्टर्स, ए. एन. एम. और दूसरे लोग, जिनकी आपने पोस्टिंग की और वे गांवों में नहीं जाते हैं, उनके खिलाफ विभाग ने आज तक क्या कार्यवाही की? यदि आप कार्यवाही करने में समर्थ नहीं हैं तो फिर आप नियमों में, कानून में कोई परिवर्तन कीजिए। असल में ऐसा होता है कि डाक्टर्स वहां जाते नहीं हैं। जाते हैं तो वहां पर रुकते नहीं हैं। और रुकते हैं तो वहां पर मरीजों का इलाज ढंग से नहीं करते हैं।

मेडिकल कालेज की जब चर्चा हो रही है तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, 1967 से 1992 आ गया, 25 साल हो गये। इस बीच दो बार सेंसस भी हो गया, जनसंख्या भी बढ़ गई। आप चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की बात कहते हैं, निजी मेडिकल कालेज और नये मेडिकल कालेज भी आपने खोले। लेकिन मुझे पूरी जानकारी है कि 600–650 सीट्स मेडिकल कालेज में जो 1967–68 में थीं वे ही आज भी 600–650, 500–550 के बीच में चल रही हैं। आपने सीटें नहीं बढ़ायीं। जो मेडिकल कालेज में चला गया वह तो इसका विरोध करेगा। जैसे जो रेलगाड़ी में चला जाता है वह कहता है कि डिब्बे के अन्दर जगह खाली नहीं और जो नीचे रहता है वह कहता है कि जगह बहुत है। इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गयी, डाक्टरों की जब आपको जरूरत है, नये मेडिकल कालेज आप खोल रहे हैं तो फिर मेडिकल कालेज में सीटें बढ़ाने के बारे में सरकार क्यों नहीं विचार करती है?

सभापति महोदय, जहां तक अस्पतालों का सवाल है, अस्पतालों की बिल्डिंग भी है वहां डाक्टर भी हैं लेकिन अस्पतालों के अन्दर एक्स–रे मशीनें नहीं हैं। ग्रामीण स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरी या दूसरे अस्पताल हैं उनमें, किसी को चोट लग जाय तो बैण्डेज तक का इन्तजाम नहीं है। मैं केवल जयपुर की बात नहीं कहता। सभापति महोदय, सरकार दवाइयों के बजट में जरूर वृद्धि करे। इसी के साथ-साथ जितनी भी एक्स–रे मशीनें या दूसरी मशीनें खराब पड़ी हैं, उनकी रिपेयर करायें। हर बार हम यह बात

(डा. चन्द्रभान)

कहते हैं और आप भी हर बार आश्वासन देते हैं लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। यही वजह है कि प्राइवेट दुकानें चलती हैं।

पैथोलोजीकल लेबोरेटरी के बारे में आपको कहना चाहूंगा। हमारे मेडिकल कालेज में पैथोलोजी का अलग से डिपार्टमेण्ट है, प्रोफेसर रैंक के वहां पर डाक्टर्स हैं लेकिन चाहे खून हो चाहे पेशाब हो, चाहे थूक हो इस तरह की जांचें भी बाहर के डायग्नोस्टिक सेन्टर्स में होती हैं। मैं कहना चाहूंगा और मुझे यह कहते हुये कोई ग्लानि महसूस नहीं होती कि अस्पतालों के डाक्टरों की उनसे मिलीभगत है और इस मिलीभगत से गरीब जनता की लूट होती है। इससे जनता को बचाना चाहिये। आपका डाक्टरों को यह निर्देश देना चाहिये कि छोटी-मोटी बीमारियों की फिजूल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो। बीमारी के इलाज के लिये 20 और 30 रुपये और इन्वेस्टिगेशन के लिए 250-300 रुपये। छोटी-सी बीमारी के लिए दुनिया भर के इन्वेस्टिगेशन कर दिये जायेंगे और कह दिया जायेगा कि गेटवेल क्लिनिक पर प्राइवेट पर चले जाओ, फलां झुंझुनू में चले जाओ या सीकर में चले जाओ। इस बारे में यदि कोई कानूनी अड़चनें हों तो आपको दूर करनी चाहिये और मेडिकल कालेज हो चाहे जिले का अस्पताल हो इनकी पैथोलोजीकल लेबोरेटरी को साउण्ड करना चाहिये।

जब मैं कहना चाहता हूं, आपका टेक्निकल स्टाफ है, नर्सेज हैं। इनकी आपके यहां कमी है। डाक्टरों की तो हम चिन्ता करते हैं, मेडिकल कालेज भी नये खाले रहे हैं। लेकिन आपने नर्सिंग के लिये कालेज खोला ? कोई प्रस्ताव आपने किया है ? इनकी कमी सब जगह है। इस बात को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये।

हालांकि समय का अभाव है लेकिन, सभापति जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। प्राइवेट अस्पतालों की चर्चा जब चली, निजीकरण कर पूरे देश और प्रदेश में महौल है। जयपुर में जो चाहता है वह अपना प्राइवेट नर्सिंग होम या क्लिनिक खोल लेता है। कोई कानून नहीं, बाधा नहीं। मुझे अफसोस इस बात का है, मंत्री जी, कि सरकार के अच्छे-अच्छे जो डाक्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, जिनका नाम है उनको आप वहां पर डेप्यूट कर देते हो। आप तो डेप्यूटेशन के खिलाफ हो। ऐसे क्लिनिक में आपने लोगों को डेप्यूट कर दिया जिसका कोई नाम नहीं है। मैं कोई सन्तोकबा की बात नहीं करता, सोनी अस्पताल की बात नहीं करता लेकिन जिनका कोई नाम नहीं है, छोट-छोटी डिसपेन्सरीज हैं उनमें भी आपने मेडिकल लेक्चरर्स को, सीनियर लोगों को डेप्यूट कर दिया। वे सरकार की सेवा में रहते हैं, वहां उनका नाम चलता है और इस कारण वे क्लिनिक, नर्सिंग होम चलते हैं। वहां पर उनको पैसा अच्छा मिलता है और नर्सिंग होम वाले उनके नाम से खुद पैसा कमाते हैं। इस व्यवस्था को दूर कीजिये। इस तरह की डेप्युटेशन प्रणाली को बन्द करना चाहिये।

एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा जिसकी लोगों को बहुत बडी

(डा. चन्द्रभान)

दिक्कत है। अस्पताल का जो समय है उसके बारे में लोगों को दिक्कत है। दिक्कत यह है कि अन्य दिवसों के अलावा रविवार का जो दिन है, रविवार के दिन अस्पतालों में ऑफ-डे होता है। जो लोग अस्पतालों में काम करते हैं उनको वीकली ऑफ मिलता है, सात दिन में एक दिन की छुट्टी मिलती है। सरकारी सेवा के हैं उनको भी सात दिन में एक दिन की छुट्टी मिलती है। सरकार यह मानती है कि अस्पताल में काम करने वाले जो डाक्टर्स या दूसरे लोग हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी है, वे समय पर ज्यादा ओवरटाइम भी करते हैं। तो आप इस सन्डे के दिन को बदलें। सोमवार का दिन रख लीजिये, मंगलवार का दिन रख लीजिये या शनिवार का दिन रख लीजिये लेकिन रविवार के दिन नहीं चूंकि उस दिन सब कर्मचारियों की छुट्टी होती है। कर्मचारी छोटी-मोटी बीमारी के लिए खुद या अपने परिवार के लोगों को या अपने रिश्तेदारों को रविवार को आसानी से ले जा सकता है। इस संबंध में आपने एक कमेटी भी बैठायी थी। पूर्व सरकार के सामने उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गयी और सरकार आश्वासन भी दे दिया था कि सरकार इस पर विचार करेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि सन्डे के दिन अस्पताल पूरे समय खुलना चाहिये।

इसी के साथ, सभापति महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन और करना है कि ऐलोपैथी का जहां तक सवाल है इसके विकास की ओर तो सरकार का ध्यान है लेकिन आयुर्वेद, यूनानी और होमियोपैथिक इनके विकास की ओर शायद सरकार ने यह मान लिया है कि जनता का इनसे विश्वास उठ गया, जनता इनमें यकीन नहीं करती है, और सरकार ने फैसला ले लिया कि इनका विकास नहीं करना चाहिये। कई दिन चर्चा तो रही थी कि इनको बन्द ही कर दिया जाय। यह सही बात है कि जहां ऐलोपैथी डिस्पेन्सरी हो वहां पर आयुर्वेद या होमियोपैथी या यूनानी का चिकित्सालय नहीं रखना चाहिये। इनको अलग रखना चाहिये और इसके विकास की ओर आपको ध्यान देना चाहिये।

अंत में अस्पतालों की सफाई के लिये आपका ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा। अस्पतालों में सफाई की एक बहुत बड़ी समस्या है और यह समस्या सब जगह पर है। सभापतिजी हमारे चेयरमैन हैं हम झुंझुनू गये थे। इन्होंने खुद देखा, वहां पर सफाई की क्या स्थिति थी। मंत्रीजी, मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि वहां पर जनाना अस्पताल में हमारी कमेटी गयी तो वहां लोगों ने शिकायत की कि वहां पर एक महिला की तो अस्पताल के सामने डिलीवरी हो गयी, और यह अखबारों में भी छपा है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। डाक्टर, नर्स वहां पर मौजूद थे, स्टाफ पूरा था। हम लोगों के सामने शिकायत की। बाद में वह महिला अपने गांव चली गयी। क्यों नहीं गयी अन्दर ? इसलिये नहीं गयी कि अन्दर जाऊंगी तो अभी

(डा. चन्द्रभान)

500/-रुपये मांगेंगे । इसलिये अन्दर नहीं गयी । हमने जनाना अस्पताल को देखा । वहां पर जो विण्डो थी उसकी जाली नहीं थी । एक घटना तो ऐसी घटी कि एक बच्चा था उसको एक दिन कुत्ता ले जाता, परन्तु उसके कोई परिजन अचानक पहुंच गये । जनाना अस्पताल, झुंझुनूं में यह स्थिति है । इसकी रिपोर्ट हम लोगों ने आपके पास भेजी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । अस्पतालों में सफाई की अव्यवस्था है-जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल हो, चाहे झुन्झुनूं का अस्पताल हो, सीकर का हो चाहे कोटा का हो, कहीं का भी हो । नीचे की डिस्पेन्सरी या पी.एच.सी. की चर्चा का तो यहां मतलब ही नहीं है वह चर्चा में आती ही नहीं है, केवल जिले के अस्पताल या मेडिकल कालेज के अस्पताल रहते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, चूंकि आप लोगों ने, ऐसा लगता है कि फैसला कर लिया और आप शायद घोषणा भी कर सकते हैं कि अस्पतालों की सफाई ठेके पर दे दो । मैं पूछना चाहता हूं, ठेके पर क्यों दे दिया जाय । ठेके पर इसलिये दे दिया जाय कि कहते हैं, अनुसूचित जाति-जनजाति के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वार्ड बॉय हैं वे काम नहीं करते हैं । मैं पूछना चाहता हूं, कि बाकी सब काम करते हैं वहां पर ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके, सब डाक्टर काम करते हैं ? सही समय पर काम करते हैं ? आपके कम्पाउण्डर, नर्स सही तरीके से काम करते हैं ? सरकार के अन्य विभागों में सब कर्मचारी सही तरीके से काम करते हैं ? यदि वे लोग सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो क्या सब विभागों को आप ठेके पर उठा देंगे ? आप ठेके पर नहीं उठा सकते । यदि सवाई मानसिंह अस्पताल को ठेके पर दे दें तो यह अस्पताल अच्छे तरीके से चल सकता है लेकिन आज आप ठेके पर सफाई का काम दे रहे हैं कल को आपरेशन का काम कहेंगे कि ठेके पर दे दो । मैं कोई सफाई करवाने का विरोधी नहीं हूं लेकिन आपको इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिये । इसके लिये, सभापतिजी, मैं कहना चाहूंगा कि आप वहां पर कर्मचारियों को रखिये, वार्ड बॉय नये भर्ती कीजिये और उनको जिम्मेदार बनाइये । मैं यह नहीं कहता कि सबको परमानेण्ट कर दो । उनके काम को देखें कि इतना काम तुम करोगे; नहीं करोगे तो पेमेण्ट नहीं करेंगे ।

बड़े अस्पतालों में सुपरिण्टेडेण्ट की पोस्ट महत्वपूर्ण है । इसके लिये आपको फुल टाइम सुपरिण्टेडेण्ट की व्यवस्था करनी चाहिये, चिकित्सा मंत्रीजी ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, आधा घंटा हो गया इनको बोलते हुये ।

डा. चन्द्रभान : यह हमारा पुराना विभाग है इसलिये मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपका तो यातायात विभाग था, चिकित्सा विभाग

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

कहां से हो गया ? यह तो माननीय ललित-किशोरजी का है।

डा. चन्द्रभान : विभाग मेरा नहीं लेकिन मेरा इस विभाग से थोड़ा रिश्ता है इसलिये मैंने सब बातें कही हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपका तो रिश्ता ही नहीं हुआ ।

डा. चन्द्रभान : अंत में मंत्रीजी, यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे, हैं आपको सीनियर ऑफिसर्स भी कोआपरेट कर रहे हैं लेकिन यह जो मानव सेवा का विभाग आपके पास है इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। इसमें आपको सुधार करना चाहिए और विभाग को संवेदनशील होना चाहिये। अंत में यही कहना चाहूंगा, आपके सामने मैंने मेरे सुझाव रख दिये, विचार भी रख दिये। आशा है आप इस पर ध्यान देंगे। इसी के साथ मैं अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति : श्री जितेन्द्रसिंह।

डा. जितेन्द्रसिंह (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन के समक्ष चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगें विचारार्थ प्रस्तुत की गयी हैं। मैं उन्हीं मांगों के सन्दर्भ में अपने विचार इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में एक अति आवश्यक एवं आधारभूत सुविधाओं और आवश्यकताओं का संचालन करता है। इस विभाग का उत्तरदायित्व अति महत्वपूर्ण है। कि पिछले वर्षों में चिकित्सा सुविधाओं में निरन्तर विकास और विस्तार दोनों हुए हैं तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन् 2 हजार तक स्वास्थ्य सबके लिए का जो लक्ष्य प्रतिपादित किया है उस ओर हम निरन्तर अग्रसर हो रहे हैं और मुझे आशा है कि यह शताब्दी समाप्त होगी तब तक हम लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो इस विभाग से संबंधित कुछ विसंगतियां जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र जिला जैसलमेर में हैं, के संदर्भ में आपके माध्यम से मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसलमेर जिला माननीय सभापति महोदय, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है चाहे वह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हो, सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, चाहे जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हो जो भी आधारभूत विभाग हैं उन्होंने जो प्रदेश के लिए मानदण्ड निर्धारित कर रखा है उन में आमूलचूल परिवर्तन अगर नहीं होगा तो शताब्दी में परिवर्तन हो जायेगा परन्तु जैसलमेर जिले में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लक्ष्य स्वास्थ्य सबके लिए निर्धारित कर रखा है उसकी पूर्णता होना असम्भव हो जायेगा। इसलिए मैं चिकित्सा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन मान-दण्डों पर पुन: विचार करने के लिए या तो कोई समिति गठित करें या इसका कोई उपाय निकालें या मानदण्डों में शिथिलता बरतें क्योंकि जनसंख्या के

(डा. जितेन्द्रसिंह)

आधार पर जो मानदण्ड है वह तर्कसंगत और न्यायसंगत नहीं है। न प्राइमरी हैल्थ सेन्टर कायम किये जा सकेंगे, न सब सैण्टर कायम किये जा सकेंगे, न रेफरल हॉस्पिटल कायम किये जायेंगे न दूसरी सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकती हैं यदि इन मानदण्डों का अनुकरण और अनुसरण हमने किया तो।

मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का आभारी हूं कि जैसलमेर में जो जिला चिकित्सालय है उसकी शैय्याओं में वृद्धि करके 150 शैय्याओं का हॉस्पिटल कर दिया है और इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पिछले बजट में जो मांग रखी थी क्षय रोगियों के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं थी उन क्षय रोगियों के लिए मंत्री महोदय ने जो डेढ़ साल पूर्व घोषणा की थी उसका भी निर्माण हो गया और क्षय रोगियों को अब यह सुविधा उपलब्ध हो गयी है। इसके लिए भी मैं उनका आभारी हूं।

परन्तु माननीय सभापति, महोदय, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो जैसे मैंने मानदण्डों की बात रखी। समस्त राजस्थान में 9993 चिकित्सा संस्थाएं कार्यरत हैं जिसमें से जैसलमेर में केवल एक प्रतिशत से भी कम केवल 94 चिकित्सा संस्थाएं कार्यरत हैं इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आधारभूत सुविधाओं की इस जिले में कितनी कमी है। दूसरा मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से अनुरोध है मैं जब से विधायक चुनकर आया हूं इस कार्य का निरन्तर प्रयास कर रहा हूं। जैसलमेर चिकित्सालय के लिए, पोकरण चिकित्सालय के लिए और नाचना चिकित्सालय के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 लाख रुपये की राशि भी उपलब्ध करायी है और पिछले दो बजटों में जो चिकित्सा की मांग के प्रस्ताव रखे हैं उसमें मैं निरन्तर मांग करता आया हूं कि जैसलमेर हॉस्पिटल को जनरेटर उपलब्ध कराया जाय परन्तु दुर्भाग्य है कि आज तक वहां जनरेटर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे 16 तारीख को जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता आये हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जिनके पास प्रभार है उन्होंने सूचित किया है कि यह पैसा लेप्स हो गया है। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन ने दो लाख रुपये की राशि दी और जैसलमेर हॉस्पिटल में कोरोनरी केयर यूनिट स्थापित की गयी। सब उपकरण उसके लिए खरीद लिये गये परन्तु जनरेटर के अभाव में वह कार्यरत नहीं हो सकी। दूसरा एक्सरे के लिए जो मरीज आते हैं उनको 6–6 घण्टे वोल्टेज के अभाव में रुकना पड़ता है और कभी-कभी तो दो दिन तक वोल्टेज नहीं आता है तो एक्सरे नहीं हो सकते हैं। कोई इमरजेन्सी केस आता है तो सारे शहर की लाइट बंद करके यह कराया जाता है और हॉस्पिटल में वोल्टेज दिया जाता है तब ही कोई आपरेशन होता है। इस पर शीघ्र कार्यवाही करें। जैसलमेर में पिछले दो वर्षों में 4 कलक्टर इसके

(डा. जितेन्द्रसिंह)

लिए प्रयास करते-करते थक गये। मेरी अब यह स्थिति आ गयी है कि मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह फरियाद करता हूं कि इस पर त्वरित कार्यवाही करके इस समस्या का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करें। बिश्व स्वास्थ्य संगठन ने विपुल धनराशि दे रखी है। सात लाख तो जनरेटर के लिए है जैसलमेर के लिए 1 करोड़ रुपया। पोकरण हॉस्पिटल के लिए 16 लाख का प्रावधान किया गया है उस पूरी राशि का तत्काल उपयोग होना चाहिए और अगले वित्त वर्ष मे इसका पूरा उपयोग कर लें ताकि आगे धनराशि उपलब्ध करायी जा सके।

मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने जिले में जितने चिकित्सकों के रिक्त पद थे उनको अधिक से अधिक भरने की कोशिश की। स्पेशलिस्ट की भी नियुक्ति की गयी। हमारे जिले में कुल 51 पद हैं उनमें 37 पद भरे जा चुके हैं और 34 पद विशेषकर ग्रामीण अंचल में अभी भी खाली हैं। जैसलमेर में चिकित्सालय है वहां सबसे आवश्यक चिकित्सक की आवश्यकता है वह एक निस्चेतक की, एनस्थेटिक की आवश्यकता है। जिस हॉस्पिटल में 5–5 सर्जन हों, दो–दो गायनोकोलोजिस्ट की आवश्यकता है, जिस हॉस्पिटल में दो–दो आर्थपेडिक्स हों वहां पर निस्चेतक नहीं होगा तो जनता की जान के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां तत्काल प्रभाव से एक निस्चेतक की नियुक्ति कर दी जाय। जो निस्चेतक थे उनका स्थानान्तरण जालौर काफी अर्से पहले हो गया था और यह पद काफी अर्से से रिक्त पड़ा हुआ है और इससे आपरेशन थियेटर की भी दुर्दशा होती है।

इसके साथ-साथ मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जैसलमेर जो जिला मुख्यालय है और जहां 150 शैय्याओं का चिकित्सालय है वहां पर पैथोलोजी की फैसेलिटी बिल्कुल नगण्य है न ब्लड शुगर हो सकती है न ब्लड यूरिया हो सकती है। जहां पर पांच–पांच फिजीशियन हों, दो–दो सर्जन हों, दो-दो गायनोकोलोजिस्ट हैं। दो आई स्पेशलिस्ट हैं और मामूली टी. एल सी. डी. एल सी. और मामूली मल मूत्र के अलावा कुछ भी नहीं होता है। उसके लिए पद सृजित करें और तत्काल नियुक्ति करें। यह दोनों नियुक्तियां तत्काल आवश्यक हैं एक पैथोलोजिस्ट की और एक निस्चेतक की।

इसके साथ ही आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जैसलमेर में जो भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई है उसमें अगर बुकिंग करायें तो उसके लिए काफी वेट करना पड़ता है। साल भर तक इन्तजार करना पड़ता है। कई बार इतना लम्बा यह इन्तजार हो जाता है। तो मरुस्थलीय जिला देखकर और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है तो उसकी आवश्यकता हो तो इसको प्रायोरिटी के बेसिस पर उपलब्ध कराया जाये ताकि जनता को इसका लाभ सुलभ कराया जा सके।

इसके अलावा सफाई की बड़ी दुर्गम समस्या है। माननीय सभापति महोदय,

(डा. जितेन्द्रसिंह)

जैसलमेर के हॉस्पिटल को अपग्रेड कर दिया है। 150 बैड का हो गया है परन्तु अभी स्टाफ उतना का उतना ही है जो विभाग के नार्म्स के अनुसार सफाई कर्मचारी कम से कम 15 होने चाहिए परन्तु वहां केवल मात्र 6 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसलिए सफाई की व्यवस्था खराब हो गयी है और जो अधिकारी हैं, जो चिकित्सा प्रभारी हैं, वह कहते हैं कि हम इस कार्य में सक्षम नहीं हैं क्योंकि हमारे पास स्टाफ का अभाव है। इसी प्रकार हॉस्पिटल में एम्बूलेंस उपलब्ध करायी गयी है परन्तु उसका ड्राइवर उपलब्ध नहीं है। जब तक एम्बूलेंस का उपयोग होता है और सी एन्ड एच.एम.ओ. से ड्राइवर आता है तब तक तो मरीज भगवान के घर पर पहुंच सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर विनम्र निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो सम्भागीय दृष्टिकोण से विभाग की और विधायकों की मीटिंग्स करवाई उससे काफी लाभ हुआ है और हम अपनी समस्याएं उनके समक्ष प्रस्तुत कर सके हैं।

(5·10 सायं)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मेरा यह अनुरोध है कि जैसलमेर में सब-सेन्टर अधिक खोले जायें और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर जो अभी भी नहीं खुले हैं मैंने आपको म्यादला और साखड़ा के सुझाव दिये हुए हैं उनकी क्रियान्विति की जाये.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। आप फरमायें डाक्टर साहब। आर्डर प्लीज।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि दूरी की वजह से और रेगिस्तानी और दुर्गम इलाका होने की वजह से जो मोबिलिटी है वह आवश्यक वहां उपलब्ध नहीं है इसका अधिक बजट प्रावधान रखा जाये ताकि डाक्टर ग्रामीण अंचलों में ज्यादा भ्रमण कर सकें और दूर दराज के इलाकों में पहुंच कर नियमित रूप से जनता को यह सुविधा पहुंचा सकें....

(समय-सामाप्ति-सूचक घण्टी)

एक माननीय सदस्य : यह घंटी को थोड़ी देर हटा दो।

श्री उपाध्यक्ष : 38 मेम्बर्स हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह : मेरे क्षेत्र की जो समस्यायें थीं वह मैंने माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रख दी। अब मेरा माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से कुछ और निवेदन होगा। राजस्थान में चिकित्सकों का अभाव नहीं है और वरिष्ठ, कुशल चिकित्सकों का भी अभाव नहीं है। राज्य के चिकित्सकों ने राष्ट्र में ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति अर्जित की है। मेरा आपसे विनम्र सुझाव है कि जो सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज है उसको निश्चित रूप से पोस्ट ग्रेज्युएट दर्जा प्रदान किया जाये ताकि प्रदेश के हित में गौरव हो और मैं आशा करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय इस आशय की घोषणा आज

(डा. जितेन्द्र सिंह)

कर देंगे। मैं यह भी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा सुपर स्पैशलिटीज को प्रोत्साहन देने के लिए सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में कम से कम डी. एम. और एम. सी एच. की कक्षाएं विभिन्न सुपर स्पैशलिटीज में चालू कर दी जायें सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में हृदय रोग का विशेष विभाग है परन्तु यहां जहां तक मेरी जानकारी है एन्जोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस हृदय रोग से आजकल जनता बहुत पीड़ित हो रही है और राजनीतिज्ञ विशेषकर इससे पीड़ित हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि यहां कम से कम एन्जोग्राफी और संभव हो सके तो बाईपास सर्जरी की भी फैसेलेटीज की व्यवस्था करायें अन्यथा प्रदेश के लोगों को बाहर जाना पड़ता है और बहुत विपुल धनराशि खर्च करनी पड़ती है। संभावनाएं यहां पूर्ण रूप से हैं क्वालिफाइड डाक्टर्स स्टाफ सब मौजूद हैं सिर्फ उपकरण और कोआर्डिनेशन बैठाने की जरूरत है।

जैसा कि मण्डावा से निर्वाचित माननीय सदस्य जो मेरे चिकित्सक साथी हैं उन्होंने सुझाव दिया मैं इसका समर्थन करता हूं कि राज्य में मेडिकल कालेज में सीट्स निश्चित रूप से बढ़ाई जानी चाहिये। क्योंकि जब पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर है तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाना चाहिये और आजकल विद्यार्थी यह नहीं कहता है कि पास होते ही आप मेरे को सरकारी नौकरी दो वह अपनी स्वेच्छा से अपना खुद का व्यवसाय चालू कर सकता है। इससे पहले कि मैं अपना स्थान ग्रहण करूं एक चिकित्सक होने के नाते मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने डाक्टरों की समस्याएं भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपनिदेशक स्तर की राज्य में 135 पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं और पिछले चार वर्षों से डिपार्टमेंट की प्रमोशन कमेटी की मीटिंग नहीं हुई हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 18 साल से नहीं हुई थी, अब हो गई है।

डा. जितेन्द्र सिंह : इसका मैं आभारी हूं और आशा करता हूं कि आप डाक्टरों के साथ न्याय करेंगे और 135 रिक्त पदों को भर देंगे। इसी प्रकार से जूनियर स्पैशलिस्ट्स के 335 पद खाली पड़े हुए हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मन में आवे जैसे-कैसे बोल लेते हो आप। आर्डर प्लीज।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 11 साल से क्वालिफाइड डाक्टर्स बैठे हुए हैं लेकिन उनको पदोन्नत नहीं किया गया है हालांकि उनका मिनिमम एक्सपीरियंस 8 साल का रिक्वायर्ड है और पोस्ट ग्रेज्युशन के उपरान्त तीन साल का है। इसी प्रकार सीनियर मेडिकल आफिसर की 529 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं और पिछले 12 साल से डाक्टर पद के लिए इन्तजार कर रहे हैं और प्रमोशन 8 साल सीनियरिटी के बाद ड्यू हो जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम

(डा. जितेन्द्र सिंह)

से मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चिकित्सा सेवा को प्रदेश में प्रोत्साहन देने के लिए चिकित्सकों को प्रोत्साहन देना अति आवश्यक है। इसलिए उनके साथ न्याय किया जाये और उनको समयानुसार पदोन्नत कर दिया जाये। इसी के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री इन्द्रसिंह पूनिया।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और इस पवित्र सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमने यह देखा था कि माननीय मंत्रीजी इस राजस्थान के लोक संस्थान और पवित्र स्थानों पर बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं। मैं इनका बड़ा प्रशंसक भी हूं, यह जो कहते हैं वह करते हैं मैंने एक दो बार देखा है। मैं कोई इनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके हैड आफ दी डिपार्टमेंट भी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दो-चार बातें निवेदन करना चाहूंगा। कुछ माननीय सदस्य यह कहते थे कि कांग्रेस के टाइम में इन संस्थाओं का ऐसा भट्‌ठा बैठ गया, इसमें यह गड़बड़ियां हो गई। हो सकता है कुछ हुआ होगा, मुझे तो यह दो ही समय मिले पिछली बार उधर बैठता था इस बार इधर बैठा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सरकार की दो साल की उपलब्धियां देखी हैं। माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि मैंने इतने डाक्टरों को लगा दिया, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने लगाया, इनका नाम होगा। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आप के द्वारा इस पवित्र सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र, गरीब जनता को इस मेडिकल हैल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा कोई सेवाऐं नहीं मिली हैं। माननीय मंत्री जी यह फरमा रहे हैं मैंने इतने डाक्टरों को नियुक्तियां दी, मैं मानता हूं आपने नियुक्तियां दी लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा यह जो मैं बातें कह रहा हूं यह माननीय मंत्री जी के ध्यान में हैं या नहीं है, मुझे मालूम नहीं है लेकिन इनके उच्च अधिकारियों के ध्यान में हैं। मैं एक बात यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने कितने अस्पतालों को चैक किया और कितने अस्पतालों में इनको डाक्टर विधिवत मिले। मैं यहां से मेरे निर्वाचन क्षेत्र सादुलपुर जाता हूं, रास्ते में रींगस पलसाना, सीकर, झुंझुनूं, चूरू यह बड़े-बड़े शहर और स्थान पड़ते हैं। मैंने देखा, एक दिन मैं सीकर के अस्पताल में गया, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य डा. चन्द्रभान जी निवेदन कर रहे थे, झुंझुनू के अस्पताल में मैं गया, चूरू के अस्पताल में मैं गया, हमने देखा कि डाक्टर नदारद हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपने नियुक्तियां कर दीं लेकिन वहां अस्पतालों में नहीं मिले तो उसका क्या अर्थ हुआ। मंत्रीजी मुझे आपकी नीयत में कोई शक नहीं है आप पिछले एक साल के अलवर, झुंझुनूं, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर इन स्थानों के हाजरी रजिस्टर

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

मंगवा लीजिये आपको मालूम पड़ जायेगा कि दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक डाक्टर अस्पतालों में नहीं आते हैं और फिर काट-काट कर उसमें हाजरी करते हैं और उनमें ओवर राईटिंग मिलेगी, यह रिकार्ड से आपको सबूत मिलेगा। अगर इसमें मेरी बात कहीं भी गलत हो, माननीय मंत्री जी मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास जो बजट है मैं यह नहीं कहता कि आप इतना बजट दीजिये जितना भी राजकोष से आप बजट दे सकते हैं वह आप गरीबों तक तो पहुंचाइये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपने जो दवाइयां अस्पतालों में भेजी हैं....यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। उच्च अधिकारियों को मालूम है कि वे दवाइयां अस्पतालों में गरीब मरीजों को नहीं मिलकर बाजार में बिकती हैं। मैं इसका आपको उदाहरण दे सकता हूं। आप जो भी दवाइयां अस्पतालों में देते हैं उन अस्पतालों का कंजम्पशन रजिस्टर मंगवाइये पिछले एक साल के। अगर आपको कंजम्पशन रजिस्टर वार्डों के मिल जायं तो इस पवित्र सदन से मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। वे डाक्टर उन दवाइयों को खा जाते हैं, गरीबों को दवाइयां नहीं मिलती हैं। यह मैं आपको हकीकत कह रहा हूं।

इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे और निवेदन करना चाहूंगा। मेरे से पूर्व वक्ता माननीय डाक्टर चन्द्रभान जी और कोगटा जी ने सफाई व्यवस्था के बारे में कहा। माननीय मन्त्री जी या कोई एम. एल. ए. जायं तो अस्पतालों में ऐसी बुरी हालत है कि अस्पतालों में आपका खड़ा रहने को भी जी नहीं करेगा, इतनी जोरदार गन्दगी वहां है। माननीय मन्त्रीजी से मेरा निवेदन है, आप चाहे इन अस्पतालों में ठेका सिस्टम कीजिए या उन कर्मचारियों को बढ़ाइये। यह वहां के अस्पतालों की समस्या है। बहुत पहले जितने सफाई कर्मचारी अस्पतालों में थे उनकी संख्या आपने नहीं बढ़ायी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में जो आपने डाक्टर लगाये हैं, हम आपको यह नहीं कहते कि हमारे सब डाक्टर भरिये, आपको चाहिए कि जहां-जहां रिक्त स्थान हैं वहां पर डाक्टर और ए. एन. एम., सबकी पोस्टिंग करें। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आपके पास डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं तो कम से कम जहां-जहां पर आपने नियुक्तियां दे रखी हैं वहां उन डाक्टरों को पाबन्द कीजिए कि वे उन स्थानों पर रहें। दूर-दराज के गांवों में जो सब सेण्टर्स खुले हुए हैं हम हमारे विधान सभा क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई ए. एन. एम. नहीं, कोई डाक्टर नहीं रहता। इसकी शिकायत वहां के लोगों ने सी. एम. एच. ओ., डी. एम. एच. ओ. और यहां तक कि शासन सचिव को भी की। और आज इस पवित्र सदन में आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं। इस संस्था से ऊपर राजस्थान में तो और कोई बड़ी संस्था है नहीं, जो इसकी सुनवाई कर सके।

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

दूर-दराज के गांवों में जो सब सेण्टर्स हैं, अस्पताल हैं वहां डाक्टर रहते नहीं, आपके सामने इसका एक उदाहरण दूंगा। माननीय श्री किशनलाल जी कोगटा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय ? मुख्य सचेतक को देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दायमा साहब, कृपया सदन में खड़े नहीं रहें। बैठकर बात करें, करनी भी है तो। वी हैव टू फालो दी रूल्स। आर्डर प्लीज।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : माननीय किशनलाल जी कोगटा ने फर्माया था छावनी बड़ी अस्पताल के बारे में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के टाइम की बात नहीं है। वहां के वन मन्त्री माननीय लालचन्द जी डूडी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि छावनी बड़ी अस्पताल की क्या हालत है। वहां एक डाक्टर नहीं, कोई ए. एन. एम. नहीं और न कोई व्यवस्था है। अगर यह बात असत्य हो तो आप इसकी जांच करवाइये। माननीय मन्त्रीजी, इस छावनी बड़ी अस्पताल की इतनी बदतर हालत आज है कि उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।

इसी प्रकार से, माननीय मन्त्री जी, आपके पास ही हमारे जिले के माननीय भंवरलाल जी बिराज रहे हैं। सरदार शहर के अस्पताल की ऐसी दुर्गति हो रही है कि वहां डाक्टर एक-दूसरे से लड़ते हैं, आपस में गुटबाजी है और मरीजों का बुरा हाल है। कोई एक डाक्टर शेखावत हैं, उन्होंने तो काटेज वार्ड में तीन-साढ़े तीन हजार का गबन भी कर लिया। उसको मैंने सुना है कि वहां से हटाया भी, लेकिन माननीय मन्त्री जी, हो सकता है आपकी मजबूरियां हों। आप सरदार शहर के अस्पताल की इन्क्वायरी करवाइये और, वहां के भ्रष्ट अधिकारियों को हटाइये।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरों को दिया उतना टाइम मुझे मिलना चाहिए।

मेरा आपसे निवेदन है कि वहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको आप रोकिये।

माननीय मन्त्रीजी का ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आपके अधिकारी यह कहते हैं कि दवाइयां नहीं हैं और दूसरी तरफ लाखों रुपये की दवाइयां अवधि पार हो रही हैं, जो कोई काम नहीं आयी, गरीबों के पल्ले नहीं पड़ी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जवाब में मुझे बताएं कि 1991-92 में पूरे राजस्थान में कितने लाख रुपये की दवाइयां अवधि पार आपके विभाग, आपके डाक्टरों, अफसरों के गैर जिम्मेदार तरीकों के कारण हुई हैं ? किन लोगों की गैर जिम्मेदारी के कारण ये दवाइयां अवधि पार हुई, जो गरीबों को नहीं मिल सकीं ? आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

(श्री इन्द्रसिह पूनिया)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार बातें छोटी-छोटी आपके सामने और कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा, 10 रोगी वाहन और करेंगे। कम से कम उनमें ड्राइवर तो देंगे न आप ? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अस्पताल में आज एक साल से रोगी वाहन खड़ा है, लेकिन, माननीय चतुर्वेदी जी, उसमें ड्राइवर नहीं है। अब आप बताइये, ये 10 वाहन और दे रहे हो, ड्राइवर नहीं देंगे तो वे खड़े रहेंगे। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस डिपार्टमैण्ट के आपके अधिकारियों के पास सूचनाएं हैं लेकिन वे उन पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं क्या कारण है। हम यह तो नहीं कहते कि सब सेण्टर नहीं खोलें क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी आपको बजट नहीं दे रहे। बजट नहीं देंगे तो आपको ओलमां मिलेगा। वह मुख्य मंत्री जी जानें और राजस्थान की जनता जानें।

मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कैटकैट एक बहुत ही उपयोगी धागा था, जो सर्जरी में टांकों के काम आता है और पहले डी. एम. एच. ओ. लेवल पर खरीदा जाता था। लेकिन आजकल यह बन्द कर दिया गया है। यह बहुत कीमती धागा है। आप यह धागा डाइरेक्ट लेवल पर या गवर्नमैण्ट लेवल पर ही खरीदवाएं।

इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एस. एम. एस. हास्पिटल के बारे में, जो राजधानी का सबसे बड़ा हास्पिटल है, दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज ओवर कीजिए। एस. एम. एस. के बारे में बहुत बोलने वाले हैं। 15 मिनट हो गये हैं, ओवर कीजिए।

श्री इन्द्रसिह पूनिया : एस. एम. एस. हास्पिटल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें लाखों रुपये की मशीनें खराब पड़ी हैं और उनसे जनता को राहत नहीं मिल रही है। आप एक कमेटी बैठा दीजिए। मुझे मंत्री जी पर विश्वास है, आप जांच कीजिए। लाखों रुपये की मशीनें खराब पड़ी हैं। मेरी ही नहीं आपकी भी यह बात है, साहब।

आपके माध्यम से एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, सब डाक्टरों की तो नहीं कहता लेकिन डाक्टरों में बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जैसा माननीय डाक्टर चन्द्रभान जी ने फर्माया कि नेम प्लेट लगा दी जाय कि कितनी फीस होगी कितनी नहीं होगी। यह तो आलरेडी डिपार्टमैण्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन कोई भी डाक्टर अपने घर के आगे नेम प्लेट नहीं लगाता है कि कितनी फीस ली जाएगी, क्या ली जाएगी। कोई किसी प्रकार नहीं। खुला इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरा एक्सिपीरिएंस है, खुद मुझ से लिये गये। एस. एम. एस. हास्पिटल के एक-दो की तो नहीं कह सकता। एक तो डाक्टर ओंकार सक्सैना और एक कोई धारकर हैं। उनके बारे में तो नहीं कह सकता, वे तो रसीद देते हैं। बाकी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक डाक्टर आपको रसीद नहीं देगा और 100-100 रुपये घर पर लेकर मरीजों को

(श्री इन्द्रसिंह पूनिया)

एडमिट करते हैं। माननीय मंत्री जी, आपकी इमेज खराब नहीं हो, आप इनको चुस्त-दुरुस्त रखें। अपने अधिकारियों से पूछिये कि जो शिकायतें आपके पास पहुंची हैं उन पर आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरीश झामनानी। (अनुपस्थित)

माननीय श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरीश झामनानी और श्रीचन्द कृपलानी, दोनों ही एक साथ ?

श्री उपाध्यक्ष : आ रहा है आपका भी नम्बर। बिराजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मेरा नम्बर तो आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों एक साथ ही आएंगे न।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की मांगों पर विचार किया जा रहा है। मैं इसका समर्थन करते हुए इस गम्भीर विषय पर आपके सामने अपने विचार रखना चाह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको दो दृश्य दिखाना चाहता हूं। मैं माननीय ललितकिशोर जी चतुर्वेदी जी के यहां गया। मैंने आपसे निवेदन किया कि मुझे फलानी सड़क बनवानी है। आप पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर भी हैं। आपने मुझे कहा कि 1500 की आबादी होनी चाहिए 1971 के हिसाब से। आपने मुझे कहा कि 1500 की आबादी है 1971 में तो आपके यहां वह सड़क बन जायेगी तो मैंने कहा कि नहीं है। फिर मैं माननीय भंवरलाल जी शर्मा के यहां गया, मैंने उनसे कहा कि पनघट योजना जरूर करवानी है, तो उन्होंने कहा कि आपकी 1981 में 2,000 की आबादी है गांव की, मैंने कहा कि नहीं है। उसके बाद मैं हरिकुमारजी औदिच्य के यहां गया, मैंने कहा कि मेरे यहां स्कूल को क्रमोन्नत करना है तो उन्होंने कहा कि इतने बच्चे हैं स्कूल में, मैंने कहा कि नहीं हैं। खर्रा साहब के यहां गया, मैंने कहा कि नई प्राथमिक शाला खोलनी है तो उन्होंने कहा कि इतने बच्चे हैं गांव में पढ़ने वाले मैंने कहा कि नहीं हैं। यह तो एक दृश्य है। दूसरा दृश्य मैं बताना चाहता हूं। मैं निम्बाहेड़ा का दृश्य बता रहा हूं जहां से मैं जीत के आता हूं। (व्यवधान) उसके बाद पचायत समिति के बी डी. ओ. से मुझे कुछ काम था। मैंने बी. डी. ओ. को टेलीफोन लगाया, साहब मुझे आपसे काम है और आप जे. ईएन. को लेकर आओ। तो बोले कि जे. ई. एन. तो केस ढूंढने के लिए गये हैं परिवार नियोजन के, मैंने कहा कि ठीक है और कोई है कर्मचारी, तो कहा कि सभी कर्मचारियों को केस ढूंढने भेजा हुआ है। डाक्टर का पता लगाया तो डाक्टर केस ढूंढने गया है। नर्स के लिये कहा तो वह केस ढूंढने गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि परिवार नियोजन इतना राष्ट्रीय महत्व का विषय

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

है। एक तरफ तो आप परिवार नियोजन कर रहे हो कि करना चाहिये और आबादी पर कण्ट्रोल करना चाहिये, दूसरी तरफ हमारे मंत्री महोदय चूंकि कांग्रेस की परम्परा 40 साल से बनी है, नार्म्स, जो मापदण्ड कहते हैं, 1971 में इतनी आबादी है तो सड़क बनेगी, 1981 में इतनी आबादी है तो पनघट योजना होगी। यह क्या है ? एक तरफ आप कह रहे हो कि आबादी कम करो, दूसरी तरफ आबादी बढ़ाओ तो सड़क बनायें। तो हम क्या करें ? हमारे क्षेत्र में आबादी बढ़ाने का काम शुरू करें या आबादी कम करें ? अगर विकास कार्य कराना है तो आबादी बढ़ानी चाहिये या घटानी चाहिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल : आपकी उम्र तो है बढ़ाने की।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरी उम्र तो है, मैं आम जनता की बात कर रहा हूं।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सबसे निवेदन है कि इस चीज को आपको महत्व देना चाहिये और गम्भीरता से सोचना चाहिये कि 40 साल तो जो सरकार रही तथा उसने जो नार्म्स तय किये जो मापदण्ड तय किये गये, उन पर नये सिरे से विचार करके, परिवार नियोजन तो होना चाहिये, यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृपलानी जी, आप आसन से बात कीजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एक लाख की आबादी पर खोले जा रहे हैं और इस वर्ष 30–31 माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने खोले हैं। बड़ी खुशी की बात है लेकिन काफी ऐसे क्षेत्र हैं। राजस्थान में करीब 30 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये हैं। इस वर्ष कुछ प्रावधान है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रावधान को बढ़ाकर बची हुई 30 पंचायत समितियों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो खोले जाते हैं, उसमें भी आबादी तो आपने तय कर रखी है कि 30 हजार की आबादी हो और जनजाति क्षेत्र में 20 हजार की आबादी। मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे हमारा आदिवासी इलाका है, 5–10 मकानों की ढाणियां हैं, कहीं पर फैले हैं, छोटे-छोटे गांव बसे हुए हैं। अगर 20 हजार की आबादी को आप ढूंढोगे तो आस-पास 40 किलोमीटर के बीच में आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोल सकते हो। तो इस मापदण्ड पर भी पुनर्विचार करके कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये ताकि ऐसे क्षेत्रों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुल सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 40 साल से अभी तक पंचायत हैडक्वार्टर बचे हुए हैं जहां पर उप-केन्द्र भी नहीं है, एड पोस्ट भी नहीं है। तो सबसे पहले पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर ध्यान देना चाहिये चाहे उसकी आबादी कम हो और चाहे ज्यादा हो क्योंकि पंचायत समिति हैड-

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

क्वार्टर महत्व रखती है । इसलिये ऐसी जगह पहले विचार करके उपकेन्द्र खोलने चाहिये ।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से गांवों में जिसकी ग्राबादी ज्यादा है और गांव वाले स्वयं श्रमदान करके और पैसा इकट्ठा करके ग्रस्पताल भवन या छोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए भवन बनाना चाहते हों, ऐसी जगहों को प्राथमिकता देनी चाहिये । अगर गांव वाले अपना श्रमदान करके या पैसा इकट्ठा करके भवन बनाकर देते हैं तो वहां प्राथमिकता के ग्राधार पर खोलना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम हमेशा गाड़ी से निम्बाहेडा से जयपुर ग्राते हैं । ग्रजमेर और जयपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर इतने एक्सीडेंट होते हैं लेकिन बीच में कोई भी बड़ा ऐसा सेण्टर नहीं है जहां पर किसी का इलाज हो सके । रोज 5–10 एक्सीडेंट होते हैं । तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस तरह के ग्रस्पताल खोलने चाहिये ताकि जो एक्सीडेंटशुदा मरीज हैं, उनकी व्यवस्था हो सकें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान में नई सरकार बनने के बाद पिछले दो वर्षों में प्रसविकाग्रों के 568 पद भरे गये, एल. एच वी के 160 पद भरे गये. स्टाफ नर्स के 156 पद भरे गये । इसी तरह मेल नर्स ग्रेड प्रथम व द्वितीय सबके पद भरे गये । साथ ही इस वर्ष में भी काफी प्रावधान रखा गया है लेकिन इसके बावजूद भी 1500 प्रसविकाग्रों के पद खाली पड़े हैं और मेल नर्स ग्रेड सैकिण्ड के 200 पद पड़े हैं, 500 पद रिक्त पड़े हैं । तो मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भी शीघ्र भरने की ग्राप व्यवस्था करावें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि डाक्टरों की नियुक्ति तो ग्रापने कर दी लेकिन ग्राज भी बहुत से ऐसे गांव हैं, सी. एम. एच. ग्रो. से रिपोर्ट मांगें तो मालूम पड़ेगा कि गांव में डाक्टर की ड्यूटी है लेकिन डाक्टर मिलेगा नहीं । इसके लिये ग्रापको व्यवस्था करनी चाहिये कि सी. एम. एच. ग्रो. खुद पूरे क्षेत्र का महीने में एक बार दौरा करें और जहां-जहां भी डाक्टर ग्रनुपस्थित पाये जायं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । हमारे राजस्थान में अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं अगर उनके भविष्य और उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो इस विषय को गम्भीरता से लेना चाहिये ।

साथ ही सफाई के बारे में सभी ने कहा है, मेरा भी ग्रापसे निवेदन है कि बड़े ग्रस्पतालों की तो बात नहीं करता, छोटे ग्रस्पतालों में सफाई की इतनी खराब व्यवस्था है, बल्कि सफाई नाम की चीज ही नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

तो इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में पिछले दिनों एक दो केस ग्रवधि-

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

चार-दवाइयों के हुए हैं। चूंकि जब दवाइयों के टेण्डर होते हैं तो जितनी जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा दवा मंगा लेते हैं और अवधि निकलने के बाद भी उन दवाइयों को काम में लिया जाता है। तो ऐसी जगह जहां शिकायत आये, उनके खिलाफ भी मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपको उसकी जांच करनी चाहिये और कार्यवाही करनी चाहिये।

मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जिले में जितने रैफरल अस्पताल थे, सब में एम्बूलेंस की व्यवस्था आपने कराई लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में काफी एरिया ऐसा है जहां पर एम्बूलेंस रैफरल अस्पताल में नहीं है या रैफरल अस्पताल में एम्बूलेंस है तो ड्राईवर नहीं है। इन सबकी व्यवस्था पर भी आपको ध्यान देना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्स-रे मशीन अस्पताल की सबसे जरूरी चीज होती है लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे विधान क्षेत्र छोटी सादड़ी में जो रैफरल अस्पताल है, वहां पर पिछले एक साल से एक्स-रे मशीन खराब पड़ी है। अभी तक वह ठीक नहीं हुई। गये साल मैंने शिकायत की तो निम्बाहेड़ा क्षेत्र में एक्स-रे मशीन को ठीक कराया गया। 30 हजार उस पर खर्च हुए लेकिन दो महीने पहले वापस खराब हो गई। छोटी सादड़ी की एक्स-रे मशीन के बारे में मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि 1984 में जो इन्टरेज कम्पनी है, जिसकी 5 मशीनें राजस्थान सरकार ने खरीदी। मेरे ख्याल से +++ कमीशन खाते हैं, कमीशन लेकर ऐसी मशीनें खरीदते हैं। इस तरह की मशीन आने के बाद आज तक वह नहीं चली, 1984 से लेकर आज तक। तो वहां नई मशीन शीघ्र पहुंचाई जानी चाहिये ताकि पब्लिक को सफर नहीं करना पड़े।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो स्थानांतरण की नीति बना रखी है, उसमें पति-पत्नी साथ रहेंगे। तो डाक्टर पति-पत्नी तो हर जगह साथ लगाते हो, लेकिन ए. एन. एम. वगैरह के लिये भी आपको विचार करना चाहिये कि उनको पति के साथ रहने का अवसर मिले, इस प्रकार की आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ओवर कीजिये। समाप्त कीजिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आयुर्वेद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद साहब, आप इस प्रकार करते हैं, वे बोल रहे हैं तो आयुर्वेद पर भी बोलें। बोलो, घण्टे भी बोलो। मैं तो रात को 12 बजे तक बैठा रहूंगा। आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप ही प्रोवोक करते हो। अकेले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हाथ हाउस चलता नहीं है, कण्ट्रोल नहीं हो सकता। आपको सहयोग करना पड़ेगा।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिवाल्वर ले के बैठो आप।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा रैफरल अस्पताल के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 30 बैड्स की आज की तारीख में वही व्यवस्था है। आज के 8 साल पहले निम्बाहेड़ा रैफरल अस्पताल क्रमोन्नत हुआ था। तब से लेकर वहां वैसी ही व्यवस्था चली आ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आबादी करीब 10 गुणा बढ़ गई है 1984 के बाद। तो इसको 50 बैड का किया जाय। साथ ही एक्सरे मशीन वहां नई लगाई जाय।

साथ ही छोटी सादड़ी रैफरल अस्पताल के ऊपर मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। पिछले दिनों आपने उसको क्रमोन्नत किया, उसको रेफरल अस्पताल बनाया उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन जो उसका भवन है, उसका चन्दा करके साढ़े 3 लाख रुपये हमने इकट्ठा किया है, काम चल रहा है अगर 2–3 लाख रुपये मंत्रीजी दे दें तो बढ़िया भवन बन सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में आप विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा रेफरल अस्पताल की लेबोरेटरी में जो व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इसकी भी व्यवस्था कराई जाय। लेब असिस्टेंट, लेब टेक्निशियन की व्यवस्था नहीं है उसकी व्यवस्था कराई जाय। इसके साथ ही राजस्थान के गांवों में जो अस्पताल हैं, कस्बा क्षेत्रों में जो रेफरल अस्पताल हैं वहां पर रात्रि के समय में डाक्टर्स की व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस तरह की सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि रात के समय में भी डाक्टर्स वहां मिलें और डे-बाई-डे इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा में स्त्री रोग के डाक्टर्स की व्यवस्था नहीं है। इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही कनेरा बड़ा क्षेत्र है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मध्य-प्रदेश और राजस्थान की सीमा से बिलकुल जुड़ा हुआ है। लेकिन राजस्थान की सीमा में मध्य-प्रदेश में होकर वहां पर जाना पड़ता है। घना क्षेत्र है और वहां पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है लेकिन एक ही डाक्टर वहां पर है अगर वहां पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति हो जाय, क्योंकि 28–29 गांव पड़ते हैं। दुर्भाग्य से कोई महिला बीमार पड़ जाय तो इलाज के लिए 60 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। इसकी भी व्यवस्था के लिए मैं आग्रह करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद। श्री कृपलानी जी आप बिराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिनट और बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नो प्लीज।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदिवासी क्षेत्र के बारे में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नो। आदिवासी क्षेत्र का हो गया। माहिर आजाद साहब आप बोलिए।....आप कह चुके हैं सारी बातें और कुछ भी शेष नहीं रहा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : साथ ही प्रतापगढ़ में जो जिला अस्पताल है उसमें सोनोग्राफी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे पता लगा है कि चूरू में बच्छावत चेरिटेबल ट्रस्ट है वह वहां नेत्र चिकित्सालय बनाने के लिए पैसा देना चाहता है उसे इसके लिए प्राथमिकता देकर परमिशन दी जाय। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा, स्वास्थ्य और सफाई विभाग की मांग संख्या 26 पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। सफाई के सम्बन्ध में गुजरात के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री पटेल ने 1962 में एक पुस्तक लिखी थी "हैल्थ एण्ड हाइजिन" उसमें उन्होंने सफाई को परिभाषित किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि "सफाई" शब्द एक नहीं है। जिस तरह से कि एम. एल. ए. "मेम्बर आफ लेजिस्लेटिव असेम्बली", उसी तरह से उन्होंने सफाई को परिभाषित किया है। यह 3 अक्षर हैं "स" "फा" और "ई"। "स" का मतलब है "सर्वचीज", "फा" को डिफाइन किया है "फायदेशील" और "ई" का मतलब "ईलाज"। यानी सर्वचीजों का फायदेशील इलाज। इस तरह से उन्होंने सफाई को परिभाषित किया है।....(व्यवधान) "फायदेमंद" "फायदेशील" कुछ भी कह दीजिए।

लेकिन आज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय चिकित्सालयों में सबसे बड़ी जो अव्यवस्था है, राजकीय चिकित्सालय में सफाई बिल्कुल नाम मात्र को भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। झुंझुनू के जनाना अस्पताल का जिक्र मेरे से पूर्व डा. चन्द्रभान जी कर रहे थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनू के बी.डी.बी. अस्पताल, टी.बी. सेनेटोरियम और वहां के जनाना अस्पताल की सफाई की स्थिति यह है कि आज आप वहां जाकर देखें तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके आई.ए.एस. और आपके बाथरुम्स और लेट्रीन रूम्स उससे ज्यादा साफ मिलें जायेंगे। अस्पताल में सफाई बिलकुल नाम मात्र को भी नहीं है। लोग पाखाना करते हैं, चद्दरें गन्दी वार्ड में पड़ी रहती हैं, स्टोर में गन्दी चद्दरें पटक रखी हैं। कृपा कर कम से कम सफाई की तरफ आप ध्यान दें।

संक्रामक रोगों की आज स्थिति यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कुत्ता काटने का मामला है। उसकी प्रोपर दवाई मिलती नहीं है, बाजार में उपलब्ध नहीं है, बेरीरेब का इंजेक्शन कहीं अस्पताल

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

में नहीं मिलेगा, किसी दुकान पर नहीं मिलेगा। किसी के बच्चे को कुत्ता काट जाय तो उसे कहा जायेगा कि आप बाजार से जाकर लायें, दिल्ली से लेकर आयें। इसी तरह से टी.बी. की दवाइयों का मामला है।

मलेरिया कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि दिसम्बर, 1991 तक 43.88 लाख का टार्गेट था उस एवज में इन्होंने 30.47 लाख का टार्गेट प्राप्त कर लिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े बिलकुल गलत हैं, गांव में कहीं जाकर खून की जांच नहीं होती है, कहीं टीके नहीं लगाये जाते हैं और केवल फर्जी रेकार्ड बनाकर आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि कृपा कर मोनिटरिंग का जिस तरह का शिकंजा आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग में कसा, अपनी पकड़ मजबूत की तो कुछ रोड रिपेयर्स, कारपेटिंग का काम चल रहा है मगर उतनी पकड़ आपकी हैल्थ डिपार्टमेंट में नहीं हो पाई है। इसीलिए यह स्थिति बनी हुई है कि दवाइयां बाजार में बेच दी जाती हैं। किसी भी अस्पताल में आप चले जायं वहां पर अस्पताल में आपको दवाइयां मिलेंगी नहीं।

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइवेट प्रेक्टिस आप बन्द तो नहीं कर सकते हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट दुकानदार कोई भी सौदा बेचता है तो उनको रजिस्टर मेन्टेन करना पड़ता है स्टाक रजिस्टर या वही मेन्टेन करनी पड़ती है। उसी प्रकार से आप प्राइवेट चिकित्सकों को भी यह कह दीजिए कि वह अपने घरों में इस प्रकार का रजिस्टर रखें कि आपने जिस पेशेंट को देखा उसका नाम और पता उसमें इन्द्राज कर लें। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि डाक्टर्स घर में जो मरीज देखते हैं उन्हीं को वह अस्पताल में भरती करते हैं, उन्हीं को सम्भालते हैं और उन्हीं को वहां पर चिकित्सा उपलब्ध होती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने राजस्थान में आज तक जितने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स हैं, उनका सर्वे करवाया है? आज नीम-हकीम-खतरेजान, आप कहीं चले जायं आपको हर जगह दुकानें खुली हुई मिलेंगी, लोग बैठे हुए हैं। उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि गंगापुर सिटी से आने वाले माननीय सदस्य, वैद्य श्री गोविन्द सहायजी यहां पर बैठे हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति की सब्जी बेचने की दुकान थी। उसका मकान मालिक से वाद चल रहा था, न्यायालय से वह हार गया। उसकी दुकान खाली करवा ली और आज उसने जयपुर में आकर क्लिनिक खोल ली और यहां लोगों का इलाज कर रहा है। यह स्थिति

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

है और वह इसलिए है कि आपने सर्वे नहीं करवाया। आप सर्वे करवायें और लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बचाने का काम करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कहा जाता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाएं फैलाना चाहते हैं। लेकिन आज स्थिति यह, आपने चिकित्सा सेवा विभाग की बुकलेट हमको डिस्ट्रीब्यूट करवाई है। इसमें आपने 29 शिक्षा चिकित्सालय बताये हैं और इन 29 शिक्षा चिकित्सालयों में एक भी केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलता हो। आश्चर्य की बात तो यह है कि उदयपुर ग्रामीण के नाम से जो अपने ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र खोल रखा है वह भी उदयपुर के शहरी क्षेत्र में खोल रखा है। यानी उदयपुर का चिकित्सा केन्द्र भी उदयपुर में और ग्रामीण चिकित्सा केन्द्र भी आपने उदयपुर में खोल रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप इस तरह के कोई केन्द्र स्थापित कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक पुस्तक जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के एजुकेशन इन्फार्मेशन सेन्टर ने पब्लिश करवाई है। उसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस पुस्तक का क्या औचित्य है। मैं इसकी 3-4 लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इस पुस्तक में पेज 5 पर लिखा है—"खानदानी मंसूबाबन्दी (अर्थात् परिवार नियोजन) प्रोग्राम में जहां आपरेशन के तरीके को इस्तेमाल करने का सवाल है वह इस्लामी नुक्तए नजर से मौजू नहीं माना जा सकता।" परिवार नियोजन में नसबन्दी को इस्लाम जायज करार नहीं देता है। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है। आगे क्या लिखते हैं कि "इसी तरह हमल को जायज करने को इस्लामी नुक्ताए नजर से कतई इजाजत नहीं है।" यानी इस पुस्तक को स्वास्थ्य विभाग छपवा रहा है और इस पुस्तक में क्या लिख रखा है कि न इस्लाम नसबन्दी की इजाजत देता है ना इस्लाम धर्म एबार्शन की इजाजत देता है और न परिवार नियोजन की इजाजत देता है। "यह कुरआने हकीम और इन्सानी जिन्दगी" पुस्तक स्वास्थ्य विभाग ने छपवाई है। इसको मैं सदन की पटल पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, रख दीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवार नियोजन का हामी हूं, परिवार नियोजन का पक्षधर हूं इसलिए मुझे यह पीड़ा हुई है। इस तरह की पुस्तक छपवाई जा रही है इंडोनेशिया आपके अधिकारियों का डेलिगेशन गया था, माननीय मंत्रीजी भी इंडोनेशिया गए थे और इंडोनेशिया के अन्दर जो इनको लिट्रेचर मिला उसकी नकल करके इन्होंने यह पुस्तक छपवा दी। नकल में भी आखिर अकल की जरूरत होती है।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इसके एक और पहलू को देखिए। इसके

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

अन्दर कुरआन की आयत लिखी है। जैसा पेज नम्बर 1 एक पर इन्होंने लिखा है कि—

कुरआन शरीफ की आयात 3 "पूरे असर"

"वल असृरिला इन्नत् इन्साना लफी
खुस्रिन इल्लत तजीना आमांनू
वा आमेलुस स्वालेहावे वता
वा-सवो दिल हक्के वता वास्वो
बिस्सब्रि।"

"वल्असृरिला (1) बिस्सब्रि (3)"

इसका तरजुमा इसमें पेश किया है, इसका जो अनुवाद पेश किया है वह अनुवाद बिलकुल गलत है। उसे किसी भी तरह से जस्टिफाइड करार नहीं दिया जा सकता है। मैंने इस पुस्तक की फोटो स्टेट करके जयपुर के मौलवी, काजी और जयपुर के मुफ्ती को भेजी है। उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या सही होना चाहिए वह मुझे दिया है इससे मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता। इस सम्बन्ध में तो मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी और अधिकारियों से बात कर लूंगा लेकिन यह परिवार नियोजन को बढ़ाने के लिए पुस्तक छापते हैं और उसमें यह लिख रहे हैं कि परिवार नियोजन की इस्लाम में इजाजत ही नहीं है। इससे ज्यादा कोई गलत काम हो नहीं सकता। यह पैसे का दुरुपयोग किया गया है, पैसे की बरबादी की गई है इस पुस्तक का कोई औचित्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि आज अस्पतालों की स्थिति क्या है मैं मेरे भूतपूर्व मित्र चूरू से आने वाले माननीय राजेन्द्र सिंह राठौड के निर्वाचन क्षेत्र की बात आपको बताता हूं। इनके निर्वाचन क्षेत्र में दूधवा धारा के अन्दर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उपाध्यक्ष महोदय, दो वर्ष से उसका पानी और बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दो वर्ष से पानी और बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। इतना ही नहीं बीनासर चूरू का जो आपका चिकित्सालय भवन है, चिकित्सालय है वह चिकित्सालय तो आपने खोल दिया उस गांव में बिल्डिंग नाम की कोई चीज नहीं है। पहले डाक्टर एक पेड़ के नीचे बैठकर मरीजों को नुस्खा लिखते थे। अब वह पेड़ टूट गया, सूख गया। अब वह क्या करते हैं जैसे गाडिया लुहार होते हैं घुम्मकड़, घूमते रहते हैं, कभी किसी के घर पर बैठकर चिकित्सा उपचार कर रहे हैं और कभी किसी के यहां बैठकर चिकित्सा उपचार कर रहे हैं। और भरतिया अस्पताल चूरू की स्थिति तो यह है कि डाक्टरों की संख्या तो वहां ज्यादा है और पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या कम। चिकित्सा मन्त्री जी कृपया इस तरफ भी ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मन्त्री जी को यह भी कहना चाहता हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अभी तो दस मिनिट ही हुए हैं। आधा-आधा घण्टे लोग बोले हैं। मेरा तो रोजा भी है, मुझे जाना है।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट पृष्ठ 18 पर सारिणी 10 में जो इन्होंने सूची दी है कि 8 प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान में चल रहे हैं जिनमें जनरल नरसिंग पुरुष और महिला के हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनमें प्राइवेट जितने भी आपके कालेज या इन्सटीट्यूशन्स हैं उनमें एड-मिशन देने के नाम पर भारी रकम वसूल की जाती है। आप कृपया इसकी भी जांच कराएं कि प्रवेश देने के पहले पैसे कैसे लेते हैं। आपने इसी पुस्तक के पृष्ठ 19 की सारिणी संख्या 17 में जनवरी 1992 में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में जो स्वीकृत पद दिए हैं उसमें मेरा आपसे यह सुझाव है कि आपसे डाइटिशियन का पद नहीं दिया है। जो सरकारी अस्पताल हैं उन अस्पतालों में मरीजों को भोजन दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, वह भोजन कहां बन रहा है उसमें कितना पौष्टिक आहार है उसके अन्दर क्या स्थिति है इसकी जांच के लिए डाइटिशियन का पद होता है। यह अन्य स्थानों पर है। राज-स्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में इसका एक भी पद आपने सृजित नहीं किया है। क्या आप सारा जो खाना दे रहे हैं वह किसके सुपरवीजन में बनवाकर दे रहे हैं कृपया इस तरफ भी ध्यान दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आयुर्वेद विभाग और यूनानी विभाग की तरफ भी आना चाहूंगा। इस यूनानी और आयुर्वेद विभाग की स्थिति तो बिल्कुल ही इतनी खराब हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। दवाइयों की स्थिति तो यह है कि सुबह भी चर्चा चल रही थी दवाइयों की कि दिल्ली की एक फर्म है उससे जाकर के बिल बनवा लिया जाता है, दवाइयां कहीं वितरित होती नहीं है और इनके प्रशास-निक ढांचे की तरफ मैं आपकी तवज्जोह चाहूंगा और आपके माध्यम से माननीय आयुर्वेद मंत्री जी से चाहूंगा कि इन्होंने यह आयुर्वेद विभाग का जो निष्पादन और आय व्ययक रिपोर्ट दी है, जरा आप स्थिति देखिए। सड़क तो बनाएगा पी. डब्ल्यू. डी. का इन्जीनियर उपाध्यक्ष महोदय, और उसकी जांच कोई विद्युत विभाग के इन्जी-नियर से करायेंगे क्या ऐसा कहीं होता है। इनकी जरा प्रशासनिक स्थिति तो देखिए। इनके यहां पर डिप्टी डाइरेक्टर के पद तो हैं पांच और औषधि वितरण केन्द्र हैं 8 और औषधि के निरीक्षण के नियन्त्रण केन्द्र हैं 4, और उनमें जो जिलों का बंट-वारा कर रखा है जरा वह देखिए। जयपुर डिप्टी डाइरेक्टर केन्द्र में आपने दिया है जयपुर अलवर, भरतपुर, झुन्झुनू, सीकर, अजमेर, धौलपुर, और दौसा को और फिर इन केन्द्रों पर औषधि वितरण कैसे होती है। इसमें अलवर और भरतपुर को तो औषधि वितरण केन्द्र करा रहे हैं आप दूसरे सेण्टर से और चूरू को करवा रहे हैं अजमेर से यानि औषधि वितरण तो हो रहा है कहां से और उसका निरीक्षण दूसरे स्थान से हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसी तरीके से जोध-पुर का जो डिप्टी डाइरेक्टर है उसको सात जिले दे रखे हैं। जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर और वह औषधि वितरण जो है, अजमेर को तो आपने जोड़ दिया और बीकानेर और गंगानगर को आपने जोधपुर के साथ जोड़ दिया। नागौर, पाली

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

व सिरोही को अलग कर दिया और सिरोही और पाली को आपने उदयपुर के साथ जोड़ दिया और नागौर को अजमेर के साथ जोड़ दिया। क्या तमाशा है? आपकी कोई प्रशासनिक व्यवस्था ही नहीं है। आपका औषधि वितरण हो रहा है अजमेर से और उसका निरीक्षण करने जा रहा है जोधपुर का डिप्टी डाइरेक्टर और आपका चिकित्सालय आ रहा है जयपुर डिप्टी डाइरेक्टर के अण्डर में। कृपया इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि आप ध्यान दें या तो आप यह पद सारे समाप्त कर दें जो डिप्टी डाइरेक्टर के अण्डर में जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय आ रहा है उनको वहीं से औषधि का वितरण होना चाहिए और वहीं से उनका निरीक्षण होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं। आपने जो रिपोर्ट दी है इसके पृष्ठ संख्या 13 पर आपने लिखा है कि निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान की बात इसके अन्दर लिखी है। इसमें आपने एक राजकीय यूनानी महा विद्यालय लिख दिया। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यहां बैठी हैं क्या राजस्थान के अन्दर राजकीय यूनानी महाविद्यालय है? अगर राजस्थान में कोई राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज हो तो मंत्री जी बताएं सदन में और नहीं है तो फिर आपने यह गलत आंकड़े सारे सदस्यों को वितरित कराये हैं। इसके अन्दर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कराई है और आपने यूनानी कालेज को लिखा है कि यूनानी कालेज गवर्नमेंट का है। यह आपने पृष्ठ 13 के ऊपर क्रमांक संख्या 6 पर लिख रखा है कि राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज जयपुर को 1990–91 में एक लाख 87 हजार रुपये का अनुदान दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बात कह रहे हैं राजस्थान में और मैं भी जानता हूं कि पूरे राजस्थान प्रदेश में कोई गवर्नमेंट का यूनानी मेडिकल कालेज है नहीं। सिर्फ तीन यूनानी मेडिकल कालेज है। राजस्थान यूनानीमोडेरल कालेज जयपुर, राजपूताना यूनानी मेडिकल कालेज जयपुर और जुबेरिया यूनानी मेडिकल कालेज जोधपुर, गवर्नमेंट का कालेज है और आप उसको एक लाख सित्यासी हजार रुपये का अनुदान दे रहे हैं। यह गलत आंकड़े आपने सदस्यों को वितरित कराये हैं, सदन को गुमराह किया है इसकी कृपया आप जांच कराएं कि कौन अधिकारी है। मैंने जो भी पेज संख्या और सारा हवाला दिया है इसको मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुद को जाना है, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे हो रही है।

मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी से कि जो ए. एन. एम. हैं उन पर एक जिले से दूसरे जिले पर स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। मेरे उसका औचित्य आपसे बात हुई थी

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

समझ में आता है। उसकी स्थिति यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि पहले तो ट्रेनिंग कहां से भी कर लेते हैं और उसके बाद कई जिले ऐसे हैं जो उन जिलों में ज्यादा लोग जाते नहीं है। लेकिन स्थिति यह है कि डाक्टरों पर इस तरह का प्रतिबन्ध नहीं, कम्पाउण्डरों पर नहीं और किसी पर नहीं खाली ए. एन. एम. पर ही आपने इस तरह का प्रतिबन्ध लगा रखा है। अब इसके औचित्य को और इसकी मैरिट्स और डी-मैरिट्स को देखते हुए इस प्रतिबन्ध को हटाइए। उपाध्यक्ष महोदय, कई तो शादी शुदा हैं। उनके पति तो दूसरे जिले में सेवारत हैं और राज्य सरकार के सेवा नियमों के अन्दर यह प्रावधान है कि अगर पति और पत्नि दोनों राज्य सेवा के अन्दर कर्मचारी होंगे तो आप उनको एक स्थान पर रखेंगे। फिर आप इनको अपने अधिकार से वंचित रख रहे हैं। कृपया इस सम्बन्ध में भी विचार करें।

अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस स्थिति को सुधारें। जयपुर के एस. एम. एस. मेडिकल हास्पीटल के बारे में मैं कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राज्यपाल सिंह जी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अभी दो मिनट हैं 6 बजने में आपने 6 बजे तक के लिए कहा था। मैं खतम कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं में भगवानदास खेतान अस्पताल के लिए आपने जो बाउण्ड्री वाल बनाने के लिए पैसा स्वीकृत किया और उसकी बाउण्ड्री वाल 18 साल से नहीं बनी थी वह बनवाई तो उसके लिए तो मैं आपका आभारी हूं। आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन साथ ही यह भी चाहता हूं कि आप बीस कमरों का विद्यालय भवन बनवा दें और उसमें ले जाकर भेड़ें बन्द कर दें तो उससे शैक्षणिक स्तर सुधरने वाला नहीं। चिकित्सालय के अन्दर डाक्टरों में थोड़ी नैतिकता भी आए। उनको सुधारिए वह सही तरीके से मरीजों की सेवा कर पाये, भ्रष्टाचार समाप्त हो, सही समय पर लोगों को चिकित्सा उपचार मिले, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां मिले और सफाई की पूर्ण व्यवस्था रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजपाल सिंह जी।

(6.00 सायं)

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनी पार्क) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की तो बधाई देना चाहूंगा मंत्री महोदय को कि कई सालों से बेरोजगार बैठे मेडिकल स्टूडेन्ट्स को काफी बड़ी तादाद में रोजगार मुहैइया करवाया है। पी. एच. सी. बनाई, सामुदायिक केन्द्र खोले और मोटे तौर पर चिकित्सा की सुविधाओं के अन्दर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट किया उपाध्यक्ष महोदय इन्फेन्ट एक्ट, जिस तरह से गारण्टी आई, गारण्टी देने के लिए मैं चिकित्सा विभाग को बधाई देना चाहता हूं लेकिन दूसरी तरफ इस बात पर भी आपका ध्यान

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आकर्षित करना चाहता हूं, मैं खास तौर से जयपुर की बात करूंगा और पहले जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय की बात करूंगा। एस. एम. एस. मेडिकल कालेज और हॉस्पिटल के अन्दर जो जो मेडिकल सिस्टम की हार मानी थी उसका जबरदस्त एरोजन हुआ। डवलपमेंट जिन सन्दर्भों में होना चाहिए था, जिस आयाम में होना चाहिए था, जिस दिशा में होना चाहिए था, जिस तरह का गुणात्मक सुधार होना चाहिए, जिस तरह की संवेदनशीलता चिकित्सालयों में आनी चाहिए थी उसमें बढ़ोतरी के बाद लगातार गिरावट आती जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा टीचिंग के अन्दर भी काफी गिरावट आई। नान क्लिनिकल साइड के अन्दर टीचर्स कम हैं। मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के नार्म्स के हिसाब से जितने टीचर्स होने चाहिए वह टीचर्स नहीं हैं। राजस्थान के अन्दर जो डाक्टर्स का नम्बर बढ़ा है, डाक्टर्स के नम्बर के प्रोपोर्शन के अन्दर पेरामिलिटरी स्टाफ नहीं बढ़ा। पेरामिलिटरी स्टाफ के नहीं बढ़ने से डाक्टर्स के बढ़ने का जो आउट कम होना चाहिए यह जो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए वह प्रोटेक्टिविटी नहीं आई। एक इन्टीग्रेटेड ग्रोथ जो होनी चाहिए थी हैल्थ के बारे में हैल्थ की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के बारे में वह नहीं आई। एक माननीय सदस्य बता रहे थे एम्बूलेन्स आ गई, ड्राइवर नहीं आया। एक्स-रे की मशीन आई लेकिन बिजली का ऐसा फ्लेक्चुएशन है कि बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही है। जितना पैसा हम लगा रहे हैं उस पैसे का आउटपुट अगर नहीं आता है। चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज के फार्म के अन्दर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं चाहे इन्सट्रूमेण्ट पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट का जब तक प्रोडक्टिव आउट कम नहीं आयेगा तब तक दो हजार तक हम स्वास्थ्य देने की जो बात करते हैं। सब स्वस्थ रहेंगे। हैल्थ फार आल वह हैल्थ फार आल का हमारा नारा रह जायेगा। एस. एम. एस. के अन्दर डवलपमेंट हुआ है लेकिन लोप साइडेड डवलपमेंट हुआ है। कई मंत्री आये अमेरिका में दौरे किये, सोचा वहां पर इतना डवलपमेंट है उस टैक्निक को जयपुर में लाने की कोशिश की, कोशिश होनी चाहिए। लेकिन कोशिश होने के बाद में जो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वह यूनिफार्म डवलपमेंट होना चाहिए। आप कोबाल्टथेरेपी करना चाहते हैं कोबाल्ट का केमरा मंगाना चाहते हैं। अच्छी बात है लेकिन रेडियो थेरेपी, जो रेडियो थेरेपी के डिपार्टमेंट को आप इम्प्रूव करने के हक में हैं। अगर वह एनाटोमी की कास्ट पर होता है, अगर वह पैथोलोजी की कोस्ट पर होता है, अगर वह सर्जरी की कास्ट पर होता है अगर इस इलाके में डवलपमेंट नहीं हो पाते हैं, अगर इस इलाके में आगमेन्टेशन के कोई प्रोग्राम नहीं रख पाते हैं। डवलपमेंट तो होगा लेकिन यूनिफार्म डवलपमेंट नहीं होगा। पूरी चिकित्सा सुविधा देने के लिए हमें इन्सट्रूमेन्ट्स लाने होंगे। पर इन्सट्रूमेन्ट्स को हम इनिस्टाल कर पायें, उनको आपरेट नहीं कर पायें। उन इन्सट्रूमेन्ट्स की हालत वह नहीं हो जाये जो कोबाल्ट थेरेपी के इन्सट्रूमेन्ट की हुई। कोबाल्ट थेरेपी का मुद्दा उठा उसको वापस भेजने की बात हो

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

गई है अभी तक वह गया नहीं है। नई कोबाल्ट थेरेपी का इन्स्ट्रूमेन्ट आ गया है, जो आपरेशन में आने वाला है। कोबाल्ट थेरेपी की बात करीब दस साल से चल रही है। दस साल से बात चलने के बाद में आज कोबाल्ट थेरेपी का लेकर आते हैं तो सोचता हूं रेडियो एक्टिव थेरेपी के अन्दर तो और ज्यादा इम्प्रूवमेंन्टस आये हैं। और ज्यादा आगमेन्टशन्स आये हैं। उन आगमेन्टेशन के सन्दर्भ के अन्दर हम अभी तक काम नहीं कर पाये हैं। रेडियो थेरेपी के अन्दर भी रेडियो आइसोटोप्स ले गये। रेडियोआइसोटोप्स को रेडियोलोजी डिपार्टमेंट से नहीं जोड़ा गया। रेडियो-आइसोटोप का हैड दूसरा है। रेडियो थेरेपी के डिपार्टमेंट का हैड दूसरा है। एक इंटेग्रेशन जो होना चाहिए जो रेडियोथेरेपी और रेडियोआइसोटोप के बीच में जो इन्टेग्रेशन होना चाहिए, जो कोआर्डिनेशन होना चाहिए वह कोआर्डिनेशन नहीं है। मैं यही बात कहना चाहूंगा कार्डिक केट लेब के बारे में। कार्डिक केट लेब का इन्स्ट्रूमेंट आ गया 6 महीने हो गये बिल्डिंग कम्पलीट नहीं है। ट्रेन्ड लोग नहीं है। अब ट्रेन्ड लोग नहीं है, बिल्डिंग कम्पलीट नहीं है, ट्रेनिंग जो मिलनी चाहिए कार्डिक सर्जन को, कार्डिक रेडियोग्राफर को एक ही जगह पर कोआर्डिनेटेड ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। उसका जब तक इन्तजाम आप नहीं कर पाते हैं तो इसका हश्र भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। कोबाल्ट थेरेपी वाले इन्स्ट्रूमेन्ट की जो हालत हुई वह हालत भले ही इसकी नहीं हो लेकिन कार्डिक केट लेब की हालत भी मेरे ख्याल से उसके आउट पुट की बात भी नहीं हो पायेगी। इन्टेन्सिव केयर यूनिट की बात, इन्टेन्सिव केयर यूनिट के अन्दर कांग्रेस के राज्य के अन्दर मोनेटरिंग के लिये लगाये गये, इले-क्ट्रोकार्डियोग्राम्स लगाये गये। लेकिन यह नहीं सोचा गया कि उन कार्डियोग्राम्स को एक साथ जोड़ करके एक वाइडर स्कीम के अन्दर एक कम्प्यूटराइज सिस्टम से जोड़ा जाय ताकि डाक्टर्स की टीम उसको लगा-तार मोनीटरिंग कर सके। सोचा गया तो आज हालत यह हुई कि आई. सी. यू. के अन्दर एक या दो ई. सी. जी. सिस्टम के अलावा कोई काम करता हुआ सिस्टम नहीं मिलता वह सारे के सारे डिफेक्टेड इन्स-ट्रूमेन्टस हैं। अब ऐसी हालत है कि खरी-दने के लिये है और खरीद होती नहीं। परचेजिंग करनी है उसकी परचेजिंग करते नहीं। प्रगति प्रतिवेदन के अन्दर क्या करते जा रहे हैं यह छिपाने के लिये बात कर दी गई तो चाहे आप कोबाल्ट थेरेपी की बात कर लें, चाहे आप कार्डिक केटलेब की बात कर लें चाहे आप कोई कम्प्यूटराइज सिस्टम से वाइडर डिस्प्ले की बात कर ले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सिस्टम्स की। जब तक हम इसका आउट पुट नहीं निकाल पायेंगे, इसका प्रापर यूटिलाइजेशन नहीं कर पायेंगे, जब तक हम एस. एम. एस. के मेनेजमेंट को ठीक नहीं कर पायेंगे, वहां के सिस्टम को ठीक नहीं कर पायेंगे तो मैं सोचता हूं कि इन सब इन्स्ट्रूमेन्टस का जो फायदा जनता को मिलना चाहिए वह फायदा हम जनता को दे नहीं पायेंगे। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा मोबाइल सर्जरी की यूनिट है, जिस तरह से आंखों के लिये यूनिट है मोबाइल, परपज था वह परपज डिफीटेड हो गया उसका जो हश्र

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हुआ, जिसकी डिमाण्ड आई वह उधर चली गई। मेरी डिमाण्ड आई तो उधर चली गई किसी संगठन की डिमाण्ड आई उधर चली गई पूरे साल में कहां-कहां जायेगी। उसका या तो केलेण्डर बनता नहीं और केलेण्डर बनता है तो लागू नहीं होता। तो उसका जो आउटपुट आप निकालना चाहते थे, जिस नोशन के साथ में आपने इन्ट्रोड्यूज की उसको परचेज करने के पीछे जो फिलोसोपी थी, जो प्रोप्राइटी थी वह प्रोपाइटी आज डिफीटेड हो जाती है इस कण्डीशन के अन्दर आपका एम्बूलेन्स खरीदना आपके इस तरह के मोबाइल सर्जिकल यूनिट्स बनाना, आपके इस तरह रेडियोलोजी के इन्सट्रूमेन्ट खरीदना यह सब मैं सोचता हूं यह वेस्टफुल एक्सपेण्डिचर है न कि प्रोडेक्टिव इन्वेस्टमेंट। हैल्थ के इलाके के अन्दर यह देखना पड़ेगा हमको कि डाक्टर्स का अपाइण्टमेंट होना चाहिए काफी इन्टीरियर इलाके में डाक्टर्स आज भी नहीं है यदि डाक्टर्स अपाइण्ट होते हैं तो क्या हम पेरा मेडिकल स्टाफ प्रोवाइड कर रहे हैं अगर हम हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं तो हालत ऐसी तो नहीं कि दो साल से बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, पानी का कनेक्शन कटा हुआ है क्या हालत ऐसी तो नहीं कि वोल्टेज की चेन्ज के कारण हम इन्सट्रूमेन्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जनरेटर सेट्स हमारे पास नहीं हैं इसलिए बेकार पड़ा हुआ है। ऐसी बात तो नहीं है कि कोबाल्ट थेरेपी, कोई चीज खरीदी जाये और फिर दस साल के बाद भी वही स्थिति बनी रहे। इन्सट्रूमेण्ट पहले आ जाये, टीम बाद में जायेगी, ट्रेण्ड टीम नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग करने टीम जायेगी, टीम जब वापस आयेगी तो वह ओब्सलीट हो जायेगा या उसको एस्टेबलिश हम नहीं कर पायेंगे। तो ऐसी स्थिति जो बनती है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं सोचता हूं कि इस पर नये सिरे से सोच की जरूरत है। यही हालत गेस्ट्रेइन्ट्रोलोजी की है। गेस्ट्रोइन्ट्रोलाजी पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। मैं बेलेन्स डवलपमेन्ट की बात कर रहा था। आप कैसा विकास चाहते हैं? एस. एम. एस. मेडिकल हास्पिटल को कैसा हास्पिटल देखना चाहते हैं आप? इसकी साफ तस्वीर मुझे लगता है आपके दिमाग में नहीं है, इसकी धुंधली-धुंधली तस्वीर है। कोई नया आइडिया ड्राप हुआ तो जैसे हायर एण्ड फायर सिस्टम होता है। कोई जरूरत है मजदूरी की जैसे मजदूर उठा लाये, मजदूर अच्छा लगा, शाम को भेज दिया। आज कोई नया आइडिया लगा अच्छा वह आइडिया आपने इन्ट्रोड्यूज कर दिया यानि किस तरह का डवलपमेंट करना चाहते हैं? इसका विकास किस दिशा में करना चाहते हैं? किस रूप में करवा चाहते हैं? जब तक वह तस्वीर सरकार के दिमाग में क्लीयर नहीं होगी तब तक मैं सोचता हू विकास जिन सन्दर्भों में करने की भावना मंत्री महोदय की है वह मेरे ख्याल से हो नहीं पायेगी। यही बिडला डिटेक्शन सेन्टर का मामला है। प्योरली यह रेडियोलाजीकल यूनिट है अपने आप में वैसे केन्सर डिटेक्शन का जहां तक ताल्लुक है केन्सर डिटेक्शन तो हर एक सर्जन, हर एक मेडिकल का प्रोफेसर, लेक्चरर, डाक्टर करता है। यह केन्सर का डिटेक्शन मैं सोचता हूं कि हर एक डाक्टर करता है। जैसे गाइनिका है

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

चाहे वह आर्थोपेडिक्स है, यह पूरा का पूरा सेन्टर बना हुआ है बिडला कैंसर डिटेक्शन सेन्टर। यहां पर आपने एक सर्जन दे रखा है यानी जो काम आपको रेडियो थेरोपिस्ट के हाथ में देना चाहिये था और उसके नीचे सर्जन की, पेथोलोजिस्ट की और एक पूरी टीम बननी चाहिए थी, वह टीम बनती, उनको मोनीटर करने वाला रेडियो थेरोपिस्ट होता तो मैं समझता हूं ज्यादा प्रोडक्टिव इस्तेमाल बिडला कैंसर डिटेक्शन सेन्टर का हो पाता।

यही हालत हमारे यहां पर है, इन्स्ट्रूमेंट्स खराब रहते हैं। हमारी कौनसी टर्म्स और कन्डीशन्स होती हैं जिनके ऊपर हम परचेज करते हैं सीमेन्स जैसी कम्पनी, जो पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर आफ्टर सेल्स बड़ी अच्छी सर्विस देती है लेकिन जब वो एस. एम. एस. में आती है तो उसी सीमेन्स कम्पनी की आफ्टर सेल्स सर्विस गड़बड़ा जाती है तो यह गड़बड़ी सीमेन्स में है या आपके एस. एम. एस. अस्पताल में है। सीमेन्स की लड़खड़ाहट यदि एस. एम. एस. में पैदा होती है तो आपकी जो कमेटी बनी हुई है, आपकी टर्म्स एण्ड कंडीशन्स हैं, मैं सोचता हूं उनको रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है।

तीसरी बात है, डाक्टर्स के जोब सेटिस्फेक्शन की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल कालेजेज की बात करें हम....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

यू. जी. सी. की डिमांड राजस्थान यूनिवर्सिटी के लेक्चरर को, कालेज के लेक्चरर को यू. जी. सी. की पे स्केल मिलती है। एक लड़का 12वीं में होता है, यदि वह ढंग का होता है तो उसका पी. एम. टी. में सलेक्शन हो जाता है, जो बेढंग का होता है, मेरी तरह का बन जाता है वो बी. एस. सी. करता है। ढंग का लड़का पी. एम. टी. करने के बाद 5 साढ़े पांच साल मेडिकल कालेज में जाता है, डेढ़ साल की ट्रेनिंग करता है, एक साल की ट्रेनिंग करता है। बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और पी. जी. करने के बाद में आर. पी. एस. सी. फेस करने के बाद में वो लड़का लेक्चरर बनता है, जो पी. एम. टी. में नहीं जा पाता, बी. एस. सी. करता है, बी. एस. सी. करने के बाद एम. एस. सी. करता है। एम. एस. सी. में बचे हुए लाट में टाप करता है। वर्क लोड कमेटी के किसी प्रोफेसर के पांव दबाकर वर्क लोड के लिए डिमान्ड क्रियेट कराता है पोस्ट की पोस्ट क्रियेट कराता है, पोस्ट क्रियेट कराने के बाद लेक्चरर बन जाता है और लेक्चरर बन कर यू. जी. सी. की पे स्केल उठाता है। जो आदमी 10-12 साल बाद भी यू. जी. सी. की पे स्केल नहीं ले पाता है, एक डाक्टर की स्केल, एक लेक्चरर की स्केल लेकिन मेडिकल कालेज में यू. जी. सी. की पे स्केल नहीं है। दूसरी बात है प्रमोशन्स की। एस. एम. एस. के अन्दर आम तौर पर यह माना जाता है कि जनरल एक होगा, लेफ्टिनेंट जनरल दो होंगे, मेजर जनरल चार होंगे, पिरामिड सी बनती है, हालांकि यहां अलग है। प्रोफेसर दो, लेक्चरर चार, रीडर्स एक, यहां डमरू का सिस्टम है। ये प्रमोशन किस तरह करना चाह रहे हैं, मैं सोचता हूं, इसके पीछे कारण जो हैं न तो उनमें

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कम्पीटीशन है न उसमें सीनियरिटी है, न कुछ और है। यानि इस तरह की प्रमोशन स्कीम देकर के, इस तरह के सेलेरी सिस्टम रख करके, आप किस तरह का जोब सेटिसफेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं ? और जब जोब का फ्रस्ट्रेशन डवलप होगा और फिर आप आउट पुट की बात करेंगे तो मैं सोचता हूं मिल नहीं पायेगा, उस आउट पुट को पाने के लिए हमें प्रमोशन स्कीम को भी ठीक करना पड़ेगा, उनके पे स्केल को रेशनलाइज करना होगा। और यही हालत स्टाफ पेटर्न की है। मैं स्टाफ पैटर्न की हालत के बारे में अर्ज करना चाह रहा था कि यह भी काफी गड़बड़ाई हुई है, इसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा और हालत है डाक्टर्स की। आज जयपुर में डाक्टर्स. एस एम एस. के अलावा डिस्पेंसरीज भी हैं। एस. एम. एस. में तो बड़े-बड़े लोग जाते हैं। कभी एम एल ए साहब चले गये, कभी मन्त्री साहब चले गये, कभी मुख्य मंत्री साहब चले गये, सफाई भी हो गई, व्यवस्था कुछ ठीक हो पाती है। डिस्पेंसरीज में कितने लोग जाते हैं ? जयपुर की डिस्पेंसरीज की हालत किसी भी गई बीती डिस्पेंसरीज की हालत से बेहतर नहीं है। 20-20 साल से जयपुर में डाक्टर्स बैठे हुए हैं। इस जगह से ट्रांसफर हुआ, दूसरी जगह चला गया, दूसरी से तीसरी डिस्पेंसरीज में चला गया। जयपुर छोड़कर नहीं जायेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : इससे गई बीती कहां है ?

श्री राजपाल सिंह शेखावत : मैंने अर्ज किया कि दो-दो साल से बिजली और पानी के कनेक्शन कटे हुए हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 20-20 साल से डाक्टर यहां बैठा हुआ है जो एक जगह से हटकर दूसरी जगह चला जाता है। हम ट्रांसफर्स के नार्म्स की बात करते हैं तो नार्म्स बाकी बचे हुए डाक्टर्स पर लागू हो गये। एक बार ट्रांसफर कर दिया अब साल भर रुक जाइये उसके बाद देखेंगे। ठीक है, समझ में आती है बात। अगर आउट पुट निकालना होगा तो रीगर्स एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा लेकिन रीगर्स एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे नार्म्स तो एक होंगे। उसमें यूनिफोर्मिटी होगी, उसमें डिस्क्रीयेशन तो नहीं होगा। ये क्या कारण है कि जयपुर का जमा हुआ डाक्टर चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बी जे.पी. का राज हो, एक पर्टिकूलर डाक्टर 20 साल से जयपुर में बैठा है, 20 साल से जयपुर से हिला नहीं। जयपुर में डिस्पेंसरीज में बैठे हुए 80 डाक्टर्स वो के वो ही हैं, जो 5 साल से ज्यादा हो गये यहां बैठे हुए हैं। मैं सोचता हूं, इसको ठीक करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जिस तरह की सर्विसेज डाक्टर्स से मांग करने की बात करते हैं, उनका काउण्टर बनाने की बात करते हैं, उनका काउण्टर बनाने के लिए मैं सोचता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजपाल सिंह जी पूरा कीजिये। (व्यवधान) और खराब बोलते हैं क्या ? अच्छी बात कह रहे हो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : माननीय

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय ने जयपुर में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बनाने की बात कही थी और कहा था कि जनाना हास्पिटल को डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जायेगा। हालांकि यह कोई घोषणा तो नहीं हुई कि जनाना हास्पिटल को खत्म कर दिया जायेगा और उसकी जगह डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बना दिया जायेगा। जनाना हास्पिटल भी रहना चाहिये और डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल भी बनना चाहिये। जनाना हास्पिटल जनाना हास्पिटल की जगह रहे, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल कहीं और जगह बने। मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट होस्टल की जगह खाली पड़ी हुई है। गवर्नमेंट होस्टल की इस जगह के अन्दर डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बनाया जाय, जनाना हास्पिटल को जनाना हास्पिटल की ही जगह रहने दिया जाय।

एस. एम. एस. को आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस बनाने की बात मैं कई दिनों से अखबारों में पढ़ रहा था 4–5 साल से। आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस बनाने में कई तकलीफें हैं, मैं जानता हूं। फाइनेंन्शियल प्रोब्लम्स भी हैं, अदरवाइज प्रोबलम्स भी हैं लेकिन आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस बनाने की बात उठी और उठकर दब गई। हो सकता है, आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस बनाने में कोई तकलीफ नहीं हो, वक्त लगे, फाइनेंस की दिक्कत भी आ सकती है लेकिन इस दिशा में सोच बंद नहीं हो, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, ऐसा तो कम से कम होना चाहिये। मैं मांग करता हूं कि राजस्थान के अन्दर कोई भी इस तरह का हास्पिटल नहीं है। इस हास्पिटल को आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस हास्पिटल बनाया जाय। यहां पर सुपर स्पेसिलिटीज हों। मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करना चाहूंगा कि जयपुर के अन्दर कई एन. आर. आईज हास्पिटल खोलना चाहते हैं जिसमें वो सुपर स्पेसिलिटीज के सेक्शन खोलना चाहते हैं। हास्पिटल को आपने इन्डस्ट्रियल सेक्टर माना है। अभी बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्राइवेटाइजेशन की बात की। हास्पिटल के लिए जमीन देने की बात की। इसको इंडस्ट्री माना गया है लेकिन इसके बारे में हैल्थ डिपार्टमेंट भी एक प्रेग्मेटिक व्यू एडाप्ट करे कि आने वाले एन. आर. आइज या और कोई इन्वेस्टर्स जयपुर के अन्दर इस तरह का कोई आग्मेंटेड हास्पिटल बनाना चाहते हैं तो उनको प्रमोशन मिल जाना चाहिये।

यहां जिक्र है ब्लड बैंक का, ब्लड बैंक या तो एस. डी. एम. एच. में है या एस. एम. एस. के अन्दर है। जब प्राइवेटाइजेशन की बात आप कर रहे हैं, जब पीपुल्स पार्टीसिपेशन इन द हैल्थ प्रोग्राम बात करते हैं तो जहां तक ब्लड बैंक का ताल्लुकात है, ब्लड बैंक खोलने की इन हास्पिटल्स को परमीशन मिलनी चाहिये जो प्राइवेट सेक्टर में हास्पिटल खुले। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में खुले हास्पिटल में ब्लड बैंक बनाने की परमीशन नहीं देते हैं तो मैं सोचता हूं वे प्राइवेटाइजेशन में बने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हुए हास्पिटल उस मार्क तक नहीं जा पायेंगे, जिस मार्क तक आप उनको ले जाना चाहते हैं, जो डिजारेबल आउट पुट आप लेना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दो साल की सफलता आपके मंत्रालय को मिली, वो आपकी क्षमताओं का प्रमाण है लेकिन वो क्षमताएं जनता के आकांक्षाओं के सन्दर्भ में अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई हैं, उस स्तर तक लाने के लिए मैं सोचता हूं और ज्यादा कमिटमेंट की, और ज्यादा काम करने की और पूरे सिस्टम को रिव्यू करके एक साल और जोड़कर उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दयाराम जी परमार (अनुपस्थित)

माननीय श्री नाथूराम जी अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26, चिकित्सा और स्वास्थ्य और सफाई के बारे में यहां चर्चा हो रही है, मैं भी अपने विचार आपके सामने व्यक्त करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधिकांश चिकित्सालयों में सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। सफाई के लिए किसी भी आदमी, कर्मचारी या डाक्टर्स को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। जो कि वहां स्वीपर हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी के अनुसार उनको रखा जाता है और जब भी कोई मरीज अपने अटेन्डेन्ट्स के साथ वहां पहुंचता है तो उल्टा अटेन्डेन्ट्स बीमार हो जाय, यह हालत हो जाती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सफाई के बारे में चूंकि सफाई सबसे महत्वपूर्ण अंग है और वह बीमार के साथ लगा हुआ है। सफाई नहीं होगी तो वह खुद जो बीमार है उससे भी ज्यादा बीमार हो जायेगा इसलिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति उस हास्पिटल या डिस्पेंसरी में रखना चाहिये। सरकार ने इस वर्ष और गत साल भी कुछ पी. एच. सी. और सब सेन्टर और डिस्पेंसरीज वगैरह खोली थीं। और इस साल भी उनका प्रावधान है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि यह जो तरीका है वह बिल्कुल गलत है, हर साल खोलना कोई जरूरी नहीं है। जो खुली हुई डिस्पेंसरीज और पी. एच. सीज. हैं, उनमें समुचित व्यवस्था होनी चाहिये, तब जाकर के दूसरी सुविधा देनी चाहिये। यह कोई जरूरी नहीं है कि हर साल खोली जाय। आपने डिस्पेंसरीज और पी. एच. सी. खोलने की बात कहीं है वह किनको देंगे, आपके मंत्री ही ले जायेंगे और दूसरों को मिलेंगे ही नहीं तो यह ऊंट के मुंह में जीरा है और यह व्यवस्था बिगाड़ने की बात है। हर दूसरे-तीसरे साल खोला जाय लेकिन कम से कम एक माननीय सदस्य को चाहे पी.एच.सी. नहीं मिले तो डिस्पेंसरी मिले और डिस्पेंसरी नहीं मिले तो औषधालय मिले। इस तरह का कोई मापदण्ड नहीं करेंगे तो यह व्यवस्था बिगड़ती जायेगी और जो सीनियर लोग हैं वे ले जाते हैं और दूसरे रह जाते हैं। यह व्यवस्था

(श्री नाथूराम अहारी)

बिलकुल गलत है और इसकी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। गांवों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां अचानक हो जाती हैं और इस बारे में मुख्य चिकित्सक या पी. एच. सी. के डाक्टर्स को पूरा पता नहीं रहता है और लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं इसलिए इनको पाबन्द करना चाहिए और पाबन्द करके जहां-जहां भी इस तरह की कोई बीमारियां होती हैं तो बीमारी की रोकथाम के लिए तत्काल कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जो दवाइयां खरीदी जाती हैं वे दिसम्बर के बाद खरीदी जाती हैं और उनका कोई उपयोग नहीं होता है। उनको या तो बेच दिया जाता है लेकिन मरीजों को उसका कोई उपयोग नहीं होता। मेरा सुझाव है कि आप दवाइयां 3 किश्तों में खरीदिए। मार्च में, जून-जुलाई और लास्ट में दिसम्बर में। इस तरह के कोई मापदण्ड करेंगे तो मेरा ख्याल है इन दवाइयों का सही उपयोग होगा और जनता को फायदा मिलेगा। आजकल हास्पिटल्स में मरीज उसके नाम से जाते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। यहां तक कि रूई भी नहीं मिलती है और मैंने तो यहां तक देखा कि जो पाट होते हैं वे भी नहीं मिलते हैं। मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में समुचित व्यवस्था करें। ये लास्ट में खरीदते हैं इसलिए यह अव्यवस्था होती है और उस बजट का दुरुपयोग होता है।

हमारे डूंगरपुर, उदयपुर डिवीजन में एक मापदण्ड रखा है कि इतनी जनसंख्या पर डिस्पेंसरी या पी. एच. सी. खोली जायेगी। मैं निवेदन करता हूं कि मेरे यहां जैसे आपने तीन हजार की जनसंख्या का मापदण्ड रखा है तो तीन हजार का मतलब है दो पंचायत। दो पंचायतों का एरिया किलोमीटर में देखा जाय तो 15-20 किलोमीटर में आता है। क्या यह मापदण्ड जनजातीय क्षेत्र में काम आयेगा ? कभी नहीं आ सकता। आपको मालूम है कि आदिवासी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र में जैसे मेरे यहां हीराता पंचायत है, अगर उसको देखा जाय तो 10 किलोमीटर का एक पंचायत का एरिया है तो उसमें वह कब जायेगा। पी. एच. सी. जो 20-30 किलोमीटर दूर है और उसका इलाज किस तरह से होगा, अतः यह मापदण्ड गलत है। आदिवासी क्षेत्र में जैसा माननीया रमा पायलट ने बताया कि शहर और गांवों में फर्क है। इनका सोच मेरी समझ में नहीं आया लेकिन वहां की भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी है, वहां की बसावट ही ऐसी है कि वहां का काश्तकार यह चाहता है कि जहां मकान बने वहां 10-15 बीघा जमीन चाहिए और वह एक टेकरी या दूसरी टेकरी पर मकान बनाता है। इसलिए वहां की जो बसावट है उस बसावट के अनुसार उसमें यह मापदण्ड काम नहीं आता है। मैं तो समझता हूं कि एक हजार या 500 की जनसंख्या ही रखनी चाहिए जिससे उस आदिवासी जनता को पूरा फायदा मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़े शहरों में जैसे जयपुर में प्राइवेट क्लीनिक खोले जाते हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे डाक्टर पर्ची लिख देते हैं और कहते हैं कि अमुक स्थान पर चले जाओ और वहां मनमाना पैसा

(श्री नाथूराम अहारी)

मांगा जाता है तो इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। एक्सरे व खून-पेशाब के टेस्ट के लिए पैसा निर्धारित होना चाहिए ताकि इसका फायदा मिल सके। प्राइवेट क्लीनिक में अधिकांश शहर के सम्पन्न लोग जाते हैं, गरीब लोग नहीं जाते हैं लेकिन जब हास्पिटल्स में आते हैं तो गरीब लोगों का भी नम्बर आता है तो वे इतना पैसा वहन नहीं कर सकते। इसलिए यह मापदण्ड तय होना चाहिए कि इतना पैसा लिया जाय। इसके अलावा वहां के जो डाक्टर्स लगे हुए होते हैं वे अधिकांश अनट्रेण्ड होते हैं। जो अनट्रेण्ड कम्पाउण्डर्स या डॉक्टर्स प्राइवेट क्लीनिक में लगे हैं उनको बंद कर देना चाहिए, हालांकि वे अपने अनुभव से काम करते हैं लेकिन यह ठीक नहीं है केवल पैसा कमाने के लिए यह धंधा किया जाता है इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और निवेदन करता हूं। हमारे हॉस्पिटल्स में जो दवाइयां, औजार खरीदने के लिए व्यवस्था है और आज भन्डारों में दवाइयां और औजार खरीदे जाते हैं इनकी समय-समय पर जांच होनी चाहिए क्योंकि लास्ट में जाकर अनुपयोगी दवाइयां और औजार खरीद लिए जाते हैं। वे उपयोगी हैं या नहीं इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कहां से व किसने दवाइयां व औजार खरीदे हैं। मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में भी कोई व्यवस्था करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे डूंगरपुर में गत 2–3 साल से ग्रामीण हॉस्पिटल का निर्माण किया है। वैसे नियम है कि जिला हैड क्वार्टर में एक ही चिकित्सालय खोला जाता है लेकिन मैं समझता हूं कि डूंगरपुर का जो सेकिण्ड व थर्ड ग्रेड का हॉस्पिटल है वहां आवश्यकतानुसार शैय्यायें नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, औजार नहीं है, पर्याप्त एक्सरे की व्यवस्था नहीं है। तो शहर का जो हॉस्पिटल है इसकी उपयोगिता को देखते हुए वहां उन्नत रैफरल हॉस्पिटल खोला जाना चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी वहां पर गए थे। मेरा ख्याल है आपने कई आश्वासन भी दिए हैं लेकिन उसकी क्या प्रगति है मुझे मालूम नहीं। जब आप उत्तर दें तो इस बारे में कोई प्रकाश डालेंगे तो मेरे ख्याल से डूंगरपुर की जनता के लिए फायदा होगा।

मैं अब मेरे डूंगरपुर विधान सभा क्षत्र में जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है उसमें अधिकांश डॉक्टर शहरों में जाते हैं। शहरों में इसलिए जाते हैं कि वहां मनमाना पैसा मिलता है, प्राइवेट प्रेक्टिस करने का मौका मिलता है इसलिए मेरा सुझाव है कि आप जब नई नियुक्ति करें तो उनको यह पाबन्द करें कि आप 2 या 3 वर्ष गांवों में सेवा देंगे इसके बाद आपको शहर में लाया जायेगा या ट्रेनिंग में भर्ती करते समय भी आप पाबन्द कर सकते हैं कि आपको प्रवेश दे देते हैं लेकिन आप सर्वप्रथम गांवों में जायेंगे। इस तरह की कोई न कोई इसके साथ शर्त लगाओ क्योंकि गांवों में काफी

(श्री नाथूराम अहारी)

पी. एच. सी. व डिस्पेंसरीज डॉक्टरों के अभाव में बंद पड़ी हैं और लोग परेशान होते हैं तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अहारी साहब पूरा कीजिए।

श्री नाथूराम अहारी : मान्यवर, रविवार के दिन छुट्टी रखी जाती है, हाफ डे रखा जाता है। बीमारी कभी छुट्टी नहीं देखती है, बीमारी तो किसी भी समय आ सकती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि रविवार के दिन भी वर्किंग डे हो और किसी डॉक्टर की 24 घन्टे ड्यूटी वहां लगे क्योंकि बीमारी अचानक आती है कोई कहकर नहीं आती है इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए। छुट्टी पर जाने वाले डॉक्टर के लिए रिलीवर डॉक्टर होना चाहिए। यह नहीं हो कि डॉक्टर नहीं है तो कोई बीमार वापस जाय, यह ठीक नहीं है।

मलेरिया के बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि मलेरिया विभाग में जो डी. डी. टी. छिड़की जाती हैं, मेरे ख्याल से विभाग इसमें कोई नजर नहीं रखता है। उसमें शॉफस्टोन की मात्रा ज्यादा बढ़ा दी गई है और जो मच्छर हैं वे उस दवाई के आदी हो गए हैं उससे मरते ही नहीं है और यह भी देखा गया है कि 2–3 साल से आपको राज आया है इसलिए पता नहीं लेकिन 12 महीने मच्छर जाते ही नहीं है। अभी मच्छरों का टाइम नहीं है लेकिन अभी भी मच्छर हैं। यह क्या कारण है ?

श्रीमती तारा भण्डारी : वो तो +++ है।

श्री नाथूराम अहारी : मेरे ख्याल से सरकार आई है उसके बाद से या तो दवाई में मिलावट होती है या फिर आपसे इनकी दोस्ती है। मच्छरों की तादाद बढ़ गई है और यह भारी समस्या बनी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए अहारी साहब।

श्री नाथूराम अहारी : अब मैं यहां डूंगरपुर के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : डूंगरपुर का कह दिया आपने।

श्री नाथूराम अहारी : डूंगरपुर में मेरे क्षेत्र में दांबड़ी पीं. एच. सी. है मुझे समय तो याद नहीं है लेकिन 25-30 साल हो गए वह पी. एच. सी. हैं और उसके चारों तरफ 15–20 पंचायतें हैं। उनको कम से कम पच्चीस-तीस किलोमीटर उसकी सुविधा के लिए जाना पड़ता है। मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इस वर्ष धामड़ी पी. एच. सी. को आप रेफरल हास्पीटल में क्रमोन्नत करेंगे तो मेरे डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नाथूराम अहारी)

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा का ध्यान रखिये।

श्री नाथूराम अहारी : मिनी हेल्थ सैंटर, बोखड़ापाल, कोलखण्डापाल, डेबल पाल, रघुनाथपुरा, बलवाड़ा, भोजातक का ओला–इनके लिए मैं निवेदन करता हूं कि इनमें आप मिनी हेल्थ सेंटर खोलें क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी पालें हैं, यहां उसका अभाव है। अंत में मैं सब सेंटर के बारे में भी निवेदन करता हूं कि रतनपुरा, तोरणिया, पाटली, सजूरिया, बचरिया, सिमलवाटी गांवों में सब सेन्टर खोलें जायें।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, आप देख रहे हैं कि हाउस में जो अधिकारी बैठे हैं वह अपनी असेम्बली अलग लगा रहे हैं। व्यवस्था दीजिए थोड़ी।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सदन में बैठते समय बातें मत कीजिए आप।

श्री नाथूराम अहारी : मैंने इस मांग पर आपके माध्यम से सरकार को निवेदन किया, ज्यादा प्रगति करेंगे और उत्तर देते समय जो हमने सुझाव दिये, इस बारे में कुछ प्रगति बतायेंगे। जय हिन्द धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय श्री अर्जुनदास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग नम्बर 26 के सम्बन्ध में सदन विचार कर रहा है और मैं भी उसके पक्ष में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं समझता हूं कि मैं अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी तरह से नहीं कर पाऊंगा यदि मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद नहीं दूं कि उन्होंने राज्य का छठा मेडिकल कालेज कोटा में खोला। हालांकि बहुत पूर्व लम्बित मांग थी और इस पूर्व लम्बित मांग को पूरा करने में जो कुछ भी उनका योगदान रहा कोटा के लिए, निश्चित रूप से वह बधाई के पात्र हैं और मैं अपनी ओर से, वहां के नागरिकों की ओर से उनको निश्चित रूप से धन्यवाद देता हूं। दूसरा मैं उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आज डाक्टरों की भर्ती में, पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती में, दूर-दराज गांवों में डाक्टर पहुंचे और डाक्टर गांव में रह भी सके, इस बात की भी व्यवस्था करने का उन्होंने पूरा-पूरा उत्तरदायित्व निभाया है, उसके लिए भी मैं निश्चित तौर से उनको धन्यवाद देता हूं। किन्तु केन्द्रीय मापदण्डों के आधार पर एक मान्यता है कि हजार नागरिकों के पीछे या हजार लोगों के पीछे एक डाक्टर रहना चाहिए। राजस्थान में यह स्थिति 1600 से लेकर 1800 तक नागरिकों के बीच में आती है और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से अभी बहुत कुछ करना बाकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एक ऐसी योजना बना कर केन्द्रीय सरकार को भेजेंगे जिसमें हजार लोगों, को, खुद को भी उपचार की वह सुविधा मिल सके जो राजस्थान में अभी 1600 लोगों के ऊपर एक डाक्टर है। हजार लोगों के ऊपर एक डाक्टर की उपलब्धता यदि हो सके तो बहुत उपयुक्त होगा। जनवरी; 1992 में

(श्री अर्जुनदास मदान)

स्वास्थ्य मंत्रियों की एक सेमीनार, एक कांफ्रेंस दिल्ली में हुई। उसमें स्वास्थ्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि जितने भी 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं, वृद्ध हैं, जितने विकलांग हैं, जितने अपाहिज हैं, जितने गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं, जितनी विधवाएं हैं, उन सब लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं निशुल्क उपलब्ध होंगी। मैं मानता हूं कि निर्देश होंगे, आदेश होंगे किन्तु इन आदेशों से मंत्री महोदय, शायद मैं समझता हूं कि उसकी पूर्ति नहीं हो पायेगी। उसके लिए तो निश्चित रूप से आपको नियम बनाने होंगे, निर्देश देने होंगे और यदि आप यह कर सकेंगे कि इन पांचों केटेगरी के लिए 15-20 प्रतिशत शैय्याओं का आरक्षण इन्हीं लोगों के लिए हो, और यदि कोई भी विधवा, कोई भी अपाहिज, कोई भी अपंग आदमी या कोई भी 70 साल से ज्यादा उम्र का आदमी या गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला आदमी बीमार होकर आता है तो उन बीस प्रतिशत शैय्याओं के ऊपर उसका आरक्षण हो सकेगा। इस सारी व्यवस्था के बावजूद भी, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं उपाध्यक्ष जी के माध्यम से इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि विभाग में कहीं-कहीं पर बहुत ही ज्यादा करप्शन है। मानता हूं मैं, कि वह आपके कारण से नहीं है। पुरानी गन्दगी आपके दरवाजे पर पटक दी गई। एक लावारिस औलाद मान लीजियेगा मेरी झोली में लाकर पटक दी जाय तो उसे पालने-पोसने का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर ही आ जाता है। जिम्मेदारी एक ऐसी आ गई, आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिसका करीब सात करोड़ का बजट है, सवाई मानसिंह हास्पीटल का, सात करोड़ के बजट में 1984 से कोबाल्ट थेरेपी मशीनें मंगाई गई और 1984 में 24 लाख की लागत की यह मशीन आज 24 लोगों का उपचार भी नहीं कर सकी है और वह आज बिल्कुल वैसी की वैसी ही पड़ी है। दूसरी तरफ एन्ज्योग्राफी के लिए आप सवा सौ करोड़ रुपये की मशीन पिछली बार लायें। दुर्लभ जी, अस्पताल में भी आई, पिछली बार आई, वहां तो लग गई किन्तु यहां पर अभी भी वह डिब्बों में बंद पड़ी है। इसी तरह से मैं पहले भी निवेदन कर रहा था कि 62 लाख की मशीन, पिछली बार कोबाल्ट थेरेपी मशीन के बारे में आपने एक आर्डर दिया था, आ भी गई, किन्तु अभी तक भी लगी नहीं। कैंसर का मरीज आज दूर-दराज में कभी बीकानेर जाता है, कभी टाटा मेमोरियल हास्पीटल जाता है अपना उपचार कराने के लिए, किन्तु आज वह सुविधाएं जो राजस्थान में उपलब्ध होनी चाहिए, उतनी मात्रा में हमें आज उपलब्ध नहीं हो पा रही है। माइक्रो स्टेटेलाइजर है आपका, 10 लाख रुपये का दस वर्षों से बिल्कुल बेकार पड़ा है। सेन्टर मोनीटर जो कि इन्टेन्सिव केयर यूनिट्स में लगता है, 16 लाख रुपये का माननीय उपाध्यक्ष जी, 1984 से पड़ा है। आप कल्पना कर लीजियेगा कि गहन उपचार के लिए जो इन्टेन्टिव केयर यूनिट बनती है वहां पर भी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। उसके ऊपर पैसा खर्च करने के बावजूद भी हम उस व्यवस्था को नहीं जुटा पाये। एक यूरिन का पॉट लेने के लिए यदि कोई हरिजन तक जाता है तो उस आदमी को लघु शंका के लिए दो रुपये या एक रुपया देना

(श्री अर्जुनदास मदान)

पड़ता है। आपरेशन मेरा हो जाता है, किन्तु आपरेशन थियेटर से उठा कर यदि मैं अपने वार्ड तक ले जाया जाता हूं तो मरे से पांच और दस रुपये ले लिये जाते हैं। यह मैं नहीं कहता, मैंने जैसे पहले निवेदन किया, यह सारा उत्तरदायित्व, सारी जिम्मेदारी इनकी नहीं है, बहुत पहले की गन्दगी है। लेकिन इस गन्दगी की सफाई करने का उत्तरदायित्व इसलिए मंत्री महोदय आपके कंधों पर आया है और मुझे विश्वास है कि सबलता के आधार पर और आपके विश्वास के आधार पर आप उसकी पूर्ति करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आप देखियेगा, आज जांच के लिए कोई मशीन आती है, जयपुर के अन्दर भी, मुझे भी ध्यान में नहीं, एक अखबार में पढ़ा था कि जहां पर जांच की जाती है वहां पर डाक्टरों के दस लाख रुपये के इस प्रकार के वाउचर्स मिले कि उनको पेमेन्ट किया गया उस जांच करने वाले व्यक्ति के द्वारा। मैं तो यहां तक मानता हूं कि जो मशीनें आज बंद रहती हैं, वह बंद केवल मात्र खराबी की वजह से नहीं रहती बल्कि बाहर के लोग उनको प्रेरित करते हैं कि आप इस मशीन को बंद करके रखिये ताकि यह मशीन बंद रहेगी और अन्दर यूरिन का टेस्ट कराने वाला, ब्लड का टेस्ट कराने वाला आदमी अन्दर न रह कर बाहर आयेगा और मेरी जेब भरेगी। उपचार की स्थिति यहां तक दयनीय है कि एक आदमी का एक चीज का मान लीजियेगा आपको उसका यूरिन टेस्ट करवाना है, डाक्टर प्रिस्क्रप्शन में लिख देगा पांच या सात, आप इनका टेस्ट करा दीजियेगा, जिसकी जांच जरूरी होगी उसके ऊपर एक नुक्ता या बिंदी लगा देगा और बिंदी लगा देने के बाद जब वह मरीज बाहर आयेगा तो इन बाकी छह या चार पर तो एन. ए. डी कर दिया जायेगा, नथिंग एब्नोर्मली डिडक्टेड। कोई किसी प्रकार की अनियमितता इस प्रकार की नहीं पाई गई किन्तु जिसका टेस्ट करना है उसका केवल मात्र टेस्ट होगा। पैसे ले लिये जायेंगे छह टेस्टों के, टेस्ट किया जायेगा केवल मात्र एक। पांच के आगे एन. ए. डी. लिख दिया जायेगा और पूरे का पूरा पैसा उस मरीज से लिया जायेगा। एक का पैसा उसकी अपनी जेब में रहेगा और बाकी 50-50 या 60-60 के बंटवारे में बंट जायेगा। यह दयनीय स्थिति है आज करप्शन की। यह यहां ही नहीं, और भी कई स्थानों पर है। इसके सम्बन्ध में जब बात आगे बढ़ी थी तो यहां के हाई कोर्ट ने कासलीवाल कमीशन का गठन किया और उन्होंने यह कहा कि जिन लोगों ने इस प्रकार की मशीनें खरीदी हैं, जो लोग उसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने समाज के साथ अपराध किया है, यदि ऐसी मशीनें मरीज का उपचार नहीं कर रही हैं तो उसको खरीदने वाले का उपचार आप करें। इस ध्येय के कारण एक कासलीवाल कमीशन की नियुक्ति हाई कोर्ट ने करवाई। राज्य सरकार ने एक बेरी कमीशन का गठन किया था और ऐसी मान्यता थी कि यह सारी विशेषताएं जब मिलकर के और इनकी रिपोर्ट जब आयेगी तो उन दोषी व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने समाज के साथ अपराध किया है, जिन्होंने रोगियों के साथ खिलवाड़ किया है, उनको निश्चित रूप से उनके अपराध का दण्ड मिलेगा। किन्तु आज तक

(श्री अर्जुनदास मदान)

भी न जाने सरकार क्यों मौन है और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी उस कासलीवाल कमीशन का क्या हुआ, उस बेरी कमीशन की रिपोर्ट का क्या हुआ। इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह आज भी बना हुआ है। मैं एक और अनियमितता के बारे में निवेदन कर दूं और मंत्री महोदय को निश्चित रूप से ध्यान होगा कि 1976 से 86 तक कम से कम सात और आठ लाख का गबन केवल मात्र कॉटेज वार्ड के अलाटमेंट में हुआ। मान लीजियेगा, 22 रुपये चार्ज किये गये, कुछ भी किये गये, नीचे की कॉपी पर तो 22 लगा दिये गये, ऑरिजनल पर 120 दे दिये गये। मैंने 120 रुपये दिये, सरकार में 22 रुपये ही जमा हुए। कुल मिलाकर सात-आठ लाख रुपये का निरन्तर दस वर्षों तक गबन करने वाले, अधिकारी भी आज उससे वंचित हैं। आज उनके खिलाफ, कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है इसके ऊपर भी बहुत विचारणीय प्रश्न है। निश्चित रूप से मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे अपराधी लोग जो समाज के साथ विशेषकर उपचारों के बीच में भी किसी प्रकार की, समाज के साथ बड़ी निर्दयतापूर्वक केवल मात्र मान लीजिएगा जीवन का एक ध्येय बनाकर वह आये कि कितना पैसा हमें इकट्ठा करना है, कितना उपार्जन करना है, वह समाज के साथ खिलवाड़ करते हैं और बड़े मजे की जिन्दगी बिताते हैं और उनके खिलाफ चार्जेज रखने के बाद भी हम कोई कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। कार्यवाही होगी, यह मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निश्चित रूप से विश्वास है।

अब इसके उपरान्त माननीय मैं आपसे केवल मात्र एक और भी निवेदन करना चाहता हूं बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आबादी के संबंध में। आज आबादी के संबंध में देश की यह स्थिति है माननीय कि पूरे समाज में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा आबादी यदि बढ़ती है तो बंगलादेश की बढ़ती है। दूसरे यदि कहीं आबादी बढ़ती है तो हिन्दुस्तान में बढ़ती है और इस हिन्दुस्तान के समस्त प्रान्तों में भी यदि किसी की आबादी बढ़ती है तो मेरे राजस्थान की बढ़ती है। पिछले दस साल का, पिछले डिकेड का यह जो आंकड़ा आया है 1991 का उसमें ऐसा लगता है कि 16, 06 प्रतिशत आबादी इस देश में बढ़ी है जबकि राजस्थान की आबादी 20 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ी है। 92 लाख आदमी पिछले 81 से लेकर 91 तक इस राजस्थान में बढ़ गये। हो सकता है कुछ माइग्रेशन हुआ हो किन्तु आबादी की रफ्तार जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है कि हिन्दुस्तान में यदि सबसे ज्यादा कहीं बढ़ रही है तो केवल मात्र मेरे राजस्थान में बढ़ रही है। हम प्रगति की योजनायें बनाते हैं, राजस्थान में बनाते हैं, देश में बनाते हैं और प्रगति का सूरज इसके पहले कि धरती पर अपनी किरणें बिखेरे किन्तु यह बढ़ती हुई आबादी का यह आवरण यह धुंध आगे आकर सारी बढ़ती हुई इस प्रकार की जो योजनायें हैं उसके ऊपर एक धुंध बन कर ढांप लेता है और जो प्रगति के सूर्य के किरणें धरती के लोगों तक और मकानों तक आनी चाहिए थीं वह नहीं आ पा रही है। उसके

(श्री अर्जुनदास मदान)

लिए केवल मात्र एक रोग है। राजनैतिक प्रतिबद्धता मान्यवर मेरी कोई भी हो, मैं किसी भी पार्टी से संबंधित हूं यह अपनी अलग बात है किन्तु आज मेरे दायीं और बाईं ओर जितने भी सदन के माननीय सदस्य बिराजे हैं उनके साथ एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता भी है और वह राष्ट्रीय प्रतिबद्धता यह है कि केवल मात्र इस बढ़ती हुई आबादी पर यदि नियन्त्रण नहीं किया गया यदि देश की पैदावार कितनी भी बढ़ती चली गयी, एक ओर आप आयु बढ़ाते चले जा रहे हैं और अब आपने यह तय कर लिया कि 60 साल तक इस हिन्दुस्तान का आदमी जीता है, बच्चों के मरने की संख्या कम होती चली जा रही है बहुत खुशी की बात है किन्तु साथ-साथ यदि बढ़ती आबादी चली गयी तो मैं आप से निवेदन करता हूं कि यह जो खाई पैदा होगी उसको कौन पाटेगा ? कौन उसकी पूर्ति करेगा ? समस्या केवल मात्र इस बढ़ती हुई आबादी की नहीं है बल्कि इस बढ़ती हुई आबादी के कारण जो समस्यायें बनती हैं वह भी हैं। आज यातायात की समस्या हैं आबादी के कारण, लोगों को मकान नहीं मिलते इस आबादी के कारण, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं आबादी कारण, आज उसके लिए जैसा मैंने निवेदन किया कि राष्ट्रीय प्रतिबद्धता किसी भी व्यक्ति विशेष की कोई भी हो सारे राजनैतिक दलों को बैठकर इसके ऊपर चिन्तन और मन्थन करना पड़ेगा मान्यवर कि किस प्रकार हम देश की बढ़ती हुई आबादी के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। यह मेरा इस बारे में भी एक निवेदन था ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदान साहब पूरा कीजिए।

श्री अर्जुनदास मदान : केवलमात्र माननीय मैं तो पहले ही बहुत कम बोलता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा बोलते हैं आप।

श्री अर्जुनदास मदान : अच्छा बोलता हूं यह तो आपकी कृपा है लेकिन आप सुन लें अच्छा बोलता हूं तो।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे साथ टाइम सीमा बंधी हुई है। कृपया सहयोग कीजिए।

श्री अर्जुनदास मदान : ....में आपसे निवेदन कर रहा था कि जो बढ़ती हुई आबादी के लिए कहते हैं कि हम स्त्रियों को सिखायेंगे। मैं छोटा सा सवाल करता हूं कि आज मेरे इस प्रान्त के 30 जिलों में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर साक्षरता दस प्रतिशत से भी कम है और उसमें भी जो दूरदराज के रहने वाले दूसरे लोग है उसमें तो 3 प्रतिशत महिलायें पढ़ना ही नहीं जानती, साक्षर ही नहीं है उनको परिवार कल्याण के लिए हम क्या सिखायेंगे ? मेरा तो केवल मात्र इतना ही निवेदन है कि इन्डोनेशिया ने एक ऐसे इन्जेक्शन का ईजाद किया था जो लगाने के बाद 5 साल तक तो बच्चा पैदा नहीं होता कम से कम एक बच्चे और दूसरे बच्चे की दूरी 5 साल तक हो रही है। आज चाहे वह मुस्लिम कन्ट्री है, अभी मेरे सामने माननीय माहिर आज़ाद साहब कुछ बोल रहे थे किन्तु आज चाहे इन्डोनेशिया ले लीजियेगा, मेलेशिया को ले लीजियेगा उन्होंने तो बढ़ती हुई आबादी पर पूरा नियन्त्रण कर ही लिया बाकी

(श्री अर्जुनदास मदान)

पाकिस्तान भी आज इस तरफ बढ़ रहा है किन्तु मेरा हिन्दुस्तान इस ओर चिन्तित ही नहीं है जब कि सारी समस्याओं की जड़ केवल मात्र बढ़ता हुआ परिवार है....

श्री उपाध्यक्ष : अब पूरा कीजिए। पंडित रामकिशन जी

श्री अर्जुनदास मदान : अच्छा माननीय दो मिनट और लूंगा। कोटा के बारे में एक और निवेदन कर दूं....

श्री उपाध्यक्ष : कोटा के बारे में मेडिकल कालेज की प्रशंसा कर ही दी और क्या रह गया ?

श्री अर्जुनदास मदान : मैं केवल मात्र इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के राज्य को सबसे ज्यादा यदि कहीं से पैसा आता है तो कोटा से आता है। मानता हूं कि आज रेवेन्यु के अन्दर गंगानगर ज्यादा होगा किन्तु इन्कम टैक्स के नाम पर या सेल्स टैक्स के नाम पर कोटा सबसे ज्यादा पैसा देता है....

श्री हेतराम बेनीवाल : वह सेन्टर को जाता है।

श्री अर्जुनदास मदान : सेन्ट्रल गवर्नमेंट से उसका कुछ अंश मिलता है। मैं जो बात कहता हूं अगर में गलत होऊंगा तो आपसे क्षमा मांग लूंगा। जब मैं सदन में कुछ बोल रहा हूं तो पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं। मैं आपको कहता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पैसा देता है तो कोटा देता है....

श्रीमती तारा भण्डारी : मंत्रियों का कोटा भी कोटा में जाता है....

श्री अर्जुनदास मदान : कोटा के साथ तारा जी सौतेला व्यवहार होता रहा है हमेशा....

श्री हेतराम बेनीवाल : फिर सगा व्यवहार किससे है यह तो बताइये।

श्री अर्जुनदास मदान : ...तो केवल मात्र मैं इतना निवेदन कर रहा था कि आज कोटा में फैक्ट्रियां ज्यादा हैं, खानें बहुत हैं, खनन बहुत होता है, आवागमन के साधन बहुत हैं और इसीलिए रात दिन एक्सीडेन्टस होते रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम एक इमरजेन्सी वार्ड 50 शैय्याओं का निश्चित रूप से वहां बनना चाहिए। वहां पर एक इन्सेन्टिव केयर यूनिट बनना चाहिए, यह मेरी दूसरी मांग है माननीय मंत्री महोदय से और इसके बाद इन्सेन्टिव केयर के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय 25 लाख रुपये डी. सी. एम. ने दिये भी थे और वहां के लिए मशीनें भी खरीदी गयीं किन्तु वह छत पर पड़ी रहीं, धूप खाती रही, घटा खाती रही, धूल और धूप खाती रही किन्तु उसके बावजूद हमारे बांसवाड़ा के माननीय मुख्य मंत्री महोदय उसको उठाकर ले गए लेकिन आज तो कम से कम हमारा घर है, आज तो हम इसके प्रति सोच सकते हैं। तो इन्सेन्टिव केयर कोटा में बने। महिलाओं का एक सर्जीकल वार्ड हो। 6 डाक्टर हैं केवल मात्र 36 का वार्ड है यानें एक डाक्टर के पीछे 6 शैय्यायें आती हैं। आज एक महिला मरीज आती है तो मान-

(श्री अर्जुनदास मदान)

नीय मेरा आपसे केवल मात्र इतना ही निवेदन है कि सर्जीकल वार्ड के ऊपर भी ध्यान दिया जाये और साथ ही साथ मेडिकल कालेज के अस्पतालों में प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द हो, स्वास्थ्य सेवाओं को आवश्यक सेवायें घोषित की जायें क्योंकि आये दिन हड़ताल हो जाती हैं और बन्द की वजह से कुछ काम भी नहीं कर पाते हैं, मैं यह विश्वास करता हूं कि जो भी यह आवश्यक सेवायें हैं स्वास्थ्य सेवायें इनको आवश्यक सेवाओं की संज्ञा में डाला जायेगा। इसी बात के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन जी

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन जिस मांग पर चर्चा कर रहा है वह हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण मांग है, हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण मांग है, समस्या है और समस्या कई तरह से है। जितना राष्ट्र स्वस्थ होगा उत्पादन ज्यादा गति भी उतनी ही ज्यादा तेज होगी। जितना राष्ट्र या राज्य रोगी होगा उस राष्ट्र का उत्पादन भी बहुत कम होगा। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो यह मानकर चलते हैं कि राजस्थान बनने के बाद और राजस्थान में से सामन्तवादी व्यवस्था समाप्त होने के बाद निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। हमारे राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी और जिन हालात में राजस्थान बना, जिन हालात में राजस्थान की आर्थिक स्थिति थी उसके लिए मैं बहुत कुछ इस सरकार या पिछली सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकता। जो भी हुआ है वह हमारे हिसाब से काफी सन्तोषजनक हुआ है लेकिन उपाध्यक्ष महोयय, समस्या यह नहीं है कि सेवाओं का विस्तार हो अस्पताल खुलें, डिस्पेन्सरी खुलें, स्वास्थ्य केन्द्र खुलें लेकिन आज डाक्टरों की हालत यह है उपाध्यक्ष महोदय कि डाक्टर मौके पर पहुंचते नहीं हैं और लोगों का इलाज नहीं करते। अब इस बात को दुबारा दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह मंत्री जी भी जानते हैं और सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य भी इस बात को समझता है। सवाल यह है कि इसका इलाज क्या किया जाये ? इसका इन्तजाम क्या किया जाये ? तो पहले तो तर्क यह दिया जाता था कि गांवों में सुविधायें नहीं हैं। सुविधाओं का अभाव है इसलिए डाक्टर गांवों में जाना नहीं चाहते हैं। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में काफी गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली है, सड़कें हैं, पानी है और हाई स्कूल तक आज पढ़ने का इन्तजाम है लेकिन वहां नये डाक्टर भी नहीं जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि इस प्रोफेशन में जो सेवा की भावना थी उसके साथ उनको ट्रेण्ड नहीं किया गया, उनको जोड़ा नहीं गया। तो एक समस्या तो मैं माननीय मंत्रीजी आपके सामने यह रखना चाहता हूं और इस सारी स्थिति को सुधारने के लिए आपने क्या किया ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने इस सदन में बहुत घोषणायें कीं। इतनी

(श्री रामकिशन)

घोषणायें कीं कि शायद वाल्मिकी रामायण को लव और कुश याद रख सके थे लेकिन मा. मंत्रीजी की घोषणाओं को शायद मंत्रीजी और इनकी पत्नी भी याद नहीं रख पायेंगी। इतनी घोषणायें इन्होंने लम्बी चौड़ी की थी। उनकी सन्तान याद रख सकी थी रामायण को, इनकी घोषणाओं को याद नहीं रख सकते। लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आप एनर्जेटिक भी हैं, आप कोशिश भी करते हैं, मेरा आप पर कोई आरोप नहीं है लेकिन केवल आप लोगों से मिलते तो हैं ही नहीं। आपकी तलाश करना और किसी घोषित अपराधी की तलाश करना दोनों समान हैं, उपाध्यक्ष महोदय। मेरा मतलब अपराधी की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। इसके सन्दर्भ को बदलकर कहीं प्रिवलेज मोशन ले आयें मेरे खिलाफ, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरा मतलब है आपके यहां कभी कोई सूचना मांगिये तो मंत्री जी दौरे पर गये हैं, मंत्रीजी गोवर्धन की परिक्रमा को गये हैं, मंत्री जी नागौर गये हैं, मंत्री जी पाली गये हैं। तो एक राजनेता की हैसियत से जो आपकी आकांक्षायें हैं दौरा करके जनमत समर्थन करो और अपने दल का नेतृत्व प्राप्त करो उसके लिए तो मैं बुरा नहीं मानता हूं लेकिन आपको इन दौरों से नुकसान कितना होता है मैं इसके संबंध में आपसे जिक्र करना चाहता हूं। आपसे कोई समस्या लेकर मिलना चाहे तो आपसे कोई मिल सकता है ? यह सम्भव है ? मैं समझता हूं कि शायद यह सम्भव नहीं है और यह सम्भव नहीं है इसलिए जितना आपका रोब शुरू में पड़ा था वह अब रोब खत्म होता चला जा रहा है। कोई किसी की शिकायत करने वाला नहीं है। मंत्रीजी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अब इन दौरों को थोड़ा कम कीजिए। राजस्थान में आपने सब जगह सम्पर्क कर लिया और अपने दल में जितनी पैठ बनानी थी बना ली। आगे लीडरशिप का फैसला कर लेना लेकिन आप दौरा किस काम के लिए करते हैं ? मुझे समझाओ तो सही जरा आपके दौरों के पीछे कोई अस्पताल के निरीक्षण के बाद कोई सुधार हुआ है, ऐसा मुझे कोई लगता नहीं है। आपने बड़ी घोषणायें की वह चर्चा में नहीं करूंगा, गड्ढा नहीं मिलना चाहिए सड़क पर। अब मैं उन गांवों में ले चलूं आपको जहां गड्ढा क्या आप कभी उन पर निकल ही नहीं सकते। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी जो, जिस तरह से एनर्जेटिक हैं, उनकी सूझ भी बिल्कुल साफ है, समझ भी बिल्कुल स्पष्ट है लेकिन राजनीतिक कारणों से इस विभाग पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इसलिए उनसे निवेदन करता हूं कि अब इस विभाग पर ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, एक मुझे इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देने हैं। आज विज्ञान दिन प्रति दिन तरक्की कर रहा है। हर चीज में नये शोध और नयी खोज हो रही है तो एक व्यवस्था मंत्री महोदय, आप यह कर सकते हैं कि यह मेडिकल कालेजेज में जो प्रोफेसर्स आदि हैं, इनके जिन-जिन जिलों से सम्बन्धित कालेज हैं उपाध्यक्ष महोदय, जैसे जयपुर डिवीजन है। जयपुर डिवीजन के 7, 8, 10 अस्प-

(श्री रामकिशन)

ताल हैं तो मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज के जितने भी आपके प्रोफेसर आदि हैं उनको दो दिन के लिए 5, 7, 8 दिन के लिए जिला अस्पतालों में भेजा जाना चाहिए इसका नतीजा यह होगा कि वहां अगर कोई आपरेशन हो रहा है और वहां का कोई सीनियर सर्जन जाता है या एक वरिष्ठ योग्यता प्राप्त सर्जन जाता है तो वहां के सर्जन को भी ज्ञान मिलेगा, उसकी तकनीक में विकास होगा। इसी प्रकार जिला अस्पतालों में काम करने वाले जितने भी डॉक्टर हैं उनको हमें डिस्पेंसरी में भेजना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि 7 दिन का, 10 दिन का समय रखें, 2 दिन का समय रखें लेकिन कुछ न कुछ समय इस मामले में रखना चाहिए जिससे ज्ञान का आदान-प्रदान होता रहे, प्रेरणा मिलती रहे और रोगियों को भी विश्वास मिलता रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मुझे और करना है आपसे इस सम्बन्ध में। हम सब तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मंत्रीजी भी बहुत कोशिश करते हैं भ्रष्टाचार विलीन हो जाय, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाय लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है, अब इस उम्र में आकर मैं ऐसी राय का हो गया हूं कि पूंजीवादी समाज में, व्यक्तिगत सम्पत्ति वाले समाजों में सम्पूर्ण भ्रष्टाचार का उन्मूलन तो सम्भव है ही नहीं। जब पूंजी रखने की छूट है तो पूंजी अर्जित करने के तरीके तो लोग निकालेंगे ही लेकिन कुछ ऐसे मामले हों जो आपके नोटिस में आ गये हों, बहुत-बड़े गम्भीर मामले हों उन पर भी अगर कार्यवाही नहीं होती है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार की विश्वसनीयता दिन प्रति दिन कम होती चली जा रही है। सरकार का डर लोगों के दिमाग में से निकलता जा रहा है और इसलिए जब हम भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं तो यहां माननीय मुख्य मंत्रीजी यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार की ज्यादा चर्चा करने से भी गड़बड़ी होती है। खैर, शुरूआत तो मुख्य मंत्रीजी ने ही की थी हम तो कोई चर्चा भ्रष्टाचार की करते नहीं थे। उन्होंने तो कोई भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ा साबित किये बगैर। मैं इस प्रसंग में नहीं जाना चाहता लेकिन हमने आपके पास बड़ी गम्भीर से गम्भीर शिकायतें भेजी, लोगों ने आपके पास गम्भीर से गम्भीर शिकायतें भेजीं, उन का कहीं चिट्ठी का जवाब भी जब नहीं जाय तो क्या हम यह मानकर चलें कि या तो भ्रष्टाचार है नहीं और अगर भ्रष्टाचार है तो उस पर आप कार्यवाही करने को तैयार नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं। आज हमारे देश में दवाइयों का हाल यह है कि अस्पताल से तो कोई दवाई मिलती ही नहीं, कितना बजट है, कितनी दवाई अस्पताल में जाती है? मैं इसके आंकड़ों के खिलाफ आपसे चर्चा नहीं करूंगा लेकिन आप कहीं चले जाइये, कहीं किसी को भेज दीजिए डाक्टर केवल अस्पताल से पर्चा लिख देंगे और अंधाधुंध दवाइयां खरीद ली जाती है। एक मरीज, एक गरीब मरीज, शायद संसार में सबसे ज्यादा महंगी दवाइयां हिन्दुस्तान में है और वे दवाइयां निरन्तर तेज होती चली जा रही हैं और इस जाल में सारे समाज

(श्री रामकिशन)

को फंसा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ तो इतना होना ही चाहिए कि मिनिमम् यह दवाई तो हर मरीज को अस्पताल से दी ही जायेगी। कुछ इतना तो आवंटन होना ही चाहिए। इतना ज्ञान, इतनी जानकारी भी देनी चाहिए लेकिन आज हालत यह है कि हम सारी दवाइयों पर बाजार पर निर्भर रहते हैं और उपाध्यक्ष महोदय, दवाइयों की क्या स्थिति है? इसके सम्बन्ध में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, एक हाथी कमेटी बनी थी सेण्टर की कमेटी थी। उस समय वे मंत्रीजी थे और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी और उस समय उन्होंने यह बताया था कि 99 प्रतिशत रोगों के लिए हिन्दुस्तान में 120 प्रकार की दवाइयां काफी हैं। 120 प्रकार की दवाइयां सजेस्ट की थी। उस कमेटी की रिपोर्ट सब राज्य सरकारों को भेजी, हम सब ने भी अध्ययन किया, लोकसभा के सदस्यों ने भी देखी, राज्य सरकारों ने भी उसको देखा लेकिन आज हमारे देश में 60 हजार नयी दवाइयों के नमूने प्रचलित हो रहे हैं। नतीजा यह होता है गुण में कोई फर्क नहीं, उपचार में कोई फर्क नहीं ब्राण्ड बदल दिया जाता और उस ब्राण्ड के नाम पर इतनी अंधाधुंध कमाई कर रही हैं बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कि अब की साल इन दवाई के मामले में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का जो हिसाब आया है, उन्होंने 18 अरब का मुनाफा कमाया है जिनमें 10 अरब का मुनाफा तो केवल उपाध्यक्ष महोदय, टोनिक्स पर कमाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आखिर इस तरह की दवाइयां क्यों प्रचलित हो रही हैं? मैं यह नहीं कहता जो रोग हैं उसके लिए उपचार के लिए दवाई नहीं मिले लेकिन देश को लूटने की छूट बहुराष्ट्रीय कम्पनी, डाक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से इस देश में दिये जा रहे हैं उस पर कहीं न कहीं तो कोई नियंत्रण लगाना चाहिए। कहीं न कहीं कोई सीमा तो बननी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां प्राइवेट प्रेक्टिस की बहुत बात की गयी। मैं इस सम्बन्ध में जो दूसरे माननीय सदस्य कह चुके हैं उन चीजों को नहीं दोहराऊंगा, उनकी मैं चर्चा भी नहीं करूंगा। आप इसे कैसे रोकेंगे, कैसे नहीं रोकेंगे इसके सम्बन्ध में तो मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज मेडिकल सर्विसेज, शिक्षा की सर्विसेज हैं, मेडिकल की सर्विस है यह हमारे देश की सबसे पवित्रतम् संस्थायें थीं। सेवा के सब से बड़े माध्यम थे। डॉक्टर का होना लोग यह कहते थे ईश्वर के बाद समाज में किसी का नम्बर है तो वह डाक्टर का नम्बर है। शिक्षक और डाक्टर इनका जो सम्मान था वह समाज में अद्वितीय था लेकिन इनका सम्मान क्यों था? इनका आचरण भी समाज में अद्वितीय था, एक आदर्श था इसलिए सारा समाज उनका सम्मान करता था। आज उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि जो दूसरे माननीय सदस्यों ने कहीं उनको नहीं दोहरा कर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे जयपुर मेडिकल कालेज को ले लें, चाहे बीकानेर, चाहे

(श्री रामकिशन)

अजमेर, चाहे उदयपुर मेडिकल कालेज को ले लें, इन बड़े-बड़े संस्थाओं मे जिस तरह के घपले हुए उनका आप सामान्य तौर पर अंदाज नहीं लगा सकते। बजट अंधाधुंध होता है। निरीक्षण होता नहीं। स्वायत्ता के नाम पर, किसी और नाम पर दखल नहीं दिया जा सकता और नतीजा यह होता है वहां एक तरह की लूट मची हुई है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी को एक उदयपुर मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में 12-1991 को एक ज्ञापन दिया था डाक्टर भण्डारी के खिलाफ जो उस समय वहां के प्राचार्य है उनके खिलाफ एक ज्ञापन दिया था और वह ज्ञापन इतना व्यापक है उपाध्यक्ष महोदय, कि आप अगर देखेंगे तो उसमें एक-एक पाइण्ट को बहुत साफ किया गया है। किस ने कहां गड़बड़ी की ? किस तरह भ्रष्टाचार किया गया ? इसकी पूरी मुख्य मंत्रीजी को चिट्ठी लिखकर आपको उसकी कापी दी गयी। राष्ट्रपतिजी को भेजी गयी, दूसरे लोगों को भेजी गयी और शायद डाक्टर चन्द्रभान का इसमें नाम है। यह उस समय जनता दल में थे अब भी हैं शायद। हैं, तो हैं, तो जनता दल में थे इसलिए इनके लिए भी एक चिट्ठी लिखी गयी थी.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : चन्द्रभान जी को भी चिट्ठी दी गयी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इतना गम्भीर आरोप और उनकी आपने जांच नहीं की ? और उस आरोप में स्थिति क्या है उपाध्यक्ष महोदय, वहां जो डाक्टर साहब हैं, मेरा व्यक्तिगत उन से कोई द्वेष नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं और मेरी कोई जान-पहचान भी नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो हलफनामा दिया है वह जरा सम्पत्ति का अंदाजा लगाइये, भूपालपुरा और अलकापुरी में 2 बंगले हैं जिनकी उन्होंने अपने हलफनामे में 50 और 20 लाख की कीमत बताई है, नम्बर एक। करीब 10 लाख रुपये के उनके पास 3–4 वाहन हैं। 3 मारुती कार हैं, स्कूटर हैं। दूसरी चीजों का उन्होंने खुद अपने हलफनामे में इस चीज को स्वीकार किया है। इस प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, बेनामी जमीन सज्जनगढ़ रोड पर 16 बीघा, सोखेर औद्योगिक क्षेत्र 5 और 7 बीघा, शिल्प गांव के पास 12 बीघा जमीन, सुखाड़िया सर्किल के पास मल्टि स्टोरी में उनके 2 फ्लैट हैं जिनकी कीमत करीब 15 लाख रुपये आंकी गयी है। बम्बई में एक 10 लाख रुपए का उनका एक प्लाट है उन्होंने अपने आप उसमें कीमत स्वीकार की है और इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जो होटल हैं उनमें उन्होंने अंश बताया है कि मेरा इनमें शेयर्स हैं तो उनमें लेण्टेड में हैं, पद्मिनी होटल चित्तौड़ में है, होटल फाउण्टेन में है, उत्सव होटल नाथद्वारा में है, होटल ईयर पेलेस में है होटल पार्क में है, आबू स्थित होटल में उनके शेयर हैं। अब यह उनका हलफनामा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, किसी व्यक्ति की दृष्टि से नहीं इतनी सम्पत्ति आखिर अर्जित कहां से कर ले और अगर

(7.00 सायं)

(श्री रघुवीरसिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

(श्री रामकिशन)

यह सम्पत्ति उन्होंने अर्जित की है आपके पास ज्ञापन आया था, मुख्य मंत्रीजी को लिखा गया था। बहुत-सी चिट्ठी-पत्री हुई। जिन्होंने आपको ज्ञापन दिया, जिन्होंने शिकायत की उन्हें एक रिसिप्ट का पत्र तो आपको दे देना चाहिए कि आपकी शिकायत मिल गयी है इस पर हम समय पर कार्यवाही करेंगे या कार्यवाही की जा रही है। इन चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, जब ऐसे भ्रष्टाचार के मामले हों, अब इन्होंने भ्रष्टाचार किया किस-किस बात में है इस सारी कहानी को समझाऊंगा तो काफी समय लग जायेगा। तो समापति महोदय, काफी समय लग जायेगा। मैं केवल इतना सा कह सकता हूं कि इनका चयन नहीं हुआ। विधिवत ढंग से प्रचार या इनका जो चयन होना चाहिए, इनका चयन नहीं हुआ। चयन हुआ, इनको अपाइण्टमेंट दे दिया गया जबकि नियम यह है कि चयन कमेटी के मार्फत ही इनका चयन होना चाहिए। चयन नहीं हुआ, यह सारी गड़-बड़ कैसे हुई ? इसका जिम्मेदार कौन है, यह आपकी जानकारी में होना चाहिए। इसी प्रकार इन्होंने जो खरीद फरोख्त की है, उसकी तो लम्बी लिस्ट है। मेरे पास बहुत लम्बी लिस्ट है। मैं आपको दे दूंगा अगर आप दिलचस्पी लेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए जरूर दे दूंगा, कार्यवाही करना आपके हाथ की बात है। लेकिन दो-तीन चीजें जो इन्होंने खरीदी हैं, मैं उसके संबंध में आपसे....

श्रीमती सुमित्रासिंह : पहली चीज तो एकनोलेज ही नहीं की।

श्री रामकिशन : हां, नहीं करेंगे। अब सदन में कह रहे हैं, हमारे पास कोई और तो इलाज है नहीं। उन्होंने कहा....

डा. चन्द्रभान : एकनोलेज ही नहीं की पहले वाली।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : देखिये मेरे पास कोई पत्र इस दृष्टि से नहीं पहुंचा। केवल एक खरीद के मामले में कोई रिपोर्ट आयी थी, जिसकी जाच करली, उसमें वह निर्दोष पाये गये। यह जिसका हवाला दे रहे हैं हलफनामे का और चयन का, ऐसा मेरे पास कोई रिप्रजेंटेशन नहीं आया और दूसरी बात निवेदन करता हूं, मैं प्रत्येक पत्र का जवाब देता हूं। कोई ऐसा नहीं है जिसके पत्र का जवाब मैं नहीं देता। यह तो गारण्टी है। आप यहां बैठे कह रहे हैं, उसके बारे में मेरा कहना है। मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था।

श्री रामकिशन : राजस्थान पत्रिका तो पढ़ते हैं ना। अगर राजस्थान पत्रिका नहीं होती तो आप और बी. जे. पी. गद्दी पर नहीं होते, इसे तो आप मानते हो ना। राजस्थान पत्रिका में जितना इसके बारे में लिखा है, आपने तो एक पत्र का भी अह-सान नहीं माना। उस पत्रिका की वजह से ही आप गद्दी पर बैठे हो। इसके अलावा आप में और कोई गुण नहीं है, केवल राजस्थान पत्रिका ने आपको नेता बनाया है और राजस्थान पत्रिका में इतने समा-चार छपे हैं इस संबंध में कि अगर उनकी आपको सारी लिस्ट दे देता हूं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप दे दीजिए।

श्री रामकिशन : अब आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जो खरीद की है, सारी खरीद तो बहुत लम्बी है, सदन का मैं समय नहीं लेना चाहता। इन्होंने एक डेण्टल चेयर खरीदी, आम तौर पर आप जांच कर लें....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कब खरीदी है।

श्री रामकिशन : यह खरीदी है 31.3.90 को। आप मतलब यह मत जोड़िये कि मेरे टाइम में नहीं हुआ। इनका और आपका सवाल नहीं है। आप राज सत्ता में हैं, जांच आपके लिए दी थी, शिकायत आपसे की गई थी इसलिए वह बहस नहीं है कि किसके टाइम में हुई थी।

डा. चन्द्रभान : 31.3.90 को तो यही थे।

श्री रामकिशन : हां, यह थे ना। तो एक डेंटल चेयर खरीदी गयी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह नहीं थे।

श्री रामकिशन : हां, 1990 में यही थे साहब, आप भी थीं, वह सब थे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्री जी ने 4 मार्च को शपथ ली थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप भी नहीं थी। यह क्या हो रहा है।

श्री रामकिशन : सभापतिजी, आप जांच कर लें, डेंटल चेयर आम तौर पर 9, 10, 11, 12 हजार की खरीदी जाती है. इससे ज्यादा की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। अब वह स्पेशल डेंटल चेयर इन्होंने खरीदी और उसका इन्होंने भुगतान किया 90 हजार रुपये का और 90 हजार भी जब टेण्डर निकाला तो एक विशेष प्रकार की डेंटल चेयर का जिक्र किया चामुण्डी' जो डेंटल चेयर होगी, वह खरीदी जायेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर चामुण्डी डेंटल चयर की आवश्यकता क्या थी? उदयपुर में कोई विशेष प्रकार के रोगी रहते हैं, या दांतों के विशेष प्रकार के रोग के लोग आते हैं, उनके लिए इस प्रकार की कोई चेयर की जरूरत पड़ गई थी। उसका 90 हजार पेमेण्ट किया गया और यह फर्म बंद और की। अगर इसे बैंगलोर से खरीदते तो शायद सस्ती पड़ सकती थी। यहां के किसी लोकल विक्रेता से जो यहां के एजेण्ट थे, उनका कमीशन जिसमें तय हो गया था, इस मशीन को उनसे खरीदा होगा और इसमें जितनी अनियमितताएं हो सकती थीं, की गई और इसका कोई टेण्डर नहीं लिया गया। एक कोटेशन लिया गया है जो इसी फर्म के दूसरे आदमी ने 80 हजार का दे दिया था। 80 हजार की बजाय यह 90 हजार में क्यों खरीदी गयी। यह शिकायत मुख्य मंत्री जी के पास बाकायदा रजिस्ट्री से कई बार आयी है, जिसकी कापी आपको दी गई। अब आपको नहीं मिली होगी, मैं तो आप का पूरा विश्वास करता हूं। मैं इससे इंकार नहीं करता लेकिन आपको नहीं मिली तो इसका मतलब है कि आप जो दौरा करते हैं, आपका विभाग आपको अंधकार में रखता है। अगर आप डाक देखते रहते, आप पढ़ते रहते, आप तो दो

(262)

(श्री रामकिशन)

अफसरों से कह जाते हो कि पी. डब्ल्यू. डी. को आप निपटा देना और डाक्टरों को आप देख लेना, इसका मतलब है सारी चीजों को छिपाते हैं, तो आपके दौरों का नुकसान यह हो रहा है कि इतना बड़ा स्कैंडल हो गया और आपने उसकी जांच नहीं की और आपके पास सूचना नहीं आयी, इससे गम्भीर बात और क्या हो सकती है। इसी प्रकार से इन्होंने एक पोर्टेबल अल्ट्रा साउण्ड मशीन खरीदी, इस मशीन को खरीदा गया साढ़े 4 लाख में। दुनिया में इस मशीन की कहीं भी 2 लाख से ज्यादा कीमत नहीं है। क्या प्रक्रिया अपनायी गई, किस तरह खरीदी गई, मैं उस सारे विवाद में नहीं जाना चाहता, पर इसका लिखा है 23 हजार डालर, करीब साढ़े 4 लाख में मशीन खरीदी गई और यह मशीन खरीदने के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वह नहीं अपनायी गई। एक दिल्ली की फर्म से इसको खरीद लिया गया और इसका पेमेण्ट कर दिया गया और इसमें तो ताज्जुब यही है कि आर्डर दिया गया 30 मार्च को, आप जरा देखेंगे 30 मार्च को सरकार से मंजूरी ली जाती है मशीन खरीदने की, 31 तारीख को आदेश दिया जाता है कि मशीन खरीदी जायेगी और 31 तारीख को उदयपुर के अस्पताल में उसी दिन पहुंच जाती है। इतनी ज्यादा एफीशियेंसी अगर हमारे देश में आ जाये तो देश पता नहीं कहां छलांग लगाने लग जाये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तारीख पूरी बता दीजिए।

श्री रामकिशन : हां, तारीख बता रहा हूं मैं आपको। 30 तारीख को आपके यहां से मंजूरी ली जाती है राज्य सरकार की और 31 मार्च को आर्डर दिया जाता है और 31 मार्च को ही मशीन पहुंच जाती है तो आप समझते हो इसमें मेन्यूपूलेशन नहीं है। आप अपने आप समझ गये होंगे कि इतना बड़ा इसमें मेन्यूपूलेशन है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इसमें क्या प्रक्रिया अपनायी गई, कौनसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी, इसे मैं फिर इसलिए छोड़ देता हूं मेरे पास समय नहीं है। चेयरमैन साहब बैठे हैं, शायद घण्टी नहीं बजा दें इसलिए मैं तीसरे आइटम पर आता हूं, इसी प्रकार से इन्होंने डेजर्ट कूलर खरीदे, कालेज के लिए बस खरीदी, जितनी चीजों की खरीद हुई है, उनमें कई-कई लाख रुपये का एक आइटम में गबन हुआ है, घोटाला हुआ है, बेईमानी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, अब इस सारे मामले को आपके सामने रखकर केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप यह कहते हैं कि मैं बहुत सक्षम मंत्री हूं, आप मुंह से भी कहते हैं, तो मैं भी कभी-कभी निकाल देता हूं मंत्री तो हैं। मैं भी कहता रहता हूं इस संबंध में कि एक ही मंत्री है लेकिन मुझे इस घटना के बाद यह मालूम पड़ा है कि और मंत्री शायद आपसे ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि वह रिप्लाई तो देते हैं। इस सूचना के लिए मैंने आपके यहां चार दिन टेलीफोन किया उदयपुर से आने के बाद, लेकिन आपके यहां से जवाब क्या आता है ? मंत्री जी अभी बात नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं ? मंत्री जी पूजा कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया है क्योंकि आप धार्मिक

(श्री रामकिशन)

पुरुष हैं, मोक्ष प्राप्त करना है, आप पूजा कीजिए और पांच मिनट बाद आपके यहां से जवाब आता है मंत्री जी तो पाली चले गये। अब आपने स्टाफ में कौन-कौन को रखा है, कम से कम इनको ट्रेण्ड कीजिए, इतना बड़ा असत्य यह कांग्रेस के लोग सिखा गये थे अपने स्टाफ के लिए और उसका दण्ड उन्हें मिल रहा है। राज सत्ता से बाहर पड़े हुए हैं बुढ़ापे में। आप जितना असत्य बुलवा रहे हैं, उसका नतीजा होगा आपको सड़क पर आना होगा। आप अपने स्टाफ से पूछिये हम जैसे आदमियों से टेली-फोन पर जब निरन्तर असत्य बोला जाता है, मैंने तो एक दिन आपके आदमी को भी डांट दिया था कि आपके यहां असत्य की कोई ट्रेनिंग देते हैं। तो यह सारी घटना मैं आपके सामने लाना चाहता था, सदन में आने से पहले, लेकिन कोई मौका मिलता नहीं, साक्षात्कार आपसे हो नहीं सकता, पता आपको लगता नहीं है और केवल आपके दौरे ही दौरे हुआ करते हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने विभाग को अगर संभालना चाहते हैं तो मैं....

श्री सम्पतसिंह : आप सवेरे के टाइम शाखा में आओ।

श्री रामकिशन : नहीं, यह शाखा में भी वहां असली मंत्र नहीं बतायेंगे। अगर मैं चला भी जाऊं बुढ़ापे में तो बतायेंगे थोड़े ही कि शाखा में होता क्या है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था....

डा. चन्द्रभान : मिलन हो जायेगा आपका।

श्री रामकिशन : यह भ्रष्टाचार का एक नमूना मैंने आपको दिया है। यह मामले कम से कम 80-100 हैं और इन सबकी मैं लिस्ट दूंगा तो यह बहुत लम्बा हो जायेगा। इसी प्रकार से इन्होंने एड-मीशन तक के मामलों में गड़बड़ की है। एक अभय लोढ़ा हैं, इनसे तो आप जरूर परिचित होंगे। खास तौर से देवपुरा जी उधर के क्षेत्र के रहने वाले हैं। भंवरलाल लोढ़ा के लड़के हैं, इनको किस तरह से एडमीशन दिया गया है। दूसरे का अधि-कार कैसे छीना गया, इनको एम. डी. में कस तरह से लिया गया है, इस सारे मामले की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं तो क्या आपका विभाग सही मायने में और कई मामले में सफल हो सकता है लेकिन भ्रष्टाचार उन्मूलन में आपका विभाग बिल्कुल निष्क्रिय है, इसमें आप कुछ नहीं कर पाये हैं। मैं अपने जिले की छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं डिसपेंसरी में गया, वहां डाक्टर नहीं मिलेंगे। मैंने वहां के सी. एम. एच. ओ. से कहा कि डाक्टर नहीं मिलते हैं तो उन्होंने कहा नाम मत लेना, मंत्री जी ने कह रखा है कि किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैंने कहा किसी का नहीं कर सकते। अब सारे अधिकार आपने ले रखे हैं। चपरासी तक के ट्रांसफर आप करेंगे, छोटे से छोटे कर्मचारी के ट्रांसफर आप करेंगे, आपकी अनुमति के बगैर पत्ता तक नहीं हिल सकता है और आप कहीं मिल नहीं सकते हैं तो मैंने उस डाक्टर से कहा कि आप अनुमति ले आओ। मैं खुद

(श्री रामकिशन)

कलक्टर के नोटिस में यह बात लाया। मैंने कलक्टर भरतपुर से कहा कि आप 4 दिन मेरे संग चलो और किसी भी डिस्पेंसरी में आप डाक्टर दिखा दो, सी. एम. एच. ओ. से भी कहा तो कलक्टर ने कहा मैं साहब उनके विभाग के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैंने सुना है वह तो कुछ गड़बड़ कर सकते हैं तो कलक्टर साहब जाये नहीं, आपका कहीं पता लगे नहीं, इंसपैक्टर कहीं हो नहीं, शिकायतों की सुनवाई नहीं हो और फिर यह चर्चा हो रही है कि हम गांवों का विकास कर रहे हैं, गांवों का कल्याण कर रहे हैं, हम डिस्पेंसरी खोल रहे हैं। यह सारी बात सही है कि विस्तार सेवाओं का हुआ है लेकिन क्वालिटी में सबसे ज्यादा गिरावट आयी है और मैं तो पक्के इरादे से कह सकता हूं कि आपका विभाग इस मामले में काफी निष्क्रिय है। बिल्कुल बे असर है और माननीय मंत्रीजी आपको अपना रवैया बहुत दुरस्त करना पड़ेगा। मैं आपको इस सम्भावना के साथ और लम्बी बात नहीं कह कर एक बात कहना चाहूंगा ....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं तो समाप्त ही कर रहा हूं। मैं अपने आप ही देख लेता हूं अपने हिसाब से। मैं केवल इसलिये छोड़ देता हूं इस सारे मामले को कि चावल में से बानगी देखी जाती है। अगर आपने इस पर एक्शन लिया तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। देखिये, यह सब आपके अखबारों की, राजस्थान पत्रिका की है यह सारी सूचनाएं। मैं आपसे कह सकता हूं कि आपका विभाग बिल्कुल निष्क्रिय है, आप कुछ कर नहीं पाते और राजनैतिक आकांक्षाओं की वजह से आप जयपुर में ठहर नहीं पाते और वह आकांक्षा शायद आपकी इसलिये पूरी नहीं होगी जब दुबारा लीडर का चुनाव होगा तब शायद आप आ नहीं पायेंगे। आपका दल आ नहीं पायेगा इसलिये इस चक्कर को तो छोड़िये और एक बात आखिर में परिवार नियोजन के संबंध में कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आबादी गम्भीर ढंग से बढ़ रही है। यह सारा सदन, सारा देश इस पर चिन्तित है। हमारा विभाग निरन्तर प्रोत्साहन दे रहा है लोगों के लिये कि आबादी कम करो और हम जैसे लोग जब बोलते हैं तो लोग हमसे ही कह देते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं। तो भई हमारे तो बच्चे होंगे ही। वह पुराना टाइम था उस समय हमें पता भी नहीं था। आखिर अब हम यह मानते हैं यह हमारी गलती सही, हम क्षमा मांगते हैं कि हमारे ज्यादा बच्चे हो गये। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है अब जरूरत है दण्ड देने की। आज समाज में एक स्थिति आ गयी कि हमें दण्डात्मक कार्यवाही पर विचार करना चाहिये, इसमें सारे दलों का सहयोग लेना चाहिये। अपने-अपने दलों के घोषणा पत्रों में इस बात को शामिल करना चाहिये और जो भ्रांति इस देश में पैदा होती है कम आबादी के नाम पर या किसी सम्प्रदाय विशेष के नाम पर तो उन को दूर करके इस मामले में हमें राष्ट्रीय सहमति के आधार पर इन कार्यक्रमों को हाथ में लेना चाहिये। मैं इस संबंध में इतनी सी बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। यहां कोटा का जिक्र कर

(श्री रामकिशन)

रहे थे। कोटा का विकास कोटा कितना में इन्वेस्टमेण्ट हुआ है, कोटा में किस बात का इन्वेस्टमेण्ट हुआ जरा सोचिये तो सही। जो सबसे ज्यादा देते हैं कम इन्वेस्टमेण्ट पर उनकी हालत यह है हमारे भरतपुर में अस्पताल नहीं है। हमने अपने पैसों से अस्पताल बनाया उसकी चार दीवारी ही नहीं है। अब कहें किससे। हमारी स्थिति यह है कि हमारे यहां के मंत्री जब दो ही बने तो वह कमजोर से बन गये....

एक माननीय सदस्य : सम्पतसिंह जी हैं।

श्री रामकिशन : अब वह सम्पतसिंह जी हैं आपके दोस्त हैं। जो भी बने हों मैं उसमें क्या बहस करूं। अब सम्पतसिंह जी हैं नाराजगी करना चाह रहे पर नत्थीसिंह के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इनसे अड़ ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भरतपुर में क्या दे रहे हैं। आप कभी कुछ खोलते हैं, यह एक लिस्ट देखिये, आप कुछ करते नहीं हैं। आपने भरतपुर का नमक खाया है, जिन्दगी भी आपकी भरतपुर में ही शुरू हुयी है और अंत में आप वहां महीने के महीने जाते भी हो। उस क्षेत्र में आपने क्या किया ? कोई काम आप बता सकते हैं। इतनी खराब हालत है वहां की। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप विकास के मामले में समग्र दृष्टि रखें। काम से वोट मिलते हों ऐसा कुछ नहीं है। इन्दिरा गांधी ने बहुत काम किया था राजनारायण जी से हार गयी। तो कहीं वहम मत पाल लेना कि कोटा में कालेज खोल देंगे और ज्यादा काम करवा दूंगा तो मुझे वोट मिल जायेंगे। चुनाव का मुद्दा अलग होता है। इसलिये विकास की दृष्टि से आप राजनीति नहीं करें बल्कि सब क्षेत्रों में जिनके अन्दर जरूरत हो उसको प्राथमिकता दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और भ्रष्टाचार के 133 मामले मैं आपको बिना टेबल पर रखे आपके पास पहुंचा दूंगा। आप उन्हें देख लेना और उसके बाद अगर आपने 10 में भी कार्यवाही की तो अगले सदन में सबसे पहले धन्यवाद देने वाला मैं होऊंगा। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय हरीश कुमावत।

श्री हरीश कुमावत (नावां) : माननीय सभापति महोदय, सभी लोग कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। इसलिए आपकी, माननीय मंत्रीजी की और सभी माननीय सदस्यों की काया निरोग रहे यह सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय को मेरी तरफ से तथा मेरे क्षेत्र की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला, मकराना क्षेत्र में ग्राम जिलिया में स्वास्थ्य केन्द्र खोला साथ ही कुचामन सिटी में सामुदायिक विकास स्वास्थ्य केन्द्र खोला उसके लिये बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इन दिनों महीने डेढ़ महीने में मुझे यहां के सवाई मानसिंह अस्पताल में

(श्री हरीश कुमावत)

ज्यादा सम्पर्क में रहने का अवसर मिला। इसलिये यहां की कुछ बातें जो मैंने देखी हैं उनके संबंध में आपसे अनुरोध करना चाहूंगा मंत्री महोदय को, आपकी मार्फत। सवाई मानसिंह अस्पताल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह ठीक प्रकार से नहीं है। राज्य सरकार ने आदेश कर रखा है कि विकलांगों को, विडोज को व गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री दवाइयां दी जायं लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नज़र नहीं आती और उनको दवाइयां मिलती नहीं हैं।

इसी प्रकार अस्पताल में अधीक्षक है, अतिरिक्त अधीक्षक भी है और उप अधीक्षक भी है लेकिन वहां काम का बंटवारा नहीं है। जो अधीक्षक है वह पार्ट टाइम है फुल टाइम पर नहीं होने से वह पूरी देख-रेख नहीं कर सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्रीजी यहां पर या तो फुल टाइम अधीक्षक की पोस्ट करें या फिर अतिरिक्त अधीक्षक भी है, उप अधीक्षक भी हैं उनमें काम का बंटवारा किया जाय। साथ ही हाई कोर्ट ने भी कासनिया कमीशन नियुक्त किया था, राज्य सरकार ने बैरी आयोग की नियुक्ति की थी जिन्हें प्रशासनिक सुधार एवं खरीद में जो अनियमितता हुयी थी उस संबंध में सुझाव दिये थे परन्तु इनको अनदेखा किया गया है, इम्प्लीमेण्ट नहीं किया गया। जिन लोगों को दोषी ठहराया गया उन्हीं के हाथ में यह व्यवस्था दे दी गयी तो सुधार कैसे सम्भव है। अतः मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इन्होंने जो सुझाव दिये हैं उनकी क्रियान्विति की जाय।

सभापति महोदय, धनवान लोग हैं वह अधिकांश प्राइवेट अस्पतालों में अपनी चिकित्सा करवा लेते हैं किन्तु गरीब लोग जो बाहर से आते हैं, वह 80 पर्सेण्ट लोग हैं और इस अस्पताल में आते हैं, परन्तु यहां की जो व्यवस्था उसमें जो लोग बाहर से आते हैं उनको कोटेज वार्ड, कमरे वगैरह नहीं मिलते हैं और यहां के जो लोग हैं वही ले पाते हैं। इसलिये उसकी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, कोई नियम होना चाहिये ताकि उन लोगों को यह सुविधा मिल सके। करीब 90 कमरे और कम से कम रेफर होकर जो लोग बाहर से आते हैं उनका रिजर्वेशन होना चाहिये ताकि बाहर से आये लोगों को तकलीफ न हो।

माननीय सभापति महोदय, कुछ यहां बहुमूल्य मशीनें हैं। जो खराब पड़ी हुयी हैं, कई माननीय सदस्यों ने ध्यान भी दिलाया है। जैसे बाई पास सर्जरी यहां हो सकता है उसके लिये एंन्जियोग्राफी मशीन है जो बन्द पड़ी है जिसकी लागत एक करोड़ की है, परन्तु इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह मशीन यहां आयी है। इसी प्रकार माइक्रो एनेलाइजर जिससे जांच होती है वह भी 10 वर्षों से अभी तक खुली नहीं है। इसकी कीमत करीब 12 लाख रुपये हैं। इसी प्रकार कोबाल्ट प्लांट जो 30 लाख की कीमत का है उसका कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकार एम्बुलेंस है वह भी अधिकतर खराब पड़े हैं या जाते नहीं, बाहर जो जीपें हैं वह ज्यादा पैसे लेती हैं जिससे लोगों को तकलीफ होती है। इसलिए अनुरोध करना चाहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। इसी प्रकार टीचिंग इन्स्टीट्यूट है उसका काम

(श्री हरीश कुमावत)

है पढ़ाना, मरीजों का इलाज करना, सेवा करना; परन्तु इस उद्देश्य की तरफ ध्यान न देकर केवल प्रेक्टिस की तरफ ध्यान है। इसलिए जो मुख्य उद्देश्य है उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। प्रेक्टिस के कोई नियम नहीं है, न कोई रसीद दी जाती है, न उनके पास कोई रजिस्टर है। इसलिये मनचाहे पैसे उनसे लिये जाते हैं। इसलिये उनकी व्यवस्था की जानी चाहिये।

दवाइयों के वितरण की जो प्रणाली है। बाहर के लोगों को दवाइयां मिलनी चाहिये। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि सही ढंग से उनको दवाइयां मिल सके। 50 पर्सेण्ट दवाइयां लोकल प्रर्चेज की जाती हैं जिसका तीन गुणा पैसा लगता है। आई. डी. पी. सी. से यदि खरीद की जाय तो वह सस्ती मिलती है, परन्तु इस तरफ भी उनका ध्यान नहीं है। इसके साथ-साथ मैं अस्पताल के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। सभापति महोदय, इस अस्पताल में करीब 10 हजार लोगों का प्रवेश प्रतिदिन होता है और सरकार की मंशा है कि गरीब को मुफ्त दवा मिले। तो मैं सुझाव देना चाहता हूं यदि आप एक रुपया एण्टरी फीस लें और उसमें से गरीबों को मुफ्त दवा दें। तो यह 10 हजार रुपये आपको प्रतिदिन मिल सकते हैं।

इसी प्रकार 5 हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। दिल्ली में आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट है उसमें दो रुपया लेकर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यदि यहां पर आठ आना भी चार्ज लेवे तो 5 हजार लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रति दिन होता है उसमें कुछ कमाई हो सकती है उस कमाई से सफाई या गरीबों को दवा देने में आप खर्च कर सकते हैं। इसलिये यह व्यवस्था की जा सकती है जिससे आमदनी भी होगी और गरीबों को मुफ्त दवा भी मिल सकेगी। इसी प्रकार से उपकरणों की देखरेख के लिये एक जिम्मेदार कमेटी बनायी जाय ताकि वह कमेटी उसको सही करे। चौथा मेरा सुझाव यह है कि अस्पताल व्यवस्था के संबंध में जो चेरिटेबल संस्थाएं हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं हैं उनको भी भागीदारी दी जानी चाहिये ताकि जो कमी होगी वह उनकी तरफ अपना सहयोग देगी और वहां सुधार कर सकेगी। इस तरह की क्षेत्रीय कमेटियां बनायीं जानी चाहियें ताकि वह उनकी देखरेख करें, सहयोग भी प्रदान करेंगी।

इसके साथ-साथ हमारे विधान सभा की कुछ समस्याएं हैं उनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे ग्राम मारोठ में मंत्री महोदय पधारे भी थे उन्होंने गृह एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने की घोषणा की थी नया बजट आ गया है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसकी क्रियान्विति की जाए। साथ ही हमारे चावण्डिया और लूणवा में पंचायत हैड क्वार्टर है वहां पर एड पोस्ट खोली जाय। इसके साथ-साथ नावां जो तहसील हैड क्वार्टर है। परिवर्तित पंचायत समितियों में दो पंचायत समितियां बन गयी हैं उसमें वह अलग से पंचायत समिति बन गयी है इसलिए वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाय

(श्री हरीश कुमावत)

क्योंकि वहां तहसील हैडक्वार्टर पहले से ही है। इसके अलावा हमारे यहां पर नयी एम्बूलेंस आयी उसके ड्राइवर नहीं है। साथ ही जो ड्राइवरों का चयन हुआ उसमें भ्रष्टाचार हुआ इस प्रकार की शिकायत हुई उसकी फाइल यहां पर आयी है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि उसका डिस्पोजल तुरन्त किया जाय और ड्राइवर की नियुक्ति कैंसिल की जाय और दूसरी नियुक्ति हो ताकि उस एम्बूलेंस का उपयोग हो सके।

मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि डाक्टर समय पर नहीं आते हैं। हमारे यहां पर पांचवां में स्थान रिक्त है। कुचामन में जो जूनियर स्पेशलिस्ट सर्जन और स्त्री विशेषज्ञ का पद रिक्त है उसको भरा जाय या महिला डॉक्टर की पोस्टिंग होनी चाहिए जिससे महिलाओं के इलाज की व्यवस्था हो सके। इसके साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यह सारी व्यवस्था हो। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी का कुछ मूलभूत बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज से कुछ साल पहले तक राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर काफी अच्छा था लेकिन बदकिस्मती से सारे देश में डॉक्टरों के अन्दर जो वातावरण बना है पैसा कमाने का, उससे राजस्थान भी आज अछूता नहीं रहा है और यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवाओं के अन्दर निरन्तर गिरावट आती जा रही है। मैंने इस सदन में रिकार्ड के ऊपर कहा। कई बार कहा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश और अन्य प्रान्तों की हालत देखता था तो लगता था कि राजस्थान में बहुत आराम है। अब यह स्थिति बनती जा रही है कि अगर समय रहते आपने इस तरफ कार्यवाही नहीं की तो जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनकी क्या स्थिति बनेगी। इसकी आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय से विशेष प्रेम है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : छींक भी आ रही है आप कह रही हैं तो। सभापति महोदय, मेरा इसमें एक सुझाव है कि राजस्थान के अन्दर एक बार प्रायवेट प्रेक्टिस के ऊपर बैन लगाया गया था और उसके नतीजे काफी अच्छे निकले थे और लोगों में, डाक्टरों में भय हुआ था। मैं आपसे फिर मांग करता हूं कि आप राजस्थान के अन्दर सरकारी डाक्टरों की प्रायवेट प्रेक्टिस पर बैन लगायें अन्यथा गरीब के लिए मुश्किल होगी। दवाइयां महंगी हो गयी हैं। सभापति महोदय, दवाइयों को खरीदें और डाक्टरों की फीस दें। क्या हालत है ? आज जयपुर के अन्दर कुछ अपवाद हैं और वह पीढ़ी भी अब धीरे-धीरे समाप्त हो रही है, थोड़े से लोग रह गये हैं। नहीं तो चले आओ घर पर। जो फीस प्रेसक्राइब्ड है उसको छोड़ दीजिए। मैं डाक्टर का नाम नहीं लेना चाहता हूं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मनमाने तरीके से फीस वसूल की जाती हैं। ! माननीय मंत्री महोदय इसको रोकने का आपके पास कोई उपाय नहीं है। चाहे सरकार आपकी हो चाहे हमारी हो, क्योंकि डाक्टरों की एप्रोच, मैं 'लाबी' वर्ड यूज करूंगा, इतनी इनफ्लुयेंस है चाहे राजनेता हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो इलाज की आवश्यकता सबको पड़ती है। कहीं न कहीं उस प्रभाव के तहत एक अच्छी योजना जिसकी राजस्थान के अन्दर शुरूआत हुई थी लोगों ने फ्लोआउट करने की चेष्टा भी की थी लेकिन तब भी एक भय था कि एक्शन हो सकता है वह योजना उनकी लाबी ने समाप्त करायी। जब पूरी चीजों पर ध्यान दिया जाता है तो मैं इस नतीजे पर आया हूं कि आपके पास कोई उपाय नहीं है। मेरी आपसे पहली मांग है कि राजस्थान के अन्दर प्रायवेट प्रेक्टिस के ऊपर आप बैन लगायें। अन्यथा आज गरीब का कोई भविष्य नहीं है राजस्थान के अन्दर।

श्री सभापति : और अन्य किसी प्रान्त में भी यह व्यवस्था है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अन्य किसी प्रदेश में नहीं है। राजस्थान पहल क्यों नहीं कर सकता है। पहले पहल की थी। उसका मूल कारण यह है, सभापति महोदय, they are influential.

डा. चन्द्रभान : उत्तर प्रदेश में हुई थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उत्तर प्रदेश में अब भी है। मैं दूसरे प्रान्तों की बुराई नहीं करना चाहता। मुझे दूसरे प्रान्तों की बुराई नहीं करनी चाहिए किसी प्रान्त की बात नहीं करता देयर आर नाट हास्पिटल वह तो स्लाटर हाउसेज हैं हास्पिटल कहां है ? छोड़िये दूसरे प्रान्तों की सरकारें हैं। आज हम किसी की बुराई करें। यह मेरी बात है सरकार माने या न माने।

श्री सभापति : गुजरात में है क्या ?

श्री यदुनाथ सिंह : उत्तर प्रदेश की सरकार को तो आप बर्खास्त कर रहे हो वहां सरकार कितने दिन रहेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं एक और निवेदन कर रहा हूं जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा।

श्री सभापति : मेरे माध्यम से कहिए माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, आपके माध्यम से ही कहता हूं। मैं तो आपका आदर करता हूं। क्या आप यहां पर सदन में इस बात की घोषणा कर सकेंगे कि आपकी डिस्पेंसरीज और हास्पिटल्स के अन्दर कुछ दवाइयां सरटेन टाइप आफ मेडिशन हास्पिटल की तरफ से ही मुहैय्या कराने की स्थिति में हैं। आज हास्पिटल में चले जाइये, दवाई नहीं मिलती है। दवाई महंगी हो गयी है। पट्टी की तो बात ही छोड़िये। आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें। एक बात के लिए एश्योर करो। हास्पिटल में लिखा रहना चाहिए। यह दवाइयां आपको

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हास्पिटल की तरफ से फ्री सप्लाई की जायेंगी, आउटडोर और इण्डोर पेशेण्ट को यह मुफ्त दी जायेंगी। यह आप कर दीजिए। एक मेरा आपसे यह निवेदन है।

अब छोटी मोटी चीजें रह गयीं। आपने पिछले साल सदन के अन्दर ब्लड बैंक की स्थापना के बारे में कहा था? उसमें क्या प्रगति हुई। क्या अपने सभी जिलों में ब्लड बैंक की स्थापना हो गयी। आपने घोषणा की थी वह मेरे ध्यान में है। मैं असम्मान की भावना से नहीं कह रहा हूं मुझे ऐसा महसूस होता है आप पी. डब्ल्यू डी. महकमे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आपका ध्यान मेडिकल की तरफ ज्यादा नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, यह मेरा आपसे निवेदन है कि इस महकमे की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। इससे लोग ज्यादा जुड़े हुये हैं। आम जनता इससे ज्यादा जुड़ी हुई है।

गंदगी के बारे में हालत यह है कि हास्पिटल में कुत्ते घूमते हैं। चारों तरफ आप जाइये। आज हास्पिटल में बहुत से लोग रहना पसन्द नहीं करते हैं, क्योंकि आज हास्पिटल की हालत खराब है। बाथरूम में जाने से, कोई मरीज थोड़ा बहुत ठीक होने की स्थिति में हो तो वह वहां जाकर और बीमार हो जायेगा। आज आपके बाथरूम और लेट्रीन की हालत तो यह हो गयी है। मैं जानता हूं आपके साथ दिक्कत है। सफाई मजदूर अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। आपने सख्त कदम उठाया तो हड़ताल करके बैठ जाते हैं। आपके पास अल्टरनेटिव अरेंजमेण्ट्स नहीं हैं। आप इस दिशा में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। आप इसके बारे में सोचिए। आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी।

आप इसको ठेके के ऊपर दे दीजिए। आप नया रिक्रूटमेण्ट बंद कर दीजिए क्योंकि यह कडुवा सत्य यहां पर कहना पड़ेगा चाहे कोई बुरा मानो या भला मानो। आज हास्पिटल में दुर्व्यवस्था हो गयी है। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपके यहां एक बीमारी और खड़ी होती जा रही है। एक मेडिको लीगल की फीस तय नहीं है। किसी को यह मालूम नहीं कि कितनी फीस देनी है। कम्पाउण्डर अलग मांगता है, चपरासी अलग मांगता है, एक्स-रे वाला अलग मांगता है, डाक्टर अलग से मांगता है। कम से कम अखबारों के अन्दर हर साल सोया कर दीजिए, हम लोगों को लिखकर भेज दीजिए, हास्पिटल में बोर्ड पर लिखवा दीजिए। आपकी मेडिको लीगल यह देनी है। कोई 100 रुपये ले रहा है, कोई 150 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है। सभापति महोदय, इसमें एक और रास्ता निकाला है एक्स-रे कोई डाक्टर करता है और दूसरा डाक्टर उसकी रिपोर्ट बनाता है। उसको भी पैसे चाहिए। एक तो ××× लुटा पिटा आता है, असत्य केस बने और मेडिको लीगल के नाम पर उसकी लूट होती है।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि आपने पर बैड एक्सपेण्डीचर लास्ट कब रिवाइज किया है। आपके अस्पतालों के जो पलंग हैं बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए, आपने पलंगों की संख्या तो बढ़ाई नहीं है लोग जमीन के अन्दर पड़े रहते हैं। क्या बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों में पलंगों को बढ़ाने का सरकार का इरादा है ? अगर है, तो आप बताएं। पर कैपिटा एक्सपेण्डीचर पर पलंग के ऊपर जो खर्चा होता है वह लास्ट कब रिवाइज किया था। क्योंकि जो राशि आपने एक पलंग के लिए निर्धारित की है आज इस बढ़ती हुई महंगाई के लिए वह राशि पूरी नहीं पड़ रही है। आज राजनीति के आधार पर हम कहें कि आपने नहीं किया लेकिन आज तो आपको दो वर्ष हो गये हैं इस दिशा में कार्यवाही करनी पड़ेगी। आपको चाहे मंत्रिमण्डल में जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े उसका पर कैपिटा एक्सपेण्डीचर आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपसे खाने की क्वालिटी के बारे में बात करता हूं। चाहे आप अपने ही दल के लोगों की अस्पताल की विजिटर्स कमेटी बना दीजिये कहीं दिक्कत नहीं आती है आप हर अस्पताल की विजिटर्स कमेटी बना दीजिये। आप अपने दल के लोगों को लगा दीजिये, आप हमारे दल के लोगों को भले ही मत लगाईये क्योंकि एम. एल. एज. जा नहीं सकते हैं। हर एम. एल. ए. को एक कमेटी के ऊपर रखने का आपने सिद्धांत बना लिया है अधिकांश कमेटियों में अधिकांश एम. एल. ए. कुछ लोग जा सकते हैं, अधिकांश एम. एल. एज. नहीं पहुंच पाते हैं तो जो आपका परपज है वह सारा का सारा परपज डिफीट हो जाता है। उससे आपका काम नहीं चलता है, क्योंकि वह पहुंच नहीं पाते हैं। इस लिए आप विजिटर्स कमेटी बना दीजिये कम से कम कुछ तो वहां पर चैक रहेगा। अस्पतालों में डाक्टर्स पहुंच नहीं रहे हैं, खाने की क्वालिटी बहुत खराब है, दध के अन्दर पानी मिला हुआ है तरह-तरह के घफले अस्पतालों के अन्दर हो रहे हैं और इसीलिए जो प्राइवेट अस्पताल हैं, लोग अपने जेवर रख कर के, कर्जा ले करके भर्ती होने की सोचते हैं। आपके यहां अच्छे क्वालिफाइड डाक्टर्स हैं लेकिन आपके अस्पतालों की सर्विसेज, जो रहने की कण्डीशन्स हैं; वार्ड की कण्डीशन है जिस किस्म की लूट होती है कोई वहां जाना पसन्द नहीं करते, यह मेरा आपसे निवेदन है। यह तो कुछ मोटी बातें मैंने आपके सामने....(व्यवधान)

श्री सम्पतसिंह : उल्टी बात कह रहे हो, पानी में दूध मिलाते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आपके सामने एक और निवेदन करना चाहता हूं। आपने डाक्टर्स की बात बहुत जोरों से कही। आपने कहा कि रिकार्ड है आपने इतने एपाइंटमेंट्स किये लेकिन क्या मंत्री महोदय आपके डाक्टर्स खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं ? नहीं जाते हैं। जाते हैं तो कोई 2 घटे के लिए $1\frac{1}{2}$ घंटे के लिए जाते हैं। यह आज की समस्या नहीं है हमारे वक्त में भी यह समस्या थी लेकिन अपने को इस समस्या से निपटना पड़ेगा....

श्री गोविन्द सहाय : सारी आदतें आपके टाइम में खराब हुई हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप ठीक करो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगर आप इतने ही से सन्तुष्ट हो रहे हैं तो मैं तो कह दूं कि आज अस्पतालों के अन्दर कोई समस्या ही नहीं है, बहुत बढ़िया अस्पताल हैं, इग्लैंड अमरीका के अस्पतालों से बहुत बढ़िया अस्पताल हैं। अगर खुशामद की बातों से ही काम चलने वाला हो तो आपके ही दल के माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं तो वह गलत थे क्या? वह क्या यहां पर असत्य बोल रहे थे? अगर हर चीज को आपने पार्टीबाजी के ऊपर पार्टी लाइन्स के ऊपर सोचने की चेष्टा नहीं की तो इन चीजों के अन्दर न कभी सुधार आयेगा न कभी आने वाला है। मंत्री महोदय, अब मैं आपसे परिवार नियोजन के बारे में बात करना चाहता हूं। इसके लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, मैंने पिछली दफा भी कहा था। आप पहल कीजिये। मैं, इस सदन के माध्यम से सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मामले में आपको आम सहमति लेनी होगी क्योंकि यह राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दों पर सभी राजनैतिक दलों की आम सहमति होनी चाहिये। क्योंकि सन् 77 का वह मामला एक ऐसा हुआ है परिवार नियोजन का जब से केन्द्रीय सरकार गिरी हर राजनैतिक दल परिवार नियोजन के मामले में हाथ डालने से डरने लगा है। कहीं कोई इतना इनीशियेटिव नहीं लेना चाहता है। आपने प्रचार कर दिये, आपकी गाड़ियां दिन भर दौड़ा करती हैं दो-दो केसेज नहीं आते हैं डाक्टर +++ चिल्लाते फिरते हैं। इसके लिए आपके सारे जितने तौर तरीके थे क्योंकि लिटरेसी की पर्सेंटेज राजस्थान में बहुत कम है, कब बढ़ेगी, कब क्या होगा? तब तक राजस्थान का बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। आप उस समय का इन्तजार नहीं कर सकते, उस समय के लिए आप रुक नहीं सकते कि राजस्थान में जब लिटरेसी की रेट बढ़ेगी तो और प्रान्तों की तरह लोग अपने आप परिवार नियोजन कराने के लिए आगे आयेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, मैं आपसे कहता हूं कि आप राजस्थान में कानून बनाइये। अगर आप कानून बनाने में सक्षम हैं। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो परिवार नियोजन की अखिल भारतीय स्तर की कान्फ्रेन्सेस होती हैं तब आपको वहां मांग करनी चाहिये। आपको दूसरे प्रान्तों के मन्त्रियों का मानस बनाना चाहिये, केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहिये कि राष्ट्रीय स्तर पर आपको इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा अन्यथा जितनी सारी देश की समस्यायें हैं, सब लोग जानते हैं इन बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं है देश के अन्दर आज जो गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ रही है उसके मूल में कारण है वह देश की

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बढ़ती हुई जनसंख्या है। अगर इसको हमने नहीं रोका और रोकने का उपाय रह गया है सिर्फ कानून। क्योंकि इसके अन्दर राजनीति आ जाती है कहीं धर्म आड़े आता है। जब सब के लिए आप एक कानून बनाएंगे तो लोगों को मजबूर होकर इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसके बारे में आप अभी से चर्चा शुरू कीजिये, यह मेरा आपसे निवेदन है। मंत्री महोदय, मैंने जो सुझाव दिये हैं अगर आप उन पर गौर करें तो बड़ी कृपा होगी, राजस्थान की गरीब जनता का कल्याण होगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, मेरे अटरू विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा की दृष्टि से दो साल पहले जो अव्यवस्थायें थीं वह काफी ठीक हुई हैं लेकिन अभी ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं समझता हूं माननीय मंत्रीजी ने काफी कुछ प्रत्यन किये हैं और उसमें सुधार लाये हैं। पहले मेरे क्षेत्र के जो प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र थे डाक्टर महीने-महीने तक जाते नहीं थे, कम्पाउण्डर पहुंचते नहीं थे बारां और कोटा भेज कर ही वेतन उठाया करते थे लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने प्रयास करके सभी डाक्टर्स को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भेजने के लिए बाध्य किया है, डाक्टर्स बैठने लगे हैं और लोगों को इसका काफी लाभ मिलने लगा है... (व्यवधान) परन्तु कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन की कमी होने के कारण डाक्टर ठीक प्रकार से मरीज को देख नहीं पाता, डाक्टर ठीक प्रकार से टेस्ट नहीं कर पाता इस कारण से मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। जैसे मेरे क्षेत्र का कवाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है वहां भवन नहीं है। केवल एक छोटा सा कमरा आठ बाई आठ का है। उसी में पूरा अस्पताल चलता है उसी में मरीज देखे जाते हैं उसमें बीमार रखा जाता है, डाक्टर वहीं देखता है। उससे जो बीमार आता है उसकी अधिक बीमार होकर जाने की ज्यादा संभावना होती है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कवाई में एक चिकित्सा भवन का निर्माण कराया जाये ताकि मरीजों को उसका लाभ मिल सके।

इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद औषधालय के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। आयुर्वेदिक औषधालयों में जो रसायन शालाओं से दवाईयां जाती हैं उसका बजट 4½ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष होता है परन्तु यदि सारी रसायनशालायें पूरी दक्षता से काम करें तब भी केवल दो करोड़ की दवाइयों का उत्पादन हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, यह जो 2½ करोड़ रुपया बचता है सीधा मार्केट से दवाइयां खरीदी जा सकें तो काफी दवाईयां आयुर्वेदिक औषधालयों में पहुंचेंगी और मरीजों को उसका लाभ मिलेगा। आयुर्वेदिक औषधालयों में औजार भी नहीं होते।

श्री यदुनाथ सिंह : डिमाण्ड ही नहीं है।

श्री मदन दिलावर : किसी प्रकार की पट्टी वगैरह वहां नहीं होती ताकि तात्कालिक उपचार मरीजों का किया जा सके। केवल आयुर्वेदिक चिकित्सक वहां बैठा रहता है। वह दवा लिखता है पर गांवों में मैडिकल स्टोर नहीं होने के कारण वह दवा मिलती नहीं। दवा नहीं मिलती तो मरीज उपयोग नहीं कर पाता और उस आयुर्वेदिक औषधालय का लाभ गांव वालों को नहीं मिलता है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक औषधालयों में अधिक से अधिक....

श्री सभापति : कटमोशन दिया है, माननीय सदस्य, आयुर्वेदिक औषधालय पर ?

श्री मदन दिलावर : हां, दिया है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : सभापति महोदय, सभी लोगों को आयुर्वेद से इतनी एलर्जी क्यों है ?

श्री मदन दिलावर : मेरा निवेदन है कि सारे यंत्र, फर्नीचर, प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयां अधिक से अधिक आयुर्वेदिक औषधालयों में उपलब्ध करेंगे तो काफी लोगों की रुचि आयुर्वेद की तरफ बढ़ेगी।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, माननीय चिकित्सा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, आपने ए. एन. एम. के ट्रांसफर पर बैन लगाया कि एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाए। भावना ठीक थी चिकित्सा मन्त्रीजी की कि दूसरे जिले में ट्रेनिंग करती है और वह ट्रेनिंग लेने के बाद वापस उस जिले में काम नहीं करके दूसरे जिले में ट्रांसफर करा लेती हैं। परन्तु इसके साथ-साथ कुछ कठिनाइयां भी जुड़ी हैं। जैसे लड़की होती है जब ट्रेनिंग लेती है। शादी होने के बाद उसको निश्चित रूप से दूर जाना पड़ता है। पति-पत्नी दूर रह जाते हैं और वे मिल नहीं पाते। इससे काफी परेशानी का सामना पति-पत्नी दोनों को करना पड़ता है। ऐसे केसेज में जहां उसकी शादी हुई है सरकारी सेवा में होने के बाद, उस जिले में भेज दिया जाय या जहां उसका पति सर्विस करता है वहां उसको भेज दिया जाय। कम से कम ऐसे केसेज में छूट देनी चाहिए।

इसी प्रकार से थोड़ा-सा निवेदन करना चाहूंगा परिवार कल्याण के मामले में। दिनों दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है. बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है और जितना विकास हम करते हैं वह दिखाई नहीं देता क्योंकि उससे दुगुनी जनसंख्या बढ़ जाती है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस मामले में एक कानून बनाएं। किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सबको कानून बनाकर निश्चित कर दिया जाय कि इतने बच्चों के बाद आपरेशन कराना अत्यावश्यक होगा। उसके बाद जो भी आप लागू करे सकते हैं वह करना चाहिए, परन्तु निश्चित कर देना चाहिए कि इतने के बाद आपको परिवार नियोजन करना आवश्यक है। इससे जनसंख्या पर रोक लगेगी और डवलपमेण्ट पर जो पैसा हम

(श्री मदन दिलावर)

खर्च कर रहे हैं उसका लाभ मिलेगा, विकास कार्य दिखाई देंगे। आज छोटे-छोटे बालकों को स्कूल उपलब्ध नहीं होते, रोगियों को चिकित्सा सुविधा पर्याप्त नहीं मिलती क्योंकि एक अस्पताल खोलते हैं और दो अस्पतालों के बराबर मरीज फिर आ जाते हैं क्योंकि जनसंख्या उसी दर से बढ़ रही है।....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मेरे अटरू विधान सभा क्षेत्र में एक पुराना भवन है अस्पताल का। वह अस्पताल का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो गया। लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया, लोगों ने उसको शौचालय बना दिया और चारों तरफ से उसको घेर लिया। बहुत बढ़िया भवन है। या तो मरम्मत करके उस चिकित्सा भवन का उपयोग किया जा सकता है या उसको बेचकर सेवाओं में उपयोग किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि कैसे न कैसे लोगों का अतिक्रमण न होने दें और सरकार को नुकसान न पहुंचाने दें और जैसे-तैसे उसका उपयोग करें।

श्री सभापति : श्री भरोसी लाल।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 36 के ऊपर सदन में बहस हो रही है। मैं इसके ऊपर कुछ अपने क्षेत्र के बारे में और कुछ अस्पतालों की व्यवस्था के बारे में आपके सामने विचार रखूंगा। सभापति महोदय, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसी तरह से अस्पतालों की स्थिति भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। न तो अस्पतालों में सफाई व्यवस्था है न डाक्टरों की व्यवस्था है। यदि कहीं अस्पताल खुल गया है तो वहां पर डाक्टर नियुक्त नहीं हैं। कहीं डाक्टर है तो वहां स्टाफ नहीं है और यदि कहीं दवाइयां हैं तो वे दवाइयां मरीजों को उपलब्ध नहीं होती। सरकार का अधिकारियों पर अंकुश नहीं है। जहां अस्पताल है, सब सेण्टर हैं वहां ए. एन. एम. नहीं रहती हैं। नहीं रहने का कारण; सभापति महोदय, यह है कि सी एम.एच ओ. उनको हैडक्वार्टर पर नहीं रखकर शहरों में डैपुटेशन कर देते हैं। इस तरह गांवों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। ग्रामीण इलाकों को चिकित्सा का भरपूर लाभ नहीं मिलता। एक तरफ तो मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि मैं गरीब को गणेश मानूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से इसका उल्टा हो रहा है। साढ़े इकसठ प्रतिशत बजट गांवों में खर्च किया जाता है, पर भेदभाव के आधार पर डिस्पेंसरी, औषधालय इत्यादि खोले जाते हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर एक सब सेण्टर या औषधालय खोला जाय। दूसरा यह कि जहां कहीं भी तीन हजार की आबादी का गांव है, ऐसी कई जगह हैं जहां पर न सब सेण्टर है न डिस्पेंसरी है और न आयुर्वेदिक औषधालय है। सभापति महोदय, राजस्थान खनिज सम्पदा प्रधान प्रदेश है। यहां पर ज्यादातर गरीब लोग खनन करते हैं। उनकी टी. बी. की व्यवस्था के लिए न कोई अलग से हास्पिटल है न कोई व्यवस्था

(श्री भरोसी लाल)

है। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि जिन खनिज एरिया में मजदूर काम करते हैं वहां अलग टीबी हास्पिटल खोलना चाहिए।

सभापति महोदय, नये डाक्टरों के लिए जरूर ऐसा कोई न कोई कानून बनाना चाहिये कि जिससे पांच वर्ष तक नये डाक्टर ग्रामीण इलाकों में अनिवार्य रूप से रहें क्योंकि पुराने डाक्टर तो गांवों में रह नहीं सकते। दूसरा मेरा निवेदन है कि गांवों में जो ए. एन. एम. लगा रखी हैं वहां उनके रहने के लिए क्वाटर्स बनाए जायं जिससे वहां वे लोग रह सकें। तीसरा निवेदन यह है कि प्रत्येक तहसील हैड-क्वार्टर पर एक रैफरल हास्पिटल होना चाहिए और प्रत्येक रैफरल हास्पिटल पर एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। सभापति महोदय, करौली में सी. एम. एच ओ. है और सवाईमाधोपुर इतना दूर पड़ता है कि वहां से व्यवस्था बहुत खराब होती है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि सवाई माधोपुर में भी सी. एम. एच. ओ. आफिस खोलना जरूरी है। तहसील लेवल के प्रत्येक अस्पताल में आंखों का एक डाक्टर जरूर होना चाहिए।

सभापति महोदय, आयुर्वेदिक औषधालयों का तो भगवान ही रखवाला है। वहां पर ऐसा अड्डा जमा हुआ है कि एक एक वैद्य 5–5, 10–10 साल तक रहता है। आयुर्वेदिक औषधालय में एक दिन भी नहीं जाता है, एक-दो महीने में हैडक्वार्टर पर जाकर साइन करके अपनी तनख्वाह उठा ले जाता है। या तो इन औषधालयों को आप बन्द कर दीजिए और बन्द नहीं करते हैं तो इनके ऊपर अपना अंकुश रखिये, जिससे गरीब जनता को कुछ दवाइयां मिल सकें। मैं बस इतनी ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री घासीराम चौपड़ा (टोडा रायसिंह) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या–36 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर आज सदन में बहस हो रही है। इसी सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री को अपने सुझाव पेश करूंगा। पहले मैं आपको मानसिंह अस्पताल के बारे में निवेदन करूंगा। मेरे क्षेत्र से बीमार आते हैं और मैं उनसे मिलने जाता हूं। वहां की हालत मैंने देखी है। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि एक कहावत है कि गुड़ जैसा काम मत करो लेकिन गुड़ जैसा बोल जाओ, वह भी पर्याप्त है। डाक्टर और कम्पाण्डर का पहला काम है कि मधुर भाषा में बोलें, मरीज से अच्छा व्यवहार रखें। इससे मरीज की मानसिकता ठीक रहेगी। लेकिन वहां का जो मैंने व्यवहार देखा है, मरीज कहे कि डाक्टर साहब मेरे दर्द हो रहा है, तो न तो आपका नर्सिंग स्टाफ उसकी तरफ देखता है और न डाक्टर देखता है। अटेन्डेंट को तकलीफ होती है। अटेंडेंड वहां के वार्ड इन्चार्ज से मिलता है तो कहता है कि मेरे चार्ज में नहीं है, यह उनके पास है। यह स्थिति है। दूसरी बात, देहात का रहने वाला जाता है, देहाती आदमी जाता है तो डाक्टर खाने को दौड़ता है और जब उसको पर्याप्त मात्रा में धन मिल जाता है, फिर ठीक तरीके से देखता

(श्री घासी राम चौपड़ा)

है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप डाक्टरको यह सिखाइये या ट्रेनिंग दीजिये कि वह व्यवहार मधुर रखे मरीज के बारे में। अटेंडेंट के बारे में यह शिकायत है।

दूसरा है वहां की सफाई व्यवस्था। सफाई के मामले में आपसे निवेदन करूं कि कई वार्डों में तो नाक भींचकर जाना पड़ता है, यह स्थिति है। पूरे सड़ रहे हैं। मैं बीच में कई बार डाक्टर से मिला। तो डाक्टर यह नहीं समझते कि विधायक जाता है, विधायक बात करना चाहता है तो कोई केयर नहीं है। चिकित्सा मंत्री जी, आप मिलिये। एक डाक्टर को आपकी मार्फत टेलीफोन करवाया तो डाक्टर साहब ने मुझे रिप्लाई दिया कि जाइये, उन्हीं से इलाज करवा लीजिये। यह है हालात। यह तो सवाई मानसिंह अस्पताल की बताई।

अब निवेदन करना चाहता हूं ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। ग्रामीण क्षेत्र की हालत यह है कि पिछले दो साल से तो मेरे क्षेत्र में कोई एड-पोस्ट नहीं खुली, कोई पी. एच. सी. कोई डिस्पेंसरी नहीं खुली। अब क्या उम्मीद करूं ? यह आपकी इच्छा की बात है। वैसे उस पक्ष में बैठने वाले लोग कहते हैं कि हमारे यहां रैफरल अस्पताल खुल गये, पी. एच. सी. खुल गई, डिस्पेंसरी खुल गई, एड-पोस्ट खुल गई, आयुर्वेदिक औषधालय खुल गये। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि मेरे यहां रैफरल अस्पताल, जो दो साल पहले खुला था, वहां न तो एक्स-रे मशीन है, एम्बूलेंस भेज दी, उसमें ड्राइवर नहीं है। पूर्व में माननीय सदस्य आपको बता चुके हैं। लैब्रोरेटरी का कोई स्टाफ नहीं है, लेबोरेटरी में कोई मशीन नहीं है। बिल्डिंग वहां की जनता ने अपने सहयोग से चन्दा करके खड़ी कर ली है लेकिन आपके विभाग ने कोई व्यवस्था नहीं की अभी तक। एक हमारे वहां पी. एच. सी. है ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 5 साल से यह स्थिति है कि आज दिन तक कोई डाक्टर रुका नहीं। तीन डाक्टर की पोस्टें हैं, नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट है, काफी दे रखी हैं। न वहां दवाई मिलती है, न पट्टी मिलती है और न डाक्टर मिलता है। दो-तीन कम्पाउण्डर जरूर हैं, वे टाइम पर मिल जाते हैं। 4–5 महीने पहले एक डाक्टर गया था। उसको भी प्रशासनिक दृष्टि से किया या राजनीतिक दृष्टि से किया, उसका आपने स्थानांतरण कर दिया। वह डाक्टर ऐसा था जो वहां सेवा करता था। पहले डाक्टर गये वहां। कागजों में डाक्टर जरूर हैं आपके पास लेकिन सिर्फ मात्र वह वेतनभोगी डाक्टर है। महीने में एक दिन जाता है, पूरे महीने की अटेंडेंस करता है और तनख्वाह उठाकर स्टाफ में तनख्वाह बांटकर के वापस जयपुर चला आता है। मेरे यहां खरेड़ा और बरवास, दो डिस्पेंसरियां हैं। उनकी भी हालत यही है। देवली कस्बा ऐसा है जहां शायद महीने में दो-चार दफा वहां होकर गुजरते हैं कोटा के लिये गुजरते हैं जब। वहां देवली में कस्बा वालों ने आन्दोलन भी किया। व्यापारिक केन्द्र है, 3 जिलों की वहां सीमा पड़ती है। पिछले दो साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि वहां रैफरल अस्पताल होना चाहिये। आप बार-बार आश्वासन दे रहे हैं लेकिन वह भी नहीं खुला है। जो डाक्टर हैं, वे भी कुछ ऐसे ही

(श्री घासीराम चौपड़ा)

बैठते हैं। वे शिकायत करते हैं कि डाक्टर भी ठीक नहीं है। तो आप यह भी देखिये। गांवों की हालत यह है कि पंचायत हैडक्वार्टर, जहां 3-4-5 हजार की आबादी है, पंचायत हैडक्वार्टर है, वहां न कोई एड पोस्ट है, न आयुर्वेदिक औषधालय है। माननीय मंत्री महोदय से खास तौर से यह कह रहा हूं कि जहां एड-पोस्ट नहीं है, वहां आयुर्वेदिक औषधालय खोल दीजिये और जहां आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है, वहां आप एड-पोस्ट खोल दीजिये या डिस्पेंसरी खोल दीजिये। टोडारायसिंह क्षेत्र का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा गांव है पर्वालिया, जिसकी आबादी 5 हजार है। वहां न आपकी एड-पोस्ट है, न डिस्पेंसरी है। वहां सैकण्डरी स्कूल है, राजकीय, उच्च प्राथमिक शाला है लेकिन कोई इलाज नहीं है। वहां से 20–25 किलोमीटर दूर जाकर इलाज कराना पड़ता है। तो, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां अगर डिस्पेंसरी खोल दें तो बहुत ठीक रहेगा उस ग्रामीण क्षेत्र के लिये। दवाइयों की हालत यह कि मरीज डाक्टर के पास जाता है तो डाक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है और 300 रुपये का बिल उतार देता है। एक साधारण सी बीमारी के लिए भी डाक्टर 300 रुपये का बिल बना देता है और वह दवाई कोई असर नहीं करती। कई लोगों का मानना है कि मान लो कोई दवाई लिखता है और मेडिकल स्टोर पर जाता है तो वह दवाई नहीं मिलती हैं तो उल्टा मेडिकल स्टोर वाला डाक्टर को डिक्टेट करता है कि साहब यह दवा लिखिए, मेरे पास यह कमीशन वाली दवाई है आप इसको प्रेस्क्रिप्शन में लिखिये। डाक्टर उसको लिख देता है। प्रत्येक मेडिकल स्टोर से डाक्टर का कमीशन फिक्स बंधा हुआ है। डुप्लीकेट दवाई लिखते हैं, कोई असर नहीं होता। इसके लिये आप चैक-अप कीजिये। आज हालत यह है कि आज से दो साल पहले हर गांव में जाकर के डी. डी. टी. का प्रोग्राम चलता था। अभी आप गांवों में जाइये, कहीं डी. डी. टी. छिड़कने वाला नहीं मिलेगा। मलेरिया बढ़ा हुआ है। ज्योंही बरसात के दिन आते हैं, मच्छर होते हैं और लोग मलेरिया से पीड़ित रहते हैं। मंत्री महोदय, यहां विराजमान हैं, विद्युत मंत्री जी आप वार्ता बाद में करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपकी ही बात कर रहे हैं।

श्री घासीराम चौपड़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, उस पर विशेष ध्यान दीजिये। शहर की तरफ आलरेडी कई हैं। कई प्राइवेट बड़े-बड़े अस्पताल हैं, प्राइवेट क्लीनिक हैं कई व्यवस्था है। एडीशनल व्यवस्था भी है, बड़े-बड़े अस्पताल भी हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र देंगे, तो वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट के लोग, गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए जयपुर आकर के इलाज कराना असम्भव है। गांवों में व्यवस्था दीजिये। गांवों में नहीं दे सकते तो कम से कम तहसील हैडक्वार्टर पर ऐसी व्यवस्था कर

(श्री घासीराम चौपड़ा)

दीजिये ताकि वहां जल्दी चिकित्सा सुलभ हो सके।

एक बात मैं खास तौर से निवेदन कर रहा हूं कि टोडारायसिंह में रैफरल हास्पिटल है, वहां एक्स-रे की मशीन और एम्बूलेंस का ड्राइवर जरूर भिजवा दीजिये। लेबोरेटरी का स्टाफ, लेबोरेटरी की मशीन भिजवाये दो साल हो गये खुले हुए लेकिन इसके अभाव में वह का वह पड़ा हुआ है, वही स्थिति है। लोगों को दूसरी जगह जाकर के एक्स-रे कराना पड़ता है, केकड़ी जाना पड़ता है जो 45 किलोमीटर है, मालपुरा आना पड़ता है जो 35 किलोमीटर है, टौंक जाना पड़ता है जो 70 किलोमीटर है, बीच में नाला पड़ता है उस पर पुलिया नहीं है, आवागमन का साधन नहीं है। तो बहुत मुश्किल होती है। वहां

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पर लेडी डाक्टर का अभाव है, मालपुरा में लेडी डाक्टर का अभाव है। इसलिये मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में, तहसील क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित।

(8.00 रात्रि)

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य की मांग के बारे में मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव दे रखे हैं तथा साथ में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगा रखा है, उस पर अपने विचार देना चाहूंगा।

दो साल में एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों में चिकित्सा की दृष्टि से सुधार करने का जो प्रयास किया गया है, वह कुछ मायनों में सराहनीय भी है जिसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन सारी कमियां दो सालों में खत्म नहीं की जा सकती हैं। उसके लिये कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा। जैसे आपने चिकित्सा विभाग में वैद्यों के, डाक्टरों के पद भरे हैं, रिक्त स्थान पड़े थे, लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी तो उनको दो साल में सुविधा मिली है। दवाइयों के बारे में, पट्टी के बारे में काफी पहले शिकायत रहती थी, उनमें कुछ सुधार जरूर हुआ है। आयुर्वेद, जो पहले हेय दृष्टि से देखा जाता था, दो साल में उसकी गुणवत्ता में भी सुधार लाये हैं। लेकिन अभी भी इसमें सुधार की काफी आवश्यकता है। क्योंकि आयुर्वेद विभाग में 6 डिप्टी डाइरेक्टर्स के पदों में से आज भी 5 पद रिक्त पड़े हैं जिससे कार्य में शिथिलता आती है। मैटर कोर्ट में चल रहा है। मैं मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी निपटा दें। इसी तरीके से पहले जिला आयुर्वेद अधिकारियों के पद रिक्त पड़े थे। उनमें से कुछ भरे गए हैं और कुछ आज भी रिक्त पड़े हैं। उनको भी शीघ्र भरा जाय। आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर और नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर अजमेर और जोधपुर में विवेचक, लेक्चरर्स की जो पोस्टें हैं वह एडहॉक बेसिस पर भरी जाकर अभी

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

अभी कार्यरत हैं तो उनको आर. पी. एस. सी. से सलेक्शन करवाएं।

इस तरह से सारी गड़बड़ियां चलती हैं। उदयपुर महाविद्यालय में इतनी गड़-बड़ियां हैं कि अन्दर जाकर आप देखें तो अक्ल ही काम नहीं करेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपकी कैसे काम कर गई ?

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : हकीकत में मैंने अन्दर से, नजदीक से देखा है। मान्यवर, कुछ तारीफ भी है और कुछ मायने में सुझाव दे रहा हूं। यह तो इनकी गन्दगी फैली हुई है, देर तो लगेगी ही।

माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद विभाग का एक ही कालेज है वह उदयपुर में कार्यरत है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में आयुर्वेद विभाग का कालेज नहीं है। मैं यह मांग करता हूं कि वहां की जनता इसका लाभ उठा सके, वहां के लोग वैद्य और आयुर्वेद के चिकित्सक बन सकें इसके लिए जोधपुर में आयुर्वेद महाविद्यालय खोला जाना आवश्यक है।

सभापति महोदय, अब मैं मेरे ध्याना-कर्षण प्रस्तावों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, आपने अपने प्रयासों से सुधार किया है और प्रयास आज भी जारी हैं लेकिन या तो इनके निर्देशों की पालना इनके विभाग द्वारा नहीं होती है या मंत्री जी करना नहीं चाहते हैं। इन दोनों में थोड़ी असामंजस्य की स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि हम जिस स्तर से माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं ही यह नहीं कहता, आप राजस्थान के किसी भी क्षेत्र की जनता के बीच में चले जायं, दूसरे मंत्रियों की बुराई नहीं करता, लेकिन लोग यह कहते हैं कि मंत्री जी तो एक हैं माननीय श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी। लेकिन न जाने सुमेरपुर से या तो इनका लगाव नहीं है यह इनको एलर्जी है कि वहां के लोगों को सुविधाएं देना नहीं चाहते हैं। मैंने वहां के डाक्टर्स की बार-बार मंत्री महोदय से शिकायत की है और शिकायतें भी गम्भीर शिकायतें हैं। मेरे सुमेरपुर में डाक्टर्स दम्पत्ति कार्यरत हैं। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला है और एक उनके पति हैं। डिली-वरी केसेज में वह 95 पर्सेण्ट सीजेरियन आपरेशन से करती हैं, नार्मल डिलीवरी वह करती नहीं है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या नाम है ?

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय मंत्री महोदय, मैं अभी नाम भी बता दूंगा। माननीय मंत्री जी आपने उनका 2–3 अगस्त, 1991 को ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद साढ़े तीन महीने बाद उन्होंने चोहटन (बाड़मेर) ज्वाइन किया। 2–3 अगस्त को उनका तबादला हुआ और 25 नवम्बर को ज्वाइन करते हैं साढ़े तीन महीने बाद और 26–12 को वापस राज्यादेश से तबादला निरस्त होकर सिरोही होता है। इन डाक्टर महाशय का एक साल पहले प्रमो-शन होता है जुनियर स्पेशलिस्ट की पोस्ट

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

पर। उसको उन्होंने फारगो किया। हम पति-पत्नि को एक साथ सुमेरपुर रखा जाय। वहां पर पोस्ट नहीं थी इसलिए फारगो पर रखा गया। अब चूंकि उनका चौहटन ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर करने के बाद वह जो स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपकी बात मानी नहीं क्या ?

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : अभी मैं बता रहा हूं, वह क्या चिकित्सा कर रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : छुट्टी लेकर बैठे होंगे ?

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय, छुट्टी लेकर बैठे हैं। सरकारी आवास में साढ़े सात महीने तक लोगों का इलाज करें, सरकारी आवास खाली नहीं करें, आपका सी. एम. एण्ड एच. ओ. उनको नोटिस नहीं दे और वहां यह निजी चिकित्सालय, 1 बीघा जमीन 4 लाख में खरीदते हैं और 6 लाख में निजी चिकित्सालय भवन बनायें तो आप उन पर कार्यवाही नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमोशन फारगो करके पति-पत्नि साथ रहना चाहते हैं। पत्नि तो बीमारी का बहाना लेकर सुमेरपुर बैठ गई और पति महोदय ने सिरोही वापस ट्रांसफर करवा लिया ताकि वह सिरोही से 37 किलोमीटर सुमेरपुर रोजाना अप-डाउन करे। अब इस तरह से पैसा कमाने की नीयत, मरीजों और जनता को लूट कर पैसा कमाये, मुझे कोई एतराज नहीं है। वह कहती हैं कि मुझे 20 साल हो रहे हैं नौकरी करते हुए, मैं रिटायरमेंट ले लूंगी। वह ले लें आज ले लें लेकिन वेतन तो सरकार का लें, और गरीबों को लूटे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बीमारी में वेतन कैसे मिलता होगा ?

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मान्यवर, छुट्टी तो बीमारी से ली है बीमारी की छुट्टी ली है। अगस्त में छुट्टी लेती हैं, 10 वें महीने में जमीन खरीदते हैं। यह उसके डाकुमेंट्स हैं, उसके बाद यह उनका चिकित्सालय भवन बना हुआ है, जिसकी एन. ओ. सी. है, फोटो भी भवन का....

श्रीमती तारा भण्डारी : छुट्टी में कुछ खरीदना भी मना है क्या ?

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : वह बीमारी की छुट्टी लेकर बैठी हैं। बीमारी की छुट्टी कंडीशन में होती है। सभापति महोदय, जब-जब बैड रेस्ट पर कोई होता है। अब बेड रेस्ट पर मरीजों का इलाज नहीं करते हैं। यह सरकारी आवास है, यह मरीजों की लाइन हैं, मरीज इन्तजार कर रहे हैं, यह इनका प्रेस्क्रिप्शन की स्लिप है (व्यवधान) इस तरह से जनता को लूटे, वहां पर सी. एम. एण्ड एच. ओ. कोई इन्क्वायरी नहीं करे, सरकारी आवास साढ़े 7 महीने तक खाली नहीं करे, जनता का हम पर आक्षेप होता है, संदेह हम पर

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

लगता है कि विधायक क्या +++ अब विधायक तो +++ रहे हैं कि उनको हटाओ और वह हट नहीं रहे हैं।

सदन के बाहर और सदन के भीतर आप यह कहते हैं कि मेरे आदेशों की पालना 15 दिन में नहीं होगी तो उसको मैं सस्पेंड करूंगा। यह साढ़े 7 महीने तक आपके आदेशों की पालना नहीं हो रही है तो उन पर आपने क्या कार्यवाही की है। आज तक उनको सस्पेंड नहीं किया और कल तक उन्होंने सरकारी आवास खाली नहीं किया।

इसी तरह से, मान्यवर, तख्तगढ़ के डाक्टर के बारे में बताया था। तख्तगढ़ के डा. एस. सी. पुरोहित का तबादला, वह यदि मेरे जाति भाई हुए तो क्या हुआ, उनका तबादला भी 2 अगस्त, 1991 को किया, उसमें आपने लिखा कि आज तक वह कार्य मुक्त नहीं हुआ, साढ़े 7 महीने तक वह इस कारण से रिलीव नहीं हुए कि उनका वहां रिलीवर नहीं भेजा गया। मैं कहना चाहता हूं कि....

श्री सम्पतसिंह : जनता दल वालों की खूब मानते हैं, आपकी नहीं मानते हैं ?

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मेरी मानने या नहीं मानने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं मेरे क्षेत्र के लोगों की बात बता रहा हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप सम्पत सिंह जी के साथ आ जायं।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : हम व्यवस्था में सुधार करेंगे। इस तरह से जुओं के कारण से कपड़े नहीं फेंके जाते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : श्री सम्पतसिंह जी पड़ोस में बैठे हैं।

श्री गोविन्द सहाय : गर्म पानी में उबाल देंगे।

श्री गुलाबसिंह पुरोहित : वह डाक्टर, मान्यवर, बहुत चतुर और चालाक है। 1988 में इसी तरह से शिवगंज में इनका तबादला हुआ।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मुझे बोलने की अनुमति नहीं देंगे ?

श्री सम्पतसिंह : माननीय सदस्य को आप दबा रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : माननीय सभापति महोदय, जून, 1988 में डा. एस. सी. पुरोहित का शिवगंज से तबादला हुआ था। इनके इलाज में एक महिला की मौत हो गई थी। उसके बाद हैजिटेशन हुआ और हैजिटेशन होने के बाद भी इनका तबादला नहीं किया, लोगों ने आन्दोलन किया और उसके फलस्वरूप उनका तबादला किया लेकिन रिलीवर नहीं भेजा 3 महीने तक। यह उस समय के फोटोग्राफ्स हैं, शिव गंज में श्यामा हत्या के सिलसिले में आन्दोलन हुआ यह उसका प्रकरण है।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

एक दिन पूर्व ही मैंने 295 में मोशन लगाया था, तख्तगढ़ में महिला की मौत हो गई है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन डाक्टर ने लगाया और एनेस्थीसिया अधिक लगाने से आपरेशन के पहले बेहोश होकर मर गई। आपरेशन हुआ नहीं, चीरा लगाया भी नहीं। उसका पोस्टमार्टम इसलिए नहीं किया क्योंकि डाक्टर वहां पकड़ में आ जाते।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह से गुन्देड़ की शिकायत है, जो आपको गुन्देड़ के निवासियों ने की है तीन बार। उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, एक पद तो 2 साल से रिक्त पड़ा है और एक डाक्टर था उसको भी नवम्बर में हटा दिया गया है और आज 4 महीने से वहां दोनों पद रिक्त पड़े हैं। वहां के लोगों ने आपको चिट्ठी लिखी है। आप कहते हैं कि 15 दिन में सी. एम. एण्ड एच ओ. पोस्ट कार्ड का जवाब नहीं देता है तो मंत्री जी को लिखें। मंत्री जी कृपा कर इनका जवाब दे देते तो आज मुझे यहां कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरे यहां की जनता इतनी तकलीफ में है सभापति महोदय, कि उनको 40–40 किलोमीटर तक इलाज कराने के लिए आना पड़ता, है वह जा नहीं सकते हैं। सुमेरपुर में डाक्टर्स नहीं है, तख्तगढ़ में डाक्टर नहीं है, कुशलगढ़ में डाक्टर नहीं है, सांडेराव में डाक्टर आज नहीं है, (व्यवधान)....

श्री सभापति : अब भी धन्यवाद देंगे आप ?

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : सुमेरपुर में आज डाक्टर नहीं है, अब डाक्टर्स नहीं हैं इलाज कैसे करवायें....(व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : बहुत पीड़ा है।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : इसी तरह से सांडेराव, रानी से हटाया वहां भी इन डाक्टर की शिकायत हुई है। यह बैठे हैं विधायक महोदय, इनकी शिकायत पर उनको हटाया और उनको सांडेराव लगा दिया। वह रोज अप-डाउन करते हैं। एक पोस्ट वेकेन्ट पड़ी है। 3 दिन आते हैं और 3 दिन नहीं आते हैं।

श्री सभापति : मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर दिया आपने। समाप्त करें।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह की आपकी छवि है उसी तरह से आप काम करें और जनता में जिस तरह की छवि है उसको कृपया नहीं मिटने दें और हमारी नजर में यह नहीं आये कि आप हमारे क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मुझे आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। यह जो कागजात हैं वह सभापति महोदय, मैं सदन की मेज पर रखता हूं। माननीय मंत्री जी, आप इसका अवलोकन कर लें।

श्री सभापति : इधर दे दीजिए।

(श्री सभापति)

(व्यवधान) श्री हेतराम बेनीवाल ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सुमेरपुर से आने वाले सदस्य ने एक कागज मेज पर रखा है और माननीय पण्डित रामकिशन जी ने....(व्यवधान)....जो पहले बोल गए हैं उनको भी सबक मिलना चाहिये। तो इसलिए हमारी यह रिक्वेस्ट है आपसे लेट बोलने वालों से कि पहले बोलने वालों को सजा मिले। हम बोलेंगे पूरा, जितना बोलना चाहते हैं।

श्री सभापति : आप बोलना प्रारम्भ कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा नम्बर है क्या।

श्री सभापति : नाम है, आएगा। तसल्ली से आप बिराजिए। ऐसे सब मुझसे पूछेंगे तो क्या होगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, आप नाम नहीं बता सकते, सब चले जाएंगे उठकर.... (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति जी, पहले हाउस को चुप तो कराइए। हाउस के सारे साथी बोल रहे हैं आपस में, आपसे पूछताछ कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप जोर से बोलिए, सब चुप हो जाएंगे। अपने स्वभाव के अनुसार बोलिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, आज चिकित्सा की मांग पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभापति जी, चिकित्सा की मांग पर माननीय मंत्री जी का मैंने जवाब सुना था और अगर वह जवाब को दुबारा दोहरा दें, मेरी समझ में हाउस में जो कुछ उन्होंने जिस तरह की एक योजना पेश की, जिस तरह से चिकित्सा के अन्दर राजस्थान में विशेष तौर से गांवों में चिकित्सक पहुंचे, चिकित्सा व्यवस्था है उसके लिए उन्होंने ग्रामीण सी. एम. एच. ओ. बनाए। ग्रामीण सी. एम. एच ओ. की अलग पोस्ट क्रिएट की, उनका अलग स्टाफ बनाया, दफ्तर बनाया और उनको जिप्सियां दी। सब कुछ किया, उसका मूल्यांकन माननीय मंत्री जी ने नहीं किया कि उसका क्या नतीजा निकला। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा उन्होंने यह भी एलान किया था कि राजस्थान में गरीब लोगों को राजस्थान सरकार इलाज के लिए पूरी मुफ्त दवाइयां देगी। एक बड़ी लम्बी चौड़ी योजना बनाकर उन्होंने पहली बात कही थी, सत्तर साल की उम्र से बड़ा जो हरिजन है उस हरिजन का अस्पताल के अन्दर मुफ्त इलाज होगा। मैं यह कह सकता हूं आपको, राजस्थान में किसी अस्पताल या किसी डिस्पेंसरी में किसी हरिजन का इलाज हुआ हो, एक का भी आप नाम बता दें, मैं बैठ जाऊंगा, मैं समझ लूंगा कि बहुत कुछ कर लिया। मेरे यहां तो यह हुआ है कि हरिजनों की लाश अस्पतालों से बिना पैसे नहीं मिलती है, आप तो उनका इलाज कराने की कहते हो। अगर बाडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाए तो डाक्टर्स बिना पैसे के उनकी बाडी भी नहीं देते अगर वह किसी इलाज के सिलसिले में चला जाए। मैंने मंत्री महोदय को लिखा भी है, इनको सूचना भी दी है कि क्या

(श्री हेतराम बेनीवाल)

स्थिति है गंगानगर जिले में। माननीय मंत्री जी ने खैर जवाब दिया नहीं पर मैं यह जरूर चाहूंगा कि जो उन्होंने योजना बनाई थी उस योजना पर वास्तव में चिकित्सा के सिलसिले में हमारा जो दृष्टिकोण है वह बदला हुआ है हम पूरा का पूरा ध्यान, सारा का सारा पैसा, सारी अर्थव्यवस्था उस चिकित्सा पर रख रहे हैं जो एलोपैथी है।

(8.12 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

आयुर्वेदिक विभाग, चाहे हम संस्कृति के पोषक हों, चाहे हम बहुत कुछ भारतीयता में विश्वास करते हों पर इस मामले में राजस्थान की सरकार ने वही किया है जो पहले सरकार करती रही, उससे बुरा किया है। पिछली बार प्लान का बजट था दो करोड़ रुपए का और इस बार उसको एक करोड़ चौरानवे लाख किया है तो आयुर्वेद के मामले में हम यह समझते हैं कि आयुर्वेद एक सैकेण्डरी सिस्टम है और उस पर राजस्थान सरकार ध्यान न रखकर पूरा का पूरा एलोपैथी पर ध्यान दे रही है। एलोपैथी में सबसे बड़ी जो देश के अन्दर बुनियादी तौर से मेडिसिन्स हैं, जिस मेडिसिन का प्रोडक्शन हिन्दुस्तान के अन्दर यह मोनोपोली जो बाहर की कम्पनियां हैं वह करती हैं। उन्होंने जो देश के अन्दर अब घुसपैठ करने के बजाए हिन्दुस्तान की सरकार पर दबाव डालना शुरू किया है, माननीय मंत्री जी, उन्होंने सुपर 301 और पेटेन्ट लॉ को चेन्ज करने के लिए जो दबाव डाला है उससे जो परिवर्तन हुआ, आप अन्दाज नहीं लगा सकते आज भी जिन कम्पनियों में 200 प्रतिशत का मुनाफा है वह कम्पनियां यह दबाव डाल रही है हिन्दुस्तान की सरकार पर कि आप पेटेन्ट लॉ को बदलो। आप इस तरह का कानून हिन्दुस्तान में बनाओ कि पांच साल तक जो भी मेडिसिन्स हैं उनको पांच साल तक कोई हिन्दुस्तान के अन्दर बनाएगा नहीं, उनकी मोनोपोली रहेगी और वह जिस तरह मर्जी आएगी, कीमत बदलेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी सरकारों पर यह दबाब पड़ रहा है कि मेडिसन्स में उन कम्पनियों ने लिखकर दिया है अमेरिकन मोनोपोलिस्ट ने कि जो हिन्दुस्तान के अन्दर कीमतें लिखी जाती हैं वह कीमत लिखने का सिलसिला भी बन्द किया जाए। अगर मेडिसिन्स पर कीमत लिखने का सिलसिला बन्द हो गया तो निश्चित तौर से इस देश का गरीब आदमी, इस देश का जरूरमन्द आदमी कहीं से दवाई खरीद ही नहीं सकेगा। यह स्थिति है। तो मैं चाहूंगा कम से कम यह व्यवस्था तो करें जो उन्होंने पिछली बार वायदा किया था कि हरिजनों को और गरीबों को अस्पताल के अन्दर मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। आप वह दवाई देंगे कहां से। आपके अस्पताल के अन्दर मेरे को आपने लिखित जवाब दिया है कि नौ डिस्पेन्सरी हैं मेरे क्षेत्र में और नौ के बारे में आपने लिखा है कि डाक्टर नहीं जाता। नौ डिस्पेन्सरियों में से आठ पर आपकी चैकिंग हुई। ज्वाइंट डाइरेक्टर ने चैकिंग की और वह डाक्टर नहीं रहता। आप मानते हैं कि अप डाउन करते हैं। मैं

(श्री हेतराम बेनीवाल)

चिकित्सा मंत्री जी अप डाउन की बात नहीं कह रहा। मैं यह कहता हूं कि यही एक गजेटेड ग्राफिसर है जो गैर हाजिरी में भी अपनी हाजिरी लगाता है, जो पूरे हफ्ते की हाजिरी एक दिन में लगाता है। यह मुझे शिकायत की है वहां। आपके सी. एम. एच. ओ. को हमने लिखकर दिया है कि एक ही हैण्ड राइटिंग में डाक्टर बैठकर पूरे हफ्ते की हाजिरी लगाता है। उन दिनों की हाजिरी लगाता है जिन दिनों में उनके पिताजी की मृत्यु हुई, एक तरफ कंधा लगा रहा है पिताजी को और दूसरी तरफ अस्पताल में हाजिरी लगा रहा है। एक तरफ अस्पताल में पड़ा है, प्लास्टर बंधा हुआ है दूसरी तरफ अस्पताल में हाजिरी लगती है। तो चिकित्सा व्यवस्था में यह आपने वायदा किया था, पिछले बार मुझे याद है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सिलसिले में यह आपने एलान किया था कि जो भी डाक्टर गड़बड़ करेगा, अप डाउन करेगा, नहीं रहेगा, उसका हम तबादला बाड़मेर कर देंगे। गंगानगर के बारे में कहा था, आपने बाड़मेर करने के बजाए जो गड़बड़ करते थे उनको शहर में ला दिया। जिसके खिलाफ शिकायत थी, लोगों ने शिकायत की, गांव में ठहरता नहीं, या गांव की डिस्पेन्सरी में नहीं रहता, कभी आता नहीं, आपने उसका ट्रांसफर उठाकर गंगानगर कर दिया या ट्रांसफर उठाकर गंगानगर के नजदीक कर दिया। ऐसे डाक्टर्स असल में आपने मुझे जवाब दिया है कि उन पर हम कार्यवाही करेंगे जो डाक्टर नहीं मिले डिस्पेन्सरी में, आपका ज्वाइंट डाइरेक्टर चैकिंग करने गया, माननीय चिकित्सा मंत्री जी, ज्वाइंट डाइरेक्टर ने खुद ने संगरिया के अस्पताल में बैठकर हास्पिटल के अन्दर शराब पी....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

जो ज्वाइंट डाइरेक्टर आपका अगर डाक्टरों के साथ बैठकर शराब पीएगा, शहर के पचासों लोगों ने शिकायत की, उसको देखा और वहां से बोतल की बोतल भरकर यानि एक तरफ तो शराब वहां पी उसके बाद अपना इन्तजाम करके साथ ले आए तो वह चैकिंग हो रही है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप समझते हैं कि गांवों में चिकित्सा व्यवस्था सही हो, जब तक डाक्टर्स गांवों में नहीं रहेंगे तब तक कोई भी कर्मचारी जिसको आप समझते हैं, आपने लिखा बाकी सारा स्टाफ रहता है, क्या यह सम्भव है कि जिसमें डाक्टर नहीं रहता उसमें नर्स रहेगी या कोई दूसरा रहेगा। अस्पताल के अन्दर ताला लगा रहता है। एक घण्टे और आधा घण्टे के लिए डाक्टर जाकर खोलता है हफ्ते के अन्दर एक बार, यह स्थिति है, इसलिए हमारा निवेदन है कि....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको आखिर में बुलाया है तो कम से कम जो पहले बोलने वाले हैं उनको सजा मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : 39 में से 20 बोले हैं। आपका नम्बर नीचे था उसको काटकर ऊपर ला दिया। अब आप समाप्त करिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : जिन लोगों को 30–30 मिनिट बुलाया है वह तो

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बोलकर घर चले गए। आप कोई तो न्याय कीजिए।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए। यही न्याय है, आप पहले आ गए।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस चिकित्सा व्यवस्था के बारे में यही कहना है कि राजस्थान में जो स्थिति आज बनी हुई है, यह ठीक है कि दो साल वाले रो रहे हैं 40 साल वाले को और 40 साल वाले दो साल को, पर हमको तय करना पड़ेगा कि यह डाक्टर्स छुट्टी लेकर बैठते हैं, डाक्टर्स जाते नहीं, अप डाउन करने के बाद भी अस्पताल में नहीं जाते, तो इसकी व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। आज शहरों के अन्दर जो नर्सिंग सिस्टम चल रहा है, नर्सिंग होस्टल्स बने हुये हैं और छोटे-छोटे शहरों को, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटलों में, मैं गंगानगर की बात करूंगा। 15–20 नर्सिंग होम्स पिछले तीन चार सालों में बन गये और पूरी तरह से चिकित्सा व्यवस्था दो भागों में बंट गई। एक सरकारी चिकित्सा व्यवस्था, एक प्राइवेट और प्राइवेट चिकित्सा व्यवस्था अगर अच्छी होगी, उसमें अगर लोग जायेंगे तो निश्चित तौर से आपका कोई डाक्टर आपकी परवाह ही नहीं करेगा, स्तीफा देकर चला जायेगा या छुट्टी लेकर बैठ जायेगा। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि इसके बारे में कानून बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तो इसके बारे में करें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री हेतराम बेनीवाल : मुझे एक बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष : आप नाराज होते हैं, नहीं हो तो एक बात कहूं आपको, आपका भाषण अधिक पब्लिक का होता है, आप भाषण को अपने पाइन्ट्स तक सीमित रखें। एक बात कह कर पचास उदाहरण देंगे। मैं समझता हूं मंत्री जी समझदार हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जिस तरह की मैंने प्रार्थना की है। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि यह जो टाइमिंग इन्होंने चेन्ज किया डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल का उससे बहुत बड़ी असुविधा पड़ेगी। पहले टाइम था दो वक्त। जब भी दूर के लोग, गांव के लोग डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर आते थे, अगर दोपहर का वक्त हो गया शाम को दिखा कर चले जाते थे।

श्री अध्यक्ष : आप इतना ही कह देते कि टाइम यह कर दीजिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : अब टाइम है नौ से लेकर तीन बजे तक।

श्री अध्यक्ष : आपका सजेशन है टाइम बदलिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : डाक्टर ठहरते हैं 9 से 12 बजे तक।

श्री अध्यक्ष : हो गया। आपने एक बात कही थी इसी तरह तो 10 बातें कहेंगे। और लोग रह जायेंगे। बिराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं आपसे निवेदन कर रहा था डाक्टर्स के बारे में

(श्री हेतराम बेनीवाल)

कहा सर्टिफिकेट देने की बात है यह ग्राम बात है कि डाक्टर्स सर्टिफिकेट जिस तरह देते हैं और उसमें यह तक ध्यान नहीं रखा जाता कि जिस ग्रादमी को वह सर्टिफिकेट दे रहे हैं वह ग्रादमी कौन है, उसके साइन करवाये जायें, ग्रंगूठा लगायें ग्रौर सर्टिफिकेट देते हैं। दवाइयां डाक्टर्स लिखते हैं ग्रायुर्वेदिक दवाइयां बड़े से बड़े ग्रापके डाक्टर हैं वह लिखते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राज ग्रायुर्वेदिक दवाइयां बड़े-बड़े डाक्टर दे रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : तो फिर ग्रायुर्वेदिक वाले दे रहे हैं एलोपैथी की....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रायुर्वेद में भी ग्राज कल टेबलेट्स, ग्रौर इन्जेक्शन बना दिये हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : ग्रायुर्वेदिक वाले एलोपैथी की दे रहे हैं तो फिर सिस्टम कौनसा चलेगा। साइंटिफिक रिसर्च जो हैं....(व्यवधान) वह दवाई देते हैं मुझे यह निवेदन करना है कि इस सिलसिले में चिकित्सा व्यवस्था के लिहाज से मंत्री जी ने पिछली बार वायदा किया था कि वह....निभायें।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री ग्रनंग कुमार (ग्रनुपस्थित), श्री प्रेम सिंह दहिया (ग्रनुपस्थित) श्री रामकरण सिंह (ग्रनुपस्थित) श्री चम्पा लाल जैन (ग्रनुपस्थित) श्री शिव किशोर सनाढ्य (ग्रनुपस्थित) श्री हेमराज मीणा (ग्रनुपस्थित) श्री प्रकाश बैरवा।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : ग्रादरणीय ग्रध्यक्ष जी, मांग नम्बर 26, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। जैसा कि ग्राज ग्रस्पतालों के लिये जो व्यवस्था है वह इतनी खराब हो रही है कि डाक्टर ग्राम गरीबों को ग्रौर पेशेन्टस को हास्पिटल में देखना ही पसन्द नहीं करते। दूर-दराज ग्रौर गांवों के जो हास्पिटल हैं उनकी स्थिति तो ग्रौर भी दयनीय है। ग्रस्पतालों के ग्रन्दर डाक्टर बैठते ही नहीं हैं। जो कोई बैठते हैं वह नाम मात्र के मामूली से, घंटा, ग्राधा घंटे गये ग्रौर ग्रपने घर पर जाकर प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं। जो डाक्टर ग्रपने घर पर जाकर मरीजों को देखते हैं मेरा उसमें निवेदन है कि इन डाक्टर्स को जो प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं इस पर रोक लगाई जावे ग्रौर जो ड्यूटी पर रहते हुए घर पर जाकर देखते हैं इस पर पाबन्दी लगाई जाये। मेरा दूसरा निवेदन था कि ग्रस्पतालों के ग्रन्दर स्टाफ की इतनी कमी रहती है, जैसे मेरे फागी ग्रौर चाकसू में दो रेफरल हास्पिटल हैं। इन रेफरल हास्पिटल की व्यवस्था देखें तो 6-6 डाक्टरों की जगह केवल मात्र एक डाक्टर रहता है। वह भी ग्रपने घर पर रहता है। हास्पिटल के ग्रन्दर नहीं बैठता है। जैसे इमरजेन्सी केस ग्राते हैं उन इमरजेन्सी केसों के ग्रन्दर यह हालत रहती है कि पोस्टमार्टम करने के लिए भी हमें जयपुर लेकर ग्राना पड़ता है। जहां तीन-तीन, चार-चार पी. एच. सी. हों, रेफरल हास्पिटल हों ग्रौर उनके ग्रन्दर ऐसी व्यवस्था हो कि डाक्टर मौके पर रहते नहीं हैं ऐसी ग्रवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था करें कि कम से कम पी. एच. सी. ग्रौर जो रेफरल हास्पिटल है वहां के सारे डाक्टर्स हैड क्वार्टर पर रहने चाहिए। इस प्रकार

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

की व्यवस्था होनी चाहिए । मेरा एक निवेदन था कि हास्पिटल्स के अन्दर डाक्टर आपने लगा दिये। पहले भी आपसे पूछा था, क्वेश्चन किया था बताया था कि हमने डाक्टर्स तो सब जगह अपाइन्टमेंट कर दिया कोई जगह खाली नहीं लगा तो दिया लेकिन पहुंचे या नहीं और जो लगाये उन डाक्टर्स को आपने जयपुर में बैठा रखा है 6–6 डाक्टर्स और हास्पिटल में मात्र एक डाक्टर । सारे डेपुटेशन पर आपने जयपुर में लगा रखे हैं। इसलिए डेपुटेशन जो आपने कर रखा है और जो लगा रखे हैं उस डेपुटेशन को समाप्त किया जाये और सारे डाक्टर्स को पाबन्द करें कि वह हास्पिटल में रहें हमारे रेफरल अस्पतालों के अन्दर आपने महिला चिकित्सकों की भी व्यवस्था की है।

श्री अध्यक्ष : एक बात । मंत्री जी अर्गेस्ट पोस्ट और डेपुटेशन में फर्क है क्या।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोई भी डाक्टर डेपुटेशन पर हमारे अस्पताल में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं मैं पूछ रहा हूं कि अर्गेस्ट पोस्ट और डेपुटेशन में फर्क है क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अर्गेस्ट पोस्ट तो पोस्टिंग किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : मतलब फर्क है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अन्तर है।

श्री अध्यक्ष : डेपुटेशन पर तो कह देंगे कि हम हटा रहे हैं । अर्गेस्ट पोस्टों की बात करिये।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : यह कई बार कह चुका हूं। . (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप एक भी डाक्टर आन डेपुटेशन बता देंगे कि यह गया है....

श्री अध्यक्ष : मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेपुटेशन की तो वह कह देंगे कि हमने हटा दिया है। अर्गेस्ट पोस्ट का मामला उठाइये।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : फागी में अर्गेस्ट पोस्ट लगा रखा है। डेपुटेशन यहां कर रखा है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप नाम बता देना। you give me one name.

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : आपके सी. एम. एच. ओ. से पूछ लें एक भी डाक्टर नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिए कहता हूं कि कोई डेपुटेशन पर नहीं है। आप मुझे बतायेंगे तो उनके विरुद्ध एक्शन लूंगा। और जिसने डेपुटेशन लगाया है उसके विरुद्ध भी एक्शन लूंगा।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : मैं आपको नाम बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : बता देना, बाद में बता देना।

श्री भंवरलाल शर्मा : कब बता दोगे ?

श्री अध्यक्ष : बाद में बता देंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : और भी माननीय सदस्य बता सकते हैं कि वही बतायेंगे। मैं तो खुद बता दूंगा आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, चेयर तो क्लियेरीफिकेशन पूछ ही सकती है।

श्री अध्यक्ष : डेपुटेशन के बारे में तो इन्होंने बहुत पहले ही घोषित कर दिया था कि डेपुटेशन पर से सबको हटा रहे हैं। मेरे ख्याल से करीब-करीब सब हट गये।

श्री परसादी लाल मीणा : मैं आपको बता दूंगा। अगेंस्ट पोस्ट लगा रखे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप नाम बता दीजिए....(व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : नाम दो तीन हैं। एक का नाम बताऊं क्या मैं।

श्री अध्यक्ष : जब नाम आये तब बता देना आप। आप इतना टाइम ले रहे हैं।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : अध्यक्ष जी, मेरे यहां पर चूरू और मण्डावरी दो पी. एच. सी. हैं दोनों पी. एच. सी. में मैंने मंत्रीजी को भी निवेदन किया था कि करीबन एक वर्ष से वहां पर कोई डाक्टर नहीं गया और इन्होंने डाक्टर डेप्यूट कर रखे हैं। जिस डाक्टर को इन्होंने वहां लगाया वह वहां पर गया नहीं, गये बिना ही इन्होंने ट्रान्सफर कर दिया और जिसको लगाया वह भी नहीं गया है जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि हमने डाक्टर्स की व्यवस्था कर रखी है। मैं कहता हूं कि चूरू के अन्दर एक डेढ़ साल हो गया जबकि आपने वहां पर लगा रखा है, किसी भी पब्लिक में से, आपके सी. एम. एच. ओ. को भेजकर या आप खुद पूछ लीजिए कि कोई डाक्टर वहां गया है ? तो मैं कह रहा हूं चूरू पी. एच. सी. के अन्दर आज तक डाक्टर नहीं गया है। इसके अलावा 10 सब सेन्टर हैं फागी विधान सभा क्षेत्र में, जिसमें बार-बार आपका यह जवाब आता है कि हम स्टाफ को और नर्सों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग से आते ही हम वहां लगा देंगे। दो साल से सारे सब सेन्टर बिना नर्सों के खाली पड़े हैं। वहां पर कोई नर्स नहीं बैठती, वहां पर कोई नर्स नहीं जाती। सारी व्यवस्था खराब हो रही है। सारे गांव वाले बार-बार जब भी हम जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहां यह व्यवस्था कीजिए, हमारे यहां नर्स लगवाइये, हमारे यहां पोस्ट भरवाइये मैं आपसे भी कई बार मिल चुका, लिखित में भी दे चुका लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई तो मेरा निवेदन है कि सब सेन्टरों के अन्दर पोस्ट भरी जाय और वहां पर पोस्ट भरकर जो व्यवस्था है, दवाइयां हैं, जो भी वहां मिलनी चाहिये उनको उचित दी जाय। मेरा इसमें एक निवेदन था कि फागी और चाकसू दोनों रेफरल अस्पतालों में काम चल रहा है, भवन के निर्माण का काम चल रहा है....

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : धन्यवाद दीजिये।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : धन्यवाद दे रहा हूं (व्यवधान) मैं मंत्रीजी को धन्यवाद

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

दे रहा हूं कि दोनों जगह 10–10 लाख रुपये के काम चल रहे हैं लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है और काम इतना बढ़िया हुआ है वहां पर और जो ठेकेदार काम कर रहा है, इतने बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, सारी पब्लिक कहती है कि बहुत बढ़िया काम हुआ है लेकिन उन ठेकेदारों को आपके विभाग ने, क्योंकि पी. डब्लू. डी. भी आपके पास है, मैंने चिट्ठी भी लिखी है, मेरी जेब में ही रखी हुई है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दे दो चिट्ठी।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : करीबन 20 दिनों से काम बन्द हो रहा है फागी का और मात्र इसलिए कि पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के आपके अधिकारी उनसे 5 प्रतिशत कमीशन लेना चाहते हैं। उस ठेकेदार ने काम बन्द करना मंजूर किया, लेकिन 5 प्रतिशत कमीशन नहीं दिया, चैक बनकर पड़े हैं पी. डब्लू. डी. में, लेकिन उस ठेकेदार को भुगतान इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको 5 प्रतिशत कमीशन नहीं दिया गया। तो मेरा निवेदन है कि उस ठेकेदार से जो लोग वहां कमीशन मांग रहे हैं उनको....

श्री फूलचन्द मीणा : 5 प्रतिशत वाली लिखित में दे दो और बतलाओ। वह जैसी भी हो, आप बता दो।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : मैं बता रहा हूं ना, मैं खुद कह रहा हूं, जयपुर के अन्दर बैठे हैं। फागी चिकित्सालय का काम बन्द क्यों हुआ 15-20 दिन से कह रहा हूं, मैंने लिखकर दिया है, एक्स. ई. एन. साहब को कही है, मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूं कि मैंने लिखकर रख रखा है, वह मैं आपको दे रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : देखो तो सही, मैं जांच करूंगा।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : ठेकेदार को भुगतान करवाइये और अस्पताल में जो कमीशन लेते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

इसके अलावा फागी के अन्दर ऐसी कई पंचायतें हैं, 15–20 किलोमीटर तक उनकी चिकित्सा सुविधा नहीं है। ऐसी चार पंचायतें हैं चानवा, दोसरा, डिडावता, दादीच। 4 पंचायतों में कोई पी. एच. सी. या अस्पताल नहीं है तो मेरा निवेदन था कि जब भी आप, सरकार जब अस्पताल खोले तो कम से कम दादीच में या डिडावता में दोनों में से एक जगह पी. एच. सी. खोली जाय। एक रेनवाल ऐसा कस्बा है जिसकी आबादी 6–7 हजार है लेकिन वहां पर केवल एड पोस्ट है, उसको क्रमोन्नत कर पी. एच. सी. खोली जाय....
(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके रूल करने का कोई महत्व नहीं है ओमजी।

श्री अध्यक्ष : कागज उनका है मंत्रीजी का, अभी आते ही कागज लौटा देंगे उनको। उनका नहीं है।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं तो फिर आर्डर भी कर देंगे वे नहीं जायेंगे तब तक।

श्री अध्यक्ष : शान्ति से बोलने दो। हो गया ?

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : इसलिए अस्पतालों की जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाय। जो डेपुटेशन कर रखे हैं, डेपुटेशन खत्म किये जाय और जो दवाइयां वगैरह मिलनी चाहिये, वह सारी व्यवस्था की जाय। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्रीमती उजला अरोड़ा। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगी। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना जयपुर के एस. एम. एस अस्पताल के सम्बन्ध में। शायद पूरी जानकारी है नहीं, मैं समझती हूं इतने बड़े विशेषज्ञ प्रवीण लोग यहां पर हैं, मैं समझती हूं हिन्दुस्तान भर की क्रीम कहें तो कम होगा और बहुत अच्छे तरीके से चिकित्सा कार्य को सम्भाल रहे हैं। उनकी कमी नहीं है। कमी यह है कि जो पेरा मेडिकल स्टाफ है वह कम है। जो प्रशासनिक सेवाओं को देखता है, उनका ध्यान आधा है यहां पर, आधा कहीं बाहर है। वह अपनी डिस्पेंसरीज चलाते हैं। पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनकी कोई कमजोरी होगी और मंत्री महोदय की कोई दिक्कत होगी जो उन्होंने लगा रखा है। उनको ऐसा लगाया जाना चाहिये कि पूरा ध्यान दें और सारी व्यवस्था को सम्भालें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यहां के जो 5–6 अस्पताल हैं जैसे एस. एम. एस. अस्पताल, जनाना अस्पताल, मानसिक चिकित्सालय, महिला अस्पताल, जे. के. लोन अस्पताल, क्षय चिकित्सालय और कुष्ठ अस्पताल। इन सारे अस्पतालों में एक कमी खास तौर से है वो यह है कि वहां पर सफाई सुविधा की कमी है जिसके कारण से बार-बार एक बात उभर कर आती है। मैंने कई प्रश्नों के माध्यम से, सलाह के माध्यम से कहा कि इन स्टाफ को बढ़ाओ। लेकिन स्टाफ बढ़ाया नहीं ज ता। ठेके पर सफाई करना मंजूर लेकिन करते नहीं अगर ये आश्वस्त हो जाय, जो वहां के सफाई कर्मचारी हैं उनको नहीं हटाया जायेगा तो ठेका भी मंजूर कर लेंगे जायेगा क्योंकि जो सफाई करेगा, ठेकेदार वह सुबह तो ही करेगा, वहां तो 24 घण्टे सफाई सुविधा की आवश्यकता है। खाली वह स्टाफ रखे या फिर सुलभ शौचालय को व्यवस्था दे दें। यह व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यह बड़ी दिक्कत की बात है और जो मैला पड़ता है उसको उठाने की व्यवस्था भी नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इस पर मंत्री महोदय जरूर विचार करेंगे कि यह व्यवस्था कैसे सम्भाली जाय।

जनाना अस्पताल में जगह कम है। जहां पर उसकी सुपरिन्टेन्डेन्ट बहन जी रहती है। जितनी जनाना अस्पताल में जगह है उतनी ही उनके निवास में जगह है। अब क्या दिक्कत है। अगर उसमें रहने लायक जगह छोड़कर उतना मकान अच्छा बनाकर बाकी को जनाना अस्पताल में शामिल कर लिया जाय तो दिक्कत

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं। वहां शहर से लगती हुई पुलिस लाइन है। वो भी पी. डब्लू. डी. की बिल्डिंग है। हम मांग करते हैं मंत्री महोदय के पास दोनों विभाग हैं लेकिन वह नहीं हो रहा है। जनाना अस्पताल में ज्यादातर महिलाएं जमीन पर सोती हैं और ऐसी स्थिति में होती हैं जो होनी नहीं चाहिये। मेरा निवेदन है कि आप ध्यान देकर इस व्यवस्था को सुधारें और इस व्यवस्था में मैं आपका ध्यान इसलिए दिला रही हूं कि कुष्ठ अस्पताल है, उसकी व्यवस्था में क्या दिक्कत है। वहां पर जितने रोगी होते हैं, उनको एक्सरे के लिए एस. एम. एस. अस्पताल लाना पड़ता है और टट्टी पेशाब या छोटी-मोटी जांच के लिए भी लाना पड़ता है तो संक्रामक रोग के रोगी को यहां लाया जाय या वहां यह व्यवस्था कर दी जाय मंत्री महोदय इसका औचित्य समझ लें जो मैं बात कह रही हूं, आप उसका ध्यान दें। मानसिक चिकित्सालय में अगर वहीं स्टाफ को रखेंगे जो एस. एम. एस. अस्पताल में है, वहीं मानसिक चिकित्सालय में रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक-एक पागल रोगी को पकड़ने के लिए 6 आदमी चाहिये और आप एक आदमी दे रहे हो और अब वहां डाक्टर्स भी परेशान हैं, जो स्टाफ है वह भी परेशान है। आप इसको व्यावहारिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि....

श्री अध्यक्ष : पागल भी इतने एक्सपर्ट हैं कि सब मिलकर ही एक साथ बलवा करते हैं। मतलब पागल इतने एक्सपर्ट हो गये कि योजना बनाकर सब एक साथ ऐसा काम करेंगे कि एक के लिए 6-6 आदमी चाहिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब अगर वहां कोई जाए और पागल होकर नहीं आए तो मैं मान जाऊंगी। आप देखिये, जो वहां व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था सोचनी चाहिये और ऐसा नहीं करेंगे तो वहां अव्यवस्था रहेगी। मेरा निवेदन है कि दवाइयों का बजट है, वह कम है। यह बात निश्चित रूप से मान लीजिये और दवाइयों के बजट को, जिस-जिस श्रेणी में दवाइयां देनी चाहिये, उस बजट को आपको बढ़ाना होगा तभी वह सुविधा हो सकेगी अन्यथा जो पर्चे लिखने वाले डाक्टर्स हैं, कहीं बाहर भी लिखा लेगा, उसके क्या फर्क पड़ता है। आप इन अस्पतालों की इज्जत बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से दवाइयों का बजट बढ़ायेंगे, मुझे पूरी आशा है। अब और दिक्कत होने वाली है कि इन अस्पतालों में कुछ में लिफ्ट है और लिफ्ट बंद है। लिफ्ट चलेगी और रोगी को कोटेज वार्ड से अगर जाना है तो पूरे अस्पताल को फांदकर के आंखों के अस्पताल में जायेगा। अब वह कैसे जायेगा। उसकी कुर्सी चलेगी। कुर्सी के पहियों में हवा ही नहीं है। मैं वहां साढ़े तीन महीने रहकर आई हूं। मुझे इतनी परेशानी हुई कि....

श्री अध्यक्ष : आप इतनी भारी है कि कुर्सी में हवा कैसे रहेगी। हवा भी निकल गई होगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो आपके स्ट्रेचर हैं, जो वहां पर हैं, वे बिल्कुल रखने काबिल नहीं, नए खरीदने की आवश्यकता है। आप इसको चैक कीजिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आपके यहां एम्बुलेंस की कमी है। अब एम्बुलेंस क्या काम करती है। वह केवल मरीज ही नहीं लाती, दिक्कत की बात तो यह है कि वे डाक्टर्स को भी लाती हैं तो जितनी एम्बुलेंस हैं उनमें आधी तो खराब हैं और जो सही भी हैं, वे, जब मरीज को लाना हो तो वह डाक्टर्स को ले जाती हैं। अब कोई डाक्टर मालवीय नगर रहता है, कोई बनीपार्क रहता है, कोई वहां रहता है। क्योंकि मेरे शहर के अस्पताल हैं, मैं सुविधा दिलाना चाहती हूं, मैं आलोचना की दृष्टि से बात नहीं कह रही हूं। आप इसका ध्यान करें और इन व्यवस्थाओं को सुधारें।

अभी हरिश चन्द्र जी कुमावत कॉटेज की व्यवस्था के बारे में कह रहे थे कि कॉटेज बाहर वालों को नहीं मिलता। कॉटेज तो कमाऊ पूत है। कोई 100 रुपया देता है, सुपर डीलक्स 50 रुपए कॉटेज के देता है 14 रुपए जो न्ये टू व्हीकल बने हैं वे देते हैं। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो जयपुर के दानदाताओं में इतनी शक्ति है कि वे बना देंगे। आप उनको इनवाइट कीजिए रोटरी क्लब बना देगा, जयपुर क्लब बना देगा, लायन्स क्लब बना देगा। आपके पास 32 कमरों की संख्या का आवेदन मिला है लेकिन वो नहीं बन पा रहा है और जगह की आपके पास कोई कमी नहीं है। जगह है, वहां उनका पार्क बनाया जा सकता था। अगर डबल स्टोरी कॉटेज नहीं बनाते लेकिन वहां पर गायें घूमती हैं, कुत्ते घूमते हैं उन पर कोई रोक नहीं है। कोई भी चीज लेकर कोई कहीं चला जाय, किसी रोगी को कोई मारकर चला जाय कुछ पता नहीं। आप एन्ट्री के लिए दूसरा रास्ता रखें व निकलने का दूसरा तय कीजिए। वहां पर मरीजों की सुविधा के लिए कुछ काम कीजिए और मैं कहना चाहूंगी कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनमें पार्कों को तो लोन्स कहा जाता है। जब वहां पर सारी बदबू ही बदबू है तो कैसे काम चलेगा। मंत्री महोदय आप कुछ हरियाली लगाईये। जे. डी. ए. वाले पास बैठे हैं ये पौधे मुफ्त देते हैं इनसे ले लीजिए। आपकी नर्सरी खुद की है आप वहां से लगवा दीजिए। कुछ हरियाली बढ़े इसकी भी आप निश्चित रूप से व्यवस्था करेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी जो बहुत आवश्यक है। आप इन सबके लिए कॉटेज की व्यवस्था, टू व्हीकल्स की व्यवस्था और जितने वार्ड्स हैं उनकी व्यवस्था के लिए एक सुपरवाइजर अलग से लगायें। कहीं बिजली नहीं है, कहीं पलंग खराब है, कहीं गद्दा फटा हुआ है, कहीं कुर्सी नहीं है, किसी कमरे की लेट्रीन खराब है, कहीं कुछ और दिक्कत है। आप जब कमरे देते हैं तो वे कमरे संभलाकर दें कि इसमें सब कुछ ठीक है इसके लिए एक सुपरवाइजर रखें, क्योंकि सुपरिन्टेन्डेन्ट को टाइम नहीं मिलता, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, असिस्टेंट को टाइम नहीं मिलता। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कृपा करके इस व्यवस्था को सुधारें। इन कॉटेज का पूरा पैसा या आधा पैसा इनकी मेंटिनेंस में आप लगा दें। यह उद्देश्य रखें कि इनको आप ठीक रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सारा पैसा जमा हो जाता है और वहां पैसा मिलता नहीं है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां मुर्दाघर है और मुर्दाघर में एयर कन्डीशन की व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी का समय आया और वहां पर....(व्यवधान) आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी हो गई ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, मुझे परेशानी है, यह आपका आखरी पाइन्ट है न। जन्म से मौत तक बोलती हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक-दो बातें और बोल देती हूं। आप मना करेंगे तो बंद कर दूंगी, हाथ से लिखकर दे दूंगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, बोलिए। आप जन्म से मुर्दाघर तक पहुंच चुकी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कृपा करके मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। मैं निवेदन करूंगी उसको एयर कन्डीशन करना चाहिए....

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, इनके दो ही सब्जेक्ट हैं। एक जेल और दूसरा चिकित्सा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो मरीज की मिट्टी खराब करना कानूनन अपराध है। (व्यवधान) यह आप जो चद्दरें धुलाते हैं उसका 30 पैसा देते हैं। आप बाहर से धुलाइये चाहे एक रुपया दीजिए। चद्दर तकिया या तो मत दीजिए, घर से लायेगा जिसको लगाना होगा और दें तो साफ व धुला हुआ दें। बेड्स पर गद्दे चिपक जाते हैं अतः नाइलोन की शीट लगाई जाय या कोई और शीट लगाई जाय तो गद्दे गलेंगे नहीं।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां गांव में प्रशिक्षित दाइयों के साथ मेटरनीटीहोम या सेन्टर खोलने चाहिए। क्योंकि तहसील स्तर पर आपने व्यवस्था नहीं की तो मैं बता सकती हूं कि जमुआ-रामगढ़ से जयपुर तक लाने में कितनी महिलाए मरी होंगी इसकी गिनती मैं नहीं कर सकी आप तो क्या कर पायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगी जो डाक्टर्स गांवों में नहीं जाते उनको गांवों में जाने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाय या और किसी तरह से उनको सुविधा पहुंचाई जाय जिससे वे गांवों में जाना शुरू करें और गांवों के हास्पिटल्स की व्यवस्था सुधारें। मैं निवेदन करना चाहूंगी, मेरे यहां नायला में कैम्प लगते थे। नायला में आपने अस्पताल खोला इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं लेकिन वहां कुछ दिक्कतें पैदा हो गई। बहुत कैम्प लगते थे परिवार नियोजन के, आंखों के। लेकिन वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी के लिए मैं जलदाय मंत्रीजी से कई बार निवेदन कर चुकी हूं कि मेरे गांव में पानी की व्यवस्था सुधारें लेकिन वह सुनते ही नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि अपने अस्पताल में आप ही नल लगवा लीजिए या टंकी....

श्री अध्यक्ष : भंवरलाल जी पर नजर पड़ गई होगी आपकी इसलिए मेडिकल से सीधी पानी पर आ गई आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह मेरा पाइन्ट लिखा हुआ है, उनको देखकर नहीं लिखा। मुझे कष्ट है, मैं बता रही हूं आप मेहरबानी करके वहां पानी की व्यवस्था करें जिससे वहां प्रतिमाह लगने वाले कैम्प हैं वे फिर से लग सकें और जो हमारा उद्देश्य है वह पूरा कर सकें।

मान्यवर, बनीपार्क में एक अस्पताल धर्मार्थ संस्थान में चल रहा है। जयपुर में खुला तो शास्त्री नगर के लिए था लेकिन तब बिल्डिंग नहीं थी। अब वो बिल्डिंग हो गई लेकिन यह बनीपार्क में बढ़िया बिल्डिंग हो गई है और सारी सुविधायें वहां के नागरिकों ने प्रदान कर दी हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि बनीपार्क में धर्मार्थ संस्थान चल रहा है कृपा करके उसे डिस्टर्ब न करें और शास्त्री नगर में एक और खोल दें। मैं निवेदन करना चाहूंगी मेरे यहां मोतीकटला डिस्पेंसरी में 92 बल्लियां थी वे अब घटते-घटते, वह बिल्डिंग 92 बल्लियों के सहारे टिकी हुई थी अब उसमें काफी पैसा लग चुका है लेकिन अभी भी जहां नर्स और कम्पाउण्डर बैठते हैं और काम करते हैं जहां और व्यवस्था है वहां पर अभी भी 30 बल्लियां और खड़ी हैं। ये आपके शासनकाल में निश्चित रूप से हट जायें, इस साल में हट जायें तो बहुत अच्छा है।

मेरे यहां जमुआरामगढ़ में अस्पताल की जमीन थी। कुछ लोगों ने उस पर एनक्रोचमेंट कर लिया। मैंने शिकायत की लेकिन डाक्टर ने कहा कि कुछ एनक्रोचमेंट नहीं किया। आप वो जगह देख लीजिए और मैंने आपसे कहा भी था कि वहां कोई यादव करके लगा हुआ है वह पूरा पोलिटिशियन है, इधर-उधर घूमता है, स्टे ले आये हैं और वो जमीन को हजम कर जायेंगे, बेच देंगे, लेकिन वे वहां से जायेंगे नहीं। आप उनको वहां से हटाइये।

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगी कि जयपुर के 6 अस्पतालों में जो टी. बी. अस्पताल है उसमें कॉटेज खाली पड़े हैं। कॉटेज वार्ड का पैसा बहुत ज्यादा है इसलिए कोई कॉटेज वार्ड में रहता नहीं है। क्षय रोगी के पास पैसा बचेगा नहीं। इसलिए वहां जो कॉटेज वार्ड खाली हैं, आप कृपा करके जो पागलखाने के स्टोर में 9 कमरे बंद हैं वो सामान वहां शिफ्ट कर दें तो जो सिंधी कैम्प स्कूल चलता है, आप पी. डब्ल्यू. डी. के मंत्री भी हैं आपका वो अस्पताल का सामान हट जायेगा तो वहां लड़कियां शिफ्ट हो जायेंगी। आप कृपा करके वे 10 कॉटेज खाली पड़े हैं उन कमरों में उस सामान को शिफ्ट कर लो।

मेरा निवेदन है कि आयुर्वेद में इस बार बजट में बहुत कम प्रावधान रखा है। जितना था वह भी कम था और उसमें भी 26 लाख कम कर दिए। सरकार से मैं कहना चाहूंगी कि वो ऐसा न करें। आयुर्वेद देशी चिकित्सा पद्धति है। वह हमारे प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा कारगर है। अस्पतालों में बहुत कम लोग जाते हैं। उनके लिए तो हम 125 गुना बजट रखते हैं और आयुर्वेद के लिए घटाकर हम प्लान में जो बजट रखा था उसमें हमने 26 लाख की कटौती कर दी है। आप कृपा करके आयुर्वेद का बजट बढ़ायें जिससे कि

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

देशी चिकित्सा पद्धति चाहे होम्योपैथिक हो या यूनानी हो या आयुर्वेद हो इसका विस्तार हो सके। मेरे यहां एक आयुर्वेद डिस्पेंसरी चर्चा का विषय बन गई। लांगड़ीवास में खोली गई और वैद्य वहां जाना पसंद नहीं करते थे इसलिए क्या बहाना कर रखा है कि वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं है। वहां बिल्डिंग उपलब्ध है और डिस्पेंसरी खोली नहीं जा रही है। मंत्री महोदय ध्यान दें और इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को वे सुधारें। मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मंत्री महोदय ने मेरी बातों को सुना। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरा नाम आया था उस समय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे बुला लिया था इसलिए अब मुझ पर कृपा करके मुझे अवसर दें।

श्री अध्यक्ष : अब सारे बोलने के बाद समय मिलेगा तो मिलेगा। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं तो संजेशन ही दूंगा। मैं 2–4 बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष : पहले श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर बोलेंगे। श्री लक्ष्मीलाल गुर्जर।

श्री लक्ष्मी लाल गुर्जर (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई पर चर्चा हो रही है। इसके दो पहलू हैं, एक पहलू इसका प्रिवेंटिव है और दूसरा क्यूरेटिव है। एक रोग के निदान के लिए और दूसरा रोग हो ही नहीं, उसकी रोकथाम के लिए है। जहां पर आज की चर्चा का सवाल है, सभी वक्ताओं ने इस बात पर बहुत जोर दिया, क्यूरेटिव पहलू पर, कि चिकित्सा कैसी होनी चाहिए, क्या उसमें कमियां हैं, क्या बात है, लेकिन रोग हो ही नहीं, बीमारियां फैले ही नहीं, इसके ऊपर विभाग का पूरा ध्यान नहीं है। जहां तक प्रिवेंटिव मेजर्स का सवाल है, सबसे पहले मैं इस पहलू को लेता हूं कि जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर से यह क्यूरेटिव प्रोब्लम भी वैसे ही बढ़ेगी, बजट भी उतना ही करना पड़ेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम इस विभाग का जनसंख्या पर नियंत्रण करने का है। इस पर सदन में काफी चर्चा हो चुकी है, अलग से भी बहस हो चुकी है। लेकिन यह महज एक विभाग का कार्यक्रम बना कर चल रहे हैं और उस विभाग में भी दूसरे पर आश्रित रह कर इसके लक्ष्य प्राप्त किये जाते हैं यानि मेडिकल डिपार्टमेंट रेवेन्यू विभाग की, पुलिस विभाग की और दूसरे विभाग की सहायता से अपने लक्ष्य पूरा करता है। तो इस तरह का जो यह आन्दोलन या कार्यक्रम है, इस पर अगर हम निर्भर रहे, इस पर हम आधारित रहे तो निश्चित तौर से इसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस कार्यक्रम को लोक कार्यक्रम बना कर इस पर काम किया जाना चाहिए। वर्तमान में जो ए. एन. एम. और गांवों में जो स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता हैं उनके बलबूते पर जनसख्या नियंत्रित नहीं

(श्री लक्ष्मी लाल गुर्जर)

होगी। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रिवेंटिव पहलू के दूसरे मेजर्स हैं, आज मुझे पता नहीं, स्वास्थ्य मंत्रीजी को तो सात रुपये, आठ रुपये में शायद अच्छा दूध मिलता होगा लेकिन हम सात, आठ रुपये देकर के भी आधा पानी मिला हुआ दूध जयपुर में पी रहे हैं। मैं जयपुर की ही बात नहीं करता, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी भी जानते होंगे कि आज जो एडल्ट्रेशन हैं, चाहे खाने की चीज में हो, चाहे दूध में हो, चाहे और दूसरी चीज में हो, अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो लोक स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। इन सब बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तभी जाकर हम आगे इसके प्रिवेंटिव पहलू पर कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जहां पर हमको ऐसे कम्पेन चलाने की बात है, टीके लगाने की बात है, उन बातों के ऊपर हम केवल उसको इस बात पर मान कर कि यह हो जायेगा, जैसे मलेरिया की रोकथाम के लिए डीडीटी का छिड़काव नियमित रूप से होना चाहिए, इसी तरह से जो बहुत सी बीमारियां हैं, उसके वैक्सीनेशन वगैरह की बातें हैं वह समय पर होनी चाहिए। यह जो दूसरा इसका पहलू है, बहुत सी समाज के अन्दर बुराइयां हैं। आज गांवों के अन्दर अफीम लेने का आम लोगों में इतना प्रचलन हो गया, तम्बाकू पीने का, सिगरेट पीने का इतना प्रचलन हो गया कि आज वह स्वास्थ्य के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं। यह भी हमारे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि वह इस पहलू पर भी ऐसा जोब चार्ट गांवों के अन्दर जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वह ए. एन. एम. है, चाहे दूसरे सोशियल वर्कर हैं, अगर वह इस पर ध्यान दें, आज गांवों में तम्बाकू और बीड़ी पीने की आदत आदमियों में तो है जो है, यह औरतों में भी है, प्रचलन नब्बे प्रतिशत तक पहुंच गया है। इन सब बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए तभी जाकर हम गांवों के स्वास्थ्य के बारे में कुछ कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं तो आपके एम. एल. एज. का स्वास्थ्य खराब होगा। आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। मेरे यहां डिब्बियां की डिब्बियां खाली हो रही हैं तम्बाकू की। अच्छा दिया है। एम. एल. ए. का स्वास्थ्य ठीक होगा।

श्री लक्ष्मी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है और इसलिए यह ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ मैं माननीय मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में ही निवेदन करना चाहता हूं जहां तक क्यूरेटिव पहलू का सवाल है, यह प्रगति प्रतिवेदन मैंने देखा है, उसमें कुछ पी.एच.सी, पचास पी. एच. सी. खोली है, पन्द्रह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 155 शैय्या, 15 रोगी वाहन, 15 एक्स-रे मशीनें और 10 मातृ शिशु केन्द्र, कुल मिला कर यह पूरे विभाग की साल भर की उपलब्धि है, मैं

304.

(श्री लक्ष्मी लाल)

इस उपलब्धि को तो नगण्य मानता हूं। आज के परिप्रेक्ष्य में जहां इतनी जनसंख्या है, इतनी बातें हैं, वहां पर यह कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब चीजों में मेरे क्षेत्र में तो एक भी चीज पांती नहीं आई। गये साल के बजट में से कोई एक भी आइटम मेरे क्षेत्र के हिस्से में नहीं आया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां बदनोर में ऐसी पहाड़ी क्षेत्र में एक पी. एच. सी. है जहां पर वह डिस्पेन्सरी ठिकाने के, रियासत के समय से चल रही थी, इतना पुराना हास्पिटल है, वहां पर भी एक्स-रे मशीन नहीं है उसकी वजह से उन लोगों को भीलवाड़ा और ब्यावर आकर एक्स-रे कराना पड़ता है और दूसरी इस तरह की बातें हैं। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कि वह इसको अपने नोटिस में लें और कृपा करके वहां एक्स-रे मशीन बदनोर में इस साल जरूर दिलाने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक विभाग में दवाइयों वगैरह का सवाल है, गांवों के अन्दर मेडिकल डिपार्टमेंट के आयुर्वेदिक, एलोपैथी और यूनानी, तीनों के अस्पताल हैं और यह भी बात सही है कि बजट की कमी की वजह से सभी जगह स्वास्थ्य उप केन्द्र या दूसरी बातें है, नहीं खुल सकते तो इनका कॉर्डिनेशन तो किया जा सकता है। अगर कॉर्डिनेशन तीनों विभागों का हो तो जहां पर एलोपैथी का उप स्वास्थ्य केन्द्र है वहां से आप हटा कर दूसरी जगह उसके पास या दूसरी जगह आप आयुर्वेद का कर दीजिए, वहां अगर यूयानी भी है तो उसको तीसरी जगह कर दीजिए। तो धीरे-धीरे यह व्यवस्था अगर बढ़ेगी तो उससे दूसरे विभाग को भी महत्व मिलेगा और कॉर्डिनेशन से लोगों को भी यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस तरह से आपको दवाइयों वगैरह की बात है, यह प्रसंग आया था इस सदन में आज ही और एक आयुर्वेद विभाग का ही नमूना है कि जहां पर 75 लाख रुपये का बजट था दवाइयों का और यह बताया गया कि फरवरी तक 35 लाख रुपये की दवाइयां खरीदी और अध्यक्ष महोदय, मार्च के अन्दर 40 लाख की दवाइयां इन पन्द्रह और बीस दिन में खरीदी जायेंगी। इस बात का कोई औचित्य नहीं है। दवाइयां अगर आप देते हो तो उसका बाइफरकेशन मन्थवाइज होना चाहिए और प्रत्येक महीने में जितनी जिस हिसाब से ब्रेक-अप है उसी हिसाब से समय पर परचेजिंग होनी चाहिए। तभी जाकर उसका कुछ उपयोग हो सकता है। मैं तो संक्षेप में यह बात पाइंट के तौर पर निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक करप्शन का सवाल है, माननीय मंत्री महोदय ने इसमें आंकड़े दिये हैं। 164 आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की है, कुछ को धारा 17 के नोटिस दिये, कुछ को धारा 16 के नोटिस दिये लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धारा 17 और 16 से काम नहीं चलने वाला है। मैं एक हास्पिटल में सौ तरह के तरीके बता सकता हूं कि जिस तरह से करप्शन होता है, उनको चैक-अप करने की जरूरत है। उनको किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है इस बात पर पूरा ध्यान दिया जायेगा तभी मैं सोचता हूं कि इस पर कुछ

(श्री लक्ष्मी लाल)

चैक-अप हो सकेगा। एक साधारण सी चोट के लिए, चाहे चोट लगी हो या नहीं लगी हो और जाकर डाक्टर को कह देते हैं, उसके ऊपर उसकी कीमत होती है और वह उसको सर्टिफिकेट जारी कर देता है। उस सर्टिफिकेट को लेकर अगला आदमी कोर्ट में चला जाता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट दिये जाते हैं उसके अन्दर अगर कोई शिकायत करते हैं मेडिकल बोर्ड बैठाने की, तो मेडिकल बोर्ड बैठाने का टाइम जब आता है, दो महीने और महीने भर की यह जो प्रक्रिया है, तब तक तो उसकी सारी बातें गौण हो जाती हैं और एवीडेन्स ही खत्म हो जाती है। मैं तो करप्शन का यह एक उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट के अन्दर डाक्टर खूब फर्जी सर्टिफिकेट देते हैं और उसके अन्दर टेन्डरिंग, स्वेलिंग और एब्रेजन, इस तरह के नाम लिख कर वह दे देते हैं। दो दिन के बाद में उसको कोई चैक-अप नहीं कर सकता और अगले आदमी का काम निकल जाता है और यह करप्शन का रास्ता इस तरह से उनको मिल जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस तरह की बातों के ऊपर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह के जो सैंकड़ों तरह के करप्शन के तरीके हैं, चाहे वह पैसा लेकर इन्जेक्शन लगाते हों, चाहे वह नमूने की दवाइयों को बेचते हों, चाहे और तरह से, मेडिकल एजेन्टों से मिल कर कमीशन वाली दवाइयां दिलाते हों, चाहे और किसी तरह से पैसा लेकर इलाज करते हों, हर तरह के, सैंकड़ों तरह के जो किस्से हैं करप्शन के, उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। केवल दस-बीस आदमियों के ऊपर नियम 16 और 17 लगा देने से इस विभाग का भला नहीं होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बहुत संवेदनशील हैं इस मामले में, सिर्फ एक ही बात और कहना चाहता हूं। आपने विभाग के अन्दर इस बात का तो आतंक जमा दिया कि कोई भी ट्रांसफर मंत्री महोदय के द्वारा किया हुआ वापस हो ही नहीं सकता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसी आप हार्ड एण्ड फास्ट बात लेकर के, वैसे तो आपने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है उसके अन्दर रास्ते भी रखे हैं लेकिन हार्ड एण्ड फास्ट पॉलिसी पर आप चलेंगे और पीछे जनता का चाहे कितना ही अहित हो उसको आप नहीं देखेंगे तो यह भी न्यायसंगत बात नहीं होगी। बहुत से डाक्टरों का आपने ट्रांसफर कर दिया, बहुत ने जाकर कोर्ट से स्टे ले लिया। कुछ लोगों ने ट्रांसफर करने के बाद में भी यह कह कर कि छह महीने तक तो हमारी प्रिविलेज लीव हैं इसलिए हम बैठे रहेंगे, आपके आदेशों का पालना नहीं करेंगे।... बहुत से ऐसे किस्से हैं तो उसके अन्दर आप अगर मानवता की दृष्टि से उसका वहां से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो दूसरी जगह एडजस्ट कर दीजिए इतने थोड़े से आप फ्लेक्सीबल होकर गांवों के अन्दर डाक्टरों के रिक्त पदों पर भर्ती करने की कृपा करेंगे तो मैं सोचता हूं कि डाक्टर भी चले जायेंगे और आपके डिपार्टमेन्ट का काम भी सुचारू होगा। मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सहाय

(9.00 रात्रि)

श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 26, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के साथ आयुर्वेद का नाम भी नहीं है। कई लोगों ने पूछा कि सिर्फ चिकित्सा से क्या मतलब है होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद नहीं सिर्फ चिकित्सा है। चिकित्सा में सब समावेश है। भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति विश्व की सबसे पहली चिकित्सा पद्धति है, पूर्ण विज्ञानयुक्त है किन्तु उसको किस उपेक्षा की दृष्टि से पहले मुस्लिम काल में यूनानी को ज्यादा प्रोत्साहित किया आयुर्वेद को पीछे ढकेल दिया। इसके बाद देश में ईस्ट इण्डिया कम्पनी आई उन्होंने एलोपेथी को प्राथमिकता दी और आयुर्वेद को तब भी पीछे ढकेला....

श्री अध्यक्ष : यूनानी और आयुर्वेद में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।

श्री गोविन्द सहाय : महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जिस पद्धति ने देश को आरोग्यता का सबक सिखाया, सब कुछ किया और आज उसी दृष्टि से उसकी उपेक्षा हो रही है।

'सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणी पशन्तु, मा कश्चित् दुखभागवतेत् ॥'

इस तरह का उपदेश जिस पद्धति ने दिया है। जिस देश की औषधि:

'यस्य देशस्य योप्राणी, तस्य तद् औषधं हितं।'

आज आयुर्वेद औषधि नुकसान नहीं करेगी किन्तु उसका री-एक्शन यानि दुष्परिणाम तो नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आयुर्वेद की उपेक्षा हो रही है....

श्री अध्यक्ष : यह भी कहा है ना कि 'यमस्तु हरदे प्राणम्, वैद्य प्राणददानिच।'

श्री गोविन्द सहाय : ऐसा है 'वैद्य प्राणददानिच।' बल्कि वर्तमान में जो चिकित्सक हैं, वैसे तो चरक ने लिखा है 'लोकहितकरि चिकित्सावाक्' तो वह तो यह मानकर चलते हैं परन्तु आज का जो डाक्टर है वह बीमार गरीब है, मरने जा रहा है परन्तु कहता है घर आना। मेरे यहां डाक्टर की तो स्थिति यह है। यहीं हाल अभी एस. एम. एस. के बारे में सभी लोगों ने बताया और वर्णन किया कि डाक्टर के घर जायेगा तो उसको दाखिला भी आसानी से मिल जायेगा और अगर डाक्टर को घर जाकर नहीं मिला और फीस नहीं दी तो वह धक्के ही खाता फिरेगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान बनने से पहले 346 औषधालय थे। उन्नति जरूर हुई। वर्तमान में होम्योपेथिक, यूनानी सब मिलाकर 3678 औषधालय हैं। राज्य की ओर से अन्तरंग व्यक्ति को बीमार को 3 रुपया प्रति बीमार और बहिरंग को 1 रुपया। उस हिसाब से अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। पहले बहिरंग बीमारों की संख्या 4 लाख 82 हजार थी और अंतरंग बीमार

(श्री गोविन्द सहाय)

की संख्या 80 हजार है। उसके हिसाब से 2 लाख 40 हजार की औषधि होती है जिसमें अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं कि मिलनी चाहिए 1 करोड़ 10 लाख 40 हजार रुपये की औषधि होती है जिसमें मात्र इस साल 70 हजार रुपये की औषधि सप्लाई करना बताया है। 75 प्रतिशत कटौती करके आयुर्वेद का उत्थान करने का जो दृष्टिकोण है यह तो मैं समझ नहीं पाता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह तो है परन्तु इसके साथ ही साथ एक नया अनुपम उदाहरण इसमें है हमने क्रय औषधि की 44 हजार रुपये की और उसके बनाने पर खर्च किया 66 हजार रुपया और उस 66 हजार में हमने 71 हजार रुपये की सप्लाई की है। यह उदाहरण है माननीय अध्यक्ष महोदय, 1987-88 का और इस वर्ष 1991-92 में 44.37 लाख रुपये की औषधि खरीदी और उस पर 61.70 लाख रुपये बनाने पर खर्च हुआ और हमने सप्लाई की है 70 लाख रुपये की। अब इससे आप अन्दाजा लगायें।

इसके अलावा यहां की औषधियों की रेट यह है बाजार में च्यवनप्राश मिलेगा आपको 70 रुपये में और हमारे राजकीय चिकित्सालय जो वहां सप्लाई करता है वह है 87 रुपये की रेट। इसी तरह से द्राक्षावलेह दूसरी कम्पनियों का मिलेगा जिसकी तुलनात्मक रेट है 200 रुपया और राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला देती है 300 रुपये। महा नारायण तेल जो दूसरी कम्पनियों के मुकाबले में जबकि दूसरी कम्पनियों के 567 रुपये है और दूसरी वैद्यनाथ है डाक्टर है यानि सारी औषधियां लेने के बाद में जो एक द्रव्य के अभाव में जैसे अभी जोधपुर में शांतिवर्धक चूर्ण दो वर्ष से करीब 5 लाख रुपये की लागत से बना हुआ पड़ा है किन्तु साइट्रिक एसिड के अभाव में वह ड्रमों में भरा पड़ा है एक साल बाद चूर्ण खराब हो जाता है किन्तु अब उसका उपयोग कैसे होगा ? उस समय क्यों नहीं इसकी चैकिंग हुई ? क्यों नहीं उस आदमी को जिसने इतनी बड़ी अनियमितता की है उसको अब तक कोई दण्ड नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस तरह औषधियों में बाजार से 44 हजार रुपये की औषधि आती है, 61 हजार रुपया बनाने पर खर्च होता है और 70 हजार की सप्लाई होती है। यह व्यवस्था किस मापदण्ड से होती है ? मैंने पूर्व हमारे मंत्री महोदय से कहा था गुजरात में निगम है, केरल में निगम है आप वहां की व्यवस्था देखिये। आप यहां औषधियां सप्लाई नहीं कर पाते हैं। कहीं 6 महीने में नहीं पहुंचती हैं। अब आप इससे अन्दाजा लगाइये कि जहां 4 करोड़ 10 लाख की औषधि मिलनी चाहिए सिर्फ वहां 70 लाख रुपये की औषधियां मिली हैं, अब अन्दाजा लगाइये कि यह व्यवस्था क्या थी और यह व्यवस्था कैसे की जा रही थी। इस मामले में विभाग क्या कर रहा था, क्या सुझाव दे रहा था। एक चीज के अभाव में यदि औषधियां बनी पड़ी हों भस्म बनेगी भरतपुर में, आसव भस्म बनेंगे उदयपुर में, गोलियां बनेंगी अजमेर में और चूर्ण बनेगा जोधपुर में। एक द्रव्य के अभाव में सब चीज वहां अधूरी पड़ी रहेंगी। अध्यक्ष महोदय, और क्या निवेदन करूं लिखा

(श्री गोविन्द सहाय)

रहता है आयुर्वेद विभाग के चूर्ण पर तालीसादि चूर्ण पर लिखा होता है जबकि बंसलोचन महत्वपूर्ण है और लिखा है बंसलोचन रहित। और तो क्या संजीवनी में मुख्य द्रव्य गोमूत्र है उसमें लिखा है गोमूत्र रहित। अब यह विभाग गोमूत्र रहित संजीवनी बनायेगा, संजीवनी का इसमें कितना महत्व है, उसकी उसमें घुटाई नहीं करते हैं तो औषधि क्या लाभ करेगी? यह क्यों नहीं, अजमेर में संजीवनी बनती है। अजमेर में गौशाला है वहां से क्यों नहीं उन्होंने कान्टेक्ट करके गोमूत्र की व्यवस्था की। तो मेरा अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि यह 75 प्रतिशत कटौती आयुर्वेद औषधि पर की है....

श्री अध्यक्ष : वैद्य जी यह आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका मतलब तो यह हुआ कि संजीवनी में जो पैसा खर्च किया देट इज शोवर वेस्टेज' क्योंकि बिना गोमूत्र के वह काम करेगी नहीं और इसलिए सारा पैसा बेकार गया। बंसलोचन जिस में होनी चाहिए और बंसलोचन नहीं डाला तो वह दवा क्या काम करेगी ?

श्री गोविन्द सहाय : तो अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है:

'यस्य नाशन्ती स्वयं प्रज्ञा'

मैंने एक बार निवेदन किया कि जूनागढ़ देखकर आइये....

श्री अध्यक्ष : नहीं यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयुर्वेद के बजट में कटौती की जाती है। इस देश में आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिलना चाहिये आज अमेरिका में मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है और हम आयुर्वेद की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सहाय : इन आंकड़ों से अन्दाजा लगाया जा सकता है। 4 करोड़ 10 लाख रुपये की औषधि तो गवर्नमेन्ट ने जो नियम बनाया है उसके अनुसार मिलनी चाहिए। जबकि मात्र 70 लाख रुपये की औषधियां देने जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भवन की व्यवस्था नहीं, बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था नहीं। मैंने माननीय मंत्री महोदय को कहा हमारे यहां सवाई माधोपुर जिले में तो एक गांव आयुर्वेद की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। मैंने माननीय मंत्री महोदय को कई बार निवेदन किया कि वहां पर सी. एम. एच. ओ. क्यों नहीं है दो साल से, डेढ़ साल से ? कोई आया 4 दिन ठहर कर फिर छुट्टी लेकर चला जाता है। गंगापुर जिले का एक प्रमुख स्थान है, राजस्थान की प्रमुख मंडियों में से एक है 80 हजार से अधिक आबादी है परन्तु लेडी डाक्टर नहीं। 5 महीने से लेडी डाक्टर छुट्टी पर है। उसके पहले से, साल भर से दूसरी लेडी डाक्टर छुट्टी पर थीं। हमारे यहां ऐसे डाक्टरों को बैठा रखा है जो मेडिकल देने से इन्कार करें। जो 1989 में एक भिखारिन के साथ पुलिस स्टेशन में ले जाकर रेप किया उसका मुआयना नहीं कर सके। दूसरे डाक्टर को करौली से बुलाना पड़ा। इस तरह के डाक्टरों को गंगापुर में बैठा रखा है। जब माननीय मंत्री महोदय को कहा, मंत्री महोदय ने विभाग को आदेश दिया। विभाग की क्या स्थिति है ? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह निवेदन है, मैं

(श्री गोविन्द सहाय)

अलग-अलग मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो व्यवस्था है जिसमें मंत्री महोदय के नोटिस में विभाग वाले लाते हैं या नहीं लाते हैं परन्तु उनको पटा दिया जाता है, डायरेक्ट उनका जोड़-तोड़ नीचे वाले डाक्टर का रहता है। वे अपने आप अपने तरीके से कर लेते हैं, इसके लिए तो मैं मंत्री महोदय को अलग से निवेदन करूंगा। इस वक्त मेरा तो मुख्य निवेदन आयुर्वेद के बारे में ही है। मेरा निवेदन करना था, आयुर्वेद की स्थिति आपको जो निवेदन की, हमारे यहां एक वर्ष से आयुर्वेद इन्स्पैक्टर नहीं हैं। इन्स्पैक्टर जाता है एक दिन हाजरी करके आ जाता है। कलक्टर के यहां कई बार उसको तलब किया कि साहब जयपुर रहते हैं। औषधालयों में कभी मुआयना करने जाना नहीं, औषधालयों की दुर्दशा देखना नहीं। यह पूछते नहीं कि कब की औषधि मिली है। मैं कई बार औषधालयों में गया हूं। कोई तो कहता है, साहब, साल भर में नहीं मिली। इन आंकड़ों से पता चला कि हम तो दवाई देते हैं। दवाई कहां से दे रहे हैं आप ? 4 करोड़ 10 लाख रुपए के मुकाबले आप 70 लाख रुपये की दवाई दे रहे हैं। क्या पहुंचेंगी दवाइयां, आखिर 36 सौ औषधालयों में आप औषधि व्यवस्था करेंगे तो कैसे, किस हिसाब से, किस अनुपात से आयेगा ? पहले तो एक रुपया बहुत कम है। बहिरंग के लिए एक रुपया और अंतरंग के लिए 3 रुपए रखा है। तथ्य के हिसाब से तो मिला कर एक रुपये की भी औषधि में भी हमने 75 प्रतिशत की कटौती कर दी मतलब 4 आने मात्र एक बीमारी में हम 4 आने की औषधि देते हैं और वह भी शक्ति वर्धक चूर्ण जैसी स्थिति में जोधपुर के ड्रमों में भरा पड़ा रहता है।

श्री अध्यक्ष : 4 आने में संजीवनी गोली कितनी आती है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : 4 आने का तो जहर भी नहीं आता, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती विद्या पाठक : आपको तो चार रुपये का भी कम पड़ेगा।.... (व्यवधान)....

श्री गोविन्द सहाय : 4 आने की तो माचिस भी नहीं आती है, संजीवनी की बात तो अलेहदा बात रही। दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारे माधोपुर जिले में तो आपा-धापा की सिर्फ ट्रांसफर की रही। कौन वैद्य जाता है या नहीं जाता है ? मैंने माननीय मंत्री महोदय को भी नोटिस में, इनके पीछे कुछ ऐसी कम्पनियां लग गयीं, मैंने केला देवी गये थे तब यह निवेदन किया कि यह कम्पनी आपको लेकर डूबेगी, यह आपको बदनाम कर रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में और मुझे पता नहीं है। मैं गांव में वैद्य हूं। मैं सन् 1944 में पास किया, 1945 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो मुझ से पूछ लीजिए कि किस को लगाना है ? पर इसके बारे में मंत्री महोदय को कई बार निवेदन किया फिर कहना ही बंद कर दिया क्योंकि वे समझते हैं कि वे सर्वज्ञ हैं, युधिष्ठर हैं। हम तो नालायक हैं, अनपढ़ हैं। मैंने एक निवेदन किया कि मैंने आयुर्वेद 1944 में पास किया है परन्तु इसके बाव-

(श्री गोविन्द सहाय)

जूद भी उन्होंने हमारी बातों को नहीं माना और सुझाव थे उन पर अमल नहीं हुआ। हम तो चुप बैठ गये, ठीक है। उसके परिणाम आज सरकार के, आपके सामने हैं। मेरा यह निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री गोविन्द सहाय : हमारे आयुर्वेद विभाग की स्थिति सुधारी जाय। वहां पर इन्स्पैक्टर रहता नहीं है। कभी भी औषधालय में इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं जाता है इसलिए वैद्यों की दुर्दशा हो रही है। औषधालयों की बड़ी बुरी हालत है।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो गवर्नमेण्ट की तरफ से फर्नीचर खरीदा जा रहा है अगर उनकी आप हालत देख लें। उस पर 10 दिन कोई आदमी बैठ नहीं सकता इस तरह की तो कुर्सी और आलमारी की सप्लाई हुई है। अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं कल आपके सामने नमूने के रूप में पेश करूं तो आप ताज्जुब करेंगे।.... (व्यवधान)... तो मेरा अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जो इस तरह की इस विभाग की हालत है, उसकी दृष्टि से औषधि की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से और अधिकारियों की दृष्टि डाइरेक्टर एक है। उप डाइरेक्टर 6 पद हैं, 5 खाली हैं। क्यों नहीं उनकी नियुक्तियां हो रही हैं ? इसमें क्या कठिनाइयां हैं जब पद सृजित हैं फिर नियुक्ति करने में क्यों दिक्कत आ रही है ? यह समझ में नहीं आता है।

यह औषधालयों की जो रेट दूसरी फार्मेसियों के मुकाबले जो प्रोफिट भी देती है, एक तरफ हमारा विभाग कहता है नो प्रोफिट नो लॉस पर हम बना रहे हैं एक तरफ च्यवनप्राश 189 रुपये जबकि स्पेशियल डाबर के च्यवनप्राश की रेट 75 रुपये, झण्डू जो केसरी जीवन बनाता है, जिसमें केसर आदि डालता है उसकी रेट है 90 रुपये, वैद्यनाथ बनाता है उसकी रेट है 65 रुपए उसके मुकाबले में आयुर्वेद विभाग जिसमें तालीसराई में बंसलोचन नहीं डाल सकते, द्राक्षावलेह में बंस लोचन नहीं डाल सकते, महत्वपूर्ण जो द्रव्य है उसमें नहीं डाला जाय तो च्यवनप्राश में बंस लोचन डालने का तो प्रश्न ही नहीं है और इसके बावजूद भी उसकी कीमत रखी है 189 रुपये प्रति किलो। यह एक हास्यास्पद है। बनाते वक्त, रेट लगाते वक्त दूसरी फार्मेसियों के मुकाबले धनवन्तरी सबसे उपयुक्त है। उसके च्यवनप्राश की रेट है आज 85 रुपये और इनकी है 189 रुपये। तो मेरा निवेदन है कि यह इस तरह का जो अन्तर है माननीय मंत्री महोदय, यह निवेदन करूंगा कि इसके बारे में जांच करके और थोड़ी-सी औषधियों की कीमत लमसम लगाई जाती है, 44 हजार की दवाई और 61 हजार रुपये उसके बनाने के और जो 70 हजार की हमने सप्लाई की है। अब कितनी पहुंची, एक चौथाई से भी कम यानी औषधि के बनाने पर इतना व्यय कभी होता ही नहीं है। मुझे खुद को अपना ज्ञान है, मैंने 20 साल तक औषधियों का निर्माण करवाया। इसलिए यह इस तरह की जो रेट्स लगती हैं वे बिल्कुल अनाधिकृत हैं और यह आयुर्वेद विभाग, राजस्थान की जनता को चिकित्सा के नाम पर, आयुर्वेद के नाम पर धोखा

(श्री गोविन्द सहाय)

दिया जाता है। इसलिए इसको सुधारा जाय। इसकी आमूलचूल व्यवस्था में परिवर्तन किया जाय और गांव की जो स्थिति है, वैद्य तो, आपने बताया डाक्टरों को सारी सुविधायें हैं। सड़क है, बिजली है, क्वार्टर है तब भी गांव में नहीं जाता है। वैद्य ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर उसको काली कोस मकान मिलता है, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं, रहने के लिए मकान नहीं उसके बावजूद भी उसकी मजबूरी है।....

श्री अध्यक्ष : आप तो इस आयुर्वेद विभाग में सुधार के लिए योजना बनाइये और सरकार को भेजिये। यहां लेबोरेटरी होनी चाहिए जिसमें परीक्षण होना चाहिए दवाइयों का और नई-नई दवाइयां बनाई जाय, यह करिये मेमोरेण्डम दे दीजिए। आपके सजेशन्स बहुत अच्छे हैं। अब मैं आगे पुकारता हूं श्री अमीन खां को।

श्री गोविन्द सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व मंत्री महोदय को निवेदन किया था कि आप एक बार गुजरात के, मैंने कहा आप एक कमेटी बनाइये, 1978 में एक कमेटी का गठन हुआ....

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री महोदय को योजना बताइये। आप अपनी तरफ से योजना बना कर दीजिए। श्री अमीन खां।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : क्या सरकार इनके सुझावों को मानेगी ? आपने निर्देश तो दे दिया, मान लेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : मानेगी सरकार, मानेगी।

श्री गोविन्द सहाय : इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को यह कहूंगा कि लोगों ने, सबने सुझाव दिये हैं मैं तो अलहेदा उनको बताऊंगा कि मेरे जिले में क्या कठिनाई है। मेरे जिले को जिस तरह से अछूत मान के कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस पर व्यवस्था की दृष्टि से कुछ विचार करें। जय हिन्द।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के मुतालिक जो आम समस्या है वह आपके माध्यम से सरकार को मैं गुजारिश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र शिव और जिला बाड़मेर, जैसलमेर में पिछले दो सालों में मंत्रीजी ने तो कई बार कहा है कि काफी सुधार हुआ। मंत्री महोदय, मैं शिव क्षेत्र की आपको मिसाल देता हूं। इसमें 3 पी. एच. सी. हैं जिसमें 6 डॉक्टर की पोस्ट है। इसमें 3 डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर की पोस्टिंग का आर्डर है लेकिन हमेशा जैसलमेर में ही रहता है। सांगव, पी एच. सी. में कतई नहीं रहता। इस क्षेत्र में 7 डिस्पेंसरी है, जिसमें 7 डॉक्टरों की पोस्टिंग के आर्डर हैं, राज्य सरकार से स्वीकृत हैं उसके अगेंस्ट में 3 डॉक्टर हैं। एक गागरिया डिस्पेंसरी है जिसमें डॉक्टर की आपकी तरफ से पोस्टिंग है और वह डॉक्टर गंगानगर जिले का रहने वाला है। वह एक दिन भी गागरिया की डिस्पेंसरी

(श्री अमीन खां)

में नहीं रहा और तनख्वाह गागरिया से से उठती है और रहता गंगानगर में है। मैंने खुद ने उससे बात की कि गागरिया में बिजली है, रोड है, रेल का रास्ता है, बसों का रास्ता है आपको क्या तकलीफ है ? कि भैया, मैं तो गंगानगर के हरे-भरे इलाके का रहने वाला हूं सरकार चाहे कुछ भी कर दे मैं गागरिया में नहीं रहूंगा। वह वहां पर एक दिन भी नहीं रहा। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में 27 सब सेण्टर हैं उसमें से 16 सब सेण्टर खाली हैं और लगातार दो सालों से खाली हैं। और यही हालत आयुर्वेद औषधालयों की है। टोटल शिव क्षेत्र में 17 आयुर्वेद औषधालय हैं जिसमें से 9 खाली हैं। अब पिछले दो साल में इस क्षेत्र में एक भी नया आयुर्वेद औषधालय नहीं खुला, एक भी डिस्पेंसरी नहीं खुली। एक भी कोई पी. एच. सी. नहीं खुला और एक भी सब सेण्टर नहीं खुला। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यही महसूस करूंगा कि उस सीमावर्ती रेगिस्तानी इलाके में पार्लियामेंट सीट जो बाड़मेर है, उसकी 8 कान्स्टीट्यूएंसी में कांग्रेस का मैं एक एम. एल. ए. आया हूं, शायद इसलिए भेदभाव हो रहा है और मैं आगे यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक दो जगह डाक्टर ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी प्राइवेट जोंगायें खरीद रखी हैं, अफीम की तस्करी करते हैं और गांव में अपना प्राइवेट धंधा करते हैं, अस्पताल में एक दिन भी नहीं रहते। एक डाक्टर के बारे में हमने आपसे शिकायत की और उस डाक्टर की हालत क्या है कि पहले तो कल्याणसिंह कालवी का खास आदमी कहलाता था, चुनाव के दिनों में उनका प्रचार करता था, अब जब कल्याणसिंह कालवी हार गये तो कुछ आदमी साथ लेकर के आप कह रहे हैं कि मैं बी. जे. पी का खास हूं, इन चुनावों में भी उसने बी. जे पी. की खुली खिलाफत की है। अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि वह डाक्टर न तो कोई बी. जे. पी. का प्रिय है, न कांग्रेस का है, न समाजवादी जनता दल का है। वह डाक्टर चोर है, तस्कर है, खुले आम लोगों को लूटता है और लड़कियों से छेड़छाड़ करता है। अध्यक्ष महोदय, आपने आर्डर दिया कि जांच करा देंगे और मैं गलत बात नहीं कहता हूं, पूरी जानकारी करके कहता हूं। अगर मैं आरोप लगा दूं, आप पर लगा दूं आपके रिटायर्ड, श्री व्यास ने 30 हजार रुपया उस डाक्टर से लेकर जांच की और उसके कहने से जैसलमेर में बैठ कर रिपोर्ट दी कि इसके खिलाफ जितनी भी शिकायतें हैं, वह सब असत्य हैं। अध्यक्ष महोदय, चाहे दूसरे आदमी उससे मिले होंगे, लेकिन उस डाक्टर का शिकायतकर्ता, उस क्षेत्र के विधायक की हैसियत से मैं भी था तो मेरे भी बयान लेने का उसका फर्ज था। मेरे भी उसने बयान नहीं लिये, इसलिए कि उसने 30 हजार रुपये पर उस बेईमान डाक्टर को बख्शा है और रिपोर्ट में यह बताया कि बहुत ईमानदार आदमी है, निष्ठावान है, सच्चा काम करता है, यह हमारे साथ भेदभाव है। दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि बार्डर एरिया में एक भीण्डर का पाल डिस्पेंसरी 6 सालों से है, उसमें आज दिन तक डाक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई और गागरिया में डाक्टर की पोस्टिंग है जो गंगानगर में रहता है। अब कई डाक्टर ऐसे हैं जो इस

(श्री अमीन खां)

इलाके में रहना चाहते हैं। उनका नाम तो मैं इसलिए आपको पेश नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप सत्ताधारी दल की डिजायर के ऊपर डाक्टर की पोस्टिंग करते हैं, मैं तो कांग्रेस का एम. एल. ए हूं इसलिए नाम आपको नहीं बताऊंगा और न हमें उससे मतलब है। आप मेहरबानी करके आपकी इच्छा के अनुसार डाक्टर की पोस्टिंग करें। खाली जगह नहीं रहनी चाहिए। वहां लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, अकाल का एरिया है, रेगिस्तानी इलाका है, बार्डर का एरिया है, इसमें आपको सुविधा दूसरों के बजाय ज्यादा देनी चाहिए लेकिन हमारे साथ ज्यादती होती है। इसलिए मंत्रीजी चाहें तो हम डिजायर दे सकते हैं लेकिन हम यह शक करते हैं कि डिजायर से आप शक करेंगे कि यह डाक्टर कांग्रेस मैन होगा इसलिए यह उनकी डिजायर देते हैं। हम कोई डिजायर नहीं देना चाहते, न कोई डिजायर लेकर दो साल में मैं आपके पास आया, न अभी आना चाहता हूं लेकिन आप सरकार हैं, आपका फर्ज है कि उन खाली जगहों को भरें। और तहसील हैड क्वार्टरों पर हमने यह सुना कि आप सब जगह रैफरल अस्पताल करने जा रहे हैं। शिव तहसील भी हैड क्वार्टर है, शिव पंचायत समिति हैड क्वार्टर है, नेशनल हाइवे रोड पर उसका हैड क्वार्टर है लेकिन शिव तहसील के बारे में मेरी यही गुजारिश है कि आपमें कुछ इंसाफ करने की अगर मंशा हो तो बोर्डर तहसील है, नेशनल हाइवे रोड पर तहसील हैड क्वार्टर है, जिसका 6 हजार वर्ग किलोमीटर एरिया है, वहां आपको रैफरल अस्पताल इंसाफ के तौर पर करना चाहिए। अगर नहीं करते हो तो आपकी मर्जी है, मैं जबर्दस्ती नहीं करा सकता, लेकिन शिव में रैफरल अस्पताल होना चाहिए।

मैं ज्यादा नहीं कहकर इतनी ही बात करके अपनी बात खत्म करता हूं कि मेहरबानी करके इन खाली जगहों को भराने की कोशिश करें और जिस डाक्टर की हमने शिकायत की है, उसके लिए आप अपनी तरफ से ईमानदार अफसर मुकर्रर कर दो और रिपोर्ट आने पर उसको सजा देनी चाहिए और अगर मेरी बात गलत निकले तो मैं आइंदा आपको कोई बात नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 26 पर चर्चा चल रही है। इस चर्चा में सभी आवश्यक बिन्दुओं पर सदस्यों ने अपनी बात रख दी है। मैं संक्षेप में ही अपनी बात रखता हूं, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए संक्षेप में अपनी बात रखकर कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं माननीय चिकित्सा मंत्री को आपके माध्यम से इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि चिकित्सा जगत में इस विभाग के अन्दर जिस प्रकार की अव्यवस्था थी, उसको उन्होंने ठीक करने का काफी बड़ा प्रयत्न किया है। प्रति नियुक्तियों पर रोक से उन सब को वापस हटाया। इसी प्रकार से रिक्त स्थान थे, काफी संख्या में वह भी भरे हैं। अप एण्ड

(श्री जीतमल जैन)

डाउन की डाक्टर्स की एक समस्या थी कि वे अपने हैड क्वाटर्स पर रुकते नहीं थे, हालांकि वह बीमारी अभी दूर नहीं हुई है लेकिन इसको रोकने का काफी प्रयत्न किया। इस प्रकार के सारे प्रयासों से इस व्यवस्था को ठीक करने का अंतर्मन से, नेकनीयती से प्रयास किया है लेकिन अभी भी इस विभाग के अन्दर बहुत कुछ करना शेष है क्योंकि एक कहावत है "Old habits die hard", तो अब यह चिन्ता का विषय है लेकिन इस सारी चर्चा में जहां माननीय सदस्यों ने डाक्टरों के व्यवहार के संबंध में चर्चा की, कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारी काम नहीं करते, इस बात की चर्चा की। अप एण्ड डाउन करते हैं लोभी प्रवृत्ति है, इन सब बातों की चर्चा की लेकिन उन सबके पीछे आखिर मूल कारण क्या है? चाहे चिकित्सा विभाग की चर्चा हो, चाहे किसी विभाग की मांगों पर चर्चा हो, भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, काम नहीं करने के उदाहरण सामने पेश किये जाते हैं। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार के बहुत बड़े उदाहरण दिये, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात का संकेत दिया, मैं उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारी कुछ अव्यवस्था जो आज हमको नजर आती है, मेरी दृष्टि में आज जो समाज का चिन्तन है, आज जो समाज है, वह इस बात के लिए दोषी है। समाज का चिन्तन एक भाग बन गया है और उसका केन्द्र बिन्दु बन गया है पैसा, धन और समाज में प्रतिष्ठा उसकी है, जिसका लीविंग आफ स्टैंडर्ड ऊंचा है, जिसके पास पैसा है। यह कोई सोच लें कि समाज का चिन्तन ही है कि यह पैसा किस प्रकार से आया? अनैतिक तरीके से आया या नैतिक तरीके से आया। यह इसका मूल कारण है जिसके कारण उस सारे चिन्तन को बदलना उतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप सरकार में हैं, आपको इसको चलाना है, उस व्यवस्था को ठीक करके राजस्थान के लोगों को किस प्रकार से अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कर सकें, क्योंकि स्वास्थ्य और चिकित्सा एक ऐसा विभाग है जिससे गरीब और अमीर सबका नित्य प्रति का काम पड़ता है। अगर डाक्टर संवेदनशील नहीं है, डाक्टर अगर धन का लोभी है, तो ठीक प्रकार से चिकित्सा नहीं हो सकती और चूंकि आम आदमी का इससे काम पड़ता है इसलिए उसकी चर्चा ज्यादा होती है, हालांकि यह रोग हमारे सारे समाज के अन्दर व्याप्त है। आज इस संबंध में कुछ चर्चा आयी, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में चर्चा की। मैं भी इस बात का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि इस प्राइवेट प्रैक्टिस पर एक बार पहले भी प्रयोग सारे राजस्थान में हो चुका है। आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि इस प्राइवेट प्रैक्टिस के बिन्दु पर वह चिन्तन करें,

(9.30 रात्रि)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

विचार करें क्योंकि यह सबसे बड़ा कारण है। आज प्राइवेट पेशे वाले, उनको जितना

(श्री जीतमल जैन)

समय है और जितना सेवा का काम यहां पर अस्पतालों में करना चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं इस तरह के कई उदाहरण हैं। इन दिनों राजस्थान में घूमने का मुझे कुछ अवसर मिला। एक बात इससे भी आगे जाकर है ऐसे डाक्टर्स, जो जूनियर स्पेशलिस्ट हैं, जिनकी 10-10 20-20 हजार रुपये महीने की प्रैक्टिस है। चाहे तनख्वाह मिलाकर 20 हजार रुपये की आमदनी है, इसके बाद भी प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं, वहां पर धंधा करते हैं। पता नहीं पैसे की, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, पैसे की इतनी बड़ी भूख हो गई है कि उसके आगे मनुष्य की संवेदनशीलता, चिकित्सक का कितना बड़ा नोबल प्रोफेशन है, वह उन सारी बातों को भूल कर केवल पैसे के पीछे पागल हो रहा है। नर्सिंग होम के संबंध में यह ठीक है कि प्राइवेट नर्सिंग होम खुले, उससे लोगों को शायद अधिक चिकित्सा सुविधा मिल सके। जिनके पास धन है, वह वहां जा भी सकें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन नर्सिंग होम पर आपको किसी प्रकार का नियंत्रण रखना पड़ेगा। वहां पर जितने भी चिकित्सक जाते हैं, वह सब आपके यहां प्रैक्टिस करने वाले हैं. केवल एक डॉक्टर है जिसने नर्सिंग होम प्रारम्भ किया है, बाकी सारे डाक्टर, सारा नर्सिंग स्टाफ जो सरकारी अस्पतालों में काम करता है, वह वहां पर जाकर काम करता है इसलिए आप नर्सिंग होम को लाइसेंस देने के पहले, जिस प्रकार से व्यापारी को आप लाइसेंस देते हैं, उसी प्रकार से आप नर्सिंग होम के ऊपर कण्डिशन लगाये कि कौन-कौन डाक्टर काम कर रहे हैं, कौन-कौन स्टाफ नर्सिंग होम में है। तो शायद इस प्रकार के हमारे सरकारी डाक्टर वहां जाते हैं उनके ऊपर रोक लगेगी और निश्चित रूप से वह नहीं जायेंगे। आज उनकी यह स्थिति रहती है कि पैसे के खातिर उसको कहते हैं कि आप फलां नर्सिंग होम में आ जाइये। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिये सरकार को कुछ न कुछ चिन्तन करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहूंगा, एक मामला फीस का है जिसकी भी चर्चा यहां हुई है। फीस के बारे में मैंने एक सर्कुलर देखा था जिसके बारे में यह कहा जाता है कि प्रत्येक डाक्टर को अपने यहां एक प्लेट लगानी पड़ेगी कि इसकी यह फीस है, उसकी रसीद भी देनी पड़ेगी लेकिन व्यवहार के अन्दर हम देखते हैं कि न तो डॉक्टर तख्ती लगाता है कि इसकी क्या फीस है, न ही रसीद देता है। इस प्रकार से वह आयकर की चोरी करता है, और प्रकार की चोरी करता है। तो आप इस बात को किसी प्रकार से सख्ती से लागू करवाइये कि प्रत्येक चिकित्सक अपने यहां लगाये। यह ठीक है, एकदम यह बात नहीं हो सकेगी लेकिन कुछ लोगों पर अगर एक्शन होगा तो यह प्रवृत्ति रुक पायेगी।

एक मैं आपसे निवेदन करूंगा, वैसे आपने स्थानान्तरण के मामले में काफी सख्ती बरती है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आपकी छवि बनी कि एक बार के बाद आप वापस नहीं करते। इसके

(श्री जीतमल जैन)

पीछे पैसे का बड़ा लेन-देन होता था व पोलिटिकली करेप्शन और अन्य प्रकार का करेप्शन होता था उसको आपने इस माध्यम से रोकने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी एक नीति बनायें कि कोई भी डाक्टर तीन वर्ष से या चार वर्ष से या जो भी आप तय करें उसके अनुसार डाक्टर एक स्थान पर अधिक नहीं रहे। अगर एक स्थान पर रहता है तो उससे मैसिव इन्टरेस्ट क्रियेट होता है और जो भ्रष्टाचार का रास्ता है वह खुलता रहता है।

इसके साथ सफाई के संबंध में चर्चा हो ही गई है, मैं उसके बारे में दुबारा नहीं कहना चाहता। सारे अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था बड़ी दयनीय है और विशेष रूप से जो गांवों के अस्पताल हैं उनकी हालत चिन्ताजनक है। इस सम्बन्ध में आप कान्ट्रेक्ट के आधार पर सफाई करवाना चाहते थे। आज हालत यह है कि यदि एक स्वस्थ आदमी भी वहां जावे तो वह सफाई की अव्यवस्था को देखकर, सफाई के मामले को देखकर वह रोगी हो जायेगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

एक बात माननीय सदस्य कह रहे थे कि खाद्य पदार्थों के अन्दर मिलावट का एक बहुत बड़ा इस देश के अन्दर झमेला है। क्योंकि सारे देश के अन्दर पैसे की भूख है इसलिये व्यक्ति अनैतिक काम करता है। पैसे कमाने के लिये खाद्यों में, दवाइयों में मिलावट करता है। उनको रोकने के लिये खाद्य निरीक्षकों की संख्या बहुत कम है। अगर है तो उनकी कोई एकाउंटिबिलिटी नहीं है। कितने केस करते हैं। आज आपको अच्छी तरह से जानकारी है कि खाद्य निरीक्षक 10-10 वर्षों से एक ही स्थान पर लगे हुए हैं और उन्होंने उन सारे दुकानदारों से, हलवाइयों से, मिठाई वालों से जहां-जहां से भी उनका रहा है हर एक से महावारी बांध रखी है। इसलिये खाद्य निरीक्षकों को दो साल से अधिक एक स्थान पर नहीं रखना चाहिये। अगर हम खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोक पाये तो मैं समझता हूं कि कई रोगों को हम रोक पायेंगे जो हमारे प्रारम्भ में हो जाता है।

इसके बाद आयुर्वेद के ऊपर। हालांकि गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तृत प्रकाश डाल दिया है।....

एक माननीय सदस्य : अधिकृत रूप से।

श्री जीतमल जैन : अधिकृत रूप से। इसके लिये आपको धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहूंगा। आयुर्वेद पद्धति हमारी एक प्राचीन पद्धति है। यह इस देश की मिट्टी और जलवायु से जुड़ी हुई पद्धति है। हमारे मनुष्यों ने गहन चिंतन के पश्चात्, अनुभवों के पश्चात् इस पद्धति को काम में लिया है। आयुर्वेद पद्धति केवल चिकित्सक पद्धति नहीं है। यह शारीरिक, मानसिक एवं समाज को स्वस्थ रखने की पद्धति है लेकिन दुर्भाग्य से जैसे आज हिन्दी इस देश की भाषा होते हुए भी निर्वासित हो रही है ठीक इसी प्रकार से आयुर्वेद पद्धति जो इस देश की जमीन में पलती है इसकी जलवायु के अन्दर पनपी है, आज उस आयुर्वेद पद्धति को हमने बिल्कुल निर्वासित कर दिया है, उसकी उपेक्षा की है। गंगापुर

(श्री जीतमल जैन)

से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि हम दवाइयां ठीक प्रकार से नहीं दे पाते, उनका ठीक प्रकार से वितरण नहीं होता। उसका परिणाम क्या है? आज हम अपने यहां से परोक्ष रूप से और उसकी क्रेडिटीबिलिटी इस पद्धति को घटाने पर तुले हुए हैं। आप बजट क्या देते हैं? एक बात और है कि चिकित्सकों की बहुत संख्या खाली होगी लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, एक विधान सभा के प्रश्न के उत्तर में आया, अलवर में ए-श्रेणी के अस्पताल हैं जहां पर 1990-91 के अन्दर 80 हजार रुपये की दवाइयां उपलब्ध करना था और उसके विरुद्ध केवल 23 हजार 190 रुपये की दवाइयां सप्लाई की गई 1991-92 में 1 लाख 32 हजार रुपये की दवाइयां सप्लाई करनी थी इसके विरुद्ध में केवल 15 हजार 156 रुपये की दवाइयां दी गई। इसी तरह वड़ोदामेव के अन्दर एक छोटा सा गांव है उसको 24, 200 रुपये का बजट आवंटित किया गया था उसके विरुद्ध केवल 3 हजार 64 रुपये की दवाइयां दी गई और 1991-92 के अन्दर केवल 21 हजार 710 रुपये आवंटित किये गये और केवल 1 हजार 79 रुपये दिये गये। मैं समझता हूं जो वैद्य गांव के अन्दर रहता है आप उसको वेतन कम देते हैं लेकिन अगर दवाइयां नहीं हैं तो वह कैसे उपचार करेगा। हमारा सारा का सारा बजट इनके वेतन के ऊपर ही पूरा हो जाता है। सेवा करने के लिये जिसको आपने गांव में बैठाया है तो वह वैद्य किस प्रकार से सेवा कर सकेगा मेरी समझ के बाहर की बात है। यह अलवर जिले की स्थिति है तो आप सोचिये बाकी राजस्थान की क्या स्थिति होगी। माननीय मंत्री महोदय यह आपके सोचने का विषय है और इसको आप कैसे ठीक करेंगे। एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कि डिस्ट्रिक्ट पर अधिकारी रहते हैं उनके पास गांव में जाने के लिये साधन उपलब्ध नहीं है। जब उनसे बात करें तो कहेंगे मेरे पास साधन नहीं है, मैं दूर-दराज गांव में जाकर कैसे आयुर्वेद औषधालयों को देख सकता हूं कि वहां वैद्य है कि नहीं, पहुंच रहा है कि नहीं, वहां दवाइयां हैं या नहीं। परिणाम यह है कि वैद्य गांव के अन्दर, डाक्टर तो खैर, अप-डाउन करते हैं और कुछ गांवों में जाते ही नहीं हैं लेकिन वैद्य भी आयुर्वेद औषधालय में इसी तरह महीने-महीने भर तक नहीं जायेगा और न वहां दवाइयां उपलब्ध है वैद्य वहां जाकर करे भी क्या? यह स्थिति है। इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिये यह सरकार के सोचने का विषय है।

अन्त में एक बात और कहना चाहूंगा हमारे देश के अन्दर विदेशों से नागरिक आते हैं। उन विदेशी नागरिकों के आने के बाद कई बार ठहरने की आवश्यकता पड़ती है, कई बार तो जान-बूझकर भी ठहरना चाहते हैं और कई बार और किसी तरह से तो उसके लिये मेडिकल सर्टिफिकेट डाक्टरों से प्राप्त करते हैं और अपनी वीसा की अवधि बढ़ाते हैं। मेरे पास इस प्रकार के उदाहरण हैं कि वीसा की अवधि बढ़ाने के लिये इस प्रकार का मेडिकल

(318)

(श्री जीतमल जैन)

सर्टिफिकेट दिया जाये जिसमें एक बात आवश्यक है कि उस रोगी के हस्ताक्षर होने चाहिये, पूरा पता होना चाहिये लेकिन माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बताऊंगा कि उसके अन्दर न रोगी के हस्ताक्षर हैं न उसका पूरा पता है। क्योंकि विदेशी नागरिकों का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। केवल पैसे के लाभ में दो-दो हजार, ढाई-ढाई हजार, तीन-तीन हजार रुपये लेकर इस प्रकार के सर्टिफिकेट इस राजस्थान के अन्दर लोग इश्यू करते हैं और इससे फिर हमारे देश की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। मैं इस बात का प्रमाण यहां सदन में नहीं देकर आपको व्यक्तिगत दे दूंगा। आप इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेंगे यह आपके सोचने का विषय है। मैं अधिक नहीं कहकर अन्त में, आप इस व्यवस्था को ठीक करने के लिये थोड़ा सा समय निकाल कर करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आयेंगे। अन्त में पुनः आपने समय दिया उसके लिये बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। अब वक्ताओं में श्रीमती तारा भण्डारी, श्री नन्द किशोर शर्मा, श्रीमती सूर्यकान्ताजी, शिव किशोरजी सनाढ्य, श्री बंशीलाल पटवा–यह शेष रहे हैं। इसलिये आप विचार कर लीजिये आप कितना बोलना चाहते हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की मांगों पर कुछ कटौती प्रस्ताव मैंने भी दिये थे।....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रोजाना आप इस तरह से रात के 11, 11.30 बजाते हैं। थोड़ा हम पर भी रहम करिये, मंत्रीजी का जवाब दिला दीजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपको मुझसे ही एलर्जी है क्या? आप बोलती हैं तो हम भी सुनते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कट-मोशन था कि एस. एम. एस. हास्पिटल है उसको आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एस. एम. एस में कई प्रकार की विशिष्ट सुविधाएं हैं, आधुनिक उपकरण हैं, जैसे ब्रेन के लिए उसकी जांच के लिए केट स्कैन है, लीवर की जांच के लिए गामा कैमरा है, थायरायड इत्यादि की जांच के लिए आइसो टोप है, रिहेबिलिटेशन सेण्टर है, कोमा वार्ड है, कार्डियोलोजी सेण्टर है, डेन्टल यूनिट है, आई स्पेशलिस्ट है.... (व्यवधान) क्या बात है साहब, आपकी समझ में नहीं आती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : टाइम पौणे दस हो गया।

श्रीमती तारा भण्डारी : हमेशा होता है। आपको नहीं सुनना है तो जाइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री का जवाब सुनने के लिए जग रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ताराजी।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना था कि इतनी सारी सुविधाओं से भरपूर हमारा एस. एम. एस. हास्पिटल है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय तारा जी माननीय सदस्यों की भावनाओं की कदर भी करिये। आप कहिए जरूर लेकिन....

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं छोड़ देती हूं यदि आपको भी नहीं सुनना है तो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सुनने के लिए तैयार हूं। श्री बंशीलाल पटवा। (व्यवधान)

इनका काल अटेंशन मोशन है। मैं बाउण्ड नहीं कर सकता हूं और न मैंने उनको रोका है। आप बोलिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, ताराजी नाराज होकर बैठी हैं, यह राजी राजी नहीं बैठी हैं और नाराजगी अच्छी नहीं है। इनको कन्क्लूड करने दें।

श्री उपाध्यक्ष : उनको मैंने नहीं रोका है।

श्री बंशीलाल पटवा : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है जिसके अन्तर्गत आयुर्वेद मंत्री (व्यवधान) सुनिए भाई साहब, हमने आपको सुना तो कम से कम सुनिये तो सही।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारा जी को बोलने दीजिए नहीं तो सारी रात मुझे कर्स करेंगी (व्यवधान) सारी रात मुझे कर्स करेंगी। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय तारा जी प्लीज।

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की इच्छा नहीं है इसलिए मैं बोलना नहीं चाहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। श्री बंशीलाल पटवा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनको बोलने दें हमको अच्छा नहीं लगेगा।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह रोज किच-किच करती है। मेरे ही बीच में किच-किच करती हैं। हम आपको बड़े प्यार से सुनते हैं कि हमारी बड़ी दीदी हैं।

अनेक माननीय सदस्य : बोलिए ताराजी।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबकी बात रख कर एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। राजधानी में इतना बड़ा हास्पिटल होते हुए इतनी सारी सुविधाएं होते हुए भी आज हमारे राजस्थानी भाई और विशेष तौर पर पश्चिमी राजस्थान के लोग महाराष्ट्र, गुजरात जाते हैं और उनका बड़ा भारी शोषण होता है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में चिकित्सा संस्थान व्यापारिक संस्थान बना रखा है और वहां पर हमारे गरीब भाइयों का बड़ा भारी शोषण होता है। मैं तो एक कारण इसका यह भी मानती हूं कि राजधानी में इतना बड़ा हास्पिटल है लेकिन उसकी प्रतिष्ठा राजस्थान में बन नहीं पायी है कि

(श्रीमती तारा भण्डारी)

यह राज्य का हास्पिटल है। इसमें कुछ अच्छे सुधार किये जांय, जो-जो कमियां हैं वह कमियां न तो बताऊंगी और न ही सुधार बताऊंगी, वह मैं मंत्री महोदय को बाद में बता दूंगी। मैं कहना चाहती हूं कि स्टेट का पैसा स्टेट में रहे। यहां के लोगों को सुविधा मिले, यहां की फेसेलिटी बढ़े और यह हास्पिटल आल इंडिया इन्स्टीट्यूट के मुकाबले में कुछ करके दिखाये। आज जयपुर में जयपुर फुट है वह राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान और विदेशों में भी उसका नाम है। उसके डाक्टर को मेसगे पुरस्कार मिला है। यह हमारी विशिष्टताएं हैं उनको और अधिकाधिक डवलप किया जाय। इसको रैफरल हास्पिटल बनाया जाय। अर्थात् जिले के अस्पतालों से जो भी रेफर होकर आये वह एस. एम. एस. में जाये। सारे जयपुर का भार उस पर है और जयपुर के बाहर वालों का भार भी उस पर है। गम्भीर बीमारी के लोग वहां जाते हैं तो छोटी बीमारी के लोग भी एस. एम. एस जाते हैं उससे चिकित्सा सुविधा किसी को नहीं मिल पाती है। गरीब आदमी अपने कपड़े बेचता है, अपने गहने बेचता है और मजबूरी में गुजरात और महाराष्ट्र जाता है। मैं चाहती हूं कि यह यह राजधानी का सबसे बड़ा हास्पिटल है इसमें और विशेषताओं को डवलप किया जाय। कैंसर जैसी बीमारी जो खर्चीली बीमारी है। गरीब के अगर कैंसर है तो वह मरना अपनी नियति मान लेता है। हमारे यहां उसका आपरेशन होता है लेकिन रेडियो थेरेपी की व्यवस्था नहीं है तो इस प्रकार की जो कमियां हैं। हार्ट के आपरेशन की व्यवस्था नहीं है कुछ व्यवस्थाएं और बढ़ायी जाय। कुछ और फेसेलिटीज का विकास किया जाय कुछ आधुनिक उपकरण मंगाये जायं। एक तो अच्छी तरह से गृह मंत्री जी जानते होंगे, पुलिस विभाग में ठीक कार्यवाही नहीं करते हैं। लोगों को एफ. आई. आर. की कापी नहीं मिलती है उधर पोस्टमार्टम का बुरा हाल है। वहां भी हाथ से रिपोर्ट बनायी जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने में काफी समय लगता है। एक छोटी सी मशीन आती है फोटो स्टेट की। ऐसी छोटी-छोटी चीजें हैं। आंख के लिए कम्प्यूटर मशीन आती है। जल्दी से टेस्ट हो जाय, भीड़ भी कम हो जाय तो ऐसी फेसेलिटी डवलप करनी चाहिए।

एक ही सुझाव दूंगी कि चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए इसमें जो कमियां बन गयी हैं उन कमियों को पूरा करने के लिए पी. एच. सी. से लेकर एस. एम. एस. तक जन प्रतिनिधियों और वालंटीयर्स की कमेटियां बनायीं जाय ताकि वह उसकी देख रेख कर सके और गरीब को चिकित्सा का लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद से संबधित मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे रखा है उस पर मुझे बोलने की इजाजत दी है। चिकित्सा की मांग पर मैं उसके बाद में बोलूंगा। संक्षेप में आयुर्वेद वाली बात कह देता हू। आयुर्वेद की जो स्थिति है वैसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है लेकिन जितना

(श्री बंशीलाल पटवा)

कारगर ढंग से ध्यान दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया जा रहा है। पिछले वर्ष मितव्ययता के नाम पर कटौती की गयी और वितरण केन्द्र जो दवाइयों के हैं वह 21 वितरण केन्द्र थे जिनको घटाकर कम कर दिया गया है और आज सात आठ वितरण केन्द्र होंगे और इन वितरण केन्द्रों को घटाने से ग्रामीण अंचलों में दवाइयां पहुंचने में बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है। इसके साथ-साथ मेरा यह निवेदन है कि आयुर्वेद के वन औषधियों के फार्म हैं जो आज उजड़ रहे हैं। क्योंकि पिछले साल जो स्टाफ दिया गया था वह बिलकुल समाप्त कर दिया गया है। आज वनों में कीमती दवाइयां हैं। अर्जुन का पेड़ है। जो हार्ट डिजीज में काम आता है वह उजड़ गया। आंवले का पेड़ है, करमाले का पेड़ है। इस तरह के पौधे हैं। तो यह सारी चीजें वन औषधि फार्म में है। उसका स्टाफ समाप्त करने से उनकी हालत खराब है। मेरे जिला केन्द्र पर वन औषधि का बहुत अच्छा फार्म है। आज वहां स्टाफ नहीं होने से देख रेख नहीं हो रही है। फार्म की व्यवस्था है लेकिन स्टाफ के अभाव में सारी जड़ी बूटियां उजड़ रही हैं। इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि इसके बारे में जो आवश्यक खर्चा है उन पर कटौती नहीं की जाय। मितव्ययता का अर्थ यह नहीं कि आवश्यक खर्च में कटौती कर दी जाय। अनावश्यक खर्च में तो कटौती करें लेकिन जो आवश्यक खर्चा है उसमें कटौती नहीं करें। आयुर्वेद की दृष्टि से आप यह चीज लो तो उन में छोटी सी चीज का भी महत्व इस चिकित्सा पद्धति में है। चिकित्सा पद्धतियों में कोई क्लेश नहीं है यूनानी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो या होमियोपैथी हो उनमें आपस में क्लेश नहीं है। एक दूसरे में अच्छाइयां हैं जो हमें लेनी चाहिए। आज गेस्टिग के लिहाज से एलोपैथी में कोई कारगर दवा नहीं है उसको रोकने का एक साधन जरूर है। लेकिन आयुर्वेद में नीम की लोई पी ली जाय, 6 महीने में एक बार पी ली जाय तो गेस्टेज नहीं होती है। आयुर्वेद में तो चूहे की मींगनी तक का महत्व है, उसकी दवा बनती है। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है, सोचिए और इसके बारे में गम्भीरता से विचार करिये। आज आयुर्वेद की स्थिति दयनीय हो गयी है। पता नहीं एक साजिश के तहत इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। आज एक औषधालय में वैद्य होता है, कम्पाउण्डर होता है, एक चपरासी होता है उन सब पर सात हजार रुपये पर मन्थ खर्चा करते हैं। पर सात सौ रुपए की दवाइयां उस औषधालय में वैद्य वितरित नहीं कर पाता है। केवल दो प्रतिशत दवा है। प्रशासनिक खर्च को जोड़ें, उसका भाग लगायें तो दो प्रतिशत भी दवाई ग्रामीण अंचल में नहीं पहुंचती है।

मेरा निवेदन है कि एक तो वन औषधि के जितने फार्म हैं उसके बारे में उचित स्टाफ लगाइये। इसके साथ-साथ जो वितरण केन्द्र हैं वह फिर से स्थापित करिये। जो अनावश्यक खर्च हैं उनको जरूर रोकिये। यह व्यवस्था नहीं करेंगी तो आयुर्वेद औषधालय जितने खोल रखे हैं यह बेकार साबित होंगे और एक-एक औषधालय के स्टाफ पर हर मन्थ आठ दस हजार रुपये का खर्चा करते हैं वह बेकार

(श्री बंशीलाल पटवा)

जायेगा। इसके साथ-साथ आयुर्वेदिक औषधालय की दृष्टि से मेरा एक निवेदन है कि आखिर में एक वैद्य बैठा रखा है, वहां पर कम्पाउन्डर बैठा रखा है, फोर्थ क्लास बैठा रखा है। दवाईयां जब हम नहीं देते हैं, बैठकर काम करना है तो कम्पाउण्डर को जैसे एलोपैथी में है एड पोस्ट के नाम से एक कम्पाउण्डर देते हैं तो वैद्य और फोर्थ क्लास वहां रख लीजिये बाकी एड पोस्ट के नाम से किसी भी जगह है आप कम्पाउण्डर दे दीजिये। इसके साथ-साथ आज इस तरह की स्थिति है, हम कुछ सामन्जस्य एलोपैथी और आयुर्वेद में इस तरह से बैठायें कि जहां पर आयुर्वेदिक अस्पताल है तो वहां पर डिस्पेन्सरी नहीं हो और एड पोस्ट नहीं हो। जहां एड पोस्ट है वहां पर हम आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोलें। इस तरह की कहीं न कहीं समीक्षा करके लोगों को अधिकतम लाभ हो हम इस तरह की व्यवस्था करें।

इसके साथ-साथ अब मैं थोड़ा एलोपैथी के ऊपर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। वैसे मंत्री महोदय बड़े सक्षम हैं उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ सुधार के प्रयत्न किये हैं लेकिन लम्बे अन्तराल से जो कूड़ाकरकट इक्ट्ठा हो रहा है और उसको मैं सोचता हूं मंत्री महोदय एक दिन में तो साफ नहीं कर सकते लेकिन फिर भी एलोपैथी में जिस तरह का सुधार किया जाना चाहिये वह उन्होंने प्रयत्न किया है। चिकित्सालय के बारे में मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे जिला मुख्यालय पर अस्पताल है जैसे मेरे भीलवाड़ा में ए-क्लास अस्पताल है, उसको ए-क्लास का अस्पताल तो घोषित कर दिया लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से नहीं हैं। केवल एक एक्सरे मशीन है, बाकी की दो दूसरी एक्सरे मशीनें खराब हैं। इसके साथ-साथ आप जहाजपुर में चले जाओ वहां पर एक्सरे मशीन खराब है। पिछले दिनों पारोली में एक दुघर्टना हो गई उसमें कुछ लोग मारे गये, काफी लोग घायल हो गये स्वयं चिकित्सा मंत्री जी वहां पर तीन घण्टे तक रहे लेकिन वहां एक्सरे मशीन नहीं। इसलिये जहां आवश्यकता पड़ती है एक्सरे मशीन होना जरूरी है। वैसे तो पुराने जमाने में एल. एम. पी. और इस तरह के डाक्टर्स थे जो स्टेथिस्कोप से सारे इलाज भी करते थे लेकिन आज एस. एम. एस. में चले जाओ केट-स्केन मशीन खराब है, रेडियो थैरेपी की व्यवस्था नहीं है। हम पता नहीं, इसको एक आधुनिक अस्पताल के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। तो जहां-जहां भी इस तरह से जिला मुख्यालयों पर अस्पताल है वहां पर बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए रोगियों की संख्या को देखते हुए हमको नर्सिंग स्टाफ ज्यादा देना चाहिये क्योंकि नर्सिंग स्टाफ ही अधिकतर सेवा करता है और डाक्टरों की हालत तो बड़ी दयनीय है। मैं यह नहीं कहता कि सारे डाक्टर्स खराब हैं। अच्छे डाक्टर भी हैं लेकिन अधिकतर डाक्टर्स खराब हैं। आज हालत यह है ग्रामीण चिकित्सा की दृष्टि से हम ग्रामीणों की सेवा करना चाहते हैं लेकिन ग्रामीण इलाके में ए. एन. एम. नहीं रहना चाहती हैं और सवेरे वह जायेगी और सांयकाल घर आना चाहती है और आप वहां पर डाक्टर को रखो तो वह वहां रहना नहीं चाहता और पी. एच. सी. सेण्टर्स

(श्री बंशीलाल पटवा)

जितने हैं इनकी कुछ को छोड़कर बाकी की हालत बहुत खराब है। मेरे मंगरोल में एक पी. एच सी. सेण्टर था वहां पर मैं एक दिन चला गया। गांव वाले मुझे घेर कर वहां ले गये तो, वहां पर केवल एक कम्पाउण्डर था और एक चपरासी था। बाकी डाक्टर गायब, सब गायब। इस तरह की स्थितियां हैं।....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आगे क्या हुआ ?

श्री बंशीलाल पटवा : आगे जब मैंने मंत्रीजी से निवेदन किया कि वहां पर दूसरा डाक्टर भेजिये उन्होंने फिर दूसरा डाक्टर लगाया तो उसने जोइन नहीं किया। फिर मैंने कहा कि जिसको मैं बताऊं या तो उसको मेरी मर्जी से लगा दीजिये या अपनी मर्जी का भेज दीजिये। तो मंत्रीजी ने लगाया और आज व्यवस्था ठीक चल रही है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन आखिर हम ग्रामीण आंचलों में कुछ व्यवस्थायें सुधारना चाहते हैं तो इस दिशा में हमें ध्यान देना पड़ेगा और जो डाक्टर्स इस तरह के हैं तो उनके बारे में निगरानी रखें और आवश्यकता पड़े तो हम पी. एच. सी. सेन्टर पर निगरानी कमेटियां बनाएं, निगरानी कमेटियां बनाने के साथ-साथ हम इसको कारगर ढंग से किस तरह से कर सकते हैं, हम करें। गरीब, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं आज मान लो कुपोषण, टी. बी. की बीमारी हैं वह कुपोषण से होती है या किसी को निकाला निकला है, इस तरह से लंग्स में गड़बड़ हो जाती है, टाइफाइड वाली बात है तो इस तरह की बीमारियां कुपोषण से होती हैं। टी. बी. अस्पताल में चले जायें, मेरा निवेदन है कि टी. बी. अस्पताल में आइसोनेट्स की गोलियां पूरी मिलें, टानिक मिले क्योंकि गरीब आदमी को टी. बी. होती है बड़े आदमी को टी. बी. नहीं होती है और कमजोर वर्गों में यह रोग ज्यादा मिलेगा तो इस दृष्टि से भी हम उस दिशा में ध्यान दें। भीलवाड़ा में जितनी पी. एच. सी. हैं उनका सुधार करें। इसके साथ जिले का जो मुख्यालय है, अस्पताल है, वहां पर आयुर्वेदिक अस्पताल खोलना चाहते हैं तो बिल्डिंग हम बना देंगे। आप वहां हमको एक डाक्टर दे दीजिये, इस तरह की और व्यवस्था कर दीजिये, आयुर्वेदिक अस्पताल खुल जायेगा।

मेरा एक यह भी सुझाव है, आज कल जलने वाले मामले ज्यादा होते हैं। आपके एस. एम. एस. में तो बर्न यूनिट है। जिला केन्द्र पर यदि आप पांच-पांच बैड्स का बर्न यूनिट खोलने का प्रयत्न करेंगे तो लोगों को सुविधा होगी। भीलवाड़ा में बिल्डिंग बनाकर के देंगे, एयर कन्डीशनर की व्यवस्था करेंगे लेकिन कुछ डाक्टर्स की इस तरह की व्यवस्था आप करेंगे तो तीस पर्सेंट तक, चालीस पर्सेंट तक जलने वाले रोगी बचाये जा सकते हैं। पिछले दिनों बर्न वाला मामला एस. एम. एस. में देखा है वहां पर स्पेस कम है और नौ-दस केबिन्स है....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा शार्ट करें।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं कम्पलीट कर रहा हूं। तो इस बर्न यूनिट वाले

(श्री बंशीलाल पटवा)

मामले में स्पेस बढ़ाइये जिससे कुछ लोगों को हम बचा सकते हैं। जिस तरह की अपराध वृत्ति बढ़ रही है, कुछ जलते हैं, जलाते हैं यह तो अलग कानूनी बात है लेकिन जिस तरह का सुधार होना चाहिये हालांकि इसमें समय लगेगा और आप इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं इसके लिए बहुत अच्छी शुरूआत की है, इसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कुछ बैड्स बढ़ाने हैं तो आप जिला मुख्यालय पर बढ़ाइये और यदि आपने ए-क्लास किया है तो मेडिसन में यदि जूनियर स्पेशलिस्ट देना है तो दीजिये, ई. एन. टी. में देना है तो दीजिये, सर्जीकल में देना है तो दीजिये, गाइनिक वाले मामले में दीजिये, जैसे मेरे अर्बन एरिया में दो लाख वोटर्स की कान्स्टिट्यूएंसी है चार लाख आबादी है, पूर्व में तीस हजार लोग रहते हैं, एक ही डाक्टर है अगर वह छुट्टी चला जाये तो कोई इलाज नहीं। वहां चाहे सेटलाइट हो, सैटलाइट नहीं हो तो रैफरल हो, रैफरल नहीं हो तो चाहे किसी तरह से एक डाक्टर, कम्पाउण्डर की व्यवस्था आप और बढ़ाइये। जनसंख्या और बढ़ते हुए रोगियों के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं हम सक्षम रूप से दें।

अन्त में मेरा एक सुझाव है। जैसे खनिज उद्योग की दृष्टि से मजदूर काम करते हैं मेरे ऊपरवाल में हैं, जोधपुर में भी हैं, दूसरी जगह भी हैं। इनके उपचार की दृष्टि से कुछ हम कारगर ढंग से व्यवस्था कर सकते हैं तो हमको वहां पर करनी चाहिये। क्योंकि वहां पर दूर दराज रहते हैं न सड़कें होती हैं न मार्ग ठीक होते हैं, न आ जा सकते हैं। तो उनके इलाज की दृष्टि से कारगर व्यवस्था, कोई आल्टरनेट व्यवस्था यदि हम कर सकते हैं तो करें।

अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ए. एन. एम. और मेल नर्स वगैरह की जो ट्रेनिंग होती है उसको जोन दे दिये जाते हैं। पिछली अवधि में मंत्री महोदय ने एक व्यवस्था बनाई है कि ए. एन. एम. जो जिस जोन में है, दो साल पहले वहां से हटाई नहीं जायेगी। इस बारे में मंत्री महोदय मेरा निवेदन है कि विचार करिये। डाक्टर के बारे में आप सख्ति बरतिये क्योंकि उनको सुधारने की दृष्टि से कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि आज ग्रामीण इलाके में डाक्टर्स के कारण जलालत की नीति का सामना करना पड़ता है ग्रामीण अंचलों में नर्सिंग तो स्टाफ है, ए एन. एम. है, मेल नर्स की ट्रेनिंग लेकर जाते हैं दो साल तक वह कहीं जा नहीं सकती वहीं रहना पड़ेगा। इस बारे में मेरा एक निवेदन है मंत्री महोदय से कि इसमें शीतलता बरतें, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ को यदि थोड़ी सी यहां रहने की, सुविधा मिलेगी तो मैं सोचता हूं वह कारगर ढंग से काम करेंगी, नहीं तो यह बंधन उनको भी तकलीफ देगा। हर बार आना, हर बार जाना, तो इस पर थोड़ा सा विचार करिये। बाकी यह डाक्टर्स वाले मामले में तो मैं समझता हूं यह मानव दबाव है जो गलियारे बन गये, तम्बू तन गये उनमें से आप, हमको गुजरना है और मंत्रीजी को भी गुजर करके रास्ता बनाना पड़ेगा। अन्त में मैं यही बात कहना चाहता हूं कि एस. एम.

(श्री बंशीलाल पटवा)

एस. अस्पताल के बारे में जो तारा जी ने बात कही है, बड़े कारगर ढंग से बात कही है और मैं तो कभी-कभी यह सोचता हूं कि एस. एम. एस. अस्पताल एक तरह से अनाथालय है। यहां कुछ व्यवस्थाएं अच्छी हैं लेकिन वहां पर मैंने यह देखा है कि जो फोर्थ क्लास सर्वेंट है ट्राली ले जाता है तो उसको दस का नोट दो तो ले जायेगा। इसके साथ-साथ कम्पाउण्डर को पैसा दो तो काम चलेगा। यह आप कहेंगे शिकायत करो, पकड़ाओ, यह सारे धधे होने वाले नहीं हैं, यह करेक्टर से जुड़े हुए मामले है, मन से जुड़े हुए मामले हैं और इसके साथ साथ हम सबको भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक करना पड़ेगा, इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी और एस. एम. एस. अस्पताल में जो 20-20 वर्ष से डाक्टर्स बैठे हैं, क्यों नहीं आखिर हम हटाते उनको। उनकी क्या मोनोपोली है जो यहां बैठे हुए हैं। स्पैशलिस्ट्स दूसरी जगह भी बैठे हैं, इनसे अच्छे डाक्टर्स बैठे हैं। आखिर में इनकी मोनोपोली नहीं है। तो मेरा एक निवेदन है कि समुचित रीति से चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो और चाहे होम्योपैथी हो, हम सुधार करें। आयुर्वेद के बारे में मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि इस दिशा में हम ध्यान दें छोटी-छोटी दवाइयां हैं, बहुत बनती हैं, आयुर्वेद वाले आयरन बहुत अच्छा बना सकते हैं....बथुए की सब्जी खाओ, उसमें स्वर्ण होता है। सारी पुरानी आयुर्वेदिक पद्धतियां हैं हम इसको विकसित करें और किस तरह से इसको अच्छा बना सकते हैं, कारगर ढंग से इसको देखें। इतना ही मेरा निवेदन है। अन्त में, जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर माननीय मंत्री महोदय देंगे और कारगर ढंग से व्यवस्था प्रदान करने में सहयोग प्रदान करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नन्दकिशोर शर्मा।

(10.00 रात्रि)

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोगों की वैसे सुनने की इच्छा नहीं है, फिर भी मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। चिकित्सा में उन्होंने जो सुधार किये हैं हमारे क्षेत्र में, जो उपेक्षित था, जहां गांवों में रैफरल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं थे और आज खुले हैं। मैं एक सोच देना चाहता हूं। आज सुनने में यह आया कि गांवों में कोई डाक्टर जाता ही नहीं। इस सोच को हमें बदलना होगा। एस. एम. एस. के लिए या जयपुर के लिए तो हम कह सकते हैं कि यहां पर सुविधा नहीं है, एयरकण्डीशनर नहीं है। पर गांवों में तो बस डाक्टर पहुंच जाय, कम्पाउण्डर पहुंच जाय, नर्स पहुंच जाय, उस गांव में जहां से सुविधा के लिए सारा पैसा आता है, हम सबने नहीं सोचा तो बोलने से क्या फायदा होगा ? वे वहां रहते नहीं हैं। इसके क्या कारण हैं, कैसे उनको वहां रखें, यह हमें सोचना पड़ेगा। आज स्थिति यह आ रही है कि स्कूल खाली रहते हैं। गांवों का शहरीकरण हो रहा है। गांव का कोई पढ़ा-लिखा आदमी गांव में रहना नहीं

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

चाहता। गांव के बीच में पढ़ाई आ गयी। पढ़ने के बाद वह गांव की सेवा नहीं करना चाहता। यह शहरों में रहने की जो प्रवृत्ति है, इसको हमें निश्चित बदलना पड़ेगा, नहीं तो सारी सेवाएं बेकार जाएंगी।

दूसरी बात, आयुर्वेद के साथ बहुत कटौती हुई है। आयुर्वेद के साथ न्याय करना चाहिए। जितना रैफरल को, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को हम देते हैं उतना एक बार आयुर्वेदिक औषधालय को देकर देखें। उसमें आयुर्वेद के विशेषज्ञ लगाएं जो हमें कुछ दे सकें, दवाइयों का लाभ हो। जैसे बता रहे हैं कि जो वैद्य बैठे होते हैं वे एलोपैथी से इलाज करते हैं। गांवों में रहते ही नहीं। चार हजार का स्टाफ रैफरल का है लेकिन वह गांवों में रहता नहीं। दवाइयां नहीं हैं। ऐसी पद्धति को भुलाएं नहीं, इस पर गम्भीरता से विचार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य। पांच मिनट लेंगे खाली आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं तो सदन की साक्षी में माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं बाकी मैं बोलता नहीं। माननीय मंत्री जी, आपने डाक्टर्स की डी. पी. सी. करके, विभिन्न कैटेगरीज के लोगों की सीनियारिटी लिस्ट बनाकर, उन लोगों के प्रमोशन करके उन पर केवल उपकार ही नहीं किया है बल्कि उनमें जो असन्तोष था उस असन्तोष को भी आपने मिटाया है। मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ एक निवेदन और भी है कि मेडिकल कालेज के टीचिंग स्टाफ के जो लोग हैं उन लोगों के मन में वेदना है, जो पैरा-मेडिकल स्टाफ है उन लोगों की अपनी कुछ कठिनाइयां हैं। मेरा एक सुझाव है कि आप एक सक्षम अफसर को उसमें लगाइये जो सेफ्टी वाल्व का काम करेगा और उन लोगों की बात सुनेगा। मुझे विश्वास है कि यदि आप उनकी बात गम्भीरता से सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनके असन्तोष को आप मिटा सकेंगे। आये दिन जो हड़तालें हास्पिटल्स में होती थीं, जो लोग चले जाते थे, आपके मंत्री बनने के बाद उसमें कमी तो आयी है, निश्चित रूप से कमी आयी है, समय पर काम होने लगा है, लेकिन अभी भी जो थोड़ा बहुत असन्तोष उनमें बाकी रह गया है वह भी दूर हो जाएगा अगर आप कभी बैठकर उनसे चर्चा कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि डायलाग्स निरन्तर चलते रहें। उसकी वजह से उन लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ए. एन. एम. के आपने इण्टर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर बन्द कर दिये, जहां से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया वहां से। मेरा क्षेत्र वनवासी है। उस वनवासी क्षेत्र की जो ए. एन. एम. बनी हैं वे बाड़मेर, जैसलमेर और विभिन्न स्थानों पर आज काम कर रही हैं। उनका स्थानान्तरण ...

श्री परसादी लाल मीणा : कटमोशन हैं क्या ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हैं कट-मोशन मेरे। आप गौर से देखिये जरा।

श्री परसादी लाल मीणा : काहे का कटमोशन है देखो न।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : परसादी लाल जी, क्या प्रसाद बांट रहे हैं ? प्रसाद बांटा करें अपने ही लोगों में।

श्री कालीचरण सराफ : ये ज्ञान की बात कह रहे हैं, थोड़ा ज्ञानवर्द्धन करो।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आज तो इलाज की हो रही है, ज्ञान की नहीं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि पहले ही उन वनवासी क्षेत्रों में ए. एन. एम. मिलती नहीं हैं, डाक्टर्स जाते नहीं हैं। इसलिए जो वनवासी क्षेत्र के लोग हैं कम से कम ऐसे लोगों पर प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए।

आपने यह कहा कि क्षय जैसी बीमारियों और कुष्ठ रोगों के आपने कार्यक्रम लिये हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इसमें योगदान देना चाहती हैं। उदयपुर में झाड़ोल, फलासिया, सराड़ा, इन क्षेत्रों में जो वनवासी लोग रहते हैं उनमें टीबी की बीमारी सबसे ज्यादा है। उसके निवारण के लिए वनवासी कल्याण परिषद् सहयोग करने के लिए तैयार है। मेरा अनुरोध है कि आप उन्हें अधिक से अधिक मदद करें। वे स्वायत्तशासी संस्थाएं सरकारी विभागों की तरह नहीं बल्कि सेवा की भावना लेकर जनजाति क्षेत्रों के काम करना चाहती हैं, उनको आप प्रोत्साहित करें।

मैंने देखा है, शल्य चिकित्सा की जो इकाइयां गांवों में जाकर काम करती हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप शार्ट कर रहे थे सनाढ्य जी। यह तो सारा आया है इसमें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नहीं आया हुआ है।

शल्य चिकित्सा का आपने लक्ष्य रखा था 24 कैम्प का, लेकिन केवल 16 कैम्प लगे। शल्य चिकित्सा की इकाइयां जो गांवों में, वनवासी क्षेत्रों में जाती हैं, मैं गया हूं उसको देखने के लिए कि उन लोगों को कितना लाभ होता है, किस तरह की उन महिलाओं की बीमारियां हैं और शहरों में नहीं आकर नहीं, उन गरीब लोगों पर दया करके इन कैम्प्स की व्यवस्था अधिक से अधिक हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार सदन में एक निवेदन किया था। इस बार आपने जोधपुर में कैटस्केन का प्रबन्ध किया है। आपने एक प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया कि इतनी मौतें हुई एक्सीडैण्ट द्वारा। एक्सीडैण्ट से जो मौतें होती हैं, यदि वहां पर न्यूरो सर्जन रहे तो वे बच सकते हैं। आपने न्यूरो डिपार्टमैण्ट खोलने के लिए कहा, लेकिन आपने यह भी कहा कि न्यूरो सर्जन नहीं हैं। न्यूरो सर्जन नहीं हैं तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर यह व्यवस्था होती है तो सैकड़ों की जान जो एक्सीडैण्ट में जाती हैं वह बच सकती है।

आपने इमर्जेन्सी वार्ड तो खोल दिये,

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

लेकिन उन इमरजेन्सी वार्ड में जिस तरह की व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको कुछ न कुछ करना होगा। तड़पता हुआ आदमी आता है वहां पर। उसके परिवार के सारे लोग परेशान होते हैं। उस समय छोटे डाक्टर्स बैठे रहते हैं, वे उस इमरजेन्सी वार्ड में पेशेण्ट को जल्दी से जल्दी भर्ती करके वार्ड में भेजना चाहते हैं। उस इमरजेन्सी वार्ड में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जब तक मरीज सामान्य स्थिति में नहीं आ जाय तब तक उसे वार्ड में नहीं भेजा जाय।....(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)....ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद मन्त्री और स्वास्थ्य मन्त्री बैठकर राजस्थान के स्ट्रक्चर को एक दफा देखें। कई जगह तो यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी है, डिस्पेंसरी भी है वहां पर और आयुर्वेदिक औषधालय भी है। कुछ ऐसे गांव हैं, जहां न आयुर्वेदिक औषधालय हैं, न डिस्पेंसरी है, न स्वास्थ्य केन्द्र है और न एड पोस्ट है। ऐसे गांव भी मौजूद हैं। आप मेहरबानी करके इसको रीशफल कीजिए, सारे को देखिये। राजनीतिक आधार पर, प्रभावशाली लोगों के आधार पर स्वास्थ्य केन्द्र भी खुल गया, आयुर्वेदिक अस्पताल भी खुल गया और दोनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। आप मेहरबानी करके दोनों बैठकर इस बात को देखें तो हर गांव के अन्दर चिकित्सा पहुंच सकती है, चाहे आयुर्वेदिक अस्पताल के माध्यम से चाहे डिस्पेंसरी के माध्यम से।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, सनाढ्य साहब।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं अपनी अन्तिम बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ये सारी बातें पहले आ चुकी हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ये बातें नहीं आयीं इसलिए मैं कह रहा हूं, नहीं तो मैं कहता ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : कई वक्ता बोल चुके हैं इस बारे में, कोई नयी बात नहीं है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो मैं बैठ जाता हूं। मेरा स्वास्थ्य खराब करने का कोई इरादा नहीं है। मैं मेरी अन्तिम बात कह कर ही बैठ रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो हमारी रसायन शालाएं काम कर रही हैं आयुर्वेद की, जिनमें दवाइयों का निर्माण होता है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब तक प्रशासनिक अधिकार इनको प्राप्त नहीं होंगे, उनको इतने रोड़े अटकाये जाते हैं। मैं पिछली बार भी कह चुका हूं इस बात को लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। उसकी वजह से वे दवाएं समय पर नहीं बना पाते हैं, उन लोगों को सामान खरीदने में तकलीफ होती है। मैं चाहूंगा कि इसके लिये कोई कमेटी आप नियुक्त करें, कुछ सक्षम लोगों को लगायें और यह जो प्रशासनिक अधिकार हैं, वे उन रसायनशालाओं को दिये जाय। आधुनिक तकनीक से भी उनको सम्पन्न किया जाय,

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

नई मशीनें खरीदी जाय तभी आयुर्वेद के विकास की दृष्टि से हम काम कर सकेंगे। आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकांता व्यास। आप लास्ट वक्ता हैं, 5 मिनट आप भी बोल जाय।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान जोधपुर की तरफ दिलाना चाहती हूं। मंत्री महोदय को मैं बधाई देती हूं कि जोधपुर के अन्दर न्यूरो-सर्जरी का विभाग आपने खुलवाया। इसके लिये मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। इसके साथ-साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी कि विभाग को तो खुलवा दिया लेकिन वहां बैठने वाला कोई नहीं है, वहां देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....(व्यवधान) आप जरा सुनिये। आप मेरी बात सुन लें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि आपने ऐसा अच्छा विभाग जोधपुर के अन्दर खोला लेकिन उसके अन्दर बैठने वाला कोई नहीं है। तो उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं हैं। न तो कोई स्टाफ है। (व्यवधान) मंत्री महोदय, मेरी बात सुन लीजिये, बाद में बता देना। आपके यहां न्यूरो-सर्जरी के बड़े-बड़े डाक्टर बैठे हैं। एक डाक्टर की वहां जोधपुर के अन्दर ड्यूटी लगायें तो उससे जोधपुर के निवासियों को काफी राहत मिल सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कहूंगी कि मैं कोई भी मांग नहीं करूंगी कि मेरे विधान-सभा क्षेत्र जोधपुर में नया हास्पिटल खोलो, वह करो, हमें कुछ जरूरत नहीं है मगर जो हमारे हास्पिटल्स हैं, उनको तरक्की देने के लिये हमको आपका सहयोग चाहिये। वह सहयोग बराबर नहीं मिल रहा है। मेरे को सब माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप मत बोलो मगर जोधपुर की बात बहुत जरूरी है क्योंकि स्टेट के टाइम में राजा-महाराजाओं ने ऐसे हास्पिटल, खोले हैं मगर आज उनकी तरक्की नहीं हो रही है। इसलिये मेरे को उस बात को दोहराना पड़ रहा है। आज जोधपुर के अन्दर गांधी हास्पिटल है, उम्मेद हास्पिटल है, मगर उस उम्मेद हास्पिटल के बारे में भी आपको कहना चाहूंगी कि मुझे जहां तक जानकारी मिली है, उस उम्मेद हास्पिटल का नाम चेंज कर दिया गया है। अगर वह चेंज कर दिया गया है तो माननीय मंत्री महोदय बतायें। तीसरा टीचिंग हास्पिटल है। अब आप ध्यान दीजिये, जोधपुर का क्या हाल है। चारों दिशाओं के अन्दर हास्पिटल को बांट दिया है। आप कहां मारे-मारे जाओगे। एक पैसे वाला आदमी तो जा सकता है, गरीब आदमी कहां-कहां दिखाने जायेगा ? हृदय (Heart) की बीमारी होगी तो गांधी हास्पिटल जाओ, डिलिवरी करानी है तो उम्मेद हास्पिटल जाओ और आंखों का इलाज कराना है तो टीचिंग हास्पिटल जाओ। उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम। इस तरीके से सारा बांट दिया है। जोधपुर जो कि सोने की चिड़िया

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कहलाता है, उस जोधपुर का सत्यानाश हो गया। पूर्व सरकार ने तो किया जो किया मगर वर्तमान सरकार इसके बारे में विचार करें, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहती हूं क्योंकि हमारे मंत्री महोदय बहुत उत्सुक हैं, काम करने में माहिर हैं और छोटी-मोटी बातों को फट पकड़ लेते हैं। मेरे को आप समय कम दे रहे हैं फिर भी मैं मेरी बात कहना चाहूंगी, मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है इसलिये मैं कह रही हूं कि मंत्री महोदय इतने जागरूक होते हुए भी कभी-कभी कुछ सीरियसली नहीं लेते हैं या मुझे ऐसा समझ में आया है।

जोधपुर के अन्दर नर्सिंग स्टाफ बिल्कुल ही नहीं है, न कोई काम करने वाला कम्पाउण्डर अच्छी तरह से है। इसके बारे में भी मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। दूसरी बात मैं यह कह रही हूं कि मंत्री महोदय जब दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं तो इतनी बड़ी बात को बिल्कुल गोलमाल कैसे कर सकते हैं। मैं आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहती हूं, माननीय मंत्री महोदय, मेडिकल विभाग में दवाइयों के उपकरण के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहूंगी। विभाग ने 21 लाख रुपये का आयोडीन किस्टल की खरीद की। क्या यह पानी में घुलनशील है (व्यवधान) साहब; मैं बोल रही हूं, आप सुन लो। यह गलत बात है। ये बीच के अन्दर नहीं बोलेंगे। यह क्या बात हो गई? मैं गलत कहूं, सही कहूं, मेरी बात सुन लीजिये। क्या दिक्कत है? अगर आप नहीं बोलने देना चाहते हैं तो ये बैठी वैसे मैं भी बैठ जाऊं? मगर मैं गुस्सा करके बैठने वाली नहीं हूं। मेरे को गुस्सा तो आता ही नहीं। मैं मेरी बात कहना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अपनी बात कहिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : हां, मैं अपनी बात ही तो कह रही हूं।

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय सदस्या, मैं गुस्सा नहीं हुई हूं, मैं तो सदन का मान रखते हुए बैठी हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आयोडीन किस्टल को टिन्चर कैसे और किस फार्मूले से बनाया जाता है? आयोडीन किस्टल स्प्रिट व एल्कोहल में घुलनशील है तो स्प्रिट व एल्कोहल कितनी मात्रा में खरीद की गई और कितनी राशि व्यय की गई? यदि स्प्रिट व एल्कोहल की खरीद नहीं की गई तो आयोडीन किस्टल किस काम का है? यह री-एजेन्ट है राजस्थान में करीब 7-8 हजार सैण्टर हैं। जब डायरेक्टर को भी टिन्चर बनाने का फार्मूला मालूम नहीं है तो सब-सैण्टर पर कार्य कर रही ए.एन.एम. कैसे काम में लेगी? जिस विभाग को वह दवाई बनाने का फार्मूला मालूम नहीं हो और वह दवा खरीदी जाय, यह सोचने की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें काफी कुछ घपला हुआ है। मेडिकल विभाग द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। गांव की गरीब जनता के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। मुझे यह

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

भी जानकारी मिली है कि विभाग ने घटिया किस्म की हेलोजीन-क्लोरीन टेबलेट खरीदी हैं जिसकी लेबोरेटरी जांच में उसकी मात्रा सही नहीं पाई गई। इसकी जांच कराई जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के पूर्व अधिकारी द्वारा भ्रष्ट तरीके का मामला पेश करती हूं। माह अप्रेल, 1992 में मेडिकल विभाग की दवा/उपकरणों की खरीद भूतपूर्व अतिरिक्त निदेशक जयपुर कल्याण विभाग द्वारा की गई। इन दवाइयों के उपकरणों की खरीद की स्वीकृति पूर्व निदेशक ने दी थीं। यह खरीद दोनों की मिलीभगत से हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं आपको सही बात बता रही हूं और अगर माननीय मंत्री महोदय चाहेंगे, वैसे उन्हें सारी जानकारी है और चाहेंगे तो इसकी जानकारी भी मिल जायेगी मगर मेरा एक मानना है, मैं सदन से निवेदन करती हूं और सदन में मांग करती हूं कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय। यह गंभीर मामला है। फाइल जब्त करके रखें नहीं तो उसके अन्दर हेराफेरी हो जायेगी और वह अफसर बच जायेगा। जब मंत्री महोदय ने छोटे अफसरों को 300 रुपये के लिये और इस तरह डाक्टर को भी सस्पेंड किया था तो इस बड़े अधिकारी के लिये इनको सोचने की क्या बात है? अगर कोई घपला है तो इनको सस्पेंड किया जाय। मैं सदन से मांग कर रही हूं कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाय तब तसल्ली रखेंगे। नहीं तो फिर यह रहेगा कि छोटे अधिकारी के साथ तो अन्याय करते हैं और आप बड़े अधिकारी से कुछ भी नहीं कहते हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कन्हैया लालजी मीणा, दो मिनट में अपनी बात कह दीजिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब-सैण्टर, पी एच सी और रैफरल अस्पताल से लेकर एस. एम. एस. तक हर डाक्टर की जो सेवा है, वह बहुत दयनीय रही है। कम्पाउण्डरों और नर्सों की सेवाओं के लिये सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं तथा काफी कमियां बताई हैं। मैं आपको इन सबसे अलग जाकर निवेदन करना चाहूंगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में करीब 5 हजार प्राइवेट डाक्टर्स आज 30-30, 50-50 साल से दूरदराज के गांवों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जहां न कोई आयुर्वेदिक हास्पिटल है, न कोई पी. एच. सी. है, न कोई एड पोस्ट है वहां प्राइवेट डाक्टर्स अपनी छोटी-सी क्लिनिक लेकर बैठे हैं। उसके माध्यम से वह मरीज की जिस तरह से सेवा कर रहे हैं, उन प्राइवेट प्रैक्टिशनर डाक्टर्स के बारे में किसी भी माननीय सदस्य ने कभी शिकायत नहीं की। ज्यादा गंभीर हालत में मरीज यदि उनके पास पहुंचते हैं तो वह

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

उन्हें एस. एम. एस. हास्पिटल में लेकर आते हैं, स्वयं के खर्चे से लेकर आते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशर्स डाक्टर्स को मान्यता दी जाय। जो गांवों में, दूरदराज में ग्रामीण की सेवाएं भली प्रकार से करते हैं, उन्हें मान्यता दी जाय। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

थोड़ा-सा समय आप मुझे और दें। आयुर्वेद के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांव-गांव में जो आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाते हैं, उस सम्बन्ध में मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि अभी आयुर्वेद विभाग की तरफ से माड़ा योजना के अन्तर्गत कैम्पस आयोजित किए गए थे। पुरानी से पुरानी बीमारियों का इलाज होने से ग्रामीणों को फायदा हुआ है। आयुर्वेद के चिकित्सकों के माध्यम से 15-15, 20-20 लोगों की पुरानी से पुरानी बीमारियों का इलाज किया गया। इसके लिए जो 11 हजार रुपये का बजट रखा गया, उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसे बढ़ाया जाय क्योंकि आयुर्वेद के इलाज के लिए जिन लोगों को लम्बी बीमारियां होती हैं वही लोग अपने इलाज कराने के लिए जाते हैं। चाहे आप गांव-गांव में औषधालय नहीं खोलें लेकिन कम से कम पंचायत समिति स्तर पर एक बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलें जिसमें 15-20 वैद्यों का स्टाफ हो, बैड्स की व्यवस्था हो तथा जहां पर पुराने से पुराने रोग के मरीजों का इलाज हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एस. एम. एस. के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत कहा जा चुका है एस. एस. एस. के बारे में।

श्री कन्हैयालाल मीणा : काफी कुछ बता दिया गया है लेकिन मैं इमरजेन्सी विभाग के स्टाफ का जो रवैया है, उसके बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे पर एक मोटर साइकिल एक्सीडेंट में बच्ची और उस के पिताजी पड़े हुए थे। उनको वहां से उठा कर लाकर वहां पर भर्ती करवाया। मुझे बड़े दुःख के साथ यहां पर कहना पड़ रहा है कि मैं बच्ची को सम्भालने लगा तो बच्ची के पिताजी की जेब में से 1500-1600 रुपये थे, वह निकाल लिए गए। स्टाफ ने निकाल लिए। कम्पाउण्डर ने इशारा किया और दूसरा चपरासी था वह लेकर एक दम पार हो गया। थोड़ी देर में वह बच्ची खत्म हो गई। मैं बच्ची को छोड़कर वापस उधर आया तो लोगों ने मुझे बताया कि इसकी जेब में से पैसे निकाल कर ले गए हैं। यह इस प्रकार की तीसरी घटना है। मैंने जाकर पुलिस को रिपोर्ट की चौकी के अन्दर। पुलिस वाले आये और वह पैसा उनको उस समय बरामद नहीं हुआ था और 4-5 रोज बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई।

एक मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

के लिए जब तक डेथ बॉडी के रिश्तेदार या पेरेन्ट्स बरनी लाकर नहीं दें तब तक पोस्ट मार्टम नहीं होता है। ग्रामीण व्यक्ति या तो दूर से बरनी लाकर दे या उनको सौ-डेढ़ सौ रुपये दे यह रोजाना का काम है कि एक बरनी लेकर आये, एक प्लास्टिक थैली लेकर आये और एडेसिव प्लास्टर लाकर दे और यदि नहीं लाकर देते हैं 3–4 इंच चौड़े टांके छोड़ देते हैं और पूरा का पूरा शरीर दिखता रहता है और लाकर दे देते हैं तो ठीक तरह से बन्द करके देते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वही इस ओर ध्यान दें। बरनी, प्लास्टिक की थैली और एडेसिव प्लास्टिक की व्यवस्था करवाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी (व्यवधान) आप कहना चाहेंगी, माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी ?

श्रीमती विद्या पाठक (आयुर्वेद मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय की डिमाण्ड में ही यह है, कुछ लोगों ने आयुर्वेद के बारे में कटमोशन्स दिए हैं। अगर आप कहें या फिर इनके बाद कहलवा दें।

डा. चन्द्रभान : एक के बाद एक बात का जवाब वह दे देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद सभी माननीय सदस्यों को देना चाहता हूं जिन्होंने इस विषय में चर्चा करते समय बहुत मूल्यवान सुझाव यहां रखे। 33 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और 255 कटमोशंस मुझे प्राप्त हुए हैं। इतने अच्छे सुझाव– कुछ सौम्य भाव से, कुछ उग्र भाव से, कुछ कड़े तेवरों से, कुछ मधुर भाव से, प्राप्त हुए हैं। उनके लिए मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप भी अपना तेवर दिखा दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फिर मैं इस बात को दोहरा देना चाहता हूं जिसकी पिछले 2 बजट सत्रों में मैंने चर्चा की थी कि हमारी पहली वरीयता ग्रामीण चिकित्सा सुविधा है। यह बात सच है कि ग्रामीण चिकित्सा सुविधा प्राप्त कराने में कई कठिनाइयों का लगातार सामना करना पड़ा है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि प्रारम्भ में 358 डाक्टर्स मिले थे जो प्रतिनियुक्ति पर शहरों में थे। गांव वाले तो यह समझते थे कि हमारे यहां तो डाक्टर आयेंगे नहीं, हमको तो कम्पाउण्डर्स से ही काम चलाना पड़ेगा। 900 ए.एन.एम. बहनें थीं जिसकी पोस्टिंग गांवों में थी, किन्तु काम शहरों में करती थीं, पैसा वहां से उठाती थीं। इस प्रकार की मन:स्थिति जिस समय बनी हो और उस समय ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था ठीक प्रकार से लागू करने का प्रयत्न किया जाय, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और जिस प्रकार की भौतिकवादी प्रवृत्ति

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आज बढ़ रही है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य महोदयों ने की, कि नौकरी में आते ही बंगला चाहिए, कार खड़ी हो जाय, कलर टी. वी. हो जाय। यह तो मन की प्रेरणा है और एक भाव रहना चाहिए संवेदनशीलता का, रोगी से प्रति समर्पण का भाव। उसकी बजाय आज की परिस्थितियों में डाक्टर के लिए विक्रेता का भाव और रोगी के लिए क्रेता का भाव। इन सब परिस्थितियों में पुरानी पड़ी आदतों के कारण इस व्यवस्था को प्राप्त करने में, पूरी करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि केवल अकेली सरकार इस काम को नहीं कर सकती है। सरकार के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों को, जनता को पूरा सहयोग निश्चित रूप से देना होगा। मैं जानता हूं कि जितने वांछित फल हम निकालना चाहते थे वह अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, किन्तु वांछित फल प्राप्ति की ओर निश्चित रूप से हमारे कदम बढ़े हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। किन्तु मैं तो आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से, राजस्थान की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने सोच यह रखा है कि चिकित्सा मंत्री के नाते मेरा, मेरी सहयोगी डाक्टर्स का, मेरे सहयोगी कम्पाउन्डर्स का, मेरी बहनें ए.एन.एम. का कर्तव्य है कि हम चिकित्सा सुविधा लोगों को दें। निश्चित रूप से जनता का यह अधिकार है कि उस चिकित्सा को प्राप्त करें और इसी दृष्टि से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था को लागू करने की दृष्टि से जो प्रयत्न हुए उसमें इस प्रकार के परिणाम थोड़े बहुत आ रहे हैं, और आयेंगे यदि समुचित रूप से पूरा सहयोग जन प्रतिनिधियों का और राजस्थान की जनता का अधिकार को प्राप्त करने के नाते मिलता चला जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, पहले वर्ष में 15 सामुदायिक विकास केन्द्र खोलने का हमको मौका मिला। दूसरे वर्ष में 16, इस बार 15 फाइनेंसियल स्ट्रिंजेन्सी भी है। निश्चित रूप से अवधि है, एक सीमा है, इस सीमा को तोड़कर सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रसार नहीं किया जा सकता।

मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कन्सोलिडेशन की दृष्टि से, उस उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से, ग्रामीण चिकित्सा सुविधा को देने की दृष्टि से कदम निश्चित रूप से उठाये गये हैं। मन का प्रयत्न यह है। यह हमारे क्राइटेरिया नहीं है, भारत सरकार का क्राइटेरिया है कि प्रत्येक एक लाख की आबादी में एक एक कम्युनिटी हैल्थ सेण्टर होना चाहिए। किन्तु आज भी स्थिति ऐसी है, 30 पंचायत समिति ऐसी हैं कि जिनमें सामुदायिक विकास केन्द्र नहीं है। हम जब आये थे तब यह संख्या 59 थी। निश्चित रूप से उस समय यह प्रयत्न हुआ है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उन्हीं स्थानों पर खोले जाएं कि जहां कम से कम एक-एक पंचायत समिति में एक-एक सामुदायिक विकास केन्द्र रैफरल अस्पताल हो जाए। मैंने यह भी नहीं कहा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

प्रत्येक केन्द्र पर होगा। एक पंचायत समिति में एक सामुदायिक विकास केन्द्र होना चाहिए और पिछले दो सालों में इसी क्राइटेरिया को मानकर खोले गए। अब इसमें अगर यह बात कही जाए, हिण्डौली से आने वाली माननीय सदस्या ने बात कही, बिल्कुल ठीक है। फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही है किन्तु वहां पर रैफरल अस्पताल है मैं शिव की बात उचित समझता हू कि वहां रैफरल अस्पताल नहीं है। मैं आपके समक्ष निश्चित रूप से कहना चाहता हूं.... (व्यवधान)....और इसीलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार 15 खोलने का अवसर मिला है। तीस पंचायत समितियां बाकी हैं। 1993–94 में निश्चित रूप से प्रत्येक पंचायत समिति में एक-एक रैफरल अस्पताल बना दिया जायेगा, 15 अभी बाकी बाद में असन्तुलन दूर करना चाहते हैं। मन की भावना यह है।

श्री अमीन खां : शिव में खोलेंगे या नहीं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी मुझे बात कर लेने दीजिए पूरी। तीस पंचायत समितियां हैं 15 को मिलने का इस बार टार्गेट तय किया है माननीय वित्त मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने और इस नाते से 1993-94 के वर्ष में राजस्थान में कोई पंचायत समिति ऐसी नहीं रहेगी। हां अगर नई गणना हो गई तो उसमें कुछ और पंचायत समिति बन जाए। अब हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे क्योंकि आज निश्चित रूप से एक लाख वाला जो क्राइटेरिया है, उसमें कई पंचायत समिति की आबादी ढाई-ढाई, तीन-तीन लाख तक है, वहां एक ही है। किन्तु इस बारे में हमारी निश्चित रूप से कल्पना हैं, हमारी निश्चित रूप से धारणा है और हम चाहते हैं कि उसी नाते से इस प्रकार का प्रयत्न हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ-साथ जहां तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का विस्तार है, सीधी-सीधी बात मैंने ग्रामीण चिकित्सा सुविधा की आपके सामने की है जो क्राइटेरिया दिया हुआ है केन्द्र ने, क्राइटेरिया हमारा नहीं है कि साधारणतः तीस हजार की आबादी पर, बाकी मरू क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में बीस हजार की आबादी पर। हिण्डौली से आने वाली माननीय विधायिका बोल रही थी कि अनुसूचित जाति-जनजाति क्षेत्र में बीस हजार कर दिया आपने, जनरल में तीस हजार कर दिया। शायद उन्होंने इस बात को ठीक नहीं समझा। इसमें तो गणना का हिसाब है इसलिए इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का तो सवाल ही नहीं आता। जनरल क्षेत्र के लिए तीस हजार और मरू क्षेत्र और वनवासी क्षेत्र के लिए बीस हजार। इस प्रकार की योजना केन्द्रीय निर्देशन के अनुसार बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पता नहीं पूर्व में कौनसे कारण रहे होंगे मैं उस सन्दर्भ में नहीं जाना चाहता कि

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जिसके कारण आज देखता हूं तो कई पंचायत समिति डेढ़ लाख की आबादी की हैं, होने चाहिए पांच, हैं दस-दस। मैं नाम बता सकता हूं किन्तु नाम यहां बताना नहीं चाहता। इस प्रकार का असन्तुलन क्यों हुआ? अब वर्तमान सरकार के मन की यह इच्छा है कि जो रिक्तियां रह गई हैं बहुत बाकी है, आगामी आठवीं पंच-योजना में इस क्राइटेरिया के अनुसार निश्चित रूप से नए प्राइमरी हैल्थ सेण्टर खोलने का काम इसी योजना के अनुसार किया जाएगा। मैं तो माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि इनमें कहीं भी आपको कुछ लगे, मुझको लिखें, मुझको कहें, मैं निश्चित रूप से कारण बता सकूंगा कि किस कारण से इस प्रकार की बात हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। अभी चिकित्सा मंत्रियों की मीटिंग हुई थी। मुझको भी उसमें जाने का मौका मिला था। केन्द्रीय मंत्री श्रीमन् फोतेदारजी थे। मैंने कहा कि राजस्थान की दृष्टि से जो क्र इटेरिया बनाये गये हैं, यह मापदण्ड किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जैसलमेर से आने वाले माननीय विधायक को, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय विधायक को, डूंगरपुर से आने वाले विधायक को जिन्होंने इस बारे में मेरे पक्ष की, जो मैंने प्रस्तुत किया चिकित्सा मंत्रियों की बैठक में, ताईद की है। हमारे यहां तो हालत यह है कि यहां तो आबादी छितरी-छितरी है। जैसलमेर का क्षेत्र, बाड़मेर का क्षेत्र, पोकरण का क्षेत्र, आबादी छितरी है। थलों में, ढाणियों में इस प्रकार की आबादी है और मैंने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया कि इस क्राइटेरिया को आप हमारे राजस्थान की दृष्टि से बदलें।

एक दूसरी और विसंगति है जिसकी चर्चा मैंने उसी मीटिंग में की थी। वह विसंगति है प्राइमरी हैल्थ सेण्टर पर एक डाक्टर रहने की प्राइमरी हैल्थ सेण्टर तीस हजार की आबादी को कवर करने वाला होता है। एक डाक्टर स्टेटिक नहीं रह सकता। उसको लोगों को चिकित्सा सुविधा का ज्ञान देने के लिए, और बातें देने के लिए वहां के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्र में दौरा करना होगा। करना होता है, और दौरा करना होता है तो जाना पड़ता है और जाना पड़ता है तो अस्पताल खाली रहता है। एक चिकित्सक से कैसे काम चल सकता है? अगर हम दो हजार ए.डी. तक हिन्दुस्तान और राज-स्थान के सभी बन्धुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हमको प्राइमरी हैल्थ सेण्टर में एक डाक्टर की बजाए दो डाक्टर रखने होंगे। दो डाक्टर रखनेहोंगे इस विसंगति की चर्चा भी मैंने उसमें की। मैंने कहा आप मापदण्ड तय करिये। हमको निश्चित रूप से इस प्रकार का विचार दीजिए, निर्देश दीजिए, और उसी अनुसार बजट का आवंटन करिए। केन्द्रीय सरकार को आगे आना चाहिए। स्वास्थ्य का विषय यद्यपि राज्य से सम्बन्ध रखने वाला विषय है किन्तु आखिर देश के सन्दर्भ में चिकित्सा तो ऐसी व्यवस्था है जिसमें सब प्रकार के लोगों को सहयोग

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी):

करने की आवश्यकता है। तो उसमें तो निश्चित रूप से उनको आगे आना चाहिए।

बड़ी चर्चा हुई यहां उपकेन्द्र खोलने की। बड़ी चर्चा हुई पांच पोस्टमार्टम सेन्टर खोलने की किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं, पता नहीं हम दुर्भाग्यशाली हैं या केन्द्र की कृपा नहीं, पिछले दो वर्षों से एक भी उपकेन्द्र नहीं मिला है केन्द्रीय सरकार की ओर से, एक भी पोस्टमार्टम सेण्टर नहीं मिला है। यह दोनों योजनाएं वहां से चली हैं कैसे उपकेन्द्र खोलेंगे, कैसे पोस्टमार्टम केन्द्र खोलेंगे.... (व्यवधान).. उसकी चर्चा करूंगा मैं। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि हमको सब लोगों को, सब माननीय सदस्यों को एकजुट होकर, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा. मैं चर्चा कर चुका हूं दो बार हमारे केन्द्रीय चिकित्सा मंत्री महोदय से कि यह एक ऐसा इश्यु है कि जिस इश्यु पर सब प्रकार की चिन्ता आज सारे प्रदेश में है और जो योजना 2000ए.डी. तक हमने बनाई है, वह पूरी नहीं हो सकेगी। अगर उन्होंने उपकेन्द्र नहीं दिये और पोस्टमार्टम सेण्टर नहीं दिये, मेरे सहयोगी मंत्री महोदय मुझसे कह रहे थे कि हमारे यहां पोस्टमार्टम की घोषणा कर ही दीजिए। देना है उनको घोषणा मैं करूंगा तो काम कैसे चलेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनको पोस्टमार्टम की जरूरत क्या पड़ी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज हम इस आवाज को इस चर्चा के जरिए केन्द्रीय सरकार तक पहुंचायें। इन दोनों विषय पर और इन दोनों विषय के साथ-साथ चिकित्सा सुविधा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, स्टेटिक रखना नहीं चाहते। आज सी. एच. सी. में एम्बूलेंस देने का विचार है, उतनी योजनाएं हैं। हमको पी. एच. सी. तक एम्बूलेंस देकर अगर चिकित्सा सुविधा देनी हो तो वहां तक का विचार करना होगा और केन्द्र को इस नाते से आगे आना होगा कि वह हमको सहयोग करके राजस्थान के पिछड़े प्रदेश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से पूरा प्रयत्न करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फाइनेंनशलस्ट्रैथ, 50 स्वास्थ्य केन्द्र 1990-91 में मिले, 225 ग्रामीण डिस्पेन्सरीज को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकृत उस समय कर दिया गया। आज ग्रामीण क्षेत्र में कोई डिस्पेन्सरी नहीं है उसके बाद 50 प्राथमिक केन्द्र पिछले वर्ष मिले, इस बार 40 मिले हैं। कारण सच है कि आन गोइंग एक्सपेंसेज बढ़ते जा रहे हैं। निर्धारित करते हैं वे, इतना बजट रखो इसमें, नहीं दी जा सकती। माननीय मुख्य मंत्रीजी चाहते तो भी नहीं दिये जा सकते थे। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर हम कन्सालिडेट कर लेंगे सारी व्यवस्था को तो निश्चित रूप से हमको इस प्रकार का बहुत बड़ा सहयोग होने वाला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में मैं आपसे एक बात और निवेदन

(338)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

करना चाहूंगा। हालत यह है, बड़ी चर्चा की गई थी यहां कि डाक्टर पहुंचते नहीं मैंने कहा कि बात सच है कि डाक्टर पहुंचते नहीं। यह बात सच है किन्तु हालत क्या बनी है कि 1991-92 के अन्दर 11 सौ की संख्या में डाक्टर हमने लगाये हैं। 1370 डाक्टर्स को 1990–91 में हमने नियुक्ति दी ठेठ गांव के अस्पताल में, 1991–92 में 1141 डाक्टर्स की नियुक्ति दी। अभी 800 डाक्टर पी एच. सी. में आ गये हैं, 334 डाक्टर्स की नियुक्ति दी जा चुकी है। शेष बचे हुए डाक्टर पहले एड-हॉक लगे हुये हैं, उनके भी आदेश पत्र जारी हो गये हैं। इस प्रकार 2745 डाक्टरों की नियुक्ति की है जिसमें से 635 महिलायें हैं। राजस्थान के पिछले चालीस सालों के इतिहास में चार हजार डाक्टर लगे हैं। दो साल की अवधि में 2745 डाक्टरों की नियुक्ति की है। कुछ फाल-आउट भी हुये हैं, कुछ ड्राप-आउट भी हुये हैं, कुछ जोइन करके चले गये हैं जिनका नाम काटना पड़ा है, जिनकी सेवायें समाप्त करनी पड़ी हैं किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सा सुविधा के बारे में वर्तमान सरकार की इतनी सेंसिविटी है। उसके बाद भी यह बात सच है।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं कि जिस पेरा-मेडिकल स्टाफ की वेकेन्सी की चर्चा की गई थी, 1991–92 में 568 प्रसाविकाओं के पद भी भरे गये, एच. एल. वी. के 160, स्टाफ नर्स के 159, मेल नर्स के 194 प्रथम के 41, सिस्टर 31, नर्सिंग अधिक्षक 45, जन स्वास्थ्य नर्स 29 और ब्लाक हैल्थ सुपरवाइजर 111, फिर भी 1500 ए. एन. एम. की जगह खाली पड़ी हैं। पांच सौ ग्रेड-2 के रिक्त पद हैं। अब मुझसे कहा जाये कि भर दो, कहां से भरूंगा? कैसी लोप-साइडेड योजना थी कि पिछले दो साल से लगातार प्रयास करने के पश्चात भी, ट्रेनिंग पास करने वाले सब लोगों को लगाने के बाद भी आज राजस्थान की स्थिति यह है। किन्तु मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ट्रेनिंग का जायजा भी मैंने लिया है और जायजा लेने के बाद मुझे लगता है कि 1992-93 के अन्त में शायद 10 प्रतिशत पद ए. एन. एम. के और मेल ग्रेड-2 के रहेंगे और 30 अप्रेल तक डाक्टर का एक-एक पद भर दिया जायेगा। यह बात सच है कि इसके बाद भी यह कठिनाई आयेगी।

जिन कठिनाइयों का जिक्र यहां माननीय सदस्य महोदय ने किया, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, पूरा मानीटरिंग कर रहा हूं। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मंत्री महोदय सारे अधिकार आपके हाथ में है लेकिन फिर भी एक भी डाक्टर का तबादला नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं, इतना नहीं है, अप-डाउन करने वाला डाक्टर, मृदु व्यवहार नहीं करने वाला डाक्टर, पूरे समय नहीं रहने वाला डाक्टर, सी. एम. एच. ओ., पी. एम. ओ. आथोराइज्ड है और आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि 268 डाक्टर्स को अवेटिंग पोस्टिंग आर्डर करके यहां जयपुर भेजा गया है

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जिनको हमने दूरस्थ गांवों में दिया। हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि नियम 16 की 17 की कार्यवाही, उतनी नहीं है इसके साथ में इतने डाक्टर और हैं जो ए. पी. ओ. में आये हैं। और आये हैं। केवल सी. एम. एच ओ. और पी. एम ओ. के सुपरविजन के कारण, जांच की उन्होंने, गये लोग नहीं पाये तुरन्त एक्शन लिया और ए. पी. ओ. में जयपुर भिजवाया। मैंने तो उनको कहा है कि मैं किसी प्रकार का राजनैतिक इंटरफियरेंस नहीं करूंगा इसमें आप पूरे अधिकृत हैं। अगर डाक्टर पूरे समय नहीं रहता, अप-डाउन करता है, ठीक व्यवहार नहीं करता, मृदु व्यवहार नहीं करता एक्शन लीजिए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बीमारी जड़ पकड़ी हुई है, बहुत कठोर परिश्रम करने होंगे। इन सबके बावजूद भी इस समस्या को हल करने की दृष्टि से एक योजना बनाई है, पत्र के द्वारा समस्या का हल सी. एम. एच. ओ., पी. एम ओ. अधिकृत है इन तीनों प्रकार की शिकायत, अपडाउन करने वाला, पूरे समय नहीं जाने वाला और मृदु व्यवहार नहीं करने वाला, माननीय विधायकगण या और भी कोई उनको शिकायत कर सकता है। 15 दिन में वह जांच करेंगे सही पायेंगे तो एक्शन लेंगे। जांच सही नहीं पाई तो उन माननीय सदस्य महोदय को लिखकर देंगे कि जांच की गई और शिकायत सही नहीं पाई गई। 15 दिनों में उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कृपया सेक्रेट्री को लिखें, एक प्रतिलिपि मुझे दें।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, मुझे कहना तो नहीं चाहिये, इस सदन के द्वारा चुनी हुई कमेटी एस्टीमेट कमेटी ने आपको इतने पत्र दिये, इतनी अनियमितायें पकड़ी, माफ करना, जो 15 एम. एल. एज. की कमेटी है, उन्होंने आपको पत्र दिया, आपके सेक्रेट्री को पत्र दिया आपके सी. एम. एच. ओ. से बात की, पूरी कमेटी ने गांव में घूम-घूम कर अनियमिततायें पकड़ कर आपको दी हैं लेकिन आप पर कोई असर नहीं हुआ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस कमेटी की चर्चा कर रहे हैं, वह तो आथेन्टिक कमेटी है यहां से। उसकी पूरी जांच होकर एक-एक व्यक्ति पर एक्शन लिया जायेगा, उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं। मैं तो इन तीनों श्रेणी के डाक्टरों की चर्चा कर रहा हूं कि जो बीमार ग्रामीण चिकित्सा में हैं। वहां तो फिर पानी की व्यवस्था, कुछ और व्यवस्था सबकी चर्चा है उस पर एक्शन हो रहा है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं और अगर 15 दिन में उन्होंने एक्शन नहीं लिया या पत्र का उत्तर नहीं दिया तो सेक्रेटरी महोदय या मेरे सेक्रेटरी को लिखेंगे आप तो केवल उस व्यक्ति के विरुद्ध ही एक्शन नहीं किया जायेगा किन्तु सुपरवाइजरी नेग्लीजेन्स के लिये सी. एम. एच. ओ. और पी. एम. ओ. भी कटघरे में खड़े किये जायेंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। यहां चर्चा करते समय हमारे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यही कह दिया कि ललित जी मिलते ही नहीं हैं। बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार मैंने

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

निश्चित कर रखा है दौरे का और सोम, मंगल और बुध यहां रहता हूं। 9 बजे से 10 बजे तक सब लोगों के मिलने का समय है, शाम के चार बजे से पांच बजे तक हमने अपने कार्यकर्ताओं के मिलने का समय रखा है तथा पांच से छः बजे तक विधायकों से मिलने का समय रखा है। अब पता नहीं, या तो आपकी ऐसी नाराजगी प्रकट हो गई....(व्यवधान) आप बैठिये तो सही।

श्री परसादी लाल मीणा : आप जगह तो बता दो। विधायकों से कहां मिलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : घर मिलेंगे और कहां मिलेंगे ? टाइम बताया ना।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : निश्चित रूप से बोर्ड लगा हुआ है मेरे घर के आगे। उन्होंने कहा पत्र का जवाब नहीं देता। माननीय विधायक जो भरतपुर से आते हैं, उनकी तो मैंने शिकायत सुनी कि कि पत्र का जवाब नहीं देता, यहां दो सौ माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई भी बता दें कि चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखा हो और उसका जवाब मैंने नहीं दिया हो। यह बात सच है कि आज वह केस लाये हैं। अब उन्होंने कहा कि आपने अखबार नहीं पढ़ा होगा, या वही पढ़ा होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं जिस केस को आपने दिया है अविलम्ब वहां जांच कमेटी बैठा कर

(10.50 रात्रि)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

आगामी तीन महीने में निर्णय लेकर बता देगा। ऐसा काम नहीं करूंगा यहां। जिस बात की चर्चा हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार को दूर करने की की है, एक केस लाये हैं आप और एक जोधपुर से आने वाली माननीय सदस्या, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें किसी भी प्रकार का संकोच किसी भी दृष्टि से करने का कोई विचार न कभी था और न कभी है। कभी मुझ से मिलना नहीं हुआ हो इसलिए यह कह करके यह पत्र पढ़ा होगा अखबार में और 170, उसके हैं। आप मुझे देंगे तो मैं निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा उसकी।

श्री अध्यक्ष : आपने अपना टाइम तय कर रखा है, लोगों का अपना टाइम होता है। आप उस समय मिलेंगे और वह अपने टाइम पर जायेंगे, तो कहां मिलेंगे।

श्री रामकिशन : मैं तो टेलीफोन की बात कर रहा था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपकी तो दया पर रहता हूं, साहब, हुकुम पर ही आप कहेंगे तो घर आ जाऊंगा। चाय पिला देना।

श्री अध्यक्ष : वैसे सामान्य आदमी टेलीफोन पर हमेशा बाथरूम में रहते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं तो बाथरूम में रहता हूं ऐसा कोई बोलता नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनके घर एक बार चले गये तो फिर दुबारा कभी टेलीफोन भी नहीं करोगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी ही बात नहीं है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, हालत यह थी कि 18-8 वर्ष से डी. पी सी. नहीं हुई और केवल डी. पी. सी. ही नहीं हुई, हाईकोर्ट के ऐसे क्रास जजमेंट हैं कि पिछले दो साल से लगातार प्रयत्नशील थे। एक डाइरेक्टर को तो मैंने एक बार उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक्सटेंशन के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय को तीन महीने के लिए इसलिए निवेदन किया और मुझे कहते हुए हर्ष है कि वह डी. पी. सी. हो गई और न केवल डी. पी. सी. हुई, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि डिप्टी सी. एम. एच. ओ. थे, वे एडिशनल डाइरेक्टर बन गये। डिप्टी सी. एम. एच. ओ. से जब प्रमोशन होता है तो सी. एम. एच. ओ. दूसरा होता है, डिप्टी डाइरेक्टर तीसरा होता है, जोइंट डाइरेक्टर चौथा होता है, एडिशनल डाइरेक्टर पांचवां होता है। पांच केटेगरीज। क्या अत्याचार किया जाता रहा होगा ? हमारी तो धारणा है कि यदि कर्मचारी बंधुओं से ठीक रूप से काम लेना है, चिकित्सा विभाग और पी. डब्ल्यू. डी. विभाग में तीन बातों को इम्पोर्टेन्स दी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति अविलम्ब, जिसका प्रमोशन ड्यू हो उसको उसी दिन मिलना चाहिए, कई बार एडोकिज्म में पहली तारीख को तनख्वाह नहीं मिलती। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को चेतावनी देता हूं मैं तो कहता हूं एक तारीख को हमको तनख्वाह नहीं मिले तो पत्नी घर में घुसने नहीं दे, किसी को तनख्वाह नहीं मिले, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है और चौथा, व्यक्ति जिस दिन रिटायर हो, उसके सारे बेनेफिट्स उसको उसी दिन मिलने चाहिये। अगर कर्मचारी बंधु सहयोग करके काम करने के लिए साथ नहीं आयेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

मैं आपके माध्यम से इसीलिए कहना चाहता हूं कि सारी व्यवस्था में पत्र के द्वारा समस्या को हल करने के लिए एक प्रयत्न चालू हुआ है। एक दिन में 100-125 पत्र तो मेरे पास आते हैं। कोशिश की जाती है कि उन पत्रों के आधार पर ठीक रूप से निर्णय होकर सब प्रकार का प्रयत्न हो और आज आपके माध्यम से इस योजना को मैंने सदन के सामने इसलिए रखा है, ग्रामीण चिकित्सा सुविधा की चिन्ता करके, जिसको हम इम्पोर्टेन्स देना चाहते हैं, उसको पूरा करने की दृष्टि से ऐसा विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण चिकित्सा की वरीयता देखते हुए इन सब कार्यक्रमों की योजना की है, उसमें त्रिसूत्रीय योजना बनाने का राज्य सरकार ने, विभाग ने तय किया है। ऐसी एक राज्य व्यापी प्रशिक्षण व्यवस्था हो, जन-जन को इस बात के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया जाय कि उनका आचार-व्यवहार ऐसा हो जिससे वे रोगों से बच सकें और अपने आपको स्वस्थ रख सकें। प्रिवेन्शन की दृष्टि से कुछ प्रयत्न किये हैं, जिसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। स्थानीय पर्यावरण के साथ-साथ तादाद पर रखते हुए बदलती हुई ऋतुओं में, खान-पान एवं रहन सहन में किस प्रकार का आचरण करना है और किन-किन परहेज को रखना है, इसका निरन्तर प्रशि-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

क्षण दिया जा सके ताकि लोग स्वस्थ रहें और रोग से ग्रस्त न हों। दूसरा सूत्र रखा है, लोगों में रोगों के प्रतिरोधात्मक क्षमता का निर्माण किया जाय और तीसरा है, जो लोग रोगी हो गये हैं या समय-समय पर रोग ग्रस्त होते हैं, उन्हें समुचित चिकित्सा सुविधा दी जाय।

श्री अध्यक्ष : सूत्रों से तो वे पहले ही परेशान हैं। आपने फिर तीन सूत्र बना दिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : एक सूत्र और है कि समय पर सोचा जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप जल्दी समाप्त कर रहे हैं। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी समाप्त कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उन्हें एक-एक आदमी का जबाब देना है, जल्दी किस बात की है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वे तो पूछ लेंगे, किसी का जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को सप्लीमेंट करने के लिए, ग्रामीण चिकित्सा सुविधा को सप्लीमेंट करने के लिए, जिन रोगों की चिकित्सा गांव में नहीं हो पाती, लोग चलकर शहरों में आते हैं, इस कारण से इस दृष्टि से जिला स्तर पर और विशिष्ट स्तर पर प्रत्येक जिले में जिला चिकित्सालय का निर्माण किया जाय, इसकी योजना बनी हुई है। तीन नये जिले बने हैं, बाकी जगह जिला चिकित्सालय है। यह विचार है कि इन तीन जिलों में जिला चिकित्सालय का निर्माण अविलम्ब कर दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ रोग जैसे हृदय रोग, मूत्र रोग, रति रोग और दुर्घटना, ये चार ऐसे इश्यु हैं कि जिन पर जयपुर आना सबके लिए सम्भव नहीं है। राज्य सरकार ने इसकी भी योजना बनाई है कि जिला चिकित्सालयों में इन चारों प्रकार की स्पेशिलिटीज के लिए विशेष प्रयत्न करके और साथ-साथ इन्टेन्सिव केयर यूनिट, हमको जिस समय भरतपुर के माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे थे....

श्री अध्यक्ष : आपका सारा ध्यान भरतपुर पर ही क्यों है? बोले तो और भी लोग हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : क्या आपने उन्माद रोग नहीं लिया इसमें ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आखिर जवाब तो ऐसा, उन्होंने जिस कठोरता से, मुझे तो नहीं है, कठोरता, ये तो आखिर उनकी बातों का असर है क्योंकि मेरे वे गार्जियन हैं....

श्री अध्यक्ष : बाकी जो बोले, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उनकी भी चर्चा करता जाऊंगा, नाम लेता जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : उनका बहुत बार लेंगे और उनका एक-एक बार ही लेंगे तो यह तो बहुत गड़बड़ हो जायेगी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वे उन्माद रोग से ग्रसित नहीं हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर सवाई मानसिंह अस्पताल की चर्चा भी बहुत की गई है। आपके माध्यम से मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि केटेलेट की व्यवस्था हो गई है, इन्स्टालेशन हो गया है, सोर्स आना बाकी है, उस नाते से प्रयत्न है....

श्री अध्यक्ष : चालू नहीं हुआ अभी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Within two months, it will be done. इसी प्रकार कोबाल्ट थैरेपी की भी यहां चर्चा की थी। लाडपुरा से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे कि वह डिब्बों में पड़ा है, वह भी इंस्टॉल हो गया। इसलिए कहना चाहता हूं कि जिन चीजों को बाहर से मंगाया जायेगा, उसके लिए प्रयत्न तो उस नाते से करना होगा। अखबार के आधार पर किसी की भी थोड़ी-सी चर्चा इस नाते से करने की बात होगी तो बड़ी मुश्किल आ जायेगी हमारा जो प्रयत्न है कि गारंटी पीरियड जो 6 महीने हैं, उसके पहले उस उपकरण को लग जाना चाहिये ताकि गारंटी पीरियड ओवर होकर बहुत गड़बड़ी न हो पाए।

श्री अध्यक्ष : आप ये बता दीजिये कि सेवा मन्दिर कब तक बन जायेंगे ? राजस्थान के सारे अस्पताल, सेवा मन्दिर कब तक बन जायेंगे ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसीलिए मैंने निवेदन किया, इसमें सरकार के साथ-साथ जन-प्रतिनिधियों और जनता के पूरे सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहां चर्चा की जा रही है डाक्टरों को फीस देने की, मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं आई....

श्री रामकिशन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री न तो उनको बजट देते हैं और वे चाहते हैं कि मंत्री एक तरह से पापुलर नहीं हो और उनको फेल करने की कोशिश करते रहते हैं मुख्य मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : आपके कभी पासे ठीक पड़ेंगे, यह जरूरी नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एस. एम. एस. अस्पताल में सड़क दुर्घटनाओं और बर्न्स के मामले निरन्तर बढ़ रहे हैं। इसके लिए जो भी व्यवस्था है, वह समुचित नहीं है और राज्य सरकार इस नाते से विचार कर रही है, स्थान भी देखा है हमने कि ट्रोमा और बर्नस के उस परिसर में दो भवन बनें। मैं आपके माध्यम से दानदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं, इस नाते से कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है। दानदाता आगे आ भी रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इस फाइनेंशियल ईयर में....

श्री अध्यक्ष : वह तो उजला जी ने आफर किया है आपको।....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इन दोनों की योजना है। उसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं जो हो गई, उस बारे में भी यहां सवाल खड़ा किया है। राजमार्ग संख्या–8 पर मोबाइल पेट्रोलिंग

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

की व्यवस्था के साथ-साथ दो क्रेनें खरीद ली गई हैं और दो एम्बुलेंस वाहन की व्यवस्था भी की जा रही है। वाहन तो आ गए, उनको अपटूडेट किया जा रहा है। एक को बहरोड़ रखने का और दूसरे को दूदू रखने का विचार है ताकि उसके नाते से विचार करके यहां जो सब प्रकार की बातें हों, उसके लिए सहयोग-सहायता की जा सके....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय, इसका पूल बना लें एम्बूलेंस का तो सारे अस्पतालों को फायदा हो जायेगा वरना कुछ अस्पतालों में तो है, बाकी में नहीं है। आप इनका पूल बना लीजिये।....(व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह अजमेर से अहमदाबाद का कैसा रास्ता है ? नेशनल हाइवे अजमेर से अहमदाबाद तक भी है या केवल दिल्ली तक की बात ही सोची जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : अब एकदम से कैसे हो जायेगा, अभी तो शुरूआत है। शुरूआत अच्छी हो रही है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : एक एम्बुलेंस वहां लगा दी जाय, एक क्रेन वहां लगाई जाय, एक अजमेर से अहमदाबाद तक लगाई जाय....

श्री अध्यक्ष : दो लगेंगी वहां तो। उसके बाद आएगी। अभी कैसे आएगी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अभी वहां भी आ जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एम्बुलेंस लम्बे चौड़े आदमियों के लिए होती है। कई तो कार में ही आ जायेंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं तो एक्सीडेंट वालों के लिए कह रहा हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आज इस बहस के माध्यम से मैं राजस्थान के समस्त डाक्टर भाइयों को निवेदन करना चाहता हूं कि उनका कार्य सेवा कार्य है। संवेदनशील हुए बिना काम नहीं चलेगा। संवेदनशील तो बनना होगा। कोशिश जरूर करनी होगी इस प्रकार के भौतिकवादी समय में किन्तु मुझे विश्वास है कि धीरे-धीरे इस प्रकार का वातावरण बनने लगा है। अभी बनना बहुत बाकी है। इसके लिए निरन्तर प्रयास करने होंगे। इन्होंने इस प्रकार सुधार नहीं किया तो राज्य सरकार कभी भी उनके विरुद्ध कार्यवाही करने से डरेगी नहीं, यह बात मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

(11.00 रात्रि)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सस्ती चिकित्सा की बात थी, पिछले बार के बजट में मैंने चर्चा की थी इन्डोर पेशेन्ट्स की। जिला चिकित्सालयों तक, किसको हम पी. एच. सी. तक ले जाना चाहते हैं। 70 वर्ष का बूढ़ा, विधवा बहन, इस कैटेगरी के लिए एक प्रयास चालू हुआ है। किन्तु मैं जानता हूं कि बजट उतना नहीं है कि इसको पूरा कर सकें। इस बजट को तो दानदाताओं को सप्लीमेंट करना होगा। जयपुर में कोशिश हुई है, 2 मेडिसन बैंक

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बन गए। एक लायंस क्लब आ गया, एक अग्रवाल संघ आ गया। उदयपुर में भी एक मेडिसन बैंक बन गया। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं हमारे पास उतना बजट नहीं है किन्तु क्या यह आवश्यकता नहीं समझते कि 70 साल का बूढ़ा जो उपेक्षित है, जो विधवा बहन है, बिलो पावर्टी लाइन का व्यक्ति है उसको इनडोर चिकित्सा मुफ्त मिलनी चाहिए? अगर मिलनी चाहिए तो क्या यह अकेले सरकार का ही काम है? यह सरकार का ही काम नहीं है। यह भारत है और यहां चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में सेवाभावी लोग आते हैं। मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि मैं बम्बई, कलकत्ता, बंगलोर गया हूं, मुझे ऐसे लोग मिले। इतना ही नहीं, अभी कॉल आया है अमेरिका से नॉन रेजिडेंट डाक्टर्स का, उन्होंने लिखा है कि हम आपका टिकट बना रहे हैं, अगस्त में आइये आप, यहां पर हमारे डाक्टरों से बात करिए, हम वहां पर चिकित्सालय भी खोलेंगे, और प्रकार के चाहेंगे, अस्पताल खोलने के लिए धन भी देंगे। यह भाव जगाने की आवश्यकता है। केवल मात्र राजस्थान के प्रवासी भागी नहीं हैं, आज इसमें सब प्रकार का सहयोग और भी लोगों का मिल रहा है।

मैं आपके माध्यम से एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं ऐसी जो बातें जैसे रूई है, पट्टी है ये अगर कभी खरीदी जाती हैं तो मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था हो नहीं सकती। मैंने कल आदेश दिए और मैं इसमें आपका भी सहयोग चाहूंगा, कोई ऐसी घटना आए कि इस प्रकार की छोटी चीजों को खरीदने की बात की जाती है, आप उसकी शिकायत करें। हमने कड़े आदेश दिए हैं कि ऐसी बातें, यहां यह चर्चा हुई थी कि ऐसी दवाएं भी हो सकती हैं, उन्होंने तो 192 दवाओं की चर्चा की थी उतनी दवाएं तो संभव नहीं हैं किन्तु मैंने विभाग से कहा है कि ऐसी दवाओं की सूची बनाइये जो सस्ती हों किन्तु आम बीमारियों के लिए आवश्यक हों ताकि उन दवाओं को छोटी पी. एच. सी. तक निश्चित रूप से भेजा जा सके। यह तो व्यवस्था हो गई है कि सब पी. एच. सी. के बाहर वहां कौन-कौनसी दवाएं उपलब्ध हैं इसकी सूची लग जाय। इसकी व्यवस्था हो गई है, शिकायत पेटियां भी लग गई हैं, सी. एम. एच. ओ. अधिकृत भी किया गया है कि जब वे जायें, वे शिकायत पेटी को खोलें और खोलकर उसमें जिस प्रकार की शिकायतें हैं, उन शिकायतों का निराकरण केवल वहां करें बल्कि उसकी एक रिपोर्ट डाइरेक्टर-मेडिकल एण्ड हैल्थ को भी निश्चित रूप से उपलब्ध करायें। इसीलिए यह जो चिकित्सा सस्ती असंभव है, आज जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, नए-नए फार्मूले आ रहे हैं, अलग-अलग प्रकार के पैटर्न के आ रहे हैं, उन्हीं गुणों के आ रहे हैं किन्तु महंगे आ रहे हैं। मैं इस बात से मना नहीं करता कि कई डाक्टर बंधु ऐसे हैं जो कि इस प्रकार की दवाएं कमीशन के लिए लिखते हैं। जिस-जिस की जानकारी हमको मिलती है, हम जानते हैं कि डाक्टर की सबसे बड़ी नस ट्रांसफर में रहती है किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि कई बार यह बात करने के पश्चात् भी, मैं कम से कम सदन के माननीय

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके बारे में कह दिया जाय कि यह तबादला इसलिए हुआ है, कोई जांच करके उस पर तो एक्शन नहीं किया जा सकता, कम से कम जो उनके तबादलों को वापस करने की बात है....

श्री अध्यक्ष : ये सारी बातें इतने विस्तार से बताओगे तो ये एक-एक बात के लिए प्रोब्लम खड़ी कर देंगे। एक-एक गांव की रिपोर्ट आना शुरू हो जायेगी और फिर आप उसी में उलझ जाओगे। इसलिए जितना है वह कर दीजिए, लोगों को दिखाई देगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उपकरणों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। यह बात सही है कि कई वर्षों से एक्सरे मशीन कई जगह खराब पड़ी हैं। एक लम्बी प्रक्रिया है उनको कंडेम करने की और इतना फाइनेंस भी नहीं कि सको एक साथ रिप्लेस कर दिया जाय। किन्तु इस वर्ष में काफी रिप्लेस की गई है, काफी एक्सरे मशीन दी गई हैं और यह राज्य सरकार की योजना है कि एक्सरे मशीन और एम्बुलेंस ये प्रत्येक सी. एच. सी. में हो। आज नहीं, इसमें तीन वर्ष लगेंगे, जो स्थिति है वह आपके सामने है। 12 या 16 एम्बुलेंस आ गई। मैं आज आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां ड्राईवर नहीं पहुंचे, उसके लिए आदेश दिए कि ड्राईवर की अविलम्ब व्यवस्था करो। यह व्यवस्था ठीक नहीं कि किसी फोर्थ क्लास सर्वेन्ट से उसको चलवाते रहो ताकि गाड़ी खराब हो जाय। जहां एम्बुलेंस दी जायेगी वहां पर ड्राईवर की व्यवस्था भी की जायेगी। जहां-जहां एक्सरे मशीन होगी वहां यह बात सच है, ट्रेण्ड लोग उपलब्ध नहीं हैं किन्तु ट्रेण्ड लोग होने के साथ-साथ ही वहां टेक्नीशियन की उपलब्धि भी निश्चित रूप से करा दी जायेगी।

हमारे जैसलमेर से आने वाले माननीय विधायक ने जनरेटर की चर्चा की है। मैंने उसकी जानकारी की है, 2 बार हम टेण्डर कर चुके हैं लेकिन इसके बाद फूड प्रोग्राम वालों ने उसमें किसी बात की बाधा डाली, इस कारण से वे खरीद नहीं सके। तो अब वे पैसा देने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगामी 3 महीने में जैसलमेर की विषम परिस्थिति को देखते हुए हम अपने पास से जनरेटर उपलब्ध कराकर उनको दे देंगे। (व्यवधान) अगर वे दे रही हैं और जैसा उन्होंने कहा कि एक करोड़ रुपया जैसलमेर के लिए और, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, 15 लाख रुपया पोकरन के लिए, तो उनका भी आगामी 6 माह में उपयोग कर लेंगे और तीन महीने में दोनों को वहां चला देंगे क्योंकि जैसलमेर की विशेष परिस्थिति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सफाई व्यवस्था के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है। मेरी भी उनके साथ सहमति है। अगर अस्पताल साफ नहीं हुए, पी. एच. सी., सी. एस. सी. साफ नहीं हुई तो वहां का वातावरण ही सब प्रकार की परेशानियों को पैदा कर देगा। एक झंझट तो फर्स्ट से सिक्स्थ

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कैटेगरी तक पोस्टिंग का नहीं था किन्तु एक बार जब यह भी ट्राई किया तो देखा कि उस प्रकार के लोग लगाने के पश्चात्, जैसी आशंका माननीय सदस्यों ने प्रकट की है, लोग परमानेंट होने के बाद काम नहीं करते हैं। जोधपुर में हमने कांट्रेक्ट व्यवस्था की और वह सफल हो गई। बड़े-बड़े स्थानों पर कांट्रेक्ट व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया चालू है, फाइनल आर्डर हो रहे हैं। छोटे स्थानों पर तो हमको दिखता है कि कोई कांट्रेक्ट लेने को तैयार नहीं रहता। बड़ी समस्या आ रही है। हमने वहां टेन्डर्स फ्लोट किए लेकिन कोई आया नहीं। तो जहां इस प्रकार की स्थिति बनी है, हम जिला अस्पतालों तक इस कांट्रेक्टर-शिप को ट्राई करेंगे किन्तु उसके नीचे हम यहां से फोर्थ क्लास सर्वेन्ट या स्वीपर्स का पोस्टिंग करके सफाई की व्यवस्था को ठीक प्रकार से कराने की व्यवस्था करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 1000 व्यक्तियों पर औसतन एक चिकित्सक होना चाहिए। अभी 1600 से 1800 व्यक्तियों के बीच में हैं। एक कारण यह भी था कि कोटा मेडिकल कालेज की स्थापना हुई। 50 लड़के आज विभिन्न महाविद्यालयों में भर्ती हो गए, जमीन भी कोटा यू आई. टी ने दे दी है, भवन का काम शुरू हो जायेगा....

श्री अध्यक्ष : सीकर का भी तो हो गया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां। और इस बार सामली की भी बात आई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सामली का एक विशेष फीचर है। यह बात सच है कि वे फीस ज्यादा लेंगे किन्तु किसी प्रकार का डोनेशन वे नहीं लेंगे। मोडेलेटीज हम तय करेंगे। ऐसी किसी भी मेडिकल कालेज को राज्य सरकार राजस्थान की धरती पर प्रोत्साहन नहीं देगी जो डोनेशन लेने के लिये आयेंगे हमारे पास सुमेरपुर का भी प्रस्ताव आना शुरू हो गया है। सुमेरपुर भी एक बहुत बड़ा अस्पताल है। अभी बम्बई में कुछ लोग मुझे मिले थे, तब चर्चा कर रहे थे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस बात की चर्चा करूंगा किन्तु एक बार सामली की भी इस विधान सभा सत्र के बाद मोडेलीटीज तय हो जाय, उनको भी बांध दिया जाय कि प्रवेश का तरीका क्या होगा ? जो मैरिट लिस्ट है हमारे यहां, उसमें से कितना पर्सेन्टेज होंगी और कितने पर्सेन्ट वे अपने आधार पर कर पायेंगे, ये सारी मोडिलिटिज तय करने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे दिया है। इस विधान सभा के सत्र के तुरन्त पश्चात उस बात की दृष्टि से भी करने का विचार है।

श्री अध्यक्ष : वे उतावले हो रहे हैं कि जल्दी करो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय कार्यक्रमों के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। वर्तमान सरकार ने अंधता निवारण को बहुत इम्पोर्टेन्स इस बार दी है। पिछले

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

वर्ष 500 शिविर लगाने का तय किया था। एक पंचायत समिति में एक शिविर लगे, यह तय हुआ था। इस बार हमने यह निश्चय किया है कि 600 स्थानों पर शिविर लगे और प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम दो शिविर हों। और ऐसी कोशिश की जायेगी कि प्रत्येक जिले में एक-एक पंचायत समिति केटेरेक्ट फ्री हो जाय, यह हमारा प्रयास रहेगा। इस नाते से पूरी योजना बन चुकी है और हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इस काम को ले आयें। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण आंदोलन की दृष्टि से हमारे यहां के टारगेट 105 और 125 पर्सेन्ट रहे हैं। इम्यूनाइजेशन की दृष्टि से इस बार काफी अच्छे रिजल्ट आये हैं और यह शंका प्रकट हो गई थी कि बच्चों की मृत्यु दर में कमी हो रही है और बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। तो पीछे से एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि ऐसा करोगे तो क्या हालत होगी। किन्तु मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां परिवार कल्याण करना होगा, कम बच्चे पैदा करने के लिए करना होगा। एक चर्चा आई थी यहां डि-इन्सेन्टिव की। दो जगह चर्चा की गई कानून बनाने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा मंत्रियों की बैठक में हम भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार के दो मंत्री थे, एक उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और एक राजस्थान का ललित चतुर्वेदी, जिन्होंने डि-इन्सेन्टिव की चर्चा वहां की और हमने कहा कि केन्द्र कानून बनाये। वह सोच भी रहे हैं इस नाते से क्योंकि यह कई दिशाएं देंगी और जैसी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अभी पीसांगन की सभा में घोषणा की है, अगर केन्द्र सरकार इसमें हिचकिचायेगी, पीछे रहेगी तो राज्य सरकार निश्चित रूप से इस नाते से आगे बढ़ने की दृष्टि से कभी पीछे नहीं रहेगी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : चुनाव पर पाबंदी लगा रहे हो कि दो बच्चों से ज्यादा वाला चुनाव नहीं लड़ेगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चुनाव लड़िये लेकिन नसबन्दी करा कर लड़िये।

डा. चन्द्रभान : यह नौकरी पर भी पाबंदी लगा दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 जनवरी, 1991 से से एक अभिनव योजना सुरक्षित बाल्य जीवन एवं सुरक्षित मातृत्व फर्स्ट इन दी हिस्ट्री आफ इण्डिया राजस्थान में शुरू हुई है और हमारी इस नाते से पूरी कोशिश है कि सुरक्षित बाल्य जीवन और सुरक्षित मातृत्व के जो टारगेट्स हमने लिये हैं उसको हम आगे बढ़ाते चले जायें। अध्यक्ष महोदय, डेन्टल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज आज एस. एम. एस. अस्पताल में चल रहे हैं, कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। पिछले दिनों कुछ आंदोलन इस दृष्टि से हुए थे। राज्य सरकार के एक योजना विचाराधीन है कि डेन्टल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज, इन दोनों को इस परिसर से हटा कर और कहीं ले जाकर अलग से कॉलेज की स्थापना की जाय।

श्री कालीचरण सराफ : जयपुर में रखना श्रीमन्, बाहर न ले जाना ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, जयपुर में । माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा हुई थी स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग की । मैंने जैसे प्रारम्भ में कहा....

श्रीमती उजला अरोड़ा : कर भी रहे हैं और भी करा देंगे ।

श्री अध्यक्ष : हाथ जोड़ रहे हैं वो । अब सवा ग्यारह बज गये हैं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अभी तो बीस मेम्बर्स का जवाब बाकी है ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, मेम्बर्स का जवाब रहने दीजिए, वह पूछ लेंगे । किसी को पूछना होगा तो पूछ लेंगे ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अच्छा । माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री भैरोंसिह शेखावत : जवाब तो पूरा ही देंगे ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मसूदा से आने वाले विधायक ने, मण्डावा से आने वाले विधायक ने फीस तय नहीं की है, इसका जिक्र किया है । फीस तो निश्चित है, हो सकता है कि पब्लिसिटी न हो किन्तु इसकी पब्लिसिटी भी पूरी करायेंगे । हम इस वास्ते आदेश प्रसारित करके डॉक्टर को इस बात के लिए बाध्य करेंगे कि वह अपनी फीस लेने की जो प्लेट है, उसको भी लगातार लगाये ।

श्री इन्द्रसिंह पूनियां : यह आदेश तो आलरेडी है श्रीमन् । लेकिन इसकी पालना नहीं हो रही है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसका कड़ाई से पालन करा कर, आखिर मुश्किल यह होती है कि कोई बताता नहीं, कोई कहता नहीं, कोई शिकायत करता नहीं, मन की भावना बनती नहीं....

श्री अध्यक्ष : यही मुसीबत इन एम. एल. एज. की हो रही है, आपकी बातें सुन कर तो खुश हो रहे हैं और जब ध्यान कांस्टीट्वेन्सी में जाता है तो निराश हो जाते हैं । (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : झुन्झुनूं से आने वाले माननीय विधायक ने, भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक ने, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने, फागी से आने वाले माननीय विधायक ने, अलवर से आने वाले माननीय विधायक ने प्राइवेट प्रेक्टिस की चर्चा की हैं । सिद्धांततः मैं भी इस बात का पक्षपाती हूं कि प्राइवेट प्रेक्टिस बंद होनी चाहिए । किन्तु एक बार इसका नतीजा हम देख चुके है । प्राइवेट प्रेक्टिस बंद कर दी, अधकचरी चलाई, फिर चालू कर दी । यह तो पब्लिक डिबेट का विषय बनना चाहिए, कांशसनैस आनी चाहिए जनता में और मैं तो चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जिस बात को प्रकट किया है, हम विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां करेंगे, डाक्टर बन्धुओं को भी बुलवायेंगे और इस प्रकार के तज्ञ-विज्ञ लोगों को भी बुलावायेंगे और अगर पब्लिक के डिस्कशन का इश्यू होकर इस पर एक

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मत होती है तो राज्य सरकार निश्चित रूप से प्राइवेट प्रेक्टिस बंद करने का विचार करेगी । उसके बिना करने के तो परिणाम हम भुगत चुके हैं, वह तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से आने वाले माननीय विधायक की बात का तो स्पष्टीकरण करदें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय, अपने स्थान से बोलिए आकर, वहां से बोल रहे हैं ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ग्यारह बजे बाद कहीं से भी बोल सकते हैं, कोई कानून नहीं है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : थोड़ा, पांच-दस मिनट का और है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा की गई अस्पताल परिसर में सुअर घुस जाते हैं, कुत्ते घुस जाते हैं । बात सच है । अगर चारदीवारी नहीं होगी तो क्या होगा । भरतपुर में नया अस्पताल बनाया है । माननीय मुख्य मंत्री महोदय गये थे, मैं भी गया था । मांग की गई पन्द्रह लाख रुपये देने की, हमने छब्बीस लाख रुपये की घोषणा की, दे दिये । फिर भी चारदीवारी नहीं बनी । मैं तो आप से निवेदन करना चाहता हूं थोड़ी और भावना जागृत करें जनता की....

श्री रामकिशन : दो करोड़ रुपया दिया है । इतना राजस्थान में कहीं नहीं दिया है जितना वहां दिया है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : दिया है बिल्कुल । किन्तु पूरा देने वाले थे ।

श्री हेतराम बेनीवाल : गंगानगर में पूरा दिया है, सारा ही दिया है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : और मैं कहना चाहता हूं, अगर आप नहीं बना पायेंगे तो इस बार निश्चित रूप से वहां की दीवार हम बनवायेंगे । आप नहीं बनवायेंगे तो हम दीवार बनवायेंगे । पहले तो आप से निवेदन है कि आप कृपया इसको बनाने की व्यवस्था करें । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 1991–92 में चिकित्सा संस्थानों के भवनों के निर्माण के लिए नेवर इन दी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, 22 करोड़ रुपये की लागत के 453 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे । इनमें से केवल 6 निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके क्योंकि जमीन उपलब्ध नहीं हुई । 447 निर्माण कार्यों में 200 कार्य पूर्ण हो गये हैं, 85 काम विभाग को सम्भला दिये हैं । इतना सारा धन राज्य सरकार खर्च कर रही है । इस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज गांव के सारे भाई, सारे बन्धु, सारे लोग अपने-अपने अस्पताल बनाते हैं तो क्या शहर के लोग नहीं बना सकते ? कस्बे के लोग नहीं बना सकते ? भवन निर्माण समिति की स्थापना करनी चाहिए और ऐसा एक सुझाव आया था यहां से, मैं कहना चाहता हू, राजस्थान में इन सारे चिकित्सालयों की देख-रेख करने के लिए चिकित्सालय सहयोग समितियों का निर्माण मेडिकल कालेज से लेकर डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल तक छह महीने में कर दिया जायेगा । जन प्रतिनिधि होंगे, लोग सेवा करने वाले होंगे जो उनको देखेंगे और राज्य सरकार को भी राय देते चले जायेंगे । यहां चिन्ता प्रकट की गई है परिवार कल्याण के कार्यक्रम की । मैंने जैसा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कहा है, उस बारे में बहुत चर्चा की, आपने बड़ी कृपा करके कार्यक्रम रखा, वहां हो गई है, एक यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था उस पर यहां हो गई। सरकार इस बारे में बिल्कुल जागृत है और इन्सेन्टिव के के साथ डि-इन्सेन्टिव भी निश्चित....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सारी रात सो जाओ, अपने आप परिवार कल्याण हो जायेगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अब तो श्रीमन्, जो घोषणा करनी है वह कर दो। और क्या बच गया ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हो गई घोषणाएं यह सब। और क्या करनी हैं घोषणाएं ? चलो हो गया श्रीमन्, बस बहुत है।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जयपुर का जो एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज है उसको पी. जी. आई. कब तक बनायेंगे....

एक माननीय सदस्य : आयुर्वेद के बारे में....

श्री अध्यक्ष : क्या बोलेंगे ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : दो मिनट, पांच मिनट तो करवाओ इसको।

श्री बुलाकीदास कल्ला : लेक्चरर्स, रीडर्स, प्रोफेसर्स की ग्रेड्स के सम्बन्ध में बातें उठी हैं उसके बारे में आप कब तक निर्णय लेंगे ? आपकी जो हॉस्पीटल कमेटियां डिफन्क्ट पड़ी हुई हैं, उनको आप कब तक शुरू करेंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : छह महिने कर दिया ना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल बनाने का राज्य सरकार का क्या इरादा है ? अभी तक कई जिले ऐसे हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल नहीं बने हैं। उनके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, कोबाल्ट थेरेपी की जितनी भी मशीनें हैं बीकानेर, जोधपुर, जयपुर पिछले कई महीनों से बेकार पड़ी हैं, वह कब तक शुरू होंगी ? यहां राजस्थान में हरियाणा और बाहर से भी लोग आते हैं, राजस्थान के लोग आज इधर-उधर घूम रहे हैं, कोबाल्ट थेरेपी की मशीनें प्रायः प्रायः सब जगह खराब पड़ी है, सिटी-स्केन की मशीन खराब पड़ी है, ग्लूकोज संयंत्र सारी जगह खराब पड़े हैं, इनको आप कब तक शुरू करेंगे ?

श्री इन्द्रसिंह पूनियां : अध्यक्ष महोदय, लाखों रुपये की दवाइयां एक्सपायर डेट की हो गई तो क्या माननीय मंत्रीजी क्या उन पर रेस्पेन्सिबिलिटी इम्पोज कर रहे हैं कि क्यों यह लाखों रुपये की दवाईयां एक्सपायर होती हैं ? इससे विभाग का बड़ा नुकसान हो रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपने जो सूचना....

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष जी....

श्री कालीचरण सराफ : मंत्रीजी, जयपुर के डिस्ट्रिक्ट हास्पीटल के बारे में ..

श्री अध्यक्ष : कालीचरण जी, आप क्या कर रहे हैं ? आपस में बात कर रहे हैं क्या । आप बैठिये, एक-एक बोल रहे हैं ।

डा. चन्द्रभान : माननीय मंत्रीजी, मैंने चर्चा में हिस्सा लिया था तब भी आपसे निवेदन किया था, आपने वह जवाब दिया नहीं । आप मुख्य रूप से डेपुटेशन की प्रणाली के कट्टर विरोधी हैं और मैंने आपसे कहा था कि जो मेडिकल कॉलेजेज में लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर रैंक के आदमी हैं, उनको आप यहां जयपुर के प्राइवेट क्लिनिक, नर्सिंग होम में डेपुटेशन पर भेज देते हैं, किसी की बीबी ने प्राइवेट क्लिनिक खोल लिया, उसका पति यहां पर लेक्चरर है, रीडर है, उसको आप भेज देते हैं । वह वहां प्राइवेट अस्पताल में, क्लिनिक में काम करता है दो साल, तीन साल और उसकी यहां एज ए टीचर सीनियरटी काउन्ट होती है । इससे पूरे मेडिकल कॉलेजेज में शिक्षण-प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रभावित होता है । और नितिगत भी यह बहुत गलत बात है । तो क्या आप इसको समाप्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप पूछ लीजिए ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाह रहा था कि मैंने जो पुराने हकीम और इन्सानी जिन्दगी....

श्री अध्यक्ष : आप ज्यादा सवाल पूछेंगे तो एक घन्टा और लगेगा ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने आपसे निवेदन किया था मैं उस संबंध में केवल इतना चाहता हूं कि जब तक उसके औचित्य पर, मेरिट्स और डीमेरिट्स पर चर्चा नहीं हो जाये आप उसको डिस्ट्रिब्यूट नहीं करवायेंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि जयपुर के अस्पतालों की व्यवस्था के सुधार के लिए मैंने कुछ सुझाव दिये उनमें आप कुछ विकास करेंगे, विस्तार करेंगे या नहीं यह बता दें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला अस्पताल की यहां चर्चा की गयी है । आपके पहले ही मैंने घोषणा कर दी थी किन्तु कोई व्यक्ति कोर्ट में चले गये और कोर्ट का स्टे लगा हुआ है । राजस्थान के पांचों जहां महाविद्यालय हैं, वहां उसने सबकी राह रोकी हुई है । राज्य सरकार यह कोशिश कर रही है कि उस स्टे को अविलम्ब वेकेट करा कर उसकी व्यवस्था की जाये ।

जहां तक पी. जी. आई. का सवाल है, पता नहीं पी. जी. आई. इज ए रेफरल हास्पीटल आनली, आज एस. एम. एस. कई योजनायें हो सकती हैं But it is a prestigious institution. न केवल प्रदेश के बाहर के बल्कि देश के बाहर के भी कई लोग आते हैं और इतना अधिक रश है उसको रेफरल हास्पीटल तब बनायेंगे पी. जी. आई. के लिए जबकि इन्फ्रास्ट्रक्चर आस पास खड़ा हो जायेगा । जिला चिकित्सालय हो जाये और कोई दो, तीन, चार अस्पताल बन जायें और जहाँ लोग

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

रेफर होकर वहां आयें। आज तो केवल उसको रेफरल बना देना राजस्थान की जनता के साथ बड़ा भारी अत्याचार हो जायेगा। इसलिए पी. जी. आई. की दृष्टि से बहुत बड़ी बाधायें हैं। मन की इच्छा है किन्तु इन बाधाओं को दूर किये बिना काम निश्चित रूप से नहीं चल सकता।

नागौर के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि जो सूचना हमें उपलब्ध है और निश्चित रूप से जो अपराधी होगा, जांच करके उसको दण्ड दिया जायेगा।

डेपुटेशन की बात कही, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज की जो चिकित्सा पद्धति है और व्यवस्था है, उसमें अधिक इन्स्टीट्यूशन्स खड़े हों ताकि जिनकी जेब में पैसा है वह तो कम से कम वहां चले जायें ताकि गरीब जनता को हम इन चिकित्सालयों में सेवा दे सकें और इसीलिए इस सारे पर तो बहुत विचार करना होगा अभी राज्य सरकार की रीति नीति है। कई और दूसरे इन्स्टीट्यूशन्स राज्य के बाहर, चाहे विदेशों में, चाहे बाहर, सबमें भेजे जायें। एक विचार दिया है उस पर विचार करेंगे लेकिन अभी रीति नीति के नाते मुझे वह ठीक नहीं लगता।

झुंझुनू से आने वाले माननीय विधायक ने जो बात कही है, मैं तो उसको नहीं जानता। आज उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने अधिकारियों से कहूंगा कि इसके औचित्य की पूरी जांच करवायें तभी डिस्ट्रिब्यूट करें और उसमें कुछ एडीशन होकर यदि मूल उद्देश्य के लिए परिवार कल्याण के लिए बात की गयी है तो इसका उसमें से हल निकले, तभी उसको वितरित कराया जायेगा। यह गारण्टी करना चाहता हूं।

मांग संख्या 26 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या–26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को रुपये 2,98,16,41,000 (दो अरब अठानवे करोड़ सोलह लाख इकतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 26 मार्च, 1992 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11 बजकर 25 मिनट पर गुरुवार, दिनांक 26, मार्च 1992 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

354

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 555 का विवरण

संगरिया विधान सभा क्षेत्र में संचालित आयुर्वेद औषधालयों को वर्ष 1991–92 में दिनांक 20.2.92 तक औषध सप्लाई का विवरण :–

क. सं.	स्थान औषधालय	औषध सप्लाई राशि (रुपयों में)
1.	नूरपूर ढाणी	1112
2.	खैरूवाला	865
3.	बनवाली	1112
4.	सादूलशहर	1112
5.	लालगढ़ जाटान	1073
6.	मन्नीवाली	1112
7.	ताखडावाली (77 के डब्ल्यू)	852
8.	अमरपुरा जालू	1073
9.	कीकरवाली	1073
10	नगराना	852
11.	कालवासिया	765
12.	हरिपुरा	751
13.	दूलपुरा	2321
14.	हरिणावाली	751

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

स्वास्थ्य केंद्र, भानपुर कलां में चिकित्सकों के रिक्त पद

563. **श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर** (जमवारामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भानपुर कलां पी. एच. सी. में डाक्टरों की कितनी पोस्ट स्वीकृत हैं ?

(2) भानपुर कलां पी. एच. सी. में क्या महिला डाक्टर का पद भी स्वीकृत है ? यदि हां, तो वहां पर किसको नियुक्त कर रखा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) पी. एच. सी. भानपुर में महिला डाक्टर को पदस्थापित करने की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

(4) क्या मेडिकल स्टाफ के कर्मचारियों को हैडक्वार्टर पर रहना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या पी एच. सी. भानपुर कलां के कर्मचारी वहां रुकते हैं ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(5) पी. एच. सी. भानपुर कलां के अधीनस्थ ए. एन. एम. के कितने पद स्वीकृत हैं ? जिनमें कितने पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुर कलां में चिकित्सा अधिकारी के दो पद एवं उसके साथ संलग्न मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में महिला चिकित्सक का एक पद, इस प्रकार कुल तीन पद स्वीकृत हैं।

(2) जी हां, भानपुर कलां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ संलग्न मातृ शिशु कल्याण केन्द्र में महिला चिकित्सक का एक पद स्वीकृत है। महिला चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण उक्त पद के विरुद्ध डा. मुकेश मिश्रा पदस्थापित है।

(3) महिला चिकित्सक के पदस्थापन की व्यवस्था की जा रही है।

(4) जी हां, सामान्यतया कर्मचारीगण मुख्यालय पर रहते हैं। डा. मुकेश मिश्रा के विरुद्ध मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की शिकायत पाई जाने पर उन्हें दिनांक 13–3–92 को मीमो दिया गया। डा. बाकलीवाल पारिवारिक कारणों से अवकाश पर थे। अन्य किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(5) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए. एन. एम.) के कुल छः पद स्वीकृत हैं। इनमें से केवल एक (विलोद में) पद रिक्त है। प्रशिक्षित ए. एन. एम. उपलब्ध होते ही यह पद भी भर दिया जावेगा।

श्री डूंगरगढ़ के औषधालयों में रिक्त पद

564. **श्री किशनाराम नाई** (डूंगरगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री किशनाराम नाई)

(1) विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू में कहां-कहां औषधालय चल रहे हैं ?

(2) उक्त औषधालय में कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त पड़े हैं ? इन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) नये औषधालयों को खोलने के लिए किन-किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है ?

(4) इन औषधालयों में कौन-कौन सी दवाइयां दी जाती हैं ?

उत्तर

(1) सूची (परिशिष्ट–1) सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) कोई भी पद रिक्त नहीं है।

(3) नवीन औषधालयों के स्थानों का चयन करते समय प्राय: निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखा जाता है :–

1. नवीन स्वीकृत औषधालय ग्राम में अन्य कोई राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होना।

2. ग्राम में औषधालय हेतु नि:शुल्क भवन व्यवस्था उपलब्ध होना। शहरी क्षेत्र में जहां तक सम्भव हो नि:शुल्क अथवा राजकीय भवन की व्यवस्था होना।

3. औषधालय से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या।

4. सूची (परिशिष्ट–2) सदन की मेज पर रख दी गई है। जीवन रक्षक दवाइयों को उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है।

357

जिला चूरू के विधानसभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की सूची–(परिशिष्ट–1)

क्र. सं.	स्थान औषधालय	क्र. सं.	स्थान औषधालय
1.	दुलचासर	11.	लिखमादेसर
2.	सांवतसर	12.	उदरासर
3.	बाना	13.	दुसारणा बड़ा
4.	ऊपनी	14.	बजरंगसर
5.	बापेऊ	15.	रीड़ी
6.	कीतासर	16.	बिगावास रामसरा
7.	गुसाईसर बड़ा	17.	लालगढ़
8.	पुनरासर	18.	जोगलसर
9.	ठुकरियासर	19.	तेहनदेसर
10.	बाडेला	20.	दड़ीबा

राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशालाओं में वर्ष 1991–92 में निर्मित होने वाली औषधियों की सूची–(परिशिष्ट–2)

(अ) आयुर्वेदिक औषधियां

क्र सं.	नाम औषधि	क्र. सं.	नाम औषधि
1. राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला-अजमेर			
1.	गंधक	2.	रामबाण रस
3.	त्रिभुवन कीर्ति रस	4.	अर्क वटी
5.	आरोग्यवर्धिनी वटी	6	करंजादि वटी
4.	तिन्दुक वटी	8.	व्योषादि वटी
9.	गंधक वटी	10.	योगराज गुग्गुल
11.	बिल्व चूर्ण	12.	हरितंकी चूर्ण
13.	कर्पूर धारा	14.	नारायण तेल
15.	मृत्युन्ज्य रस	16.	रस सिन्दुर
17.	समीर पन्नग रस	18.	सोमकल्प योग (यादव जी)
19.	शिर शुलहर वटी	20.	विषमज्वारादि वटी
21.	रस पर्पटी	22.	अगरादि धूप
23.	पुर्नवादि क्वाथ	24.	च्यवनप्राश
25.	पुष्करमूल चूर्ण	26.	त्रिफला चूर्ण
27.	नागकेसर चूर्ण	28.	चन्द्रामृत रस
2. राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला-उदयपुर			
1.	अर्क विशुचिकान्तक	2.	अमरसुन्दरी वटी
3.	अश्वकचुंकी रस	4.	अशोकारिष्ठ
5.	अर्शकुठार रस	6.	आनन्दभैरव रस
7.	आंवला चूर्ण	8.	जात्यादि तैल
9.	एलादिवटी	10.	कर्पूर रस
11.	कृष्ण मरहम	12.	गोधुरादि गुग्गल
13.	गोजिव्हादि क्वाथ	14.	चन्द्रप्रभावटी
15.	जन्मघुटी क्वाथ	16.	चन्द्रदयावर्ती
17.	दशमुल क्वाथ	18.	दद्दुदावानल
19.	द्राक्षावलेह	20.	धान्यपचक क्वाथ

(359)

1	2	3	4
21.	नैत्रबिन्दु	22.	पंचगुण तेल
23.	ब्रह्म रसायन	24.	मंजिष्ठादि क्वाथ
25.	मन्थरज्वर क्वाथ	26.	मरिच्यादिवटी
27.	मल सिन्दुर	28.	रज: प्रवंतनी वटी
29.	रस माणिक्य	30.	रसोनादि वटी
31.	लक्ष्मीविलाश रस	32.	वेदनाशक
33.	लवंगादि वटी	34.	वृष्य योग
35.	श्वास कुठार रस	36.	शिवा गुटिका
37.	संजीवनी वटी	38.	पुनर्नवा मण्डूर
39.	द्राक्षरिष्ट		

3. राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला, जोधपुर

1.	अग्निसंदीपन चूर्ण	2.	हिंग्वाष्टक चूर्ण
3.	लवणभाष्कर	4.	यवानी खाण्डव चूर्ण
5.	तालीसादी चूर्ण	6.	अविपत्तिकर चूर्ण
7.	शान्तिवर्धक चूर्ण	8.	तरूणी कुसुमाकर चूर्ण
9.	दशांग लेप	10.	दशनसंस्कार चूर्ण
11.	भुवनेश्वर चूर्ण	12.	प्रभावीकान्तक चूर्ण
13.	लंवगादि चूर्ण	14.	मंजिष्ठादि चूर्ण
15.	अश्वगंधा चूर्ण	16.	सूठी चूर्ण
17.	विपली चूर्ण	18.	पंचसकार चूर्ण

4. राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला, भरतपुर

1.	गोदन्ती भस्म	2.	कपर्हिका भस्म
3.	प्रवाल भस्म	4.	बालसुधा भस्म
5.	विषाण भस्म	6.	शंख भस्म
7.	शुभ्रा भस्म	8.	मण्डूर भस्म
9.	सप्तामृत लौह	10.	नवायस लौह
11.	मुक्ताशुक्ति भस्म	12.	शतावरी चूर्ण
13.	बहेड़ा चूर्ण	14.	पामाहर लेप
15.	निशा तेल	16.	अकीक भस्म

(ब) यूनानी औषधियां

1. राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला, अजमेर

1	2	3	4
1.	हव्वे हाजिम	2.	कविद नौसादरी
3.	करजंवा	4.	रसोत
5.	जिकुनफसु	6.	मुफीस
7.	काकडासिंगी	8.	करामात
9.	जिमा दस्याह	10.	शर्बत उन्नाव
11.	शर्बत अंजुबार	12.	शर्बत बनफशा
13.	शर्बत दीनार	14.	शर्बत एजाज
15.	शर्बत शहतूत	16.	शर्बत सन्दल
17.	शर्बत रोगनगुल	18.	खमीरागाजवान सादा
19.	हव्वे दाद	20.	अर्क सौंफ
21.	अर्क अजवायन	22.	अर्क मकोय
23.	अर्कमान	24.	मरहम सफे दकापुरी
25.	जवारिश कमुनी	26.	सफूफ मुदीर
27.	सफूफ त्रियाकेशिकप	28.	सफूफ सुलेमानी नमक
29.	सफूफ चुटकी	30.	सफूफ शिरी
31.	सफूफ तीन	32.	सफूफ असलेसूल
33.	सफूफ बीबन्द	34.	जद मरहम
35.	लालखारिश	36.	सफूफ सुनेन्दा
37.	सफूफइलसिरेजिगर	38.	मजबूक फसादे खून
39.	जोसान्दा	40.	सफूफ हाफिसेद
41.	लउक बहिदाना	42.	रोगन दर्द

गांव चूरिया की करौली में डाकुओं से फर्जी मुठभेड़

565. श्री हरिसिंह (महुआ) एवं **श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि थाना करौली जिला सवाई माधोपुर के अन्तर्गत गांव चूरिया की में दिनांक 13-2-90 के दिन पुलिस मुठभेड़ में डाकू गोपाल एवं गणपत धोबी के मारे जाने बाबत थाना करौली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

(2) क्या यह सही है कि इस मुठभेड़ के फर्जी होने बाबत तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर को शिकायत की गई थी ? क्या पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर ने जांच के बाद इस मुठभेड़ को फर्जी माना एवं जांच रिपोर्ट महानिरीक्षक, पुलिस (अपराध शाखा) को व्यक्तिशः मिलकर प्रस्तुत की ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्री चन्द्रभान सिंह एवं श्री अश्वस्थामा द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस उप महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज से जांच करवाई गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उपमहानिरीक्षक, भरतपुर रेंज ने बाद जांच उक्त मुठभेड़ को फर्जी बतलाया है एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करौली व एस. एच. ओ. सपोटरा को दोषी माना है ?

(5) क्या सरकार फर्जी मुठभेड़ दिखाकर डाकू मारने का नाटक करने वाली पुलिस पार्टी के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, पुलिस उप अधीक्षक वृत करौली ने इस घटना के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 64/90 दर्ज किया है।

(2) उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर ऐसा नहीं पाया गया। अतः जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी हां, जांच जारी है।

(4) उप महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है, जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(5) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु पोल लगाने का मानदण्ड

566. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विद्युत मण्डल द्वारा दिये जाने वाले घरेलू कनेक्शन एक पोल कितने कनेक्शन पर निःशुल्क दिया जाता है ? इसकी गणना किस प्रकार की जाती है ?

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(2) लघु उधोगों पर एल. टी. लाइन के पोल की कीमत वसूल की जाती है या नहीं ? यदि छूट दी जाती है तो किस नियम के तहत दी जाती है ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल द्वारा घरेलू कनेक्शन के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में एक पोल प्रति तीन कनेक्शन एवं शहरी क्षेत्रों में एक पोल प्रति छः कनेक्शन, निःशुल्क प्रदान किया जाता है ।

(2) लघु उद्योगों से एल. टी. लाइन/एच. टी. लाइन के पोल की कीमत वसूल की जाती है, जिसमें से मण्डल द्वारा 2000 रुपये प्रति खम्भे के हिसाब से (15000 रु. की सीमा तक) अनुदान राशि देने का विद्युत मण्डल के दिनांक 5·9 1990 के आदेश में प्रावधान है ।

लेबर कोर्ट तथा लेबर ट्रिब्यूनल में लम्बित मामले

567. श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) लेबर कोर्ट व लेबर ट्रिब्यूनल में कितने श्रम विवाद कितने समय से विचाराधीन हैं ?

(2) क्या सरकार श्रम विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में विभिन्न श्रम न्यायालय व औद्योगिक न्यायाधिकरणों में दिसम्बर तक 12354 श्रम विवाद विचाराधीन रहे । विभिन्न श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों में विचाराधीन विवादों की अवधि की सूचना इस प्रकार है :–

अवशेष मामले	1 वर्ष तक	3583
	1 से 2 वर्ष तक	2988
	2 से 3 वर्ष तक	2282
	3 से 5 वर्ष तक	2170
	5 वर्ष से अधिक	1331

(2) राज्य सरकार श्रमिकों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए पुराने लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से निपटाने के लिए कार्यवाही कर रही है । आठवीं पंचवर्षीय योजना में दो श्रम न्यायालय और खोले जाने का प्रस्ताव है ।

फौजदारी व दीवानी मुकदमों की संख्या में वृद्धि

568. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा राज्य में फौजदारी एवं दिवानी किस्म के मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या तथा फैसलों में हो रही देरी को मध्य नजर रखते हुए अतिरिक्त न्यायालय सृजित किए जाने का विचार

(श्री रामनारायण वर्मा)

किया जा रहा है? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने न्यायालय खोले जाने प्रस्तावित हैं ?

(2) उक्त न्यायालयों में से कितने एवं किस श्रेणी के न्यायालय बून्दी जिले में खोले जाने हैं ?

(3) क्या नैनवां उपखण्ड के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले पुलिस थानों एवं नैनवां के नजदीक पड़ने वाले इन्द्रगढ़ पुलिस थाने की सीमाओं में होने वाले अपराधों तथा उक्त क्षेत्रों के दीवानी वादों की संख्या को मध्य नजर रखते हुए नैनवां में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय खोले जाने न्यायोचित हैं? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1991–92 में 11 ए. डी जे. न्यायालय तथा 28 मुन्सिफ न्यायालय, 2 पारिवारिक न्यायालय, 1 पर्यावरण न्यायालय, 2 ए. सी जे. एम. साम्प्रदायिक दंगे न्यायालय व 1 एन. डी. पी. एस. एक्ट का न्यायालय खोला जा चुका है व आगामी वर्ष भी 12 मुन्सिफ न्यायालय खोलने का प्रस्ताव है।

(2) उक्त न्यायालयों में से कितने मुन्सिफ न्यायालय बूंदी जिले में खोले जायेंगे इस बारे में अभी कोई विनिश्चय किया हुआ नहीं है।

(3) जी नहीं। नैनवां के मुकदमों की न्यूनता को देखते हुए वहां पर न्यायालय खोलने का औचित्य नहीं है।

कोटा शहर के सार्वजनिक उद्यान पर अतिक्रमण

569. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा शहर में स्थित सार्वजनिक उद्यान में रंगबाड़ी रोड़ पर कब्रें बनाई जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या इसके निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कब्रों के नाम पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा शहर में आकाशवाणी केन्द्र, दूरदर्शन रिले केन्द्र व जानकीदेवी बजाज कन्या महाविद्यालय तीनों के बीच मस्जिद बनाने की अनुमति दी गई है ? यदि हां, तो सरकार इस मुख्य सड़क पर कब्जा कर बनाई जा रही मस्जिद को कब तक हटायेगी ?

(3) यदि स्वीकृति दी गई है तो स्वीकृति पत्र व नक्शा मय आर्डर की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कब्रों के निर्माण की कोई स्वीकृति नहीं दी जाती है। और न ही कब्रों के नाम से कोई अतिक्रमण हो रहा है।

(वक्फ राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। मस्जिद निर्माण की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। निर्माण के संबंध में धारा 447 भा. द. सं. के अन्तर्गत प्रकरण सं. 15/87 ए. सी. जे. एम. नं. 1 कोटा के न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

अजमेर शहर की ट्रांसपोर्ट नगर योजना

570 श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर शहर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(2) सरकार द्वारा इस योजना पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) सरकार द्वारा इस योजना में कितनी भूमि कितनी राशि में काश्तकारों से ली गई ?

(4) क्या भूमि का पूर्णतः भुगतान हो गया है ? उक्त योजना में कितने प्लाट किस-किस दर से देने की योजना प्रस्तावित है ?

(5) कितनी ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों ने या अन्य व्यवसायियों ने उक्त योजना में प्लाट आवंटन हेतु आवेदन किये हैं ? धरोहर राशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास द्वारा बनाई गयी ट्रान्सपोर्ट नगर योजना को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है तथा योजना की क्रियान्विति न्यास द्वारा की जा रही है।

(2) ट्रान्सपोर्ट नगर योजना की क्रियान्विति, नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा की जा रही है। सरकार द्वारा कोई खर्चा नहीं किया गया। न्यास द्वारा विकास कार्यों पर निम्नानुसार खर्चा किया गया है :–

बिजली पर व्यय	5,68,842.00
नलकूप	61,725.00
निर्माण कार्य (सड़क पर)	5,79,910 00

(3) इस योजना के लिये काश्तकारों की 39 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वासी भूमि अवाप्त की जा रही है तथा आपसी वार्ता से निर्धारित 45,000/– रुपये प्रति बीघा की दर से मुआवजा दिया जा रहा है। उक्त दर का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है।

(4) अब तक 28 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वासी भूमि अधिगृहित की जा चुकी है जिसका मुआवजा 12,81,375/– रुपये दिया जाकर भूमि का कब्जा लिया जा चुका है। शेष 10 बीघा 3 बिस्वा का

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

मुआवजा निर्धारित कर अवार्ड कलक्टर, अजमेर को अनुमोदन हेतु भेजा हुआ है। 10–15–0 भूमि का मुआवजा भूमि में ट्यूबवैल होने का कारण अवार्ड के अनुमोदन से पूर्व कलक्टर, अजमेर के निदेशानुसार तकनीकी जांच करवायी जा रही है। योजना में विभिन्न आकार के भूखण्डों की सूची निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	उपयोग	नाप फिटों में	नम्बर
1.	रिपेयर शोप्स	30×80	10
2.	गोदाम	40×90	17
3.	शोरूम्स	20×40	32
4.	बुकिंग एजेन्सीज	20×90	36
5.	बुकिंग एजेन्सीज	20×60	32
6.	शोप्स	20×40	16
7.	शोप्स	15×30	18
8.	पैट्रोल पम्प	150×100	1
9.	फायर स्टेशन	90×120	1
10.	सर्विस स्टेशन	130×130	1
11.	पोस्ट आफिस	100×120	1
12.	बैंक	140×120	1
13.	हैल्थ सेन्टर	100×120	1
14.	ऐसोसियेशन आफिस	100×120	1
15.	होटल	140×1[illegible]0	1
16.	कोल्ड स्टोरेज	—	1
17.	वर्किंग शेड	—	1

उक्त भूखण्डों का आवंटन 250/- रुपये प्रतिवर्ग गज की आरक्षित दर पर किया जाना प्रस्तावित है।

(5) ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों या अन्य व्यवसायियों का एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। उक्त योजना में माल गोदाम के लिये 10,000/– रुपये तथा बुकिंग आफिस के लिये 5,000/– रुपये धरोहर राशि आवेदन पत्र के साथ जमा करवायी जानी है किन्तु एक भी आवेदन पत्र पेश नहीं होने के कारण कोई राशि जमा नहीं हुई है।

चूरू जिले में सड़क निर्माण

571. श्री इन्द्र सिंह पूनियां (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चूरू जिले में वर्ष 1989–90, 1990–91 व 1991–92 में कुल कितने कि. मी. सडकें बनाई ? तहसील वाईज सूची सदन की मेज पर रखें। कुल कितनी कि. मी. सड़क मंजूर की गई ?

(2) क्या उक्त वर्षों में स्वीकृत सभी सड़कें विभाग ने पूर्ण कर दी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक पूर्ण कर दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में वर्ष 1989–90, 90–91, 91–92 में निम्न प्रकार की नयी सड़कें बनाई गई :–

वर्ष	तहसील		ग्रेवल	मेटल	डामर	कुल किमी.
1989–90						
1.	चूरू		4	1	10.50	15.50
2.	राजगढ़		—	—	7.00	7.00
3.	तारानगर		—	—	—	—
4.	रतनगढ़		—	—	—	—
5.	डूंगरगढ़		—	—	10.30	10.30
6.	सुजानगढ़		—	—	7.00	7.00
7.	सरदारशहर		—	—	5.00	5.00
		योग	4	1	39.80	44.80
1990–91						
1.	चूरू		—	1	18.50	19.50
2.	राजगढ़		—	8.50	6.00	14.50
3.	तारानगर		—	—	3.00	3.00
4.	रतनगढ़		—	—	6.00	6.00
5.	डूंगरगढ़		—	—	5.50	5.50
6.	सुजानगढ़		—	—	5.50	5.50
7.	सरदारशहर		—	—	3.25	3.25
		योग	—	9.50	47.75	57.25

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1991–92

1.	चूरू	—	4.00	2.00	6.00
2.	राजगढ़	—	9.00	8.00	17 00
3.	तारानगर	—	—	24.00	24.00
4.	रतनगढ़	—	—	8.00	8.00
5.	डूंगरगढ़	—	3.00	5.50	8.50
6.	सुजानगढ़	—	—	16.00	16.00
7.	सरदारशहर	—	8.00	39.15	47.15
	योग	—	24.00	102.65	126.65
	तीनों वर्षों का कुल योग	4	34 50	190.20	228.70

तहसीलवार निर्माण की गई वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 सड़कों की सूची का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में दिया गया है।

(ब) वर्ष 1989-90, 90-91 तथा 91-92 में निम्न नई स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं :-

वर्ष		तहसील	स्वीकृत लंबाई
1989-90	1.	चूरू	7.5
	2.	राजगढ़	10.0
	3.	तारानगर	—
	4.	रतनगगढ़	6.0
	5.	श्रीडूंगरगढ़	4.0
	6.	सुजानगढ़	6.5
	7.	सरदारशहर	6.0
		योग	40.0

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1990-91	1.	चूरू	—
	2.	राजगढ़	1.5
	3.	तारानगर	—
	4.	रतनगढ़	—
	5.	श्रीडूंगरगढ़	—
	6.	सुजानगढ़	—
	7.	सरदारशहर	—
		योग	1.5
1991-92	1.	चूरू	22.5
	2.	राजगढ़	84.0
	3.	तारानगर	5.0
	4.	रतनगढ़	27.5
	5.	श्रीडूंगरगढ़	21.0
	6.	सुजानगढ़	7.0
	7.	सरदारशहर	82.75
		योग	249.75
		कुल योग	291.75

तहसीलवार वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 में स्वीकृत सड़कों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दिया गया है।

(2) जी नहीं। उक्त वर्षों में स्वीकृत 40 सड़कों में से 9 सड़कें स्वीकृत लंबाई में पूर्ण कर दी गई है पूर्ण नहीं करने के कारण दिये गये संलग्न सूची 'अ' के विवरण में दिये गये हैं। शेष कार्यों को पूर्ण करना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 3 मार्च, 1992)

थानागाजी (अलवर) में मिनी आई. टी. आई. केन्द्र

135. श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थानागाजी में मिनी आई: टी. आई. की स्थापना हेतु सरकार ने जिला विकास अभिकरण को डेढ़ वर्ष पूर्व स्वीकृति जारी कर दी थी ?

(2) क्या यह सही है कि उस स्वीकृति के अन्तर्गत न तो प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी तक चला और न ही भवन निर्माण का कार्य अभी तक प्रारम्भ हुआ ?

(3) यदि हां, तो इस प्रकार की निष्क्रियता के लिए कौन दोषी हैं ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा थानागाजी में मिनी आई. टी. आई. खोलने की नहीं वरन् ट्राईसम योजनान्तर्गत लघु प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की अनुमति दी गई थी।

(2) जी हां।

(3) कोई दोषी नहीं है। लघु प्रशिक्षण केन्द्र को भूमि दिनांक 26-12-91 को कलटक्टर अलवर द्वारा आवंटित कर दी गई है एवं भवन निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

आयुर्वेद विभाग में रिक्त पद

572. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 3 मार्च, 1990 को आयुर्वेद विभाग में वैद्यों, हकीमों, होम्यो चिकित्सकों, नर्सों/कम्पाउण्डरों तथा परिचारिकाओं के कितने पद रिक्त थे ? पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में उक्त पदों पर कितनी भर्ती की गई ?

(3) वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ?

(4) सरकार इन पदों पर नियुक्ति कब तक प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची (परिशिष्ट–1) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वांछित विवरण (परिशिष्ट–1) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) वांछित विवरण (परिशिष्ट–1 में) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) माह जून, 1992 तक।

आयुर्वेद/यूनानी/होम्मोपैथ चिकित्सकों, नर्स / कम्पाउण्डर एवं परिचारकों के दिनांक 3 मार्च, 1990 को रिक्त पद, गत दो वर्षों में दी गई नियुक्ति तथा वर्तमान में नियुक्ति हेतु स्पष्ट रिक्त पदों का विवरण : —

क्र सं	नाम पद	3-3-90 को रिक्त पद	गत दो वर्षों में नियुक्ति संख्या	वर्तमान में नियुक्ति हेतु रिक्त पद संख्या
1.	आयुर्वेद चिकित्सक	261	414	35
2.	यूनानी चिकित्सक	26	24	5
3.	होम्योपैथ चिकित्सक	23	1	30
4.	नर्स/कम्पाउण्डर	50	294	32
5.	परिचारक	372	293	287

शराब की बिक्री से आय

573. श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर) एवं **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) वर्ष 1985–86 से लेकर वर्ष 1991–92 तक शराब की बिक्री से सरकार को कुल कितनी आय हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में शराब की बिक्री की भिन्न-भिन्न दरें हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार प्रदेश में शराबबन्दी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार से ?

उत्तर

(1) शराब की बिक्री से निम्न वर्षों में आय निम्न प्रकार हुई है :—

वर्ष	आय (करोड़ों में)
1985–86	82·50
1986–87	99.31
1987 88	124.86
1988–89	137.26
1989–90	213.39
1990–91	249.73

वर्ष 1991–92 के लिए शराब की बिक्री से 341.11 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

(2) जी हां, प्रदेश में भिन्न-भिन्न स्थानों पर शराब की बिक्री की दरें भिन्न होना सम्भव है, इसका मुख्य कारण यह है कि प्रदेश में देशी मदिरा/भारत निर्मित बिदेशी मदिरा की दुकानें एकाकी विशेषाधिकार की राशि पर टेण्डर एवं नीलामी प्रणाली द्वारा अनुज्ञाधारियों को मदिरा बिक्री के लिए आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 1991–93 के लिए दी गई है। बिक्री दर पर विभाग का देशी मदिरा अनुज्ञा-पत्र

(आबकारी मंत्री)

शर्त संख्या 21 (घ) एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा की अनुज्ञा-पत्र शर्त संख्या 22 के अनुसार कोई नियन्त्रण नहीं है।

(3) वर्तमान में प्रदेश में शराबबन्दी का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(मंगलवार, दिनांक 3-3-92)

ग्रामीण विद्युत् सहकारी समिति, महुवा द्वारा सामान की खरीद

138. **श्री हरि सिंह** (महुआ) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महुआ ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति द्वारा वर्ष 1989–90, 1990–91 एवं 1991–92 में कितने रुपयों के खम्भे तार (कन्डक्टर) एवं ट्रान्सफार्मर किस-किस दर पर खरीदे गये ?

(2) वर्ष 1991–92 में माह जुलाई, अगस्त से लेकर 10 फरवरी, 1992 तक किस-किस फर्म से क्या-क्या सामान क्रय किया गया ?

(3) ग्रामीण विद्युत् सहकारी समिति लिमिटेड, महुआ के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा क्या-क्या सामान खरीदा गया है एवं कितने रुपयों का खरीदा है ? इस क्रय किये गये समान के बिलों का सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया है ?

(4) क्या सही है कि बिना सामान की आपूर्ति किये ही फर्जी बिलों का भुगतान करवा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी ?

उत्तर

(1) महुआ ग्रामीण विद्युत् सहकारी समिति में वर्ष 1989–90, 1990–91 व 1991–92 में रु० 134257/- के खम्भे 41,39,229/- के तार (कन्टक्टर) और 15,93,179/- के ट्रांसफोर्मर खरीदे गये जिनका पूर्ण विवरण मय दर परिशिष्ट अ, ब तथा स में दर्शाया गया है।

(2) वर्ष 91–92 में माह जुलाई अगस्त से फरवरी 1992 तक जो सामान क्रय किया गया है उसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट (द) में दर्शाया गया है।

(3) ग्रामीण विद्युत् सहकारी समिति में सामान की खरीद प्रबन्ध संचालक द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से की गई है तथा खरीद किये गये बिलों का सत्यापन प्रबन्ध संचालक श्री बी. एस. कटेवा तथा श्री पी. आर. गोयल के द्वारा किया गया है।

(4) यह सही नहीं है कि बिना आपूर्ति किये ही बिलों का भुगतान कर दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में जले हुए ट्रांसफार्मर्स

574. **श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास) एवं **श्री परसादीलाल** (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बामनवास में वर्ष 1991–92 में कितने

(श्री परसादीलाल)

ट्रांसफार्मर्स जल गये हैं ? जले ट्रांसफार्मर्स के स्थानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जले हुए ट्रांसफार्मर्स को अब तक भी नहीं बदला गया है ? यदि हां, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बामनवास विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कुशलपुरा में 33 के.वी. का ट्रांसफार्मर जल जाने पर दूसरा रखने के बाद अधीक्षण अभियन्ता सवाई माधोपुर द्वारा अन्य व्यवस्था किये बिना ही ट्रांसफार्मर कुशलपुरा से लाने के आदेश दे दिये गये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) कुशलपुरा 33 के.वी. स्टेशन पर कितने किलो वाट का ट्रांसफार्मर लगाना उपयुक्त है ?

उत्तर

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बामनवास में वर्ष 11–1992 में माह फरवरी, 1992 तक कुल 36 ट्रांसफार्मर्स विभिन्न क्षमता के खराब हुए जिनका विवरण संलग्न सूची "अ" में दर्शाया गया है।

(2) जी नहीं। सभी खराब हुए ट्रांसफार्मर्स बदल दिये गये हैं ?

(3) जी हां, ग्राम कुशलपुरा में 33/11 के.वी. सब स्टेशन पर प्रतिस्थापित एक एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था इसके स्थान पर एक एम. वी. ए. क्षमता का दूसरा ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं होने के कारण 1.6 एम.वी.ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया गया था। इस सब स्टेशन पर प्रतिस्थापित क्षमता से भार कम होने के कारण इसको बदलने के प्रयास किये गये लेकिन स्थानीय जनता द्वारा इसका विरोध किये जाने पर नहीं बदला जा सका।

(4) कुशलपुरा 33/11 के.वी. उपचौकी पर 1.0 एम.वी.ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाना ही उपयुक्त होगा।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बामनवास के वर्ष 1991–92 में जले हुए ट्रान्सफार्मरों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	क्षमता	जलने की तिथि	बदलने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	जस्टाना	1 × 100 के.वी.ए.	30-5-91	6-6-91
		1 × 63 ,,	28-9-91	2-10-91
2.	बास टोरडा	1 × 25 ,,	18-6-91	22-6-91
3.	थनेरा	1 × 63 ,,	9-5-91	12-5-91
4.	बहनोली	1 × 63 ,,	24-6-91	1-7-91
5.	जैतपुरा	1 × 25 ,,	20-6-91	26-6-91
		1 × 25 ,,	30-9-91	4-10-91
6.	पुनेवा	1 × 63 ,,	28-8.91	3-9-91
7.	रोढोद	1 × 25 के.वी.ए.	17-8-91	21-8-91
8.	बड़ा गांव सरवर	1 × 25 ,,	20-7-91	25-7-91
		1 × 63 ,,	26-8-91	3-8-91
9.	मानपुर	1 × 25 ,,	21-9.91	26-9-91
10.	लाखनपुर	1 × 63 ,,	25-8-91	30-8-91
11.	बौनी	1 × 100 ,,	5-5-91	10-5-91
12.	कुटका	1 × 100 ,,	22-7-91	27-7-91
13.	जयलालपुर	1 × 100 ,,	26-6-91	30-6-91
14.	दतूली	1 × 63 ,,	14-10-91	19-10-91
15.	नारोली चोड	1 × 25 ,,	16-12-91	19-12-91
16.	चादनहोली	1 × 63 ,,	20-9-91	25-9-91
17.	हेडली	1 × 100 ,,	30-10-91	3-11-91
18.	जाखोलासकला	1 × 25 ,,	26-11-91	2-12-91
19.	लाडपुरा	1 × 63 ,,	2-11-91	7-11-91
20.	डाबर	1 × 63 ,,	21-9-91	26-9-91
		1 × 100 ,,	11-10-91	16-10-91
21.	भ्रमावरा	1 × 25 ,,	13-10-91	19-10-91
22.	गोठ	1 × 25 ,,	25-9-91	2-10-91
23.	बटोदा	1 × 0.63 एम.वी.ए.	10-6-91	15-6-91
		1 × 63 के.वी.ए.	10-6-91	17-6-91
24.	रिवाली	1 × 100 ,,	1-4-91	6-4-91
25.	झारोदा	1 × 25 ,,	15-4-91	20-4-91
26.	सरसावली	1 × 63 ,,	13-5-91	18-5-91

राज्य के न्यायालयों में वादों का निपटारा

575. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में न्यायालयों में प्रतिवर्ष कितने वाद प्राप्त हुए तथा कितने मामलों का निपटारा किया गया जिलेवार, वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1991 के अन्त में कितने मामले पेण्डिग रहे ?

(3) शीघ्र सुलभ न्याय के लिए क्या सरकार कोई नीति बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) आवश्यकता तथा बजट उपलब्धि की सीमा के अन्तर्गत समय-समय पर और न्यायालय खोले जा सकते हैं—प्रत्येक तहसील पर एक मुन्सिफ न्यायालय हो, इस बारे में भी विचार किया जाना सम्भव हो सकता है।

वर्ष 1990 में स्थापित/निस्तारित मुकदमों की जिलेवार सूची

जिले का नाम	स्थापित मुकदमों की संख्या	निस्तारित मुकदमों की संख्या
1	2	3
1. अजमेर	33969	29427
2. अलवर	17465	15185
3. बालोतरा	4827	4100
4. बांसवाड़ा	7411	6867
5. भरतपुर	14469	13925
6. भीलवाड़ा	16203	14839
7. बीकानेर	11914	11860
8. बूंदी	8882	7952
9. चूरू	7747	7499
10. धौलपुर	6869	6235
11. डूंगरपुर	4220	3333

1	2	3
12. गंगानगर	22523	20919
13. जयपुर सिटी	65[illegible]84	65191
14. जयपुर जिला	19120	15530
15. जालौर	4367	4052
16. झालावाड़	8299	5722
17. झुंझुनूं	7080	6451
18. जोधपुर	31521	29142
19. कोटा	35311	32489
20. मेड़ता	10019	11062
21. पाली	16592	15105
22. प्रतापगढ़	15734	13865
23. सीकर	10549	9198
24. सवाई माधोपुर	13869	13071
25. सिरोही	7194	6615
26. टौंक	7694	6478
27. उदयपुर	27318	26542
योग :–	436550	402654

वर्ष 1991 में स्थापित/निस्तारित मुकदमों की जिलेवार सूची

जिले का नाम	स्थापित मुकदमों की संख्या	निस्तारित मुकदमों की संख्या
1	2	3
1. अजमेर	27689	28876
2. अलवर	20242	17505
3. बालोतरा	5834	5636

376

1	2	3
4. बांसवाड़ा	9200	9673
5. भरतपुर	17578	14750
6. भीलवाड़ा	15964	13359
7. बीकानेर	12842	12822
8. बूंदी	7512	5821
9. चूरू	7699	8976
10. धौलपुर	7810	5951
11. डूंगरपुर	5170	4502
12. गंगानगर	25423	21387
13. जयपुर सिटी	77612	136721
14. जयपुर जिला	17151	15163
15. जालौर	5325	4874
16. झालावाड़	8767	7458
17. झुंझुनूं	7400	6761
18. जोधपुर	33013	36283
19. कोटा	29104	24800
20. मेड़ता	10106	9519
21. पाली	18138	17813
22. प्रतापगढ़	15787	15538
23. सवाई माधोपुर	14753	13175
24. सीकर	9524	7984
25. सिरोही	7166	7428
26. टौंक	8583	7911
27. उदयपुर	20565	24831
28. जैसलमेर	851	642
29. राजसमंद	6791	6759
30. दौसा	3914	5530
31. बारां	3690	5960

वर्ष 1991 के अन्त में लम्बित मुकदमों की जिलेवार सूची

नाम जिला	लम्बित मुकदमों की संख्या	नाम जिला	लम्बित मुकदमों की संख्या
1	2	1	2
1. अजमेर	62025	17. झुंझुनूं	19129
2. अलवर	38996	17. जोधपुर	40288
3. बालोतरा	9427	19. कोटा	54919
4. बांसवाड़ा	12957	20. मेड़ता	20425
5. भरतपुर	32878	21. पाली	26000
6. भीलवाड़ा	36206	22. प्रतापगढ़	37235
7. बीकानेर	29111	23. सवाई माधोपुर	36658
8. बूंदी	31383	24. सीकर	21686
9. चूरू	11569	25. सिरोही	7709
10. धौलपुर	13845	26. टोंक	15315
11. डूंगरपुर	11706	27. उदयपुर	46230
12. गंगानगर	42353	28. जैसलमेर	2868
13. जयपुर सिटी	129949	29. राजसमन्द	10623
14. जयपुर जिला	31094	30. दौसा	10904
15. जालौर	5836	31. बारां	16124
16. झालावाड़	18524		

जोधपुर शहर की पेयजल व्यवस्था हेतु मास्टर प्लान

576. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर नगर की जनसंख्या की दृष्टि से शुद्ध पेयजल की कितनी मांग है ? उस मांग की आपूर्ति किस प्रकार की जा रही है ?

(2) जोधपुर नगर में पेयजल शुद्धिकरण यन्त्र की प्रतिदिन कितना गैलन पानी शुद्ध करने की क्षमता है ? प्रारम्भ में इसकी क्षमता क्या थी ? इसका विस्तार कब-कब किस-किस आधार पर किया गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) रणसी गांव जलदाय योजना के पानी से मलेरिया फैलने व पीने योग्य नहीं होने के बावजूद भी जोधपुर शहर की जनता को क्यों दिया जा रहा है ? इसके सुधार हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ? प्रयोगशाला की रिपोर्ट सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या जोधपुर शहर की पेयजल व्यवस्था सुधारने हेतु जलदाय विभाग ने 68 करोड़ का नया मास्टर प्लान राज्य सरकार को भेजा ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) झालामण्ड में क्या फिल्टर हाऊस का निर्माण कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

(6) जोधपुर नगर में उच्च जलाशय कहां-कहां बन रहे हैं और उनकी क्या-क्या प्रगति है । भीखा प्याऊ, तेलीयां महादेवजी व जसवन्त थड़ा आदि उच्च जलाशय निर्माण की क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जोधपुर नगर की वर्तमान लगभग 7.75 लाख जन संख्या की न्यूनतम पेयजल मांग 256 लाख गैलन प्रतिदिन है। वर्तमान में औसतन 182 लाख गैलन मात्रा, जवाई नहर एवं अन्य भूजल स्रोतों से प्राप्त कर प्रतिदिन वितरित की जा रही है ।

(2) वर्तमान में स्थित फिल्टर संयंत्रों की कुल क्षमता 120 लाख गैलन प्रतिदिन है । क्षमता सम्बन्धित वान्छित विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है ।

(3) रणसी गांव से प्राप्त जल को फिल्टर युक्त जल से मिश्रित कर पीने योग्य बनाकर वितरित किये जाने की व्यवस्था है । मिश्रित जल के माह सितम्बर, 1991 में किए गए जल परीक्षण रिपोर्ट परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है । इससे मलेरिया फैलने की संभावना नहीं है ।

(4) जोधपुर लिफ्ट कैनाल से प्राप्त होने वाले जल के उचित वितरण हेतु प्रस्ताव प्रारम्भिक स्तर पर विचाराधीन है । इन प्रस्तावों का तकनीकी अध्ययन किया जा रहा है ।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

(5) जी हां। कार्य पुनः प्रारम्भ करने हेतु फर्म को लिखा जा चुका है।

(6) वांछित विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है। भीखाप्याऊ व जसवंत थड़ा जलाशयों की निविदाएं खोली जा चुकी हैं। तेलिया महादेव जलाशय का निर्माण अभी प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अजमेर चित्तौड़गढ़ राजपथ का विस्तार

577. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर से चित्तौड़ तक वर्तमान राजपथ को चौड़ा करने, मजबूत करने तथा उस पर पुलियाओं के निर्माण करने हेतु क्या वर्ल्ड बैंक से कोई योजना स्वीकृत हुई है ?

(2) यदि हां, तो इस योजना का कार्य कब से चालू होना था, कब चालू किया गया व उसकी भौतिक उपलब्धि अब तक क्या है ? योजना की स्वीकृति व कार्य आरम्भ में विलम्ब के क्या कारण हैं व उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(3) क्या इस योजना के तहत नसीराबाद बाईपास का निर्माण भी कराने की योजना है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई व इस बाई-पास को कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) अजमेर से चित्तौड़ तक वर्तमान राजपथ को चौड़ा करने, मजबूत करने तथा उस पर पुलियाओं के निर्माण करने हेतु वर्ल्ड बैंक के अन्तर्गत योजना 34.77 करोड़ रुपये की राशि से स्वीकृत है।

(2) इस योजना के कार्य को माह सितम्बर, 91 में स्वीकृति पत्र जारी होने पर आवश्यक प्रपत्र की पूर्ति करने के पश्चात माह दिसम्बर, 91 को कार्य चालू कर दिया गया। अब तक नसीराबाद बाईपास पर कार्य चालू कर दिया है एवं कि. मी 14 व 119 पर क्रेशर एवं डामर मिक्सिंग प्लांट लगाने का कार्य प्रगति पर है एवं 6 पुलियाओं का कार्य भी प्रगति पर है। योजना की स्वीकृति व कार्य आरम्भ करने में विलम्ब मुख्यतः तीन कारणों से हुआ (1) विश्व बैंक द्वारा ठेकेदारों के प्री-क्वालीफिकेशन की स्वीकृति देने में समय लगा (2) इस सड़क के अजमेर से रायला के भाग की निविदाओं में अनियमितताओं की संभावना को देखते हुए विश्व बैंक ने सम्पूर्ण कार्य अजमेर से चित्तौड़गढ़ की निविदा आमन्त्रित करने का निर्देश दिया (3) विश्व बैंक द्वारा निविदा प्रपत्र के कुछ अनुच्छेदों में भी परिवर्तन करने के कारण। अतः इस विलम्ब के लिए विभाग में कोई जिम्मेदार नहीं है।

(3) जी हां। उक्त योजना के अन्तर्गत नसीराबाद बाईपास बनाने की योजना

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सम्मिलित है एवं इस कार्य हेतु अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मिट्टी का कार्य एवं 6 पुलियाओं का निर्माण कार्य चालू हो गया है व बाईपास का कार्य मार्च, 1993 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

राज्य के यूनानी दवाखाने

578. श्री जुबेर खां (रामगढ़) एवं **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझुनू) **डा. चन्द्रभान** (मण्डावा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में राज्य में कितने यूनानी औषधालय कहां-कहां हैं, उनमें कितने हकीम, उपहकीम व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर के पहाड़गंज यूनानी दवाखाने सहित विभिन्न दवाखानों में उपहकीमों के स्थान पर उप वैद्य लगा रखे हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा कहां-कहां ?

(3) क्या राज्य में पृथक् यूनानी चिकित्सा विभाग खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) आगामी वित्त वर्ष में राज्य में नये यूनानी चिकित्सालय खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कितने तथा कहां-कहां ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में 78 यूनानी औषधालय हैं। इनके स्थान एवं इनमें स्वीकृत पदों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। उपहकीम का कोई पद विभाग में नहीं है।

(2) विभाग में उप वैद्य या उपहकीम का कोई पद सृजित नहीं है। अतः उपहकीम पद के विरुद्ध उपवैद्य लगाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। विभागीय यूनानी औषधालयों में नर्स/कम्पाउण्डर के पद सृजित हैं।

(3) जी नहीं।

(4) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर, अहमदाबाद व उदयपुर मार्गों पर वीडियो बसों का अवैध संचालन

579. श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से अहमदाबाद, उदयपुर इत्यादि स्थानों के लिए अवैध वीडियो बसों का अनवरत संचालन हो रहा है ?

(2) इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं तथा क्या यह कदम पर्याप्त हैं ?

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

(3) इन्हें सरकार द्वारा न रोक सकने से राजस्थान पथ परिवहन निगम को होने वाले घाटे से बचाने हेतु सरकार क्या कोई विशेष योजना बनायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि जयपुर से अहमदाबाद, उदयपुर आदि स्थानों के लिए अवैध विडियों बसों का अनवरत संचालन हो रहा है। इन मार्गों पर जब कभी अनाधिकृत वाहनें चलती पाई जाती हैं तो उनके चालान बनाये जाते हैं।

(2) इस सम्बन्ध में समय-समय पर वाहनों की चैकिंग की जाती है व चैकिंग के विशेष अभियान चलाये जाते हैं। अवैध वाहनों के संचालन को रोकने हेतु यद्यपि यथेष्ट प्रयास किये गये हैं तथापि इस सम्बन्ध में कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

(3) अवैध वाहनों के संचालन को रोकने हेतु प्रभावी रूप से चैकिंग किये जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

विद्युत इंजीनियर संयुक्त संघर्ष समिति का ज्ञापन

580. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या बिजली इंजीनियर संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा सरकार को ज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन के प्रत्येक बिन्दु पर सरकार कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां सरकार ने ज्ञापन के प्रत्येक बिन्दु पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है। विवरण प्रपत्र 'अ' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

बिजली इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 16-1-1992 को एक ज्ञापन माननीय मुख्य मंत्री महोदय को सम्बोधित करते हुये सचिव, ऊर्जा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को प्रस्तुत किया था।

इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :–

राज्य सरकार/राज्य विद्युत मण्डल को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष सर्वे कराये जाने की जानकारी है। यह सही है कि इस सर्वे में राज्य में विद्युत की कमी दर्शायी गई है। विद्युत मण्डल विद्युत की मांग की पूर्ति उत्तरी ग्रिड से अधिक बिजली लेकर व अन्य पड़ोसी राज्यों से खरीद कर करता रहा है और उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप राज्य में जून, 1988 से कोई विद्युत कटौती नहीं हुई है। जहां तक विद्युत मांग का सम्बन्ध है, वह ग्रामीण क्षेत्र में 8 घण्टे के समय के ब्लाक्स में व औद्योगिक क्षेत्र में जहां लगातार उत्पादन प्रक्रिया न हो, पीक समय (सायं 6 से 10 बजे के बीच) में नियंत्रण करके की जाती रही है। इनमें भी बिजली की उपलब्धता होने पर नियंत्रण में ढील दी जाती है। इसके फलस्वरूप जून, 1988 के बाद किसी भी उद्योग में बिजली की कटौती नहीं हुई है। इसके बावजूद भी विद्युत मण्डल 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत अधिक बिजली प्रतिवर्ष पिछले वर्षों की तुलना में देता रहा है।

यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि बिजली की मांग और पूर्ति का अखिल भारतीय स्तर का विषय है और देश के अधिकतर विद्युत मण्डल इससे प्रभावित हैं। विद्युत की मांग व उपलब्धि का अन्तर कम करने के लिये केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं में से राज्य को आवंटन के फार्मूले में परिवर्तन करने के लिये तथा विभिन्न परियोजनाओं की केन्द्र द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार प्रयत्नशील है। जिनमें धौलपुर (3 × 250 मेगावाट) व चित्तौड़गढ़ (1–500 मे. वा.) तापीय विद्युत गृह प्रमुख हैं। विद्युत मण्डल को आर ए पी. पी. स्टेज–II व अन्य केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से आठवीं पंचवर्षीय योजना में 600 मेगावाट बिजली प्राप्त होने की संभावना है।

उपरोक्त उपलब्धता के अलावा, नई निर्माणाधीन परियोजनाओं जैसे विभिन्न लघु हाइडल बिजली घर, कोटा थर्मल पावर स्टेशन स्टेज–III व सूरतगढ़ पावर स्टेशन से बिजली उत्पादन होने पर बिजली की मांग व पूर्ति के अन्तर में कमी होगी।

विद्युत मण्डल के सहायक अभियन्ता एवं अन्य उच्च पद पर कार्यरत अभियन्ताओं के वेतनमान सदैव से ही राज्य सरकार के अभियन्ताओं के वेतनमानों के समकक्ष रहे हैं। राज्य सरकार के अभियन्ताओं को समयबद्ध वेतनमान प्राप्त नहीं है।

जब-जब राज्य सरकार ने वेतनमानों को पुनरीक्षित किया है तब-तब विद्युत मण्डल में उन्हें लागू किया गया है। अतः विद्युत मण्डल के अभियन्ताओं के वेतनमानों की तुलना अन्य राज्यों के विद्युत मण्डलों से करने और समयबद्ध वेतन की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है, तथा वर्तमान में 1-9-1988 से कनिष्ठ अभियन्ताओं का वेतनमान 1400–2900 है जब कि राज्य सरकार के कनिष्ठ अभियन्ताओं का वेतनमान 1400–2600 ही है।

इसके अतिरिक्त आर. एस. ई. बी. के कनिष्ठ अभियन्ताओं को चयनित वेतनमान 2200–4000 रु. दिया जाता है जो कि सहायक अभियन्ता का वेतनमान है। यह डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं को सामान्यतः 6–7 वर्ष में व डिप्लोमा कनिष्ठ अभियन्ताओं को 9 वर्ष की सेवा अवधि के बाद उपलब्ध है, जबकि राज्य सरकार में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं को यह वेतनमान तीसरी चयनित वेतनमान के रूप में 27 वर्ष की सेवा अवधि के बाद दिया जाता है।

विद्युत मण्डल में सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ताओं को उनके स्वीकृत पदों के 20 प्रतिशत तक चयनित वेतनमान प्राप्त हैं—

इसके अतिरिक्त विद्युत मण्डल में कार्यरत सभी अभियन्ताओं को 70 रुपये से 600 रुपये प्रति माह तक सवारी भत्ता व सहायक अभियन्ता व उसके उच्च पद पर कार्यरत अभियन्ताओं को 350 रु. से 500 रु. तक अर्दली भत्ता आदि प्राप्त हैं। ये लाभ राज्य सरकार के अभियन्ताओं को उपलब्ध नहीं है।

जहाँ तक राज्य में प्रस्तावित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण का संबंध है, नई विद्युत उत्पादन परियोजनायें जो कि स्वीकृत हुई हैं उनमें विभिन्न हाइडल पावर स्टेशन्स जैसे अनूपगढ़, लखुवाली, मांगरोल, पूंगल, बिरसलपुर आदि तथा सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट व कोटा थर्मल पावर स्टेशन्स स्टेज–III, के निर्माण का कार्य विद्युत मण्डल के कर्मचारियों द्वारा ही कराये जा रहे हैं।

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा को "पहले आवो पहले पावो" योजनान्तर्गत भू-खण्डों का आवण्टन

581. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ने इस वर्ष काउन्टर सेल (पहले आवो पहले पावो) योजना के अन्तर्गत किन-किन बस्तियों में किन-किन व्यक्तियों को किस-किस दर पर किन-किन साइज के भू-खण्ड दिये ?

(2) यदि दिये गये हैं तो क्या नियमों में ऐसा करने हेतु प्रावधान है ? यदि नहीं है, तो क्यों ?

(3) जिन्हें उक्त भू-खण्ड दिये गये क्या वे गृहहीन हैं ? यदि नहीं, तो उनके परिवारों के नाम पर कितने भवन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा इस वर्ष काउन्टर सेल पहले आओ पहले पाओ के अन्तर्गत बापूनगर पंचवटी, आजाद नगर में 682 भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं। आवंटित भू-खण्ड नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 17 की अनुसूची के आधार पर निम्न दर से :–

आयवर्ग	दर
1. रु. 800/–तक	आरक्षित मूल्य के 25% पर।
2. रु. 801 से 1500	आरक्षित मूल्य के 60% पर।
3. रु. 1501 से 2500	आरक्षित मूल्य
4. रु. 2501 से 5000	आरक्षित मूल्य + 15%
5. रु. 5001 से 7500	आरक्षित मूल्य +30%

निर्धारित मूल्य पर आवंटित किये गये हैं। आवंटित भूखण्डों की सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी है।

(2) वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के अन्तिम निर्णय के पश्चात् ही कोई कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(3) नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के नियम 10 के प्रावधानानुसार पति, पत्नि एवं परिवार के आश्रित के नाम पर 50 हजार की आबादी में कोई भू-खण्ड न होने का शपथ पत्र प्राप्त कर आवंटन किया गया। शपथ पत्र के आधार पर आवंटी का परिवार भू-खण्ड विहीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

कांकरोली बाई-पास सड़क का निर्माण

582. **श्री शान्तिलाल** (राजसमंद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कांकरोली बाई-पास सड़क का कितना कार्य पूरा हो चुका है एवं कितना शेष है ?

(श्री शान्तिलाल)

(2) क्या शेष कार्य को सरकार पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कांकरोली बाई-पास का निर्माण नहीं किया गया है अपितु जावद से घोइन्दा 5.0 किलोमीटर डामर सड़क जो कि नेशनल हाई-वे 8 तथा कांकरोली से रेलमंगरा सड़क को जोड़ती है का निर्माण किया गया है स्वीकृति के अनुसार 5.0 किलोमीटर डामर सड़क का निर्माण किया जा चुका है तथा कोई लम्बाई शेष नहीं है।

(2) जब कार्य शेष ही नहीं है तो पूर्ण कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में शराब के ठेके

583. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में शराब के ठेके देने की नीति क्या है ?

(2) इस नीति के कारण क्या राजस्थान से शराब की तस्करी में वृद्धि हुई है ?

(3) क्या इस नीति में बदलाव करने का सरकार विचार रखती है ?

(4) क्या शराब ठेके के ग्रुप राजस्व वृद्धि हेतु छोटे किये जाने की सरकार की याजना है ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति के अनुसार शराब के ठेके दो वर्ष की अवधि (वर्ष 1991-92 एवं 1992-93) के लिये एकाकी विशेषाधिकार राशि की पद्धति के आधार पर दिये गये हैं। देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मन्दिरा खुदरा एवं थोक तथा बीयर खुदरा दुकानों के समूहों का गठन कर समूहवार टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं। समूह के लिये उच्चतम राशि के टेण्डरदाता को समूह की दुकानों को एकाकी विशेषाधिकार के रूप में संचालन हेतु दो वर्ष के लिए अनुज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं। जिन समूहों के लिये टेण्डर प्राप्त नहीं हुये उन समूहों को नीलामी द्वारा उठाये गये हैं। ठेके में यह शर्त रखी गई है कि समूह की वर्ष 91-92 की प्राप्त राशि पर वर्ष 92-93 के लिये 15 प्रतिशत राशि की वृद्धि होगी।

यही शराब के ठेके देने की नीति है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं, आबकारी बन्दोबस्त दो वर्ष 1991-92 एवं 92-93 के लिये हुआ है। अतः बन्दोबस्त अवधि के मध्य नीति में परिवर्तन करना ठेके के अनुबन्ध के विपरीत होगा।

(4) अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति

584. **श्री अरुणसिंह** (डीग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अरुणसिंह)

(1) इस वर्ष में राजस्थान पुलिस विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बच्चों को मिलने वाली बेनेवेलेन्ट फण्ड से मिलने वाली छात्रवृत्ति देने में क्या कठिनाई आ रही है ?

(2) क्या बेनेवेलेन्ट फण्ड से मिलने वाली छात्रवृत्ति रोक दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991–92 में राजस्थान पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को बेनेवेलेन्ट फण्ड से छात्रवृति देने के बारे में धनाभाव के कारण कठिनाई आ रही है।

(2) जी हां। वर्ष 1991–92 में इस फण्ड में हुई आय की तुलना में छात्रवृति के अलावा अन्य मदों में अधिक व्यय हो जाने के कारण छात्रवृति रोकी गई है।

सुमेरपुर (बाली) में सड़कों का पुर्ननिर्माण कार्य

585. **श्री अमृतलाल परमार** (बाली) : क्याकृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बाली विधान सभा क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी सुमेरपुर के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण किया गया था ? क्या यह भी सही है कि लम्बे समय से इन सड़कों की मरम्मत न होने के कारण जनता को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है ?

(2) क्या पूर्व में मंत्री महोदय ने इन सड़कों को शीघ्र मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अब तक कोई भी कार्यवाही सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(3) कृषि उपज मण्डी की लम्बी सड़कों की देख-रेख हेतु क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपने का कोई प्रावधान है ? यदि नहीं, तो कृषि उपज मण्डी द्वारा इन सड़कों की मरम्मत हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। गत वर्ष अतिवृष्टि से इस क्षेत्र में सड़कों की विशेष क्षति हुई थी जिससे आवागमन में जनता को काफी परेशानी हुई।

(2) जी नहीं। 7 सड़कों की मरम्मत हेतु 15.12 लाख रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसमें से 5 सड़कों पर कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा शेष का कार्य भी शीघ्र ही प्रारम्भ करवा दिया जावेगा।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों का कार्य यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है तो उसमें कृषि मण्डी की कोई आपत्ति नहीं है। सीमित बजट होने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग सामान्यतः इन सड़कों की मरम्मत का दायित्व नहीं लेता। अतः मरम्मत की आवश्यकता होने पर बजट उपलब्धि को देखते हुए धनराशि कृषि विपणन विभाग द्वारा आवंटित की जाती है।

टी. एस. एस. योजना

586. **श्री मोहनलाल** (परबतसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य में टी. एस. एस. योजना का रख-रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो क्या इनका रख-रखाव ग्राम पचायतों द्वारा सुचारु रूप से किया जा रहा है ?

(2) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इनको जमानत विभाग को सुपुर्द करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) संधारण की मिलीजुली व्यवस्था है। कुछ योजनाएं संतोषप्रद रूप से कार्य कर रही हैं, एवं कुछ में समस्या है।

(2) राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा दिसम्बर, 89 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार इन योजनाओं का संधारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तानान्तरित किया जाना था। अब विभाग मंत्रिमण्डल को पूर्व में किए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु निवेदन कर रहा है।

पत्रकारों को सुविधायें

587. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या जन-सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को शहरी पत्रकारों की तरह सभी प्रकार की सुविधाएं नहीं दिये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को सुविधाएं दिये जाने में अलग-अलग दृष्टिकोण को समाप्त कर ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम, 1986 के अन्तर्गत अधिस्वीकृत प्रेस प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान कर अधिस्वीकृत पत्रकारों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें ग्रामीण व शहरी पत्रकार होने का दृष्टिकोण नहीं रखा जाता है।

1. राजस्थान आवासन मण्डल के लिए ढाई प्रतिशत का कोटा श्रमजीवी पत्रकारों एवं अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए 30-11-84 से निर्धारित किया हुआ है।

2. सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में रियायती दर पर ठहरने की सुविधा दिनांक 20-6-73 से सुलभ है।

3. टेलिफोन की प्राथमिकता के लिए अधिस्वीकृत पत्रकार होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

4. राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में वातानुकूलित बसों को छोड़-

(जन-सम्पर्क मंत्री)

कर अन्य सभी श्रेणी की बसों में नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा दिनांक 15-9-85 से दी जा रही है।

5. राज्य की राजधानी पर स्थित अधिस्वीकृत पत्रकारों को रेल्वे बोर्ड द्वारा रियायती दरों पर दिनांक 1-10-85 से रेल यात्रा की सुविधा दी जाती है। अधिस्वीकृत पत्रकारों को निदेशालय से प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

6. कर्फ्यू जैसी स्थिति में निर्दिष्ट अधिकारी की अनुमति पर कर्फ्युग्रस्त क्षेत्रों में समाचार संकलन हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने के लिए जिला कलक्टर को सिफारिश की जाती है।

7. राज्य की विकास योजनाओं एवं विकास कार्यों के अवलोनार्थ पत्रकार दल भेजे जाते हैं।

8. राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित साहित्य एवं सूचना सामग्री, फोटोज आदि उपलब्ध कराये जाते हैं।

9. मंत्रीगण एवं विभागाध्यक्षों से सूचना एवं उनके छायाचित्र आदि लेने की व्यवस्था कराई जाती है।

10. पत्रकार कल्याण कोष नियम, 1982 के अन्तर्गत असाध्य रोग से ग्रसित पत्रकारों, 60 वर्ष की आयु से अधिक के साधन विहीन पत्रकारों, मृत पत्रकारों के आश्रित आय के साधन विहीन 28 वर्ष के कम आयु के पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता-पिता को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त उक्त सुविधाओं से शहरी एवं ग्रामीण पत्रकारों का भेदभाव नहीं किया जाता हैं।

(3) अधिस्वीकृति पत्रकारों को प्रदत्त सुविधा में शहरी व ग्रामीण अलग-अलग दृष्टिकोण नहीं होने से यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

मालवीयनगर से बसों का संचालन

588. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में मालवीय नगर जयपुर सेक्टर 9, 10 एवं 1, 2, 3, 4 में कितनी बसें चल रही हैं ? समयवार विवरण प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह भी सही है कि मालवीय नगर एवं आसपास की कालोनियों में निवास करने वाली जनसंख्या के अनुपात में चलने वाली बसों की संख्या बहुत कम है ? यदि हां, तो यात्रियों की संख्या और सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए और अधिक बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि अजमेरी गेट से मालवीय नगर के सेक्टर 1, 2, 3 में चलने वाली बसों की संख्या विभागीय कागजों में 3,4 दर्शाई हुई है और वास्तव में दो बसें भी नहीं चलती हैं और जो चलती हैं वह ठीक बसें नहीं हैं तथा उनमें से आधी तो सड़क पर ही खड़ी रहती हैं ?

(श्री कालीचरण सराफ)

(4) क्या यह भी सही है कि मालवीय नगर की आवासीय कालोनियों में चलने वाली बसों का कोई समय निर्धारित नहीं है और न ही अजमेरी गेट अथवा मालवीय नगर की कालोनियों में कोई बुकिंग स्थान निर्धारित है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सैक्टर नं. 1, 2, 3, 4 में मार्ग संख्या 7 (फुलेरा रेल्वे लाइन फाटक से मालवीयनगर) की 37 निजी बसें 7-7 मिनट के अन्तराल से संचालित हैं। इन बसों की समय सारणी निर्धारित नहीं है। निगम द्वारा मालवीय नगर सैक्टर नं. 9, 10 में वर्तमान में 3 बसों द्वारा दैनिक 42 परिचक्र तथा सैक्टर नं. 1, 2, 3 में पांच बसों द्वारा दैनिक 65 परिचक्र एवं सैक्टर नं 4 में 3 बसों द्वारा दैनिक 51 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। निगम द्वारा संचालित सेवाओं का समयचक्र दर्शाते हुए विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में उपलब्ध है।

(2) जी हां। जनसंख्या के अनुपात में संचालित बसों की संख्या पर्याप्त नहीं है। निजी बसों के परमिट हेतु जब भी कोई आवेदन करेगा तो उसे नियमानुसार परमिट दिये जायेंगे। जहां तक इस क्षेत्र में निगम की अधिक बसें चलाने का प्रश्न है, निगम की यहां संचालित बस सेवाओं को औसतन 59 प्रतिशत यात्री भार ही उपलब्ध हो रहा है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में निगम की सेवाओं में और वृद्धि किये जाने से उनका संचालन अनार्थिक होने की आशंका है।

(3) जी नहीं। इस क्षेत्र में निगम की 5 बसों का नियमित संचालन है। जहां तक इन बसों की हालत का प्रश्न है, निगम द्वारा नगरीय बसों के रूप में पुरानी नवीनीकृत बसों का संचालन किया जाता है, जिनकी यांत्रिक स्थिति नयी वाहनों की तुलना में अच्छी नहीं होती तथापि निगम उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप नव विकसित कालोनियों के निवासियों को यथा सम्भव अच्छी बस सुविधा प्रदान कर रहा है। नगरीय सेवा के मार्गों पर बसों की संख्या बढ़ाने हेतु डबल गेट की वाहनें पुनर्नवीनीकृत की जा रही हैं। जिनके उपलब्ध होने पर इन मार्गों पर आवश्यकता अनुसार यात्री उपलब्धता के अनुरूप आवश्यक वृद्धि की जा सकेगी। अजमेरी गेट से मालवीय नगर कोई निजी मिनी बस संचालित नहीं है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है। इस क्षेत्र में संचालित निगम की बसों की समय सारणी व परिचालक बुकिंग की व्यवस्था विद्यमान है। निजी बसों की कोई समय सारणी व बुकिंग स्थान निर्धारित नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

काश्तकारों को यूरिया खाद हेतु अनुदान

589. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार को छोटे किसानों के लिए यूरिया

(श्री परसादीलाल मीणा)

खाद पर दी जाने वाली अनुदान की राशि प्रस्तावित की थी ? यदि हां, तो वर्ष 1991-92 में कितनी राशि देना प्रस्तावित किया था ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त राशि लेकर राज्य के छोटे किसानों को यूरिया खाद पर अनुदान देने का आदेश सहकारी समितियों को दिया है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या केन्द्र सरकार द्वारा यूरिया खाद पर प्रस्तावित धनराशि का उपयोग किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां वर्ष 1991-92 में 5.098 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

(2) जी हां, इस बारे में 26-9-91 व 5-10-91 को आदेश जारी किये गये थे।

(3) भारत सरकार से इस योजना की प्रथम किश्त 1.259 करोड़ रुपये 16 सितम्बर, 1991 को प्राप्त हुए इस राशि को केन्द्रीय सहकारी बैंकों को समितियों द्वारा लघु एवं सीमान्त जोत के किसानों को खाद पर अनुदान देने हेतु दे दी गई है।

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 554 की सूची

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

From :

Addl. Secretary to Government,
Public Works Department,
Rajasthan, JAIPUR.

To :

The Chief Engineer (Roads-I),
P W.D., Rajasthan, Jaipur.

No. F. 2 (50)/PW/AS/91/D-201/S Dated : 29/4/91

Sub :—Administrative and Financial sanction for Improvement/Construction of Road Works in Urban Areas in Rajasthan during the year 1991-92

——

Sir,

I am directed to convey administrative and financial sanction of the Governor for construction/improvement of following roads at an estimated cost of Rs. 304.00 lacs —

S.No.	Name of work		Sanctioned cost (Rs. in lacs)
1	2		3
1.	Improvement of Roads in Municipal Area of Udaipur City		30.00
2.	-do-	Jodhpur City	25.00
3.	-do-	Kota City	20.00
4.	-do-	Ajmer City	20.00
5.	-do-	Udaipur City	20.00

1	2		3
6.	Improvement of Roads in Municipal Area of Bikaner City		20.00
7.	-do-	Bharatpur City	10.00
8.	-do-	Alwar City	8.00
9.	-do-	Ganganagar City	5.00
10.	-do-	Banswara City	5.00
11.	-do-	Chittorgarh City	5.00
12.	-do-	Dungarpur City	5.00
13.	-do-	Tonk City	7.00
14.	-do-	Churu City	7.00
15.	-do-	Nagaur City	5 00
16.	-do-	Bhilwara	5.00
17.	-do-	Bundi	5.00
18.	-do-	Pali	5.00
19.	-do-	Jhalawar	5.00
20.	-do-	Dholpur	7.00
21.	-do-	Sawai Madhopur	7.00
22.	-do-	Sirohi	5.00
23.	-do-	Jaisalmer	3.00
24.	-do-	Sikar	3.00
25.	-do-	Jhunjhunu	300
26.	-do-	Barmer	3.00
27.	-do-	Jalore	3.00
28.	-do-	Dausa	6.00
29.	-do-	Rajsamand	6.00
30.	-do-	Baran	6.00
31.	Parallel service roads on Jaipur-Sikar Road from Jhotwara crossing to Vishwa Karma Industrial Area.		40.00
		TOTAL	Rs. 304.00 lacs

The expenditure on these works shall be debitable to the Budget Head "5054—Capital Outlay on Roads and Bridges-04-

District & other Roads-800-Other Expenditure (X) Urban Roads (Plan)". The expenditure shall be accommodated within the overall plan ceiling of Road Sector during the current financial year 1991-92 and subsequent years.

This issues with the concurrence of planning & Finance Department vide their I. D. No. 589/SS/Plan dated 18-4-91 and No. 1142 dated 26-4-91 respectively.

Yours faithfully.

Sd/-

Dy. Secretary (Works) P.W.D.

Copy to the following for information & necessary action:

1. Accountant General (Audit) Rajasthan, Jaipur.
2. Special Secretary to Govt., Planning Deptt., Raj., Jaipur.
3. Dy. Secretary, Finance Deptt, (Exp. III), Raj., Jaipur.
4. Secretary to Govt., P.W.D., Rajasthan, Jaipur.

Sd/-

Dy. Secretary (Works) P.W.D.
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 861 का विवरण

श्री चिमनसिंह परिहार, स्वास्थ्य अधिकारी, नगरपरिषद, जोधपुर के विरुद्ध चल रही जांचों का विवरण

क्र. सं.	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	प्राथमिक/विभागीय जांच प्रारम्भ करने की तिथि	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1.	विभिन्न तरह की अनियमितताएं करने के सम्बन्ध में	23–3–89	अंतरिम उत्तर प्राप्त हुआ। रिकार्ड देखने की इजाजत चाही गई है, अनुमति दी जा चुकी है।	सी. सी. ए. नियम 16 के अन्तर्गत
2.	श्री सम्पतसिंह ड्राईवर द्वारा की गई दुर्घटना की जांच न करने व उनकी पत्नी से कर्मचारियों पर दबाव डालकर जीवन बीमा करवाने बाबत।	29–7–88	निदेशक के समक्ष परीक्षण हेतु विचाराधीन है।	सी. सी. ए. नियम 17 के अन्तर्गत
3.	नगरपरिषद की गाड़ियों को स्व: हित में नाजायज कब्जे तुड़ाने ले जाने एवं गाड़ियां क्षतिग्रस्त होने बाबत।	14–1–91	आयुक्त, न. प. जोधपुर के जांच विवरण प्राप्त होने पर प्रशासक, न. प. जोधपुर से जांच के बिन्दुओं पर दि 20–8–91 को टिप्पणी चाही है, जो अपेक्षित है।	प्राथमिक जांच

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 865 की प्रति

गोपनीय

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिलाधीश, जोधपुर

क्रमांक : 1354 ए. दिनांक 19-6-82

अध्यक्ष,

नगर सुधार न्यास, जोधपुर।

कृपया नगर सुधार न्यास की बैठक दि. 28-4-82 की कार्यवाही विवरण का अवलोकन करें। इस कार्यवाही विवरण के पृष्ठ संख्या 6 पर प्रस्ताव संख्या 12 अंकित किया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार यह दर्शाया गया है कि कौक्स कुटीर के पीछे के क्षेत्र पर जिसमें 25 वर्षों से मुकदमेबाजी चल रही है, निगोशिएसन समिति द्वारा भूमि के बदले में 20,000 वर्ग गज भूमि समझौते के रूप में दिये जाने का प्रस्ताव किया गया था। निगोशिएसन के इस प्रस्ताव की कार्यवाही विवरण में सर्व-सम्मति से पुष्ट किया जाना अंकित किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि आप द्वारा इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूक्ष्म जानकारी अवश्य दी गई थी परन्तु कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई थी। ऐसी महत्वपूर्ण नीति के प्रश्न जब तक मीटिंग में विस्तृत चर्चा न हो और प्रत्येक सदस्य को एजेन्डा आईटम के माध्यम से अथवा नोट के रूप में टिप्पणी न कराई जाय, कोई निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा। भविष्य में यह भी अपेक्षा करूंगा कि "अध्यक्ष महोदय की अनुमति" से यदि कोई महत्वपूर्ण मामला रखा जावे तो उसके सम्बन्ध में मीटिंग से पूर्व अथवा मीटिंग के समय एक विस्तृत टिप्पणी सदस्यगणों को उपलब्ध कराई जाय। जहां तक मेरा विचार है ट्रस्ट की कथित मीटिंग में आपने सदस्यों को निगोशिएसन कमेटी प्रस्ताव से अवश्य अवगत कराया था परन्तु यदि ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त किया जाना आवश्यक था तो उस पर विस्तृत टिप्पणी उपलब्ध कराई जाकर चर्चा की जानी चाहिए थी। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि कार्यवाही विवरण के इस प्रस्ताव को पारित किया जाना न अंकित किया जावे। यदि इस सम्बन्ध में ट्रस्ट का प्रस्ताव आवश्यक है तो अगली बैठक से इस पर विस्तृत चर्चा की जावे। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि इस मुकदमे में राज्य सरकार भी एक पक्ष है। अतः राज्य सरकार से बिना परामर्श किए समझौता कर लेना बिल्कुल बेमानी एवं बेअसर होगा। कृपया इस मामले के समस्त पहलुओं को किसी कानूनी वेता से जांच करवा के ट्रस्ट की

(396)

अगली बैठक में प्रस्तुत करें। कृपया प्रस्ताव संख्या 12 के सम्बन्ध में मेरी आपत्ति अंकित कर न्यास की अगली बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

ह०
जिलाधीश, जोधपुर

प्रतिलिपि :

1. सचिव, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, नगर सुधार न्यास, जोधपुर।

ह०
जिलाधीश, जोधपुर

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 875 का विवरण

करवर से गुरजानिया वाया कलमिया जरखोदा, रोटेदा, कोलाहेड़ा गुढ़ादेवजी, सड़क कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	वर्ष	योजना	व्यय राशि रु. लाखों में	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5
1.	1984–85	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम।	1.18	4 कि. मी. ग्रेवल सड़क
2.	1985–86	,, ,, ,,	0.90	5 कि. मी. मिट्टी का कार्य
3.	1986–87	,, ,, ,,	3.88	16 कि. मी. ग्रेवल
4.	1987–88	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	0.17	–
5.	1987–88	अकाल राहत कार्य	1.85	4 कि. मी. मेटल सड़क, 4 कि. मी. ग्रेवल सड़क
6.	1988–89	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	2.68	4 कि. मी. मेटल सड़क
7.	1988–89	,, ,, ,,	0.07	3.5 कि. मी. डामर सड़क
8.	1990–91	जवाहर रोजगार योजना	0.59	4 कि. मी. ग्रेवल सड़क मरम्मत कार्य 6 कि. मी. में पटरी सुधार कार्य
			11.32	

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 862 की सूची

प्रा. स्वा. केन्द्र	उपकेन्द्र का नाम	रिक्त पदों की संख्या (प्रसाविका)	कब से रिक्त है।
बासनी	1. चाऊ	1	9/89
	2. उठवालिया	1	9/89
	3. अलाय	1	3/91
	4. जोधियासी	1	3/91
	5. करनू	1	3/90
	6. साडोकण	1	9/90
	7. श्यामसर	1	9/90
	8. दातीणा	1	3/90
	9. सिंगड़	1	3/90
	10. बुंकमसोता	1	3/90
	11. जाखनिया	1	8/90
	12. सिनोद	1	8/90
	13. गगवाना	1	3/90
	14. खारी	1	9/89
	15. अखासर	1	3/91
	16. पीपासर	1	3/91
	17. गोरेरा	1	3/90
	18. मालगांव	1	3/90
	19. चावन्डिया	1	3/91
	20. मकोड़ी	1	3/90
	21. कालड़ी	1	3/90
	22. भोजास	1	9/90
	23. इन्द्रास	1	9/90
	24. सुरजलियावास	1	9/90
	25. खेतासर	1	8/91
	26. अहमदपुरा	1	8/91
	27. गोदन	1	8/91

1	2	3	4
	28. तददवानी	1	8/91
	29. जोथियासी	1	3/91
	30. श्राकोड़ा	1	3/91
	31. ज्योतियासी	1	8/90
	32. सथारेए	1	9/90
खीवंसर	1. बिरलोका	1	3/90
	2. रूण	1	3/90
	3. खरनाल	1	3/90
	4. काठिया	1	3/90
	5. पिडोद	1	8/90
	6. पांचोडी	1	9/90
	7. टेऊ बुनरावता	1	9/90
	8. सेनणी	1	8/90
	9. हिलोड़ी	1	3/90
	10. जनाना	1	3/90
	11. खोटोड़ा	1	3/91
	12. इन्दोकली	1	3/91
	13. भटनोणा	1	3/91
	14. श्राचीणा	1	3/91
	15. डाहृत	1	1/92
हरसोलाव	1. टालनपुर	1	2/90
	2. रोलचान्दावता	1	3/88
	3. खोडूली	1	3/89
	4. गगराना	1	3/89
	5. सिरसला	1	3/89
	6. नेतडिया	1	3/89
	7. बीटन	1	3/90
	8. कलरू	1	3/90
	9. गंठिया	1	3/91
	10. वायड	1	3/91
	11. धनाया	1	3/90
	12. बडगांव	1	2/92

1	2	3	4
	13. भूरी बासनी	1	3/90
	14. धांधलास	1	2/89
	15. बेदावड़ी	1	3/90
	16. जलवाना	1	3/90
	17. मोकाला	1	9/91
रीयांबड़ी	1. लाडपुरा	1	3/91
	2. बासनी लूनकरण	1	3/90
	3. पादुकला	1	3/90
	4. बडागांव	1	3/91
	5. लिलया	1	3/90
	6. जाजासनी	1	8/90
	7. सेथाना	1	9/91
	8. जडाऊ	1	3/91
जसवन्तगढ़	1. फिरवासी	1	3/90
	2. रीगंन	1	9/90
	3. सीलनवाद	1	3/90
	4. लाछड़ी	1	3/90
	5. निम्बी जोधा	1	3/90
	6. छपारा	1	3/90
	7. रोजा	1	9/91
	8. तंवरा	1	3/90
	9. कुसुम्बी	1	9/90
	10. अलीपुर कसुम्बी	1	9/91
बाजवास	1. झालरा	1	11/91
	2 बरनेल	1	4/87
	3. खानुपुरा	1	4/87
	4. जाटावास	1	3/87
	5. मेरासी	1	3/89
	6. मुन्डोता	1	3/88
	7. अरहट	1	3/88
	8. पीपलाद	1	3/89
गच्छीपुरा	1. बूडसू	1	9/90

1	2	3	4
	2. सफेदबड़ी	1	9/90
	3. इन्दोखा	1	9/90
	4. अल्तावा	1	3/89
	5 बासेड़ा	1	3/89
	6. लाडोली	1	3/89
	7. खारडिया	1	3/89
	8. बेसरोली	1	3/89
	9. रानीगांव	1	3/90
	10 रतनुपुरा	1	3/90
	11. नान्दोली चां.	1	3/90
	12. वान्डी	1	3/90
	13. मनानी	1	3/90
	14. डोबडी कलां	1	3/90
	15. जुसारी	1	3/90
	16. नान्दोली मे.	1	3/91
	17. डोबडिया	1	3/91
	18. ईटावा लाखा	1	3/91
	19. कुचीपला	1	3/91
	20. खोडिसिला	1	3/91
	21. वासडा	1	3/91
	22. मनाना	1	3/91
	23. सबलपुर	1	3/91
	24. चावण्डिया	1	3/92
डेगाना	1. बरना	1	3/89
	2. जरखेडा	1	3/89
	3. राजोद	1	3/89
	4. आंतरोली खुर्द	1	3/89
	5. दागडी	1	3/90
	6. गोरडीचाचा	1	3/90
	7. बावरता	1	3/90
	8. रेवत	1	3/90
	9. गुणसली	1	8/99

1	2	3	4
	10. चांदारूण	1	8/90
	11. ईडवा	1	9/91
कुकनवाली	1. शिम्भुपुरा	1	3/89
	2. नालोट	1	3/89
	3. आरापुरा	1	2/90
	4. प्रेमपुरा	1	3/91
	5. अडकसर	1	3/91
	6. इन्डोली	1	3/90
	7. पालडी	1	3/90
	8. लाम्बा	1	3/90
	9. गुढासाल्ट	1	3/91
	10. छापरी	1	3/91
	11. शिवदयालपुरा	1	8/91
	12. आनन्दपुरा	1	8/91
	13. लूणवा	1	3/91
	14. खोरड़ी	1	3/91
	15. मोतीपुरा	1	3/91
	16. ठिकरिया कलां	1	3/91
	17. शिव	1	8/90
	18. भूणी	1	8/90
	19. पुरोहिता का बास	1	8/90
	20. चारणवास	1	8/90
मोलासर	1. सूपका	1	8/90
	2. बिचावा	1	9/89
	3. मन्डुपुरा	1	8/89
	4. खुनखुना	1	8/90
	5. आकोदा	1	8/90
	6. बेगसर	1	8/90
	7. डसनाखुर्द	1	3/90
	8. रामसावास	1	3/91

1	2	3	4
	9. सिंगरावटखुर्द	1	3/91
	10. अम्बापा	1	3/91
	11. आजबा	1	8/91
	12. अलकपुरा	1	9/91
	13. सानिया	1	9/91
	14. निमोद	1	3/91
	15. दाऊसर	1	3/91
	16. खानडी	1	3/91
	17. डिकावा	1	3/91
	18. लोरोली खुर्द	1	3/91
	19. डाबडा	1	8/91
	20. ध्यावा	1	8/91
	21. बेडवा	1	8/91
	22. बडावरा	1	3/91
	23. ठाकरियावास	1	3/91
	24. दुदोली	1	3/91
	25. रसीदपुरा	1	3/91
	26. सिगांणा	1	9/91
डेह	1. बुगरडा	1	3/90
	2. गोराऊ	1	3/90
	3. मडरिया	1	3/90
	4. राजोद	1	3/89
	5. तरनाऊ	1	3/90
	6. ईग्यार	1	3/89
	7. बोसेरी	1	3/89
	8. मेहरवास	1	3/90
	9. धारना	1	3/90
	10. आंचलियासर	1	3/90
	11. मगोली	1	3/90
	12. गुगरियाली	1	3/90
	13. कमेडिया	1	3/90
	14. मातासूख	1	3/90
	15. रामसर	1	3/90

1	2	3	4
	16. छातरा	1	3/90
	17. जोचिणा	1	पद स्वीकृति से
डेगाना	1. नयावडा	1	9/90
	2. तिलानेस	1	8/91
	3. कुतियासनी	1	8/91
	4. ढाढरिया कला	1	3/91
	5. तामडोली	1	3/91
	6. पुरोहिता का बास	1	3/91
	7. चोसली	1	3/91

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 891 की सूची

आईशर मित्सूविशी केन्टर मॉडल एफ. ई. 444 हल्के व्यवसायिक वाहन ट्रक दिनांक 1.4.91 से 10.3.1992 तक दिये गये वाहनों का विवरण—

क्र.सं.	किस को दिये गये	देने की तारीख	वाहनों की संख्या
1	2	3	4
1.	सहायक अभियन्ता (प. एवं स.) चेजट	24-12-91	1
2.	,, ,, (प. एवं स) रींगस	26-12-91	1
3.	,, ,, (प. एवं. स) खेतड़ी	27-12-91	1
4.	,, ,, (एस. एण्ड स.) जैसलमेर	28-12-91	1
5.	,, ,, (प एवं स.) पोकरण	,,	1
6.	,, ,, (सी-III) जयपुर	,,	1
7.	,, ,, (प. एवं स.) मावली	,,	1
8.	,, ,, (सी. एण्ड सी-II) भीलवाड़ा	,,	1
9.	,, ,, (प. एवं स) भीवाड़ी	,,	1
10.	अधि. अभियन्ता (डीडी) अलवर	30-12-91	1
11.	सहायक अभियन्ता (बी-1) जयपुर	,,	1
12.	,, ,, (प. एवं स.) धौलपुर	,,	1
13.	,, ,, (प. एवं स.) जैतारण	31-12-91	1
14.	,, ,, (प. एवं. स.) हनुमानगढ़	6-1-92	1
15.	,, ,, सादुलपुर	30-1-92	1
16.	अधि. अभियन्ता (सीसी) जोधपुर	3-2-92	1
17.	अधि. अभियन्ता (डीडी) चित्तौड़गढ़	14-2-92	1
18.	सहायक अभियन्ता (ई. II) जयपुर	27-12-91	1

1	2	3	4
	डी. सी. एम. टोयटा डायना माडल 88 हल्का व्यवसायिक वाहन		
19.	सहायक अभियन्ता (प. एवं स.) चूरू	18-12-91	1
20.	,, ,, (प. एवं. स.) अटरू	24-12-91	1
21.	सहायक भण्डार नियंत्रक, नागौर	24-12-91	1
22.	सहायक अभियन्ता (आर) झुंझुनू	26-12-91	1
23.	,, ,, (एस. एण्ड सी.) अजमेर	,,	1
24.	,, ,, (प. एवं स.) विजयनगर	,,	1
25.	अधि. अभियन्ता (एस. एण्ड सी.) जयपुर	,,	1
26.	सहायक अभियन्ता (प. एवं स) नसीराबाद	,,	1
27.	,, ,, (प. एवं स.) सिकराय	,,	1
28.	,, ,, (बी. के. आई. ए.) जयपुर	,,	1
29.	,, ,, (प. एवं स.) रतनगढ़	27-12-91	1
30.	,, ,, (प. एवं स.) सुजानगढ़	,,	1
31.	,, ,, (आरईसी.) हिण्डोन	,,	1
32.	,, ,, (आई. सी.) शिवगंज	3-1-92	1
	अशोक लिलेण्ड कोमिटएलको 3/2 4166 एम. एम. डब्ल्यू. वी. 4×4 हेवलेज चेसिस ट्रक		
33.	सहायक अभियन्ता (आर.ई.सी.) पीपलिया कलस	9-3-92	1
34.	,, ,, (प. एवं स.) भवानीमंडी	17-3-92	1

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 893 की सूची

पंचायत समिति दौसा के अन्तर्गत अविद्युतीकृत गांवों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र. सं	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	बाढ़ कोल्यावास	8-11-197	26	चक धारणवास	8-11-101
2	बाढ़ बिदरखा	194	27	बाढ़ छांगल्या	43
3	गिरधारीपुरा	194	28	बनेठा	56
4	बाढ़ गिरधारीपुरा	195	29	बाढ़ दौसा	77
5	बूंटोली	152	30	चक जसोता	72
6	हरपट्टी	185	31	रायसिंहपुरा	126
7	चक देहलवास	186	32	चूचरियान का बास	125
8	कंवरपुरा	153	33	बरदाखा	240
9	किशनपुरा बास	184	34	सुदर्शनपुरा	46
10	चक अगरामपुरा	182	35	ढाय	47
11	खेरूवास	181	36	चक हादमका	21
12	बिदरखा	192	37	चक हबीबवाला	12
13	किशनपुरा तापरिया	188	38	अलेपुरा	24
14	देहलवास	187	39	चक गोविन्दपुरा	6
15	चक हरपट्टी	178	40	भैयापुरा	10
16	पूरणवास	180	41	हबीबवाला	14
17	चक खानपुरा	160	42	कालेश्वर कलां	18
18	बीरलवास	167	43	धारणवास	98
19	बैरावास	141	44	मोरा	62
20	धरसूती	164	45	राजपुरा	61
21	गुढा कीरतवास	165	46	मांगी भाटी	60
22	बूढ़ल्या भूतपुरिया	174	47	खोरण्डी	133
23	रघुनाथपुरा	116	48	बैनेरी	237
24	बाढ़ चान्दराना	87	49	कासेरी	239
25	चक रायपुरा	95	50	सूर	241
			51	सिगवाड़ा	97

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 897 की सूचियां

पंचायत समिति नोखा के अन्तर्गत 1 अप्रैल 91 से 29 फरवरी 92 तक कृषि कनेक्शन दिये गये उनके नामों की सूची ग्रामवार :—

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	गांव का नाम
1	2	3
1.	श्री सोहन राम	बासी
2.	श्री धन्नाराम	चिताणा
3.	श्री रावताराम	,,
4.	श्री मांगेराम	साधुना
5.	श्री भागीरथा बुद्धाराम	बीकासर
6.	श्री मंसाराम गोगाराम	कुवोर आयुषणी
7.	श्री जीवन राम जवहरमल	मेनेसर
8.	श्री जेठाराम सेवाराम	,,
9.	श्री सुगनाराम सुखाराम	दुधावास
10.	श्री आदूराम कानाराम	सिलनियासर
11.	श्री ओंकारसिंह आशुसिंह	,,
12.	श्री भुगवानाराम कालूराम	,,
13.	श्री अमरदासा किशोरदास	,,
14.	श्री रेवन्तराम कानाराम	,,
15.	श्री लाखराम गणेशाराम	,,
16.	श्री सागरमल गोविन्दराम	बन्दलू
17.	श्री नारायण राम लालूराम	दूधावास
18.	श्री रेवन्तसिंह उगमसिंह	चाकठा
19.	श्री कानाराम गिरधारीराम	बरसेऊ
20.	श्री बशीरअहमद ईमामूखान	सिजमुरु
21.	श्रीमती बसन्त कंवर ज्ञानसिंह	दुपासिया
22.	श्री जगदीशराम हुकमाराम	दासरिया

1	2	3
23.	श्री पूनमचन्द धरमचंद	पारवा
24.	श्री रेवताराम कुम्भाराम	लालम देसरबडा
25.	श्री पुरखाराम मन्साराम	जसरासर
26.	श्री रामसिंह बदरीसिंह	कुचोरआथुनी
27.	श्री गंगाबीसन परताराम	सरटीसि तांसरीयावास
28.	श्री मांगीलाल सुथार	बांदनू
29.	श्री फुसाराम अन्नाराम	,,
30.	श्री भियानाथ जालूनाथसिंह	चितांणा
31.	श्री तोलाराम रुद्धाराम नायक	बांदनू
32.	श्री कानाराम लूनाराम नायक	,,
33.	श्री रिधाराम जैसाराम नायक	,,
34.	श्री ऊधाराम केसराराम नायक	,,
35.	श्री सवाईराम शेषनाथराम नायक	झाडेली
36.	श्री पेमाराम राजूराम मेगवाल	सोमलसर
37.	श्री लालूराम नानूराम जाट	सादना
38.	श्री उमेदनाथ गुलाबनाथ	साजनवासी
39	श्री सुखाराम रुद्धाराम	,,
40.	श्री सुरजाराम शिवप्रताप	जसरासर
41.	श्री चनाराम चतरुराम	सिनीयाला

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, बीकानेर

पंचायत समिति नोखा के अन्तर्गत हरिजनों को कृषि कनेक्शन दिये गये उनके नामों की सूची ग्रामवार।

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	गांव का नाम
1.	श्री भागीरथ/बुधाराम	बीकासर
2.	श्री तोलाराम/रुघाराम नायक	बादनू
3.	श्री कानाराम/लूनाराम नायक	,,
4.	श्री रिधाराम/जैसाराम नायक	,,
5.	श्री उदाराम/केसराराम नायक	,,
6.	श्री सवाईराम/शिवनाथराम नायक	झाडेली
7.	श्री पेमाराम/राजूराम मेघवाल	सोमलसर

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 901 की सूची

भीनमाल–मोदरा 33 के. वी. 30 कि. मी. लाइन के लिये आवश्यक सामग्री की सूची

1. 33 के. वी. टोप हैम्पर	240 नग
2. 33 के. वी. पीन इन्सुलेटर	720 नग
3. 33 के. वी. पीन	720 नग
4. 11 के. वी. डिस्क इन्सुलेटर	540 नग
5. 11 के. वी. डिस्कहार्डवेयर	180 नग
6. एम. एस. फलेग 50 × 10 एम. एम.	1·8 मैट्रिक टन
7. एम. एस. चैनल 100 × 50 × 6 एम. एम.	1·5 मैट्रिक टन
8. एम. एस. एन्गल 50 × 50 × 6 एम. एम.	1·8 ,,
9. स्टे सेट 8 फुट × 3/4 इन्ची	300 नग
10. जे. आई. स्टे वायर 7/8 एम. डब्ल्यू. जी	1·8 मैट्रिक टन
11. जी. आई. वायर 6 एम. डब्ल्यू. जी.	7·5 ,,
12. ए.सी.एस. आरडोग कन्डक्टर	91·80 कि. मी.
13. एम. एस. नट वोल्टस	6·6 मैट्रिक टन

मोदरा 33/11 के. वी. सब स्टेशन के लिये आवश्यक सामग्री की सूची

1. पी. सी. सी. खम्भे 8 मीटर लम्बे	20 नग
2. एम. एस. चैनल 100 × 50 × 6 एम. एम.	2·8 मैट्रिक टन
3. एम. एस. फलेट 50 × 10 एम. एम.	1.0 ,,
4. एम. एस. नट एवं वोल्टस	0·25 ,,
5. 33 के. वी. आईसोलेटर	4 नग
6. 33 के. वी. हार्न गेप सेट	1 सेट

7. 33 के. वी. एल. ए.	1 सेट
8. 11 के. वी. डिस्क इन्सूलेटर	96 नग
9. 11 के. वी. डिस्क हार्डवेयर	48 नग
10. 11 के. बी. कियोस्क	4 नग
11. 33 के. वी. कियोस्क	1 नग
12. सीमेन्ट	1·5 मैट्रिक टन
13. 11/0·4 के. वी. डिस्ट्रीब्यूसन ट्रांसफार्मर	1 नग
14. 33/11 के. वी. 1·6 एम. वी. ए. ट्रांसफार्मर	1 नग

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 905 का विवरण

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में गत दो वर्षों में मण्डी समिति केकड़ी के माध्यम से स्वीकृत सम्पर्क सड़कों का ब्योरा

क. सं.	सड़कों का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमानित लागत (लाखों में)	अब तक व्यय की गई राशि (लाखों में)	भौतिक प्रगति
1.	जगदीशपुरा से अजमेर रोड	1.00	2.00	1.29	डब्ल्यू. बी. एम कुटाई का कार्य पूर्ण हो चुका
2.	नागोला से पाडेलिया	2.00	4.00	1.66	" " "
3.	शाहपुरा रोड से श्यामपुरा	0.50	1.00	0.03	अर्थवर्क का कार्य प्रगति पर है।
4.	बीरबाड़ा से कोरड़ा रोड	1.00	2.00	0.61	सामग्री परिवहन का कार्य पूर्ण हो चुका है।
5.	सरवाड़ से मण्डी यार्ड	1.00	2.00	0.95	डब्ल्यू. बी. एम. कुटाई का कार्य प्रगति पर है।
6.	मण्डी से केकड़ी	2.00	4.00	0.10	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
7.	भीमड़ावास से प्रान्हेड़ा	4.00	10.40	0.03	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 907 की सूची

कृषि उपज मण्डी समिति, सुजानगढ़ क्षेत्र में बनाई गई सम्पर्क सड़कों की सूची

क्र. सं.	तहसील	कार्य का नाम	लम्बाई कि. मी
1.	सुजानगढ़ (चूरु)	स. स. बैनाला बस स्टैण्ड से बैनाला गांव	2.50
2.	" "	स. स. नोंथा तालाब से धरड़ा गांव	3.00
3.	" "	स. स. बोबासर प्याऊ से बोबासर गांव	4.00
4.	" "	स. स. व्हापर रेल्वे स्टेशन के आबसर गांव	5.00
5.	" "	स. स. तेहरनदेसर से सड़ 0/0 से 7/0	7.00
6.	" "	स. स. साण्डवा बस स्टेण्ड से साण्डवा गांव	1.00
7.	" "	स. स. छापर रेल्वे स्टेशन से रतनगढ़ रोड़	2.00
8.	" "	स. स. भीयासर से सालासर सड़क	3.00
9.	" "	स. स. चाड़वास बस स्टेण्ड से चाड़वास गांव	1.00
10.	" "	स. स. शोभासर से बागसर	5.00
11.	" "	स. स. दूलिया प्याऊ से सुजानगढ़ मण्डी यार्ड	1.50
			35.00 किमी

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 917 की सूचना

विधानसभा क्षेत्र गंगरार, राश्मी में हत्या, डकैती, लूट, नकबजनी, मारपीट के दर्ज अपराध 1990 से 1992 तक की सूची

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	नकबजनी	अन्यचोरी	मारपीट	नतीजा चालान	एफ आर	योग	पेण्डिंग पुलिस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				थाना विजयपुर						
1990	–	–	–	2	12	23	21	12	43	–
1991	–	–	2	5	10	20	21	16	37	–
1992	–	–	–	1	–	7	5	1	8	1
				थाना राशमी						
1990	1	–	–	21	27	114	101	62	163	–
1991	1	–	–	30	27	119	110	67	177	–
1992	1	–	–	6	8	14	15	1	29	13
				थाना चित्तोड़गढ़						
1990	–	–	–	3	4	8	11	4	15	–
1991	–	–	–	3	5	13	14	7	21	–
1992	–	–	–	–	1	3	2	1	4	1
				थाना चन्देरिया						
1990	–	–	–	4	11	12	20	7	27	–
1991	–	–	–	8	14	9	16	15	31	–
1992	–	–	–	2	4	4	5	2	10	3
				थाना गंगरार						
1990	1	–	–	25	15	18	29	31	59	–
1991	–	–	–	32	23	15	27	35	60	2
1992	1	–	–	6	5	1	6	3	13	4

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 918 की सूची

वित्तीय वर्ष 1992–93 में राज्य में नये पुलिस थाने खोले जाने वाले स्थानों की सूची

क्रम संख्या	नाम जिला	थाना खोले जाने के स्थान का नाम
1	2	3
1–	जयपुर (शहर)	1–ईदगाह
		2–गीमड़ी
		3–सुभाष चौक
		4–जालुपुरा
		5–विद्याधर नगर
		6–खातीपुरा
		7–सांगानेर सदर
2–	जयपुर (ग्रामीण)	8–मनोहरपुर
		9–नरैना
3–	सीकर	10–फतेहपुर सदर
		11–अजीतगढ़
4–	झुन्झुनूं	12–झून्झुनूं सदर
		13–बगड
5–	टोंक	14–सोप
6–	भीलवाडा	15–सुभाष नगर
7–	बीकानेर	16–जय नारायण व्यास कालोनी
8–	गगानगर	17–रजियासर
9–	चूरू	18–सालासर
10–	कोटा (शहर)	19–किशोरपुरा
		20–महावीर नगर

1	2	3
11–	भरतपुर	21–मथुरा गेट
		22–उद्योगनगर
		23–अटलबंध
12–	अलवर	24–शिवाजीपार्क
13–	सवाई माधोपुर	25–बहरामदा कलां
		26–कुडगांव
		27–गंगापुर
14–	धौलपुर	28–निहालगंज
		29–कोलारी
15–	पाली	30–औद्योगिक क्षेत्र
16–	जालौर	31–मलवाड़ा
17–	सिरोही	32–पालड़ी
18–	बाडमेर	33–कल्याणपुर
	कुल योग	33 थाना

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 की सूची

क्र. सं.	अपराध का विवरण	वर्ष	दर्ज अभियोग	एफ आर.	जैर तफ.	चालान	मुकदमों में सजा	मुकदमों में बरी	मुकदमों में राजीनामा	विचाराधीन न्यायालय में	मुलजिम गिर.	मुलजिमों का चालान	मुलजिम को सजा	मुलजिम बरी	मुलजिम राजीनामा	पेण्डिग न्यायालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	महिलाओं की दहेज	1990	25	7	–	18	–	–	–	18	47	47	–	–	–	47
	हत्या	1991	33	9	3	21	–	–	–	21	47	47	–	–	–	47
2	महिलाओं के साथ	1990	63	24	–	39	2	4	–	33	56	56	5	7	–	44
	बलात्कार	1991	72	30	–	42	–	1	1	40	60	60	–	2	1	57
3.	पति द्वारा महिलाओं	1990	112	22	–	90	–	–	4	86	123	123	–	–	6	117
	के साथ मारपीट	1991	111	21	–	90	–	1	6	83	124	124	–	2	10	112
4	महिलाओं की जायदाद	1990	287	153	–	134	–	–	–	134	238	238	–	–	–	238
	छीनने संबंधी	1991	430	243	–	187	1	2	1	183	450	450	–	–	3	444

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 929 का विवरण

श्री गंगानगर जिले के विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में स्वीकृत/संचालित औषधालयों, इनमें पदस्थापित स्टाफ एवं वर्ष 1991-92 में फरवरी 1992 तक वितरित औषधियों की राशि का विवरण :

क्र.सं.	स्थान औषधालय	पदस्थापित स्टाफ का विवरण नाम पद	पदस्थापित कर्मचारी का नाम	औषध सप्लाई (रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	सतजण्डा	आयुर्वेद चिकित्सक	श्री मोहनलाल शर्मा	779
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री इन्द्रराज	
		परिचारक	श्री जगदीश प्रसाद	
2.	बिशनपुरा	आयु. चिकित्सक	श्री रामप्रकाश	1661
		नर्स/कम्पाउण्डर	पद सृजित नहीं	
		परिचारक	श्री सन्तलाल	
3.	डावला	आयु. चिकित्सक	श्री ओमप्रकाश शर्मा	853
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री भागीरथ पुरी	
		परिचारक	श्री गोविन्द गिरी	
4.	थांदेवाला	आयु. चिकित्सक	श्री महावीर प्रसाद	1047
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री मोहनलाल सेठी	
		परिचारक	पद रिक्त	
5.	19 पी.टी.डी.	आयु. चिकित्सक	श्री हरिसिंह धायल	1014
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री हेमन्तकुमार परिहार	
		परिचारक	श्री मंघाराम	
6.	67 एन.पी.	आयु. चिकित्सक	श्री कृष्णानन्द	853
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री पवन कुमार	
		परिचारक	पद रिक्त	

1	2	3	4	5
7.	समेजा (15 पी.टी.डी.)	आयु. चिकित्सक	श्री ओमप्रकाश	779
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री जयदेवराम जोशी	
		परिचारक	श्री मोहनलाल	
8.	67 आर.बी.	आयु. चिकित्सक	श्री दयालचन्द	853
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री सलाउद्दीन भाटी	
		परिचारक	श्री रघुनाथ मीणा	
9.	भादवा वाला	आयु. चिकित्सक	श्री निहालचन्द	779
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री मोहम्मद हकीम अली	
		परिचारक	श्री माधोसिंह	
10.	मुकलावा	आयु. चिकित्सक	श्री रामकुमार शर्मा	853
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री पृथ्वीराज	
		परिचारक	श्री हरभजन	
11.	रिडमलसर	आयु. चिकित्सक	श्री हनुमानप्रसाद शर्मा	1073
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री ब्रजलाल	
		परिचारक	श्री कृष्णकुमार	
12.	श्यामगढ़	आयु. चिकित्सक	श्री रामावतार	853
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री रामस्वरूप	
		परिचारक	श्री बनवारीलाल	
13.	नानूवाला	आयु. चिकित्सक	श्री भोजराज शर्मा	1073
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री बलवानसिंह	
		परिचारक	श्री जगदीशप्रसाद	
14.	बीझवायला	आयु. चिकित्सक	पद रिक्त	1112
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री बलभद्रसिंह सोलंकी	
		परिचारक	श्री आशाराम	
15.	69 एल.एन.पी.	आयु. चिकित्सक	श्री सत्यनारायण	1556
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री मांगेलाल	
		परिचारक	श्री राजूराम	

1	2	3	4	5
16.	मोमेवाला	आयु. चिकित्सक	श्री प्रेम सुख दास	599
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री रामस्वरूप गुप्ता	
		परिचारक	श्री सदीक अली	
17.	*अमरसर (रामजीवाला)	आयु. चिकित्सक	श्री लीलाधर शर्मा	
		नर्स/कम्पाउण्डर	श्री अर्जुनदास	1073
		परिचारक	श्री नवलाराम	

*अमरसर (रामजीवाला) आयुर्वेद औषधालय को राज्यादेश क्रमांक प. 1(5) आयुर्वेद/89 दिनांक 24-2-92 एवं निदेशालय के पत्रांक 9130–45 दिनांक 27-2-92 द्वारा ग्राम भोमपुरा में स्थानान्तरित किया गया है। जिसका भी विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर ही है।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में औषधालय युक्त पंचायत मुख्यालयों एवं औषधालय रहित पंचायत मुख्यालयों का विवरण

पंचायत मुख्यालय का नाम जहां औषधालय स्वीकृत है	पंचायत मुख्यालय का नाम जहां औषधालय स्वीकृत नहीं है
1. 3 एफ एफ बी. (थांदेवाला)	1. 16 पी.एस.
2. भोमपुरा	2. 60 आर.बी. (बीकरवाली)
3. 79 आर.बी.बी. (भादवावाला)	3. 56 आर.बी. (गंगूवाला)
4. 17 टी.के. (मुकलावा)	4. 3 एम.के.
5. 30 पी.एस. (बिशनपुरा)	5 1 एम.के.बी. (उडसर)
6. 36 एन.पी. (नानूवाला)	6. 13 टी.के. (झोटावाली)
7 59 एन.पी. (श्यामगढ़)	7 21/23 एन.पी. (ठन्डी)
8. सतजन्डा	8. 5 टी.के.
9. डाबला	9. 4 एफ.एफ बी. (लालगढ़ बिश्नोईयान)
10. रिडमलसर	10. 22/23 एफ.एफ. (लोहारा)
	11. 6 एफ डी. (ख्यालीवाला)
	12. 23 आर.बी. (सगराना)
	13. 66 आर बी.
	14. 71 आर.बी.
	15. 78 आर.बी. (फरेजूवाला)
	16. 27 पी.एस. (लिखमेवाला)
	17. ठाकरी
	18. 32 पी.एस.ए.(सावतबर)
	19. 22 पी.एस.
	20. टी.के.
	21. 84 आर.बी.बी (लखा हाकम)
	22. 48 एन.पी. बगीचा
	23. करडवाली
	24. 68 एन.पी.
	25. खाटा
	26. 75 एन.पी.

परिशिष्ट-18

अतारांकित प्रश्न संख्या 931 की प्रतियां

Telephone Southern : 768

REGISTERED/SDS/POST
Dakshin Kaman Mukhyalaya
Headquarters Southern Command
Pune – 411001.

303047/Jodhpur/84–85/ST5Q 23 Oct. 84

Supplies and Transport Directorate (STS)
Quartermaster General's Branch
Army Headquarters
DHQ PO New Delhi–110001

CONTRACT FOR THE SUPPLY OF MEAT FRESH AT JODHPUR FO THE PERIOD FROM 15 OCT 84 TO 31 MAR 85

1. Reference your Headquarters letter No. 68319/Q/STS/Q1 (B) dated 10 Oct. 84.

2. A copy of contract deed consisting of Accepted Tender Comparative Statement of Tenders and Acceptance of Tender Note in respect of above contract is forwarded herewith.

Sd/-
(S. K. VASHISHT)
Major
Offg ADS
Major General Aamy Service Corps.

Encl : As above.

NOO

M/s Rajasthan State Cooperative
Sheep & Wool Marketing Federation
Ltd. Gandhinagar, Tonk Road, Jaipur

1. Reference this Hqs Acceptance of Tender Note No. SC/84-85/16 dated 11 Oct. 84

(424)

Supply Depot ASC
Jodhpur.

2. A Copy of contract deed in respect of above contract is fwd herewith for your records.

3. Please acknowledge.

15. The Army authorities at poona have invited annual Tender for the supply of fresh meat to the Army stationed at Jodhpur for about 2.00 lacs of 5 Kgs. Last time we had offered our rates at Jaipur @ Rs. 14.50 per. Kg But as the tenders are reinvited and we could not offer our rates this time, I think there is no objection in submitting tender for the fresh supply of meat @ Rs. 13.90 per Kg. We have already discussed the matter with the local meat suppliers who can supply fresh meat acceptable to the Army @ Rs. 13/–per Kg. to 13.25 per Kg. Even then, the Federation can save Rs. 0.65 per Kg. Even in the case of non supply of meat by the contractors the same could be supplied by our agency by procuring culled animals from the field and Govt. Farms.

May Kindly approve.

Sd/–
(PRAGESHWAR TIWARI)
(GENERAL MANAGER)
3....... ....3............1984.

Sd/–
M. D.

Sd/–
Managing Director.

परिशिष्ट-19

अतारांकित प्रश्न संख्या 934 की सूची

अध्यापक ग्रेड द्वितीय पद हेतु आवेदक भूतपूर्व सैनिकों की सूची

क्रम संख्या	नाम एवं नं. भूतपूर्व सैनिक, पिता का नाम मय पता
1.	एक्स नं. 606104 जूनियर वारंट ऑफिसर फूलचन्द पुत्र श्री केवलचन्द सोनी ग्राम-पोस्ट-पिपलिया कलां जिला-पाली ।
2.	एक्स नं. 613360 सार्जेन्ट बोहित राम पुत्र श्री रामेश्वर सिंह ग्राम-नागली का वास पोस्ट-थिम्बोला-जिला-सीकर ।
3.	एक्स नं. 1477105 रिक्रूट क्लर्क लक्ष्मीनारायण यादव पुत्र श्री मंगलाराम ग्राम-इकराटिया पोस्ट-पालपुर जिला-अलवर।
4.	एक्स नं. 696627 ए. सी. बंशीलाल यादव पुत्र श्री बिरदाराम अहीर पोस्ट-मन्डा भीमसिंह जिला-जयपुर।
5.	एक्स नं. 249594 सार्जेन्ट हरीश चन्द्र पुत्र श्री कालूराम यादव ग्राम-पोस्ट पदमारा खुर्द जिला-अलवर ।
6.	एक्स नं. 14262184 सिग्नल मैन मगनाराम पुत्र श्री मालाराम ग्राम-थिथालिया पोस्ट-मण्डेरा जिला-सीकर।
7.	एक्स नं. 245897 वारन्ट आफिसर शिवपाल सिंह पुत्र श्री पोकर राम ग्राम पोस्ट-कोलारा जिला-सीकर।
8.	एक्स नं. जे. सी. 83982 सुबेदार रामानन्द शर्मा पुत्र श्री जानकी प्रसाद शर्मा 150 राठौड़ नगर क्वीन्स रोड खातीपुरा जयपुर।
9.	एक्स नं. 14323159 गनर क्लर्क महावीर प्रसाद वर्मा पुत्र श्री बोहितराम ग्राम-बुरावास वाया-खुहारा वास जिला झुंझुनू ।
10.	एक्स नं. जेयसी 128817 रिसालदार खीवाराम पुत्र श्री बालूराम 42 प्रेम-नगर सेन कालोनी झोटवाड़ा जयपुर।

11. एक्स नं. 7126996 सी. एफ. एन. भंवरलाल पुत्र श्री लाडूराम ग्राम–पोस्ट-मायापुर जिला-नागौर।

12. एक्स नं. 641173 सार्जेण्ट राम प्रसाद पुत्र श्री हरिराम ग्राम-पोस्ट- नोखा चन्दावता जिला-नागौर।

13. एक्स नं. 644596 सार्जेन्ट जगदीश प्रसाद पुत्र श्री मदनलाल, लाल बाग के पास डीडवाना नागौर।

14 एक्स नं. 14356341 गनर चन्द्रसिंह पुत्र श्री तेजसिंह ग्राम-पोस्ट-सेन्दड़ा जिला-पाली।

15. एक्स नं. 267452 कोपल राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री दुर्गसिंह विदय कौर कालोनी भरतपुर।

16. एक्स नं. जे. सी. 150495 नायब सुबेदार होशियारसिंह पुत्र श्री ग्रजुंनसिंह कूनिया मार्फत जवान ग्राटो मोबाइल्स झुंझुनू।

17. एक्स नं. 14542961 हवलदार राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री शिवनारायण सिंह ग्राम-पोस्ट-इन्तेरा जिला-ग्रलवर।

18. एक्स नं. 298970 सार्जेन्ट नारायणलाल पुत्र श्री घीसाराम 34/ए/2 सामने एयर फोर्स ग्रफसर मैस जिला-जोधपुर।

19 एक्स नं. 143126428 हवलदार सुबेसिंह पुत्र श्री जीतराम यादव ग्राम-मेनको पोस्ट-साहबाद जिला-ग्रलवर।

20. एक्स नं. 103061 पी ग्रो. सुरेश दत्त शर्मा पुत्र श्री कल्याण दत्त ग्राम-पोस्ट-खरवा जिला-ग्रजमेर।

21 एक्स नं. 293877 सार्जेन्ट ग्रजीतसिंह पुत्र गोवर्धनसिंह ग्राम-पोस्ट-खीवसर जिला-सीकर।

22. एक्स नं. 6071 6 सार्जेन्ट भंवरसिंह पुत्र श्री देवासिंह द्वारा रामसिंह गोयल छाला खाना के पीछे जिला-जोधपुर।

23. एक्स नं. जेसा 157403 नायब सुबेदार बाबूलाल पुत्र श्री जयलाल प्रसाद ग्राम-महू खास जिला-सवाई माधोपुर।

24. एक्स नं. 1393343 नायक जनार्दन तिवाड़ी पुत्र श्री जयगोवर्धन तिवाड़ी हरिजन होस्टल चान्दमाड़ी पोस्ट-मोतियाड़ी जिला-चाम्परन।

25. एक्स नं. 6647239 हवलदार होशियारसिंह पुत्र श्री मंगलाराम यादव ग्राम-हसनपुर पोस्ट-मासाद जिला–अलवर।

26. एक्स नं. 2962818 नायक हनुमानसिंह पुत्र श्री बंकाराम ईसरा का बास (भूतपुरा) पोस्ट-बाबरा जिला-अलवर।

27. एक्स नं. 2660405 हवलदार हरदानाराम पुत्र श्री रूपाराम ग्राम-जेतपुरा पोस्ट-बेगसर जिला-नागौर।

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 937 की सूची

रोजगार विभाग में राजपत्रित अधिकारियों के वर्तमान में रिक्त पदों की सूचना

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	संयुक्त निदेशक	1
2.	उप निदेशक	1
3.	सहायक निदेशक	5
4.	जिला रोजगार अधिकारी	11
	कुल योग :	18

परिशिष्ट–21

अतारांकित प्रश्न संख्या 939 की सूची

बाल विकास परियोजना :–अराई (अजमेर)

ग्रामवार लाभान्वितों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	लाभाविन्तों की संख्या	क्र. सं.	गांव का नाम	लाभान्वितों की संख्या
1	2	3	1	2	3
1.	अराई	70	2.	अराई-II	81
3.	अराई–III	40	4.	भामोलाव–I	75
5.	भामोलाव–II	57	6.	सिरोज	76
7.	जुगलीपुरा	52	8.	भोगादीत	70
9.	भावसा	62	10.	डांग	66
11	धोलपुरिया	72	12.	गोली	54
13.	गहलपुर	63	14.	मोतीपुरा	6
15.	कालानाड़ा	79	16	गागून्दा	65
17.	खेड़ा नोन्दपुरा	81	18.	चौसला	57
19.	इन्दोंली	29	20.	कटसूरा	63
21.	कटसूरा–II	67	22.	देवपुरी	99
23.	दादिया	73	24.	दादिया-II	59
25.	सील	80	26.	सान्दोलिया	71
27	काकलवाड़–I	64	28.	गुन्दबी	84
29.	लाम्बा–1	72	30.	लाम्बा-II	79
31.	लाम्बा-III	70	32	कोड़िया-1	65
33.	आकोड़िया-II	60	34.	मुण्डोती	80
35.	भोरोता	87	36.	दोथली	69
37.	गुजरवाड़ा	63	38	सरवर	61
39.	खरखड़	75	40.	बंथली	48
41.	जोरावरपुरा	42	42.	मण्डावरिया	40
43.	भोडौल	84	44.	खेड़ागोपालपुरा	30
45.	गोठियाणा	35	46.	बोराड़ा	64

1	2	3	1	2	3
47.	बोराड़ा-II	71	48.	ढसूंक	100
49.	देवरिया	30	50.	मा. कलां	52
51.	मा खुर्द	74	52.	पाण्डरवाड़ा	91
53.	बालापुरा	74	54.	हिंगोनिया	103
55.	हिंगोनिया-II	52	56.	सापुन्दा	65
57.	ललोई	50	58.	बिड़ला	75
59.	बिलावटिया खेड़ा	94	60.	पिपरोली	106
61.	सवापुर	56	62.	चण्डोलाई	65
63.	मुण्डझेती	49	64.	दांतरी	51
65.	फतहगढ़–I	71	66.	फतहगढ़-II	84
67.	फतहगढ़-II	84	68.	मनोगला	70
69.	गणेशपुरा	20	70.	दोलतपुरा	25
71.	सरसुन्दा	90	72.	जतीपुरा	92
73.	स्यार	62	74.	गोवर्धनपुरा	43
75.	रामगढ़	26	76.	गुजरवाड़ा	75
77.	कसाणा	83	78.	हरपुरा	110
79.	कुम्हारिया	64	80.	कंचोलिया	71
81.	सुनारिया	64	82.	मनोहरपुरा	76
83.	धानमा	77	84.	खिरिया	74
85.	अजगरा	116	86.	अजगरी	57
87.	प्रतापपुरा	44	88.	सूरजपुरा	26
89.	ताजपुरा	103	90.	भगवानपुरा	47
91.	मिया	41	92.	चकवा	74
93.	भाटोलाव	64	94.	हिंगदड़ा	85
95.	रामपाली	36	96.	बिलिया	111
97.	चण्डाली	66	98.	खेड़ी	37
99.	जालिया	63	100.	झरनिया	56
101.	गुन्दाली	57	102.	सूपा	62
103.	सापला	77	104.	सापला-II	71
105.	गोपालपुरा	17	106.	श्यामपुरा	23

परिशिष्ट-22

अतारांकित प्रश्न सं. 435 की सूची

राजस्थान में वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में सड़कों के मरम्मत तथा निर्माण पर किये गये व्यय की सूचना

क्र. सं.	नाम जिला	1989-90		1990-91	
		निर्माण	मरम्मत	निर्माण	मरम्मत
1.	अजमेर	172·56	488·00	179·11	448·88
2.	अलवर	162 56	233·19	206·83	283 98
3.	बांसवाड़ा	97·60	183·83	156 10	208·84
4.	बाड़मेर	97·49	197 72	193 49	329·95
5.	बारां	48 12	151·05	442·58	217 64
6.	भरतपुर	80 29	161·60	103·31	217 45
7.	भीलवाड़ा	80 96	235·01	159 07	244·94
8.	बीकानेर	×	×	484·46	356·79
9.	बून्दी	48·93	114·53	93·93	161·59
10.	चित्तौड़गढ़	51·54	188·07	125·52	229 03
11.	चूरू	×	×	154·80	358·26
12.	धौलपुर	398 23	104·92	167·93	167 67
13.	डूंगरपुर	35 90	131·00	84·49	138 00
14.	दौसा	×	×	118·84	131·77
15.	गंगानगर	×	×	281·99	387·02
16.	जयपुर	×	×	530·35	878 23
17.	जैसलमेर	125·99	67·70	393·87	387 14
18.	जालौर	52 00	98·05	49·36	536 31
19.	झालावाड़	×	×	×	×

1	2	3	4	5	6
20.	झुन्झुनू	115·42	2 14·02	260·23	180 26
21.	जोधपुर	402·00	364·96	251·31	489·68
22.	कोटा	173·15	275·38	176·16	366·20
23.	नागौर	62·69	196·74	141·03	239 64
24.	पाली	107·37	216·28	80·17	357·43
25.	राजसमन्द	28·19	103·83	42 07	129·90
26.	सवाई माधोपुर	194·48	212·03	110·40	258·89
27.	सीकर	83 56	174·22	77·03	232·02
28.	सिरोही	55·12	134·53	74·54	473·72
29	टौंक	368 43	138·03	553·91	185·83
30.	उदयपुर	×	×	356·39	760·96

× सूचना अपेक्षित है।